राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र
परिवहन निगम लिमिटेड
(भारत सरकार एवं प्रतिभागी
राज्य सरकारों का एक संयुक्त उपक्रम)

ncrtc

वार्षिक रिपोर्ट

2025-26







वार्षिक रिपोर्ट 2025-26

गति से प्रगति



लक्ष्य

जन-मानस के जीवन की गुणवत्ता में सुधार हेतु सामयिक, तीव्र, विश्वसनीय, सुरक्षित, सुखद, दक्ष एवं सतत् गतिशीलता समाधान प्रदान कर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एन सी आर) के आर्थिक विकास को गति देना

सांविधिक लेखा परीक्षक
मैसर्स श्याम सुंदर सिंघल एंड कंपनी
चार्टड एकाउंटेंट्स, नई दिल्ली

सचिवीय लेखाकार
मैसर्स जे. के. गुप्ता एंड एसोसिएट्स
कंपनी सचिवीय, दिल्ली

आंतरिक लेखाकर
मैसर्स एस. के. मिश्रा एंड गुजराती
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, नई दिल्ली

कंपनी सचिव
श्री विजय कुमार

बैंकर्स
स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया
एक्सिस बैंक लिमिटेड
एचडीएफ़सी बैंक लिमिटेड
आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड
यस बैंक लिमिटेड

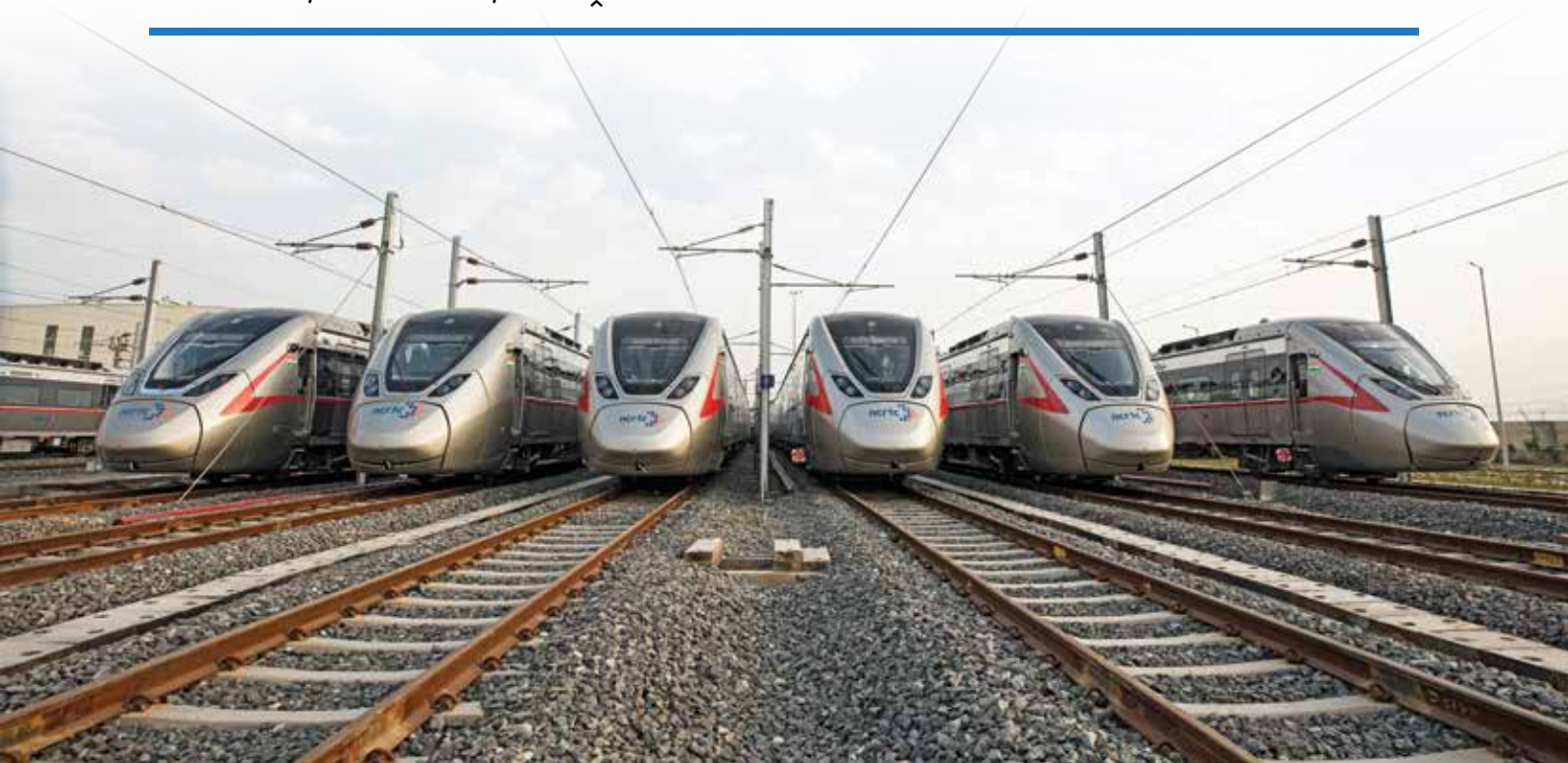
पंजीकृत एवं मुख्य कार्यालयः
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड
गतिशक्ति भवन, आईएनए, नई दिल्ली-110023
फोन: +91 11 24666700, फैक्स: +91 11 24666723
सीआईएन: U60200DL2013GOI256716
ईमेल: contactus@ncrtc.in
www.ncrtc.in

गति से प्रगति



विषय-सूची

क्र. सं.	विषय	पृष्ठ संख्या
1.	निदेशक मंडल	05
2.	अध्यक्षा का संबोधन	06
3.	निदेशक मंडल की रिपोर्ट	09
4.	सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट	34
5.	स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट	50
6.	स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण	62
7.	स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ	138
8.	समेकित वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट	158
9.	समेकित वित्तीय विवरण	166
10.	समेकित वित्तीय विवरणों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ	247
11.	सहायक कंपनी – एनसीआरटीसी एक्सप्रेस ट्रांजिट लिमिटेड	266




नमो भारत
ncrtc

निदेशक मंडल



सुश्री डी. तारा, आईएएस
अध्यक्षा
सचिव
राजधानी विकास विभाग,
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
डीआईएन: 01911714
(24 जुलाई, 2026 से प्रभावी)



श्री श्रीनिवास कटिकिथला, आईएएस
अध्यक्ष
सचिव (आवासन और शहरी कार्य)
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
डीआईएन: 00414340
(24 जुलाई, 2026 तक)



श्री शलभ गोयल
प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 08064525



श्री शिखर अग्रवाल, आईएएस
नामित निदेशक
अपर मुख्य सचिव
उद्योग एवं डीएमआईसी
राजस्थान सरकार
डीआईएन: 01093773



श्री अनुराग अग्रवाल, आईएएस
नामित निदेशक
अपर मुख्य सचिव, नगर एवं ग्राम
नियोजन एवं नगर संपदा विभाग,
हरियाणा सरकार
डीआईएन: 02294055



श्री पी. गुरुप्रसाद, आईएएस
नामित निदेशक
प्रमुख सचिव
आवास एवं नगर नियोजन विभाग,
उत्तर प्रदेश सरकार
डीआईएन: 07979258



श्री एन. सरवणा कुमार, आईएएस
नामित निदेशक
उपाध्यक्ष, दिल्ली विकास प्राधिकरण
डीआईएन: 08806273



श्री कुलदीप नारायण, आईएएस
नामित निदेशक
संयुक्त सचिव (एचएफए)
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
डीआईएन: 03276525



सुश्री निहारिका राय, आईएएस
नामित निदेशक
सचिव-सह-आयुक्त (परिवहन)
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
डीआईएन: 02283087



श्री विवेक कुमार, आईआरएसई
नामित निदेशक
ईडी/जीएस/सिविल-II
(रेलवे बोर्ड), रेल मंत्रालय
डीआईएन: 10944202



श्री महेन्द्र कुमार
निदेशक / विद्युत
एवं रोलिंग स्टॉक
डीआईएन: 07093637



सुश्री नमिता मेहरोत्रा
निदेशक / वित्त एवं
मुख्य वित्तीय अधिकारी
डीआईएन: 07916304



श्री मुन्ना कुमार
निदेशक / कार्य
डीआईएन: 09394779



श्री परमजीत सिंह
निदेशक / परियोजनाएं
डीआईएन: 11009365



श्री रामेश्वर मीणा
निदेशक / प्रणाली
डीआईएन: 10077767
(19 अगस्त, 2026 से प्रभावी)

अध्यक्षीय संबोधन

एनसीआरटीसी के शेयरधारकों की 13वीं वार्षिक आम बैठक - वित्तीय वर्ष 2025-26



प्रिय शेयरधारकगण,

निदेशक मंडल की ओर से, आपकी कंपनी की 13वीं वार्षिक आम बैठक में आप सभी का स्वागत करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। आज यहाँ और हमारे साथ जुड़ने के लिए मैं आप सभी का हार्दिक धन्यवाद करती हूँ।

31 मार्च, 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट, बोर्ड की रिपोर्ट, लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण (स्टैंडअलोन एवं समेकित), और भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों सहित, जो कि आपको पहले ही प्रेषित की जा चुकी है और आपकी अनुमति से यह मानती हूँ कि आपने इन्हें अवश्य पढ़ लिया होगा।

वित्तीय वर्ष 2025-26 आपके निगम के लिए एक महत्वपूर्ण वर्ष रहा है, जो सुदृढ़ कार्य-निष्पादन और उल्लेखनीय उपलब्धियों से परिपूर्ण था। नमो भारत कॉरिडोरों के परिचालन एवं कार्यान्वयन की स्थिति के प्रमुख आकर्षणों का विवरण निम्नलिखित हैं:

दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ नमो भारत कॉरिडोर:

1. वित्तीय वर्ष 2025-26 आपके निगम के लिए वास्तव में एक ऐतिहासिक वर्ष रहा है। यह भारत की पहली रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस) दिल्ली-मेरठ नमो भारत आरआरटीएस कॉरिडोर के चालू होने के साथ, वर्षों के नियोजन, निर्माण और कठिन परिश्रम की परिणति का प्रतीक है, जो अब दिल्ली के सराय काले खां से उत्तर प्रदेश के मोदीपुरम तक पूर्ण रूपेण संचालित है।
2. इस वर्ष का सबसे महत्वपूर्ण मील का पत्थर 22 फरवरी, 2026 को स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा सराय काले खां से न्यू अशोक नगर तक के शेष 5 किमी खंड तथा मेरठ साउथ से मोदीपुरम तक 21 किमी के विस्तार के साथ-साथ मेरठ मेट्रो का उद्घाटन था। अब, सराय काले खां से मोदीपुरम तक 15 स्टेशनों पर नमो भारत सेवाएँ तथा मेरठ साउथ से मोदीपुरम तक 12 स्टेशनों पर मेरठ मेट्रो सेवाएँ उपलब्ध हैं। इनमें 4 इंटरचेंज स्टेशन भी शामिल हैं।
3. यात्रियों की प्रतिक्रिया अत्यंत उत्साहजनक रही है। फरवरी 2026 में पूर्ण रूप से चालू होने के बाद, जनवरी 2026 की तुलना में मार्च 2026 के राजस्व में 92.45% और यात्री संख्या (राइडरशिप) में 65.59% की वृद्धि दर्ज की गई। यह प्रगति आपकी कंपनी की वित्तीय स्थिरता को सुदृढ़ बनाती है तथा उच्च-गुणवत्ता एवं उच्च-गति वाले क्षेत्रीय पारगमन (ट्रांजिट) के मॉडल को प्रमाणित करती है। कॉरिडोर पर औसत दैनिक यात्री संख्या वर्ष 2025 में 50,000 से बढ़कर 2026 में 1,00,000 से अधिक हो गई है। 28 अगस्त, 2026 को दिल्ली-मेरठ नमो भारत कॉरिडोर ने 1,68,000 दैनिक यात्री संख्या के साथ अपनी अब तक की सर्वाधिक दैनिक राइडरशिप दर्ज की। ट्रेनों की समयबद्धता (पंक्चुअलिटी) 99% दर्ज की गई है।

आगामी कॉरिडोर्स की प्रगति:

4. **दिल्ली-गुरुग्राम-बहरोड़ और दिल्ली-पानीपत-करनाल नमो भारत आरआरटीएस कॉरिडोर:** दिल्ली-गुरुग्राम-बहरोड़ और दिल्ली-करनाल के प्रस्ताव भारत सरकार की मंजूरी के लिए लंबित है।
5. **गाजियाबाद-जेवर कॉरिडोर:** गाजियाबाद-जेवर कॉरिडोर का प्रस्ताव भारत सरकार के अनुमोदनार्थ विचाराधीन है।
6. **नोएडा/ग्रेटर नोएडा-फरीदाबाद-गुरुग्राम कॉरिडोर:** डीपीआर तैयार कर संबंधित राज्य सरकारों को प्रस्तुत कर दी गई है।
7. **संधारणीयता (सस्टेनेबिलिटी), ईएसजी और नवीकरणीय ऊर्जा:**

   7.1 **27 मई, 2026** को एनआईआरएल (एनएलसी इंडिया लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी) और एनसीआरटीसी ने उत्तर प्रदेश में **110**

मेगावाट का कैप्टिव सोलर पावर प्लांट स्थापित करने हेतु **'एनआईआरएल एनसीआरटीसी रिन्यूएबल्स लिमिटेड'** (एनसीआरटीसी इक्विटी: 26%) का गठन किया। इसके आरंभ होने पर, यह ₹2.73 प्रति यूनिट की निश्चित दर पर 25 वर्षों के लिए निगम की 60% ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करेगा, जिससे प्रतिवर्ष ₹62 करोड़ की बचत होगी और वार्षिक CO_2 के **उत्सर्जन में 1.77 लाख टन की कमी आएगी**।

7.2 निगम अपनी कुल ऊर्जा का 60% हिस्सा नवीकरणीय स्रोतों से प्राप्त करने का लक्ष्य रखता है, जिसमें स्टेशनों, डिपो और सहायक भवनों पर **15 मेगावाट की रूफटॉप** सौर क्षमता शामिल है (वार्षिक 15,600 टन CO_2 की कमी)। गाजियाबाद और मुरादनगर स्थित रिसीविंग सब-स्टेशनों, दुहाई डिपो तथा साहिबाबाद, गाजियाबाद, गुलधर, दुहाई, मुरादनगर, मोदीनगर दक्षिण, मोदीनगर उत्तर, मेरठ दक्षिण और शताब्दी नगर स्टेशनों पर **7.1 मेगावाट की क्षमता चालू की जा चुकी है**, जिससे प्रतिवर्ष ₹3.20 करोड़ की बचत हो रही है और CO_2 उत्सर्जन में 7,400 टन की कमी आ रही है। अपनी खपत से अधिक सौर ऊर्जा उत्पादन करने वाले कई स्टेशन अब **'कार्बन न्यूट्रल'** की श्रेणी में आते हैं।

7.3 दुहाई डिपो में 70 मीटर के ट्रैक पर 15.4 किलोवाट क्षमता वाली अपनी तरह की पहली 'सोलर ऑन रेलवे ट्रैक' पायलट परियोजना संचालित है, जिससे प्रतिवर्ष 16 टन CO_2 उत्सर्जन कम होने का अनुमान है।

7.4 आनंद विहार भूमिगत स्टेशन को इस वर्ष **आईजीबीसी प्लैटिनम** रेटिंग प्राप्त हुई।

8. पारगमन-उन्मुख विकास एवं मूल्य अभिग्रहण वित्तपोषण

8.1 **उत्तर प्रदेश:** गाजियाबाद और मेरठ के मास्टर प्लान में टीओडी जोनों को एकीकृत किया गया है; क्षेत्रीय विकास योजना को अंतिम रूप दिया जा रहा है; टीओडी स्वीकृति समितियां और एस्क्रो-आधारित राजस्व-साझाकरण ढांचे को क्रियान्वित किया गया है; तथा विशेष सुख-सुविधा शुल्क (स्पेशल एमेनिटी फीस) अधिसूचित करने की प्रक्रिया जारी है।

8.2 **राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली:** जंगपुरा और सराय काले खां सहित प्रमुख नोड्स के लिए इन्फ्लुएंस जोन योजनाओं को मंजूरी दे दी गई है।

8.3 **हरियाणा:** राज्य की टीओडी नीति को सुदृढ़ करने और नवाचारी वैल्यू कैप्चर फाइनेंसिंग तंत्र शुरू करने हेतु सिफारिशें प्रस्तुत की गई हैं।

9. यात्री अनुभव और सामुदायिक सहभागिता:

9.1 इस वर्ष 'नमो भारत कनेक्ट' मोबाइल ऐप को आईआरसीटीसी एकीकरण, यात्रा योजनाकार (जर्नी प्लानर), ऐप के भीतर रैपिडो कार एवं बाइक सेवाओं की बुकिंग और स्टेशनों पर लाइव कार पार्किंग की स्थिति जैसी सुविधाओं के साथ उल्लेखनीय रूप से उन्नत किया गया। गाजियाबाद नमो भारत स्टेशन पर सह-कार्यशील स्थान (को-वर्किंग स्पेस), विभिन्न स्टेशनों पर विविध खाद्य व खुदरा विकल्प और यात्रियों के लिए समृद्ध सांस्कृतिक सहभागिता कार्यक्रमों सहित नवाचारी स्टेशन पहलों को जारी रखा गया।

9.2 आपके निगम ने दिल्ली, मेरठ और गाजियाबाद में सुव्यवस्थित सामुदायिक संवाद कार्यक्रमों तथा नुक्कड़ नाटकों का आयोजन किया, जिसमें स्थानीय निवासियों, व्यापारियों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, छात्रों, महिलाओं, उभयलिंगी (ट्रांसजेंडर) व्यक्तियों और दिव्यांगजनों को जोड़ा गया। यात्री सहभागिता कार्यक्रमों, संगीतमय प्रस्तुतियों, पुस्तक मेलों, छायाचित्र (फोटोग्राफी) प्रदर्शनियों तथा करगिल विजय दिवस, बाल दिवस, महिला दिवस एवं गणतंत्र दिवस के आयोजनों ने हमारे स्टेशनों को जीवंत सामुदायिक केंद्रों में बदल दिया है।

9.3 आपके निगम ने "आकांक्षाओं के पंख" नामक एक लैंगिक संवेदीकरण (जेंडर सेंसिटाइजेशन) अभियान की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य सार्वजनिक पारगमन (ट्रांजिट) परिसरों में महिलाओं की सुरक्षा एवं उनके प्रति समुचित व्यवहार को प्रोत्साहित करना है। इसके तहत जागरूकता के विविध माध्यमों का उपयोग किया जा रहा है, जिनमें फिल्में, नुक्कड़ नाटक, कार्यशालाएं और सामुदायिक संवाद कार्यक्रम शामिल हैं; साथ ही इन्हें नमो भारत ट्रेनों और स्टेशनों पर प्रदर्शित सूचनाप्रद बैनरों व पोस्टरों के माध्यम से भी बेहतर बनाया जा रहा है। यह नाम एनसीआरटीसी के इस विश्वास को दर्शाता है कि सुरक्षित, विश्वसनीय और सुगम गतिशीलता न केवल आवागमन को संभव बनाती है, बल्कि महिलाओं की आकांक्षाओं को भी पंख देती है। पांच वर्षों की एक सतत पहल के रूप में परिकल्पित, इस अभियान के माध्यम से यात्रियों

के बीच स्थायी व्यावहारिक बदलाव लाने तथा अधिक सुरक्षित एवं समावेशी परिवहन परिवेश विकसित करने का प्रयास किया गया है।

9.4 दिल्ली-मेरठ कॉरिडोर के 9 स्टेशनों पर **इलेक्ट्रिक वाहनों** के लिए चार्जिंग स्टेशन भी चालू किए गए हैं।

10. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर):

10.1 वर्ष के दौरान, बोर्ड ने 'जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में स्थित सरकारी अस्पतालों में विभिन्न चिकित्सा उपकरण और उनके सहायक उपकरण प्रदान करने' की एक नई चालू परियोजना के लिए ₹323.41 लाख (अर्थात पिछले तीन वित्तीय वर्षों के औसत शुद्ध लाभ का 2%) के सीएसआर आवंटन को मंजूरी दी।

10.2 पुनर्वास योजना के तहत आजीविका पुनर्बहाली के उपाय निरंतर जारी रहे, जिसके अंतर्गत सितंबर 2025 से मार्च 2026 के बीच **94 विस्थापित व्यक्तियों** को कौशल विकास और आय पुनर्बहाली का प्रशिक्षण दिया गया। इसमें 36 को सिलाई-कटाई, 51 को आधुनिक कृषि पद्धतियों (कृषि विज्ञान केंद्र, मेरठ के सहयोग से), और 7 को बुनियादी कंप्यूटर व डिजिटल मार्केटिंग कौशल में प्रशिक्षित किया गया।

11. पुरस्कार एवं सम्मान:

पिछली वार्षिक आम बैठक के बाद से, आपकी कंपनी को निम्नलिखित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है:

11.1 यूआईटीपी ग्लोबल पब्लिक ट्रांसपोर्ट समिट 2025, हैम्बर्ग में दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ नमो भारत आरआरटीएस कॉरिडोर के लिए 'सार्वजनिक एवं शहरी परिवहन नीति' के अंतर्गत **यूआईटीपी पुरस्कार**;

11.2 प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, भारत सरकार द्वारा 'साइबर सुरक्षा में सर्वश्रेष्ठ ई-गवर्नेंस अभ्यास/नवाचार' और 'रेल प्रणालियों के लिए आईटी-ओटी अभिसरण में मजबूत साइबर सुरक्षा उपाय' श्रेणियों के तहत **राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कार 2025 में स्वर्ण पुरस्कार**;

11.3 **इकोनॉमिक टाइम्स इन्फ्रा रेल शो अवार्ड्स 2025** में तीन श्रेणियों में पुरस्कार: 'सर्वश्रेष्ठ एकीकृत संपत्ति विकास/ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट', 'एमआरटीएस/आरआरटीएस के लिए सर्वश्रेष्ठ परियोजना प्रदाय समयसीमा', और 'सर्वश्रेष्ठ ट्रैक बिछाने का प्रदर्शन'।

12. आभार:

निदेशक मंडल की ओर से, मैं अपने सम्मानित शेयरधारकों, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, रेल मंत्रालय, एनसीआर योजना बोर्ड, तथा उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की राज्य सरकारों के साथ-साथ वित्त मंत्रालय, संचार मंत्रालय, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी), नीति आयोग, भारत सरकार के अन्य विभागों व एजेंसियों, और नियामक एवं सांविधिक प्राधिकरणों के प्रति उनके निरंतर सहयोग और विश्वास के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ।

मैं दिल्ली-मेरठ नमो भारत आरआरटीएस कॉरिडोर के लिए **एशियाई विकास बैंक (एडीबी), एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक (एआईआईबी) और न्यू डेवलपमेंट बैंक (एनडीबी)** द्वारा न केवल वित्तपोषण में, अपितु इस परियोजना को दीर्घकाल तक संधारणीय बनाने वाले 'फाइनेंस-प्लस' घटकों को प्रदान करने में दिए गए अमूल्य सहयोग की अत्यंत सराहना करती हूँ।

मैं पूर्ण रूप से संचालित कॉरिडोर पर सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए हमारे परिचालन साझेदारों, **मैसर्स डीबी आरआरटीएस ऑपरेशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और मैसर्स एल्सटॉम रेल ट्रांसपोर्टेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड** के निरंतर सहयोग के प्रति बोर्ड की ओर से आभार प्रकट करती हूँ।

मैं भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, हमारे सांविधिक, सचिवीय और आंतरिक लेखापरीक्षकों, सलाहकारों, तकनीकी विशेषज्ञों, प्रौद्योगिकी प्रदाताओं, मूल्य वर्धित सेवा साझेदारों, बैंकों और हमारे सभी व्यावसायिक सहयोगियों का उनके दृढ़ सहयोग के लिए धन्यवाद करती हूँ।

इन सबसे ऊपर, मैं **एनसीआरटीसी के प्रत्येक कार्मिकों** के प्रति अपनी हार्दिक सराहना व्यक्त करता हूँ, जिनके साहस, समर्पण और अथक प्रयासों से इस ऐतिहासिक वर्ष में पूर्ण दिल्ली-मेरठ नमो भारत आरआरटीएस कॉरिडोर राष्ट्र को समर्पित किया जा सका और साथ ही अगली पीढ़ी के कॉरिडोरों के कार्यों को निर्णायक रूप से आगे बढ़ाया जा सका।

धन्यवाद,

हस्ता./-

दिनांक: 29.09.2026
स्थान: नई दिल्ली

(सुश्री डी. तारा, आईएएस)
अध्यक्षा, एनसीआरटीसी

निदेशक मंडल की रिपोर्ट

सेवा में,
शेयरधारकगण,
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड (एनसीआरटीसी),
नई दिल्ली

प्रिय शेयरधारकगण,

आपकी कंपनी का निदेशक मंडल **("बोर्ड")** 31 मार्च 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड (एनसीआरटीसी/निगम) की तेरहवीं (13वीं) वार्षिक रिपोर्ट, इसके लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों (एकल एवं समेकित) तथा लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करते हुए अत्यंत हर्ष का अनुभव कर रहा है।

1. वित्तीय विशेषताएँ :

31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के वित्तीय परिणाम (एकल एवं समेकित) निम्नानुसार हैं:

(राशि ₹ लाख में)

विवरण	एकल (स्टैंडअलोन)		समेकित	
	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25
परिचालन से राजस्व	10,647.54	-	10,647.54	-
अन्य आय	27,525.39	23,135.35	27,534.51	23,145.29
कुल आय	**38,172.93**	**23,135.35**	**38,182.05**	**23,145.29**
व्यय	**2,01,654.03**	**4,261.45**	**2,01,768.06**	**4,846.37**
परिचालन व्यय	16,551.68	–	16,011.55	–
कर्मचारी हितलाभ व्यय	1,400.66	1,513.91	1,930.69	1,907.92
वित्त लागत	1,40,287.15	–	1,40,287.15	–
मूल्यह्रास एवं परिशोधन व्यय	40,443.34	786.38	40,449.60	788.58
अन्य व्यय	2,971.20	1,961.16	3,089.07	2,149.87
कर पूर्व लाभ	**(1,63,481.10)**	**18,873.90**	**(1,63,586.01)**	**18,298.92**
कर व्यय	(18,346.48)	11,221.77	(18,332.77)	11,219.13
कर पश्चात लाभ	**(1,45,134.62)**	**7,652.13**	**(1,45,253.23)**	**7,079.80**
वर्ष के अंत में नेट वर्थ	10,85,645.98	10,81,265.05	10,84,552.62	10,80,260.28

वित्तीय प्रदर्शन :

निगम को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में ₹1,63,481.10 लाख की हानि हुई है, जबकि पिछले वित्तीय वर्ष 2024-25 में ₹18,873.90 लाख का लाभ हुआ था। यह मुख्य रूप से पूरे दिल्ली-मेरठ नमो भारत आरआरटीएस (RRTS) कॉरिडोर के चालू होने पर परिसंपत्तियों के पूंजीकरण के कारण हुआ है।

2. पूंजी संरचना :

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, निगम की अधिकृत इक्विटी शेयर पूंजी और चुकता इक्विटी शेयर पूंजी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, जो कि ₹ 100.00 करोड़ पर स्थिर रही। संपूर्ण चुकता शेयर पूंजी भारत सरकार और सहभागी राज्य सरकारों द्वारा धारित है, जिसका विवरण निम्नानुसार है:





फरवरी 2026: माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 82 किमी लंबा संपूर्ण दिल्ली-मेरठ कॉरिडोर राष्ट्र को समर्पित

क्र. सं.	शेयरधारकों का नाम	राशि (₹ लाख में)	प्रतिशत (%)
1	आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय	2,250.00	22.50
2	रेल मंत्रालय	2,250.00	22.50
3	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड	500.00	5.00
4	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार	1,250.00	12.50
5	हरियाणा सरकार	1,250.00	12.50
6	राजस्थान सरकार	1,250.00	12.50
7	उत्तर प्रदेश सरकार	1,250.00	12.50
	कुल	**10,000.00**	**100**

3. वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, आपके निगम ने नमो भारत आरआरटीएस कॉरिडोर के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की, जिसने पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में क्षेत्रीय तीव्र पारगमन विकास में एक परिवर्तनकारी चरण को चिह्नित किया। **कॉरिडोर-वार विकास निम्नानुसार है:**

3.1 दिल्ली-मेरठ नमो भारत आरआरटीएस कॉरिडोर:

क. 20 अक्टूबर 2023 को, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने साहिबाबाद से दुहाई डिपो तक दिल्ली-मेरठ नमो भारत आरआरटीएस कॉरिडोर के 17 किलोमीटर लंबे प्राथमिक खंड पर नमो भारत ट्रेन सेवाओं का उद्घाटन किया। इस खंड पर 21 अक्टूबर 2023 से वाणिज्यिक परिचालन शुरू हुआ। 6 मार्च 2024 को, माननीय प्रधानमंत्री ने दुहाई से मोदीनगर नॉर्थ नमो भारत स्टेशन तक अतिरिक्त 17 किलोमीटर खंड का उद्घाटन किया। तत्पश्चात, 18 अगस्त 2024 को, मोदीनगर नॉर्थ से मेरठ साउथ नमो भारत स्टेशन तक 8 किलोमीटर के विस्तार को जनता और वाणिज्यिक परिचालन



22 फरवरी 2026: माननीय प्रधानमंत्री द्वारा उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री की उपस्थिति में मेरठ मेट्रो का उद्घाटन

हेतु खोला गया। 5 जनवरी 2025 को, माननीय प्रधानमंत्री ने साहिबाबाद से आनंद विहार और न्यू अशोक नगर तक 13 किलोमीटर खंड का उद्घाटन किया।

ख. इसके बाद, 22 फरवरी 2026 को माननीय प्रधानमंत्री ने सराय काले खां से न्यू अशोक नगर तक 5 किमी के विस्तार (सराय काले खां मल्टी-मॉडल इंटीग्रेशन सहित) और मेरठ साउथ से मोदीपुरम तक 21 किमी के विस्तार (मेरठ मेट्रो सहित) का उद्घाटन किया, जिससे कई नए परिचालन स्टेशन जुड़े (संपूर्ण कॉरिडोर पर 11 आरआरटीएस स्टेशन, 8 एमआरटीएस स्टेशन और 4 आरआरटीएस-सह-एमआरटीएस स्टेशन; कुल 23 स्टेशन)।

ग. इन घटनाक्रमों के बाद, पूरा दिल्ली-मेरठ नमो भारत RRTS कॉरिडोर अब दिल्ली के सराय काले खां से उत्तर प्रदेश के मोदीपुरम तक चालू हो गया है और 82 किलोमीटर लंबे इस कॉरिडोर में कुल 23 स्टेशन हैं। इसके शुरू होने से सराय काले खां से मोदीपुरम के बीच एक निर्बाध और तेज़ गति वाली क्षेत्रीय कनेक्टिविटी मिल गई है जिससे यात्रियों की आवाजाही आसान हुई है और यात्रा के समय में कमी आई है। साथ ही, एक विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे और यात्री सुविधाओं से लैस एक आधुनिक और टिकाऊ परिवहन प्रणाली मिली है। उम्मीद है कि इससे क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण और विकास में महत्वपूर्ण योगदान मिलेगा।

घ. जनता को उच्च गुणवत्ता वाली सेवा वितरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आपके निगम ने परिचालन एवं रखरखाव (ओ एंड एम) अनुबंध के माध्यम से परिचालन और रखरखाव का कार्य करने के लिए वर्ष 2022 में डीबीआरआरटीएस ऑपरेशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (डीबीआरआरटीएस) को अनुबंधित किया। इसके अतिरिक्त, आपके निगम की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी 'एनसीआरटीसी एक्सप्रेस ट्रांजिट लिमिटेड' (नेत्रा), ओएंडएम अनुबंध में निर्दिष्ट केपीआई और डिलिवरेबल्स के आधार पर डीबीआरआरटीएस के प्रदर्शन की निगरानी और सत्यापन के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श (पीएमसी) के रूप में कार्य करती है।

ड. फरवरी 2026 में सराय काले खां से न्यू अशोक नगर तथा मेरठ साउथ से मोदीपुरम खंड (मेरठ मेट्रो के माध्यम से उत्तर से दक्षिण तक दिल्ली

के सराय काले खां और संपूर्ण मेरठ शहर को जोड़ने) के चालू होने के बाद, जनवरी 2026 की तुलना में मार्च 2026 में राजस्व में 92.45% की वृद्धि और यात्रियों की संख्या (राइडरशिप) में 65.59% की वृद्धि दर्ज की गई है। इस सकारात्मक वृद्धि से निगम की वित्तीय स्थिरता में मजबूती आने की उम्मीद है।

3.2 दिल्ली-एसएनबी (शाहजहांपुर-नीमराना-बहरोड़) नमो भारत कॉरिडोर:

एनसीआर योजना बोर्ड की 36वीं बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार, दिल्ली-गुरुग्राम-रेवाड़ी-अलवर आरआरटीएस कॉरिडोर को निम्नलिखित तीन चरणों में लागू करने का प्रस्ताव किया गया था:

चरण-1: दिल्ली-गुरुग्राम-रेवाड़ी-एसएनबी अर्बन कॉम्प्लेक्स

चरण-2: एसएनबी अर्बन कॉम्प्लेक्स-सोतानाला रीको (आरआईआईसीओ) औद्योगिक क्षेत्र

चरण-3: एसएनबी अर्बन कॉम्प्लेक्स-अलवर

क. दिल्ली-गुरुग्राम-बहरोड़:

i. चरण 1 के फेज 1 के तहत 93.12 किमी लंबे दिल्ली-बावल कॉरिडोर की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय को सौंप दी गई है। दिल्ली-बावल आरआरटीएस कॉरिडोर का विस्तार करने वाले 35.93 किमी लंबे बावल-बहरोड़ खंड के लिए एक पूरक डीपीआर भी प्रस्तुत की जा चुकी है और वर्तमान में यह भारत सरकार के अनुमोदन के लिए लंबित है।

ii. निर्माण-पूर्व गतिविधियां शुरू करने के लिए आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय से सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। तदनुसार, निगम ने सर्वेक्षण, भू-तकनीकी जांच, उपयोगिता स्थानांतरण और सड़क चौड़ीकरण सहित प्रारंभिक कार्य शुरू कर दिए हैं। परामर्श सेवाएं और सहायक कार्य आवंटित कर दिए गए हैं और निष्पादित किए जा रहे हैं।

iii. हरियाणा सरकार ने परियोजना को वित्तीय रूप से व्यावहारिक बनाने के लिए संपत्ति विकास हेतु 50 हेक्टेयर भूमि चिह्नित की है और इसके आवंटन के लिए सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान कर दी है।

ख. **एसएनबी अर्बन कॉम्प्लेक्स - सोतानाला रीको औद्योगिक क्षेत्र :** राजस्थान सरकार द्वारा डीपीआर का अनुमोदन प्रतीक्षित है।

ग. **एसएनबी अर्बन कॉम्प्लेक्स - अलवर:** तकनीकी-व्यावसायिक व्यवहार्यता और डीपीआर तैयार करने का कार्य यथासमय शुरू किया जाएगा।



फरवरी 2026: माननीय केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य तथा विद्युत मंत्री, श्री मनोहर लाल ने किया सराय काले खाँ नमो भारत स्टेशन का उद्घाटन

3.3 दिल्ली-पानीपत-करनाल नमो भारत कॉरिडोर:

हरियाणा के प्रमुख विकास केंद्रों के साथ कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए दिल्ली-पानीपत-करनाल कॉरिडोर प्रस्तावित है:

क. करनाल तक विस्तार और अद्यतन तकनीकी मापदंडों को शामिल करते हुए संशोधित डीपीआर भारत सरकार के अनुमोदन के लिए लंबित है।

ख. सलाहकारी सेवाओं और सहायक कार्यों के लिए अनुबंध दिए जा चुके हैं और उन पर काम चल रहा है, जिससे अंतिम मंज़ूरी मिलने पर मुख्य निर्माण कार्य शुरू करने की तैयारी में मदद मिल रही है।

3.4 अन्य नमो भारत कॉरिडोर:

क. **गाजियाबाद-जेवर कॉरिडोर:** गाजियाबाद-जेवर प्रस्ताव भारत सरकार के अनुमोदन के लिए लंबित है।

ख. **नोएडा/ग्रेटर नोएडा-फरीदाबाद-गुरुग्राम कॉरिडोर:** डीपीआर तैयार कर हितधारक राज्य सरकारों को सौंप दी गई है।

4. भविष्य का परिदृश्य एवं निरंतरता :

4.1 भविष्य का परिदृश्य:

आपका निगम टिकाऊ क्षेत्रीय गतिशीलता के आधार स्तंभ के रूप में नमो भारत नेटवर्क के विस्तार और सुदृढ़ीकरण के लिए प्रतिबद्ध है। आगामी वर्षों के लिए निगम की रणनीतिक प्राथमिकताएं निम्नलिखित हैं:

1. **परिचालन उत्कृष्टता:** प्रौद्योगिकी-संचालित सेवा वितरण के माध्यम से उन्नत यात्री अनुभव के साथ पूरी तरह से चालू दिल्ली-मेरठ कॉरिडोर का कुशल, सुरक्षित और विश्वसनीय संचालन सुनिश्चित करना।
2. **समय पर परियोजना अनुमोदन और निष्पादन:** एनसीआर में नेटवर्क का विस्तार करने के लिए दिल्ली-बहरोड़ और दिल्ली-पानीपत-करनाल सहित आगामी कॉरिडोरों के वैधानिक अनुमोदनों में तेजी लाना और पूर्ण पैमाने पर निर्माण शुरू करना।
3. **नेटवर्क विस्तार:** एक एकीकृत क्षेत्रीय पारगमन नेटवर्क बनाने के लिए अतिरिक्त कॉरिडोरों की योजना और विकास।
4. **ट्रांजिट-ओरिएंटेड डेवलपमेंट (टी ओ डी):** सतत शहरी विकास को बढ़ावा देने और पारगमन केंद्रों के आसपास भूमि उपयोग को अनुकूलित करने के लिए टीओडी रूपरेखा के कार्यान्वयन में तेजी लाना।
5. **प्रौद्योगिकी और संधारणीयता:** राष्ट्रीय संधारणीयता लक्ष्यों और क्षेत्र की दीर्घकालिक गतिशीलता आवश्यकताओं के अनुरूप कम कार्बन वाली पारगमन प्रणाली प्रदान करने के लिए उन्नत तकनीकों, नवीकरणीय ऊर्जा और हरित बुनियादी ढांचे का लाभ उठाना।

4.2 निरंतरता :

4.2.1 पारगमन-उन्मुख विकास (ट्रांजिट-ओरिएंटेड डेवलपमेंट (टी ओ डी) एवं मूल्य अधिग्रहण वित्तपोषण (वैल्यू कैप्चर फाइनेंसिंग (वीसीएफ़):



संपूर्ण नमो भारत कॉरिडोर के उद्घाटन के अवसर पर टीम एनसीआरटीसी

टिकाऊ शहरी विकास और वित्तीय व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिए टीओडी और वीसीएफ तंत्र का लाभ उठाने में पर्याप्त प्रगति की गई है:

क. **उत्तर प्रदेश:** टी ओ डी जोनों को गाजियाबाद और मेरठ के मास्टर प्लान में एकीकृत किया गया है। जोनल विकास योजनाएं अंतिम चरण में हैं, और टी ओ डी मंजूरी समितियों तथा एस्क्रो-आधारित राजस्व साझाकरण रूपरेखा सहित संस्थागत तंत्र को चालू किया गया है। राज्य सरकार कॉरिडोर के लिए विशेष सुविधा शुल्क अधिसूचित करने की प्रक्रिया में है।

ख. **राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली:** जंगपुरा और सराय काले खां सहित प्रमुख नोड्स के लिए प्रभाव क्षेत्र योजनाओं (आईज़ेडपी) को मंजूरी दे दी गई है।

ग. **हरियाणा:** आपके निगम ने राष्ट्रीय दिशानिर्देशों के साथ तालमेल बिठाने और कॉरिडोर विकास का समर्थन करने के लिए राज्य टी ओ डी नीति को मजबूत करने और नवीन वैल्यू धारण वित्तीयन तंत्र शुरू करने की सिफारिशें प्रस्तुत की हैं।

4.2.2 निरंतरता के लिए अन्य पहलें:

क. **यात्री अनुभव के लिए नवीन स्टेशन पहल:** दिल्ली-मेरठ कॉरिडोर में परिवहन केंद्रों की भूमिका को पुनर्परिभाषित करने के लिए कई अग्रणी कदम उठाए गए हैं। मास ट्रांजिट सिस्टम के लिए अपनी तरह की पहली पहल में, गाजियाबाद नमो भारत स्टेशन पर एक पूरी तरह से सुसज्जित को-वर्किंग स्पेस स्थापित किया गया है।

ख. **गैर-किराया बॉक्स राजस्व (एनएफ़बीआर) में वृद्धि:** केवल किराया राजस्व पर निर्भरता कम करने के लिए पैनल और अनुभवात्मक विज्ञापन, खुदरा आउटलेट, स्टेशनों के अर्ध-नामकरण अधिकार, रियल एस्टेट विकास, परामर्श सेवाएं और ब्रांडिंग साझेदारी को शामिल करते हुए वित्तीय संधारणीयता के लिए एक विविधीकृत गैर-किराया राजस्व मॉडल विकसित किया गया है।

ग. **भूखंड पार्सल और स्टेशनों का वाणिज्यिक विकास:** दिल्ली-मेरठ नमो भारत कॉरिडोर के साथ वाणिज्यिक केंद्रों के विकास के लिए बोलियां आमंत्रित की गई हैं, जिससे स्टेशनों के निकट स्थित भूमि संपत्तियों को आवर्ती लीज/लाइसेंस राजस्व धाराओं में बदला जा सके।

4.3 महत्वपूर्ण उपलब्धियां :

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, आपके निगम ने संधारणीय और कुशल डिजाइन प्रथाओं को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल कीं। एक प्रमुख उपलब्धि **दिल्ली-मेरठ नमो भारत आरआरटीएस कॉरिडोर का सफल समापन था - जिसमें 23 स्टेशन (भूमिगत और एलिवेटेड) और नमो भारत ट्रेनों के लिए 1 डिपो शामिल हैं**, जिसमें हरित वास्तुकला सिद्धांतों का उपयोग किया गया है।

नमो भारत स्टेशनों में लागू किए गए बुनियादी सिद्धांत:

1. **ज़मीन पर स्टेशन का कम से कम इस्तेमाल –** प्रोजेक्ट के ज़्यादातर ऊँचे रूट (एलिवेटेड अलाइनमेंट) के लिए दिल्ली-मेरठ हाईवे के बीच के हिस्से (सेंट्रल मीडियन) का इस्तेमाल किया गया है। इससे ज़मीन का इस्तेमाल और ज़मीन अधिग्रहण की ज़रूरत काफी कम हो गई है। सिर्फ़ प्रवेश/निकास (एंट्री/एक्जिट स्ट्रक्चर) और ऊपर-नीचे जाने की सुविधाएँ, जैसे सीढ़ियाँ और लिफ़्ट, सड़क के दोनों तरफ़ बनाई गई हैं।
2. **नमो भारत स्टेशन के आस-पास भीड़-भाड़ से मुक्ति –** राजमार्ग/सड़क से दूर यात्रियों को लाने-ले जाने (पिक-अप और ड्रॉप-ऑफ़) और पार्किंग के लिए अलग-अलग जगहें बनाई गई हैं।
3. **यात्रियों के लिए आसान, सुरक्षित, सुविधाजनक और तेज़ इंटरमॉडल एक्सचेंज** – सभी स्टेशनों को सिटी बस, ऑटो-रिक्शा और टैक्सी जैसे दूसरे ट्रांसपोर्ट साधनों से जोड़ा गया है। साथ ही, अहम जगहों पर आईएसबीटी, रेलवे स्टेशन और दिल्ली मेट्रो से भी कनेक्टिविटी दी गई है।

4. **बड़ी पार्किंग सुविधाएँ –** लगभग सभी स्टेशनों पर दो-पहिया, चार-पहिया और साइकिल के लिए अलग-अलग पार्किंग बनाई गई हैं, क्योंकि इस सिस्टम की कनेक्टिविटी बड़े इलाके में है और इसका कैचमेंट एरिया (सेवा क्षेत्र) मेट्रो सिस्टम की तुलना में बहुत बड़ा है। कॉरिडोर के साथ-साथ लगभग 8,500 पार्किंग स्थल बनाए गए हैं।

5. **एडवांस्ड बी आई एम (बिल्डिंग इन्फॉर्मेशन मॉडलिंग)** टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, जिससे शुरुआती डिज़ाइन का समय काफी कम हुआ है और जगह की प्लानिंग में सटीकता बढ़ी है। इंटेलिजेंट 3डी मॉडलों से प्रोजेक्ट के पूरे लाइफ़साइकिल – डिज़ाइन, प्लानिंग, मॉनिटरिंग, कंस्ट्रक्शन और प्रचालन तथा रखरखाव (ऑपरेशन और मेंटेनेंस) जिसमें एसेट मैनेजमेंट भी शामिल है – के दौरान डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट, तालमेल और सिमुलेशन में मदद मिलती है। वर्चुअल क्लैश डिटेक्शन (डिजिटल रूप में टकराव का पता लगाना) और साइट पर बेकार कामों को कम करके प्रोजेक्ट की लागत में बचत की गई है।

6. **सभी स्टेशनों पर सबके लिए सुलभ डिज़ाइन के सिद्धांत** लागू किए गए हैं, जैसे टैक्टाइल पाथ (दृष्टिबाधित लोगों के लिए विशेष रास्ता), सुलभ शौचालय, कम ऊँचाई वाले काउंटर, पैसेंजर लिफ़्ट, स्ट्रेचर लिफ़्ट और PRM (कम गतिशीलता वाले लोग) के लिए अलग पार्किंग। इस तरह पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को सबके लिए समावेशी बनाया गया है।

7. **इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल (आईजीबीसी) के नियमों का पालन –** ऊर्जा-कुशल बिल्डिंग कोड के नए और कड़े नियमों का आसानी से पालन किया गया है, जिससे सभी स्टेशनों के लिए रेगुलेटरी जोखिम कम हुआ है। पारंपरिक ऊर्जा का इस्तेमाल कम करने के लिए हर नमो भारत आरआरटीएस/ एमआरटीएस स्टेशन की छत, डिपो स्टेशन की बिल्डिंग और शेड पर **सोलर पावर प्लांट** लगाए गए हैं।

8. दुहाई में नमो भारत डिपो में इनोवेटिव **'सोलर ऑन ट्रैक'** प्रोजेक्ट लागू किया गया है। भारत में किसी भी नमो भारत RRTS या मेट्रो सिस्टम में अपनी तरह की यह पहली पहल है। यह इनोवेटिव, टिकाऊ और हटाने योग्य सिस्टम साफ़ ऊर्जा पैदा करता है, जिससे कार्बन डाई ऑक्साइड (CO_2) उत्सर्जन कम होता है। यह नमो भारत आरआरटीएस इंफ्रास्ट्रक्चर को टिकाऊ तरीके से बिजली देने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर काम करता है।



सार्वजनिक एवं शहरी परिवहन रणनीति

दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ नमो भारत कॉरिडोर के लिए UITP (अंतरराष्ट्रीय सार्वजनिक परिवहन संघ) द्वारा जर्मनी के हैम्बर्ग में आयोजित ग्लोबल पब्लिक ट्रांसपोर्ट समिट 2025 में सम्मानित किया गया।



ई टी इन्फ्रा रेल शो अवार्ड 2025:

- सर्वश्रेष्ठ एकीकृत संपत्ति विकास/ ट्रांजिट-उन्मुख विकास (TOD)
- MRTS/RRTS परियोजनाओं के लिए समय-सीमा के भीतर सर्वश्रेष्ठ परियोजना क्रियान्वयन
- सर्वश्रेष्ठ ट्रैक बिछाने का प्रदर्शन



आई एस डी ए इंफ्राकॉन नेशनल अवार्ड् 2025 में एनसीआरटीसी को 3 श्रेणियों में पुरस्कार मिला

- **प्लैटिनम** - सर्वश्रेष्ठ पेशेवर रूप से प्रबंधित कंपनी
- **गोल्ड** - सर्वश्रेष्ठ पेशेवर रूप से प्रबंधित कंपनी
- **गोल्ड** - विशिष्ट क्षेत्र का पुरस्कार- सर्वश्रेष्ठ सतत् परियोजना

5. सहायक एवं संयुक्त उद्यम कंपनी:

आपके निगम की एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी 'एनसीआरटीसी एक्सप्रेस ट्रांजिट लिमिटेड' ('नेत्रा') है।

इसके अतिरिक्त, उत्तर प्रदेश में लगभग ₹ 450 करोड़ की अनुमानित लागत से 110 मेगावाट का कैप्टिव सोलर पावर प्लांट स्थापित करने के लिए एनसीआरटीसी के साथ साझेदारी में एनआईआरएल (एनएलसी इंडिया लिमिटेड की 100% स्वामित्व वाली सहायक कंपनी) द्वारा 27 मई 2026 को 'एनआईआरएल एनसीआरटीसी रिन्यूएबल्स लिमिटेड' नामक एक संयुक्त उद्यम कंपनी निगमित की गई। इसे 80:20 ऋण-इक्विटी अनुपात के माध्यम से वित्तपोषित किया जाएगा, जिसमें एनसीआरटीसी की 26% इक्विटी हिस्सेदारी होगी। यह संयंत्र चालू होने पर 25 वर्षों के लिए ₹2.73 प्रति यूनिट के निश्चित टैरिफ पर एनसीईआरटीसी की लगभग 60% ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करेगा, जिससे ऊर्जा बिल में लगभग 25% की बचत होगी और सालाना 1.77 लाख टन CO_2 उत्सर्जन में कमी आएगी।

6. समेकित वित्तीय विवरण:

आपकी कंपनी और उसकी सब्सिडियरी कंपनी के समेकित वित्तीय विवरण, जिन्हें कंपनी अधिनियम, 2013 और लागू भारतीय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अनुसार तैयार किया गया है, साथ ही सभी संबंधित दस्तावेज़ और ऑडिटर की रिपोर्ट, इस वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा हैं। कंपनी अधिनियम, 2013, उसके तहत बने नियमों और लागू भारतीय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स (इंड एएस) के प्रावधानों के अनुसार, आपकी कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए समेकित वित्तीय विवरण तैयार किए हैं। इनमें उसकी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, यानी एनसीआरटीसी एक्सप्रेस ट्रांज़िट लिमिटेड **('नेत्रा')** के वित्तीय विवरण भी शामिल हैं। इन्हें कंपनी के स्टेंडअलोन वित्तीय विवरण के साथ आने वाली सालाना आम बैठक (एजीएम) में भी पेश किया जाएगा।

7. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 के अंतर्गत सहायक कंपनी के वित्तीय विवरण की मुख्य विशेषताओं संबंधी जानकारी:

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 के प्रावधानों के तहत सहायक कंपनी के वित्तीय विवरण की मुख्य विशेषताओं का विवरण **फॉर्म एओसी-1** में संलग्न किया गया है।

8. लाभांश:

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, निदेशक मंडल ने 31 मार्च 2026 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए किसी भी लाभांश की सिफारिश नहीं की है।

9. सामान्य आरक्षित निधि में विनियोजन:

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, आपके निगम के पास कोई वितरण योग्य लाभ नहीं था। अतः सामान्य आरक्षित निधि में अंतरण के लिए किसी भी राशि की सिफारिश नहीं की गई है।

10. जमा:

आपके निगम ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कोई भी जमा राशि न तो स्वीकार की है और न ही प्राप्त की है।

11. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 के अंतर्गत कर्मचारियों का विवरण:

भारत सरकार के कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 05.06.2015 की राजपत्र अधिसूचना के आलोक में, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 के साथ पठित कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 5(2) के अंतर्गत निहित जानकारी आपके निगम पर लागू नहीं होती है।

12. निदेशकों, मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों और वरिष्ठ प्रबंधन की पारिश्रमिक नीति - धारा 178(4):

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ने दिनांक 05.06.2015 की राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से सरकारी कंपनियों के निदेशकों के लिए उपरोक्त प्रावधान से छूट प्रदान की है।

13. बोर्ड द्वारा अपने स्वयं के कार्य-निष्पादन और अपनी समितियों एवं व्यक्तिगत निदेशकों के औपचारिक वार्षिक मूल्यांकन के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(पी) के तहत विवरण:

आपके निगम के एक सरकारी कंपनी होने के कारण, भारत सरकार के कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 05.06.2015 की राजपत्र अधिसूचना को देखते हुए, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(पी) और अन्य लागू नियमों के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

14. संबंधित पक्ष लेनदेन:

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 में संदर्भित संबंधित पक्ष लेनदेन के साथ किए गए अनुबंधों या व्यवस्थाओं का विवरण निर्दिष्ट प्रपत्र एओसी-2 में प्रदान किया गया है, जो वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए इस रिपोर्ट के **अनुलग्नक - I** के रूप में संलग्न है।

15. ऋण, गारंटी या निवेश का विवरण:

निगम ने किसी भी व्यक्ति या निगमित निकाय को कोई निवेश नहीं किया है और न ही कोई ऋण दिया है, और न ही किसी अन्य निगमित निकाय या व्यक्ति के ऋण के संबंध में कोई गारंटी अथवा सुरक्षा प्रदान की है। अतः आपके निगम पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

16. अधीनस्थ ऋण:

31 मार्च 2026 तक दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ नमो भारत आरआरटीएस कॉरिडोर के लिए भारत सरकार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार से 10,02,432.00 लाख रुपये का असुरक्षित ब्याज मुक्त अधीनस्थ ऋण प्राप्त हुआ है।

17. महत्वपूर्ण परिवर्तन और प्रतिबद्धताएं:

जिस वित्तीय वर्ष से यह वित्तीय विवरण संबंधित है, उसके समाप्त होने और इस रिपोर्ट की तिथि के बीच आपके निगम की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले कोई भी महत्वपूर्ण परिवर्तन और प्रतिबद्धताएं घटित नहीं हुई हैं।

18. लागत रिकॉर्ड का रख-रखाव:

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 की उप-धारा (1) के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट लागत रिकॉर्ड को बनाए रखने की आवश्यकता आपके निगम पर लागू नहीं होती है।

19. लेखा परीक्षक:

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने मेसर्स श्याम सुंदर सिंघल एंड कंपनी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, नई दिल्ली को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए सांविधिक लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया था। सांविधिक लेखा परीक्षक ने 31 मार्च 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए निगम के स्टैंडअलोन और समेकित खातों पर अपनी रिपोर्ट दे दी है। सांविधिक लेखा परीक्षकों ने एक बिना शर्त रिपोर्ट प्रस्तुत की है।

20. वित्तीय विवरणों पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट:

31 मार्च 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए आपके निगम के लेखापरीक्षित स्टैंडअलोन और समेकित वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट बोर्ड की रिपोर्ट के साथ संलग्न है। 31 मार्च 2026 को समाप्त अवधि के उक्त स्टैंडअलोन और समेकित वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(बी) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां अभी प्राप्त होना शेष हैं। अतः नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां और प्रबंधन के उत्तर, यदि कोई हों, एक अलग परिशिष्ट के रूप में जोड़े जाएंगे।

21. सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट:

आपके निगम ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए सचिवीय लेखा परीक्षा आयोजित करने हेतु मेसर्स जे. के. गुप्ता एंड एसोसिएट्स, कंपनी सेक्रेटरीज को नियुक्त किया है। 31 मार्च 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट संलग्न है और इसे **अनुलग्नक - II** के रूप में चिह्नित किया गया है:

निगम के सदस्यों को संबोधित सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट, सदस्यों के विचार और जानकारी के लिए इस रिपोर्ट का हिस्सा है। यह रिपोर्ट और इसकी विषय-वस्तु स्वतः स्पष्ट है और इसमें कोई आपत्ति या प्रतिकूल टिप्पणी शामिल नहीं है, इसलिए प्रबंधन को इस पर कोई टिप्पणी नहीं करनी है।

22. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर):

i) समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, बोर्ड ने कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुरूप, पिछले तीन वित्तीय वर्षों के औसत शुद्ध लाभ के 2 प्रतिशत के रूप में 323.41 लाख रुपये की कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व राशि को एक नई चल रही परियोजना, यानी गाजियाबाद जिला, उत्तर प्रदेश में स्थित सरकारी अस्पतालों में विभिन्न चिकित्सा उपकरण और उसके सहायक उपकरण उपलब्ध कराने के लिए अनुमोदित और आवंटित किया। उक्त बिना खर्च की गई राशि 29.01.2026 को एक अलग बैंक खाते में जमा कर दी गई है।

ii) कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट **अनुलग्नक-III** के रूप में संलग्न है। निगम की कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति निगम की वेबसाइट www.ncrtc.in पर देखी जा सकती है।

23. निदेशक उत्तरदेयता विवरण:

आपका बोर्ड, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(c) के प्रावधानों के अनुसार, अपनी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार पुष्टि करता है कि:

क. वित्तीय विवरणों को तैयार करने में लागू लेखा मानकों का पालन किया गया है तथा किसी भी महत्वपूर्ण विचलन, यदि कोई है, के संबंध में उचित स्पष्टीकरण दिया गया है;

ख. निदेशकों ने ऐसी लेखा नीतियों का चयन किया है और उन्हें लगातार लागू किया है तथा ऐसे निर्णय और अनुमान लगाए हैं जो वित्तीय वर्ष के अंत में निगम की वित्तीय स्थिति और उस अवधि के लिए निगम के लाभ और हानि का सही और उचित विवरण प्रस्तुत करने के लिए तर्कसंगत और विवेकपूर्ण हैं;

ग. निदेशकों ने निगम की संपत्तियों की सुरक्षा तथा धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने एवं उनका पता लगाने के लिए, कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा रिकॉर्ड बनाए रखने के लिए उचित और पर्याप्त सावधानी बरती है;

घ. निदेशकों ने वार्षिक खातों को निरंतर संचालन के आधार पर तैयार किया है;

ङ. निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणालियाँ तैयार की थीं और ऐसी प्रणालियाँ पर्याप्त थीं और प्रभावी रूप से कार्य कर रही थीं;

च. निदेशकों ने निगम द्वारा पालन किए जाने वाले आंतरिक वित्तीय नियंत्रण निर्धारित किए थे और ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त हैं तथा प्रभावी ढंग से कार्य कर रहे हैं।

24. निदेशक मंडल और उनकी बैठकें:

24.1 अब तक निगम के निदेशक मंडल इस प्रकार हैं:

क्र. सं.	निदेशक का नाम	पदनाम	नियुक्ति तिथि
1	श्री श्रीनिवास कटिकिथला	अध्यक्ष	20.08.2024
2	श्री शलभ गोयल	प्रबंध निदेशक	02.07.2024
3	श्री एन. सरवणा कुमार	भारत सरकार द्वारा नामित	12.02.2026
4	श्री विवेक कुमार	रेल मंत्रालय के नामित	19.06.2025
5	श्री पी. गुरुप्रसाद	उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नामित	01.10.2024
6	सुश्री निहारिका राय	दिल्ली सरकार (जीएनसीटीडी) द्वारा नामित	22.05.2025
7	श्री अनुराग अग्रवाल	हरियाणा सरकार द्वारा नामित	20.03.2026
8	श्री कुलदीप नारायण	भारत सरकार द्वारा नामित	28.12.2022
9	श्री शिखर अग्रवाल	राजस्थान सरकार द्वारा नामित	15.01.2026
10	श्री महेंद्र कुमार	निदेशक (इलैक्ट्रिकल एवं रोलिंग स्टॉक)	15.07.2019
11	सुश्री नमिता मेहरोत्रा	निदेशक (वित्त एवं मुख्य वित्त अधिकारी)	20.09.2019
12	श्री मुन्ना कुमार	निदेशक (कार्य)	12.03.2025
13	श्री परमजीत सिंह	निदेशक (परियोजनाएं)	23.04.2025

24.2 साल के दौरान/पिछली वार्षिक आम बैठक (एजीएम) की तारीख से अब तक निम्नलिखित व्यक्तियों को निदेशक/मुख्य प्रबंधकीय कर्मी (केएमपी) के पद पर नियुक्त किया गया:

क्र. सं.	निदेशक का नाम	पदनाम	नियुक्ति तिथि
1	श्री परमजीत सिंह	निदेशक (परियोजनाएं)	23.04.2025
2	श्री आलोक गुप्ता	नामित निदेशक, राजस्थान	17.07.2025
3	श्री विवेक कुमार	नामित निदेशक, रेल मंत्रालय	19.06.2025
4	श्री शिखर अग्रवाल	नामित निदेशक, राजस्थान	15.01.2026
5	श्री एन. सरवणा कुमार	भारत सरकार द्वारा नामित	12.02.2026
6	सुश्री निहारिका राय	नामित निदेशक, दिल्ली सरकार (जीएनसीटीडी)	22.05.2025
7	श्री अनुराग अग्रवाल	नामित निदेशक, हरियाणा सरकार	20.03.2026

24.3 साल के दौरान/पिछली वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) की तारीख से अब तक निम्नलिखित व्यक्तियों को निदेशक/मुख्य प्रबंधकीय कर्मी (केएमपी) के पद से पदमुक्त किया गया:

क्र. सं.	निदेशक का नाम	पदनाम	नियुक्ति तिथि	पदमुक्ति तिथि
1	श्री दिनेश कुमार	नामित निदेशक, रेल मंत्रालय	21.07.2023	30.04.2025
2	श्री प्रशांत गोयल	नामित निदेशक, दिल्ली सरकार	16.03.2024	16.05.2025
3	श्री अजिताभ शर्मा	नामित निदेशक, राजस्थान	21.03.2024	22.06.2025
4	श्री नवनीत कौशिक	निदेशक (प्रणाली एवं संचालन)	15.07.2019	30.06.2025
5	सुश्री अर्चना अग्रवाल	नामित, एनसीआर योजना बोर्ड	07.05.2019	15.10.2025
6	श्री आलोक गुप्ता	नामित निदेशक, राजस्थान	17.07.2025	15.01.2026
7	श्री अपूर्व कुमार सिंह	नामित, हरियाणा सरकार	01.12.2024	19.03.2026

24.4 स्वतंत्र निदेशक:

आपका बोर्ड यह भी पुष्टि करता है कि 5 जुलाई 2017 के 'कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और योग्यता) संशोधन नियम, 2017' के प्रावधानों के अनुसार, आपके निगम को स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति करने की आवश्यकता नहीं है।

24.5 बोर्ड की बैठकें और उपस्थिति:

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, आपके निदेशक मंडल की चार (04) बैठकें नीचे दिए गए विवरण के अनुसार आयोजित की गई है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बोर्ड की बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति का विवरण 'कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर रिपोर्ट' में दिया गया है।

44वीं	45वीं	46वीं	47वीं
04.06.2025	21.08.2025	21.11.2025	09.02.2026

25. बोर्ड की समितियां:

निगम की कई समितियां हैं जिन्हें अच्छे कॉर्पोरेट प्रशासन के तौर-तरीकों के एक भाग के रूप में और कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रासंगिक प्रावधानों की आवश्यकताओं के अनुपालन में स्थापित किया गया है।

निगम में निम्नलिखित तीन बोर्ड स्तरीय समितियां हैं:

क) लेखा परीक्षा समिति

ख) निवेश समिति

ग) कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति

उपरोक्त समितियों के गठन, बैठकों और उपस्थित सदस्यों का विवरण इस रिपोर्ट के साथ संलग्न **कॉर्पोरेट प्रशासन** पर रिपोर्ट में दिया गया है। उप-समितियों द्वारा की गई सभी सिफारिशों पर बोर्ड द्वारा विचार किया गया था।

26. कॉर्पोरेट प्रशासन पर रिपोर्ट:

आपका निगम सभी हितधारकों के हितों की रक्षा करते हुए प्रत्येक स्तर पर पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन के मानकों को बनाए रखने हेतु प्रतिबद्ध है। 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन पर एक रिपोर्ट वार्षिक रिपोर्ट के **अनुलग्नक-IV** के रूप में इसका एक हिस्सा है।

27. विनियामकों द्वारा पारित महत्वपूर्ण और सामग्रीगत आदेश:

नियामकों, न्यायालयों अथवा न्यायाधिकरणों द्वारा ऐसा कोई प्रतिकूल आदेश पारित नहीं किया गया है, जिससे भविष्य में कंपनी के निरंतर संचालन की स्थिति और उसके कामकाज पर कोई प्रभाव पड़े।

28. वार्षिक विवरणी

कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार, निगम की वार्षिक विवरणी निगम के वेब लिंक https://www.ncrtc.in/reports पर उपलब्ध है।

29. निगम निम्नलिखित की पुष्टि करता है:

क) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 के अनुसार कोई भी निदेशक नियुक्ति के लिए अयोग्य नहीं है।

ख) निगम ने विभेदक मताधिकार वाले कोई भी इक्विटी शेयर, स्वेट इक्विटी शेयर अथवा कर्मचारी शेयर विकल्प योजना जारी नहीं की है।

ग) वर्ष के दौरान किसी भी सांविधिक अथवा सचिवीय लेखा परीक्षक ने त्यागपत्र नहीं दिया।

घ) किसी भी निदेशक के रिश्तेदार को लाभ के पद पर नियुक्त नहीं किया गया।

ङ) कंपनी अधिनियम, 2013 के अध्याय V के अंतर्गत आने वाली कोई भी जमा राशि प्राप्त नहीं हुई है।

च) व्यवसाय की प्रकृति में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

छ) वित्तीय विवरण निगम द्वारा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लागू लेखा मानकों के अनुसार तैयार किए गए थे, जो लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के साथ वार्षिक रिपोर्ट का भाग हैं।

ज) निगम के पास ऐसी कोई राशि शेष नहीं थी जिसे निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में स्थानांतरित किया जाना आवश्यक हो।

झ) भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा क्रमशः 'निदेशक मंडल की बैठकें' और 'आम बैठकें' के संबंध में जारी लागू सचिवीय मानक-1 और सचिवीय मानक-2 सहित सभी लागू सचिवीय मानकों का निगम द्वारा विधिवत पालन किया गया है।

ञ) कंपनी अधिनियम की धारा 143(12) के अंतर्गत केंद्र सरकार को रिपोर्ट करने योग्य मामलों के अलावा, स्टैंडअलोन और समेकित वित्तीय विवरणों की स्वतंत्र लेखा परीक्षक रिपोर्ट और सचिवालीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट के अनुसार धोखाधड़ी की ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है।

ट) कंपनी (खाता) नियम, 2014 के नियम 8(5)(xi) के तहत प्रकटीकरण: वित्तीय वर्ष के अंत तक दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के तहत कोई भी आवेदन नहीं किया गया है और न ही कोई कार्यवाही लंबित है। इसके अलावा, निगम ने बैंकों या वित्तीय संस्थानों से लिए गए ऋणों के लिए कोई एकमुश्त निपटान नहीं किया है, और इसलिए एकमुश्त निपटान के समय किए गए मूल्यांकन की राशि और बैंकों या वित्तीय संस्थानों से ऋण लेते समय किए गए मूल्यांकन के बीच के अंतर का विवरण और उसके कारण लागू नहीं होते हैं।

ठ) कंपनी (खाता) नियम, 2014 के नियम 8(5)(xii) के तहत प्रकटीकरण: बैंकों या वित्तीय संस्थानों से कोई ऋण नहीं लिया गया है।

ड) पारिश्रमिक समिति: एक सरकारी कंपनी होने के नाते, निगम अपने पूर्णकालिक कार्यात्मक निदेशकों और प्रबंध निदेशक को सरकार द्वारा निर्धारित औद्योगिक महंगाई भत्ता वेतनमान और उनकी नियुक्ति/अनुबंध की शर्तों के अनुसार, निगम के नियमों के तहत परिलब्धियों और भत्तों के साथ पारिश्रमिक का भुगतान करता है। नामित निदेशकों को निगम से कोई पारिश्रमिक प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि वे अपने संबंधित सरकारी विभागों से इसे प्राप्त करते हैं। इसके अलावा, एक संयुक्त उद्यम गैर-सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी के रूप में, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(4) के साथ पठित कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और योग्यता) नियम, 2014 के नियम 4 के संदर्भ में आपकी कंपनी को अपने बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों को नियुक्त करने की आवश्यकता नहीं है। तदनुसार, कंपनी ने पारिश्रमिक समिति का गठन नहीं किया है।

30. शेयरधारकों के लिए सूचना

समेकित वित्तीय विवरणों सहित लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण, अन्य संबंधित जानकारी, दस्तावेज और निगम की सहायक कंपनी के लेखापरीक्षित खाते आपके निगम की वेबसाइट www.ncrtc.in पर उपलब्ध हैं और साथ ही आपके निगम के पंजीकृत कार्यालय में भी उपलब्ध हैं तथा किसी भी कार्य दिवस पर व्यावसायिक घंटों के दौरान किसी भी शेयरधारक द्वारा निरीक्षण के लिए खुले हैं। इसके अलावा, ये दस्तावेज किसी भी सदस्य द्वारा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से निरीक्षण के लिए भी उपलब्ध रहेंगे। आपका निगम इसे प्राप्त करने के इच्छुक निगम के किसी भी सदस्य द्वारा अनुरोध किए जाने पर ई-मेल के माध्यम से इसकी एक प्रति भी उपलब्ध कराएगा।

31. आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता के संबंध में कंपनी (खाता) नियम, 2014 के नियम 8(5)(viii) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(q) के अंतर्गत सूचना:

आपके निगम के पास अपने आकार और व्यवसाय की प्रकृति के अनुरूप एक पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण तंत्र और आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली मौजूद है। आंतरिक

लेखा परीक्षक अनुभवी सनदी लेखाकारों की एक फर्म है। आंतरिक लेखा परीक्षक की रिपोर्टों की समीक्षा की जाती है, अनुपालन सुनिश्चित किया जाता है और लेखा परीक्षा रिपोर्टों को लेखा परीक्षा समिति के विचारार्थ प्रस्तुत किया जाता है।

32. कार्मिक एवं मानव संसाधन प्रबंधन

आपके निगम ने मानव संसाधन प्रबंधन के संबंध में निम्नलिखित प्रमुख पहलें की हैं:

क. प्रशिक्षण और विकास:

i) प्रशिक्षण और विकास कार्यक्रम व्यक्तिगत विकास और संगठनात्मक उत्कृष्टता के आधार स्तंभ हैं। हमारे व्यापक प्रशिक्षण प्रयासों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कार्मिक नवाचार और दक्षता को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक तकनीकी कौशल, समस्या समाधान क्षमताओं और व्यावहारिक कौशलों से सुसज्जित हों। हमारे संरचित प्रशिक्षण कार्यक्रम कर्मचारियों को कार्य-प्रासंगिक विशेषज्ञता, तकनीकी दक्षताओं और संचार, समस्या-समाधान तथा नेतृत्व सहित आवश्यक व्यावहारिक कौशल अर्जित करने में सक्षम बनाते हैं। निरंतर सीखने की यह रूपरेखा उत्पादकता को बढ़ाती है, कॉर्पोरेट नवाचार को प्रेरित करती है और समग्र कार्य संतुष्टि को बढ़ावा देती है। इसके अलावा, समर्पित व्यावसायिक विकास दीर्घकालिक करियर प्रगति के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है, जो संगठनात्मक निष्ठा को बढ़ावा देता है और कर्मचारियों के कार्य छोड़ने की दर को कम करता है। अपने मूल मूल्यों के अनुरूप, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम कर्मचारियों के सीखने को संस्थागत बनाने, निर्बाध ज्ञान हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करने और सीखने के समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

ii) इस वर्ष, निगम ने 1795 प्रशिक्षण मानव-दिवसों की संख्या के साथ तकनीकी क्षेत्र के कार्यक्रमों, व्यावहारिक और कार्यकारी नेतृत्व विकास मॉड्यूल दक्षता पर ध्यान केंद्रित किया। वर्ष के दौरान आयोजित कुल 107 प्रशिक्षण कार्यक्रमों में से 101 प्रशिक्षण कार्यक्रम तकनीकी क्षेत्र में, 03 प्रशिक्षण कार्यक्रम व्यावहारिक पहलुओं पर और 03 प्रशिक्षण कार्यक्रम नेतृत्व के क्षेत्र में आयोजित किए गए। कर्मचारियों के कार्यग्रहण और परिचयात्मक प्रशिक्षण के संबंध में, वर्ष के दौरान 02 परिचयात्मक कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें 30 नए कर्मचारियों को शामिल किया गया। बाहरी प्रशिक्षकों द्वारा दिए गए प्रशिक्षण के अलावा, कर्मचारियों के क्षमता निर्माण के लिए बाहरी और आंतरिक संकायों द्वारा कई ज्ञान साझाकरण सत्र आयोजित किए गए। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय कर्मयोगी बड़े पैमाने पर जन सेवा कार्यक्रम के द्वितीय चरण के अंतर्गत कर्मचारियों के लिए एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। कर्मचारियों के पारस्परिक कौशल और प्रबंधकीय प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए "उच्च व्यावसायिक उत्पादकता के लिए मूल्य संवर्धन" विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। उपरोक्त पहलों में सभी कार्यों और परियोजना कार्यालयों के कर्मचारियों द्वारा व्यापक समर्थन और भागीदारी देखी गई।

ख. जनशक्ति और रोजगार का विवरण निम्नानुसार है:

i) नियमित नामावली पर निगम की जनशक्ति निम्नानुसार है:

क्र. सं.	पद स्तर	कार्यबल संख्या में (31.03.2026 की स्थिति में)				*कार्यबल संख्या में (31.03.2025 की स्थिति में)
		पुरुष	महिला	उभयलिंग (अन्य)	योग	
1	विभागाध्यक्ष - (E9 - E8)	15	1	-	16	16
2	उप विभागाध्यक्ष - (E7 - E4)	137	8	-	145	106
3	कार्यकारी - (E3 - E0)	151	9	-	160	173
4	गैर-कार्यकारी -	50	1	-	51	73
कुल		**353**	**19**	**0**	**372**	**368**

*(नेत्रा में प्रतिनियुक्ति पर तैनात कार्मिकों को छोड़कर)

ii) **अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणियों के अंतर्गत जनशक्ति:**

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों की भर्ती एवं पदोन्नति योजनाओं पर केंद्र सरकार की नीतियों और निर्देशों को कंपनी द्वारा कड़ाई से लागू किया जा रहा है। वर्तमान में कंपनी में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी से लगभग 124 नियमित कर्मचारी कार्यरत हैं।

iii) **निगम में महिला कर्मचारियों के आंकड़े:**

31.03.2026 की स्थिति के अनुसार, निगम द्वारा नियोजित कुल महिला कर्मचारियों की संख्या 19 थी।

ग. कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के अंतर्गत प्रकटीकरण:

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम 2013 की धारा 4(i) के संदर्भ में, कार्यस्थल पर महिला कर्मचारियों के यौन उत्पीड़न की शिकायतों की जांच के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम में एक आंतरिक शिकायत समिति कार्यरत है। निदेशक (वित्त), एनसीआरटीसी इस आंतरिक शिकायत समिति के पीठासीन अधिकारी हैं। अन्य सदस्यों में एक गैर-सरकारी संगठन से एक महिला सदस्य और निगम से 2 कर्मचारी (जिसमें 1 महिला और 1 पुरुष) शामिल हैं। आंतरिक शिकायत समिति को यौन उत्पीड़न का कोई मामला सूचित नहीं किया गया और वर्तमान तिथि तक आंतरिक शिकायत समिति के पास कोई मामला लंबित नहीं है।

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम, 2013 के तहत प्राप्त, निस्तारित गए और नब्बे दिनों से अधिक अवधि से लंबित यौन उत्पीड़न की शिकायतों का विवरण निम्नानुसार दिया गया है:

वर्ष के दौरान प्राप्त यौन उत्पीड़न की शिकायतों की संख्या	शून्य
वर्ष के दौरान निपटाई गई ऐसी शिकायतों की संख्या	शून्य
नब्बे दिनों से अधिक अवधि से लंबित मामलों की संख्या	शून्य

घ. मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 के अनुपालन पर विवरण:

कंपनी मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 के प्रावधानों का अनुपालन करती है और पात्र महिला कर्मचारियों को मातृत्व लाभ प्रदान करती है। वैधानिक आवश्यकताओं के अनुरूप पर्याप्त सुविधाएं और सहायता प्रदान की जाती हैं।

33. सुरक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण और गुणवत्ता:

i) **हमारा अटूट सुरक्षा विचारमत:** राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम में सुरक्षा केवल कागजों पर अनुपालन की आवश्यकता मात्र नहीं है, यह एक मूल मूल्य है जो प्रत्येक कार्य का मार्गदर्शन करता है। हमारा सुरक्षा दृष्टिकोण पारंपरिक सीमाओं से परे है, जो एक ऐसी संस्कृति को बढ़ावा देता है जहां नेतृत्व से लेकर अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं तक प्रत्येक व्यक्ति सुरक्षित कामकाजी परिस्थितियों को बनाए रखने के लिए व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेता है। यह साझा जवाबदेही हमारी मजबूत सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली की नींव बनाती है।

ii) **सुदृढ़ सुरक्षा प्रोटोकॉल और अंतरराष्ट्रीय मानक:** राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम ने अपने कड़े सुरक्षा प्रोटोकॉल विकसित और कार्यान्वित किए हैं, जिनमें कार्य निष्पादन के दौरान सुनिश्चित की जाने वाली आवश्यकताओं को सूचीबद्ध किया गया है और परियोजना निष्पादन गतिविधियों के दौरान इनका पालन सुनिश्चित किया जाता है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम की सुरक्षा प्रणाली को और मजबूत करने के लिए, सभी अनुबंधित ठेकेदारों के लिए अंतरराष्ट्रीय मानक संगठन 45001 प्रमाणन अनिवार्य है, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन मानकों के साथ तालमेल सुनिश्चित करता है।

iii) **सक्रिय सुरक्षा संस्कृति का विकास:** राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम ने हाल ही में 4 मार्च 2026 को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस का आयोजन किया, जिसके साथ 4 से 10 मार्च 2026 तक एक व्यापक सुरक्षा जागरूकता सप्ताह की शुरुआत हुई। इस सप्ताह भर चलने वाले कार्यक्रम के दौरान पूरे उत्साहपूर्ण भागीदारी के साथ गतिविधियों की एक श्रृंखला आयोजित की गई। यह सामूहिक प्रयास हर स्तर पर सुरक्षा और जिम्मेदारी

की सकारात्मक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए हमारी साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। गतिविधियों में सुरक्षा प्रश्नोत्तरी, नारा प्रतियोगिता, पोस्टर प्रतियोगिता शामिल थी। इसके अलावा, व्यापक जागरूकता के लिए औद्योगिक सुरक्षा विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षण सत्र आयोजित और संचालित किए गए हैं। ये प्रशिक्षण सत्र कार्यस्थल पर बेहतर कार्य पद्धतियों को सुनिश्चित करने में मदद करते हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम के ठेकेदारों ने कार्यस्थल के कार्मिकों को जोड़ने के लिए तैयार की गई पूरक गतिविधियों का आयोजन करके इन प्रयासों को और आगे बढ़ाया, जिसमें यथार्थवादी आपातकालीन प्रतिक्रिया मॉक ड्रिल और सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक नुक्कड़ नाटक शामिल थे, जिससे सुरक्षा सिद्धांतों को विविध कार्यबल के लिए सुलभ और स्मरणीय बनाया जा सके।

iv) **सतत शिक्षण और दक्षता निर्माण:** राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम का संरचित दृष्टिकोण यह सुनिश्चित करता है कि परियोजना स्थलों पर लगे सभी कर्मियों के पास खतरों की पहचान करने, नियंत्रण उपायों को लागू करने और बदलती परिस्थितियों में प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया करने के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल उपलब्ध हो।

34. पर्यावरण, सामाजिक और शासन (ईसीजी) तथा ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण और अनुसंधान एवं विकास पर व्यय

34.1 पर्यावरण, सामाजिक और शासन:

i) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम नमो भारत ट्रेनों के माध्यम से पर्यावरण अनुकूल गतिशीलता को बढ़ावा देता है, कार्बन उत्सर्जन और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करके कम कार्बन वाले भविष्य का समर्थन करता है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम सतत गतिशीलता प्रदान करने के लिए क्षेत्रीय त्वरित पारगमन प्रणाली परियोजना में पर्यावरण, सामाजिक और शासन सिद्धांतों को एकीकृत करता है।

पर्यावरण (ई): नवीकरणीय ऊर्जा जैसे सौर ऊर्जा, ऊर्जा-कुशल प्रणालियों जैसे पुनर्योजी ब्रेकिंग, प्रकाश उत्सर्जक डायोड प्रकाश व्यवस्था और वाहनों से होने वाले प्रदूषण में कमी पर ध्यान केंद्रित किया गया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम उच्च भारतीय हरित भवन परिषद हरित भवन प्रमाणन को भी लक्षित करता है।

सामाजिक (सी): क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ाता है, अवसरों तक पहुंच में सुधार करता है, और सुरक्षित, सुलभ बुनियादी ढांचे तथा एशियाई विकास बैंक की पहलों द्वारा समर्थित महिलाओं और कमजोर वर्गों के लिए लक्षित कार्यक्रमों के माध्यम से समावेशिता को बढ़ावा देता है।

शासन (जी): वित्तीय स्थिरता जैसे पारगमन-उन्मुख विकास, मूल्य अधिग्रहण वित्तपोषण और पर्यावरण तथा सामाजिक रिपोर्टों के नियमित प्रकटीकरण के माध्यम से पारदर्शिता पर जोर देने के साथ, भारत सरकार और राज्य की साझेदारी के तहत मजबूत संस्थागत ढांचा।

ii) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम का लक्ष्य अपनी कुल ऊर्जा आवश्यकताओं का लगभग 60 प्रतिशत नवीकरणीय स्रोतों से पूरा करना है। इसमें 15 मेगावाट पीक रूफटॉप सौर क्षमता शामिल है, जिससे प्रति वर्ष लगभग 15,600 टन कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2) उत्सर्जन कम होने की उम्मीद है। इसके अतिरिक्त, एक 110 मेगावाट का कैप्टिव भूमि आधारित सौर ऊर्जा संयंत्र विकसित किया जा रहा है, जिससे प्रति वर्ष 1.77 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2) उत्सर्जन कम होने का अनुमान है। नवीकरणीय ऊर्जा में अपने नवाचार को और मजबूत करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम ने उत्तर प्रदेश के दुहाई डिपो में अपनी तरह की पहली "रेलवे ट्रैक पर सौर पैनल" पायलट परियोजना लागू की है, जिसमें 70 मीटर लंबे ट्रैक खंड पर 15.4 किलोवाट पीक क्षमता स्थापित की गई है, जिससे अनुमानित तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2) उत्सर्जन में सालाना 16 टन की कमी आएगी।

iii) विश्व पर्यावरण दिवस (5 जून 2025) के अवसर पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम ने अपने कार्यस्थल कार्यालयों में जागरूकता और स्थिरता पहलों का आयोजन किया। इनमें वृक्षारोपण अभियान के साथ-साथ श्रमिकों के बीच पर्यावरणीय जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से पोस्टर बनाने की प्रतियोगिताएं और प्रशिक्षण सत्र जैसे जागरूकता कार्यक्रम शामिल थे।

iv) न्यूनतम राष्ट्रीय जीवन स्तर को पुनः प्राप्त करने के लिए प्रभावित विस्थापित व्यक्तियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए पुनर्वास योजना के तहत आजीविका बहाली के उपायों को शामिल किया गया है; तदनुसार, सितंबर 2025 से मार्च 2026 तक कौशल विकास और आय बहाली प्रशिक्षण आयोजित किए गए, जिसमें 94 विस्थापित व्यक्तियों को शामिल किया गया। 36 को कटाई और सिलाई में, 51 को कृषि विज्ञान केंद्र मेरठ के सहयोग से आधुनिक कृषि पद्धतियों में और 7 को बुनियादी कंप्यूटर और डिजिटल मार्केटिंग कौशल में प्रशिक्षित किया गया।

34.2 ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण और अनुसंधान एवं विकास पर व्यय:

समीक्षाधीन वर्ष के लिए ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण और विदेशी मुद्रा आय एवं व्यय के संबंध में कंपनी खाता नियम, 2014 के नियम 8(3) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(m) के प्रावधानों के अनुसार जानकारी निम्नानुसार है:

क. ऊर्जा संरक्षण:

क) ऊर्जा संरक्षण के लिए उठाए गए कदम अथवा उनका प्रभाव:

आपके निगम ने इष्टतम ऊर्जा उपयोग सुनिश्चित करते हुए विभिन्न प्रणालियों के लिए उपयुक्त तकनीक का चयन करने के अलावा, डिजाइन स्तर पर विभिन्न संरक्षण उपायों को एकीकृत किया है। परिणामस्वरूप, स्टेशनों, रिसीविंग सब-स्टेशनों, सहायक सब-स्टेशनों, डिपो आदि जैसे विभिन्न स्थानों पर ऊर्जा-कुशल प्रकाश उत्सर्जक डायोड (एलईडी) लाइट फिक्स्चर, स्टार-रेटेड मोटर और पंप तथा एयर कंडीशनिंग आउटडोर और इनडोर इकाइयां स्थापित की गई हैं। पूर्ण ऊंचाई वाले प्लेटफॉर्म स्क्रीन दरवाजे, उच्च निष्पादन गुणांक वाले चिलर, चिलर में परिवर्तनीय आवृत्ति ड्राइव, अक्षीय पंखे और पंप प्रदान किए गए हैं; भूमिगत स्टेशनों में बेहतर ऊर्जा दक्षता के साथ वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग प्रणाली लागू की गई है। ऊर्जा की बचत के लिए रोलिंग स्टॉक, लिफ्टों और स्वचालित सीढ़ियों को पुनर्योजी ब्रेकिंग सुविधाओं से सुसज्जित किया जा रहा है।

आपके निगम ने योजना, डिजाइन, निष्पादन और संचालन चरण के दौरान हरित उपायों का अभ्यास करने के लिए स्टेशनों और रिसीविंग सब-स्टेशनों (आरएसएस) के लिए प्लैटिनम रेटिंग प्रमाणपत्र प्राप्त किए हैं। इसके अलावा, देश में पहली बार दो स्टेशनों को नेट ज़ीरो एनर्जी (परिचालन) रेटिंग से सम्मानित किया गया है। इस वर्ष, आपके निगम को आनंद विहार भूमिगत स्टेशन के लिए प्लैटिनम रेटिंग प्राप्त हुई।

ख) ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के उपयोग के लिए उठाए गए कदम:

i) **दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ नमो भारत गलियारे में इन-हाउस सौर प्रणाली की स्थापना:** नमो भारत अथवा मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम स्टेशनों, डिपो और अन्य सहायक भवनों के बड़े छत क्षेत्र को देखते हुए, निगम लगभग 15 मेगावाट पीक छत पर लगे सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की योजना बना रहा है, जो सालाना लगभग 1.7 करोड़ यूनिट सौर ऊर्जा उत्पन्न करेगा, जिससे प्रति वर्ष लगभग 15,600 टन कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2) उत्सर्जन कम होगा।

अब तक, गाजियाबाद और मुरादनगर रिसीविंग सब-स्टेशनों, दुहाई डिपो भवनों अथवा स्टेशन, साहिबाबाद, गाजियाबाद, गुलधर, दुहाई, मुरादनगर, मोदीनगर दक्षिण, मोदीनगर उत्तर, मेरठ दक्षिण और शताब्दी नगर नमो भारत स्टेशनों पर 7.1 मेगावाट की सौर छत क्षमता शुरू की जा चुकी है, जिसके परिणामस्वरूप सालाना 3.20 करोड़ रुपये की बचत होगी और सालाना 7,400 टन कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2) में कमी आएगी। नमो भारत स्टेशन पर सौर संयंत्र अपनी सहायक बिजली आवश्यकता से अधिक बिजली उत्पन्न करेंगे और इस प्रकार ये स्टेशन 'कार्बन नेगेटिव' स्टेशन होंगे।

ii) **नवीकरणीय ऊर्जा की खरीद:** आपका निगम एनएलसी इंडिया लिमिटेड के साथ संयुक्त उद्यम में 110 मेगावाट सौर कैप्टिव संयंत्र स्थापित करके दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ नमो भारत गलियारे की 60 प्रतिशत तक ऊर्जा आवश्यकता को हरित ऊर्जा के माध्यम से मिश्रित करने की योजना बना रहा

है, जिससे सालाना लगभग 1,77,000 टन कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2) उत्सर्जन को कम करने में मदद मिलेगी।

ग) **ऊर्जा संरक्षण उपकरणों पर पूंजीगत निवेश:** उपरोक्त अनुच्छेदों में उल्लिखित पूंजी निवेश ऊर्जा संरक्षण उपायों के तहत किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, ऊर्जा दक्षता को और बढ़ाने के लिए कॉर्पोरेट कार्यालय में प्रकाश व्यवस्था और वातानुकूलन संचलन के लिए ऑक्यूपेंसी सेंसर के प्रावधान भी किए गए हैं।

ख. प्रौद्योगिकी अवशोषण, अनुकूलन और नवाचार:

क) प्रौद्योगिकी अवशोषण की दिशा में किए गए प्रयास:

i) आपका निगम दिल्ली-मेरठ नमो भारत गलियारे को बेहतर बनाने के लिए गैस इंसुलेटेड स्विचगियर, रिजिड ओवरहेड कैटेनरी सिस्टम, स्प्रिंग टाइप ऑटो टेंशनिंग डिवाइस, मॉड्यूलर कैंटिलीवर असेंबली, एक्टिव पावर फिल्टर, वायु और भूकंप सेंसर, चिलर प्लांट मैनेजर, बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम, फोर-फ्लैट-स्टेप स्वचालित सीढ़ियां और रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम जैसी उन्नत तकनीकों का लाभ उठा रहा है। एशियाई विकास बैंक के अनुदान द्वारा समर्थित, निगम बेहतर परियोजना विज़ुअलाइज़ेशन के लिए बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट लैब, खराबी का पता लगाने के लिए डिस्ट्रीब्यूटेड एकाउस्टिक सेंसिंग सिस्टम और वायाडक्ट प्रदर्शन मूल्यांकन के लिए स्ट्रक्चरल हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम जैसी पहलों के माध्यम से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में स्मार्ट शहरी मास रैपिड ट्रांजिट और जलवायु लचीलेपन को मजबूत कर रहा है।

ii) कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए डिपो और रिसीविंग सब-स्टेशन पर सोलर डेलाइट ट्यूब स्थापित किए गए हैं, और बेहतर सुरक्षा के लिए संपर्क रहित यात्री जांच समाधान तलाशे जा रहे हैं। गलियारे को बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग का उपयोग करके विकसित किया गया है, जो एक कागज रहित कॉमन डेटा एनवायरनमेंट (सीडीई) प्लेटफॉर्म के माध्यम से बेहतर-समन्वित डिजाइन, दोबारा किए जाने वाले काम में कमी और समय की बचत को सक्षम बनाता है। गलियारे की संपत्तियों को बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग में मॉडल किया गया है, जिसमें पूरी तरह से समन्वित चित्र निर्माण का मार्गदर्शन करते हैं, और इन मॉडलों को निर्बाध संचालन और रखरखाव हस्तांतरण के लिए संपत्ति प्रबंधन प्रणाली में एकीकरण हेतु संपत्ति प्रबंधन डेटा के साथ समृद्ध किया जा रहा है।

ख) **प्राप्त लाभ जैसे उत्पाद सुधार, लागत में कमी, उत्पाद विकास और आयात प्रतिस्थापन:** इन तकनीकों के कार्यान्वयन से प्रणाली की गुणवत्ता और सुरक्षा में वृद्धि हुई है, और बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग (बी आई एम) तथा कॉमन डेटा एनवायरनमेंट (सीडीई) ने ऊर्जा, समय और लागत की बचत की है।

ग. आयातित प्रौद्योगिकी के मामले में प्रस्तुत की जाने वाली जानकारी जो वित्तीय वर्ष की शुरुआत से पिछले 3 वर्षों के दौरान आयात की गई हो:

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कोई नई तकनीक आयात नहीं की गई थी। हालांकि, देश में पहली बार 180 किलोमीटर प्रति घंटे की डिजाइन गति वाला गिट्टी रहित ट्रैक बनाया जा रहा है। न तो भारतीय रेलवे और न ही मेट्रो के पास हाई-स्पीड गिट्टी रहित ट्रैक की स्थापना का अनुभव है। आपके निगम ने नमो भारत के लिए उच्च प्रीकास्ट घटकों के साथ उच्च गति पर इसकी सिद्धता के आधार पर **"ऑस्ट्रियाई स्लैब ट्रैक सिस्टम"** का चयन किया है।

क	आयातित प्रौद्योगिकी	एक (01)
ख	आयात का वर्ष	2020
ग	क्या प्रौद्योगिकी पूरी तरह से आत्मसात कर ली गई है?	हाँ
घ	यदि पूरी तरह से आत्मसात नहीं की गई है, तो वे क्षेत्र जहाँ ऐसा नहीं हुआ है, उसके कारण और भावी कार्ययोजना	लागू नहीं

घ. अनुसंधान एवं विकास पर व्यय: समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, अनुसंधान और विकास के लिए कोई व्यय नहीं किया गया है।

ङ. विदेशी मुद्रा आय और व्यय:

विदेशी मुद्रा आय / व्यय वर्ष 2026 की	(राशि लाख रुपये में)	
	वित्तीय वर्ष 2026 की समाप्ति पर	वित्तीय वर्ष 2025 की समाप्ति पर
आय		
विनिमय दर में उतार-चढ़ाव से लाभ	510.62	-
व्यय	**510.62**	
परामर्श शुल्क	808.24	3,060.73
कार्य	15,448.11	32,638.52
अन्य	-	-
विनिमय दर में उतार-चढ़ाव से हानि (शुद्ध)	1,20,399.58	33,059.10
कुल व्यय	**1,36,655.93**	**68,758.35**

35. जोखिम प्रबंधन:

क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम में नीति निर्माण और रणनीतिक निर्णय लेने का एक महत्वपूर्ण स्तंभ जोखिम प्रबंधन बना हुआ है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, आपका निगम परियोजना कार्यान्वयन और परिचालन चरण से जुड़े संभावित जोखिमों का प्रभावी मूल्यांकन और शमन सुनिश्चित करने वाली जोखिम प्रबंधन रणनीतियों को लागू कर रहा है।

ख) जोखिम स्वामी अथवा समन्वयक परियोजना के निष्पादन और संचालन पर जोखिमों के प्रभाव को कम करने के लिए कार्य योजना तथा शमन उपायों का कार्यान्वयन सुनिश्चित कर रहे हैं। संबंधित जोखिम स्वामी अथवा समन्वयक जोखिम रेटिंग, उपचार प्रकार, शमन रणनीतियों की स्थिति आदि को नियमित रूप से अद्यतन कर रहे हैं और उन जोखिमों को बंद करने का प्रस्ताव कर रहे हैं जो अब मौजूद नहीं हैं।

ग) मुख्य जोखिम अधिकारी के नेतृत्व वाली जोखिम प्रबंधन इकाई जोखिम स्वामियों अथवा समन्वयकों को पहचान, मूल्यांकन और कार्य योजना या शमन उपायों के विकास में सहायता करके निगम में जोखिम प्रबंधन संस्कृति को बढ़ावा दे रही है। मुख्य जोखिम अधिकारी स्पीड पोर्टल पर तैनात जोखिम रजिस्टर का रख-रखाव कर रहे हैं और सभी जोखिमों के समय पर अद्यतनीकरण और समीक्षा को सुनिश्चित कर रहे हैं।

घ) उद्यम जोखिम प्रबंधन रूपरेखा के अनुसार, मुख्य जोखिम अधिकारी जोखिम प्रबंधन रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं और जोखिम रजिस्टर को अद्यतन करने के लिए इसे जोखिम प्रबंधन समिति और प्रबंध निदेशक के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं तथा जोखिम प्रबंधन समिति और प्रबंध निदेशक के निर्णयों को संबंधित जोखिम स्वामियों अथवा समन्वयकों तक पहुंचा रहे हैं।

ङ) कार्यात्मक निदेशकों वाली जोखिम प्रबंधन समिति के समक्ष मुख्य जोखिम अधिकारी द्वारा जोखिम मूल्यांकन रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है ताकि जोखिम स्वामियों अथवा समन्वयकों द्वारा सुझाए गए अद्यतनों या परिवर्तनों की समीक्षा की जा सके।

च) जोखिम प्रबंधन समिति यह सुनिश्चित कर रही है कि निगम द्वारा जोखिम प्रबंधन ढांचे और प्रक्रिया का पालन किया जाए तथा जोखिम मूल्यांकन रिपोर्ट में जोखिम स्वामियों अथवा समन्वयकों द्वारा सुझाए गए अद्यतनों या परिवर्तनों की समीक्षा की जा रही है। जोखिम प्रबंधन समिति निगम द्वारा अपनाए गए जोखिम मूल्यांकन, प्रमुख जोखिमों और शमन रणनीतियों पर बोर्ड को भी रिपोर्ट कर रही है।

छ) आपके निगम के पास विनिमय दर और ब्याज दर में उतार-चढ़ाव से उत्पन्न होने वाले जोखिमों की निगरानी और प्रबंधन के लिए वरिष्ठ अधिकारियों की एक विदेशी मुद्रा जोखिम प्रबंधन समिति भी मौजूद है। समिति तिमाही आधार पर जोखिम की समीक्षा करती है और शमन योजना पर चर्चा करती है।

36. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005:

क) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की आवश्यकताओं के संदर्भ में अपीलीय प्राधिकारी, लोक सूचना अधिकारी और सहायक लोक सूचना अधिकारी के नामों सहित आवश्यक अद्यतन जानकारी निगम की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई।

ख) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्राप्त आवेदनों से निपटने के लिए कंपनी के पास एक निश्चित व्यवस्था मौजूद है। सूचना का अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए विभागाध्यक्ष स्तर के एक अधिकारी को प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के रूप में और उप-विभागाध्यक्ष स्तर के अधिकारियों को केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी और सहायक लोक सूचना अधिकारी के रूप में नामित किया गया है। ऑनलाइन माध्यम से सूचना का अधिकार आवेदनों और अपीलों के निपटान में बेहतर पारदर्शिता के लिए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम भारत सरकार की 'आरटीआई अनुरोध और अपील प्रबंधन सूचना प्रणाली' के तहत पहले से ही पंजीकृत है।

ग) वर्ष के दौरान, सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत 247 आवेदन प्राप्त हुए, जिनका आरटीआई अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अनुसार उत्तर दिया गया और निपटारा किया गया। इसके अतिरिक्त, प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष 40 अपीलें दायर की गईं, जिनमें से सभी का निपटारा निर्धारित समय सीमा के भीतर किया गया।

37. राजभाषा:

वर्ष के दौरान, निगम द्वारा राजभाषा नीति का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न कदम उठाए गए। निगम की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की त्रैमासिक बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जाती हैं। इन बैठकों में निगम के सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने और प्रोत्साहित करने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

क) वर्ष के दौरान, 12 अधिकारियों ने "पारंगत" हिंदी शिक्षण पाठ्यक्रम पूरा किया। प्रशिक्षण देने के उपरांत 10 अधिकारी परीक्षा में सम्मिलित हुए और निगम के सभी 10 अधिकारी उक्त परीक्षा में उत्तीर्ण हुए।

ख) इस वर्ष के दौरान निगम द्वारा हिंदी पुस्तकों की खरीद पर 16,028 रुपये व्यय किए गए। ये हिंदी पुस्तकें वर्ष के दौरान राजभाषा प्रभाग द्वारा आयोजित विभिन्न कार्यशालाओं अथवा कार्यक्रमों में पुरस्कृत अधिकारियों एवं कर्मचारियों को दी गईं।

ग) अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अपने दैनिक कार्य में हिंदी का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु निगम और इसके परियोजना कार्यालयों में प्रत्येक तिमाही में हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन किया जा रहा है। वर्ष के दौरान आयोजित कार्यशालाओं में अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया।

घ) सितंबर-2025 में निगम में 14 सितंबर 2025 से 28 सितंबर 2025 तक "राजभाषा उल्लास पर्व" का आयोजन किया गया। इस दौरान अनेक हिंदी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया।

ङ) दैनिक कार्यालयीन कामकाज में राजभाषा के प्रयोग को प्रसारित एवं प्रोत्साहित करने के लिए "प्रबंध निदेशक राजभाषा शील्ड पुरस्कार योजना" शुरू की गई, जिसके अंतर्गत एक शील्ड हिंदी में उत्कृष्ट कार्य करने वाले विभाग को और दूसरी शील्ड हिंदी में उत्कृष्ट कार्य करने वाले परियोजना कार्यालय को दी जाती है। यह पुरस्कार प्रबंध निदेशक द्वारा 30 सितंबर 2025 को "हिंदी उल्लास पर्व समापन समारोह" के दौरान विजेता विभाग अथवा परियोजना कार्यालय को प्रदान किया गया।

च) निगम में हिंदी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से "प्रबंध निदेशक प्रोत्साहन पुरस्कार योजना" लागू की गई है। इस योजना के अंतर्गत प्रबंध निदेशक द्वारा **"हिंदी उल्लास पर्व समारोह"** में हिंदी में उत्कृष्ट कार्य करने वाले पांच कार्मिकों को प्रमाण पत्र एवं 10,000 रुपये का नकद पुरस्कार दिया गया।

छ) अगस्त 2025 और जनवरी 2026 में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, दिल्ली उपक्रम-2 की दो बैठकें आयोजित की गईं, जिनमें दैनिक कार्यालयीन कार्य में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम के अधिकारियों ने भाग लिया।

ज) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम को नवंबर 2025 में राजभाषा विभाग के पोर्टल पर पंजीकृत किया गया है और इस पोर्टल के माध्यम से राजभाषा विभाग को हिंदी के प्रगामी प्रयोग की त्रैमासिक रिपोर्ट ऑनलाइन भेजी जा रही हैं।

झ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम के परियोजना कार्यालयों के कार्य में भी राजभाषा का प्रयोग सुनिश्चित किया गया। परियोजना कार्यालयों में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जा रही हैं और कॉर्पोरेट कार्यालय द्वारा इन कार्यालयों में हिंदी कार्यशालाएं भी आयोजित की जा रही हैं।

ञ) नराकास उपक्रम-2 दिल्ली के तत्वावधान में विभिन्न कार्यालयों द्वारा आयोजित किए जा रहे विभिन्न

सेमिनारों, प्रतियोगिताओं एवं कार्यशालाओं में भी निगम की सहभागिता सुनिश्चित की गई है।

ट) एक द्विभाषी त्रैमासिक समाचार पत्र 'एनसीआरटीसी कनेक्ट' और "नमो भारत टाइम्स" द्वैमासिक समाचार पत्र प्रकाशित किया जा रहा है और यह सुनिश्चित किया जाता है कि 70 प्रतिशत से अधिक सामग्री हिंदी में प्रकाशित हो।

ठ) "आज का शब्द" श्रृंखला के तहत, सभी को ईमेल पर दैनिक रूप से एक अंग्रेजी शब्द और उसका हिंदी अर्थ भेजा जा रहा है ताकि वे प्रतिदिन एक नया शब्द सीख सकें। इसके अलावा कॉर्पोरेट कार्यालय में एक बोर्ड लगाया गया है जिस पर एक अंग्रेजी शब्द और उसका हिंदी में अर्थ भी लिखा जा रहा है।

38. सतर्कता:

केंद्रीय सतर्कता आयोग के निर्देशों के अनुसार आपके निगम द्वारा चलाए गए कार्यक्रमों अथवा पहलों का विवरण निम्नानुसार है:

क) दिल्ली मेट्रो रेल अकादमी के महानिदेशक श्री घनशाम बंसल द्वारा **"अनुबंध प्रबंधन में सतर्कता पहलू"** पर एक वार्ता अथवा प्रस्तुति आयोजित की गई।

ख) डीएमआरए के वरिष्ठ प्राध्यापक/सिविल श्री सुरेंद्र यादव द्वारा "सीटीई/सीवीसी परीक्षाओं के दौरान अनुबंध प्रबंधन में होने वाली सामान्य गलतियाँ" विषय पर व्याख्यान अथवा प्रस्तुतियाँ दी गईं।

ग) मुख्यालय में तथा सभी स्थल कार्यालयों और डिपो में ऑनलाइन माध्यम से निदेशक/ईएंडआरएस द्वारा सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञा दिलाई गई।

घ) रेलवे बोर्ड के प्रधान कार्यकारी निदेशक/सतर्कता श्री डी. के. सिंह द्वारा एक वार्ता आयोजित की गई, जिसमें सतर्कता दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित किया गया।

ङ) सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2025 के दौरान सतर्कता विंग द्वारा निबंध लेखन और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसका विषय था:

"सत्यनिष्ठा की संस्कृति से राष्ट्र की समृद्धि"

च) सतर्कता टीम द्वारा 17.11.2025 को मोदीपुरम स्टेशन और कार्यालय डिपो कर्मचारियों के लिए जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।

छ) उत्तर रेलवे के वरिष्ठ उप-महाप्रबंधक श्री अरविंद नौटियाल द्वारा एक सामान्य वार्ता आयोजित की गई, जिसमें सतर्कता दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित किया गया।

ज) दिल्ली मेट्रो रेल अकादमी में 13 अधिकारियों को सतर्कता जागरूकता कार्यक्रम पर प्रशिक्षण दिया गया।

39. सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए सार्वजनिक खरीद नीति:

39.1 गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस GeM (जेम):

i) गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (जेम) विभिन्न सरकारी विभागों, संगठनों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की ऑनलाइन खरीद की सुविधा प्रदान करता है। इसका उद्देश्य सार्वजनिक खरीद में पारदर्शिता, दक्षता और गति को बढ़ाना है। यह सरकारी उपयोगकर्ताओं को उनके पैसे का सर्वोत्तम मूल्य प्राप्त करने की सुविधा के लिए ई-बिडिंग, रिवर्स ई-नीलामी और मांग एकत्रीकरण के साधन प्रदान करता है।

ii) तदनुसार, निगम ने जेम पोर्टल के माध्यम से वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के लिए मानक संचालन प्रक्रिया, सामान्य नियम और शर्तें तथा सेवा अनुबंध पत्र जेम पोर्टल पर उपलब्ध हैं।

iii) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम के खरीद प्रकोष्ठ के प्रमुख जेम पोर्टल पर प्राथमिक उपयोगकर्ता के रूप में पंजीकृत हैं। निगम के कॉर्पोरेट और परियोजना कार्यालय के सभी विभागों को उनकी भूमिकाओं (जैसे क्रेता, परेषिती आदि) के साथ जेम पोर्टल पर द्वितीयक उपयोगकर्ताओं के रूप में पंजीकृत किया गया है। वैश्विक बोलियों को छोड़कर, जेम पर उपलब्ध वस्तुओं और सेवाओं की खरीद जेम पोर्टल के माध्यम से की जा रही है। निगम ने समीक्षाधीन वर्ष में अर्थात 31 मार्च 2026 तक लगभग 47.31 करोड़ रुपये की जेम खरीद की है।

39.2 मेक इन इंडिया पहल:

i) उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने 'मेक इन इंडिया' पहल को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक खरीद मेक इन इंडिया को प्राथमिकता आदेश, 2017 (PPP-MII Order No. P-45021/2/2017-BE-II dated 15.06.2017) जारी किया। इस पहल के तहत स्टार्टअप्स और सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए मानदंडों में ढील दी गई। इसका उद्देश्य स्थानीय कंपनियों के साथ साझेदारी और संयुक्त उद्यमों

को प्रोत्साहित करके स्थानीय विनिर्माण, आय और रोजगार को बढ़ावा देना है।

आपके निगम ने घरेलू निविदाओं के लिए अपने बोली दस्तावेजों में इस नीति और बाद के संशोधनों को लागू किया है, जो जेम और केंद्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल के माध्यम से किए जा रहे हैं।

39.3 स्टार्टअप्स और सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए मानदंडों में ढील:

व्यय विभाग के खरीद नीति प्रभाग, वित्त मंत्रालय ने अपने कार्यालय ज्ञापन संख्या F-20/2/2014-PPD(Pt.) दिनांक 25.07.2016 के माध्यम से वस्तुओं और सेवाओं की सार्वजनिक खरीद में स्टार्टअप्स और सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को छूट देने के लिए दिशानिर्देश जारी किए। इन दिशानिर्देशों को सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से निगम द्वारा अपने बोली दस्तावेजों में लागू किया जा रहा है।

40. स्वच्छ भारत अभियान:

आपका निगम स्वच्छ भारत अभियान के प्रति प्रतिबद्ध है और कार्यालय परिसर तथा आसपास के क्षेत्र की सफाई के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम ने कार्यालयों, नमो भारत स्टेशनों और आवासीय परिसरों की मशीनीकृत सफाई के लिए पेशेवर एजेंसियों को नियुक्त किया है।

41. सूचना प्रौद्योगिकी:

वर्ष के दौरान, आपके निगम ने सूचना प्रौद्योगिकी की दिशा में निम्नलिखित महत्वपूर्ण कदम उठाए:

क) नमो भारत कनेक्ट ऐप को कई एकीकरणों और सुविधाओं के साथ काफी उन्नत किया गया, जिसमें आईआरसीटीसी के साथ एकीकरण, एक यात्रा योजनाकार को सक्षम करना, ऐप के माध्यम से रैपिडो कार और बाइक सेवाओं की बुकिंग की सुविधा, दिल्ली-मेरठ नमो भारत आरआरटीएस गलियारे के साथ नमो भारत स्टेशनों पर लाइव कार पार्किंग की स्थिति प्रदान करना और डब्ल्यूसीएजी 2.0 दिशानिर्देशों के अनुसार पहुंच अनुपालन सुनिश्चित करना शामिल है।

ख) कार्यक्रम की दृश्यता और हितधारकों की पहुंच का समर्थन करने के लिए पीएम-ईबस वेबसाइट को सफलतापूर्वक विकसित और रखरखाव किया गया।

ग) पीएम-ईबस सेवा योजना के तहत आईटीएमएस परियोजना के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम और आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के बीच एक समझौता ज्ञापन निष्पादित किया गया, जिसके बाद आईटीएमएस बोली तैयार और प्रकाशित की गई।

घ) वाहन आवंटन, ट्रैकिंग और परिचालन दक्षता को सुव्यवस्थित करने के लिए स्पीड पर वाहन प्रबंधन प्रणाली लागू की गई।

ङ) निर्बाध डेटा विनिमय को सक्षम करने और बिल जमा करने की प्रक्रिया को स्वचालित करने के लिए एसएपी और स्पीड प्रणालियों के बीच ई-एमबी मॉड्यूल को सफलतापूर्वक इंटरफेस किया गया।

च) संगठनात्मक दस्तावेजों के कुशल भंडारण, पुनर्प्राप्ति और प्रबंधन को सक्षम करने के लिए एक दस्तावेज़ प्रबंधन प्रणाली लागू की गई।

छ) नमो भारत कनेक्ट ऐप, वित्तीय संस्थान और स्वचालित किराया संग्रह प्रणालियों में राजस्व समाधान की सुविधा के लिए एक समाधान डैशबोर्ड विकसित किया गया।

ज) परिचालन निगरानी के लिए विश्लेषणात्मक अंतर्दृष्टि और रिपोर्टिंग क्षमताएं प्रदान करने के लिए एआरएस डैशबोर्ड विकसित किया गया।

झ) संचालन और रखरखाव वितरण की प्रभावी निगरानी और ट्रैक करने के लिए एक संचालन एवं रखरखाव डैशबोर्ड बनाया गया।

ञ) छुट्टी और यात्रा मॉड्यूल के लिए एसएपी और स्पीड प्रणालियों के बीच एकीकरण हासिल किया गया, जिससे इन दोनों प्रणालियों के बीच डेटा एकरूपता सुनिश्चित हुई।

ट) एसएपी में कर्मचारी स्वयं सेवा मॉड्यूल में सुधार किए गए, जिसमें वर्दी के दावे, संचार व्यय, चिकित्सा नीति में अपडेट और फर्नीचर से संबंधित दावों को जोड़ना शामिल है।

ठ) भारत में परिवहन प्रणालियों का अधिक व्यापक अवलोकन प्रदान करते हुए, शहरी परिवहन के सभी साधनों को शामिल करने के लिए आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय डैशबोर्ड का विस्तार किया गया।

ड) सुरक्षा संवर्द्धन के साथ गति ऐप को अधिक उपयोगकर्ता-अनुकूल बनाने के लिए इसका पुनरुद्धार किया गया।

42. कॉर्पोरेट संचार एवं जनसंपर्क:

42.1 आपका निगम परियोजना, महत्वपूर्ण गतिविधियों, उपलब्धियों, प्रमुख पड़ावों आदि के बारे में मुख्य रूप



से निगम की वेबसाइट www.ncrtc.in तथा लिंक्डइन, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर जैसे सोशल मीडिया मंचों के माध्यम से नियमित रूप से जानकारी प्रसारित करता है। निगम के सोशल मीडिया पृष्ठों तक निम्नलिखित माध्यमों से पहुँचा जा सकता है:

https://www.linkedin.com/Corporation/ncrtc/
https://www.youtube.com/ncrtc
https://www.instagram.com/ncrtc_official/,
National Capital Region Transport Corporation Limited | Facebook, (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड फेसबुक)
National Capital Region Transport Corporation Ltd. (@officialncrtc) / Twitter, (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड ट्विटर)

42.2 निगम के लिंक्डइन पर 70,000 से अधिक प्रत्यक्ष फॉलोअर्स, यूट्यूब पर 27,000 से अधिक सब्सक्राइबर्स और फेसबुक पर 20,000 से अधिक फॉलोअर्स हैं। इस परियोजना को सोशल मीडिया पर कई प्रमुख राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय ब्लॉगर्स द्वारा भी नियमित रूप से कवर किया जाता है।

अक्टूबर 2023 में प्राथमिकता खंड पर संचालन शुरू होने के बाद, यात्रियों से जुड़े ब्रांड 'नमो भारत' के लिए ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर नए सोशल मीडिया हैंडल शुरू किए गए थे। इन हैंडलों का उपयोग विशेष रूप से यात्रियों के लिए संचालन से संबंधित जानकारी प्रसारित करने के लिए किया जाता है। नमो भारत के सोशल मीडिया हैंडलों तक निम्नलिखित माध्यमों से पहुँचा जा सकता है:

Namo Bharat Delhi Meerut (@NamoBharatDelMT) / X (twitter.com)
https://www.facebook.com/NamoBharatDelMT
Namo Bharat Delhi Meerut (@namobharatdelmt) • Instagram photos and videos

42.3 निगम प्रेस विज्ञप्तियों और आमने-सामने बातचीत के माध्यम से प्रिंट मीडिया के साथ परियोजना की महत्वपूर्ण जानकारी निरंतर साझा करता है। इस वर्ष परियोजना की प्रगति, परियोजना के लिए अपनाई जा रही आधुनिक तकनीकों और नमो भारत से यात्रियों को होने वाले लाभों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रकाशनों में नियमित कवरेज मिली। इनमें से कुछ प्रमुख प्रकाशनों में इकोनॉमिक टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और दैनिक जागरण शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, इस परियोजना को डीडी न्यूज़, एनडीटीवी, न्यूज़ 24, न्यूज़ 18 इंडिया, ज़ी न्यूज़, आज तक, रिपब्लिक भारत, एबीपी न्यूज़ जैसे अन्य टेलीविजन प्रसारण चैनलों द्वारा कवर किया गया। इसके अलावा पारगमन बुनियादी ढांचे पर केंद्रित कई प्रमुख सोशल मीडिया हैंडलों ने भी नमो भारत परियोजना को व्यापक रूप से कवर किया है, जिनमें आरएस लाइव, डिटॉक्स ट्रैवलर, जर्नीज़ विद एके, पापा कंस्ट्रक्शन, न्यूज़ स्टेशन और एचवाई ब्लॉग्स आदि शामिल हैं।

42.4 आपके निगम के प्रबंधन और कर्मचारियों ने कई प्रदर्शनियों, सेमिनारों और सम्मेलनों में भाग लिया, जिनमें भारी संख्या में लोग पहुंचे और वरिष्ठ गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। इनमें नई दिल्ली में रेल एनालिसिस समिट, नई दिल्ली में फिक्की अर्बन ट्रांसपोर्टेशन कॉन्क्लेव, गाजियाबाद में राइज इन इंडिया प्रदर्शनी, गुरुग्राम में आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा आयोजित अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन, बार्सिलोना स्पेन में टुमॉरो मोबिलिटी वर्ल्ड कांग्रेस, न्यूकैसल यूनाइटेड किंगडम में यूआईटीपी रीजनल एंड सबअर्बन रेलवे कमेटी एंड डिविजन मीटिंग, केरल में डिजीलर्निंग नॉलेज एक्सचेंज समिट, नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में आयोजित इनोमेट्रो प्रदर्शनी, नई दिल्ली में इकोनॉमिक टाइम्स इंफ्रा फाइनेंस समिट, नई दिल्ली में ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया 2025 एक्सपो और रांची झारखंड में स्वर्णिम भारत एक्सपो में भागीदारी शामिल है। नमो भारत परियोजना के लिए वांछित दृश्यता और जन-जागरूकता उत्पन्न करने के लिए ऐसे अवसरों का उपयोग किया गया।

42.5 आपके निगम द्वारा दिल्ली-मेरठ नमो भारत क्षेत्रीय त्वरित पारगमन प्रणाली गलियारे के विभिन्न स्थानों पर समुदाय संवाद कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। वर्ष 2025-26 में, आपके निगम ने दिल्ली, मेरठ और गाजियाबाद के नमो भारत स्टेशन स्थलों के आसपास संरचित समुदाय संवाद कार्यक्रमों और नुक्कड़ नाटकों का आयोजन किया। इन कार्यक्रमों के दौरान निवासियों, व्यापारियों, उद्योगपतियों, व्यावसायिक संस्थाओं, कॉलेज और स्कूल के विद्यार्थियों जैसे हितधारकों को न केवल परियोजना की मुख्य विशेषताओं, इसके लाभों और चल रहे विकास कार्यों से अवगत कराया गया, बल्कि उन्हें

सुधार के लिए अपने विचार और सुझाव साझा करने के लिए भी प्रोत्साहित किया गया। इसके अलावा, समाज के विभिन्न वर्गों जैसे महिलाओं, उभयलिंगियों और दिव्यांगजनों के लिए नमो भारत जैसे आधुनिक गतिशीलता समाधानों के लाभों और उनकी आवश्यकताओं का ध्यान रखने के लिए किए जा रहे प्रावधानों से अवगत कराने हेतु कई सत्र आयोजित किए गए। नमो भारत स्टेशनों को समग्र सामाजिक जुड़ाव के जीवंत स्थानों में बदलने के दृष्टिकोण के साथ, निगम ने समय-समय पर कई नए यात्री जुड़ाव कार्यक्रमों का आयोजन किया। इनमें नमो भारत बीट्स संगीत कार्यक्रम, पुस्तक मेले, लैंगिक संवेदीकरण कार्यशालाएं, न्यूरो-डायवर्स व्यक्तियों द्वारा फोटोग्राफी प्रदर्शनी, कारगिल विजय दिवस समारोह, बाल दिवस समारोह, महिला दिवस समारोह और गणतंत्र दिवस समारोह शामिल हैं।

42.6 आपके निगम ने भारत सरकार के निर्भया फंड के तहत जेंडर संवेदीकरण अभियान "आकांक्षाओं के पंख" की शुरुआत की। इस अभियान के तहत की गई पहलों में शामिल हैं: नमो भारत स्टेशनों के बाहर सीसीटीवी कैमरे और एलईडी स्ट्रीट लाइट लगाना; यात्रियों को नमो भारत स्टेशनों तक लाने और ले जाने के लिए महिलाओं द्वारा संचालित पिंक ई-रिक्शा (ई-ऑटो) तैनात करना; एक समर्पित महिला सुरक्षा हेल्पलाइन के साथ-साथ नमो भारत कनेक्ट मोबाइल एप्लिकेशन में आपातकालीन एसओएस सुविधाएं शामिल करना; और नुक्कड़ नाटक, कार्यशालाओं और फिल्मों जैसी जागरूकता गतिविधियों का आयोजन करना।

42.7 आपका निगम आंतरिक संचार को सुदृढ़ करने और परियोजना के अद्यतनों, कर्मचारियों तथा संगठन की उपलब्धियों के बारे में जानकारी साझा करने के लिए त्रैमासिक समाचार पत्र 'एनसीआरटीसी कनेक्ट' प्रकाशित करता रहा है। इसके अतिरिक्त, एक अन्य पहल के तहत आपका निगम यात्रियों के लिए समाचार पत्र 'नमो भारत टाइम्स' निकालता है।

42.8 वर्ष 2025-26 के दौरान, आपके निगम ने निम्नलिखित पुरस्कार और सम्मान प्राप्त किए:

क) हैम्बर्ग, जर्मनी में आयोजित यूआईटीपी ग्लोबल पब्लिक ट्रांसपोर्ट समिट 2025 में दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ नमो भारत क्षेत्रीय त्वरित पारगमन प्रणाली गलियारे के लिए निगम को 'सार्वजनिक और शहरी परिवहन रणनीति' श्रेणी के अंतर्गत यूआईटीपी पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

ख) प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कार 2025 में निगम को स्वर्ण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। निगम ने साइबर सुरक्षा में सर्वश्रेष्ठ ई-गवर्नेंस तौर-तरीकों एवं नवाचार तथा रेलवे प्रणालियों के लिए आईटी-ओटी अभिसरण में सुदृढ़ साइबर सुरक्षा उपायों की श्रेणियों के तहत यह पुरस्कार जीता।

ग) प्रतिष्ठित इकोनॉमिक टाइम्स इंफ्रा रेल शो अवार्ड्स 2025 में निगम को तीन श्रेणियों में पुरस्कार प्रदान किए गए: 'सर्वश्रेष्ठ एकीकृत संपत्ति विकास अथवा पारगमन-उन्मुख विकास', 'मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम अथवा क्षेत्रीय त्वरित पारगमन प्रणाली के लिए सर्वश्रेष्ठ परियोजना वितरण समयसीमा', और 'सर्वश्रेष्ठ ट्रैक बिछाने का निष्पादन'।

43. आभार:

क) आपके निगम का निदेशक मंडल आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, रेल मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, संचार मंत्रालय, उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, नीति आयोग, भारत सरकार के विभागों और एजेंसियों, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, हरियाणा सरकार, राजस्थान सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड तथा नियामक एवं वैधानिक प्राधिकरणों से प्राप्त सहयोग और समर्थन के लिए अपनी गहरी कृतज्ञता व्यक्त करता है।

ख) बोर्ड भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, सांविधिक लेखा परीक्षकों, सचिवीय लेखा परीक्षकों, आंतरिक लेखा परीक्षकों, सलाहकारों, तकनीकी विशेषज्ञों, प्रौद्योगिकी प्रदाताओं, मूल्य वर्धित सेवा भागीदारों, बैंकरों और सभी व्यावसायिक सहयोगियों के निरंतर समर्थन और सहयोग के लिए अपनी गहरी सराहना और हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करता है।

ग) बोर्ड एशियाई विकास बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक का निगम में उनके विश्वास और परियोजना को दीर्घकाल में सतत बनाने के लिए वित्तपोषण तथा अतिरिक्त वित्तीय सहायता

प्रदान करने के रूप में उनके निरंतर समर्थन के लिए हार्दिक धन्यवाद करता है।

घ) बोर्ड संपूर्ण दिल्ली-मेरठ नमो भारत क्षेत्रीय त्वरित पारगमन प्रणाली गलियारे के निर्बाध संचालन के लिए हमारे भागीदारों, मेसर्स डीबी आरआरटीएस ऑपरेशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स एल्स्टॉम रेल ट्रांसपोर्टेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दिए गए सहयोग की सराहना करता है।

ङ) बोर्ड सभी स्तरों के कर्मचारियों द्वारा किए गए अथक प्रयासों और दृढ़ योगदान की गहराई से सराहना करता है, जिन्होंने उत्कृष्ट प्रदर्शन की निरंतर उपलब्धि को संभव बनाया है।

44. अनुलग्नक:

विवरण	अनुलग्नक
फार्म एओसी-2	I
सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट	II
कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व गतिविधियों पर वार्षिक प्रतिवेदन	III
कॉर्पोरेट प्रशासन प्रतिवेदन	IV
स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट और भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण (स्टैंडअलोन और समेकित)	-
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ	-

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड

हस्ता./-

(नमिता मेहरोत्रा)

निदेशक/वित्त एवं मुख्य वित्त अधिकारी

डीआईएन: 07916304

हस्ता./-

(शलभ गोयल)

प्रबंध निदेशक

डीआईएन: 08064525

दिनांक: 14.07.2026

स्थान: नई दिल्ली



माननीय प्रधानमंत्री को अपनी खींची तस्वीरें दिखाते न्यूरो डाइवर्स फोटोग्राफर्स

अनुलग्नक I

फॉर्म संख्या एओसी-2

31 मार्च 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

[अधिनियम की धारा 134 की उपधारा (3) के खंड (एच) तथा कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8(2) के अनुसरण में]

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 की उपधारा (1) में उल्लिखित संबंधित पक्षों के साथ कंपनी द्वारा की गई संविदाओं/व्यवस्थाओं का विवरण प्रकट करने संबंधी प्ररूप, जिसमें 31 मार्च 2026 की स्थिति के अनुसार उक्त धारा के तीसरे परंतुक के अंतर्गत आने वाले कुछ निष्पक्षता (आर्म्स लेंथ) के लेन-देन भी शामिल हैं।

1. निष्पक्षता आधार (आर्म्स लेंथ) के आधार पर न की गई संविदाओं या व्यवस्थाओं अथवा लेन-देन का विवरण

समीक्षाधीन अवधि के दौरान निगम द्वारा किसी भी संबंधित पक्ष के साथ निष्पक्ष आधार (आर्म्स लेंथ) के आधार पर न की गई कोई संविदा, व्यवस्था अथवा लेन-देन नहीं किया गया।

2. निष्पक्षता (आर्म्स लेंथ) के आधार पर की गई महत्वपूर्ण संविदाओं या व्यवस्थाओं अथवा लेन-देन का विवरण

(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ङ)	(च)
संबंधित पक्ष का/के नाम तथा संबंध की प्रकृति	अनुबंधों / व्यवस्था/ लेनदेन की प्रकृति	अनुबंधों/ व्यवस्थाओं/ लेन-देन की अवधि	संविदाओं या व्यवस्थाओं अथवा लेन-देन की प्रमुख शर्तें, जिसमें, यदि कोई हो, उसका मूल्य भी शामिल है	निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदन की तारीख, यदि कोई हो	भुगतान की गई अग्रिम राशि, यदि कोई हो (₹ में)
एनसीआरटीसी एक्सप्रेस ट्रांसिट लिमिटेड (एनसीआरटीसी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी)	परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता (पीएमसी) करार	3 वर्ष की अवधि के लिए अर्थात [02.03.2023 से 01.03.2026 तक], जिसे आगे [02.03.2026 से 01.03.2029 तक] बढ़ाया गया है	एनईटीआरए द्वारा की गई गतिविधियों की लागत का भुगतान ओ एवं ए ऑपरेटर की संविदा कीमत (जीएसटी को छोड़कर) के अनुसार देय राशि के 6% की दर से पीएमसी के लिए किया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान परामर्श सेवाओं की लागत ₹ 735.04 लाख (जीएसटी को छोड़कर) है।	लागू नहीं	एनईटीआरए को ₹1.80 करोड़ का अग्रिम धन जुटाने के लिए भुगतान किया गया था, जिसमें से ₹1.74 करोड़ मार्च 2026 तक वापस कर दिए गए हैं।
	एनसीआरटीसी के कार्यालय परिसर को पट्टे पर लेने के लिए एनईटीआरए (NETRA) के साथ अनुबंध	01.08.2024 से 30.06.2025 तथा 01.07.2025 से 31.05.2026 तक	वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान कार्यालय का किराया ₹ 2.30 लाख (करों को छोड़कर)	लागू नहीं	शून्य
	एनईटीआरए (NETRA) की ओर से एनसीआरटीसी द्वारा किए गए अन्य व्यय	01.04.2025 से 31.03.2026 तक	वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान ₹ 135.88 लाख (जीएसटी को छोड़कर) के व्यय (दौरा, वेतन, मुद्रण एवं स्टेशनरी तथा ईआरपी)	लागू नहीं	शून्य

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड

	हस्ता./-	हस्ता./-
	नमिता मेहरोत्रा	**शलभ गोयल**
दिनांक: 14.07.2026	निदेशक/वित्त एवं मुख्य वित्त अधिकारी	प्रबंध निदेशक
स्थान: नई दिल्ली	डीआईएन: 07916304	डीआईएन: 08064525

अनुलग्नक II

फार्म संख्या एमआर-3
सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट

31 मार्च 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) तथा कंपनी (नियुक्ति एवं पारिश्रमिक कार्मिक) नियम, 2014 के नियम 9 के अनुसरण में]

सेवा में,
सदस्यगण,
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड
(सीआईएन: U60200DL2013GOI256716)
गतिशक्ति भवन, आईएनए, नई दिल्ली-110023

हमने **राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड (CIN: U60200DL2013GOI256716)** (जिसे आगे **"कंपनी"** कहा गया है), जिसका पंजीकृत कार्यालय गति शक्ति भवन, आईएनए, नई दिल्ली-110023 में स्थित है, द्वारा लागू वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन तथा सुशासन संबंधी कॉरपोरेट प्रथाओं के पालन का सचिवीय लेखापरीक्षण किया है। सचिवीय लेखापरीक्षण इस प्रकार किया गया कि कॉरपोरेट आचरण/वैधानिक अनुपालनों का मूल्यांकन करने तथा उन पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए हमें उचित आधार प्राप्त हो सके।

कंपनी की पुस्तकों, दस्तावेजों, कार्यवृत्त पुस्तकों, दाखिल किए गए प्रपत्रों एवं विवरणियों तथा कंपनी द्वारा संधारित अन्य अभिलेखों के हमारे सत्यापन के आधार पर, और सचिवीय लेखापरीक्षण के दौरान कंपनी, उसके अधिकारियों, अभिकर्ताओं तथा अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी, हमें दिए गए स्पष्टीकरण एवं सफाइयों तथा प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदनों के आधार पर, हम एतद्द्वारा रिपोर्ट करते हैं कि हमारी राय में **31 मार्च 2026** को समाप्त वित्तीय वर्ष को आच्छादित करने वाले लेखापरीक्षण के दौरान कंपनी ने नीचे उल्लिखित वैधानिक प्रावधानों का सामान्यतः अनुपालन किया है तथा कंपनी में उचित निदेशक मंडल प्रक्रियाएँ और अनुपालन तंत्र भी विद्यमान हैं, जिसकी सीमा, रीति और शर्तें आगे की रिपोर्टिंग के अधीन हैं।

हमने **31 मार्च 2026** को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी द्वारा संधारित तथा हमें उपलब्ध कराई गई पुस्तकों, दस्तावेजों, कार्यवृत्त पुस्तकों, दाखिल किए गए प्रपत्रों एवं विवरणियों तथा अन्य अभिलेखों का "कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों" के प्रावधानों के अनुसार परीक्षण किया है।

इसके अतिरिक्त, हमने "भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया) द्वारा जारी सचिवीय मानकों" के समय-समय पर यथासंशोधित लागू उपबंधों के अनुपालन का भी परीक्षण किया है।

इसके अतिरिक्त, हमने प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर कानूनों जैसे लागू वित्तीय कानूनों के कंपनी द्वारा अनुपालन का परीक्षण नहीं किया है, क्योंकि इनका परीक्षण वैधानिक वित्तीय लेखापरीक्षण तथा अन्य नामित पेशेवरों द्वारा किया गया है।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी ने अधिनियम, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के प्रावधानों का अनुपालन किया है।

हम यह भी सूचित करते हैं कि:

कंपनी का निदेशक मंडल विधिवत गठित है और उसमें कार्यकारी तथा गैर-कार्यकारी निदेशकों के बीच उचित संतुलन है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल की संरचना में किए गए परिवर्तन अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में किए गए।

निदेशक मंडल की बैठकें सदस्यों को पर्याप्त नोटिस, कार्यसूची तथा कार्यसूची पर विस्तृत टिप्पणियाँ उपलब्ध कराते हुए विधिवत बुलाई गईं तथा बैठक से पूर्व कार्यसूची के विषयों पर अतिरिक्त जानकारी एवं स्पष्टीकरण प्राप्त करने और बैठक में सार्थक भागीदारी सुनिश्चित करने की व्यवस्था विद्यमान है।

बहुमत के निर्णय को लागू किया जाता है, जबकि असहमति रखने वाले सदस्य के विचारों को बैठकों के कार्यवृत्त के भाग के रूप में दर्ज एवं अभिलिखित किया जाता है।

हम यह भी सूचित करते हैं कि:

कंपनी के आकार और परिचालन के अनुरूप कंपनी में लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों के अनुपालन की निगरानी तथा उसे सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त प्रणालियाँ एवं प्रक्रियाएँ विद्यमान हैं।

कृते - जे. के. गुप्ता एंड एसोसिएट्स

हस्ता./-
जितेश गुप्ता
(अभ्यासकर्ता कंपनी सचिव)
एफ़सीएस क्रमांक: - 3978
सीपी क्रमांक: 2448
सहकर्मी समीक्षा क्रमांक: 6747/2025
यूडीआईएन: F003978H000745279

दिनांक: 04.07.2026
स्थान: दिल्ली

इस रिपोर्ट को हमारी इसी तारीख के पत्र के साथ पढ़ा जाना है, जो **"अनुलग्नक क"** के रूप में संलग्न है और इस रिपोर्ट का अभिन्न अंग है।



नमो भारत ट्रेन में यात्रा के दौरान
माननीय प्रधानमंत्री मेडिकल छात्रों से बातचीत करते हुए

'अनुलग्नक - क'

सेवा में,

सदस्यगण,
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड
(सीआईएन: U60200DL2013GOI256716)
गतिशक्ति भवन, आईएनए, नई दिल्ली-110023

हमारी इसी तारीख की रिपोर्ट को इस पत्र के साथ पढ़ा जाना है।

1. सचिवीय अभिलेखों का रखरखाव कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी हमारे लेखापरीक्षण के आधार पर इन सचिवीय अभिलेखों पर अपनी राय व्यक्त करना है।
2. हमने सचिवीय अभिलेखों की विषय-वस्तु की शुद्धता के संबंध में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त लेखापरीक्षण पद्धतियों एवं प्रक्रियाओं का पालन किया है। सचिवीय अभिलेखों में सही तथ्यों के प्रतिबिंबित होने को सुनिश्चित करने के लिए सत्यापन नमूना-आधार पर किया गया। हमारा विश्वास है कि हमारे द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाएँ एवं पद्धतियाँ हमारी राय के लिए उचित आधार प्रदान करती हैं।
3. हमने समीक्षाधीन अवधि के लिए वैधानिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट पर भरोसा किया है; अतः हमने कंपनी के वित्तीय अभिलेखों और लेखा-पुस्तकों की शुद्धता एवं उपयुक्तता का सत्यापन नहीं किया है।
4. जहाँ आवश्यक हुआ, हमने कानूनों, नियमों एवं विनियमों के अनुपालन तथा घटनाओं आदि के घटित होने के संबंध में प्रबंधन का अभ्यावेदन प्राप्त किया है।
5. कॉरपोरेट तथा अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और मानकों के प्रावधानों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारा परीक्षण नमूना-आधार पर प्रक्रियाओं के सत्यापन तक सीमित था।
6. सचिवीय लेखापरीक्षण रिपोर्ट न तो कंपनी की भविष्य में व्यवहार्य बने रहने की कोई गारंटी है और न ही यह इस बात का आश्वासन है कि प्रबंधन ने कंपनी के कार्यों का संचालन किस प्रभावशीलता या दक्षता के साथ किया है।

कृते - जे. के. गुप्ता एंड एसोसिएट्स

हस्ता./-
जितेश गुप्ता
(अभ्यासकर्ता कंपनी सचिव)
एफ़सीएस क्रमांक: - 3978
सीपी क्रमांक: 2448
सहकर्मी समीक्षा क्रमांक: 6747/2025
यूडीआईएन: F003978H000745279

दिनांक: 04.07.2026
स्थान: दिल्ली

अनुलग्नक III

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड(एनसीआरटीसी)

वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए सीएसआर गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट

1.	कंपनी की सीएसआर नीति की संक्षिप्त रूपरेखा:	एनसीआरटीसी समाज के उत्थान और कल्याण के लिए सीएसआर की अवधारणा के प्रति प्रतिबद्ध है तथा नीति के उद्देश्य निम्नलिखित हैं: 1. हितधारकों की अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए ऐसी गतिविधियों के क्षेत्रों की पहचान करना, जो चयनित क्षेत्रों, परियोजनाओं या कार्यक्रमों में परिणाम-आधारित एवं प्रभाव-केंद्रित हों और जिन्हें एनसीआरटीसी सीएसआर के अंतर्गत संचालित करने की योजना बनाता है। 2. ऐसी सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की कार्य-पद्धति निर्धारित करना। 3. ऐसी सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों की प्रगति की निगरानी करना। 4. उपर्युक्त उद्देश्य के लिए पर्याप्त रूप से सशक्त संगठनात्मक ढाँचा तैयार करना।
2.	सीएसआर समिति का गठन:	

क्र. सं.	निदेशक का नाम	पद / निदेशक के कार्य का स्वरूप	वर्ष के दौरान आयोजित सीएसआर समिति की बैठकों की संख्या	वर्ष के दौरान सीएसआर समिति की बैठकों में उपस्थित बैठकों की संख्या
i.	*श्री एन. सरवणा कुमार, सदस्य सचिव, एनसीआरपीबी (दिनांक 12.02.2026 से प्रभावी)	सदस्य	1	लागू नहीं
ii.	श्री परमजीत सिंह, निदेशक/परियोजनाएं, एनसीआरटीसी (दिनांक 23.04.2025 से प्रभावी)	सदस्य		1
iii.	सुश्री नमिता मेहरोत्रा, निदेशक/वित्त एवं मुख्य वित्त अधिकारी एनसीआरटीसी	सदस्य		1
iv.	सुश्री अर्चना अग्रवाल, सदस्य सचिव, एनसीआरपीबी (15.10.2025 तक)	सदस्य		लागू नहीं

* श्री एन. सरवणा कुमार, भारत सरकार के नामित निदेशक हैं तथा साथ ही एनसीआरपीबी के सदस्य सचिव का अतिरिक्त प्रभार भी संभाल रहे हैं।

3.	कंपनी की वेबसाइट पर सीएसआर समिति के गठन, सीएसआर नीति तथा निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित सीएसआर परियोजनाओं का विवरण उपलब्ध कराने वाले वेब-लिंक प्रदान करें।	https://www.ncrtc.in/csr/
4.	यदि लागू हो, तो नियम 8 के उप-नियम (3) के अनुसरण में की गई सीएसआर परियोजनाओं के प्रभाव आकलन का कार्यकारी सारांश तथा उसके वेब-लिंक प्रदान करें।	लागू नहीं।

(₹ लाख में)

5.	(a)	धारा 135 की उपधारा (5) के अनुसार कंपनी का औसत शुद्ध लाभ	16,169.53
	(b)	धारा 135 की उपधारा (5) के अनुसार कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत	323.39
	(c)	पिछले वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों अथवा गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष	-
	(d)	वित्तीय वर्ष के लिए समायोजित की जाने वाली राशि, यदि कोई हो	-
	(e)	वित्तीय वर्ष के लिए कुल सीएसआर दायित्व [(b)+(c)-(d)]	323.39
6.	(a)	सीएसआर परियोजनाओं पर खर्च की गई राशि (चालू परियोजना तथा चालू परियोजना से भिन्न परियोजनाओं के लिए)	शून्य
	(b)	प्रशासनिक उपरिव्ययों पर खर्च की गई राशि	शून्य
	(c)	प्रभाव आकलन पर खर्च की गई राशि, यदि लागू हो	शून्य
	(d)	वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि [(a)+(b)+(c)]	शून्य

(ङ) वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई या खर्च न की गई सीएसआर राशि:

वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि (₹ लाख में)	खर्च न की गई राशि (₹ लाख में)				
	धारा 135 की उपधारा (6) के अनुसार खर्च न की गई सीएसआर राशि खाते में अंतरित की गई कुल राशि		धारा 135 की उपधारा (5) के दूसरे परंतुक के अनुसार अनुसूची VII में निर्दिष्ट किसी निधि में अंतरित की गई राशि		
	राशि	अंतरण की तारीख	निधि का नाम	राशि	अंतरण की तारीख
शून्य	*323.41	29.01.2026	शून्य	शून्य	शून्य

*यह वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए चालू परियोजना "उत्तर प्रदेश के जिला गाजियाबाद स्थित सरकारी अस्पतालों में विभिन्न चिकित्सा उपकरण एवं उनके सहायक उपकरण उपलब्ध कराना" हेतु आवंटित राशि है, जिसे मार्च 2028 तक खर्च कर परियोजना पूर्ण की जानी है। उक्त खर्च न की गई राशि को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 की उपधारा (6) के अनुसार खर्च न की गई सीएसआर राशि खाते में अंतरित कर दिया गया है।

(f) समायोजन के लिए कुल अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो:

क्रम सं.	विवरण	₹ लाख में
(1)	(2)	(3)
(i)	सेक्शन 135 के सब-सेक्शन (5) के अनुसार कंपनी के औसत नेट प्रॉफ़िट का दो प्रतिशत (यह कैलकुलेशन, ठीक पहले के तीन वित्तीय वर्षों के आधार पर किया गया है और बोर्ड ने इसे मार्च 2028 तक तय सीएसआर गतिविधियों पर खर्च करने के लिए आवंटित किया है)	323.39
(ii)	वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि	शून्य
(iii)	वित्तीय वर्ष में खर्च की गई अतिरिक्त राशि [(ii)-(i)]	शून्य
(iv)	पिछले वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों अथवा गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष, यदि कोई हो	शून्य
(v)	आगामी वित्तीय वर्षों में समायोजन के लिए उपलब्ध राशि [(iii)-(iv)]	शून्य

7. पिछले तीन वित्तीय वर्षों की खर्च न की गई कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व राशि का विवरण:

1	2	3	4	5	6		7	8
क्र. सं.	पिछले वित्तीय वर्ष	धारा 135 की उपधारा (6) के अंतर्गत खर्च न की गई सीएसआर राशि खाते में अंतरित राशि (₹ लाख में)	धारा 135 की उपधारा (6) के अंतर्गत खर्च न की गई सीएसआर राशि खाते में शेष राशि (₹ लाख में)	वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि (₹ लाख में)	धारा 135 की उपधारा (5) के दूसरे परंतुक के अनुसार अनुसूची VII में निर्दिष्ट किसी निधि में अंतरित राशि, यदि कोई हो		आने वाले वित्तीय वर्षों में खर्च की जाने वाली राशि (₹ लाख में)	कमी, यदि कोई हो
					राशि (₹ लाख में)	अंतरण की तारीख		
1	2022-23	97.49	-	-	-	-	-	-
2	2023-24#	151.43##	151.43	-	-	-	151.43	-
3	2024-25	238.91	238.91	-	-	-	238.91	
	कुल	**487.83**	**390.34**	**-**	**-**	**-**	**390.34**	

टिप्पणी:

(i) # वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान सीएसआर परियोजनाओं पर ₹165.75 लाख का कुल व्यय किया गया, जबकि वित्तीय वर्ष 2019-20 से 2022-23 तक की सीएसआर परियोजनाओं से संबंधित ₹165.51 लाख की खर्च न की गई उपलब्ध शेष राशि थी। गाजियाबाद के ग्राम भिकनपुर स्थित राजकीय जूनियर हाई स्कूल में चार कक्षाओं के निर्माण पर ₹0.24 लाख का अतिरिक्त व्यय किया गया। वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए ₹1.48 लाख तथा वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए ₹27.99 लाख (अर्थात कुल ₹29.47 लाख) को 30.04.2021 को खर्च न की गई सीएसआर राशि खाते में अंतरित किया गया था। यह राशि सीएसआर परियोजना अर्थात आधुनिक कृषि पद्धतियों में कौशल विकास/प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए थी।

(ii) ## ₹151.43 लाख (सीएसआर परियोजना-04/2023-24, जिसका शीर्षक "दुहाई, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में आधुनिक कृषि पद्धतियों के प्रदर्शन हेतु अवसंरचना सुविधाओं का विकास" है) वित्तीय वर्ष 2023-24 से संबंधित उपलब्ध खर्च न की गई राशि थी। यह चालू परियोजनाओं से संबंधित है, जिन्हें वित्तीय वर्ष 2023-24 को छोड़कर तीन वर्षों की अवधि में क्रियान्वित किया जाना था और मार्च 2027 तक पूरा किया जाना अपेक्षित था। यह राशि एक अलग बैंक खाते में जमा की गई थी। इसके बाद, 25.02.2025 को निदेशक मंडल ने सीएसआर परियोजना-04/2023-24 में परिवर्तन करते हुए इस परियोजना के लिए पूर्व में निर्धारित सीएसआर बजट को उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद और मेरठ जिलों के सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में [अनुसूची VII के पैरा (ii) – शिक्षा को बढ़ावा देना तथा अनुसूची VII के पैरा (i) – स्वच्छता परियोजनाएं] के अंतर्गत आने वाली नई चालू परियोजनाओं के लिए पुनः आवंटित करने की स्वीकृति दी। इन परियोजनाओं का क्रियान्वयन एनसीआरटीसी द्वारा किया जाएगा और इन्हें मार्च 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

8. क्या वित्तीय वर्ष में खर्च की गई कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व राशि से कोई पूंजीगत परिसंपत्ति बनाई या अर्जित की गई है: नहीं

◯ हाँ ⊘ नहीं

यदि हाँ, तो बनाई/अर्जित की गई पूंजीगत परिसंपत्तियों की संख्या दर्ज करें

वित्तीय वर्ष में खर्च की गई कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व राशि से बनाई या अर्जित की गई ऐसी परिसंपत्ति/परिसंपत्तियों से संबंधित विवरण प्रदान करें:

क्र सं.	संपत्ति अथवा परिसंपत्ति/ परिसंपत्तियों का संक्षिप्त विवरण [संपत्ति का पूर्ण पता एवं स्थान सहित]	संपत्ति या परिसंपत्ति/ परिसंपत्तियों का पिनकोड	निर्माण की तारीख	खर्च की गई सीएसआर राशि	पंजीकृत स्वामी संस्था/प्राधिकरण/लाभार्थी का विवरण		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
					सीएसआर पंजीकरण संख्या, यदि लागू हो	नाम	पंजीकृत पता
शून्य							

9. यदि कंपनी धारा 135 की उपधारा (5) के अनुसार औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत खर्च करने में विफल रही है, तो उसके कारण निर्दिष्ट करें: लागू नहीं

कृते - राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड

	हस्ता./-	हस्ता./-
	नमिता मेहरोत्रा	**शलभ गोयल**
दिनांक: 14.07.2026	निदेशक/वित्त एवं मुख्य वित्त अधिकारी	प्रबंध निदेशक
स्थान: नई दिल्ली	डीआईएन: 07916304	डीआईएन: 08064525



कार्यबल में महिलाओं की महत्वपूर्ण भागीदारी के साथ नमो भारत कर रही महिला नेतृत्व में विकास का मार्ग प्रशस्त

अनुलग्नक-IV

कॉरपोरेट गवर्नेंस पर कंपनी का रिपोर्ट

1. कॉरपोरेट गवर्नेंस के संबंध में निगम के दृष्टिकोण का संक्षिप्त विवरण:

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड **('निगम')** अपने दृष्टिकोण-वक्तव्य के प्रति प्रतिबद्ध है और लोगों को समतावादी, तीव्र, विश्वसनीय, सुरक्षित, सहज, दक्ष एवं सतत गतिशीलता समाधान उपलब्ध कराकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के आर्थिक विकास को सक्षम बनाते हुए उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए प्रयासरत है।

आपका निगम एक गैर-सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी है। निम्नलिखित कॉरपोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट निगम के सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है।

2. निदेशक मंडल:

2.1 निदेशक मंडल का आकार:

निगम के अंतर्नियमों के अनुसार, निदेशक मंडल में निदेशकों की संख्या 3 (तीन) से कम नहीं होगी। ये निदेशक पूर्णकालिक कार्यात्मक निदेशक तथा नामित निदेशक हो सकते हैं। एनसीआरटीसी कंपनी अधिनियम, 2013 **('अधिनियम')** के प्रावधानों के अंतर्गत एक सरकारी कंपनी तथा भारत सरकार [आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय], रेल मंत्रालय) तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड (एनसीआरपीबी)] और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश की सहभागी राज्य सरकारों का संयुक्त उपक्रम है।

2.2 निदेशक मंडल की संरचना:

क. निगम के निदेशक मंडल में 14 (चौदह) निदेशक निम्नानुसार हैं:

i. भारत सरकार से 04 (चार) नामित निदेशक तथा भारत सरकार के सचिव (आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय) पदेन निदेशक मंडल के अध्यक्ष हैं।

ii. राज्य सरकारों से 04 (चार) नामित निदेशक, अर्थात प्रत्येक राज्य सरकार से एक नामित निदेशक, अर्थात राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान।

iii. प्रबंध निदेशक सहित 06 (छह) पूर्णकालिक कार्यकारी निदेशक। प्रबंध निदेशक, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के नामित निदेशक हैं।

ख. 31.03.2026 को निगम के निदेशक मंडल की संरचना निम्नानुसार है:-

क्र सं.	निदेशक का नाम	पदनाम
1	श्री श्रीनिवास कटिकिथला	अध्यक्ष
2	श्री शलभ गोयल	प्रबंध निदेशक, एनसीआरटीसी
3	श्री शिखर अग्रवाल	राजस्थान सरकार के नामित निदेशक
4	श्री अनुराग अग्रवाल	हरियाणा सरकार के नामित निदेशक
5	श्री पी. गुरुप्रसाद	उत्तर प्रदेश सरकार के नामित निदेशक
6	श्री एन. सरवणा कुमार	भारत सरकार के नामित निदेशक
7	श्री कुलदीप नारायण	भारत सरकार के नामित निदेशक
8	सुश्री निहारिका राय	जीएनसीटीडी के नामित निदेशक
9	श्री विवेक कुमार	रेल मंत्रालय के नामित निदेशक
10	श्री महेंद्र कुमार	निदेशक/विद्युत एवं रोलिंग स्टॉक
11	सुश्री नमिता मेहरोत्रा	निदेशक/वित्त एवं सीएफ़ओ
12	श्री मुन्ना कुमार	निदेशक/कार्य
13	श्री परमजीत सिंह	निदेशक/परियोजनाएं

2.3 निदेशक मंडल की भूमिकाएँ एवं उत्तरदायित्व:

निदेशक मंडल निगम का सर्वोच्च शासी निकाय है और निगम के कार्यों एवं परिचालनों की निगरानी करता है। निदेशक मंडल यह सुनिश्चित करता है कि उसकी प्रक्रियाएँ और निर्णय लेने की प्रक्रियाएँ सभी लागू कानूनों, नियमों एवं विनियमों के अनुरूप हों। यह निगम के कॉरपोरेट गवर्नेंस ढाँचे को मजबूत करने, हितधारकों के हितों की रक्षा करने तथा वित्तीय रिपोर्टिंग में पारदर्शिता, जवाबदेही, सत्यनिष्ठा तथा समय पर प्रकटीकरण सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

2.4 निदेशक मंडल की बैठकें:

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान निगम के निदेशक मंडल की चार (04) बैठकें आयोजित हुईं:

क्र सं.	निदेशक मंडल बैठक संख्या	निदेशक मंडल की बैठकों की तिथि	बैठक की तारीख को निदेशकों की कुल संख्या	उपस्थिति	
				उपस्थित निदेशकों की संख्या	उपस्थिति का प्रतिशत
1.	44वीं	04.06.2025	13	9	69.23
2.	45वीं	21.08.2025	13	12	92.30
3.	46वीं	21.11.2025	12	7	58.33
4.	47वीं	09.02.2026	12	9	75

2.5 निदेशकों के पदनाम, श्रेणी, निदेशक मंडल की बैठकों में उपस्थित होने की संख्या तथा निदेशक मंडल की बैठकों और अंतिम वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में उपस्थिति का विवरण, जो वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान आयोजित हुईं, निम्नानुसार है:

क्र सं.	निदेशक का नाम	श्रेणी	निदेशक मंडल की बैठकों में उपस्थित होना अपेक्षित था, उनकी संख्या	निदेशक मंडल की बैठकों में उपस्थिति की संख्या	अंतिम एजीएम (21.08.2025 को आयोजित) में उपस्थिति	अन्य कंपनियों में निदेशक पदों की संख्या
1.	श्री श्रीनिवास कटिकिथला अध्यक्ष, एनसीआरटीसी एवं सचिव, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय	भारत सरकार के नामित निदेशक	4	4	हाँ	9
2.	श्री शलभ गोयल	प्रबंध निदेशक	4	4	हाँ	2
3.	सुश्री अर्चना अग्रवाल निदेशक, एनसीआरटीसी एवं सदस्य सचिव, एनसीआरपीबी (15.10.2025 तक)	एनसीआरपीबी की नामित निदेशक	2	2	हाँ	लागू नहीं
4.	श्री एन सरवणा कुमार उपाध्यक्ष, डीडीए एवं सदस्य सचिव/ एनसीआरपीबी का अतिरिक्त प्रभार (12.02.2026 से प्रभावी)	भारत सरकार के नामित निदेशक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	2
5.	श्री कुलदीप नारायण संयुक्त सचिव (एचएफए) आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय	भारत सरकार के नामित निदेशक	4	4	हाँ	4

क्र सं.	निदेशक का नाम	श्रेणी	निदेशक मंडल की बैठकों में उपस्थित होना अपेक्षित था, उनकी संख्या	निदेशक मंडल की बैठकों में उपस्थिति की संख्या	अंतिम एजीएम (21.08.2025 को आयोजित) में उपस्थिति	अन्य कंपनियों में निदेशक पदों की संख्या
6.	श्री दिनेश कुमार निदेशक, एनसीआरटीसी एवं अतिरिक्त सदस्य/भूमि एवं सुविधाएं, रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड),भारत सरकार (30.04.2025 तक)	रेल मंत्रालय के नामित निदेशक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
7.	श्री विवेक कुमार निदेशक, एनसीआरटीसी एवं ईडी/जीएस/सिविल-II, रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड), भारत सरकार (19.06.2025 से प्रभावी)	रेल मंत्रालय के नामित निदेशक	3	1	हाँ	1
8.	श्री पी गुरुप्रसाद निदेशक एनसीआरटीसी एवं अपर मुख्य सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश	उ.प्र. सरकार के नामित निदेशक	4	1	हाँ	3
9.	श्री अपूर्व कुमार सिंह निदेशक एनसीआरटीसी एवं अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगर एवं ग्रामीण नियोजन एवं शहरी संपदा विभाग, हरियाणा (19.03.2026 तक)	हरियाणा सरकार के नामित निदेशक	4	1	नहीं	लागू नहीं
10.	श्री अनुराग अग्रवाल, आईएएस निदेशक, एनसीआरटीसी एवं मुख्य सचिव, नगर एवं ग्रामीण नियोजन एवं शहरी संपदा विभाग हरियाणा (20.03.2026 से प्रभावी)	हरियाणा सरकार के नामित निदेशक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	5
11.	श्री शिखर अग्रवाल निदेशक एनसीआरटीसी एवं अतिरिक्त मुख्य सचिव, उद्योग एवं डीएमआईसी, राजस्थान सरकार (15.01.2026 से प्रभावी)	राजस्थान सरकार के नामित निदेशक	1	1	लागू नहीं	6
12.	श्री अजीताभ शर्मा निदेशक एनसीआरटीसी एवं प्रधान सचिव, उद्योग एवं डीएमआईसी, राजस्थान (22.06.2025 तक)	राजस्थान सरकार के नामित निदेशक	1	0	लागू नहीं	लागू नहीं
13.	श्री आलोक गुप्ता, निदेशक एनसीआरटीसी एवं प्रधान सचिव, उद्योग एवं डीएमआईसी, राजस्थान (17.07.2025 से 15.01.2026 तक)	राजस्थान सरकार के नामित निदेशक	2	1	हाँ	लागू नहीं



क्र सं.	निदेशक का नाम	श्रेणी	निदेशक मंडल की बैठकों में उपस्थित होना अपेक्षित था, उनकी संख्या	निदेशक मंडल की बैठकों में उपस्थिति की संख्या	अंतिम एजीएम (21.08.2025 को आयोजित) में उपस्थिति	अन्य कंपनियों में निदेशक पदों की संख्या
14.	श्री प्रशांत गोयल, निदेशक, एनसीआरटीसी एवं अतिरिक्त मुख्य सचिव-सह-आयुक्त (परिवहन), जीएनसीटीडी (16.05.2025 तक)	जीएनसीटीडी के नामित निदेशक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
15.	सुश्री निहारिका राय निदेशक, एनसीआरटीसी एवं सचिव-सह-आयुक्त (परिवहन), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (22.05.2025 से)	जीएनसीटीडी के नामित निदेशक	4	1	हाँ	6
16.	श्री महेंद्र कुमार	निदेशक/ ईएंडआरएस	4	4	हाँ	2
17.	श्री नवनीत कौशिक (30.06.2025 तक)	निदेशक/ प्रणाली और संचालन	1	1	लागू नहीं	लागू नहीं
18.	सुश्री नमिता मेहरोत्रा	निदेशक/ वित्त एवं सीएफ़ओ	4	4	हाँ	3
19.	श्री मुन्ना कुमार	निदेशक, कार्य	4	4	हाँ	2
20.	श्री परमजीत सिंह (23.04.2025 से)	निदेशक, परियोजनाएं	4	4	हाँ	2

2.6 निदेशक मंडल की कार्यवाहियाँ:

क. बोर्ड/समिति की बैठकें, बोर्ड/समिति के चेयरमैन की मंज़ूरी लेने के बाद उचित नोटिस देकर बुलाई जाती हैं। सभी महत्वपूर्ण मामलों के लिए विस्तृत कार्यसूची नोट्स, साथ ही विस्तृत प्रस्ताव, सहायक कागजात और अन्य स्पष्टीकरण वाले बयान, सभी बोर्ड सदस्यों को पहले से ही भेजे जाते हैं। इससे बैठकों में सार्थक, जानकारीपूर्ण और केंद्रित चर्चा और निर्णय लेने में आसानी होती है।

ख. कार्यसूची के कागजात संबंधित विभाग प्रमुखों द्वारा तैयार किए जाते हैं और मैनेजिंग डायरेक्टर को मंज़ूरी के लिए भेजने से पहले संबंधित फंक्शनल डायरेक्टरों को उनकी सहमति और मंज़ूरी के लिए भेजे जाते हैं। इसके बाद, विधिवत मंज़ूर किए गए कार्यसूची कागजात कंपनी सेक्रेटरी द्वारा बोर्ड सदस्यों को भेजे जाते हैं। विशेष और असाधारण परिस्थितियों में, बोर्ड के चेयरमैन की अनुमति से कार्यसूची में अतिरिक्त या पूरक मदें चर्चा के लिए लिए जाते हैं।

ग. **प्रबंध निदेशक द्वारा जानकारी देना:**

बोर्ड की प्रत्येक बैठक की शुरुआत में, प्रबंध निदेशक बोर्ड सदस्यों को मुख्य घटनाक्रमों के बारे में जानकारी देते हैं, जिसमें परियोजना की स्थिति और विभिन्न क्षेत्रों में कॉर्पोरेशन से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण उपलब्धियां/घटनाक्रम शामिल हैं।

घ. **बोर्ड बैठक की कार्यवाही का कार्यवृत्त (विवरण) रिकॉर्ड करना:**

बोर्ड बैठक के कार्यवृत्त, कंपनीज़ एक्ट, 2013 के प्रावधानों और लागू सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स के अनुसार भेजे जाते हैं। प्रत्येक बोर्ड बैठक की

कार्यवाही के कार्यवृत्त रिकॉर्ड किए जाते हैं और चेयरमैन द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित कार्यवृत्त बुक में दर्ज किए जाते हैं। बोर्ड समिति की बैठकों के कार्यवृत्त भी रिकॉर्ड किए जाते हैं और चेयरमैन की मंज़ूरी और हस्ताक्षर के बाद सदस्यों को भेजे जाते हैं।

ड. **बोर्ड बैठक के समक्ष रखी गई जानकारी:**

बोर्ड को कॉर्पोरेशन के भीतर किसी भी जानकारी तक पूरी पहुँच होती है। बोर्ड को नियमित रूप से दी जाने वाली जानकारी में शामिल हैं: -

i. कॉर्पोरेशन की प्रगति की समय-समय पर समीक्षा।

ii. वार्षिक रिपोर्ट, डायरेक्टर्स की रिपोर्ट आदि।

iii. बोर्ड, ऑडिट समिति और बोर्ड की अन्य समितियों की बैठकों के कार्यवृत्त।

iv. अन्य कंपनियों में डायरेक्टरशिप और पद के बारे में निदेशकों द्वारा हितों का खुलासा।

v. अधिकारों का प्रत्यायोजन।

vi. अन्य महत्वपूर्ण जानकारी।

2.7 निदेशक मंडल की बैठक के बाद की प्रक्रिया:

निगम के कंपनी सचिव, गवर्नेंस प्रक्रिया के एक भाग के रूप में, निदेशक मंडल की बैठक के परिणामों तथा प्रदान की गई आवश्यक स्वीकृतियों एवं अनुमतियों/प्राधिकरणों को विभागाध्यक्षों तक पहुँचाते हैं। बैठक के बाद अनुपालन तंत्र के माध्यम से निदेशक मंडल/समितियों द्वारा दी गई स्वीकृति के संबंध में की गई/लंबित कार्रवाइयों के आवश्यक अनुवर्ती कार्य, समीक्षा और रिपोर्टिंग की जाती है।

2.8. निदेशकों एवं प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक:

प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक कार्यकारी निदेशकों तथा प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के पारिश्रमिक का विवरण वार्षिक विवरणी (फार्म संख्या एमजीटी-7) में दिया गया है और इसे निगम की वेबसाइट पर रखा गया है।

2.9. सरकारी नामित निदेशकों को बैठक शुल्क का भुगतान:

निगम द्वारा सरकारी नामित निदेशकों को कोई बैठक शुल्क नहीं दिया जाता है।

3. निदेशक मंडल की समितियाँ:

कंपनी में निदेशक मंडल स्तर की निम्नलिखित तीन (3) समितियाँ हैं:-

क. लेखापरीक्षा समिति;

ख. निवेश समिति;

ग. कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति।

4. लेखापरीक्षा समिति:

4.1 संदर्भ-शर्तों का संक्षिप्त विवरण:

लेखापरीक्षा समिति की संदर्भ-शर्तें एवं कार्य कंपनी अधिनियम, 2013 तथा लागू नियमों के अनुरूप हैं, जिनमें वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की निगरानी, लेखापरीक्षकों की फीस निर्धारित करने की सिफारिश, प्रदान की गई अन्य सेवाओं के लिए लेखापरीक्षकों को भुगतान की स्वीकृति, वार्षिक वित्तीय विवरणों की समीक्षा, वैधानिक/आंतरिक लेखापरीक्षकों के कार्य-निष्पादन तथा आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता की समीक्षा, आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य की पर्याप्तता की समीक्षा, आंतरिक लेखापरीक्षकों के साथ चर्चा, आंतरिक जाँच के निष्कर्षों की समीक्षा तथा वैधानिक लेखापरीक्षकों के साथ चर्चा शामिल है।

4.2 गठन, संरचना, सदस्यों एवं अध्यक्ष का नाम:

क. आपके निगम ने 15.09.2015 से अपने निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति का गठन किया था और वर्तमान लेखापरीक्षा समिति में तीन नामित निदेशक हैं। इसकी संरचना, गणपूर्ति, शक्तियाँ, भूमिका एवं कार्यक्षेत्र कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 तथा लागू नियमों के अनुरूप हैं। कंपनी सचिव लेखापरीक्षा समिति के सचिव हैं। वर्ष 2025-26 के दौरान लेखापरीक्षा समिति की निम्नलिखित बैठक आयोजित हुई:



क्र सं.	लेखापरीक्षा समिति बैठक संख्या	बैठक की तिथि	बैठक की तिथि को सदस्यों की कुल संख्या	उपस्थिति	
				उपस्थित सदस्यों की संख्या	उपस्थिति का प्रतिशत
1.	18th	03.06.2025	2	2	100%

ख. वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए ऑडिट कमिटी का गठन, बैठकें, पदनाम और उपस्थिति इस प्रकार है:

क्र सं.	नाम	पद का नाम	उनके कार्यकाल के दौरान हुई बैठकें	बैठक में उपस्थित लोगों की संख्या
1.	श्री एन सरवणा कुमार निदेशक, एनसीआरटीसी, उपाध्यक्ष डीडीए और सदस्य सचिव, एनसीआरपीबी का अतिरिक्त प्रभार (12.02.2026 से प्रभावी)	सदस्य	लागू नहीं	लागू नहीं
2.	सुश्री अर्चना अग्रवाल निदेशक, एनसीआरटीसी और सदस्य सचिव, एनसीआरपीबी (15.10.2025 तक)	सदस्य	1	1
3.	श्री विवेक कुमार निदेशक, एनसीआरटीसी और ईडी/जीएस/सिविल-II, रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड), भारत सरकार (19.06.2025 से प्रभावी)	सदस्य	लागू नहीं	लागू नहीं
4.	सुश्री निहारिका राय निदेशक, एनसीआरटीसी और सचिव-सह-आयुक्त (परिवहन), जीएनसीटीडी (22.05.2025 से प्रभावी)	सदस्य	1	1
5.	श्री प्रशांत गोयल निदेशक, एनसीआरटीसी और अतिरिक्त मुख्य सचिव-सह-आयुक्त (परिवहन), जीएनसीटीडी (16.05.2025 तक)	सदस्य	लागू नहीं	लागू नहीं
6.	श्री दिनेश कुमार निदेशक, एनसीआरटीसी और अतिरिक्त सदस्य / भूमि और सुविधाएं, रेलवे बोर्ड, रेल मंत्रालय (30.04.2025 तक)	सदस्य	लागू नहीं	लागू नहीं

5. निवेश समिति:

5.1 संदर्भ की शर्तें: निवेश समिति, कॉर्पोरेशन की निवेश नीति के प्रावधानों के अनुसार अतिरिक्त फंड के निवेश की जांच करती है और सिफारिशें करती है।

5.2 बैठकों की संख्या: वर्ष के दौरान, निवेश समिति की तीन (03) बैठकें हुईं।

क्र सं.	निवेश समिति बैठक संख्या	बैठक की तिथि	बैठक की तिथि को सदस्यों की कुल संख्या	उपस्थिति	
				उपस्थित सदस्यों की संख्या	उपस्थिति का प्रतिशत
1.	44वीं	23.07.2025	3	3	100%
2.	45वीं	25.10.2025	2	2	100%
3.	46वीं	28.03.2026	4	3	75%

5.3 वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए निवेश समिति के सदस्यों की संरचना, पदनाम तथा बैठक में उपस्थिति निम्नानुसार है:

क्र सं.	नाम	पद का नाम	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	उपस्थित बैठकों की संख्या
1.	सुश्री अर्चना अग्रवाल निदेशक, एनसीआरटीसी और सदस्य सचिव, एनसीआरपीबी (15.10.2025 तक)	सदस्य	1	1
2.	श्री एन सरवणा कुमार निदेशक, एनसीआरटीसी, उपाध्यक्ष डीडीए और सदस्य सचिव, एनसीआरपीबी का अतिरिक्त प्रभार (12.02.2026 से प्रभावी)	सदस्य	1	0
3.	श्री शलभ गोयल प्रबंध निदेशक, एनसीआरटीसी	सदस्य	3	3
4.	श्री परमजीत सिंह निदेशक/परियोजनाएं, एनसीआरटीसी (23.04.2025 से प्रभावी)	सदस्य	3	3
5.	सुश्री नमिता मेहरोत्रा निदेशक/वित्त, एनसीआरटीसी	सदस्य	1	1
6.	श्री मुन्ना कुमार निदेशक/कार्य, एनसीआरटीसी एवं निदेशक/परियोजनाएं का अतिरिक्त प्रभार, (22.04.2025 तक)	सदस्य	लागू नहीं	लागू नहीं

6. कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) समिति:

6.1 संदर्भ की शर्तें: सीएसआर समिति के संदर्भ की शर्तें कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 और लागू नियमों के अनुसार हैं।

6.2 बैठक की संख्या:- वर्ष के दौरान एक (01) सीएसआर समिति की बैठक [(11वीं) - 15.11.2025] को आयोजित की गई थी।

क्र सं.	सीएसआर समिति बैठक संख्या	बैठक की तिथि	बैठक की तिथि को सदस्यों की कुल संख्या	उपस्थिति	
				उपस्थित सदस्यों की संख्या	उपस्थिति का प्रतिशत
1.	11वीं	15.11.2025	2	2	100%

6.3 वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए सीएसआर (CSR) समिति के सदस्यों की संरचना, पदनाम और बैठकों में उपस्थिति का विवरण निम्नानुसार है: -

क्र सं.	नाम	पदनाम	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	उपस्थित बैठकों की संख्या
1.	सुश्री अर्चना अग्रवाल निदेशक, एनसीआरटीसी एवं सदस्य सचिव, एनसीआरपीबी (15.10.2025 तक)	सदस्य	लागू नहीं	लागू नहीं
2.	श्री एन. सरवणा कुमार निदेशक, एनसीआरटीसी उपाध्यक्ष डीडीए एवं अतिरिक्त प्रभार सदस्य सचिव, एनसीआरपीबी (12.02.2026 से)	सदस्य	लागू नहीं	लागू नहीं
3.	सुश्री नमिता मेहरोत्रा निदेशक/वित्त एवं सीएफओ, एनसीआरटीसी	सदस्य	1	1

क्र सं.	नाम	पदनाम	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	उपस्थित बैठकों की संख्या
4.	श्री परमजीत सिंह निदेशक/परियोजनाएं, एनसीआरटीसी (23.04.2025 से)	सदस्य	1	1

7. सांविधिक लेखा परीक्षक:

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सी एंड एजी) ने वर्ष 2025-26 के लिए निगम के सांविधिक लेखा परीक्षक के रूप में निम्नलिखित चार्टर्ड एकाउंटेंट फर्म को नियुक्त किया है:

मैसर्स श्याम सुंदर सिंघल एंड कंपनी, फर्म पंजीकरण संख्या 000544एन, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, नई दिल्ली

वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए सांविधिक लेखा परीक्षा शुल्क ₹ 2,40,000/- (रुपये दो लाख चालीस हजार मात्र) तथा उस पर लागू कर (कर अतिरिक्त) था।

8. आम बैठकें (जीएम):

विगत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान आयोजित निगम की सामान्य बैठकों का विवरण निम्नानुसार है:

एजीएम की संख्या	वित्तीय वर्ष	दिनांक	समय	स्थान	पारित विशेष प्रस्ताव
12वीं वार्षिक आम बैठक	2024-25	21.08.2025	03:30 अपराह्न	सम्मेलन कक्ष, होटल तोरण, वडनगर, गुजरात-384355	नहीं
11वीं वार्षिक आम बैठक	2023-24	13.09.2024	10:45 पूर्वाह्न	सम्मेलन कक्ष 123 सी, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011	नहीं
10वीं वार्षिक आम बैठक	2022-23	18.09.2023	12:45 अपराह्न	एनसीआरटीसी पंजीकृत कार्यालय, गतिशक्ति भवन, आईएनए, नई दिल्ली-110023	नहीं

9. प्रकटीकरण:

क. लागू कानूनों के तहत आवश्यक सांविधिक प्रकटीकरण निदेशक मंडल की रिपोर्ट में शामिल किए गए हैं।

ख. **बोर्ड सदस्यों के लिए परिचयात्मक कार्यक्रम:** नए निदेशकों को निगम के कॉर्पोरेट ब्रोशर, वार्षिक रिपोर्ट, संस्था के मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, समितियों की सूची, निदेशकों की सूची तथा शेयरधारकों की सूची प्रदान की जाती है।

ग. एनसीआरटीसी कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत एक सरकारी कंपनी है और यह भारत सरकार (आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, रेल मंत्रालय और एनसीआरपीबी) तथा दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की सहभागी राज्य सरकारों का एक संयुक्त उपक्रम है। आपके निगम के पास इक्विटी शेयर हैं और निगम की अधिकृत एवं चुकता पूंजी ₹ 100 करोड़ है।

घ. **स्वेट इक्विटी शेयर और स्टॉक विकल्प:** आपके निगम ने अपने निदेशकों/कर्मचारियों को कोई भी स्वेट इक्विटी शेयर और स्टॉक विकल्प जारी नहीं किए हैं।

ङ. **संचार के माध्यम:** वार्षिक वित्तीय विवरण, निविदाएं (टेंडर्स), और करियर के अवसर आदि निगम की वेबसाइट पर उपलब्ध कराए जाते हैं। निगम अपने जनसंपर्क विभाग के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट

और सोशल मीडिया में आधिकारिक प्रेस विज्ञप्तियों के माध्यम से हितधारकों के साथ संवाद स्थापित करता है। निगम के सोशल मीडिया पेजों को क्रमशः https://www.linkedin.com/company/ncrtc/, https://www.youtube.com/ncrtc, https://www.instagram.com/ncrtc_official/, ट्विटर (Twitter) और फेसबुक (Facebook) पर देखा जा सकता है।

च. **निगम की वेबसाइट पर सूचनाओं का प्रकाशन:** निगम की वेबसाइट www.ncrtc.in एक उपयोगकर्ता के अनुकूल वेबसाइट है, जिसमें सभी नवीनतम विकास और जानकारियां शामिल हैं।

छ. निगम की वार्षिक रिपोर्ट जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ वित्तीय विवरण (एकल एवं समेकित), निदेशक मंडल की रिपोर्ट, स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट और भारत के सीएंडएजी की टिप्पणियां शामिल हैं, कंपनी अधिनियम, 2013 में वर्णित अनुसार सभी सदस्यों और अन्य पात्र व्यक्तियों के बीच वितरित की जाती हैं तथा आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखी जाती हैं।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड

हस्ता./-
नमिता मेहरोत्रा
निदेशक/वित्त एवं मुख्य वित्त अधिकारी
डीआईएन: 07916304

हस्ता./-
शलभ गोयल
प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 08064525

दिनांक: 14.07.2026
स्थान: नई दिल्ली



संपूर्ण नमो भारत कॉरिडोर के चरणबद्ध परिचालन के कुछ ही समय में 4.5 करोड़ से अधिक कम्यूटर जर्नी का माइलस्टोन पार

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

सेवा में
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड के सदस्य
नई दिल्ली

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा रिपोर्ट

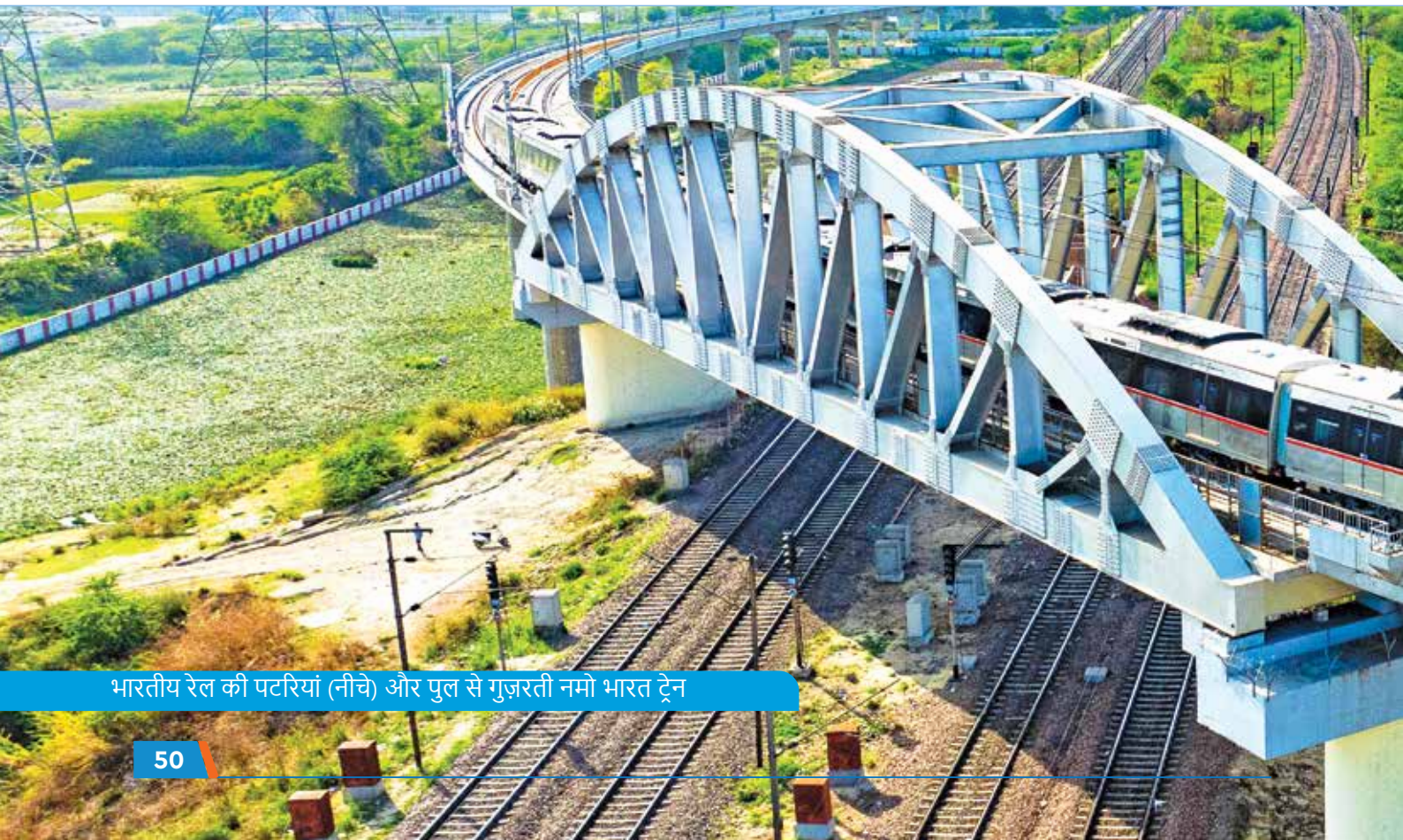
अभिमत

हमने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड ("कंपनी") के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों का लेखा परीक्षा किया है, जिसमें 31 मार्च 2026 को उस तारीख को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए तुलन पत्र, लाभ और हानि का विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), इक्विटी में परिवर्तन का विवरण और नकदी प्रवाह का विवरण शामिल है, और स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के नोट्स जिसमें सामग्री लेखांकन नीति संबंधी जानकारी और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी का सारांश शामिल हैं।

हमारे मत में और हमारी जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के आधार पर, उपर्युक्त स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण, कंपनी अधिनियम ("अधिनियम") के तहत आवश्यक जानकारी उसी प्रकार प्रदान करता है जैसा कि अपेक्षित है और यह कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015, यथासंशोधित, ("आईएनडी एएस") के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 और भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत अन्य लेखांकन सिद्धांतों के तहत निर्धारित भारतीय लेखांकन मानक के अनुरूप कंपनी के 31 मार्च 2026 तक की स्थिति के अनुसार और उस तारीख को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए लाभ सहित (अन्य व्यापक आय), नकदी प्रवाह और इसके इक्विटी में परिवर्तन के मामलों की स्थिति का एक सही और निष्पक्ष विवरण प्रदान करता है।

अभिमत का आधार

हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखापरीक्षा मानकों (एसए) के अनुसार लेखापरीक्षा किया। इन मानकों के अंतर्गत हमारे उत्तरदायित्वों का विस्तृत विवरण हमारी रिपोर्ट के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक का उत्तरदायित्व भाग में दिया गया है। हम भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान ("आईसीएआई") द्वारा जारी आचार संहिता और अधिनियम एवं उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के तहत स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा से संबंधित नैतिक आवश्यकताओं के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र हैं, और हमने इन आवश्यकताओं तथा आईसीएआई की आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक उत्तरदायित्वों का भी निर्वाह किया है। हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य वित्तीय



भारतीय रेल की पटरियां (नीचे) और पुल से गुज़रती नमो भारत ट्रेन

विवरणों पर हमारी लेखापरीक्षा अभिमत के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

मामले पर जोर

1. हम वित्तीय विवरणों के टिप्पणी 5.1(i) की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, जिसमें दिल्ली और मेरठ को जोड़ने वाले 82.15 किमी लंबे नमो भारत रिजनल रेपिड ट्रांज़िट सिस्टम (आरआरटीएस) कॉरिडोर के सफलतापूर्वक पूर्ण होने, चरणबद्ध रूप से चालू किए जाने तथा तत्पश्चात् पूंजीकृत किए जाने का विवरण दिया गया है।

   इसके पूर्ण एकीकरण से पूर्व, देश में 180 किमी प्रति घंटा की अभिकल्पित गति के परिचालन की शुरुआत के लिए, पारगमन प्रणाली में प्रयुक्त अत्याधुनिक एवं अपनी तरह की पहली रेल-आधारित प्रौद्योगिकियों का कठोरतापूर्वक परीक्षण एवं सत्यापन करने हेतु, कॉरिडोर के विभिन्न भागों को दिनांक 21.10.2023, 08.03.2024, 18.08.2024 तथा 05.01.2025 को अलग-अलग चरणों में परिचालित किया गया। संपूर्ण कॉरिडोर के लिए मेट्रो रेल सुरक्षा आयुक्त (सीएमआरएस) से दिनांक 14 अगस्त 2025 को औपचारिक प्रमाणन प्राप्त होने के पश्चात् परियोजना ने व्यापक परिचालन तत्परता प्राप्त कर ली। परिणामस्वरूप, कंपनी ने लागू वित्तीय रिपोर्टिंग ढाँचे और लेखांकन मानकों के पूर्ण अनुपालन में दिनांक 14 अगस्त 2025 को परियोजना के कुल व्यय को पूंजीकृत किया। अंततः, संपूर्ण कॉरिडोर को दिनांक 22.02.2026 को परिचालित कर दिया गया है।

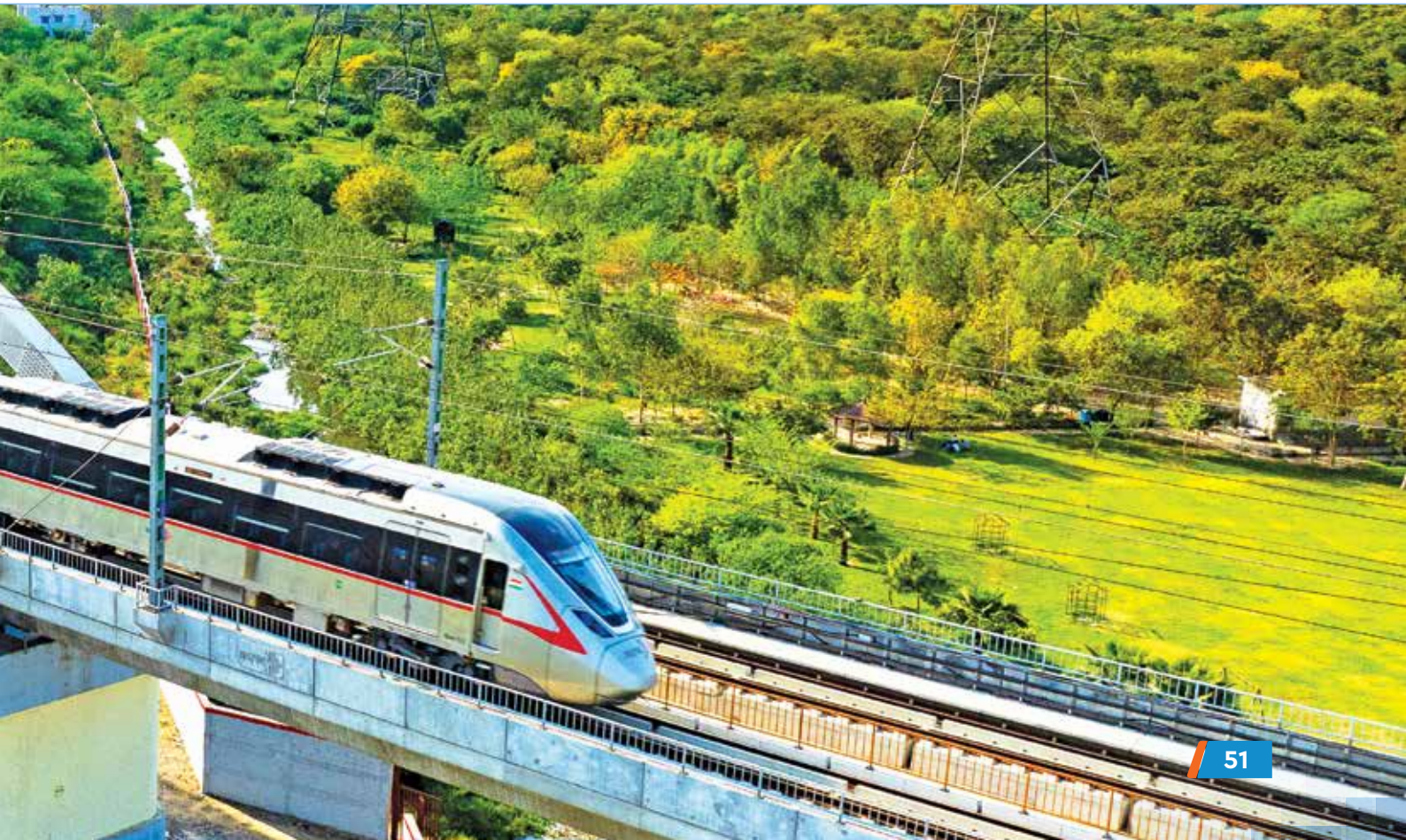
2. टिप्पणी संख्या 8 में दिए गए व्याख्यात्मक नोट में उल्लेख किया गया है कि दिनांक 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए आस्थगित कर परिसंपत्ति को मान्यता नहीं दी गई है। इसके अतिरिक्त, भविष्य में पर्याप्त करयोग्य लाभ उपलब्ध होने के संबंध में विद्यमान अनिश्चितता को ध्यान में रखते हुए, दिनांक 31 मार्च 2025 तक मान्यता प्राप्त आस्थगित कर परिसंपत्तियों (नेट) की वहन राशि को चालू वर्ष में अमान्य कर दिया गया है, ताकि आस्थगित कर परिसंपत्तियों के लाभ का उपयोग किया जा सके।

   उपर्युक्त मामलों के संबंध में हमारी राय अपरिवर्तित है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों और उन पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के अतिरिक्त अन्य जानकारी

कंपनी के निदेशक मंडल, अन्य जानकारी तैयार करने के लिए जिम्मेदार हैं। अन्य जानकारी में बोर्ड की रिपोर्ट में शामिल जानकारी, जिसमें बोर्ड की रिपोर्ट के अनुलग्नक और कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट शामिल हैं, लेकिन इसमें स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण और उस पर हमारी लेखा परीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है, जिसके इस लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की तारीख के बाद हमें उपलब्ध कराए जाने की उम्मीद है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर हमारे अभिमत में अन्य



जानकारी शामिल नहीं है और हम उस पर किसी भी प्रकार का आश्वासन निष्कर्ष व्यक्त नहीं करेंगें।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के हमारे लेखा परीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी है कि जब ऊपर बताई गई अन्य जानकारी उपलब्ध हो तो उसे पढ़ें और ऐसा करते समय, इस बात पर विचार करें कि क्या अन्य जानकारी स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों या हमारे लेखा परीक्षा के दौरान प्राप्त ज्ञान के साथ किस हद तक असंगत है या अन्यथा किस हद तक गलत बताई गई प्रतीत होती है।

यदि हमारे द्वारा किए गए कार्य के आधार पर हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इस अन्य जानकारी में कोई महत्वपूर्ण गलत बयानी है, तो हमें उस तथ्य की रिपोर्ट करने की आवश्यकता है। इस संबंध में हमारे पास रिपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

कंपनी के निदेशक मंडल अधिनियम की धारा 134(5) में उल्लिखित मामलों के लिए उत्तरदायी है, जो कि इन स्टैंडअलोन के वित्तीय विवरणों की तैयारी से संबंधित हैं, जो कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन, इक्विटी में परिवर्तन और नकदी प्रवाह का सही और निष्पक्ष विवरण प्रस्तुत करते हैं, जो भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) और भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत अन्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार हैं। इस उत्तरदायित्व में कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं की रोकथाम एवं उसका पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा अभिलेखों का रखरखाव; उपयुक्त लेखा नीतियों का चयन एवं अनुप्रयोग; उचित एवं विवेकपूर्ण निर्णय एवं अनुमान लगाना; तथा पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का निर्माण, कार्यान्वयन एवं रखरखाव शामिल है, जो वित्तीय विवरणों की तैयारी एवं प्रस्तुति से संबंधित लेखा अभिलेखों की सटीकता एवं पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से कार्य कर रहे हों, ताकि स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों का सही और सटीक रूप प्रस्तुत हो और वे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हुई किसी भी प्रकार की महत्वपूर्ण गलत बयानों से मुक्त हों।

वित्तीय विवरण तैयार करते समय, प्रबंधन कंपनी की निरंतर संचालन क्षमता का आकलन करने, लागू होने पर संचालन से संबंधित मामलों का खुलासा करने और संचालन के आधार पर लेखांकन करने के लिए उत्तरदायी है, जब तक कि प्रबंधन कंपनी को परिसमाप्त करने या संचालन बंद करने का उद्देश्य न रखता हो, या उसके पास ऐसा करने के अलावा कोई व्यावहारिक विकल्प न हो।

निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए उत्तरदायी हैं।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक का उत्तरदायित्व

हमारा उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण समग्र रूप से धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण किसी भी प्रकार की महत्वपूर्ण गलत बयानों से मुक्त हैं, और एक लेखापरीक्षक के रिपोर्ट को जारी करना है जिसमें हमारा अभिमत शामिल हो। उचित आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि एसए के अनुसार की गई लेखापरीक्षा में हमेशा महत्वपूर्ण गलत बयानों का पता लग जाएगा। गलत बयान धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो सकती हैं और इन्हें महत्वपूर्ण माना जाता है यदि, व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से, उपयोगकर्ताओं द्वारा इन वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए आर्थिक निर्णयों पर उचित रूप से प्रभाव पड़ने की उम्मीद है।

एसए के अनुसार लेखा परीक्षा के भाग के रूप में, हम पूरे लेखापरीक्षा के दौरान पेशेवर विवेक का प्रयोग करते हैं और पेशेवर संशय बनाए रखते हैं। हम निम्नलिखित का भी ध्यान रखते हैं:

- वित्तीय विवरणों में धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण होने वाली महत्वपूर्ण गलत बयानों के जोखिमों की पहचान और मूल्यांकन करना, उन जोखिमों के अनुरूप लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को तैयार करना और उनका निष्पादन करना, तथा हमारे अभिमत का आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करना। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप होने वाली महत्वपूर्ण गलत बयानों का पता न लगा पाने की जोखिम त्रुटि के परिणामस्वरूप होने वाली जोखिम की तुलना में अधिक होती है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, मिथ्या प्रस्तुति या आंतरिक नियंत्रण का उल्लंघन शामिल हो सकता है।
- लेखापरीक्षा से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना ताकि परिस्थितियों के अनुरूप उपयुक्त लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं तैयार की जा सकें। अधिनियम की धारा 143(3)(i) के तहत, कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली मौजूद है या नहीं और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता पर अपना मत व्यक्त करना भी हमारा उत्तरदायित्व है।

- प्रबंधन द्वारा अपनाई गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और लेखांकन अनुमानों तथा संबंधित खुलासों की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करना।
- लेखापरीक्षा प्रणाली के प्रबंधन द्वारा उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकालना और प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्यों के आधार पर यह निर्धारित करना कि क्या ऐसी कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद है जो उन घटनाओं या स्थितियों से संबंधित है जिनसे कंपनी की निरंतर संचालन क्षमता पर गंभीर संदेह उत्पन्न हो सकता है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में संबंधित खुलासों की ओर ध्यान आकर्षित करना होगा या, यदि ऐसे खुलासे अपर्याप्त हैं, तो अपने अभिमत में संशोधन करना होगा। हमारे निष्कर्ष हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्यों पर आधारित हैं। हालांकि, भविष्य की घटनाओं या स्थितियों के कारण कंपनी को निरंतर संचालन बंद करना पड़ सकता है।
- वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन करना, जिसमें खुलासे भी शामिल हैं, और यह भी देखना कि क्या स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण ने अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं को इस प्रकार से प्रस्तुत किया है जिससे निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त हो सके।

हम लेखापरीक्षा के नियोजित दायरे और समय-सीमा के साथ-साथ महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों, जिनमें आंतरिक नियंत्रण में पाई जाने वाली कोई भी महत्वपूर्ण कमियां शामिल हैं, के संबंध में प्रशासन के प्रभारियों के साथ बातचीत की है।

हम प्रशासन के प्रभारियों को यह बयान भी प्रदान करते हैं कि हमने स्वतंत्रता से संबंधित प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है, और उनके साथ उन सभी संबंधों और अन्य मामलों के बारे में बताया है जिन्हें हमारी स्वतंत्रता पर उचित रूप से प्रभाव डालने वाला माना जा सकता है, और जहां लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपायों के बारे में भी जानकारी दी है।

अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. भारत सरकार द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उपधारा (11) के तहत जारी कंपनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 ("आदेश") के अनुसार, हम **अनुलग्नक क** में आदेश के अनुच्छेद 3 और 4 में विनिर्दिष्ट मामलों पर विवरण प्रदान करते हैं।
2. अधिनियम की धारा 143(3) के अनुसार, हमारे लेखा परीक्षा के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं कि:

क) हमने अपने लेखा परीक्षा के उद्देश्यों के लिए आवश्यक सभी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं, जो हमारे ज्ञान और विश्वास के अनुसार आवश्यक थे;

ख) हमारे मत में, कंपनी द्वारा कानून के अनुसार अपेक्षित उचित लेखा-पुस्तकों का रखरखाव किया गया है, जैसा कि उन पुस्तकों की हमारी जांच से प्रतीत होता है;

ग) इस रिपोर्ट में वर्णित तुलन पत्र, अन्य व्यापक आय सहित लाभ और हानि विवरण, इक्विटी में परिवर्तन का विवरण और नकदी प्रवाह का विवरण लेखा पुस्तकों के अनुरूप हैं;

घ) हमारे मत में, उपर्युक्त स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के तहत विनिर्दिष्ट इंड एएस का अनुपालन करते हैं।

ङ) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164(2) के प्रावधान लागू नहीं होंगे क्योंकि कंपनी एक सरकारी कंपनी है।

च) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता के संबंध में जानकारी के लिए हमारी पृथक रिपोर्ट **"अनुलग्नक ख"** में देखें।

छ) कंपनी (लेखापरीक्षा एवं लेखा परीक्षक) नियम, 2014, यथासंशोधित के नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारे अभिमत में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार:

- कंपनी ने अपने वित्तीय विवरणों में लंबित मुकदमों के प्रभाव का खुलासा किया है (नोट 38.2 का अवलोकन करें)।
- कंपनी के पास व्युत्पन्न संविदाएं सहित कोई भी दीर्घकालिक संविदा नहीं थी, जिनके लिए कोई भी महत्वपूर्ण संभावित नुकसान हो सकता था।
- कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष में कोई भी राशि अंतरित करने की आवश्यकता नहीं थी।
- प्रबंधन ने यह दर्शाया है कि, अपनी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, खातों के नोटों में बताई गई बातों के अलावा: -
  I. कंपनी द्वारा किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को (चाहे उधार ली गई धनराशि या शेयर प्रीमियम

या किसी अन्य प्रकार की धनराशि से) कोई धनराशि अग्रिम या उधार या निवेश नहीं की गई है, जिसमें विदेशी संस्था ("मध्यवर्ती संस्थाएं") भी शामिल है, इस समझ के साथ कि मध्यस्थ संस्थाएं, चाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, कंपनी द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं ("अंतिम लाभार्थियों") को उधार या निवेश करेगा या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इस प्रकार का कुछ भी प्रदान करेगा।

II. कंपनी को किसी भी व्यक्ति या संस्था से कोई धनराशि प्राप्त नहीं हुआ है, जिसमें विदेशी संस्था ("वित्तपोषण पक्ष") भी शामिल है, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, कि कंपनी, चाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, वित्तपोषण पक्ष (अंतिम लाभार्थियों) द्वारा या उनकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को ऋण देगी या उनमें निवेश करेगी या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इस प्रकार का कुछ भी प्रदान करेगी।

III. इन परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त समझी गई लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें यह विश्वास हो कि नियम 11(ङ) के उपखंड (i) और (ii) के अंतर्गत दिए गए निरूपणों में, जैसा कि ऊपर (i) और (ii) में बताया गया है, कोई महत्वपूर्ण गलत बयान शामिल है।

- वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा कोई लाभांश घोषित या भुगतान नहीं किया गया है।

ज) कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 3(1) के परंतुक के प्रावधान कंपनी पर केवल 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी हैं; अतः कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11(छ) के अंतर्गत रिपोर्टिंग 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए लागू है।

हमारी जाँच, जिसमें परीक्षण के आधार पर की गई जाँच भी शामिल थी, के आधार पर कंपनी ने अपनी लेखा-पुस्तकें बनाए रखने के लिए ऐसे लेखांकन सॉफ्टवेयर का उपयोग किया है, जिसमें लेखापरीक्षा-अनुसरण (एडिट लॉग) सुविधा उपलब्ध है। उक्त सुविधा का उपयोग सॉफ्टवेयर में दर्ज सभी लेन-देन के लिए पूरे वर्ष किया गया है और लेखापरीक्षा-अनुसरण सुविधा के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। साथ ही, अभिलेखों के परिरक्षण से संबंधित वैधानिक अपेक्षाओं के अनुसार कंपनी द्वारा लेखापरीक्षा-अनुसरण को सुरक्षित रखा गया है।

झ) भारत सरकार के कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जीएसआर 463 (ई) दिनांक 05.06.2015 के अनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 सरकारी कंपनियों पर लागू नहीं होती है।

3. अधिनियम की धारा 143(5) के अनुसार और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

क्र. सं.	निर्देश	लेखा परीक्षक का उत्तर
(i)	कंपनी द्वारा प्रत्यक्ष रूप से या ट्रस्टों के माध्यम से कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के बाद के लाभों के लिए किए गए सभी निवेशों सूचीबद्ध और गैर-सूचीबद्ध दोनों के उचित मूल्यांकन का आकलन करें। इसमें मूल्यांकन पद्धतियों का सत्यापन, औद्योगिक मानक एवं सेवा मानक (इंड एएस) के साथ निरंतरता सुनिश्चित करना और सहायक दस्तावेजों की समीक्षा करना शामिल है। लेखा परीक्षक मूल्यांकन दृष्टिकोण, इसकी तर्कसंगतता और लागू विनियमों के अनुपालन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी प्रदान करेगा और किसी भी महत्वपूर्ण विचलन या गलत बयान की रिपोर्ट करेगा।	लागू नहीं

क्र. सं.	निर्देश	लेखा परीक्षक का उत्तर
(ii)	क्या कंपनी के पास सभी लेखांकन लेनदेन को आईटी प्रणाली के माध्यम से संसाधित करने की व्यवस्था है? यदि हां, तो क्या इस प्रणाली और कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया के साथ-साथ साइबर सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण नियंत्रणों की समीक्षा की गई है और यदि कोई महत्वपूर्ण विसंगतियां पाई गई हैं, तो क्या उनकी उचित रिपोर्टिंग की गई है? आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने से खातों की सत्यनिष्ठा पर पड़ने वाले प्रभावों के साथ-साथ वित्तीय प्रभावों की भी रिपोर्ट की जा सकती है।	कंपनी के पास आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेन-देन के प्रसंस्करण की व्यवस्था विद्यमान है। कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए प्रयुक्त एसएपी ईआरपी प्रणाली का साइबर सुरक्षा लेखापरीक्षण प्रत्येक वर्ष सीईआरटी- इन द्वारा सूचीबद्ध एजेंसी से कराया जाता है। सभी लेखांकन लेन-देन का लेखांकन आईटी प्रणाली के माध्यम से किया जाता है तथा लेखाओं की सत्यनिष्ठा पर इसका कोई वित्तीय प्रभाव नहीं है।
(iii)	क्या केंद्र/राज्य सरकार या उसकी एजेंसियों से विशिष्ट स्कीमों के लिए प्राप्त/प्राप्य निधियों (अनुदान/सब्सिडी आदि) का लेखा-जोखा लागू लेखा मानकों या नियमों के अनुसार उचित रूप से किया गया था और क्या प्राप्त निधियों का उपयोग उनकीनियमों एवं शर्तों के अनुसार किया गया था? क्या प्राप्त अनुदानों पर अर्जित ब्याज का लेखा-जोखा अनुदान की नियमों एवं शर्तों के अनुसार किया गया है? विचलन के मामलों की सूची बनाएं।	हाँ, ऐसे सभी लेन-देन का उचित रूप से लेखांकन किया गया है तथा उन्हें संबंधित नियमों और शर्तों के अनुसार उपयोग में लाया गया है।
(iv)	क्या कंपनी ने प्रमुख जोखिम क्षेत्रों की पहचान कर ली है? यदि हां, तो क्या कंपनी ने इन जोखिमों को कम करने के लिए कोई जोखिम प्रबंधन नीति बनाई है? यदि हां, तो (क) क्या जोखिम प्रबंधन नीति वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है? (ख) क्या कंपनी ने अपनी डेटा परिसंपत्तियों की पहचान कर ली है और क्या उनका उचित मूल्यांकन किया गया है?	एनसीआरटीसी के पास पहचाने गए प्रमुख जोखिमों को कम करने के लिए जोखिम प्रबंधन नीति है। जोखिम प्रबंधन नीति का निर्माण वैश्विक सर्वोत्तम पद्धतियों को ध्यान में रखते हुए किया गया है तथा सभी जोखिमों का उनके प्रभाव के आधार पर विधिवत मूल्यांकन/ वर्गीकरण किया गया है।
(v)	क्या कंपनी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 और सेबी, निवेश और सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, सार्वजनिक उद्यम विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण, सीईआरटी-आईएन, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के अन्य लागू नियमों और विनियमों का अनुपालन कर रही है? यदि नहीं, तो विचलन के मामलों को उजागर किया जा सकता है।	एनसीआरटीसी जहाँ कहीं लागू हों, इन नियमों और विनियमों के सभी प्रावधानों का अनुपालन कर रहा है।

कृते **श्याम सुन्दर सिंघल एंड कंपनी**
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण सं.: 000544N

हस्ता./-
ज्योति अग्रवाल
साझेदार
सदस्यता सं. 098918
यूडीआईएन: 26098918LMPHDI4128

दिनांक: 10.07.2026
स्थान: नई दिल्ली

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर कंपनी की इस तारीख तक की स्वतंत्र लेखा परीक्षक रिपोर्ट का अनुलग्नक 'क'

हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर और जैसा कि उचित समझा गया है और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के संदर्भ में, हमारा बयान हैं कि: -

(i) (क) ए) कंपनी ने संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के मात्रात्मक विवरण और स्थिति सहित पूर्ण विवरण दर्शाने वाले सही अभिलेखों को बनाए रखे हैं।

बी) कंपनी ने अमूर्त परिसंपत्तियों का पूर्ण विवरण दिखाने वाले सही अभिलेखों को बनाए रखे हैं।

(ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, संपत्ति, संयंत्र और उपकरण को वर्ष के अंत में प्रबंधन द्वारा भौतिक रूप से सत्यापित किया गया है, जो हमारे अभिमत में, भौतिक सत्यापन की आवृत्ति/अंतराल, कंपनी के आकार और उसकी परिसंपत्तियों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए उचित है। हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, ऐसे सत्यापन पर कोई महत्वपूर्ण विसंगतियां नहीं देखी गईं।

(ग) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारे द्वारा कंपनी के अभिलेखों की जांच के आधार पर, स्थावर संपत्तियों के टाइटल डीड (स्वामित्व विलेख) कंपनी के नाम पर हैं, सिवाय सरकारी एजेंसियों द्वारा आबंटित भूमि के, जिसके लिए संबंधित सरकार या उसकी एजेंसियों द्वारा जारी आबंटन पत्र उपलब्ध हैं (संदर्भ नोट संख्या 3(i), 3(ii) (एम) और 3(ii) (एन)।

(घ) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (उपयोग के अधिकार वाली संपत्ति सहित) और अमूर्त संपत्ति का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है।

ङ) हमें दी गई जानकारी के अनुसार बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 (1988 का 45) और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत किसी भी बेनामी संपत्ति को रखने के लिए कंपनी के विरुद्ध कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है या लंबित नहीं है।

(ii) (क) कंपनी के पास कोई इन्वेंट्री नहीं है।

(ख) कंपनी को वर्ष के दौरान किसी भी समय बैंकों या वित्तीय संस्थानों से कोई कार्यशील पूंजीगत सीमाएं स्वीकृत नहीं की गई है।

(iii) वर्ष के दौरान कंपनी ने कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता भागीदारी या किसी अन्य पक्ष को ऋण, जमानती या गैर-जमानती प्रकृति का कोई निवेश नहीं किया है, कोई गारंटी या सुरक्षा प्रदान नहीं की है या कोई ऋण या अग्रिम नहीं दिया है। हालांकि, कंपनी ने अनुबंध की शर्तों के अनुसार परियोजना के निष्पादन के लिए सरकारी अधिकारियों को सुरक्षा जमा, ठेकेदारों को अग्रिम राशि दी है। तदनुसार, कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 के खंड (iii) (क), (ख), (ग), (घ), (ङ) और (च) की आवश्यकता लागू नहीं है।

(iv) हमारा अभिमत और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी के पास कंपनी अधिनियम की धारा 185 और 186 में उल्लिखित कोई ऋण, निवेश, गारंटी और जमानत नहीं है।

(v) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने कोई भी जमा या धनराशि स्वीकार नहीं की है जिसे जनता से प्राप्त जमा माना जा सकता है। इसलिए आदेश की धारा 3(v) के तहत रिपोर्ट करना लागू नहीं है।

(vi) जैसा कि हमें सूचित और स्पष्टीकरण प्रदान किया गया है, केंद्र सरकार ने कंपनी अधिनियम की धारा 148 की उप-धारा (1) के तहत कंपनी द्वारा की गई गतिविधियों के संबंध में लागत अभिलेखों के रखरखाव को निर्धारित नहीं किया है।

(vii) (क) जाँच किए गए अभिलेखों और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी सामान्य रूप से वर्ष के दौरान उचित प्राधिकरणों को देय राशि जमा करने में नियमित है, जिसमें माल और सेवा कर, भविष्य निधि, आयकर, सीमा शुल्क, उपकर और अन्य

वैधानिक देय राशि शामिल हैं। बकाया राशि को छोड़कर, देय होने की तारीख से छह महीने से अधिक की अवधि के लिए मार्च, 2026 तक बकाए में उपर्युक्त देय राशि की कोई निर्विवाद राशि देय नहीं थी। कर्मचारी राज्य बीमा कंपनी पर लागू नहीं है।

ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, उपर्युक्त उप-खंड (क) में उल्लिखित वैधानिक देय राशि जो विवाद के कारण 31 मार्च, 2026 तक जमा नहीं की गई है, नीचे दी गई है: -

(₹ लाख में)

क्र. सं.	संविधि का नाम	बकाया राशि की प्रकृति	राशि (₹ लाख में)	जिस अवधि से राशि संबंधित है	फोरम जहां विवाद लंबित है
1	आयकर विभाग	ब्याज और दंड सहित आकस्मिक कर देयता (शुद्ध)	3838.62	वित्तीय वर्ष 2023-24	आयकर आयुक्त (अपील)
1	आयकर विभाग	ब्याज और दंड सहित आकस्मिक कर देयता (शुद्ध)	3399.96	वित्तीय वर्ष 2022-23	आयकर आयुक्त (अपील)

(viii) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, ऐसा कोई लेनदेन नहीं हैं जो लेखा पुस्तकों में दर्ज नहीं हैं या आयकर अधिनियम के तहत कर निर्धारण में वर्ष के दौरान आय के रूप में समर्पित या प्रकट नहीं किए गए हैं।

(ix) हमारा अभिमत और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने किसी भी ऋणदाता को ऋण या अन्य उधारों के पुनर्भुगतान में या उस पर ब्याज के भुगतान में चूक नहीं की है। तदनुसार, कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश 2020 के खंड (ix) (ख), (ग), (घ), (ङ) और (च) की आवश्यकता लागू नहीं है।

(x) क) कंपनी ने वर्ष के दौरान आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव या अमुवर्ती सार्वजनिक प्रस्ताव (ऋण लिखतों सहित) के माध्यम से धनराशि नहीं जुटाया है। इसलिए आदेश की धारा 3(x)(क) के तहत रिपोर्ट करना लागू नहीं है।

ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारे द्वारा अभिलेखों की जांच के आधार पर कंपनी ने वर्ष के दौरान शेयरों या परिवर्तनीय ऋणपत्र (पूरी तरह से, आंशिक रूप से या वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय) का कोई अधिमान्य आबंटन या निजी नियोजन नहीं किया है।

(xi) (क) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी द्वारा कोई धोखाधड़ी या कंपनी पर कोई धोखाधड़ी वर्ष के दौरान देखी या रिपोर्ट नहीं की गई है।

(ख) कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 13 के तहत निर्धारित फॉर्म एडीटी-4 में लेखा परीक्षकों द्वारा कंपनी अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (12) के तहत कोई रिपोर्ट इस रिपोर्ट की तारीख के दौरान और वर्ष के दौरान केंद्र सरकार के पास दायर नहीं की गई है।

ग) जैसा कि हमें प्रबंधन द्वारा सूचित किया गया है, कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान कोई मुखबिर शिकायतें प्राप्त नहीं हुई हैं।

(xii) हमारा अभिमत और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी निधि कंपनी नहीं है। इसलिए आदेश के अनुच्छेद 3 के खंड (xii) के तहत रिपोर्ट करना कंपनी पर लागू नहीं है।

(xiii) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारे द्वारा अभिलेखों की जांच के आधार पर, संबंधित पक्षों के साथ सभी लेनदेन कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 और 188 के अनुपालन में हैं, जहां लागू हैं, और जैसा कि अपेक्षित है लागू लेखांकन मानकों के विवरण का खुलासा स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों आदि में किया गया है।

(xiv) (क) हमारे अभिमत में कंपनी के पास अपने व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुरूप एक आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली है।

(ख) हमने अपनी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं की प्रकृति, समय और दायरे को तय करने के लिए, लेखापरीक्षा की अवधि और अब तक के आंतरिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों पर विचार किया है।

(xv) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारे द्वारा कंपनी के अभिलेखों की जांच के आधार पर, कंपनी ने निदेशकों या उनसे जुड़े व्यक्तियों के साथ गैर-नकद लेनदेन नहीं किया है।

(xvi) कंपनी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी और मुख्य निवेश कंपनी नहीं है, इसलिए भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 45-Iए के तहत पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है। तदनुसार, कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश 2020 के (xvi) (क), (ख), (ग) और (घ) की आवश्यकता लागू नहीं है।

(xvii) कंपनी ने वित्तीय वर्ष में और तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कोई नकद नुकसान नहीं उठाया है।

(xviii) वर्ष के दौरान कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षकों द्वारा कोई त्यागपत्र नहीं दिया गया है।

(xix) वित्तीय अनुपातों, वित्तीय परिसंपत्तियों की वसूली का समय और प्रत्याशित तिथियों और वित्तीय देनदारियों के भुगतान, वित्तीय विवरणों के साथ अन्य जानकारी और निदेशक मंडल और प्रबंधन योजनाओं के बारे में हमारे ज्ञान के आधार पर, हम इस मत में पहुंचे हैं कि लेखा परीक्षा रिपोर्ट की तारीख को कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद नहीं है कि कंपनी तुलन पत्र की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर तुलन पत्र की तारीख पर अपनी देनदारियों को पूरा करने में सक्षम है।

(xx) (क) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारे द्वारा लेखा पुस्तकों की जांच के आधार पर, चालू परियोजनाओं के अलावा अन्य पर कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के लिए कोई अप्रयुक्त राशि नहीं है, जिसे उक्त अधिनियम की धारा 135 की उप-धारा (5) के दूसरे परंतुक के अनुपालन में वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छह महीने की अवधि के भीतर कंपनी अधिनियम की अनुसूची VII में विनिर्दिष्ट के अनुसार अंतरित किया जाना आवश्यक है।

(ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने उक्त अधिनियम की धारा 135 की उप-धारा (6) के प्रावधानों का पालन करते हुए किसी भी चल रही सीएसआर परियोजनाओं की शेष अप्रयुक्त राशि को एक विशेष खाते में अंतरित कर दिया है।

कृते **श्याम सुन्दर सिंघल एंड कंपनी**
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण सं.: 000544N

हस्ता./-
ज्योति अग्रवाल
साझेदार
सदस्यता सं. 098918
यूडीआईएन: 26098918LMPHDI4128

दिनांक: 10.07.2026
स्थान: नई दिल्ली

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर कंपनी की इस तारीख तक की स्वतंत्र लेखा परीक्षक रिपोर्ट का अनुलग्नक 'ख'

कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (i) के तहत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

हमने 31 मार्च, 2026 को **राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड** के वित्तीय रिपोर्टिंग के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा की है, जो उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के साथ की गई है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

कंपनी के निदेशक मंडल भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की स्थापना और रखरखाव के लिए उत्तरदायी है। इन उत्तरदायित्वों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है जो कंपनी की नीतियों के अनुपालन, अपनी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पहचान, लेखांकन अभिलेखों की सटीकता और पूर्णता, और कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत आवश्यक विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी सहित अपने व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे।

लेखापरीक्षकों का उत्तरदायित्व

हमारा उत्तरदायित्व है कि हम अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की प्रभावशीलता पर एक अभिमत प्रस्तुत करें। हमने आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट ("मार्गदर्शन नोट") और आईसीएआई द्वारा जारी लेखापरीक्षण के मानकों के अनुसार अपनी लेखापरीक्षा की है और इसे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के तहत निर्धारित माना जाता है, जो आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा के लिए लागू है, और दोनों को भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी किया गया है। उन मानकों और मार्गदर्शन नोट की आवश्यकता है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन करें और इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने हेतु लेखापरीक्षा के लिए योजना बनाएं और उसे क्रियान्वित करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित किया गया था और उसे बनाए रखा गया था और यदि ऐसे नियंत्रण सभी महत्वपूर्ण मामलों में प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे।

हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग और उनकी परिचालन प्रभावशीलता पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाएं करना शामिल है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, यह आकलन करना कि क्या कोई महत्वपूर्ण कमी मौजूद है, और इस आकलन की गई जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन और परिचालन प्रभावशीलता की जांच और मूल्यांकन करना शामिल है। चयनित प्रक्रियाएं लेखा परीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण गलत बयानी के जोखिमों का आकलन शामिल है, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो।

हमारा मानना है कि हमें जो लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, वे वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी लेखापरीक्षा अभिमत प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जो सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाहरी उद्देश्यों के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण तैयार करने और वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिज़ाइन की गई है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं जो: (1) रिकॉर्ड के रखरखाव से संबंधित है जो उचित विस्तार में, कंपनी की संपत्तियों के लेनदेन और निपटान को सटीक और निष्पक्ष रूप से दर्शाता है; (2) यह उचित आश्वासन प्रदान करें कि सामान्य रूप से स्वीकृत

लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए आवश्यक रूप से लेन-देन को रिकॉर्ड किए जाते हैं, और कंपनी की प्राप्य और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों की मंजूरी के अनुसार किए जा रहे हैं; और (3) कंपनी की परिसंपत्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या निपटान की रोकथाम या समय पर पता लगाने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करें, जिसका वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाएँ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाएं जिसमें मिलीभगत की संभावना या अनुचित प्रबंधन के कारण नियंत्रण का अधिरोहण शामिल है, जिसके कारण त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण महत्वपूर्ण गलत बयानी हो सकती है और उनका पता नहीं चल पाता है। इसके अलावा, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान भविष्य में इस जोखिम के अधीन हैं कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण अपर्याप्त हो सकते हैं, या नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन का स्तर गिर सकता है।

अभिमत

हमारे अभिमत में, कंपनी के पास, सभी महत्वपूर्ण मामलों में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसे आंतरिक नियंत्रण 31मार्च 2026 तक प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, जो भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर आधारित है।

कृते **श्याम सुन्दर सिंघल एंड कंपनी**
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण सं.: 000544N

हस्ता./-
ज्योति अग्रवाल
साझेदार
सदस्यता सं. 098918
यूडीआईएन: 26098918LMPHDI4128

दिनांक: 10.07.2026
स्थान: नई दिल्ली



अनुपालन प्रमाणपत्र

हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी किए गए निर्देशों/उप-निर्देशों के अनुसार 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए **राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड** के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों का लेखा परीक्षा किया है और यह प्रमाणित करते हैं कि हमने हमारे लिए जारी किए गए सभी निर्देशों/उप-निर्देशों का अनुपालन किया है।

कृते **श्याम सुन्दर सिंघल एंड कंपनी**
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण सं.: 000544N

हस्ता./-
ज्योति अग्रवाल
साझेदार
सदस्यता सं. 098918
यूडीआईएन: 26098918LMPHDI4128

दिनांक: 10.07.2026
स्थान: नई दिल्ली



राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड

31 मार्च, 2026 की स्थिति के अनुसार स्टैंडलोन तुलन पत्र

(₹ लाख में)

	विवरण	नोट संख्या	31 मार्च 2026 की स्थिति	31 मार्च 2025 की स्थिति
I.	**परिसम्पत्तियां**			
1	**गैर-चालू परिसम्पत्तियां**			
	(क) संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण	3	27,14,742.51	2,32,293.42
	(ख) उपयोग अधिका परिसम्पत्तियां	4	45.92	11.89
	(ग) पूंजी कार्य प्रगति पर	5	43,768.90	22,97,816.21
	(घ) अमूर्त परिसम्पत्तियां	6.1	11,856.26	10,843.43
	(ङ) विकासाधीन अमूर्त परिसम्पत्तियां	6.2	97.39	1,360.61
	(च) वित्तीय परिसम्पत्तियां			
	(i) निवेश	7.1	100.00	100.00
	(ii) ऋण एवं अग्रिम	7.2	113.49	112.60
	(iii) अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियां	7.3	3,246.39	2,533.21
	(छ) आस्थगित कर परिसम्पत्तियां (नेट)	8	–	–
	(ज) अन्य गैर-चालू परिसम्पत्तियां	9	30,691.50	41,587.62
			28,04,662.36	**25,86,658.99**
2	**चालू परिसम्पत्तियां**			
	(क) वित्तीय परिसम्पत्तियां			
	(i) व्यापार प्राप्य	10.1	396.42	–
	(ii) नकदी एवं नकदी समतुल्य	10.2	58,580.06	87,806.36
	(iii) उपर्युक्त (ii) के अलावा बैंक शेष	10.3	3,76,917.04	3,11,800.57
	(iv) ऋण एवं अग्रिम	10.4	62.52	77.49
	(v) अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियां	10.5	13,804.03	8,111.81
	(ख) चालू कर परिसम्पत्तियां (नेट)	11	2,695.64	2,462.23
	(ग) अन्य चालू परिसम्पत्तियां	12	239.62	431.72
			4,52,695.33	**4,10,690.18**
	योग परिसम्पत्तियां		**32,57,357.69**	**29,97,349.17**

हमारी समतिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते **श्याम सुन्दर सिंघल एंड कम्पनी**
चार्टर्ड एकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण संख्या : 000544N

हस्ता./-
ज्योति अग्रवाल
साझेदार
सदस्यता सं.: 098918
यूडीआईएन: 26098918LMPHDI4128

कृते एवं निदेशक मंडल के निमित

हस्ता./-
विजय कुमार
कम्पनी सचिव
सदयस्ता संख्या. F7801
कोच्चि

हस्ता./-
नमिता मेहरोत्रा
निदेशक (वित्त) एवं मुख्य वित्त अधिकारी
डीआईएन:07916304
नई दिल्ली

हस्ता./-
शलभ गोयल
प्रबंध निदेशक
डीआईएन:08064525
कोच्चि

दिनांक: 10.07.2026
स्थान: नई दिल्ली

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड

31 मार्च, 2026 की स्थिति के अनुसार स्टैंडलोन तुलन पत्र

(₹ लाख में)

विवरण		नोट संख्या	31 मार्च 2026 की स्थिति	31 मार्च 2025 की स्थिति
II.	**इक्विटी एवं देयताएं**			
1	**इक्विटी**			
	(क) इक्विटी शेयर पूंजी	13	10,000.00	10,000.00
	(ख) अन्य इक्विटी	14	10,75,645.98	10,71,265.05
			10,85,645.98	**10,81,265.05**
2	**देयताएं**			
(i)	**गैर-चालू देयताएं**			
	(क) वित्तीय देयताएं			
	(i) ऋण	15	17,03,745.98	12,80,543.75
	(ii) अन्य वित्तीय देयताएं	16	9,240.50	112.72
	(ख) आस्थगित कर देयता (नेट)	8	–	18,336.83
	(ग) प्रावधान	17	3,612.39	4,039.95
	(घ) अन्य गैर-चालू देयताएं	18	75,341.76	45,810.82
			17,91,940.63	**13,48,844.07**
(ii)	**चालू देयताएं**			
	(क) वित्तीय देयताएं			
	(i) अन्य वित्तीय देयताएं	19		
	क) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग		1,532.56	1,648.12
	ख) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग के अलावा अन्य		58,759.08	49,840.11
	(ii) व्यापार देय	20	–	–
	क) सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों की कुल बकाया देय राशि		11.06	–
	ख) सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों की कुल बकाया देय राशि		2,703.81	–
	(ख) अन्य चालू देयताएं	21	3,15,988.55	5,15,305.20
	(ग) प्रावधान	22	776.02	446.62
			3,79,771.08	**5,67,240.05**
	योग इक्विटी एवं देयताएं		**32,57,357.69**	**29,97,349.17**

सामान्य सूचना	1
महत्वपूण लेखांकन नीतियों का सारांश	2
लेखांकन नोट	3 to 52

हमारी समतिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते **श्याम सुन्दर सिंघल एंड कम्पनी**

चार्टर्ड एकाउंटेंट

फर्म पंजीकरण संख्या : 000544N

हस्ता./-
ज्योति अग्रवाल
साझेदार
सदस्यता सं.: 098918
यूडीआईएन: 26098918LMPHDI4128

कृते एवं निदेशक मंडल के निमित

हस्ता./-
विजय कुमार
कम्पनी सचिव
सदयस्ता संख्या. F7801
कोच्चि

हस्ता./-
नमिता मेहरोत्रा
निदेशक (वित्त) एवं मुख्य वित्त अधिकारी
डीआईएन:07916304
नई दिल्ली

हस्ता./-
शलभ गोयल
प्रबंध निदेशक
डीआईएन:08064525
कोच्चि

दिनांक: 10.07.2026
स्थान: नई दिल्ली



राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड

31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के स्टैंडएलोन लाभ एवं हानि विवरण

(₹ लाख में)

	विवरण	नोट संख्या	31 मार्च 2026 की स्थिति	31 मार्च 2025 की स्थिति
I.	परिचालनों से राजस्व	23	10,647.54	–
II	अन्य आय	24	27,525.39	23,135.35
III	**कुल आय (I+II)**		**38,172.93**	**23,135.35**
	व्यय			
	परिचालन व्यय	25	16,551.68	–
	कर्मचारी हितलाभ व्यय	26	1,400.66	1,513.91
	वित्तीय लागत	27	1,40,287.15	–
	मूल्यह्रास एवं परिशोधन व्यय	28	40,443.34	786.38
	अन्य व्यय	29	2,971.20	1,961.16
IV	**योग व्यय (IV)**		**2,01,654.03**	**4,261.45**
V	असाधारण मदों एवं कर पूर्व लााभ/(हानि) (III - IV)		**(1,63,481.10)**	**18,873.90**
VI	असाधारण मदें		–	–
VII	**कर पूर्व लाभ/(हानि)**		**(1,63,481.10)**	**18,873.90**
VIII	कर व्यय:	30		
	(1) चालू कर*			
	- अवधि के लिए		–	–
	- पूर्व वर्षों के लिए (नेट)		–	–
	(2) आस्थगित कर (नेट)			
	- अवधि के लिए		(18,346.48)	11,221.77
	– पूर्व वर्षों के लिए (नेट)		–	–
IX	**जारी परिचालनों से अवधि के लिए लाभ/(हानि) (VII-VIII)**		**(1,45,134.62)**	**7,652.13**
X	बंद परिचालनों से लाभ/(हानि)		–	–
XI	बंद परिचालनों का कर व्यय		–	–
XII	बंद परिचालनों से लाभ/(हानि) (X-XI)		–	–
XIII	**अवधि के दौरान लाभ/(हानि) (IX + XII)**		**(1,45,134.62)**	**7,652.13**
XIV	**अन्य व्यापक आय**			
	क) (i) मदें जिनका पुनवर्गीकरण लाभ अथवा हानि में नहीं किया जाएगा		(463.24)	38.34
	(ii) लाभ अथवा हानि में पुनवर्गीकरण न की जाने वाली मदों से संबंधित आयकर		(9.65)	7.07
	ख) (i) मदें जिनका पुनवर्गीकरण लाभ अथवा हानि में किया जाएगा		–	–
	(ii) लाभ अथवा हानि में पुनवर्गीकरण की जाने वाली मदों से संबंधित आयकर		–	–

	विवरण	नोट संख्या	31 मार्च 2026 की स्थिति	31 मार्च 2025 की स्थिति
XV	**अवधि के दौरान कुल व्यापक आय (XIII+XIV) [वर्ष के लिए लाभ/(हानि) एवं अन्य व्यापक आय को सम्मिलित करते हुए]**		**(1,45,607.51)**	**7,697.54**
XVI	**प्रति इक्विटी शेयर आय:**	**31**		
	(जारी परिचालन से)			
	(1) मूल (रुपये में)		(1,451.35)	76.52
	(2) डायल्युटिड (रुपये में)		(1,451.35)	76.52
XVII	**प्रति इक्विटी शेयर आय:**	**31**		
	(बंद परिचालन से)			
	(1) मूल (रुपये में)		–	–
	(2) डायल्युटिड (रुपये में)		–	–
XVIII	**प्रति इक्विटी शेयर आय:**	**31**		
	(जारी एवं बंद परिचालनों से)			
	(1) मूल (रुपये में)		(1,451.35)	76.52
	(2) डायल्युटिड (रुपये में)		(1,451.35)	76.52

*विस्तृत विवरण हेतु नोट संख्या 8 का संदर्भ ले

ये नोट इन वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग है।

हमारी समतिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते **श्याम सुन्दर सिंघल एंड कम्पनी**
चार्टर्ड एकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण संख्या : 000544N

हस्ता./-
ज्योति अग्रवाल
साझेदार
सदस्यता सं.: 098918
यूडीआईएन: 26098918LMPHDI4128

कृते एवं निदेशक मंडल के निमित

हस्ता./-
विजय कुमार
कम्पनी सचिव
सदयस्ता संख्या. F7801
कोच्चि

हस्ता./-
नमिता मेहरोत्रा
निदेशक (वित्त) एवं मुख्य वित्त अधिकारी
डीआईएन:07916304
नई दिल्ली

हस्ता./-
शलभ गोयल
प्रबंध निदेशक
डीआईएन:08064525
कोच्चि

दिनांक: 10.07.2026
स्थान: नई दिल्ली

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड

31 मार्च 2026 की स्थिति के अनुसार स्टैंडएलोन इक्विटी परिवर्तन विवरण

क. इक्विटी शेयर पूंजी

1. 31 मार्च, 2026 की स्थिति

(₹ लाख में)

विवरण	1 अप्रैल, 2025 को शेष	पूर्वावधि चूकों के कारण इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	चालू रिपोर्टिंग अवधि के प्रारंभ में पुन:उल्लिखित शेष	वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	31 मार्च, 2026 की स्थिति के अनुसार शेष
शेयरों की संख्या (लाख में)	100	–	–	–	100
राशि	10,000	–	–	–	10,000

2. 31 मार्च, 2025 की स्थिति

(₹ लाख में)

विवरण	1 अप्रैल, 2024 को शेष	पूर्वावधि चूकों के कारण इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	चालू रिपोर्टिंग अवधि के प्रारंभ में पुन:उल्लिखित शेष	वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार शेष
शेयरों की संख्या (लाख में)	100	–	–	–	100
राशि	10,000	–	–	–	10,000

ख. अन्य इक्विटी

1. 31 मार्च, 2026 की स्थिति

(₹ लाख में)

विवरण	इक्विटी के प्रति अनुदान	रिजर्व एवं अधिशेष		योग
		अधीनस्थ ऋण का आस्थगित उचित मूल्यांकन	धारित आय	
1 अप्रैल, 2025 के अनुसार शेष	**2,84,633.00**	**7,45,233.23**	**41,398.82**	**10,71,265.05**
वर्ष के दौरान लाभ	–	–	(1,45,134.62)	(1,45,134.62)
वर्ष के दौरान अन्य व्यापक आय (आयकर का नेट)	–	–	(472.89)	(472.89)
वर्ष के दौरान कुल व्यापक आय	**0**	**0**	**(1,45,607.51)**	**(1,45,607.51)**
वर्ष के दौरान प्राप्त राशि (सदंर्भ नोट 14.2.1)	49,015.00	–	–	49,015.00
अधीनस्थ ऋण का आस्थगित उचित मूल्य समायोजन	–	1,00,973.45	–	1,00,973.45
चुकता लाभांश	–	–	–	–
31 मार्च, 2026 की स्थिति के अनुसार शेष	**3,33,648.00**	**8,46,206.68**	**(1,04,208.70)**	**10,75,645.98**

2. 31 मार्च, 2025 की स्थिति

(₹ लाख में)

विवरण		रिजर्व एवं अधिशेष		योग
	इक्विटी के प्रति अनुदान	अधीनस्थ ऋण का आस्थगित उचित मूल्यांकन	धारित आय	
1 अप्रैल, 2024 के अनुसार शेष	**2,51,265.00**	**6,50,988.63**	**33,701.28**	**9,35,954.91**
वर्ष के दौरान लाभ	–	–	7,652.13	7,652.13
वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय (आयकर का नेट)	–	–	45.41	45.41
वर्ष के दौरान कुल व्यापक आय	**0**	**0**	**7,697.54**	**7,697.54**
वर्ष के दौरान प्राप्त राशि (सदंर्भ नोट 14.2.1)	–	–	–	33,368.00
अधीनस्थ ऋण का आस्थगित उचित मूल्य समायोजन	33,368.00	94,244.60	–	94,244.60
चुकता लाभांश	–	–	–	–
31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार शेष	**2,84,633.00**	**7,45,233.23**	**41,398.82**	**10,71,265.05**

हमारी समतिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते **श्याम सुन्दर सिंघल एंड कम्पनी**
चार्टर्ड एकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण संख्या : 000544N

हस्ता./-
ज्योति अग्रवाल
साझेदार
सदस्यता सं.: 098918
यूडीआईएन: 26098918LMPHDI4128

कृते एवं निदेशक मंडल के निमित

हस्ता./-
विजय कुमार
कम्पनी सचिव
सदयस्ता संख्या. F7801
कोच्चि

हस्ता./-
नमिता मेहरोत्रा
निदेशक (वित्त) एवं मुख्य वित्त अधिकारी
डीआईएन:07916304
नई दिल्ली

हस्ता./-
शलभ गोयल
प्रबंध निदेशक
डीआईएन:08064525
कोच्चि

दिनांक: 10.07.2026
स्थान: नई दिल्ली

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड

31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन नकदी प्रवाह विवरण

(₹ लाख में)

विवरण		31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए
क. परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह			
असाधारण मदों एवं कर से पूर्व लाभ		**(1,63,481.10)**	**18,873.90**
निम्नलिखित के लिए समायोजन :-			
मूल्यह्रास		40,443.34	786.38
वित्तीय परिसंपत्तियों पर ब्याज आय		(136.85)	(136.75)
वित्तीय देयताओं पर ब्याज व्यय		8.00	3.64
बहुपक्षीय वित्त पोषण एजेंसियों से प्राप्त ऋण पर ब्याज व्यय		42,740.56	–
अधीनस्थ ऋण पर ब्याज व्यय		8,292.56	–
ब्याज आय		(25,477.68)	(21,887.09)
अनुदान का परिशोधन		(211.03)	(338.29)
अप्राप्त विदेशी मुद्रा हानि/(लाभ)		(366.18)	(0.04)
परिचालनात्मक पूंजी परिवर्तन पूर्व परिचालन लाभ	**(1)**	**(98,188.37)**	**(2,698.25)**
निम्नलिखित के लिए समायोजन:-			
अन्य चालू परिसंपत्तियों में कमी/(वृद्धि)		202.02	(156.48)
दीर्घकालिक ऋण एवं अग्रिम में कमी/(वृद्धि)		(0.89)	(112.60)
अन्य चालू वित्तीय परिसंपत्तियों में कमी/(वृद्धि)		(3,523.91)	(660.13)
व्यापार प्राप्यों में कमी/(वृद्धि)		(396.42)	–
गैर-चालू वित्तीय परिसंपत्तियों में कमी/(वृद्धि)		(576.33)	(137.60)
अन्य वित्तीय देयताओं में (कमी)/वृद्धि		(16,088.90)	(11,268.55)
अन्य चालू देयताओं में (कमी)/वृद्धि		(1,389.27)	1,657.60
अल्पकालिक ऋण एवं अग्रिम में कमी/(वृद्धि)		14.97	(77.49)
दीर्घकालिक प्रावधानों में (कमी)/वृद्धि		(890.80)	1,081.98
व्यापार देयताओं में (कमी)/वृद्धि		2,714.87	–
अल्पकालिक प्रावधानों में (कमी)/वृद्धि		329.40	121.65
गैर-चालू वित्तीय देयताओं में (कमी)/वृद्धि			
	(2)	**(19,605.26)**	**(9,551.62)**
परिचालन से नकदी की उत्पत्ति	**(1+2)**	**(1,17,793.64)**	**(12,249.87)**
चुकता आय कर		(233.41)	(393.09)
परिचालन कार्यों से उत्पन्न कुल नकदी उत्पत्ति		**(1,18,027.05)**	**(12,642.96)**
ख. निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह			
संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण का क्रय, सीडब्ल्यूआईपी, अन्य अमूर्त परिसंपत्तियां तथा विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियों का क्रय		(2,16,519.47)	(3,69,271.38)
संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण का क्रय, सीडब्ल्यूआईपी, अन्य अमूर्त परिसंपत्तियां तथा विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियों की बिक्री		35.21	15.38

विवरण		31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए
प्राप्त ब्याज		23,418.61	22,475.51
पूंजी अग्रिम		10,776.96	14,243.35
अन्य बैंक शेषों में परिवर्तन		(65,116.47)	(1,14,252.19)
निवेशों में परिवर्तन			
निवेश गतिविधियों में प्रयुक्त नेट नकदी		**(2,47,405.16)**	**(4,46,789.33)**
ग. वित्तपोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह			
प्राप्त अनुदान से प्राप्तियां		49,015.00	33,368.00
निम्नलिखित से प्राप्त अग्रिम:-			
- भारत सरकार (आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय) से पास-थ्रू सहायता		(2,01,285.41)	1,24,723.00
- भारत सरकार (आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय) से निर्भया के प्रति		900.00	–
- भारत सरकार (आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय) से जेएफपीआर के प्रति		2,500.00	–
- दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार से		29,700.00	5,000.00
उधार से प्राप्तियां :-			
- भारत सरकार, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार से अधीनस्थ ऋण		1,15,200.00	1,26,632.00
- एशियन डेवलपमेंट बैंक से व्यवस्था किया गया भारत सरकार से प्राप्त ऋण		42,750.00	11,500.00
- एशियन डेवलपमेंट बैंक से व्यवस्था किया गया भारत सरकार से प्राप्त ऋण (तीसरी किस्त)		1,51,491.98	72,620.71
-न्यू डेवलपमेंट बैंक से व्यवस्था किया गया भारत सरकार से प्राप्त ऋण		1,12,422.14	78,782.53
- एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक से व्यवस्था किया गया भारत सरकार से प्राप्त ऋण		89,720.88	61,197.09
सुरक्षा जमा		9,127.78	107.70
ऋण पर चुकता ब्याज एवं प्रतिबद्धता प्रभार		(65,336.46)	(63,429.56)
वित्तीय गतिविधियों से नेट नकदी उत्पत्ति		**3,36,205.91**	**4,50,501.47**
नकदी एवं नकदी समतुल्य में नेट वृद्धि/(कमी) (क+ख+ग)		(29,226.30)	(8,930.81)
प्रारंभिक नकदी एवं नकदी समतुल्य		87,806.36	96,737.17
अंतिम नकदी एवं नकदी समतुल्य		**58,580.06**	**87,806.36**
नकदी एवं नकदी समतुल्य में शामिल			
बैंकों में शेष राशि:			
– चालू खाते एवं फ्लैक्सी जमा खाते में		28,184.35	2,637.50
– इम्प्रैस्ट खाते में		6.53	4.99
3 माह या उससे कम की परिपक्वता वाली सावधि जमा एवं उस पर अर्जित ब्याज		30,389.18	85,163.87
तुलन पत्र के अनुसार नकदी एवं नकदी समतुल्य		**58,580.06**	**87,806.36**

31.03.2026 को समाप्त अवधि के लिए वित्तीय गतिविधियों से उत्पन्न देयताओं का मिलान

(₹ लाख में)

विवरण	अग्रिम	ऋण	वित्त लागत	योग
संदर्भ नोट	18 और 21	15	19	
प्रारंभ शेष (क)	**5,56,437.65**	**12,80,543.75**	**10,732.68**	**18,47,714.08**
नकदी प्रवाह से उत्पन्न परिवर्तन				
वर्ष के दौरान चुकता	–	–	(65,336.46)	**(65,336.46)**
वर्ष के दौरान प्राप्त	(1,68,185.41)	5,11,585.00	–	**3,43,399.59**
योग (ख)	**(1,68,185.41)**	**5,11,585.00**	**(65,336.46)**	**2,78,063.13**
गैर नकदी परिवर्तन				
अधीनस्थ ऋणों का उचित मूल्यांकन	–	(1,00,973.45)	–	**(1,00,973.46)**
अधीन ऋण पर उपचित ब्याज	–	12,590.68	–	**12,590.68**
विदेशी मुद्रा भिन्नता	–		–	**–**
वसूलनीय				**–**
वर्ष के दौरान अर्जित वित्तीय लागत	–	–	68,163.55	**68,163.55**
अनुदान परिशोधान	(672.78)	–	–	**(672.78)**
योग (ग)	(672.78)	(88,382.77)	68,163.55	**(20,892.00)**
अंत शेष (क+ख+ग)	**3,87,579.46**	**17,03,745.98**	**13,559.77**	**21,04,885.21**

स्पष्टीकरण नोट:

(i) स्टैंडलोन नकदी प्रवाह विवरण का निर्माण इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा नकदी प्रवाह विवरण के संबंध में जारी इंड एएस-7 में निर्धारित अप्रत्यक्ष विधि के अनुसार किया गया है।

(ii) पुष्टि एवं चालू वर्ष के साथ तुलना के लिए पिछले वर्ष के आंकड़ों का पुन:वर्गीकरण/पुन:समूहन किया गया है।

हमारी समतिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते **श्याम सुन्दर सिंघल एंड कम्पनी**
चार्टर्ड एकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण संख्या : 000544N

हस्ता./-
ज्योति अग्रवाल
साझेदार
सदस्यता सं.: 098918
यूडीआईएन: 26098918LMPHDI4128

कृते एवं निदेशक मंडल के निमित

हस्ता./-
विजय कुमार
कम्पनी सचिव
सदयस्ता संख्या. F7801
कोच्चि

हस्ता./-
नमिता मेहरोत्रा
निदेशक (वित्त) एवं मुख्य वित्त अधिकारी
डीआईएन:07916304
नई दिल्ली

हस्ता./-
शलभ गोयल
प्रबंध निदेशक
डीआईएन:08064525
कोच्चि

दिनांक: 10.07.2026
स्थान: नई दिल्ली

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड
स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर नोट

1. कंपनी संबंधी जानकारी

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड भारत में निगमित एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है [U60200DL2013GOI256716], जिसका गठन 21 अगस्त 2013 को कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत किया गया था। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के आर्थिक विकास को सक्षम बनाने वाले समतावादी, तीव्र, विश्वसनीय, सुरक्षित, सुखद, दक्ष और सतत गतिशीलता समाधान उपलब्ध कराते हुए जन-मानस के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है।

कंपनी का पंजीकृत कार्यालय गतिशक्ति भवन, आईएनए, नई दिल्ली-110023 में स्थित है।

ये वित्तीय विवरण 10 जुलाई, 2026 में आयोजित कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किए गए हैं।

2. महत्वपूर्ण लेखांकन नीति संबंधी जानकारी का सारांश

2.01 तैयारी का आधार – अनुपालन कथन

कंपनी के वित्तीय विवरण भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार तैयार किए गए हैं, जिसमें कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत अधिसूचित भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस), कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 (यथासंशोधित) के साथ पठित, और वित्तीय विवरणों पर लागू कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III की सीमा तक अन्य प्रस्तुति आवश्यकताएं (इंड एएस अनुरूप अनुसूची III) शामिल हैं। वित्तीय विवरण वर्तमान समस्याओं के आधार पर और लेखांकन की संचय पद्धति (accrual system) का पालन करते हुए तैयार किए गए हैं।

इसके अलावा, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी मार्गदर्शन नोट/घोषणाओं को भी जहां लागू हो, वहां कंपनी द्वारा लगातार अपनाए जाने के अनुसार ध्यान में रखा जाता है।

2.02 मापन का आधार

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत सम्मेलन और संचय आधार (accrual basis) पर तैयार किए गए हैं, सिवाय कुछ वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों और परिभाषित लाभ योजना एवं अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभों के, जिन्हें संबंधित इंड एएस द्वारा आवश्यकतानुसार उचित मूल्य पर मापा गया है।

2.03 चालू और गैर-चालू वर्गीकरण

कंपनी बैलेंस शीट में परिसंपत्तियों और देनदारियों को चालू/गैर-चालू वर्गीकरण के आधार पर प्रस्तुत करती है।

एक परिसंपत्ति को चालू वर्गीकृत किया जाता है जब वह:

- सामान्य परिचालन चक्र में प्राप्त होने या बेची या खपत होने की उम्मीद हो।
- मुख्य रूप से व्यापार के उद्देश्य से धारित हो।
- रिपोर्टिंग अवधि के बाद बारह महीनों के भीतर प्राप्त होने की उम्मीद हो; या
- नकद या नकद समकक्ष हो, जब तक कि रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम बारह महीनों तक आदान-प्रदान करने या देयता का निपटान करने से प्रतिबंधित न हो।

अन्य सभी परिसंपत्तियों को गैर-चालू वर्गीकृत किया जाता है।

एक देनदारी को चालू वर्गीकृत किया जाता है जब:

- उसे सामान्य परिचालन चक्र में निपटाने की उम्मीद हो।
- उसे मुख्य रूप से व्यापार के उद्देश्य से धारित किया गया हो।
- वह रिपोर्टिंग अवधि के बाद बारह महीनों के भीतर निपटाने के लिए देय हो; या
- देयता के निपटान को रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम बारह महीनों के लिए स्थगित करने का कोई सशर्त अधिकार न हो।

अन्य सभी देनदारियों को गैर-चालू वर्गीकृत किया जाता है।

देयकर परिसंपत्तियाँ/देनदारियाँ गैर-चालू वर्गीकृत की जाती हैं।

परिसंपत्तियों और देनदारियों को चालू और गैर-चालू के बीच 12 महीनों की अवधि को सामान्य परिचालन चक्र मानते हुए वर्गीकृत किया जाता है।

2.04 अनुमानों और प्रबंधन विवेक का उपयोग

इंड एएस के अनुरूप स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए प्रबंधन को ऐसे निर्णय, अनुमान और मान्यताएं बनानी होती हैं जो लेखांकन नीतियों के अनुप्रयोग और परिसंपत्तियों, देनदारियों की रिपोर्ट की गई राशियों, स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की तारीख को आकस्मिक परिसंपत्तियों और देनदारियों के खुलासे तथा आय और व्यय की रिपोर्ट की गई राशि को प्रभावित करती हैं। वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं।

अनुमानों और अंतर्निहित मान्यताओं की समय-समय पर समीक्षा की जाती है। भविष्य के परिणाम इन अनुमानों में बदलाव के कारण भिन्न हो सकते हैं और वास्तविक परिणाम तथा अनुमानों के बीच के अंतर को उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें परिणाम ज्ञात/वास्तविक होते हैं।

2.05 नकद प्रवाह विवरण

नकद प्रवाह की रिपोर्टिंग अप्रत्यक्ष विधि के उपयोग से की गई है, जिससे कर से पहले लाभ/(हानि) को गैर-नकद प्रकृति के लेनदेन के प्रभावों और भूत या भविष्य के नकद प्राप्तियों या भुगतानों में किसी भी विलंब या संचय के लिए समायोजित किया जाता है। कंपनी की परिचालन, निवेश और वित्तपोषण गतिविधियों से नकद प्रवाह उपलब्ध जानकारी के आधार पर अलग किए जाते हैं।

नकद प्रवाह विवरण के उद्देश्यों के लिए, नकद और नकद समकक्षों में हाथ में नकद, बैंकों में नकद, मूल अवधि तीन महीने तक की जमा राशियां और बैंकों में मांग जमाएं शामिल हैं, जिनमें से बकाया बैंक ओवरड्राफ्ट (जो मांग पर वापस देय हैं और कंपनी की नकद प्रबंधन प्रणाली का हिस्सा माने जाते हैं) को घटाया गया है।

2.06 कार्यात्मक और प्रस्तुति मुद्रा

स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों में शामिल मदों को उस प्राथमिक आर्थिक वातावरण की मुद्रा का उपयोग करके मापा जाता है जिसमें कंपनी संचालन करती है (कार्यात्मक मुद्रा)। स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरण भारतीय रुपये (भारतीय मुद्रा) में प्रस्तुत किए जाते हैं, जो कंपनी की कार्यात्मक और प्रस्तुति दोनों मुद्रा है। जहां अन्यथा न कहा गया हो, भारतीय रुपयों में प्रस्तुत सभी वित्तीय जानकारी निकटतम लाख तक पूर्णांकित की गई है।

विदेशी मुद्रा

विदेशी मुद्राओं में नामांकित लेनदेन को लेनदेन के समय प्रचलित विनिमय दर पर रिकॉर्ड किया जाता है। विदेशी मुद्राओं में नामांकित मौद्रिक मदों को रिपोर्टिंग तारीख की विनिमय दरों पर अनुवादित किया जाता है। मौद्रिक मदों के अनुवाद से उत्पन्न विनिमय अंतर को लाभ और हानि में मान्यता दी जाती है। हालांकि, विदेशी मुद्रा उधार से उत्पन्न विनिमय अंतर को उधार की लागत माने जाने की हद तक निर्माण अवधि के दौरान पूंजीगत किया जाता है।

2.07 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

(क) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की किसी मद को तभी परिसंपत्ति के रूप में मान्यता दी जाती है यदि और केवल यदि यह संभावना हो कि उस मद से जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ कंपनी की ओर प्रवाहित होंगे, मद की लागत को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकेगा और उस परिसंपत्ति को उसके इच्छित उपयोग के लिए तैयार करने के लिए आवश्यक सभी गतिविधियां पूरी हो जाएंगी।

(ख) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण को संचित मूल्यह्रास और हानि (यदि कोई हो) को घटाने के बाद लागत पर मापा जाता है। परिसंपत्ति की लागत में निम्नलिखित शामिल हैं:

i. परिसंपत्ति के अधिग्रहण से सीधे संबंधित लागत, जिसमें परिसंपत्ति को उस स्थान पर लाने और उसे इच्छित तरीके से संचालित करने के लिए आवश्यक शर्तों को पूरा करने की लागत शामिल है।

ii. विघटन और मदों को हटाने और उस स्थल को पुनर्स्थापित करने की अनुमानित लागत का वर्तमान मूल्य, यदि मान्यता मानदंड पूरे होते हैं।

(ग) प्रतिस्थापन, प्रमुख निरीक्षण, महत्वपूर्ण भागों की मरम्मत की लागत को पूंजीगत किया जाता है यदि मान्यता मानदंड पूरे होते हैं।

(घ) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की किसी मद को निपटाने पर या जब परिसंपत्ति के निरंतर उपयोग से भविष्य के आर्थिक लाभ प्राप्त होने की उम्मीद न हो, तो उसे हटा दिया जाता है। संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की किसी मद के निपटान या सेवानिवृत्ति पर उत्पन्न किसी भी लाभ या हानि को विक्री आय और परिसंपत्ति की वहन राशि के बीच के अंतर के रूप में निर्धारित किया जाता है और इसे लाभ या हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

(ङ°) डिपॉजिट वर्क/ठेके को निष्पादन एजेंसियों से प्राप्त खाते के विवरण के आधार पर पूरा होने पर पूंजीगत किया जाता है और उसकी अनुपस्थिति में निष्पादित कार्य के

तकनीकी आकलन के आधार पर किया जाता है।

(च) उपयोग में लाई गई परिसंपत्तियों के मामले में, जहां ठेकेदारों के साथ बिलों का अंतिम निपटान अभी बाकी है, पूंजीकरण अस्थायी आधार पर किया जाता है, जिसमें अंतिम निपटान के वर्ष में आवश्यक समायोजन के अधीन होता है।

(छ) परियोजना के एक से अधिक खंडों के लिए सामान्य परिसंपत्तियां और प्रणालियां तकनीकी अनुमानों/आकलनों के आधार पर पूंजीगत की जाती हैं।

(ज) वे संपत्ति, संयंत्र और उपकरण जो बैलेंस शीट की तारीख तक इच्छित उपयोग के लिए तैयार नहीं हैं, उन्हें 'पूंजीगत कार्य-प्रगति में' के रूप में प्रकट किया जाता है।

(झ) `यात्रियों के सार्वजनिक वाहन के लिए खोले जाने वाले गलियारे की परिसंपत्तियों का पूंजीकरण प्रबंधन द्वारा परिसंपत्तियों के इच्छित उपयोग के अनुसार सभी पहलुओं में इसकी पूर्णता सुनिश्चित करने, प्रशासनिक औपचारिकताओं और पूरे गलियारे के उद्घाटन के लिए अनिवार्य मेट्रो रेल सुरक्षा आयुक्त द्वारा निर्धारित आवश्यकताओं के अनुपालन के बाद किया जाता है।

मूल्यह्रास/अमूर्त सम्पत्तियों का अपलेखन

(क) कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II में निर्दिष्ट परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवन पर सीधी रेखा विधि (SLM) द्वारा संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर मूल्यह्रास/अपलेखन प्रदान किया जाता है, सिवाय निम्नलिखित मामलों के जहां उपयोगी जीवन तकनीकी और/या प्रबंधन आकलन के आधार पर निर्धारित किया जाता है: -

परिसंपत्ति का नाम	जीवनकाल
ईडीपी परिसंपत्तियां	3 वर्ष
निर्दिष्ट कार्यालय उपकरण	4 वर्ष
निर्दिष्ट फर्नीचर और फिक्सचर	5 वर्ष
रोलिंग स्टॉक	35 वर्ष
रोलिंग स्टॉक के घटक-पावर सप्लाई, सहायक उपकरण, ब्रेक, एसी सिस्टम, इंटीरियर आदि	18 वर्ष
एस्केलेटर	30 वर्ष
एस्केलेटर आदि के घटक	7-30 वर्ष
एलिवेटर	30 वर्ष
एलिवेटर के घटक	8-30 वर्ष
ऑटोमैटिक ट्रेन वॉशिंग प्लांट, मोबाइल लिफ्टिंग जैक, सिम्युलेटर, व्हील लेथ आदि	35 वर्ष
इलेक्ट्रिक बोगी ट्रैक्टर, रेल कम रोड वाहन, एचएबीडी सिस्टम	20 वर्ष
वर्टिकल टरनट लेथ, ब्लो डाउन प्लांट, व्हील प्रेस मशीन, सिंक्रोनाइज्ड पिट जैक, बोगी टेस्ट स्टैंड, बीटीटी, ओवरहेड क्रेन आदि	30 वर्ष
एएफसी के घटक	
कंट्रोल सेंटर	8 वर्ष
अन्य शेष घटक	7 वर्ष
पुलिया, पुल, सुरंग, जलसेतु, तटबंध	60 वर्ष
ट्रैक वर्क (स्थायी तरीका)	30 वर्ष
सिग्नलिंग सिस्टम	20 वर्ष

(ख) ₹5,000/- या कम में अधिग्रहित व्यक्तिगत परिसंपत्तियों पर पहचान के उद्देश्य से ₹1 की टोकन वैल्यू रखते हुए खरीद के वर्ष में 100% मूल्यह्रास किया जाता है।

(ग) मोबाइल फोन को खरीद के वर्ष में चार्ज ऑफ किया जाता है।

(घ) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की किसी मद के प्रत्येक भाग का मूल्यह्रास अलग-अलग किया जाता है यदि उस भाग की लागत मद की कुल लागत के संबंध में महत्वपूर्ण है और उस भाग का उपयोगी जीवन शेष परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन से भिन्न है।

(ङ) लीजहोल्ड सुधारों को उस महीने से लीज की अवधि पर अपलेखन किया जाता है जिसमें ऐसे सुधार पूंजीगत किए जाते हैं।

(च) मूल्यह्रास विधियों, उपयोगी जीवन और अवशेष मूल्यों की प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख पर समीक्षा की जाती है।

(छ) परिसंपत्तियों के घटकों की पहचान के लिए मानदंड:

I. ₹10 लाख और उससे अधिक मूल्य वाली परिसंपत्तियों और मुख्य परिसंपत्ति के संबंध में 10% से अधिक मूल्य वाले घटकों को केवल घटीकरण के लिए माना गया है, और इन घटकों पर उनके उपयोगी जीवन या मुख्य परिसंपत्ति के शेष उपयोगी जीवन (जो भी कम हो) पर मूल्यह्रास किया जाता है।

II. समान उपयोगी जीवन वाले परिसंपत्तियों के घटकों को मुख्य घटक के साथ एक साथ जोड़ दिया गया है, चाहे मुख्य परिसंपत्ति के संबंध में प्रतिशत कुछ भी हो।

III. जहां एक ही परिसंपत्ति के एक से अधिक महत्वपूर्ण

घटक समान उपयोगी जीवन के साथ हैं, ऐसे घटकों को मूल्यह्रास के उद्देश्यों के लिए एक साथ समूहीकृत किया जाएगा।

IV. शेष घटकों या नगण्य भागों को मुख्य परिसंपत्ति के साथ संयुक्त किया गया है।

V. जहां व्यक्तिगत घटक का जीवन मुख्य परिसंपत्तियों के जीवन से अधिक है, घटक का जीवन मुख्य परिसंपत्तियों के जीवन तक सीमित किया जाएगा।

VI. भूमि, ट्रैक वर्क (स्थायी तरीका) और अमूर्त परिसंपत्तियों का घटीकरण नहीं किया गया है क्योंकि अलग-अलग घटकों की पहचान संभव नहीं है।

VII. अधिकार-उपयोग इमारतों का घटीकरण नहीं किया गया है क्योंकि इनका अपलेखन लीज की अवधि पर कुल भुगतान के आबंटन के आधार पर किया जाता है।

VIII. वाहन, अस्थायी संरचनाएं, सर्वेक्षण उपकरण, सुरक्षा उपकरण, आई.टी. सिस्टम, कार्यालय उपकरण, और फर्नीचर और फिक्सचर का घटीकरण नहीं किया गया है क्योंकि ये परिसंपत्तियां कंपनी की कुल परिसंपत्ति मूल्य की तुलना में नगण्य मूल्य वाली हैं।

2.08 अमूर्त परिसंपत्तियां

अमूर्त परिसंपत्ति को तभी मान्यता दी जाती है जब यह संभावना हो कि परिसंपत्ति से जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ कंपनी की ओर प्रवाहित होंगे और परिसंपत्ति की लागत को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकेगा। अमूर्त परिसंपत्तियों को संचित अपलेखन और हानि (यदि कोई हो) को घटाने के बाद ऐतिहासिक लागत पर दर्शाया जाता है।

अनुसंधान पर व्यय को जब वह होता है तब व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है। विकास गतिविधियों पर व्यय को अमूर्त परिसंपत्ति के रूप में मान्यता दी जाती है यदि यह इंड एएस 38 'अमूर्त परिसंपत्तियां' के अनुसार पात्रता मानदंड को पूरा करता है, अन्यथा इसे व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है।

अपलेखन

अमूर्त परिसंपत्तियों का अपलेखन उनकी संबंधित अनुमानित उपयोगी जीवन पर सीधी-रेखा आधार पर उस तारीख से किया जाता है जब वे उपयोग के लिए उपलब्ध होती हैं। अपलेखन विधियों, उपयोगी जीवन और अवशेष मूल्यों की प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख पर समीक्षा की जाती है।

अमूर्त परिसंपत्तियों का अनुमानित उपयोगी जीवन निम्नानुसार है:

क. सॉफ्टवेयर (अधिग्रहित/स्वयं-जनित), जो हार्डवेयर का अभिन्न भाग नहीं है, का कानूनी उपयोग अधिकार की अवधि या 3 वर्ष (जो भी पहले हो) पर सीधी रेखा विधि द्वारा अपलेखन किया जाता है।

ख. अन्य अमूर्त परिसंपत्तियां (अधिग्रहित/स्वयं-जनित) का कानूनी उपयोग अधिकार की अवधि या 5 वर्ष (जो भी पहले हो) पर सीधी रेखा विधि द्वारा अपलेखन किया जाता है।

ग. ₹5,000/- या कम लागत वाली अमूर्त परिसंपत्तियों को खरीद के वर्ष में पूरी तरह से मूल्यह्रास/अपलेखन किया जाता है और पहचान के उद्देश्य से ₹1 की टोकन वैल्यू रखी जाती है।

2.09 पूंजीगत कार्य प्रगति में

क) कंपनी द्वारा किए गए परियोजना के साथ सीधे पहचाने जा सकने वाले व्यय को "प्रत्यक्ष परियोजना व्यय" के तहत "पूंजीगत कार्य प्रगति में" में डेबिट किया जाता है। कर्मचारी लाभों की प्रकृति वाला अप्रत्यक्ष व्यय और परियोजना से सीधे संबंधित अप्रत्यक्ष व्यय को परियोजना में चार्ज किया गया है। अन्य अप्रत्यक्ष व्यय जो परियोजना के साथ-साथ परियोजना से इतर दोनों पर किए गए हैं, उन्हें प्रबंधन निर्णय के आधार पर व्यक्तिगत परियोजना गलियारे में शामिल प्रयासों और अन्य संबंधित कारकों को ध्यान में रखते हुए परियोजना के लिए आनुपातिक रूप से आवंटित किया गया है।

ख) निर्माण अवधि से संबंधित आय जैसे टेंडर दस्तावेजों की बिक्री आदि को निर्माण के दौरान व्यय के विरुद्ध समायोजित किया जाता है और परिसंपत्तियों के इच्छित उपयोग के लिए तैयार होने से पहले अर्जित राजस्व, यदि कोई हो, को परिसंपत्तियों की लागत के विरुद्ध समायोजित किया जाता है।

ग) मूल्य भिन्नता सहित दावों को कंपनी द्वारा स्वीकृति पर हिसाब में लिया जाता है।

घ) नुकसानदायक क्षति को वास्तविक वसूली के समय मान्यता दी जाती है। क्या नुकसानदायक क्षति को परियोजना लागत के विरुद्ध समायोजित किया जाना चाहिए या नहीं, यह इस तथ्य पर निर्भर करेगा कि क्या

नुकसानदायक क्षति सीधे परियोजना के साथ पहचानने योग्य हैं और क्या, वास्तव में, वे कंपनी द्वारा किए जाने वाले अतिरिक्त परियोजना लागत को कम करने के लिए प्राप्त किए जाते हैं, जिसे परियोजना लागत के हिस्से के रूप में पूंजीगत किया जाएगा। जहां और जिस हद तक नुकसानदायक क्षति उपरोक्त शर्तों को सकारात्मक रूप से पूरा करती हैं, वहीं उन्हें परियोजना की लागत के साथ समायोजित किया जाएगा। अन्यथा, उन्हें आय के रूप में हिसाब में लिया जाएगा।

2.10 पूंजीगत अग्रिम

प्रत्येक बैलेंस शीट तारीख को बकाया संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के अधिग्रहण की ओर दिए गए अग्रिम को अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियों के तहत पूंजीगत अग्रिम के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

2.11 भूमि

क) भूमि को भारतीय लेखांकन मानकों के अनुसार स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए रूपरेखा द्वारा आवश्यक नियंत्रण के आधार पर एक परिसंपत्ति के रूप में मान्यता दी जाती है।

ख) भूमि स्वामियों सहित विभिन्न सरकारी निकायों और विभागों द्वारा सौंपी गई और कंपनी द्वारा कब्जे में ली गई भूमि के टुकड़ों को कंपनी द्वारा भूमि का कब्जा लेने या भुगतान करने (जो भी पहले हो) के समय पूंजीगत किया गया है, सिवाय जहां कब्जा लिया गया है लेकिन मूल्य ज्ञात नहीं है।

ग) सरकार से टोकन मूल्य पर प्राप्त भूमि, जिसका स्वामित्व कंपनी के पास निहित है, को टोकन मूल्य पर मान्यता दी जाती है, यह मानते हुए कि भूमि विशिष्ट उद्देश्यों के लिए आवंटित की गई है।

घ) यदि कोई संवर्धित मुआवजा है, तो उसे भुगतान देय होने पर बुक किया जाएगा क्योंकि राशि का अनुमान नहीं लगाया जा सकता।

ङ°) स्टाम्प ड्यूटी, पंजीकरण शुल्क, अन्य संबंधित फीस, पुनर्वास और पुनर्स्थापन की लागत और भूमि से संबंधित अन्य व्यय को भूमि की लागत में जोड़ा जाता है।

च) भूमि या लीजहोल्ड भूमि की लागत के रूप में भूमि से संबंधित लागत या मुआवजा की ओर अस्थायी रूप से किए गए भुगतान/देयता के अनुरूप प्रभाव को माना जाता है, जिसमें ढांचों के अधिग्रहण की लागत और ऐसे ध्वस्त ढांचों की विक्री आय को घटाना शामिल है।

छ) 'भूमि अधिग्रहण के लिए सक्षम प्राधिकारी' (CALA) के साथ कंपनी के लिए भूमि खरीदने के लिए अलग बैंक खाते में जमा राशि को शुरू में भूमि के लिए अग्रिम के रूप में treated किया जाता है। CALA खातों से उक्त उद्देश्य के लिए सीधे भूमि स्वामियों को वितरण को भूमि लागत के रूप में समायोजित किया जाता है और शेष राशि को CALA के साथ अग्रिम के रूप में दिखाया जाता है।

ज) अस्थायी आधार पर अधिग्रहित भूमि/सड़क चौड़ीकरण, बिजली सुविधाएं स्थापित करने के लिए उपयोग की गई भूमि की ओर अस्थायी रूप से किए गए भुगतान/देयता के अनुरूप प्रभाव को भूमि पर निर्मित परिसंपत्तियों की लागत में जोड़ा जाता है।

2.12 गैर-वित्तीय परिसंपत्तियों का ह्रास

इंड एएस-36 परिसंपत्तियों के ह्रास के अनुसार, कंपनी की परिसंपत्तियों की वहन राशि की प्रत्येक बैलेंस शीट तारीख पर समीक्षा की जाती है यह निर्धारित करने के लिए कि क्या ह्रास का कोई संकेत है। यदि कोई ऐसा संकेत मौजूद है, तो परिसंपत्ति की पुनर्प्राप्त योग्य राशि का अनुमान उचित मूल्य बेचने की लागत को घटाने और उपयोग में मूल्य में से उच्चतर के रूप में लगाया जाता है। जब किसी परिसंपत्ति या इसके नकद उत्पन्न इकाई की वहन राशि उसकी पुनर्प्राप्त योग्य राशि से अधिक होती है तो हानि के विवरण में ह्रास हानि मान्यता दी जाती है। यदि पुनर्प्राप्त योग्य राशि के अनुमान में बदलाव आया है और ऐसी हानि या तो अब मौजूद नहीं है या कम हो गई है, तो पिछली लेखांकन अवधियों में मान्यता प्राप्त ह्रास हानि को उल्टा कर दिया जाता है। ह्रास हानि की वापसी को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

2.13 (क) राजस्व मान्यता

i. राजस्व को उस हद तक मान्यता दी जाती है कि यह संभावना हो कि आर्थिक लाभ कंपनी की ओर प्रवाहित होंगे और राजस्व को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकेगा। हालांकि, जब पहले से ही राजस्व में शामिल राशि की वसूली के बारे में अनिश्चितता उत्पन्न होती है, तो वसूल न होने योग्य राशि, या वह राशि जिसके संबंध में वसूली संभावना समाप्त हो गई है, को पहले से मान्यता प्राप्त राजस्व राशि के समायोजन के बजाय व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है।

ii. ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व को तब मान्यता दी जाती है जब वस्तुओं या सेवाओं का नियंत्रण ग्राहक को उस राशि पर स्थानांतरित हो जाता है जो उन वस्तुओं या सेवाओं के बदले में कंपनी को मिलने वाली प्रतिफल को दर्शाता है।

iii. राजस्व को प्राप्त या प्राप्त होने योग्य प्रतिफल के उचित मूल्य पर मापा जाता है।

iv. सेवाएं प्रदान करने से राजस्व को उस लेखांकन अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें सेवाएं प्रदान की जाती हैं। राजस्व को समय के साथ या किसी बिंदु पर संतुष्ट प्रदर्शन दायित्व के आधार पर मान्यता दी जाती है।

क. यदि प्रदर्शन दायित्व समय के साथ संतुष्ट होता है तो राजस्व को कुल प्रदान की जाने वाली सेवाओं के अनुपात के रूप में रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक वास्तविक प्रदान की गई सेवा के आधार पर मान्यता दी जाती है। यह भौतिक प्रगति, प्रयासों, लेनदेन की कुल अनुमानित लागत के लिए अब तक किए गए व्यय, बिताए गए समय, प्रदर्शित सेवा या किसी अन्य विधि के आधार पर निर्धारित किया जाता है जिसे प्रबंधन उचित मानता है।

ख. अन्य मामलों में जहां प्रदर्शन दायित्व समय के साथ संतुष्ट नहीं होता है, राजस्व को किसी बिंदु पर मान्यता दी जाती है।

ग. अनुबंधों के मामले में, जहां ग्राहक भुगतान अनुसूची के आधार पर निश्चित राशि का भुगतान करता है, यदि कंपनी द्वारा प्रदान की गई सेवाएं भुगतान से अधिक हैं, तो एक अनुबंध परिसंपत्ति को मान्यता दी जाती है। यदि भुगतान प्रदान की गई सेवाओं से अधिक हैं, तो एक अनुबंध देयता को मान्यता दी जाती है।

घ. गतिशीलता शुल्क (Mobilization fee) को अनुबंध/वर्क ऑर्डर की शर्तों के अनुसार गतिविधियों/लेनदेन के पूर्णता के चरण के आधार पर राजस्व के रूप में मान्यता दिए जाने तक ग्राहक अग्रिम के रूप में माना जाता है।

ग. प्रतिपूर्ति योग्य और आपूर्ति को संचय आधार पर हिसाब में लिया जाता है।

घ. निर्माण प्रबंधन/पर्यवेक्षण अनुबंधों में, राजस्व को प्रबंधन द्वारा निर्धारित प्रत्येक अनुबंध के किए गए कार्य/निर्मित लागत के मूल्य के प्रतिशत के रूप में मान्यता दी जाती है, यदि कोई हो तो ग्राहक के अनुमोदन की प्रतीक्षा में।

ङ°. किराया संग्रह से आय को QR टिकट के उपयोग, स्मार्ट/NCMC कार्ड के मामले में वास्तविक उपयोग के धन मूल्य और अन्य प्रत्यक्ष किराया संग्रह के आधार पर मान्यता दी जाती है। राजस्व के रूप में प्रकट राशि वापसी, रियायतों, वफादारी/बोनस अंक, छूट आदि को घटाने के बाद नेट है।

च. गैर-किराया बॉक्स राजस्व से संपत्ति विकास/किराया आय के संबंध में भूमि, स्टेशनों पर स्थान आदि। विज्ञापन आय, किराया और लाइसेंस आय, स्टेशन नामकरण अधिकार, आयोजनों के लिए स्थान प्रदान करने से आय, प्रायोजन आय आदि को जहां लागू हो वहां अनुबंध की शर्तों और स्थितियों के अनुसार अन्यथा समय के अनुपात के आधार पर मान्यता दी जाती है।

छ. स्क्रैप की बिक्री/ग्राहकों से देय भुगतान पर ब्याज की आय को वास्तविकता के आधार पर हिसाब में लिया जाता है।

ज. देर से भुगतान/अतिदेय व्यापार प्राप्तियों पर देय भुगतान पर ब्याज को तब मान्यता दी जाती है जब मापने योग्यता या वसूली के बारे में कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद नहीं होती है।

(ख) अन्य राजस्व मान्यता

i. ब्याज आय को प्रभावी ब्याज दर विधि का उपयोग करते हुए बकाया राशि और लागू ब्याज दर को ध्यान में रखते हुए समय के अनुपात के आधार पर मान्यता दी जाती है।

ii. लाभांश को तब मान्यता दी जाती है जब भुगतान प्राप्त करने का संस्था का अधिकार स्थापित हो जाता है, आर्थिक लाभ संस्था की ओर प्रवाहित होगा और राशि को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकेगा।

iii. किराए और परिचालन पट्टे से राजस्व को संबंधित समझौते की सामग्री के अनुसार संचय आधार पर मान्यता दी जाती है।

2.14 रोजगार लाभ

(क) **परिभाषित योगदान योजनाएं:** कंपनी भविष्य निधि योजना और कर्मचारी पेंशन योजना के संबंध में क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को परिभाषित योगदान करती है। कंपनी अपने कर्मचारियों को राष्ट्रीय पेंशन योजना लाभ भी प्रदान करती है जिन्होंने योजना के लिए विकल्प चुना है। योजनाओं के तहत भुगतान/देय योगदान को उस अवधि के दौरान मान्यता दी जाती है जिसमें कर्मचारी संबंधित सेवा प्रदान करता है।

(ख) **परिभाषित लाभ योजनाएं:** ग्रैच्युटी, छुट्टी नकदीकरण, छुट्टी यात्रा रियायत, सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ, सेवानिवृत्ति के समय सामान भत्ता रोजगार प्राप्त करने के पश्चात परिभाषित लाभ योजना हैं। बही खाता (बैलेंस शीट) में मान्यता दी गई देयता परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य है। परिभाषित लाभ दायित्व की गणना एक स्वतंत्र बीमांकिक द्वारा प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट (PUC) विधि का उपयोग करके की जाती है।

- कंपनी परिभाषित लाभ योजना के शुद्ध दायित्व को अपनी बैलेंस शीट में एक देयता के रूप में मान्यता देती है।

- शुद्ध परिभाषित लाभ देयता के पुनर्मापन के माध्यम से लाभ या हानि को अन्य समग्र आय (OCI) में मान्यता दी जाती है।
- शुद्ध परिभाषित लाभ देयता/(परिसंपत्ति) पर सेवा लागत और शुद्ध ब्याज लागत/(आय) को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

(ग) पुनर्मापन जिसमें बीमांकिक लाभ और हानि, परिभाषित लाभ देयता की शुद्ध ब्याज में शामिल राशियों को छोड़कर परिसंपत्ति सीमा का प्रभाव, और योजना परिसंपत्तियों पर वापसी (शुद्ध परिभाषित लाभ देयता पर शुद्ध ब्याज में शामिल राशियों को छोड़कर) शामिल हैं, को तुरंत अन्य समग्र आय (OCI) में उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें वे होते हैं। पुनर्मापन को बाद की अवधि में लाभ और हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाता है।

(घ) विदेशी सेवा योगदान की ओर प्रावधान/देनदारियां मातृ संगठन के प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारियों के लिए प्रतिनियुक्ति शर्तों और स्थितियों के आधार पर बनाई जाती हैं और संचय आधार पर बुक ऑफ अकाउंट्स में भुगतान या हिसाब में लिया जाता है।

(ङ°) **अल्पकालिक लाभ:** अल्पकालिक कर्मचारी लाभ दायित्वों को बिना छूट के मापा जाता है और संबंधित सेवा प्रदान किए जाने के रूप में व्यय किया जाता है।

2.15 ऋण लागत

योग्य परिसंपत्तियों के अधिग्रहण, निर्माण या उत्पादन से सीधे संबंधित सामान्य और विशिष्ट उधार लागत को पूंजीगत किया जाता है जब तक कि परिसंपत्तियां उनके इच्छित उपयोग के लिए पर्याप्त रूप से तैयार नहीं हो जातीं।

एक योग्य परिसंपत्ति वह परिसंपत्ति है जिसे अपने इच्छित उपयोग के लिए तैयार होने में पर्याप्त समय लगता है। अन्य सभी उधार लागत को लाभ और हानि के विवरण में उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें वे होती हैं।

विदेशी मुद्रा उधार से उत्पन्न विनिमय अंतर को ब्याज लागत में समायोजन माने जाने की हद तक उधार लागत के रूप में माना जाता है, जो योग्य परिसंपत्तियों के अधिग्रहण, निर्माण या उत्पादन से सीधे संबंधित है।

समायोजन के लिए पात्र विनिमय उतार-चढ़ाव हानि की सीमा का निर्धारण संचयी अवधि दृष्टिकोण पर विदेशी मुद्रा में उधार की लागत और कार्यात्मक मुद्रा में उधार की लागत की तुलना करके किया जाता है।

2.16 आयकर

(क) वर्तमान आयकर

आय पर कर का निर्धारण कर योग्य आय और आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अनुसार गणना किए गए कर क्रेडिट के आधार पर किया जाता है।

वर्तमान कर परिसंपत्तियों और वर्तमान कर देनदारियों को तब ऑफसेट किया जाता है जब मान्यता प्राप्त राशियों को सेट ऑफ करने का कानूनी रूप से प्रवर्तनीय अधिकार होता है और देयता और परिसंपत्ति को नेट आधार पर निपटाने का इरादा होता है।

ओसीआई (OCI) मदों से संबंधित वर्तमान कर को अन्य समग्र आय (OCI) में मान्यता दी जाती है।

(ख) देयकर (Deferred Tax)

चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी भारतीय लेखांकन मानक (IND-AS 12) "आयकर" के अनुसार।

i. देयकर आयकर परिसंपत्तियां और देनदारियां उन अस्थायी अंतरों के लिए मान्यता दी जाती हैं जिनकी गणना उस रिपोर्टिंग तारीख पर लागू कर दरों और कर कानूनों का उपयोग करके की जाती है जो लागू या प्रभावी रूप से लागू हो चुके हैं।

ii. देयकर आयकर परिसंपत्ति को उस हद तक मान्यता दी जाती है कि यह संभावना हो कि कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा जिसके विरुद्ध घटाए जाने योग्य अस्थायी अंतरों, और बकाया कर क्रेडिट और बकाया कर हानियों का उपयोग किया जा सकेगा।

iii. देयकर आयकर परिसंपत्तियों और देयकर आयकर देनदारियों को तब ऑफसेट किया जाता है जब वर्तमान कर का प्रतिनिधित्व करने वाली देनदारियों के विरुद्ध परिसंपत्तियों को सेट ऑफ करने का कानूनी रूप से प्रवर्तनीय अधिकार होता है और जहां देयकर आयकर परिसंपत्तियां और देयकर आयकर देनदारियां उसी शासी कर कानूनों द्वारा लगाए गए आय पर करों से संबंधित होती हैं।

iv. देयकर आयकर परिसंपत्तियों और देनदारियों को उस कर दरों और कर कानूनों का उपयोग करके मापा जाता है जो बैलेंस शीट तारीख तक लागू या प्रभावी रूप से लागू हो चुके हैं। प्रत्येक बैलेंस शीट तारीख पर, कंपनी अमान्य देयकर आयकर परिसंपत्तियों, यदि कोई हों, का पुनर्मूल्यांकन करती है।

v. देयकर आयकर परिसंपत्तियों की वहन राशि की प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख पर समीक्षा की जाती है और उसे उस हद तक कम किया जाता है कि यह अब संभावना नहीं है कि पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा जिससे सभी या देयकर आयकर परिसंपत्ति के कुछ हिस्से का उपयोग किया जा सके।

vi. अन्य समग्र आय (OCI) मद से संबंधित देयकर को अन्य समग्र आय (OCI) में मान्यता दी जाती है।

2.17 निवेश संपत्तियां

क) निवेश संपत्ति में पूरी संपत्ति, निर्माणाधीन संपत्ति और वित्त पट्टे के तहत धारित संपत्ति शामिल है जो व्यापार के सामान्य पाठ्यक्रम में बिक्री या उत्पादन या प्रशासनिक कार्यों में उपयोग के बजाय किराए अर्जित करने या पूंजी प्रशंसा या दोनों के लिए धारित है।

ख) निवेश संपत्तियों को संचित मूल्यह्रास और संचित ह्रास हानि (यदि कोई हो) को घटाने के बाद लागत पर दर्शाया जाता है।

ग) कंपनी निवेश संपत्ति के प्रत्येक घटक का मूल्यह्रास कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची II में वर्णित जीवन पर मूल खरीद की तारीख से करती है।

घ) निवेश संपत्तियों को या तो तब हटा दिया जाता है जब उनका निपटान कर दिया गया हो या जब उन्हें स्थायी रूप से उपयोग से वापस ले लिया गया हो और उनके निपटान से कोई भविष्य का आर्थिक लाभ प्राप्त होने की उम्मीद न हो। नेट निपटान आय और परिसंपत्ति की वहन राशि के बीच के अंतर को लाभ या हानि में निपटान की अवधि में मान्यता दी जाती है।

2.18 प्रावधान, आकस्मिक देनदारियां और आकस्मिक परिसंपत्तियां

क) प्रावधान उन देनदारियों के संबंध में मान्यता दिए जाते हैं जिन्हें केवल अनुमानों के महत्वपूर्ण डिग्री का उपयोग करके मापा जा सकता है जब:

i. कंपनी के पास अतीत की घटना के परिणामस्वरूप वर्तमान दायित्व हो।

ii. दायित्व को निपटाने के लिए आर्थिक लाभों वाले संसाधनों के बहिर्वाह की संभावना हो; और

iii. दायित्व की राशि को विश्वसनीय रूप से अनुमानित किया जा सके। प्रत्येक बैलेंस शीट तारीख पर प्रावधानों की समीक्षा की जाती है।

प्रावधानों की छूट

जहां राशि के समग्र मूल्य का प्रभाव महत्वपूर्ण है, वहां की राशि, दायित्व को निपटाने के लिए अपेक्षित व्यय का वर्तमान मूल्य होगी।

ख) आकस्मिक देनदारियों को निम्नलिखित मामलों में प्रकट किया जाता है:

i. किसी पिछली घटना से उत्पन्न मौजूदा ज़िम्मेदारी, जब यह संभव नहीं है कि ज़िम्मेदारी को पूरा करने के लिए संसाधनों के बाह्यप्रवाह की ज़रूरत होगी; या

ii. वर्तमान दायित्व का विश्वसनीय अनुमान नहीं लगाया जा सके; या

iii. एक संभावित दायित्व, जब तक कि संसाधन के बहिर्वाह की संभावना दूर न हो।

आकस्मिक देनदारियों और आकस्मिक देनदारियों के लिए अपेक्षित आवश्यक प्रावधानों और आकस्मिक परिसंपत्तियों की प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख पर समीक्षा की जाती है।

ग) आकस्मिक परिसंपत्तियों को तब प्रकट किया जाता है जब आर्थिक लाभों के अंतर्वाह की संभावना हो।

2.19 पट्टे (Leases)

(क) पट्टेधारक के रूप में

(i) कंपनी पट्टे आरंभ की तारीख पर एक अधिकार-उपयोग परिसंपत्ति और एक पट्टा देयता को मान्यता देती है। अधिकार-उपयोग परिसंपत्ति को शुरू में लागत पर मापा जाता है, जिसमें पट्टा देयता की प्रारंभिक राशि शामिल है जो पट्टे के आरंभ से पहले या उस समय किए गए किसी भी पट्टा भुगतान के लिए समायोजित है, कोई भी प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागत को घटा कर और अंतर्निहित परिसंपत्ति को हटाने और उस परिसंपत्ति या जिस स्थल पर यह स्थित है उसे पुनर्स्थापित करने की अनुमानित लागत, कोई भी प्राप्त पट्टा प्रोत्साहन को घटाया जाता है।

(ii) अधिकार-उपयोग परिसंपत्ति का बाद में आरंभ की तारीख से अधिकार-उपयोग-परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन के अंत या पट्टे की अवधि के अंत (जो भी पहले हो) तक सीधी-रेखा विधि का उपयोग करके मूल्यह्रास किया जाता है। अधिकार-उपयोग परिसंपत्ति का अनुमानित उपयोगी जीवन संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के समान आधार पर निर्धारित किया जाता है। इसके अलावा, अधिकार-उपयोग परिसंपत्ति को समय-समय पर ह्रास हानि, यदि कोई हो, से कम किया जाता है और पट्टा देयता के कुछ पुनर्मापन के लिए समायोजित किया जाता है।

(iii) पट्टा देयता को शुरू में उन पट्टा भुगतानों के वर्तमान मूल्य पर मापा जाता है जो आरंभ की तारीख पर भुगतान नहीं किए गए हैं, जिन्हें पट्टे में निहित ब्याज दर का उपयोग करके छूट दी गई है, या यदि वह दर आसानी से निर्धारित नहीं की जा सकती है, तो कंपनी की वृद्धिशील उधार दर का उपयोग करके।

(iv) पट्टा देयता को प्रभावी ब्याज विधि का उपयोग करके शोधित लागत पर मापा जाता है, और जब सूचकांक या दर में बदलाव से भविष्य के पट्टा भुगतानों में बदलाव होता है तो पुनर्मापित किया जाता है। जब पट्टा देयता को इस तरह से पुनर्मापित किया जाता है, तो अधिकार-उपयोग परिसंपत्ति की वहन राशि के लिए एक संगत समायोजन किया जाता है या यदि अधिकार-उपयोग परिसंपत्ति की वहन राशि को शून्य तक कम कर दिया गया है तो लाभ और हानि में रिकॉर्ड किया जाता है।

(v) कंपनी उन अधिकार-उपयोग परिसंपत्तियों को प्रस्तुत करती है जो निवेश संपत्ति की परिभाषा को पूरा नहीं करतीं, उन्हें बैलेंस शीट के चेहरे पर "अधिकार-उपयोग परिसंपत्ति" पर और पट्टा देनदारियों को बैलेंस शीट में "अन्य वित्तीय देनदारियां" में प्रस्तुत करती है।

(vi) **अल्पकालिक पट्टा और कम मूल्य वाली परिसंपत्तियों के पट्टे: -**

कंपनी ने 12 महीने या कम की पट्टा अवधि वाले अल्पकालिक पट्टे और कम मूल्य वाली परिसंपत्तियों के पट्टे के लिए अधिकार-उपयोग परिसंपत्ति और पट्टा देनदारियों को मान्यता नहीं देने का विकल्प चुना है। कंपनी इन पट्टे से जुड़े पट्टा भुगतानों को पट्टा अवधि पर सीधी-रेखा आधार पर व्यय के रूप में मान्यता देती है।

(vii) कुल पट्टा अवधि पर प्रत्येक पट्टा समझौते के लिए देय पट्टा शुल्क ₹1.00 करोड़ से ऊपर होने पर सामग्री माना जाता है और तदनुसार इंड एएस 116 लागू किया जाता है।

(ख) पट्टेदार के रूप में

जब कंपनी पट्टेदार के रूप में कार्य करती है, तो यह पट्टे की शुरुआत में यह निर्धारित करती है कि प्रत्येक पट्टा वित्त पट्टा है या परिचालन पट्टा। प्रत्येक पट्टे को वर्गीकृत करने के लिए, कंपनी यह आकलन करती है कि क्या पट्टा अंतर्निहित परिसंपत्ति के स्वामित्व से जुड़े जोखिम और पुरस्कारों को पर्याप्त रूप से स्थानांतरित करता है। यदि ऐसा है, तो पट्टा वित्त पट्टा है, यदि नहीं तो यह परिचालन पट्टा है। आकलन के हिस्से के रूप में, कंपनी कुछ संकेतकों पर विचार करती है जैसे कि क्या पट्टा परिसंपत्ति के आर्थिक जीवन के प्रमुख हिस्से के लिए है।

कंपनी परिचालन पट्टे के तहत प्राप्त पट्टा भुगतानों को "अन्य आय" के हिस्से के रूप में पट्टे की अवधि पर सीधी-रेखा आधार पर आय के रूप में मान्यता देती है।

2.20 अनुदान

(i) परिसंपत्तियों के सृजन के लिए पूंजीगत व्यय की ओर सरकार से इक्विटी के बदले अनुदान को अन्य इक्विटी के रूप में दिखाया जाता है।

(ii) परिसंपत्तियों के सृजन के लिए पूंजीगत व्यय की ओर अन्य तकनीकी अनुदान को शुरू में 'आगामी आय' के रूप में दिखाया जाता है। इनके बाद संबंधित परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास के अनुपात में प्रत्येक वर्ष आय के रूप में मान्यता दी जाती है।

(iii) राजस्व व्यय की ओर अन्य से अनुदान को वास्तविक व्यय की हद तक आय माना जाता है।

2.21 अधीनस्थ ऋण

भारत सरकार, दिल्ली सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार (कंपना के प्रमोटर) ने कंपनी को ब्याज-मुक्त अधीनस्थ ऋण दिए हैं जो एशियाई विकास बैंक (ADB), न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB) और एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक (AIIB) से ब्याज-भर वरिष्ठ ऋणों की वापसी के बाद वापस देय हैं। चूंकि सरकार से अधीनस्थ ऋण ब्याज-मुक्त हैं, इसलिए इंड एएस 109 और इंड एएस 113 द्वारा आवश्यकतानुसार उन्हें उचित मूल्य पर रिपोर्ट किया जाता है, जिसके तहत वित्तीय परिसंपत्तियों या वित्तीय देनदारियों को उचित मूल्य पर मापने की आवश्यकता होती है। तदनुसार, ब्याज-मुक्त अधीनस्थ ऋणों को उचित मूल्य पर मापा जाता है और अधीनस्थ ऋण राशि और इसके उचित मूल्य राशि पर उत्पन्न अंतर को इक्विटी में गैर-पारस्परिक पूंजीगत योगदान के रूप में मान्यता दी जाती है।

2.22 प्रति शेयर आय

आधारभूत प्रति शेयर अर्जित की गणना अवधि के दौरान इक्विटी शेयरधारकों के लिए आबंटित अवधि के लिए नेट लाभ या हानि को अवधि के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों के भारित औसत संख्या से विभाजित करके की जाती है। तनुकृत प्रति शेयर अर्जित की गणना के उद्देश्य के लिए, अवधि के लिए इक्विटी शेयरधारकों के लिए आबंटित अवधि के लिए नेट लाभ या हानि और अवधि के दौरान बकाया शेयरों की भारित औसत संख्या को सभी तनुकृत (dilutive) संभावित इक्विटी शेयरों के प्रभावों के लिए समायोजित किया जाता है।

2.23 इक्विटी धारकों को लाभांश

भुगतान/देय लाभांश को उस वर्ष में मान्यता दी जाती है जिसमें संबंधित लाभांश शेयरधारकों या निदेशक मंडल द्वारा यथाउचित अनुमोदित किए जाते हैं।

2.24 उचित मूल्य मापन

i. कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख पर कुछ वित्तीय साधनों को उचित मूल्य पर मापती है।

ii. उचित मूल्य वह कीमत है जो एक परिसंपत्ति को बेचने के लिए प्राप्त की जाएगी या एक देयता को स्थानांतरित करने के लिए भुगतान की जाएगी जो मापन की तारीख पर बाजार प्रतिभागियों के बीच एक व्यवस्थित लेनदेन में होगी। उचित मूल्य मापन इस धारणा पर आधारित है कि परिसंपत्ति को बेचने या देयता को स्थानांतरित करने का लेनदेन या तो:

- परिसंपत्ति या देयता के लिए प्राथमिक बाजार में होता है, या
- प्राथमिक बाजार की अनुपस्थिति में, परिसंपत्ति या देयता के लिए सबसे अधिक फायदेमंद बाजार में होता है।

प्राथमिक या सबसे अधिक फायदेमंद बाजार कंपनी के लिए सुलभ होना चाहिए। एक परिसंपत्ति या देयता के उचित मूल्य का मापन उन धारणाओं का उपयोग करके किया जाता है जो बाजार प्रतिभागी परिसंपत्ति या देयता की कीमत तय करते समय उपयोग करेंगे, यह मानते हुए कि बाजार प्रतिभागी अपने आर्थिक सर्वोत्तम हित में कार्य करते हैं।

कंपनी उन मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करती है जो परिस्थितियों के लिए उचित हैं और जिनके लिए उचित मूल्य को मापने के लिए पर्याप्त डेटा उपलब्ध है, जो प्रासंगिक प्रेक्षणीय इनपुट का अधिकतम उपयोग करती हैं और अप्रमाणित इनपुट का न्यूनतम उपयोग करती हैं।

2.25 वित्तीय साधन:

(i) प्रारंभिक मान्यता और मापन

वित्तीय परिसंपत्तियां और देनदारियां तब मान्यता दी जाती हैं जब कंपनी साधन के अनुबंधात्मक प्रावधानों का पक्ष बन जाती है।

वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों को शुरू में उचित मूल्य पर मापा जाता है। लेनदेन लागत जो वित्तीय परिसंपत्तियों या वित्तीय देनदारियों (लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों को छोड़कर) के अधिग्रहण या जारी करने से सीधे आबंटित होती हैं, को वित्तीय परिसंपत्ति या वित्तीय देयता के प्रारंभिक मान्यता पर मापे गए उचित मूल्य में जोड़ा या घटाया जाता है।

(ii) बाद का मापन

वित्तीय परिसंपत्तियां

वित्तीय परिसंपत्तियों को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है:

क. शोधित लागत पर

वित्तीय परिसंपत्तियों को बाद में शोधित लागत पर मापा जाता है यदि ये वित्तीय परिसंपत्तियां एक ऐसे व्यवसाय के भीतर धारित हैं जिसका उद्देश्य अनुबंधात्मक नकद प्रवाह को एकत्र करने के लिए इन परिसंपत्तियों को धारण करना है और वित्तीय परिसंपत्ति के अनुबंधात्मक शर्तें निर्दिष्ट तारीखों पर मूल राशि बकाया पर केवल मूल और ब्याज के भुगतान के लिए नकद प्रवाह उत्पन्न करती हैं।

ख. अन्य समग्र आय के माध्यम से उचित मूल्य पर (एफवीटीओसीआई)

वित्तीय परिसंपत्तियों को अन्य समग्र आय के माध्यम से उचित मूल्य पर मापा जाता है यदि ये वित्तीय परिसंपत्तियां एक ऐसे व्यवसाय के भीतर धारित हैं जिसका उद्देश्य अनुबंधात्मक नकद प्रवाह को एकत्र करने और वित्तीय परिसंपत्तियों को बेचने दोनों द्वारा प्राप्त किया जाता है और वित्तीय परिसंपत्ति के अनुबंधात्मक शर्तें निर्दिष्ट तारीखों पर मूल राशि बकाया पर केवल मूल और ब्याज के भुगतान के लिए नकद प्रवाह उत्पन्न करती हैं।

ग. लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर (एफवीटीपीएल)

वित्तीय परिसंपत्तियों को लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर मापा जाता है जब तक कि इसे प्रारंभिक मान्यता पर शोधित लागत पर या अन्य समग्र आय के माध्यम से उचित मूल्य पर न मापा गया हो। लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों के अधिग्रहण से सीधे आबंटित लेनदेन लागत को तुरंत लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है।

वित्तीय देनदारियां

वित्तीय देनदारियों को निम्नलिखित रूप से वर्गीकृत किया जाता है:

क. शोधित लागत पर वित्तीय देनदारियां

शोधित लागत पर वित्तीय देनदारियां जो व्यापार और अन्य देयताओं, सुरक्षा जमा और प्रतिधारण राशि आदि द्वारा प्रतिनिधित्व की जाती हैं, को शुरू में उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है और बाद में प्रभावी ब्याज दर विधि का उपयोग करके शोधित लागत पर ली जाती हैं।

ख. एफवीटीपीएल पर वित्तीय देनदारियां

कंपनी ने किसी भी वित्तीय देनदारियों को एफवीटीपीएल पर नामित नहीं किया है।

(iii) गैर-मान्यता

वित्तीय परिसंपत्ति

एक वित्तीय परिसंपत्ति (या, जहां लागू हो, एक वित्तीय परिसंपत्ति का हिस्सा या समान वित्तीय परिसंपत्तियों के समूह का हिस्सा) को केवल तभी मान्यता रद्द की जाती है जब परिसंपत्ति से नकद प्रवाह के अनुबंधात्मक अधिकार समाप्त हो जाते हैं या यह वित्तीय परिसंपत्तियों को स्थानांतरित करती है और परिसंपत्ति के स्वामित्व के जोखिम और पुरस्कारों को पर्याप्त रूप से स्थानांतरित करती है।

वित्तीय देयता

एक वित्तीय देयता को तब रद्द की जाती है जब देयता के तहत दायित्व को निपटाया या रद्द किया जाता है या समाप्त हो जाता है। जब एक मौजूदा वित्तीय देयता को उसी ऋणदाता से दूसरी देयता द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है जो पर्याप्त रूप से भिन्न शर्तों पर हो, या एक मौजूदा देयता की शर्तों को पर्याप्त रूप से संशोधित किया जाता है, तो ऐसे आदान-प्रदान या संशोधन को मूल देयता की डी-मान्यता और एक नई देयता की मान्यता के रूप में माना जाता है, और संबंधित वहन राशि में अंतर को लाभ या हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

(iv) वित्तीय परिसंपत्तियों का ह्रास:

कंपनी वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए अपेक्षित क्रेडिट हानि (ECL) मॉडल को ह्रास हानि के मापन और मान्यता के लिए लागू करती है। कंपनी व्यापार प्राप्तियों पर ह्रास हानि भत्ते की मान्यता के लिए 'सरलीकृत दृष्टिकोण' का पालन करती है। सरलीकृत दृष्टिकोण के अनुप्रयोग के लिए कंपनी को क्रेडिट जोखिम में बदलाव को ट्रैक करने की आवश्यकता नहीं होती है। बल्कि, यह प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख पर, उसकी प्रारंभिक मान्यता से ही, जीवनकाल ECLs के आधार पर ह्रास हानि भत्ते को मान्यता देती है।

कंपनी अपने शोधित लागत और एफवीटीओसीआई ऋण साधनों पर करेड परिसंपत्तियों से जुड़े अपेक्षित क्रेडिट हानि का आगे की ओर देखकर आकलन करती है। ह्रास कार्यप्रणाली इस पर लागू होती है कि क्या क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है।

ईसीएल ह्रास हानि भत्ता (या उल्टा) जो अवधि के दौरान मान्यता दी जाती है, उसे लाभ और हानि के विवरण में आय/व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है।

2.26 बिक्री के लिए धारित गैर-चालू परिसंपत्तियां:

गैर-चालू परिसंपत्तियों को बिक्री के लिए धारित परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जब उनकी वहन राशि को मुख्य रूप से एक बिक्री लेनदेन के माध्यम से पुनर्प्राप्त किया जाना है और बिक्री को अत्यधिक संभावित माना जाता है। बिक्री को केवल तभी अत्यधिक संभावित माना जाता है जब परिसंपत्ति या निपटान समूह अपनी वर्तमान स्थिति में तत्काल बिक्री के लिए उपलब्ध हो, यह असंभावित हो कि बिक्री वापस ले ली जाएगी और वर्गीकरण की तारीख से एक वर्ष के भीतर बिक्री की उम्मीद हो। बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत निपटान समूहों को वहन राशि और लागत को घटाने के बाद उचित मूल्य में से कम पर दर्शाया जाता है। बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत होने पर संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और अमूर्त परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास या अपलेखन नहीं किया जाता है। बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत परिसंपत्तियों और देनदारियों को वित्तीय विवरणों में अलग से प्रस्तुत किया जाता है।

यदि इंड एएस 105 "बिक्री के लिए धारित गैर-चालू परिसंपत्तियां और बंद संचालन" द्वारा निर्धारित मानदंड अब पूरे नहीं होते हैं, तो निपटान समूह को बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत करना बंद हो जाता है। बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत करना बंद करने वाली गैर-चालू परिसंपत्ति को (i) उसकी वहन राशि से कम पर मापा जाता है, जो उस परिसंपत्ति को बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत करने से पहले की वहन राशि है, जिसे उस परिसंपत्ति को बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया होता तो मान्यता प्राप्त मूल्यह्रास के लिए समायोजित किया गया होता, और (ii) उसकी पुनर्प्राप्त योग्य राशि उस तारीख पर जब निपटान समूह बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत करना बंद करता है।

2.27 बैलेंस शीट तारीख के बाद घटित घटनाएं

बैलेंस शीट तारीख के बाद घटित घटनाओं को इंड एएस 10 (आकस्मिकताएं और बैलेंस शीट तारीख के बाद घटित घटनाएं) के अनुसार स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की तैयारी में ध्यान में रखा जाता है।

2.28 सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यम और सहयोगी में निवेश

सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यम और सहयोगी में निवेश को लागत पर, संचित ह्रास हानि (यदि कोई हो) को घटाने के बाद carried किया जाता है। जहां ह्रास का संकेत मौजूद होता है, निवेश की वहन राशि का आकलन किया जाता है और उसे उसकी पुनर्प्राप्त योग्य राशि तक कम किया जाता है। निवेश के निपटान पर, नेट निपटान आय और वहन राशि के बीच के अंतर को लाभ या हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

2.29 पूर्व अवधि समायोजन

महत्वपूर्ण पिछली अवधि की त्रुटियों को उस अवधि में तुलनात्मक राशियों को पुनर्कथन करके पीछे की ओर सुधारा जाता है जिसमें त्रुटि हुई थी। यदि त्रुटि प्रस्तुत की गई सबसे पहले की अवधि से पहले हुई थी, तो प्रस्तुत की गई सबसे पहले की अवधि के लिए परिसंपत्तियों, देनदारियों और इक्विटी की शुरुआती शेष राशि का पुनर्कथन किया जाता है जब तक कि यह अव्यावहारिक न हो, जिस स्थिति में, तुलनात्मक जानकारी को नई लेखांकन नीति को लागू करने के लिए सबसे पहले की तारीख से आगे की ओर लागू करने के लिए समायोजित किया जाता है। पिछली अवधि समायोजन के लिए महत्वपूर्ण त्रुटि निम्नानुसार है:

(i) व्यक्तिगत त्रुटि- कुल परिसंपत्तियों का 0.03% और उससे अधिक।

(ii) संचयी त्रुटि (बिना नेटिंग के)- कुल परिसंपत्तियों का 0.3% जहां व्यक्तिगत त्रुटि कुल परिसंपत्तियों का 0.03% से कम हो।

2.30 नकद और नकद समकक्ष

बैलेंस शीट में नकद और नकद समकक्षों में बैंकों में नकद, हाथ में नकद और तीन महीने या कम की मूल अवधि वाली अल्पकालिक जमाएं शामिल हैं, जो ज्ञात राशि के नकद में आसानी से परिवर्तनीय हैं और जिनके मूल्य में बदलाव का जोखिम नगण्य है।

2.31 बीमा दावे

बीमा दावों को दावों की स्वीकृति के आधार पर हिसाब में लिया जाता है।

2.32 अग्रिम भुगतान व्यय

₹500,000/- से अधिक के अग्रिम भुगतान व्यय की व्यक्तिगत मदों को अग्रिम भुगतान व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है।

2.33 वित्तीय व्युत्पन्न अनुबंध (डेरिवेटिव फाईनेंशियल इन्स्ट्रुमेंट)

कंपनी विदेशी मुद्रा ऋणों के ब्याज भुगतान पर अपने विदेशी मुद्रा जोखिमों को कम करने के लिए वित्तीय व्युत्पन्न अनुबंध, जैसे कि फॉरवर्ड अनुबंधों का उपयोग करती है। ऐसे वित्तीय व्युत्पन्न अनुबंध को शुरू में उस तारीख पर उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है जिस दिन डेरिवेटिव अनुबंध में प्रवेश किया जाता है और बाद में उचित मूल्य पर पुनर्मापित किया जाता है। डेरिवेटिव को वित्तीय परिसंपत्तियों के रूप में लिया जाता है जब उचित मूल्य सकारात्मक हो और वित्तीय देनदारियों के रूप में जब उचित मूल्य नकारात्मक हो। डेरिवेटिव के उचित मूल्य में बदलाव से उत्पन्न किसी भी लाभ या हानि को वित्त लागत में लिया जाता है। जहां डेरिवेटिव को जोखिम कर करने (हेजिंग) के साधन के रूप में नामित किया गया है, वहां उचित मूल्य में बाद के बदलावों के लिए लेखांकन हेज की जा रही मद की प्रकृति और हेज संबंध के प्रकार पर निर्भर करता है।

2.34 इन्वेंटरी (स्टॉक/सामग्री)

स्टोर और स्पेयर के रूप में रखी गई इन्वेंटरी का मूल्यांकन लागत और शुद्ध वसूली योग्य मूल्य में से जो भी कम हो, उस पर किया जाता है। लागत का निर्धारण भारित औसत के आधार पर किया जाता है तथा इसमें इन्वेंटरी को उसके वर्तमान स्थान और स्थिति में लाने में लगे अन्य प्रत्यक्ष रूप से जुड़े खर्चे शामिल होते हैं।

2.35 वे लेखांकन नीतियां जो वर्तमान में कंपनी के लिए प्रासंगिक नहीं हैं, उन्हें प्रकट नहीं किया गया है। जब ऐसी लेखांकन नीतियां प्रासंगिक हो जाती हैं, तो उन्हें प्रकट किया जाएगा।

नोट 3 : सम्पत्ति, संयत्र एवं उपकरण

31 मार्च, 2026 की स्थिति के अनुसार सम्पत्ति, संयत्र एवं उपकरण

(₹ लाख में)

विवरण	सकल वहन राशि				संचित मूल्यह्रास				नेट वहन मूल्य
	1 अप्रैल, 2025 की स्थिति	वृद्धि	निपटान / समायोजन	31 मार्च 2026 की स्थिति	1 अप्रैल, 2025 की स्थिति	वृद्धि	निपटान / समायोजन	31 मार्च 2026 की स्थिति	
फ्रीहोल्ड भूमि	1,47,300.52	8,629.64	(5,265.86)	1,50,664.30	-	-	-	-	1,50,664.30
पट्टाधारित भूमि	43,524.18	2,285.39	6,544.70	52,354.27	-	-	-	-	52,354.27
फ्रीहोल्ड भवन	651.93	5,35,410.05	-	5,36,061.98	67.95	5,346.26	-	5,414.21	5,30,647.77
पट्टाधारित भवन	30,836.80	7,875.35	-	38,712.15	361.17	588.06	-	949.23	37,762.92
वायाडक्ट, पुल, सुरंग, पुलिया एवं बांध	-	11,47,449.81	-	11,47,449.81	-	11,705.71	-	11,705.71	11,35,744.10
रोलिंग स्टॉक	-	2,60,022.70	-	2,60,022.70	-	2,594.29	-	2,594.29	2,57,428.41
ट्रैक कार्य	-	2,29,728.54	-	2,29,728.54	-	4,584.08	-	4,584.08	2,25,144.46
सिग्नलिंग एवं दूरसंचार उपकरण	-	1,31,417.50	-	1,31,417.50	-	4,796.67	-	4,796.67	1,26,620.83
कर्षण उपकरण	-	64,732.00	-	64,732.00	-	2,583.37	-	2,583.37	62,148.63
स्वचालित किराया संग्रह	-	17,196.23	-	17,196.23	-	1,017.81	-	1,017.81	16,178.42
विद्युत-यांत्रिक कार्य	-	1,355.51	-	1,355.51	-	43.07	-	43.07	1,312.44
सड़कें	3,960.65	184.64	-	4,145.29	556.66	780.93	-	1,337.59	2,807.70
एस्केलेटर एवं लिफ्ट	806.62	17,768.76	-	18,575.38	18.89	724.14	-	743.03	17,832.35
आरएसएस, एएमएस एवं टीएसएस	2,656.80	46,972.63	-	49,629.43	124.47	2,043.31	-	2,167.78	47,461.65
पट्टाधारित सुधार	2,868.85	47.98	-	2,916.83	2,674.65	239.28	-	2,913.93	2.90
अस्थायी भवन	1,348.91	24.22	-	1,373.13	1,278.74	2.25	-	1,280.99	92.14
ईडीपी परिसंपत्तियाँ	2,143.93	186.50	(137.58)	2,192.85	1,329.63	437.83	(118.30)	1,649.16	543.69
कार्यालय उपकरण	1,196.12	3,400.54	(0.30)	4,596.36	811.99	316.49	(0.29)	1,128.19	3,468.17
फर्नीचर एवं फिक्सचर	1,523.15	276.02	(23.48)	1,775.69	543.57	199.29	(7.56)	735.30	1,040.39
यंत्र एवं मशीनरी	143.88	44,541.50	-	44,685.38	13.10	1,772.64	-	1,785.74	42,899.64
कार्यालय सुरक्षा उपकरण	1,228.97	1,634.82	-	2,863.79	117.07	159.39	-	276.46	2,587.33
योग	**2,40,191.31**	**25,21,140.33**	**1,117.48**	**27,62,449.12**	**7,897.89**	**39,934.87**	**(126.15)**	**47,706.61**	**27,14,742.51**

31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार सम्पत्ति, संयत्र एवं उपकरण

(₹ लाख में)

विवरण	सकल वहन राशि				संचित मूल्यह्रास				नेट वहन मूल्य
	1 अप्रैल, 2024 की स्थिति	वृद्धि	निपटान / समायोजन	31 मार्च 2025 की स्थिति	1 अप्रैल, 2024 की स्थिति	वृद्धि	निपटान / समायोजन	31 मार्च 2025 की स्थिति	
फ्रीहोल्ड भूमि	1,39,196.12	8,104.40	-	1,47,300.52	-	-	-	-	1,47,300.52
पट्टाधारित भूमि	40,052.64	3,471.54	-	43,524.18	-	-	-	-	43,524.18
फ्रीहोल्ड भवन	651.93	-	-	651.93	44.51	23.44	-	67.95	583.98
पट्टाधारित भवन	-	30,836.80	-	30,836.80	-	361.17	-	361.17	30,475.63
वायाडक्ट, पुल, सुरंग, पुलिया एवं बांध	-	-	-	-	-	-	-	-	-
रेल रोलिंग स्टॉक	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ट्रैक कार्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-
सिग्नलिंग एवं दूरसंचार उपकरण	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कर्षण उपकरण	-	-	-	-	-	-	-	-	-
स्वचालित किराया संग्रह	-	-	-	-	-	-	-	-	-
विद्युत-यांत्रिक कार्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-
सड़कें	-	3,960.65	-	3,960.65	-	556.66	-	556.66	3,403.99
एस्केलेटर एवं लिफ्ट	-	806.62	-	806.62	-	18.89	-	18.89	787.73
आरएसएस, एएमएस एवं टीएसएस	-	2,656.80	-	2,656.80	-	124.47	-	124.47	2,532.33
पट्टाधारित सुधार	2,867.03	1.82	-	2,868.85	2,153.89	520.76	-	2,674.65	194.20
अस्थायी भवन	1,348.91	-	-	1,348.91	1,276.02	2.72	-	1,278.74	70.17
ईडीपी परिसंपत्तियाँ	1,437.03	769.04	(62.14)	2,143.93	803.67	577.64	(51.68)	1,329.63	814.30
कार्यालय उपकरण	1,133.25	63.17	(0.30)	1,196.12	632.71	179.57	(0.29)	811.99	384.13
फर्नीचर एवं फिक्सचर	1,115.58	414.02	(6.45)	1,523.15	393.97	151.14	(1.54)	543.57	979.58
संयंत्र एवं मशीनरी	143.88	-	-	143.88	3.99	9.11	-	13.10	130.78
कार्यालय सुरक्षा उपकरण	200.60	1,028.37	-	1,228.97	40.85	76.22	-	117.07	1,111.90
योग	**1,88,146.97**	**52,113.23**	**(68.89)**	**2,40,191.31**	**5,349.61**	**2,601.79**	**(53.51)**	**7,897.89**	**2,32,293.42**



स्पष्टीकरण नोट

(i) (i) फ्रीहोल्ड भूमि, इसमें निमनिम्नलिखित शामिल है: -

(क) जिला गाजियाबाद के दुहाई, भीकनपुर एवं बसंतपुर सैनथली गांवों में दुहाई डिपो हेतु निजी भूमि का नामांतरण किया गया है। शून्य हेक्टेयर (2.8711 हेक्टेयर) भूमि का नामांतरण कंपनी के नाम कर दिया गया है तथा शेष 0.8759 हेक्टेयर (0.8759 हेक्टेयर) भूमि का नामांतरण प्रक्रियाधीन है।

(ख) जिला गाजियाबाद के बिशोकर एवं सिकरी खुर्द गांव में 2,590.00 वर्ग मीटर (2,090.46 वर्ग मीटर) भूमि की लागत, जो स्टाम्प शुल्क सहित ₹1,873.84 लाख (₹1,736.81 लाख) है, को वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के अंतर्गत, सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिनियम के अनुसार निर्धारित दर एवं मूल्य पर पूंजीकृत किया गया है।

(ग) जिला मेरठ के सिवाया में मोदीनगर डिपो हेतु 0.25 हेक्टेयर (3.53 हेक्टेयर) भूमि की लागत, जो स्टाम्प शुल्क सहित ₹1,532.19 लाख (₹4,315.08 लाख) है, को वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के अंतर्गत, सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिनियम के अनुसार निर्धारित दर एवं मूल्य पर पूंजीकृत किया गया है।

(घ) जिला मेरठ के परतापुर, मोहकमपुर, अमीनगर, मेरठ खास, हाफिजाबाद मवला, रोशनपुर दौरली, दुलेहरा चौहान एवं मुक़र्रबपुर पाल्हेड़ा में 0.28 हेक्टेयर (0.39 हेक्टेयर) भूमि की लागत, जो स्टाम्प शुल्क सहित ₹5,223.61 लाख (₹1,843.77 लाख) है, को वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के अंतर्गत, सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिनियम के अनुसार निर्धारित दर एवं मूल्य पर पूंजीकृत किया गया है।

(ii) **पट्टाधारित भूमि,** इसमें निमनिम्नलिखित शामिल है:-

(क) दिल्ली के खिचड़ीपुर में 1,588.54 वर्ग मीटर भूमि, जो पूर्वी दिल्ली नगर निगम द्वारा रैंप के लिए आवंटित की गई थी, जिसकी राशि ₹217.77 लाख है, को वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान फ्रीहोल्ड भूमि से पट्टाधारित भूमि में पुनर्वर्गीकृत किया गया है।

(ख) दिल्ली के सराय काले खां में 2.98 एकड़ भूमि, जो दक्षिणी दिल्ली नगर निगम द्वारा सराय काले खां स्टेशन एवं वायाडक्ट के लिए आवंटित की गई थी, जिसकी राशि ₹1,945.04 लाख है, को वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान फ्रीहोल्ड भूमि से पट्टाधारित भूमि में पुनर्वर्गीकृत किया गया है।

(ग) दिल्ली के खिचड़ीपुर में 7,241.54 वर्ग मीटर भूमि, जो सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग द्वारा डाउन रैंप के लिए आवंटित की गई थी, जिसकी राशि ₹1,410.08 लाख है, को वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान फ्रीहोल्ड भूमि से पट्टाधारित भूमि में पुनर्वर्गीकृत किया गया है।

(घ) दिल्ली के सिद्धार्थ एक्सटेंशन में 12.56 वर्ग मीटर भूमि, जो दक्षिणी दिल्ली नगर निगम द्वारा सराय काले खां स्टेशन एवं वायाडक्ट के लिए आवंटित की गई थी, जिसकी राशि ₹2.03 लाख है, को वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान फ्रीहोल्ड भूमि से पट्टाधारित भूमि में पुनर्वर्गीकृत किया गया है।

(ङ) दिल्ली के जंगपुरा में 259.50 वर्ग मीटर भूमि, जो दक्षिणी दिल्ली नगर निगम द्वारा रिंग रोड से स्टेबलिंग यार्ड तक एलिवेटेड कनेक्टिविटी के लिए आवंटित की गई थी, जिसकी राशि ₹41.85 लाख है, को वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान फ्रीहोल्ड भूमि से पट्टाधारित भूमि में पुनर्वर्गीकृत किया गया है।

(च) दिल्ली के आनंद विहार एवं पटपड़गंज संस्थागत क्षेत्र में 8,469 वर्ग मीटर भूमि, जो सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग द्वारा डाउन रैंप के लिए आवंटित की गई थी, जिसकी राशि ₹1,649.09 लाख है, को वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान फ्रीहोल्ड भूमि से पट्टाधारित भूमि में पुनर्वर्गीकृत किया गया है।

(छ) मेरठ कैंट, उत्तर प्रदेश में 4,354.42 वर्ग मीटर भूमि, जो भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय द्वारा रैंप के लिए आवंटित की गई थी, जिसकी राशि ₹1,817.28 लाख है, को वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान पट्टाधारित भूमि के रूप में पूंजीकृत किया गया है।

(ज) दिल्ली के जंगपुरा में 50.88 वर्ग मीटर भूमि, जो दक्षिणी दिल्ली नगर निगम द्वारा सराय काले खां से खिचड़ीपुर एवं जंगपुरा स्टेबलिंग यार्ड तक आरआरटीएस संरेखण के लिए आवंटित की गई थी, जिसकी राशि ₹5.07 लाख है, को वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान पट्टाधरित भूमि के रूप में पूंजीकृत किया गया है।

(झ) दिल्ली के जंगपुरा में 3.14 वर्ग मीटर भूमि, जो नई दिल्ली नगर पालिका परिषद द्वारा सराय काले खां में कास्टिंग यार्ड हेतु आवंटित की गई थी, जिसकी राशि ₹0.52 लाख है, को वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान पट्टाधारित भूमि के रूप में पूंजीकृत किया गया है।

(ञ) उखलारसी, मोदीनगर में 9,569 वर्ग मीटर भूमि, जो उत्तर प्रदेश सरकार के आवास एवं शहरी नियोजन विभाग द्वारा मुरादनगर स्टेशन (प्रवेश/निकास एवं पार्किंग) हेतु आवंटित की गई थी, जिसकी राशि ₹408.12 लाख है, को वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान पट्टाधारित भूमि के रूप में पूंजीकृत किया गया है।

(ट) अर्थला एवं कैला, गाजियाबाद में 3,616.17 वर्ग मीटर भूमि, जो उत्तर प्रदेश सरकार के आवास एवं शहरी नियोजन विभाग द्वारा वायाडक्ट एवं स्टेशन हेतु आवंटित की गई थी, जिसकी राशि ₹54.40 लाख है, को वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान पट्टाधारित भूमि के रूप में पूंजीकृत किया गया है।

(ठ) आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA) ने जंगपुरा में एनसीआरटीसी को 17.27 हेक्टेयर भूमि आवंटित की है। इसमें से 1.18 हेक्टेयर भूमि अभी भी मेसर्स हिंदुस्तान प्रीफैब लिमिटेड (HPL) के कब्जे में है।

(म) निम्नलिखित भूखंडों के संबंध में पट्टा करार का निष्पादन लंबित है:-

(₹ लाख में)

क्र सं.	हक विलेख धारक का नाम/वर्तमान प्राधिकरण	स्थल	किस वित्तीय वर्ष से सम्पत्ति धारित	क्षेत्र	सकल वहन राशि*	क्या हक विलेख धारक प्रोमोटर, निदेशक अथवा प्रोमोटर/ निदेशक से संबंधित या प्रोमोटर/ निदेशक का कर्मचारी है	कम्पनी के नाम धारित न होने के कारण
1	पूर्वी दिल्ली नगर निगम	खिचड़ीपुर, दिल्ली	2019-20	1,588.54 वर्गमीटर	217.77	नहीं	हक विलेख अंतरण दस्तावेज संबंधित सक्षम प्राधिकारी के सम्मुख विचाराधीन है।
2	दक्षिणी दिल्ली नगर निगम	सराय काले खां, दिल्ली	2020-21	2.98 एकड़	1,945.04	नहीं	हक विलेख अंतरण दस्तावेज संबंधित सक्षम प्राधिकारी के सम्मुख विचाराधीन है।
3	सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग	खिचड़ीपुर, दिल्ली	2021-22	7,241.54 वर्गमीटर	1,410.08	नहीं	हक विलेख अंतरण दस्तावेज संबंधित सक्षम प्राधिकारी के सम्मुख विचाराधीन है।
4	दक्षिणी दिल्ली नगर निगम	सिद्धार्थ एक्सटेंशन, दिल्ली	2021-22	12.56 वर्गमीटर	2.03	नहीं	हक विलेख अंतरण दस्तावेज संबंधित सक्षम प्राधिकारी के सम्मुख विचाराधीन है।
5	दक्षिणी दिल्ली नगर निगम	जंगपुरा, दिल्ली	2021-22	259.50 वर्गमीटर	41.85	नहीं	हक विलेख अंतरण दस्तावेज संबंधित सक्षम प्राधिकारी के सम्मुख विचाराधीन है।
6	सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग	आनंद विहार एवं पटपड़गंज संस्थागत क्षेत्र, दिल्ली	2023-24	8,469 वर्गमीटर	1,649.09	नहीं	हक विलेख अंतरण दस्तावेज संबंधित सक्षम प्राधिकारी के सम्मुख विचाराधीन है।
7	भूमि एवं विकास कार्यालय, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय	जंगपुरा, दिल्ली	2019-20	12 हेक्टेयर	19,353.82	नहीं	हक विलेख अंतरण दस्तावेज संबंधित सक्षम प्राधिकारी के सम्मुख विचाराधीन है।
8	दिल्ली विकास प्राधिकरण	पटपड़गंज संस्थागत क्षेत्र, दिल्ली	2020-21	335 वर्गमीटर	74.19	नहीं	हक विलेख अंतरण दस्तावेज संबंधित सक्षम प्राधिकारी के सम्मुख विचाराधीन है।

क्र सं.	हक विलेख धारक का नाम/वर्तमान प्राधिकरण	स्थल	किस वित्तीय वर्ष से सम्पत्ति धारित	क्षेत्र	सकल वहन राशि*	क्या हक विलेख धारक प्रोमोटर, निदेशक अथवा प्रोमोटर/ निदेशक से संबंधित या प्रोमोटर/ निदेशक का कर्मचारी है	कम्पनी के नाम धारित न होने के कारण
9	दिल्ली विकास प्राधिकरण	न्यू अशोक नगर, दिल्ली	2020-21	2,153 वर्गमीटर	354.86	नहीं	हक विलेख अंतरण दस्तावेज संबंधित सक्षम प्राधिकारी के सम्मुख विचाराधीन है।
10	दिल्ली विकास प्राधिकरण	यमुना खादर, दिल्ली	2020-21	4,500 वर्गमीटर	876.24	नहीं	हक विलेख अंतरण दस्तावेज संबंधित सक्षम प्राधिकारी के सम्मुख विचाराधीन है।
11	दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड	जंगपुरा, दिल्ली	2021-22	297 वर्गमीटर	645.86	नहीं	हक विलेख अंतरण दस्तावेज संबंधित सक्षम प्राधिकारी के सम्मुख विचाराधीन है।
12	दिल्ली जल बोर्ड	जंगपुरा, दिल्ली	2021-22	3,123 वर्गमीटर	621.76	नहीं	हक विलेख अंतरण दस्तावेज संबंधित सक्षम प्राधिकारी के सम्मुख विचाराधीन है।
13	दिल्ली विकास प्राधिकरण	न्यू अशोक नगर, दिल्ली	2021-22	313 वर्गमीटर	62.32	नहीं	हक विलेख अंतरण दस्तावेज संबंधित सक्षम प्राधिकारी के सम्मुख विचाराधीन है।
14	दिल्ली जल बोर्ड	कल्याणपुरी, खोड़ली पुल के पास, दिल्ली	2022-23	362.70 वर्गमीटर	72.21	नहीं	हक विलेख अंतरण दस्तावेज संबंधित सक्षम प्राधिकारी के सम्मुख विचाराधीन है।
15	भूमि एवं विकास कार्यालय, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय	जंगपुरा, दिल्ली	2022-23	5.27 हेक्टेयर	8,499.21	नहीं	हक विलेख अंतरण दस्तावेज संबंधित सक्षम प्राधिकारी के सम्मुख विचाराधीन है।
16	दिल्ली विकास प्राधिकरण	सराय काले खां, दिल्ली	2022-23	17,528 वर्गमीटर	4,759.74	नहीं	हक विलेख अंतरण दस्तावेज संबंधित सक्षम प्राधिकारी के सम्मुख विचाराधीन है।
17	दिल्ली विकास प्राधिकरण	आनंद विहार, दिल्ली	2022-23	10,198 वर्गमीटर	2,769.36	नहीं	हक विलेख अंतरण दस्तावेज संबंधित सक्षम प्राधिकारी के सम्मुख विचाराधीन है।
18	रक्षा भूमि ए-1, मेरठ कैंट	मेरठ कैंट	2025-26	4,354.42 वर्गमीटर	1,817.28	नहीं	हक विलेख अंतरण दस्तावेज संबंधित सक्षम प्राधिकारी के सम्मुख विचाराधीन है।
19	दक्षिणी दिल्ली नगर निगम (एसडीएमसी)	सराय काले खां	2025-26	50.88 वर्गमीटर	5.07	नहीं	हक विलेख अंतरण दस्तावेज संबंधित सक्षम प्राधिकारी के सम्मुख विचाराधीन है।
20	नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (एनडीएमसी)	सराय काले खां	2025-26	3.14 वर्गमीटर	0.52	नहीं	हक विलेख अंतरण दस्तावेज संबंधित सक्षम प्राधिकारी के सम्मुख विचाराधीन है।
	योग				**45,178.31**		

*सकल वहन मूल्य में हक विलेख अंतरण के समय चुकता की जाने वाली 4,858.94 लाख रुपये की स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीकरण प्रभार की राशि शामिल है।

(न) कंपनी को विभिन्न सरकारी एजेंसियों/प्राधिकरणों से टोकन मूल्य पर स्थाई आधार पर अंतरित भूमि पर कार्य की अनुमति प्राप्त हुई है जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

(₹ लाख में)

क्र सं.	हक विलेख धारक का नाम/वर्तमान प्राधिकरण	उद्देश्य एवं स्थल	किस वित्तीय वर्ष से सम्पत्ति धारित	क्षेत्र (वर्गमीटर)	सकल वहन राशि*	क्या हक विलेख धारक प्रोमोटर, निदेशक अथवा प्रोमोटर/निदेशक से संबंधित या प्रोमोटर/ निदेशक का कर्मचारी है	कम्पनी के नाम धारित न होने के कारण
1	सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश	वायाडक्ट, जनुबी चौराहा, दिल्ली	2020-21	613.21	9.81	नहीं	हक विलेख अंतरण दस्तावेज संबंधित सक्षम प्राधिकारी के सम्मुख विचाराधीन है।
2	सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश – गंगा	स्टेशन प्रवेश/ निकास, न्यू अशोक नगर, दिल्ली	2020-21	8,000.00	157.08	नहीं	हक विलेख अंतरण दस्तावेज संबंधित सक्षम प्राधिकारी के सम्मुख विचाराधीन है।
3	वन विभाग, उत्तर प्रदेश (आरक्षित वन)	शताब्दी नगर, आरक्षित वन, मेरठ	2020-21	6,393.00	34.94	नहीं	हक विलेख अंतरण दस्तावेज संबंधित सक्षम प्राधिकारी के सम्मुख विचाराधीन है।
4	वन विभाग, उत्तर प्रदेश (आरक्षित वन)	रिथानी, आरक्षित वन, मेरठ	2020-21	596.00	3.26	नहीं	हक विलेख अंतरण दस्तावेज संबंधित सक्षम प्राधिकारी के सम्मुख विचाराधीन है।
5	उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम	साहिबाबाद स्टेशन, साहिबाबाद, गाजियाबाद	2020-21	7,860.00	138.34	नहीं	हक विलेख अंतरण दस्तावेज संबंधित सक्षम प्राधिकारी के सम्मुख विचाराधीन है।
6	ग्राम पंचायत, जिलाधिकारी, गाजियाबाद	दुहाई डिपो, दुहाई, गाजियाबाद	2020-21	3,285.00	20.97	नहीं	हक विलेख अंतरण दस्तावेज संबंधित सक्षम प्राधिकारी के सम्मुख विचाराधीन है।
7	ग्राम पंचायत, जिलाधिकारी, गाजियाबाद	दुहाई डिपो, दुहाई, गाजियाबाद	2020-21	9,302.00	13.40	नहीं	हक विलेख अंतरण दस्तावेज संबंधित सक्षम प्राधिकारी के सम्मुख विचाराधीन है।
8	ग्राम पंचायत, जिलाधिकारी, मेरठ	मोदीनगर डिपो, सिवाया, मेरठ	2020-21	21,040.00	25.25	नहीं	हक विलेख अंतरण दस्तावेज संबंधित सक्षम प्राधिकारी के सम्मुख विचाराधीन है।
9	ग्राम पंचायत, जिलाधिकारी, मेरठ	मेरठ साउथ स्टेशन, भूलबराल अमीनपुर, मेरठ	2020-21	470.00	1.16	नहीं	हक विलेख अंतरण दस्तावेज संबंधित सक्षम प्राधिकारी के सम्मुख विचाराधीन है।
10	सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश	वायाडक्ट, चिल्ला सरोदा खादर, दिल्ली	2020-21	94.34	1.85	नहीं	हक विलेख अंतरण दस्तावेज संबंधित सक्षम प्राधिकारी के सम्मुख विचाराधीन है।

क्र सं.	हक विलेख धारक का नाम/वर्तमान प्राधिकरण	उद्देश्य एवं स्थल	किस वित्तीय वर्ष से सम्पत्ति धारित	क्षेत्र (वर्गमीटर)	सकल वहन राशि*	क्या हक विलेख धारक प्रोमोटर, निदेशक अथवा प्रोमोटर/निदेशक से संबंधित या प्रोमोटर/ निदेशक का कर्मचारी है	कम्पनी के नाम धारित न होने के कारण
11	सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश	वायाडक्ट, चिल्ला सरोदा बांगर, न्यू अशोक नगर, दिल्ली	2020-21	3,560.72	69.91	नहीं	हक विलेख अंतरण दस्तावेज संबंधित सक्षम प्राधिकारी के सम्मुख विचाराधीन है।
12	सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश	वायाडक्ट, दल्लूपुरा, दिल्ली	2020-21	1,628.65	31.98	नहीं	हक विलेख अंतरण दस्तावेज संबंधित सक्षम प्राधिकारी के सम्मुख विचाराधीन है।
13	सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश	वायाडक्ट, कोंडली, दिल्ली	2020-21	1,423.14	27.94	नहीं	हक विलेख अंतरण दस्तावेज संबंधित सक्षम प्राधिकारी के सम्मुख विचाराधीन है।
14	ग्राम पंचायत, जिलाधिकारी, गाजियाबाद	दुहाई डिपो, सैनथली, गाजियाबाद	2020-21	120.00	0.23	नहीं	हक विलेख अंतरण दस्तावेज संबंधित सक्षम प्राधिकारी के सम्मुख विचाराधीन है।
15	रक्षा विभाग	प्रवेश/निकास, भैंसाली स्टेशन, भैंसाली	2024-25	2,025.48	84.26	नहीं	हक विलेख अंतरण दस्तावेज संबंधित सक्षम प्राधिकारी के सम्मुख विचाराधीन है।
16	रक्षा विभाग	प्रवेश/निकास स्टेशन, बेगमपुल	2024-25	7,964.70	331.33	नहीं	हक विलेख अंतरण दस्तावेज संबंधित सक्षम प्राधिकारी के सम्मुख विचाराधीन है।
17	रक्षा विभाग	रैंप, एमईएस रैंप	2024-25	4,925.68	37.44	नहीं	हक विलेख अंतरण दस्तावेज संबंधित सक्षम प्राधिकारी के सम्मुख विचाराधीन है।
18	रक्षा विभाग	प्रवेश/निकास, एमईएस कॉलोनी, एमईएस कॉलोनी	2024-25	2,699.19	20.51	नहीं	हक विलेख अंतरण दस्तावेज संबंधित सक्षम प्राधिकारी के सम्मुख विचाराधीन है।
19	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (कृषि मंत्रालय)	प्रवेश/निकास, मोदीनगर स्टेशन, मोदीनगर	2024-25	10,800.00	142.56	नहीं	हक विलेख अंतरण दस्तावेज संबंधित सक्षम प्राधिकारी के सम्मुख विचाराधीन है।
20	सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (एसवीपीयूएटी)	पहुंच मार्ग, मोदीनगर आरआरटीएस स्टेशन से मोदीनगर डिपो के बीच	2024-25	4,809.00	6.93	नहीं	हक विलेख अंतरण दस्तावेज संबंधित सक्षम प्राधिकारी के सम्मुख विचाराधीन है।
	योग				**1,159.15**		

* सकल वहन मूल्य में 1,159.15 लाख रुपये की स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क शामिल है जिसका भुगतान हक विलेख अंतरण के समय किया जाना है तथा जिसका पूंजीयन वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान किया गया है।



नोट 4 : उपयोग अधिकारी परिसम्पत्तियां

(₹ लाख में)

विवरण	भूमि	योग
सकल वहन राशि		
1 अप्रैल 2024 को प्रारंभिक शेष राशि	**370.50**	**370.50**
आवर्धन	33.43	33.43
निपटान/समायोजन	–	–
31 मार्च, 2025 की स्थिति	**403.93**	**403.93**
आवर्धन	142.24	142.24
निपटान/समायोजन	–	–
31 मार्च, 2026 की स्थिति	**546.17**	**546.17**
मूल्यह्रास/परिशोधन		
1 अप्रैल 2024 को प्रारंभिक शेष राशि	**341.42**	**341.42**
वर्ष के लिए मूल्यह्रास	50.62	50.62
निपटान/समायोजन	–	–
31 मार्च, 2025 की स्थिति	**392.04**	**392.04**
वर्ष के लिए मूल्यह्रास	108.21	108.21
निपटान/समायोजन	–	–
31 मार्च, 2026 की स्थिति	**500.25**	**500.25**
नेट वहन मूल्य		
31 मार्च, 2026 की स्थिति	**45.92**	**45.92**
31 मार्च, 2025 की स्थिति	**11.89**	**11.89**

नोट 5 : पूंजी कार्य प्रगति पर

(₹ लाख में)

विवरण	योग
1 अप्रैल 2024 को प्रारंभिक शेष राशि	**19,04,751.18**
आवर्धन (अनुवर्ती व्यय)	4,32,008.77
समायोजन (पूंजीयन)	(38,943.74)
31 मार्च, 2025 को अंत शेष	**22,97,816.21**
आवर्धन (अनुवर्ती व्यय)	2,56,196.51
समायोजन (पूंजीयन)	(25,10,243.82)
31 मार्च, 2026 को अंत शेष	**43,768.90**

नोट 5.1 : पूंजी कार्य प्रगति पर का विवरण

(₹ लाख में)

विवरण	1.4.2024 की स्थिति	आवर्धन	समायोजन (पूंजीयन)	31.03.2025 की स्थिति	आवर्धन	समायोजन (पूंजीयन)	31.03.2026 की स्थिति
परियोजना व्यय							
स्थायी रास्ता	1,08,316.10	31,909.33	-	1,40,225.43	11,492.30	(1,51,717.73)	-
रोलिंग स्टॉक	1,05,992.30	72,236.95	-	1,78,229.25	33,896.08	(2,12,125.33)	-
वायाडक्ट, पुल, सुरंग, पुलिया बंडर	7,53,918.08	41,103.72	-	7,95,021.80	21,663.27	(8,11,513.11)	5,171.96
सिग्नलिंग एवं दूरसंचार उपकरण	59,103.80	11,502.44	-	70,606.24	8,476.93	(79,083.17)	-
सुरक्षा उपकरण	1,130.13	-	(496.41)	633.72	149.25	(631.54)	151.43
संयंत्र एवं मशीनरी	293.47	502.43	-	795.90	-	(795.88)	0.02
स्टेशन भवन	1,83,581.91	43,911.94	-	2,27,493.85	33,080.95	(2,57,032.85)	3,541.95
कर्षण एवं विद्युत आपूर्ति	47,796.04	24,508.22	-	72,304.26	14,754.96	(87,059.22)	-
कर्मचारी आवास	15,577.46	2,649.77	(16,196.00)	2,031.23	3,227.74	(3,275.23)	1,983.74
डिपो सह कार्यशाला	35,314.90	9,130.42	-	44,445.32	5,012.07	(39,726.50)	9,730.89
जीएसटी/सीमा शुल्क पूंजीकृत	1,63,272.03		(186.46)	1,63,085.57		(1,61,047.54)	2,038.03
स्वचालित किराया संग्रहण	2,777.53	2,898.95	-	5,676.48	11,122.13	(16,334.24)	464.37
प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर	139.61	1,615.47	-	1,755.08	1,538.87	(3,293.95)	-
निर्माण के दौरान व्यय (नेट) (संदर्भ नोट 5.1.(i))	2,17,290.55	60,423.35	(17,678.27)	2,60,035.63	30,173.87	(2,72,581.69)	17,627.81
निर्माण के दौरान आनुषंगिक व्यय(संदर्भ नोट 5.2)	2,10,247.27	1,29,615.79	(4,386.60)	3,35,476.45	81,608.09	(4,14,025.84)	3,058.70
योग	**19,04,751.18**	**4,32,008.77**	**(38,943.74)**	**22,97,816.21**	**2,56,196.51**	**(25,10,243.82)**	**43,768.90**

स्पष्टीकरण नोट

(i). कंपनी को दिल्ली और मेरठ के बीच 82.15 किमी लंबे क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस) कॉरिडोर के विकास का दायित्व सौंपा गया है, जिसका उद्देश्य दिल्ली और मेरठ के बीच यात्रियों को निर्बाध संपर्क प्रदान करना है। परियोजना कार्यान्वयनाधीन थी और 14 अगस्त 2025 को (अर्थात् पूरे कॉरिडोर के लिए सीएमआरएस प्रमाणपत्र प्राप्त होने की तारीख को) पूर्ण हो गई। तदनुसार, पूंजीकरण की तारीख तक का परिचालन व्यय (राजस्व को घटाने के बाद) 1,720.39 लाख रुपये (10,900.43 लाख रुपये), संचयी 18,158.72 लाख रुपये (16,438.33 लाख रुपये), को पूंजीगत कार्य प्रगति पर (CWIP) में डेबिट किया गया है।

(ii) कंपनी ने वर्ष के दौरान 27,823.47 लाख रुपये (51,046.44 लाख रुपये) का जीएसटी/सीमा शुल्क पूंजीगत कार्य प्रगति पर (सीडब्ल्यूआईपी) के हिस्से के रूप में पूंजीकृत किया है। यह राशि परियोजना संबंधी व्यय पर आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों को आपूर्ति/कार्य आदि के लिए किए गए भुगतान से संबंधित है, जो सीजीएसटी अधिनियम की धारा 17(5) के अनुसार अपात्र जीएसटी क्रेडिट का प्रतिनिधित्व करती है। कॉरिडोर के वित्तीय मॉडल एवं दिनांक 7 मार्च 2019 के स्वीकृति पत्र के आधार पर जीएसटी को सीडब्ल्यूआईपी के रूप में माना गया है, क्योंकि अप्रत्यक्ष कर (सीमा शुल्क एवं जीएसटी) का वित्तपोषण केंद्र एवं राज्य सरकारों

से अधीनस्थ ऋण के रूप में किया जाना है। इसके अतिरिक्त, कंपनी को करों के लिए 3,00,900 लाख रुपये (2,80,000.00 लाख रुपये) का अधीनस्थ ऋण प्राप्त हुआ है, जिसके विरुद्ध 31 मार्च 2026 तक जीएसटी से संबंधित 3,12,840.23 लाख रुपये (2,80,911.33 लाख रुपये) का व्यय किया जा चुका है।

(iii) कम्पनी को विभिन्न सरकारी एजेंसियों से भूमि पर कार्य के लिए अस्थाई आधार पर अनुमति प्राप्त हुई है। इससे संबंधित विवरण निम्निलिखित है: -

क्र सं.	हक विलेख किस नाम से धारित है/ वर्तमान प्राधिकरण	उद्देश्य एवं स्थल	किस वित्तीय वर्ष से सम्पत्ति का धारण है	क्षेत्र (वर्ग मीटर)
1	दक्षिणी दिल्ली नगर निगम	सराय काले खां में आरआरटीएस स्टेशन एवं वायाडक्ट का निर्माण	2020-21	6300
2	दिल्ली विकास प्राधिकरण	गाजीपुर फल मंडी में एलिवेटेड सेक्शन के लिए कास्टिंग यार्ड की स्थापना	2020-21	94372
3	दिल्ली परिवहन अवसंरचना विकास निगम	सराय काले खां आरआरटीएस स्टेशन के निर्माण हेतु	2020-21	8760
4	दिल्ली विकास प्राधिकरण	सराय काले खां में आरआरटीएस के निर्माण हेतु राइट ऑफ वे (ROW)	2021-22	1500
5	दिल्ली विकास प्राधिकरण	सीबीसीजी, शाहदरा में भूमिगत सेक्शन के लिए कास्टिंग यार्ड की स्थापना	2020-21	82250
6	उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास प्राधिकरण/भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड	वैशाली रैंप भूमिगत का निर्माण	2020-21	38930.76
7	मेरठ विकास प्राधिकरण	सेक्टर 4सी, शताब्दी नगर कास्टिंग यार्ड	2020-21	206000
8	रक्षा संपदा कार्यालय, मेरठ कैंट.	अस्थायी भूमि (रक्षा), बेगमपुल, एनसीसी एवं एमईएस कॉलोनी स्टेशन	2023-24	7543.34

नोट 5.2 : निर्माण के दौरान आनुषंगिक व्ययों का विवरण

(₹ लाख में)

विवरण	संदर्भ नोट	31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए
कर्मचारी हितलाभ व्यय	**26**	9,978.26	9,883.17
वित्त लागतें	**27**	60,866.67	1,06,544.67
मूल्यह्रास एवं परिशोधन लागत	**28**	1,548.41	2,993.40
अन्य व्यय	**29**	9,214.74	5,807.95
योग		**81,608.09**	**1,25,229.19**
घटाएँ: समायोजन/(पूंजीकृत)			
कर्मचारी हितलाभ व्यय		(9,222.30)	–
वित्त लागतें		(60,866.67)	–
मूल्यह्रास एवं परिशोधन लागत		(1,548.42)	–
अन्य व्यय		(8,212.44)	–
योग		**1,758.25**	**1,25,229.19**

नोट 5.3 : सीडब्ल्यूआईपी की निर्माण कार्यक्रम का उपयोज्यता कालक्रम

31 मार्च, 2026 की स्थिति

(₹ लाख में)

सीडब्ल्यूआईपी	निम्नलिखित अवधि के लिए सीडब्ल्यूआईपी की राशि				
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	योग
परियोजना प्रगति पर	7,366.56	11,846.31	17,307.14	7,248.88	43,768.90
अस्थाई रूप से निलंबित परियोजनाएं	-	-	-	-	-
योग	**7,366.56**	**11,846.31**	**17,307.14**	**7,248.88**	**43,768.90**

31 मार्च, 2025 की स्थिति

(₹ लाख में)

सीडब्ल्यूआईपी	निम्नलिखित अवधि के लिए सीडब्ल्यूआईपी की राशि				
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	योग
परियोजना प्रगति पर	3,93,065.03	5,71,368.88	7,07,234.22	6,26,148.08	22,97,816.21
अस्थाई रूप से निलंबित परियोजनाएं	-	-	-	-	-
योग	**3,93,065.03**	**5,71,368.88**	**7,07,234.22**	**6,26,148.08**	**22,97,816.21**

नोट 5.4 : सीडब्ल्यूआईपी कार्य निष्पादन विलम्ब कार्यक्रम

31 मार्च, 2026 की स्थिति

(₹ लाख में)

सीडब्ल्यूआईपी	निम्नलिखित अवधि में कार्य समाप्ति				
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	योग
	शून्य				

31 मार्च, 2026 की स्थिति

(₹ लाख में)

सीडब्ल्यूआईपी	निम्नलिखित अवधि में कार्य समाप्ति				
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	योग
	शून्य				

ऐसी कोई परियोजना नहीं है जो विलंबित हो अथवा जिसमें तुलन पत्र तिथि के अनुसार मूल अनुमान से अधिक लागत हुई हो।

नोट 6.1 : अमूर्त परिसम्पत्तियां

(₹ लाख में)

विवरण	स्पैक्ट्रम लाइसेंस	प्लेटफार्म स्क्रीन डोर अधिकारी	भूमि अधिकार	साफ्टवेयर	योग
सकल वहन मूल्य					
01 अप्रैल 2024 को प्रारंभिक शेष	**7,724.59**	**415.86**	**2,495.05**	**850.86**	**11,486.36**
वर्ष के दौरान आवर्धन	–	–	–	2,403.59	2,403.59
समायोजन	–	–	–	–	–
31 मार्च 2025 को अंत शेष	**7,724.59**	**415.86**	**2,495.05**	**3,254.45**	**13,889.95**
वर्ष के दौरान आवर्धन	431.64	–	1,796.09	733.79	2,961.52
समायोजन	–	–	–	–	–



विवरण	स्पैक्ट्रम लाइसेंस	प्लेटफाम्र स्क्रीन डोर अधिकारी	भूमि अधिकार	साफ्टवेयर	योग
31 मार्च 2026 को अंत शेष	**8,156.23**	**415.86**	**4,291.14**	**3,988.24**	**16,851.47**
परिशोधन					**–**
01 अप्रैल 2024 को प्रारंभिक शेष	**857.11**	**80.60**	**284.96**	**696.48**	**1,919.15**
वर्ष के दौरान परिशोधन	772.46	79.00	71.10	204.81	1,127.37
वर्ष के दौरान हानि	–	–	–	–	–
31 मार्च 2025 को अंत शेष	**1,629.57**	**159.60**	**356.06**	**901.29**	**3,046.52**
वर्ष के दौरान परिशोधन	813.60	79.00	89.02	967.07	1,948.69
वर्ष के दौरान हानि	–	–	–	–	–
31 मार्च 2026 को अंत शेष	**2,443.17**	**238.60**	**445.08**	**1,868.36**	**4,995.21**
नेट वहन मूल्य					
31 मार्च, 2026 की स्थिति	**5,713.06**	**177.26**	**3,846.06**	**2,119.88**	**11,856.26**
31 मार्च 2025 की स्थिति	**6,095.02**	**256.26**	**2,138.99**	**2,353.16**	**10,843.43**

नोट 6.2 : विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियाँ

(₹ लाख में)

विवरण	एसएपी एस4/एचएएनए	पीएसडी प्रणाली	साफ्टवेयर / मोबाइल एप्प	योग
01 अप्रैल 2024 को प्रारंभिक शेष	**2,702.76**	**–**	**486.99**	**3,189.75**
वर्ष के दौरान आवर्धन	281.36	–	284.53	565.89
समायोजन / (पूंजीकृत)	(2,395.03)	–	–	(2,395.03)
31 मार्च 2025 को अंत शेष	**589.09**	**–**	**771.52**	**1,360.61**
वर्ष के दौरान आवर्धन	471.17	–	142.41	613.58
समायोजन / (पूंजीकृत)	(1,060.26)	–	(816.54)	(1,876.80)
31 मार्च 2026 को अंत शेष	**0.00**	**–**	**97.39**	**97.39**

नोट 6.2.1 : विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियों की उपयोज्यता कालक्रम अनुसूची

31 मार्च 2026 की स्थिति

(₹ लाख में)

विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियाँ	सीडब्लयूआईपी में एक अवधि के लिए राशि				योग
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
साफ्टवेयर / मोबाइल एप्प	97.39	–	–	-	97.39
एसएपी एस4/एचएएनए	–	–	–	-	–
योग	**97.39**	**–**	**–**	-	**97.39**

31 मार्च 2025 की स्थिति

(₹ लाख में)

विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियाँ	सीडब्लयूआईपी में एक अवधि के लिए राशि				योग
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
साफ्टवेयर / मोबाइल एप्प	284.53	385.13	101.86	–	771.52
एसपी एस4/एचएनए	281.36	307.73	–	–	589.09
योग	**565.89**	**692.86**	**101.86**	**–**	**1,360.61**

नोट 6.2.2 : विकासाधीन ऐसी कोई अमूर्त परिसंपत्ति नहीं है, जिसका पूरा होना निर्धारित अवधि से अधिक हो गया हो या जिसकी लागत अनुमानित लागत से अधिक हो गई हो।



नोट 7 : वित्तीय परिसंपत्तियाँ – गैर-चालू

नोट 7.1 : निवेश

नोट 7.1.1 : पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी में निवेश

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2026 की स्थिति	31 मार्च 2025 की स्थिति
गैर-सूचीबद्ध, लागत पर (पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी में) एनसीआरटीसी एक्सप्रेस ट्रांजिट लिमिटेड (₹100/- प्रति शेयर अंकित मूल्य वाले 1,00,000 शेयर)	100.00	100.00
योग	**100.00**	**100.00**

नोट : 7.1.2 सूचीबद्ध एवं गैर-सूचीबद्ध निवेशों का विवरण

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2026 की स्थिति	31 मार्च 2025 की स्थिति
(क) सूचीबद्ध निवेशों की कुल राशि एवं उनका बाजार मूल्य	–	–
(ख) गैर-सूचीबद्ध निवेशों की कुल राशि	100.00	100.00
(ग) निवेशों के मूल्य में हानि की कुल राशि	–	–
योग	**100.00**	**100.00**

नोट 7.2 : ऋण एवं अग्रिम

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2026 की स्थिति	31 मार्च 2025 की स्थिति
अच्छा माना गया कर्मचारियों को दिया गया अग्रिम*	113.49	112.60
योग	**113.49**	**112.60**

*चूंकि यह एक गैर-महत्वपूर्ण लेन-देन है, बहुउद्देशीय अग्रिम को अवधि के दौरान ऐतिहासिक लागत के आधार पर दर्शाया गया है।

अन्य 7.3 : अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियां

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2026 की स्थिति	31 मार्च 2025 की स्थिति
अप्रतिभूत, अच्छा समझा गया		
प्रतिभूति जमा	3,238.51	2,517.97
ग्रहणाधिकार के रूप में रखी गई सावधि जमा (संदर्भ नोट 7.3.1)	7.88	15.19
पूर्व चुकता व्यय*	–	0.05
योग	**3,246.39**	**2,533.21**

* महत्वपूर्ण लेखांकन नीति के खंड 2.32 का संदर्भ लें।

नोट 7.3.1 ग्रहणाधिकार के रूप में रखी गई सावधि जमाओं का विवरण (रिपोर्टिंग तिथि से 12 माह से अधिक की परिपक्वता अवधि वाली)

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2026 की स्थिति	31 मार्च 2025 की स्थिति
प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग	–	8.40
कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, गाजियाबाद	0.20	0.20
प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, गाजियाबाद	5.72	6.59
प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मेरठ	1.96	–
योग	**7.88**	**15.19**

नोग 8 : आस्थगित कर परिसम्पत्तियां / (देयताएं)

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2026 की स्थिति	31 मार्च 2025 की स्थिति
क. आस्थगित कर देयताएँ		
संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण पर मूल्यह्रास	–	(22,102.90)
कर्मचारी हितलाभों के लिए प्रावधान	–	–
आस्थगित कर देयताओं का योग	**–**	**(22,102.90)**
ख. आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ		
व्यावसायिक हानि	–	3,756.42
कर्मचारी हितलाभों के लिए प्रावधान	–	9.65
आस्थगित कर परिसम्पत्तियों का योग	**–**	**3,766.07**
नेट आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ/(देयताएँ)	**–**	**(18,336.83)**

नोट 8.1 : आस्थगित कर परिसंपत्तियों/(देयताओं) में मूवमेंट

(₹ लाख में)

विवरण	अग्रेषित हानियां	प्रावधान	संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण	योग
01 अप्रैल 2024 को प्रारंभिक शेष	**5,853.91**	**2.58**	**(12,978.62)**	**(7,122.13)**
2024-25 के दौरान (प्रभारित) / जमा किया गया				
लाभ एवं हानि में	(2,097.49)	–	(9,124.28)	(11,221.77)
अन्य व्यापक आय में	–	7.07	–	7.07
31 मार्च 2025 को अंत शेष	**3,756.42**	**9.65**	**(22,102.90)**	**(18,336.83)**
2025-26 के दौरान (प्रभारित) / जमा किया गया				
लाभ एवं हानि में	(3,756.42)		22,102.90	18,346.48
अन्य व्यापक आय में		(9.65)		(9.65)
31 मार्च 2026 को अंत शेष	**–**	**–**	**–**	**0.00**

कंपनी की निम्नलिखित आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ एवं देयताएँ हैं:

(₹ लाख में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2025-26	वित्तीय वर्ष 2024-25
आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ	1,14,995.35	3,766.07
आस्थगित कर देयता	(88,432.13)	(22,102.90)
आस्थगित कर परिसंपत्ति (नेट)	**26,563.22**	**(18,336.83)**

स्पष्टीकरण नोट: 26,563.22 लाख रुपये की आस्थगित कर परिसंपत्ति की वहन राशि की वर्षांत में इंड एएस 12 के प्रावधानों के अनुसार समीक्षा की गई है। भविष्य में आस्थगित कर परिसंपत्तियों के लाभ के उपयोग हेतु पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होने के संबंध में अनिश्चितता को ध्यान में रखते हुए, 31 मार्च 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान आस्थगित कर परिसंपत्तियों को मान्यता नहीं दी गई है। तदनुसार, 31 मार्च 2025 को 18,336.83 लाख रुपये की आस्थगित कर देयता (नेट) की वहन राशि को वापस ले लिया गया है।

नोट 9 : अन्य गैर चालू परसम्पत्तियां

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2026 की स्थिति	31 मार्च 2025 की स्थिति
क). पूंजी अग्रिम		
- निर्माण कार्यों के लिए अग्रिम (अप्रतिभूत एवं अच्छा माना गया) (संदर्भ नोट i)	11,894.56	21,065.48
- भूमि अधिग्रहण के लिए अग्रिम (संदर्भ नोट ii)	18,641.10	20,247.14
(ख) उचित मूल्य समायोजन – प्रतिभूति जमा (संदर्भ नोट iii)	155.84	265.08
(ग) उचित मूल्य समायोजन – बहुउद्देशीय अग्रिम, गैर-चालू परिसंपत्तियाँ (संदर्भ नोट iv)	–	9.92
योग	**30,691.50**	**41,587.62**

स्पष्टीकरण नोट:-

i. निर्माण कार्यों के लिए अग्रिम में ठेकेदारों को 1,004.91 लाख रुपये (7,627.52 लाख रुपये) के पूंजीगत अग्रिम शामिल हैं, जो बैंक गारंटी, दृष्टिबंधक आदि द्वारा सुरक्षित हैं।

ii. भूमि अधिग्रहण के लिए अग्रिम, 'उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन अधिनियम, 2013' के अंतर्गत गाजियाबाद एवं मेरठ में भूमि अधिग्रहण हेतु 'भूमि अधिग्रहण के लिए सक्षम प्राधिकारी बैंक खाते' में जमा की गई राशि को दर्शाता है। इसमें ब्याज के रूप में 1,009.45 लाख रुपये (1,186.67 लाख रुपये) भी शामिल हैं।

iii. यह प्रतिभूति जमा के उचित मूल्य एवं लेन-देन मूल्य के बीच के अंतर के अप्रमाणित भाग को दर्शाता है।

iv. चूंकि यह एक गैर-महत्वपूर्ण लेन-देन है, बहुउद्देशीय अग्रिम को अवधि के दौरान ऐतिहासिक लागत के आधार पर दर्शाया गया है।

नोट 10 : वित्तीय परिसम्पत्तियां - चालू

नोट 10.1 : व्यापार प्राप्य

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2026 की स्थिति	31 मार्च 2025 की स्थिति
i. अविवादित व्यापार प्राप्य – अच्छा माना गया	396.42	–
ii. अविवादित व्यापार प्राप्य – जिनमें ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	–	–
iii. अविवादित व्यापार प्राप्य – ऋण हानि से प्रभावित	–	–
iv. विवादित व्यापार प्राप्य – अच्छा माना गया	–	–
v. विवादित व्यापार प्राप्य – जिनमें ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	–	–
vi. विवादित व्यापार प्राप्य – ऋण हानि से प्रभावित	–	–
योग	**396.42**	**–**

10.1.1 व्यापार प्राप्यों की अवधि विश्लेषण

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2026 की स्थिति				
	6 महीने से कम	6 महीने से 1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक
i. अविवादित व्यापार प्राप्य – अच्छा माना गया	372.77	23.65	–	–	–
ii. अविवादित व्यापार प्राप्य – जिनमें ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	–	–	–	–	–
iii. अविवादित व्यापार प्राप्य – ऋण हानि से प्रभावित	–	–	–	–	–
iv. विवादित व्यापार प्राप्य – अच्छा माना गया	–	–	–	–	–
v. विवादित व्यापार प्राप्य – जिनमें ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	–	–	–	–	–
vi. विवादित व्यापार प्राप्य – ऋण हानि से प्रभावित	–	–	–	–	–
	372.77	**23.65**	**–**	**–**	**–**

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2025 की स्थिति				
	6 महीने से कम	6 महीने से 1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक
i. अविवादित व्यापार प्राप्य – अच्छा माना गया	–	–	–	–	–
ii. अविवादित व्यापार प्राप्य – जिनमें ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	–	–	–	–	–
iii. अविवादित व्यापार प्राप्य – ऋण हानि से प्रभावित	–	–	–	–	–
iv. विवादित व्यापार प्राप्य – अच्छा माना गया	–	–	–	–	–
v. विवादित व्यापार प्राप्य – जिनमें ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	–	–	–	–	–
vi. विवादित व्यापार प्राप्य – ऋण हानि से प्रभावित	–	–	–	–	–
	–	**–**	**–**	**–**	**–**

नोट 10.2: नकदी एवं नकदी समतुल्य

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2026 की स्थिति	31 मार्च 2025 की स्थिति
बैंकों के पास शेषराशि:		
– चालू खाते में	4,057.37	63.78
– फ्लेक्सी जमा में	24,126.98	2,573.72
– इम्प्रेस्ट में	6.53	4.99
सावधि जमा*	30,360.78	84,888.35
जमा पर उपार्जित ब्याज (3 माह या उससे कम की परिपक्वता अवधि वाले)	28.40	275.52
योग	**58,580.06**	**87,806.36**

* बैलेंस शीट की तिथि पर अधिग्रहण की तिथि से 3 माह या उससे कम की मूल परिपक्वता अवधि वाली।

नोट 10.3 : नकदी एवं नकदी समतुल्य के अलावा बैंक शेष

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2026 की स्थिति	31 मार्च 2025 की स्थिति
सावधि जमा (3 माह से अधिक लेकिन 12 माह से कम की परिपक्वता अवधि वाली)	3,75,581.25	3,10,297.90
ग्रहणाधिकार के रूप में रखी गई सावधि जमा (संदर्भ नोट 10.3.1)	622.04	1,112.32
बैंकों के पास निर्दिष्ट शेषराशि (संदर्भ नोट 10.3.2)	713.75	390.35
योग	**3,76,917.04**	**3,11,800.57**

नोट 10.3.1 : ग्रहणाधिकार के रूप में रखी गई सावधि जमाओं का विवरण

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2026 की स्थिति	31 मार्च 2025 की स्थिति
राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण	–	0.21
कार्यकारी अभियंता, सिविल प्रभाग संख्या III, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग	–	680.16
भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड	459.17	430.41
आयुक्त, नगर निगम, दिल्ली, दिल्ली	–	1.54
प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग	3.64	–
प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मेरठ	5.64	–
रक्षा संपदा कार्यालय, मेरठ	153.59	–
योग	**622.04**	**1,112.32**

नोट 10.3.2 : बैंकों के पास निर्दिष्ट शेषराशि, सीएसआर अप्रयुक्त बैंक खाते में शेषराशि को दर्शाती है (संदर्भ नोट 40)।

नोट 10.4 : ऋण तथा अग्रिम

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2026 की स्थिति	31 मार्च 2025 की स्थिति
कर्मचारियों को भुगतान किया गया अग्रिम – चालू परिसंपत्तियाँ (सीए)	62.52	77.49
योग	**62.52**	**77.49**

*चूंकि यह एक गैर-महत्वपूर्ण लेन-देन है, बहुउद्देशीय अग्रिम को अवधि के दौरान ऐतिहासिक लागत के आधार पर दर्शाया गया है।

अन्य 10.5 : अन्य चालू वित्त परिसंपत्तियाँ

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2026 की स्थिति	31 मार्च 2025 की स्थिति
सावधि जमाओं पर उपार्जित ब्याज	7,242.07	4,935.88
अन्य वसूली योग्य राशि	3,331.55	2,530.06
वसूली योग्य जेएफपीआर अनुदान	550.28	625.84
प्रतिभूति जमा किराया	21.27	14.03
आयकर के पास जमा	606.05	–
प्राधिकारियों के पास जमा	1,898.87	–
अन्य प्रतिभूमि जमा	0.30	6.00
उपार्जित राजस्व	153.64	–
योग	**13,804.03**	**8,111.81**

स्पष्टीकरण नोट:

i. सावधि जमाओं पर उपार्जित ब्याज में ग्रहणाधिकार के अंतर्गत रखी गई एफडीआर पर 22.75 लाख रुपये (51.12 लाख रुपये) का ब्याज शामिल है।

ii. उपार्जित ब्याज में भूमि अधिग्रहण अग्रिम खाते में 54.31 लाख रुपये (100.31 लाख रुपये) की राशि सम्मिलित है।

iii. पार्जित राजस्व में नोएडा-गुरुग्राम-फरीदाबाद नमो भारत कॉरिडोर के डीपीआर कार्यों के लिए भूमि एवं विकास कार्यालय, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय से संबंधित 151.20 लाख रुपये का बिल न किया गया राजस्व शामिल है।

नोट 11 : चालू कर परिसम्पत्तियां/ देयताएं (नेट)

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2026 की स्थिति	31 मार्च 2025 की स्थिति
अग्रिम कर एवं स्त्रोत पर कटौती (टीडीएस)	2,695.64	2,462.23
पिछले वर्ष के आयकर के लिए प्रावधान	–	–
आयकर के लिए प्रावधान	–	–
योग	**2,695.64**	**2,462.23**

नोट 12 : अन्य चालू परिसम्पत्तियां

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2026 की स्थिति	31 मार्च 2025 की स्थिति
अग्रिम		
कर्मचरियों को चुकता अग्रिम	2.61	1.37
अन्य अग्रिम	124.92	274.26
उचित मूल्य समायोजन- प्रतिभूति जमा*	109.54	109.54
उचित मूल्य समायोजन – बहुउद्देशीय अग्रिम**	–	15.19
जीएसटी इनपुट क्रेडिट	2.55	2.08
पूर्वदत्त व्यय	–	29.28
योग	**239.62**	**431.72**

*प्रतिभूति जमा के उचित मूल्य और लेन-देन मूल्य के बीच के अंतर के अनमोर्टाइज्ड हिस्से को दर्शाता है।

** चूंकि यह एक गैर-महत्वपूर्ण लेन-देन है, बहुउद्देशीय अग्रिम को अवधि के दौरान ऐतिहासिक लागत के आधार पर दर्शाया गया है।

नोट13 : इक्विटी शेयर पूंजी

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2026 की स्थिति	31 मार्च 2025 की स्थिति
अधिकृत शेयर पूंजी		
100 रुपये मूल्य प्रत्येक के 1,00,00,000 इक्विटी शेयर	10,000.00	10,000.00
जारी/अभिदत्त एवं प्रदत्त पूंजी		
100 रुपये मूल्य प्रत्येक के 1,00,00,000 इक्विटी शेयर	10,000.00	10,000.00
योग	**10,000.00**	**10,000.00**

नोट 13.1: इक्विटी शेर की संख्या एवं इक्विटी पूंजी का समाधान

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2026 की स्थिति		31 मार्च 2025 की स्थिति	
	शेयरों की संख्या लाख में	राशि	शेयरों की संख्या लाख में	राशि
वर्ष के प्रारंभ में बकाया जारी/अभिदत्त एवं प्रदत्त इक्विटी पूंजी	100	10,000.00	100	10,000.00
जोड़ें: वर्ष के दौरान जारी किए गए शेयर			-	-
वर्ष के अंत में बकाया जारी/अभिदत्त एवं प्रदत्त इक्विटी पूंजी	100	10,000.00	100	10,000.00

नोट 13.2: शेयरों से जुड़े अधिमान्य अधिकार एवं प्रतिबंध

इक्विटी शेयर: कंपनी के पास ₹100 प्रति शेयर अंकित मूल्य वाले इक्विटी शेयरों की केवल एक ही श्रेणी है। प्रत्येक शेयरधारक धारित प्रत्येक शेयर के लिए एक मत देने का हकदार है। परिसमापन की स्थिति में, इक्विटी शेयरधारक सभी अधिमान्य राशियों के वितरण के पश्चात अपनी शेयरधारिता के अनुपात में कंपनी की शेष परिसंपत्तियाँ प्राप्त करने के हकदार होंगे।

नोट 13.3: कंपनी में कुल शेयरों के 5% से अधिक शेयर रखने वाले शेयरधारकों द्वारा धारित शेयरों का विवरण

विवरण	31 मार्च 2026 की स्थिति		31 मार्च 2025 की स्थिति	
	शेयरों की संख्या	शेयरधारिता का %	शेयरों की संख्या	शेयरधारिता का %
भारत के राष्ट्रपति के माध्यम से				
- आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय	2250000	22.50%	2250000	22.50%
- रेल मंत्रालय	2250000	22.50%	2250000	22.50%
- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड	500000	5.00%	500000	5.00%
राज्य सरकार				
- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार	1250000	12.50%	1250000	12.50%
- हरियाणा सरकार	1250000	12.50%	1250000	12.50%
- राजस्थान सरकार	1250000	12.50%	1250000	12.50%
- उत्तर प्रदेश सरकार	1250000	12.50%	1250000	12.50%
योग	**10000000**	**100.00%**	**10000000**	**100.00%**

नोट 13.4: प्रोमोटरों की शेयरधारिता

विवरण	31 मार्च 2026 की स्थिति		31 मार्च 2025 की स्थिति	
	शेयरों की संख्या	शेयरधारिता का %	शेयरों की संख्या	शेयरधारिता का %
भारत के राष्ट्रपति के माध्यम से				
- आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय	2250000	22.50%	2250000	22.50%
- रेल मंत्रालय	2250000	22.50%	2250000	22.50%
- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड	500000	5.00%	500000	5.00%
राज्य सरकार				
- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार	1250000	12.50%	1250000	12.50%
- हरियाणा सरकार	1250000	12.50%	1250000	12.50%
- राजस्थान सरकार	1250000	12.50%	1250000	12.50%
- उत्तर प्रदेश सरकार	1250000	12.50%	1250000	12.50%

नोट 13.5:रिपोर्टिंग तिथि से तत्काल पूर्व पाँच वर्षों की अवधि के दौरान बोनस के रूप में जारी पूर्ण प्रदत्त जारी किए गए इक्विटी शेयरों की कुल संख्या – शून्य

नोट 14 : अन्य इक्विटी

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2026 की स्थिति	31 मार्च 2025 की स्थिति
(क) प्रतिधारित उपार्जन	(1,04,208.70)	41,398.82
(ख) इक्विटी के प्रति अनुदान	3,33,648.00	2,84,633.00
(ग) अधीनस्थ ऋण का आस्थगित उचित मूल्यांकन*	8,46,206.68	7,45,233.23
योग	**10,75,645.98**	**10,71,265.05**

* इसमें 1,00,973.46 लाख रुपये (94,244.60 लाख रुपये) के अधीनस्थ ऋण के आस्थगित उचित मूल्य समायोजन को शामिल किया गया है।

नोट 14.1 : प्रतिधारित उपार्जन

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2026 की स्थिति	31 मार्च 2025 की स्थिति
आरंभिक राशि	41,398.81	33,701.27
जोड़े:		
-लाभ एवं हानि के विवरण से अवधि के दौरान हस्तांतरित लाभ	(1,45,134.62)	7,652.13
-वर्ष के दौरान हस्तांतरित अन्य व्यापक आय	(472.89)	45.41
अंत शेष	**(1,04,208.70)**	**41,398.81**

नोट 14.2 : इक्विटी के प्रति अनुदान

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2026 की स्थिति	31 मार्च 2025 की स्थिति
मौद्रिक अनुदान		
दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर के निर्माण के लिए इक्विटी के प्रति अनुदान	3,33,648.00	2,84,633.00
अंत शेष	**3,33,648.00**	**2,84,633.00**

इक्विटी के प्रति प्राप्त अनुदानों का विवरण निम्नानुसार है:-

(₹ लाख में)

विवरण	01.04.2024 की स्थिति के अनुसार शेष	वित्तीय वर्ष 24-25 के दौरान आवर्धन	31.03.2025 की स्थिति के अनुसार शेष	अवधि के दौरान आवर्धन	31.03.2026 की स्थिति के अनुसार शेष
दिल्ली गाजियाबाद मेरठ आरआरटीएस कॉरीडोर के निर्माण के लिए					
भारत सरकार	1,10,665.00	19,800.00	1,30,465.00	33,835.00	1,64,300.00
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार	26,500.00	–	26,500.00	–	26,500.00
उत्तर प्रदेश सरकार	1,14,100.00	13,568.00	1,27,668.00	8,600.00	1,36,268.00
योग (क)	**2,51,265.00**	**33,368.00**	**2,84,633.00**	**42,435.00**	**3,27,068.00**
दिल्ली करनाल आरआरटीएस कॉरीडोर के निर्माण के लिए					
भारत सरकार	–	–	–	6,580.00	6,580.00
योग (ख)	**–**	**–**	**–**	**6,580.00**	**6,580.00**
योग (क+ख)	**2,51,265.00**	**33,368.00**	**2,84,633.00**	**49,015.00**	**3,33,648.00**

नोट 14.3 : अधीनस्थ ऋण का आस्थगित उचित मूल्यांकन

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2026 की स्थिति	31 मार्च 2025 की स्थिति
अथ शेष	7,45,233.23	6,50,988.63
वर्ष के दौरान आवर्धन	1,00,973.45	94,244.60
अंत शेष	**8,46,206.68**	**7,45,233.23**

नोट 15 :ऋण

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2026 की स्थिति		31 मार्च 2025 की स्थिति	
अप्रतिभूत				
क. निम्नलिखित से ब्याज मुक्त ऋण -				
क. आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए)				
भारत सरकार				
अधीनस्थ ऋण	3,27,700.00		2,50,500.00	
अधीनस्थ ऋण (केन्द्रीय कर)	70,500.00		70,500.00	
अधीनस्थ ऋण (सरकारी भूमि)	23,800.00		23,800.00	
अधीनस्थ ऋण पर उपार्जित ब्याज {सदंर्भ नोट 15(ii))	16,948.37		11,541.15	
अधीनस्थ ऋण का आस्थगित उचित मूल्य समायोजन	(3,55,900.75)	83,047.62	(2,88,285.34)	68,055.81
ख. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (जीएनसीटीडी)				
अधीनस्थ ऋण	53,000.00		53,000.00	
अधीनस्थ ऋण (केन्द्रीय कर)	14,000.00		14,000.00	
अधीनस्थ ऋण (राज्य कर)	23,000.00		23,000.00	
अधीनस्थ ऋण (सरकारी भूमि)	9,500.00		9,500.00	
अधीनस्थ ऋण पर उपार्जित ब्याज {सदंर्भ नोट 15(ii))	3,692.11		2,458.12	
अधीनस्थ ऋण का आस्थगित उचित मूल्य समायोजन	(83,996.03)	19,196.08	(83,996.03)	17,962.09
ग. उत्तर प्रदेश सरकार (जोओ यूपी)				
अधीनस्थ ऋण	2,72,532.00		2,55,432.00	
अधीनस्थ ऋण (केन्द्रीय कर)	80,150.00		70,200.00	
अधीनस्थ ऋण (राज्य कर)	1,13,250.00		1,02,300.00	
अधीनस्थ ऋण (सरकारी भूमि)	15,000.00		15,000.00	
अधीनस्थ ऋण पर उपार्जित ब्याज {सदंर्भ नोट 15(ii))	17,411.29		11,461.82	
अधीनस्थ ऋण का आस्थगित उचित मूल्य समायोजन	(4,06,309.90)	92,033.39	(3,72,951.86)	81,441.96
ख. भारत सरकार द्वारा एशियन डेवलेपमेंट बैंक से व्यवस्थित ब्याज-युक्त ऋण				
ऋण संख्या पुनर्भुगतान प्रारंभ तिथि				
एलएन3964-आईएनडी 15.02.2029		4,73,250.00		4,30,500.00

विवरण	31 मार्च 2026 की स्थिति		31 मार्च 2025 की स्थिति	
ब्याज दर : (एसओएफआर + 0.50% + परिपक्वता प्रीमियम 0.20%+परिवर्तनशील अधिभार) प्रतिवर्ष				
प्रतिबद्धता प्रभार 0.15% प्रतिवर्ष				
ग. भारत सरकार द्वारा न्यू डेवलेपमेंट बैंक से व्यवस्थित ब्याज-युक्त ऋण				
ऋण संख्या पुनर्भुगतान प्रारंभ तिथि				
20आईएन04 15-03-2029		3,38,856.20		2,26,434.06
ब्याज दर (एसओएफआर+1.77826) प्रतिवर्ष				
प्रतिबद्धता प्रभार 0.25% प्रतिवर्ष				
घ. भारत सरकार द्वारा एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इनवेस्टमैंट बैंक से व्यवस्थित ब्याज-युक्त ऋण				
ऋण संख्या पुनर्भुगतान प्रारंभ तिथि				
एल0352ए 15-11-2029		4,73,250.00		3,83,529.12
ब्याज दर (एसओएफआर + विस्तार) प्रति वर्ष				
प्रतिबद्धता प्रभार 0.25% प्रति वर्ष				
ङ.भारत सरकार द्वारा एशियन डेवलेपमेंट बैंक से व्यवस्थित ब्याज-युक्त ऋण (किस्त- 3)				
ऋण संख्या पुनर्भुगतान प्रारंभ तिथि		2,24,112.69		72,620.71
4404-आईएनडी 15-12-2031				
ब्याज दर : (टीओएनए + 0.60% + परिपक्वता प्रीमियम 0.20%+ परिवर्तनशील अधिभार) प्रतिवर्ष				
प्रतिबद्धता प्रभार 0.15% प्रतिवर्ष				
योग		**17,03,745.98**		**12,80,543.75**

स्पष्टीकरण नोट:

(i) कंपनी को भारत सरकार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार तथा उत्तर प्रदेश सरकार से ब्याज-मुक्त अधीनस्थ ऋण प्राप्त हुए हैं, जो एशियायन डेवलेपमेंट बैंक (एडीबी), न्यू डेवलपमेंट बैंक (एनडीबी) तथा एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इनवेस्टमेंट बैंक (एआईआईबी) से प्राप्त ब्याज-युक्त वरिष्ठ ऋण के पुनर्भुगतान के पश्चात चुकाए जाने हैं।

(ii) भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान की विशेषज्ञ सलाहकार समिति की राय के अनुसार, ब्याज-मुक्त अधीनस्थ ऋण का मापन उचित मूल्य पर किया जाता है तथा ऋण की राशि और उसके उचित मूल्य के बीच उत्पन्न अंतर को भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा इक्विटी धारकों के रूप में किए गए गैर-पारस्परिक पूंजी योगदान के रूप में लेखांकित किया गया है।

(iii) भारत सरकार ने दिल्ली-मेरठ आरआरटीएस परियोजना के वित्तपोषण के लिए एडीबी के साथ 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर और 37,730 मिलियन जापानी येन, एनडीबी के साथ 418 मिलियन अमेरिकी डॉलर तथा एआईआईबी के साथ 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते किए हैं। सभी ऋणों की अवधि 25 वर्ष है, जिसमें 8 वर्ष की अधिस्थगन अवधि शामिल है। ऋणदाता संस्थाओं के साथ सहमत निधि प्रवाह व्यवस्था के अनुसार, ऋण की राशि भारत सरकार द्वारा बैक-टू-बैक आधार पर कंपनी को पास-थ्रू सहायता के रूप में प्रदान की जानी है। दिल्ली-मेरठ आरआरटीएस परियोजना के स्वीकृति आदेश के अनुसार विदेशी मुद्रा विनिमय दर में उतार-चढ़ाव का जोखिम तथा ब्याज दर में उतार-चढ़ाव का जोखिम निगम द्वारा वहन किया जाना है। ऋणों का पुनर्भुगतान निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 34 अर्धवार्षिक किस्तों में वर्ष 2029 से प्रारंभ होगा।

नोट 16 : अन्य वित्तीय देयताएं- गैर-चालू

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2026 की स्थिति	31 मार्च 2025 की स्थिति
प्रतिभूति जमा	102.25	112.72
अन्य वित्तीय देयताएं	9138.25	–
योग	**9,240.50**	**112.72**

नोट 17 : प्रावधान

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2026 की स्थिति	31 मार्च 2025 की स्थिति
कर्मचारी हितलाभ के लिए प्रावधान		
उपदान के लिए प्रावधान	1,215.62	1,101.78
छुट्टी नकदीकरण के लिए प्रावधान	2,243.60	2,034.88
अन्य कर्मचारियों हितलाभों के लिए प्रावधान	153.17	903.29
योग	**3,612.39**	**4,039.95**

नोट 18 : अन्य गैर-चालू देयताएं

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2026 की स्थिति	31 मार्च 2025 की स्थिति
अग्रिम		
हरियाणा सरकार से अग्रिम	24,750.00	24,750.00
राजस्थान सरकार से अग्रिम	500.00	500.00
रा.रा.क्षे दिल्ली सरकार से अग्रिम	49,700.00	20,000.00
एशियन डेवलपमेंट बैंक- तकनीकि सहायता	373.12	543.72
उचित मूल्य समायोजन – प्रतिभूति जमा – गैर-चालू	18.64	17.10
योग	**75,341.76**	**45,810.82**

स्पष्टीकरण नोट:

(i) राज्य सरकारों से प्राप्त अग्रिम में दिल्ली-बावल आरआरटीएस कॉरिडोर और दिल्ली-करनाल आरआरटीएस कॉरिडोर के लिए उनके योगदान की राशि शामिल है। परियोजना की स्वीकृति लंबित होने के कारण, प्राप्त निधि को उसकी प्रकृति (इक्विटी के प्रति अनुदान/अधीनस्थ ऋण) के आधार पर वर्गीकृत नहीं किया गया है।

(ii) परियोजना-वार विवरण निम्नानुसार है:

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2026 की स्थिति		31 मार्च 2025 की स्थिति	
	दिल्ली-बावल	दिल्ली-करनाल	दिल्ली-बावल	दिल्ली-करनाल
हरियाणा सरकार से अग्रिम	24,250.00	500.00	24,250.00	500.00
राजस्थान सरकार से अग्रिम	500.00	–	500.00	–
रा.रा.क्षे दिल्ली सरकार से अग्रिम	33,500.00	16,200.00	15,000.00	5,000.00
योग	**58,250.00**	**16,700.00**	**39,750.00**	**5,500.00**



नोट 19 : अन्य वित्तीय देयताएं

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2026 की स्थिति	31 मार्च 2025 की स्थिति
उधार पर उपार्जित किंतु देय न हुआ ब्याज	13,559.77	10,732.68
व्ययों के लिए लेनदार – अन्य	27,031.66	26,168.46
व्ययों के लिए लेनदार – सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम	1,532.56	1,648.12
प्रतिभूति जमा	17,576.07	12,938.97
अन्य वित्तीय देयता	591.58	–
योग	**60,291.64**	**51,488.23**

नोट 20 : व्यापार प्राप्य

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2026 की स्थिति	31 मार्च 2025 की स्थिति
(क) सूक्ष्म उद्यमों एवं लघु उद्यमों की कुल बकाया देय राशि	11.06	–
(ख) सूक्ष्म उद्यमों एवं लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों की कुल बकाया देय राशि	2,703.81	–
योग	**2,714.87**	**–**

नोट 20.1: व्यापार देयकों की अवधि विश्लेषण

(₹ लाख में)

विवरण	31-03-2026 की स्थिति					
	बिल न किया गया	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	योग
i. एमएसएमई	–	11.06	–	–	–	11.06
ii.अन्य	–	2,703.81	–	–	–	2,703.81
iii. विवादित देय – एमएसएमई	–	–	–	–	–	–
iv. विवादित देय- अन्य	–	–	–	–	–	–
योग	**–**	**2,714.87**	**–**	**–**	**–**	**2,714.87**

विवरण	31-03-2025 की स्थिति					
	बिल न किया गया	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	योग
i. एमएसएमई	–	–	–	–	–	–
ii.अन्य	–	–	–	–	–	–
iii. विवादित देय – एमएसएमई	–	–	–	–	–	–
iv. विवादित देय- अन्य	–	–	–	–	–	–
योग	–	–	–	–	–	–

नोट 21 : अन्य चालू देनदारियाँ

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2026 की स्थिति	31 मार्च 2025 की स्थिति
टीडीएस देय	1,261.39	1,933.48
जीएसटी देय (जीएसटी पर टीडीएस सहित)	340.72	268.55
भवन एवं श्रम उपकर देय	133.83	322.35

विवरण	31 मार्च 2026 की स्थिति	31 मार्च 2025 की स्थिति
भविष्य निधि	118.41	114.58
उचित मूल्य समायोजन – प्रतिभूति जमा	6.03	7.48
अन्य (श्रमिक कल्याण निधि)	1,314.39	1,317.25
एमओएचयूए से प्राप्त अग्रिम (संदर्भ नोट i)	3,08,802.24	5,10,087.65
एमओएचयूए से प्राप्त अग्रिम (निर्भया निधि)	1,952.15	1,100.00
एमओएचयूए से प्राप्त अग्रिम (जीएफपीआर निधि)	1,875.07	–
एशियन डेवलपमेंट बैंक- तकनीकि सहायता	113.42	153.86
आस्थगित राजस्व	70.90	–
योग	**3,15,988.55**	**5,15,305.20**

स्पष्टीकरण नोट:

(i) अवधि के दौरान आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA) से 74,700 लाख रुपये (3,15,800.00 लाख रुपये) का अग्रिम, एशियन डेवलेपमेंट बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक तथा एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इनवेस्टमेंट बैंक से ऋण के वितरण लंबित रहने के कारण पास-थ्रू सहायता के रूप में प्राप्त हुआ। 3,08,802.24 लाख रुपये (5,10,087.65 लाख रुपये) की शेष अग्रिम राशि बहुपक्षीय बैंकों से प्राप्त होने वाले ऋण से वित्तपोषित किए जाने वाले किए गए व्यय के समायोजन के पश्चात है।

नोट 22 : प्रावधान

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2026 की स्थिति	31 मार्च 2025 की स्थिति
कर्मचारी हितलाभ के लिए प्रावधान		
उपदान के लिए प्रावधान	214.73	80.90
छुट्टी नकदीकरण के लिए प्रावधान	220.89	234.40
अन्य कर्मचारियों हितलाभों के लिए प्रावधान	340.40	131.32
योग	**776.02**	**446.62**

नोट 23 : परिचालन से राजस्व

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए
किराया राजस्व	10,325.20	–
गैर-किराया राजस्व	322.34	–
योग	**10,647.54**	**–**

कंपनी को दिल्ली और मेरठ के बीच 82.15 किलोमीटर लंबे क्षेत्रीय द्रुतगति परिवहन प्रणाली (आरआरटीएस) कॉरिडोर के विकास का दायित्व सौंपा गया है, जिसका उद्देश्य दिल्ली और मेरठ के बीच यात्रियों को निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करना है। परियोजना कार्यान्वयनाधीन थी और इसे 14 अगस्त 2025 को पूरा किया गया (अर्थात, संपूर्ण कॉरिडोर के लिए सीएमआरएस प्रमाणपत्र प्राप्त होने की तिथि)। अतः तुलनात्मक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।



नोट 24 : अन्य आय

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए
ब्याज आय		
- एफडीआर पर	25,477.68	21,887.09
- कर्मचारी ऋण पर	14.94	8.81
- वित्तीय परिसंपत्तियों पर (संदर्भ नोट i)	136.85	136.75
एशियन विकास बैंक – तकनीकी सहायता (परिशोधन) (संदर्भ नोट ii)	211.03	338.29
मौद्रिक अनुदान (संदर्भ नोट 45)	597.22	301.74
अन्य विविध आय	192.38	181.44
परामर्श आय	384.67	281.23
विनिमय दर में उतार-चढ़ाव से लाभ	510.62	–
योग	**27,525.39**	**23,135.35**

(i) गैर-महत्वपूर्ण लेन-देन होने के कारण, बहुउद्देशीय अग्रिम को अवधि के दौरान ऐतिहासिक लागत के आधार पर दर्शाया गया है।

(ii) एशियन विकास बैंक – तकनीकी सहायता – अनुदान परिशोधन के संबंध में 211.03 लाख रुपये (338.29 लाख रुपये) की राशि।

नोट 25 : परिचालन व्यय

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए
परिचालन एवं अनुरक्षण व्यय	12,881.15	–
विद्युत व्यय	3,246.96	–
मरम्मत एवं अनुरक्षण व्यय	29.89	–
अन्य परिचालन व्यय	393.68	–
योग	**16,551.68**	**–**

कंपनी को दिल्ली और मेरठ के बीच 82.15 किलोमीटर लंबे क्षेत्रीय द्रुतगति परिवहन प्रणाली (आरआरटीएस) कॉरिडोर के विकास का दायित्व सौंपा गया है, जिसका उद्देश्य दिल्ली और मेरठ के बीच यात्रियों को निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करना है। परियोजना कार्यान्वयनाधीन थी और इसे 14 अगस्त 2025 को पूरा किया गया (अर्थात् संपूर्ण कॉरिडोर के लिए CMRS प्रमाणपत्र प्राप्त होने की तिथि)। अतः तुलनात्मक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

नोट 26: कर्मचारी हितलाभ व्यय

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए			31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए		
	निर्माण पर व्यय	लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित व्यय	सकल व्यय	निर्माण पर व्यय	लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित व्यय	सकल व्यय
वेतन, मजदूरी एवं बोनस	9,080.27	1,072.53	10,152.80	9,002.88	1,323.52	10,326.40
कर्मचारी कल्याण व्यय	242.29	146.60	388.89	252.46	42.37	294.83

विवरण	31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए			31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए		
	निर्माण पर व्यय	लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित व्यय	सकल व्यय	निर्माण पर व्यय	लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित व्यय	सकल व्यय
भविष्य निधि एवं अन्य निधियों में अंशदान*	655.70	181.53	837.23	627.83	148.02	775.85
योग	**9,978.26**	**1,400.66**	**11,378.92**	**9,883.17**	**1,513.91**	**11,397.08**

स्पष्टीकरण नोट :

* प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कर्मचारियों के लिए भविष्य निधि, पेंशन, ग्रेच्युटी, अवकाश लाभ एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के संबंध में 93.62 लाख रुपये (101.86 लाख रुपये) की राशि संबंधित मूल संगठन को भुगतान की गई/भुगतान योग्य है तथा इसे कर्मचारी लाभ व्यय में शामिल किया गया है।

नोट 27 : वित्त लागतें

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए			31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए		
	निर्माण पर व्यय	लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित व्यय	सकल व्यय	निर्माण पर व्यय	लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित व्यय	सकल व्यय
पट्टा देयताओं पर ब्याज व्यय	(0.00)	–	(0.00)	–	–	–
क. बहुपक्षीय वित्तपोषण एजेंसियों से प्राप्त ऋण के संबंध में	25,422.99	42,740.56	68,163.55	64,528.03	–	64,528.03
ख. ब्याज लागत के रूप में समायोजित विनिमय अंतर के संबंध में	31,145.55	89,254.03	1,20,399.58	33,023.34	–	33,023.34
ग, अधीनस्थ ऋण पर ब्याज लागत	4,298.13	8,292.56	12,590.69	8,993.30	–	8,993.30
योग	**60,866.67**	**1,40,287.15**	**2,01,153.82**	**1,06,544.67**	**–**	**1,06,544.67**

स्पष्टीकरण नोट:

(i) विदेशी मुद्रा में लिए गए उधार से उत्पन्न विनिमय अंतरों के संबंध में इंड एएस 23, 'उधार लेने की लागत' के पैराग्राफ 6(ई) को लागू करते समय, कंपनी 'संचयी अवधि दृष्टिकोण' का अनुसरण कर रही है, क्योंकि कंपनी का मत है कि निर्माणाधीन परिसंपत्तियों की लंबी निर्माण अवधि को ध्यान में रखते हुए 'संचयी अवधि दृष्टिकोण' अधिक उपयुक्त है।

(ii). पूंजीकरण की तिथि अर्थात् 14 अगस्त 2025 तक पूंजीकृत संचयी विनिमय हानि 1,16,677.46 लाख रुपये है, जबकि 14 अगस्त 2025 तक ब्याज लागत में किए गए संचयी समायोजन 1,44,976.53 लाख रुपये (1,58,805.55 लाख रुपये) हैं। तदनुसार, अवधि के लिए 31,145.55 लाख रुपये (33,023.34 लाख रुपये) की संपूर्ण विनिमय हानि को उधार लेने की लागत के हिस्से के रूप में माना गया है।

नोट 28 : मूल्यह्रास एवं परिशोधन लागत

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए			31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए		
	निर्माण पर व्यय	लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित व्यय	सकल व्यय	निर्माण पर व्यय	लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित व्यय	सकल व्यय
मूर्त परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास (संदर्भ नोट 3)	981.14	38,953.71	39,934.85	2,160.74	441.05	2,601.79
उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास (संदर्भ नोट 4)	58.87	49.34	108.21	41.23	9.39	50.62
अमूर्त परिसंपत्तियों पर परिशोधन (संदर्भ नोट 6.1)	508.40	1,440.29	1,948.69	791.43	335.94	1,127.37
योग	**1,548.41**	**40,443.34**	**41,991.75**	**2,993.40**	**786.38**	**3,779.78**

नोट 29 : अन्य व्यय

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए			31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए		
	निर्माण पर व्यय	लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित व्यय	सकल व्यय	निर्माण पर व्यय	लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित व्यय	सकल व्यय
कार्यालय किराया	6.72	–	6.72	13.73	–	13.73
शुल्क, दरें एवं कर	85.98	7.28	93.26	–	3.43	3.43
मशीनरी एवं अन्य की मरम्मत एवं अनुरक्षण	95.30	67.05	162.35	70.41	18.60	89.01
विद्युत एवं ईंधन	200.05	76.60	276.65	146.37	98.12	244.49
वाहन परिचालन एवं अनुरक्षण	1,619.41	223.80	1,843.21	1,703.59	162.46	1,866.05
यात्रा व्यय	450.83	73.35	524.18	512.41	84.55	596.96
इंटरनेट शुल्क	74.00	22.08	96.08	73.67	17.23	90.90
लेखापरीक्षकों को भुगतान (संदर्भ नोट 29.1)	–	4.19	4.19	–	3.60	3.60
विधिक एवं व्यावसायिक शुल्क	119.08	83.00	202.08	49.26	52.94	102.20
तकनीकी जाँच एवं सर्वेक्षण व्यय	353.68	17.31	370.99	12.71	–	12.71
प्रशिक्षण एवं भर्ती व्यय	–	100.14	100.14	–	28.87	28.87
परामर्श शुल्क	2,324.94	342.47	2,667.41	686.29	307.62	993.91



विवरण	31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए			31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए		
	निर्माण पर व्यय	लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित व्यय	सकल व्यय	निर्माण पर व्यय	लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित व्यय	सकल व्यय
सुरक्षा व्यय	763.71	242.58	1,006.29	493.32	134.89	628.21
मुद्रण एवं लेखन सामग्री	13.36	82.19	95.55	29.63	117.62	147.25
संचार व्यय	154.46	15.00	169.46	116.75	12.96	129.71
पुस्तकें एवं पत्रिकाएँ	0.72	1.79	2.51	0.43	1.09	1.52
विज्ञापन एवं प्रचार- अन्य	169.32	150.15	319.47	53.46	35.38	88.84
विज्ञापन एवं प्रचार- निविदा	106.48	2.59	109.07	38.67	10.70	49.37
बैठक एवं सम्मेलन व्यय	247.81	277.37	525.18	56.94	207.30	264.24
शुल्क एवं सदस्यता प्रभार	–	56.58	56.58	–	46.70	46.70
गृह व्यवस्था व्यय	178.30	134.58	312.88	271.77	160.58	432.35
सॉफ्टवेयर व्यय	255.48	9.75	265.23	308.65	72.97	381.62
आउटसोर्सिंग व्यय	1,881.58	243.37	2,124.95	796.20	167.94	964.14
कार्यालय व्यय	83.32	77.39	160.71	108.89	71.33	180.22
विविध व्यय	30.21	655.34	685.55	229.04	135.50	364.54
बैंक प्रभार	–	5.25	5.25	–	8.78	8.78
विनिमय दर में उतार-चढ़ाव से हानि	–	–	–	35.76	–	35.76
कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR)	–	–	–	–	–	–
उप-योग	**9,214.74**	**2,971.20**	**12,185.94**	**5,807.95**	**1,961.16**	**7,769.11**

जीएफपीआर एवं निर्भया निधि से संबंधित व्यय के लिए नोट 45 का संदर्भ लें।

नोट 29.1 : लेखापरीक्षकों को किए गए भुगतान का विवरण

(₹ लाख में)

प्रारम्भिक शेष	31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए
वर्ष के दौरान वृद्धि		
लेखापरीक्षा शुल्क	2.40	2.00
कर लेखापरीक्षा शुल्क	0.60	0.50
अन्य क्षमता में (परियोजना वित्तीय विवरणों के लिए)	0.55	0.55
शुल्क पर जीएसटी	0.64	0.55
योग	**4.19**	**3.60**

नोट 30 : आय कर व्यय

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए
चालू आयकर:		
अवधि के लिए	–	–
पूर्ववर्ष के लिए (नेट)	–	–
योग	**–**	**–**
आस्थगित कर:		
अवधि के लिए	(18,346.48)	11,221.77
पूर्ववर्ष के लिए	–	–
योग	**(18,346.48)**	**11,221.77**

नोट 30.1 :कर व्यय एवं लेखांकन लाभ के बीच सामंजस्य:

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए
जारी परिचालनों से कर-पूर्व लेखांकन लाभ	(1,63,481.10)	18,873.90
आयकर से पूर्व लेखांकन लाभ	**(1,63,481.10)**	**18,873.90**
जोड़ें: कटौती योग्य एवं कटौती योग्य नहीं मदें	(124.23)	(128.14)
स्थायी रूप से अस्वीकृत मदों के समायोजन के पश्चात लेखांकन लाभ	**(1,63,605.33)**	**18,745.76**
चालू वर्ष के लिए कर व्यय	(18,346.48)	11,221.77
लाभ एवं हानि में प्रभारित कुल कर व्यय	**(18,346.48)**	**11,221.77**

नोट 31 : प्रति शेयर आय (ईपीएस)

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए
मूल ईपीएस		
जारी परिचालनों से	(1,451.35)	76.52
बंद परिचालनों से	–	–
	–	–
डायल्यूटिड ईपीएस		
जारी परिचालनों से	(1,451.35)	76.52
बंद परिचालनों से	–	–

नोट 31.1 : प्रति शेयर मूल उपार्जन

मूल प्रति शेयर आय की गणना में प्रयुक्त आय और भारित औसत इक्विटी शेयरों की संख्या तथा पूर्ववर्ष की प्रति शेयर आय को वर्ष के दौरान बोनस शेयरों के निर्गमन के समायोजन के पश्चात पुनः निर्धारित किया गया है।

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए
कंपनी के इक्विटी धारकों को अभिधार्य लाभ:		
जारी परिचालनों से	(1,45,134.62)	7,652.13
बंद परिचालनों से	–	–
मूल प्रति शेयर आय की गणना में प्रयुक्त आय	**(1,45,134.62)**	**7,652.13**
मूल प्रति शेयर आय के प्रयोजनार्थ शेयरों की भारित औसत संख्या (लाख में) [शेयर का अंकित मूल्य ₹100 प्रति शेयर]	100.00	100.00

नोट 31.2 : प्रति शेयर डायल्यूटिड आय

डायल्यूटिड प्रति शेयर आय के प्रयोजनार्थ इक्विटी शेयरों की भारित संख्या का मूल प्रति शेयर आय की गणना में प्रयुक्त इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से निम्नानुसार मिलान किया गया है:-

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए
कंपनी के इक्विटी धारकों को अभिधार्य लाभ:		
जारी परिचालनों से	(1,45,134.62)	7,652.13
बंद परिचालनों से		–
चालू परिचालन से संबंधित प्रति शेयर डायलूटिड आय की गणना में प्रयुक्त आय	**(1,45,134.62)**	**7,652.13**
मूल प्रति शेयर आय के प्रयोजनार्थ शेयरों की भारित औसत संख्या (लाख में) [शेयर का अंकित मूल्य ₹100 प्रति शेयर]	100.00	100.00

नोट 32 : अनुमान एवं पूर्वधारणाएँ

रिपोर्टिंग अवधि के अंत में भविष्य के संबंध में प्रमुख पूर्वधारणाएँ तथा अनुमान संबंधी अनिश्चितता के प्रमुख स्रोत निम्नलिखित हैं, जिनसे अगले वित्तीय वर्ष में परिसंपत्तियों और देनदारियों की वहन राशि में महत्वपूर्ण समायोजन किए जाने का महत्वपूर्ण जोखिम हो सकता है।"

- **पूंजीगत कार्य प्रगति पर :** कर्मचारी हितलाभों तथा अन्य व्यय की प्रकृति वाले अप्रत्यक्ष व्यय, जो परियोजना पर तथा परियोजना से इतर दोनों के संबंध में किए गए हैं, को व्यक्तिगत परियोजना कॉरिडोर में किए गए प्रयासों तथा अन्य प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखते हुए प्रबंधन के निर्णय के आधार पर परियोजनाओं को आनुपातिक रूप से आवंटित किया गया है।
- **पट्टाधारित भूमि :** कंपनी ने उन मामलों में पट्टाधारित भूमि के पंजीकरण की संभावित लागत का अनुमान निर्धारित करने में अपने निर्णय का उपयोग किया है, जहाँ भूमि का पंजीकरण लंबित है। कंपनी ने तुलन-पत्र की तिथि को प्रचलित सर्किल रेट के आधार पर पंजीकरण लागत का अनुमान निर्धारित किया है तथा भूमि के वास्तविक पंजीकरण तक प्रत्येक तुलन-पत्र तिथि पर इसका पुनः अनुमान निर्धारित किया जाएगा।
- **ऋण लागत :** कंपनी ने इंड एएस 23 के पैरा 6(ङ) के अनुसार विनिमय दर में उतार-चढ़ाव से उत्पन्न हानि के पूंजीकरण के संबंध में अपने निर्णय का उपयोग किया है। कंपनी ने कार्यात्मक मुद्रा में उधार की लागत के साथ विनिमय दर में उतार-चढ़ाव से उत्पन्न हानि की तुलना के लिए संचयी दृष्टिकोण अपनाया है, जिसका निर्धारण कंपनी के पास उपलब्ध बाजार रुझानों के आधार पर किया गया है।
- **प्रावधान:** तुलन-पत्र की तिथि को दायित्व के निपटान हेतु अनुमान के आधार पर प्रावधान निर्धारित किए जाते हैं।
- **देनदारियाँ/परिसंपत्तियाँ:** आकस्मिक देनदारियों/परिसंपत्तियों का प्रकटीकरण प्रबंधन के निर्णय के आधार पर किया जाता है तथा प्रत्येक तुलन-पत्र तिथि पर उनकी समीक्षा

की जाती है और वर्तमान प्रबंधन अनुमान को प्रतिबिंबित करने के लिए उनमें आवश्यक समायोजन किया जाता है।

- **गैर-वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि परीक्षण:** संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण (PPE) की वसूली योग्य राशि तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा किए गए अनुमानों के संबंध में निर्णय के आधार पर निर्धारित की जाती है।
- **कर्मचारी सेवानिवृत्ति लाभ योजनाओं के अंतर्गत भविष्य के दायित्व:** कर्मचारी लाभ संबंधी दायित्वों का मापन बीमांकिक पूर्वधारणाओं के आधार पर किया जाता है, जिनमें मृत्यु दर एवं सेवा-त्याग दर के साथ-साथ छूट दरों, वेतन वृद्धि दर तथा मुद्रास्फीति दर में भविष्य में होने वाले परिवर्तनों से संबंधित पूर्वधारणाएँ शामिल हैं। कंपनी का मानना है कि अपने दायित्वों के मापन हेतु प्रयुक्त पूर्वधारणाएँ उपयुक्त एवं प्रलेखित हैं। तथापि, इन पूर्वधारणाओं में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का परिणामी गणनाओं पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है।
- **पट्टे :** कंपनी यह निर्धारित करने में अपने निर्णय का उपयोग करती है कि कोई अनुबंध पट्टा रखता है अथवा नहीं, तथा पट्टा करार के विस्तार विकल्प और पट्टा करार की समाप्ति के विकल्प का प्रयोग किया जाएगा अथवा नहीं। इसके अतिरिक्त, कंपनी पट्टों के लिए प्रयुक्त की जाने वाली उपयुक्त छूट दर तथा पट्टा अवधि की गणना में अनुमान का उपयोग करती है।
- **उचित मूल्य मापन एवं मूल्यांकन प्रक्रिया:** वित्तीय परिसंपत्तियों एवं वित्तीय देनदारियों के उचित मूल्यों का मापन DCF मॉडल सहित मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करके किया जाता है। जहाँ संभव हो, वहाँ इन विधियों में प्रयुक्त इनपुट प्रेक्षणीय बाजारों से प्राप्त किए जाते हैं; तथापि, जहाँ ऐसा करना संभव नहीं होता, वहाँ उचित मूल्य निर्धारित करने के लिए कुछ हद तक निर्णय का उपयोग करना आवश्यक होता है। निर्णय में तरलता जोखिम, क्रेडिट जोखिम तथा अस्थिरता जैसे इनपुट पर विचार शामिल होता है। इन कारकों से संबंधित पूर्वधारणाओं में परिवर्तन वित्तीय लिखतों के रिपोर्ट किए गए उचित मूल्य को प्रभावित कर सकते हैं।
- **कर:** आस्थगित कर परिसंपत्तियों को उस सीमा तक मान्यता दी जाती है, जहाँ यह संभावित हो कि कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा, जिसके विरुद्ध हानियों का उपयोग किया जा सकेगा। भविष्य में कर योग्य लाभ के संभावित समय एवं स्तर तथा भविष्य की कर-योजना संबंधी रणनीतियों के आधार पर मान्यता दी जाने वाली आस्थगित कर परिसंपत्ति की राशि निर्धारित करने के लिए प्रबंधन के महत्वपूर्ण निर्णय की आवश्यकता होती है।
- **संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण की उपयोगी आयु:** संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण की अनुमानित उपयोगी आयु नोट 2.07 में दी गई है। संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण की अनुमानित उपयोगी आयु अनेक कारकों पर आधारित होती है, जिनमें अप्रचलन, मांग, प्रतिस्पर्धा तथा अन्य आर्थिक कारकों के प्रभाव शामिल हैं। कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि के अंत में संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण की उपयोगी आयु की समीक्षा करती है।

नोट 33 : पूंजी प्रबंधन

कंपनी अपनी पूंजी का प्रबंधन इस प्रकार करती है कि कंपनी की निरंतर व्यवसायिक इकाई के रूप में जारी रहने की क्षमता सुनिश्चित एवं सुरक्षित रहे, ताकि कंपनी अपने शेयरधारकों एवं अन्य हितधारकों को अधिकतम प्रतिफल प्रदान करना जारी रख सके।

इसके अतिरिक्त, कंपनी आर्थिक परिस्थितियों में होने वाले परिवर्तनों के प्रभाव तथा वित्तीय प्रसंविदाओं की आवश्यकताओं के अनुरूप समायोजन करने के लिए अपनी पूंजी संरचना का प्रबंधन करती है। पूर्ववर्ती अवधि से चालू अवधि में पूंजी प्रबंधन के उद्देश्यों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

नोट 34 : ऋण निधियों का उपयोग

(i). कंपनी को एशियन डेवलपमेंट बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक तथा एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक से पास थ्रू सहायता (अथवा बैक टू बैक आधार पर ऋण) के रूप में सॉवरेन ऋण के प्रति भारत सरकार से निधियां प्राप्त हुई हैं। इन निधियों का उपयोग केवल दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ आरआरटीएस परियोजना से संबंधित ऐसी व्यय मदों के वित्तपोषण के लिए किया जाता है, जिन पर एशियन डेवलपमेंट बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक तथा एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के साथ सहमति हुई है तथा जो संबंधित ऋण/परियोजना करारों के प्रावधानों के अनुरूप हैं।

(ii). कंपनी को भारत सरकार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार तथा उत्तर प्रदेश सरकार से इक्विटी के प्रति अधीनस्थ ऋण, अधीनस्थ ऋण (केंद्रीय कर), अधीनस्थ ऋण (राज्य कर) तथा अधीनस्थ ऋण (सरकारी भूमि) के मद में निधियां प्राप्त हुई हैं। स्वीकृति आदेश के अनुसार, इन निधियों का उपयोग केवल दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ, दिल्ली-बावल तथा दिल्ली-करनाल आरआरटीएस परियोजनाओं से संबंधित व्यय मदों के वित्तपोषण के लिए किया जाता है।

नोट 35 : अनुपात विश्लेषण

क्र. सं.	विवरण	गणक	विभाजक	चालू अवधि	पर्व अविध	% भिन्नता	भिन्नता के कारण
1	चालू अनुपात (समय में)	चालू परिसंपत्तियाँ	चालू देयताएं	1.19	0.72	65.28%	चालू देयताओं में मुख्य रूप से आवसन और शहरी कार्य मंत्रालय से प्राप्त पास-थ्रू सहायता (पीटीए) के रूप में अग्रिम शामिल है, जिसमें रिपोर्टिंग अवधि के दौरान दिल्ली-मेरठ कॉरिडोर के काफी हद तक पूर्ण हो जाने के कारण उल्लेखनीय कमी आई है।
2	ऋण-इक्विटी अनुपात (समय में)	कुल ऋण	कुल इक्विटी	1.57	1.18	33.05%	अमेरिकी डॉलर की तुलना में भारतीय रुपये के मूल्य में उल्लेखनीय ह्रास तथा पीटीए अग्रिम को उधार में परिवर्तित किए जाने के कारण रिपोर्टिंग अवधि के दौरान ऋण में वृद्धि हुई है।
3	इक्विटी पर प्रतिलाभ अनुपात (प्रतिशत में)	कर पश्चात लाभ	औसत कुल इक्विटी	-13.40%	0.76%	-1987.32%	आरओई में यह गिरावट मुख्य रूप से वित्त लागत के कारण हुई है, जिसे रिपोर्टिंग अवधि के दौरान दिल्ली-मेरठ कॉरिडोर के परिचालन में आने के कारण लाभ एवं हानि खाते में प्रभारित किया गया है।
4	इक्विटी पर प्रतिफल अनुपात (प्रतिशत में)	ब्याज एवं कर से पूर्व आय	नियोजित पूंजी	-0.84%	0.80%	-205.00%	आरओसीई में यह गिरावट मुख्य रूप से वित्त लागत के कारण हुई है, जिसे रिपोर्टिंग अवधि के दौरान दिल्ली-मेरठ कॉरिडोर के परिचालन में आने के कारण लाभ एवं हानि खाते में प्रभारित किया गया है।
5	व्यापार प्राप्य टर्नओवर अनुपात (समय में)	परिचालन से राजस्व	औसत व्यापार प्राप्य	53.72	0.00	लागू नहीं	ये अनुपात वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि से प्रभावी हैं, क्योंकि दिल्ली-मेरठ कॉरिडोर का परिचालन वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान प्रारंभ हुआ है।
6	व्यापार प्राप्य टर्नओवर अनुपात (समय में)	परिचालन व्यय	औसत व्यापार प्राप्य	2993.07	0.00	लागू नहीं	
7	नेट कार्यशील पूंजी आवर्त अनुपात (प्रतिशत में)	परिचालन से राजस्व	कार्यशील पूंजी	14.60%	0.00%	लागू नहीं	
8	नेट लाभ अनुपात (प्रतिशत में)	कर पश्चात लाभ/ (हानि)	परिचालन से राजस्व	-1363.08%	0.00%	लागू नहीं	
9	ऋण सेवा कवरेज अनुपात (समय में)	कर पश्चात लाभ/ (हानि) + मूल्यह्रास + ब्याज + पीपीई की बिक्री पर लाभ/(हानि)	ऋण पर ब्याज	-2.28	0.00	लागू नहीं	
10	भंडार टर्नओवर अनुपात	परिचालन से राजस्व	औसत भंडार	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
11	निवेश पर प्रतिलाभ	निवेश आय	औसत निवेश	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

नोट 36 : उचित मूल्य मापन

(₹ लाख में)

विवरण	संदर्भ नोट	31 मार्च 2026 की स्थिति	31 मार्च 2025 की स्थिति
		परिशोधित लागत	
वित्तीय परिसंपत्तियाँ			
(i) ऋण एवं अग्रिम	7.2 & 10.4	176.01	190.09
(ii) प्रतिभूति जमा	7.3 & 10.5	3,260.08	2,538.00
(iii) व्यापार प्राप्य	10.1	396.42	–
(iv)नकदी एवं नकदी समतुल्य	10.2	58,580.06	87,806.36
(v) उपर्युक्त (iv) के अतिरिक्त बैंक शेष	10.3	3,76,917.04	3,11,800.57
(vi) न्यू वित्तीय परिसंपत्तियाँ	7.3 & 10.5	13,790.34	8,106.97
कुल वित्तीय परिसंपत्तियाँ		**4,53,119.95**	**4,10,441.99**
वित्तीय देयताएं			
(i) उधार	15	17,03,745.98	12,80,543.75
(ii) अन्य वित्तीय देयता	16	9,240.50	112.72
(iii)व्यापार देय	20	2,714.87	–
कुल वित्तीय देयताएं		**17,15,701.35**	**12,80,656.47**

(ii) उचित मूल्य क्रम

स्तर 1 - समान परिसंपत्तियों या देयताओं के लिए सक्रिय बाजारों में उद्धृत मूल्य (असमायोजित)।

स्तर 2 - स्तर 1 में शामिल उद्धृत मूल्यों के अतिरिक्त ऐसे इनपुट, जो परिसंपत्ति या देयता के लिए प्रत्यक्ष रूप से (अर्थात् मूल्यों के रूप में) अथवा अप्रत्यक्ष रूप से (अर्थात् मूल्यों से व्युत्पन्न) प्रेक्षणीय हैं।

स्तर 3 - परिसंपत्तियों या देनदारियों से संबंधित ऐसे इनपुट, जो प्रेक्षणीय बाजार आंकड़ों पर आधारित नहीं हैं (अप्रेक्षणीय इनपुट)।

(iii) परिशोधित लागत पर मापी गई ऐसी परिसंपत्तियाँ एवं देयताएँ, जिनके उचित मूल्यों का प्रकटीकरण किया गया है।

(₹ लाख में)

विवरण	स्तर	31 मार्च 2026 की स्थिति		31 मार्च 2025 की स्थिति	
		वहन मूल्य	उचित मूल्य	वहन मूल्य	उचित मूल्य
वित्तीय परिसम्पत्तियां					
(i) प्रतिभूति जमा (संदर्भ नोट 7.3 एवं 10.5 देखें)	स्तर 3	3,260.08	3,260.08	2,538.00	2,538.00
(ii) कर्मचारियों को दिया गया अग्रिम (संदर्भ नोट 7.2 एवं 10.4)	स्तर 2	–	–	190.09	190.09
कुल परिसंपत्तियाँ	-	**3,260.08**	**3,260.08**	**2,728.09**	**2,728.09**
वित्तीय देयताएं					
(i) अधीनस्थ ऋण (संदर्भ नोट 15)	स्तर 3	1,94,277.09	1,94,277.09	1,67,459.86	1,67,459.86
(ii) प्रतिभूति जमा (संदर्भ नोट 16)	स्तर 3	102.25	102.25	112.72	112.72
योग देयताएं		**1,94,379.34**	**1,94,379.34**	**1,67,572.58**	**1,67,572.58**

क. नकदी एवं नकदी समतुल्य तथा अन्य अल्पकालिक प्राप्य एवं अन्य देय को उनकी अल्पकालिक प्रकृति के कारण उनके उचित मूल्यों के समान माना गया है।

ख. अधीनस्थ ऋणों का उचित मूल्य क्रमशः 24-वर्षीय सरकारी बॉण्ड की प्रतिफल दर का उपयोग करके निर्धारित किया गया है।

ग. कर्मचारियों को अग्रिम - प्रत्येक प्रकार के दीर्घकालिक अग्रिम के लिए आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत कर्मचारियों के परिलब्धि मूल्य की गणना हेतु प्रयुक्त ब्याज दर (अर्थात् वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में भारतीय स्टेट बैंक की दर)।

घ. परिशोधित लागत पर धारित अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों एवं देयताओं के उचित मूल्य एसबीआई-एमसीएलआर दर का उपयोग करके नकदी प्रवाहों को बट्टा देकर निर्धारित किए गए हैं।

अप्रेक्षणीय इनपुट के समावेश के कारण इन्हें उचित मूल्य पदानुक्रम के स्तर 2 एवं 3 के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

(iv) डेरिवेटिव पर उचित मूल्य में परिवर्तन से नेट लाभ/(हानि)

31.03.2026 को खुले हेजिंग लेनदेन का 31.03.2026 को लागू एसबीआई द्वारा उपलब्ध कराए गए मार्क-टू-मार्केट (एमटीएम) आधार पर मूल्यांकन किया गया है।

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2026 की स्थिति				
	मुद्रा	यूएसडी में राशि	लेखा दर	एमटीएम दर	राशि
ऋण पर ब्याज	अमेरिकी डॉलर (यूएसडी)	1,25,30,000.00	92.2780	95.2004	366.18
	-	**1,25,30,000.00**			**366.18**

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2025 की स्थिति				
	मुद्रा	यूएसडी में राशि	लेखा दर	एमटीएम दर	राशि
ऋण पर ब्याज	अमेरिकी डॉलर (यूएसडी)	-	-	-	-
	-	-			-

v) उचित मूल्यों को निर्धारित करने के लिए प्रयुक्त मूल्यांकन तकनीकें एवं प्रक्रिया

12 माह से कम की परिपक्वता अवधि वाली वित्तीय परिसंपत्तियों एवं देयताओं की वहन राशियों को उनके उचित मूल्यों का प्रतिनिधि माना गया है।

निम्नलिखित सारणी में नियमित आधार पर उचित मूल्य पर तथा परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियों एवं देयताओं के उचित मूल्य मापन का पदानुक्रम प्रस्तुत किया गया है।

वित्तीय परिसंपत्तियों एवं वित्तीय देयताओं के उचित मूल्य मापन क्रम का मात्रात्मक प्रकटीकरण: -

(₹ लाख में)

विवरण	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	योग
31 मार्च, 2026 की स्थिति				
परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियाँ, जिनके उचित मूल्य का प्रकटीकरण किया गया है:				
प्रतिभूति जमा	-	-	3,260.08	3,260.08
कर्मचारियों को दिया गया अग्रिम	-	-	-	-
परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय देयताएँ, जिनके उचित मूल्य का प्रकटीकरण किया गया है:				

विवरण	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	योग
अधीनस्थ ऋण	–	–	1,94,277.09	1,94,277.09
प्रतिभूति जमा	–	–	102.25	102.25
31 मार्च, 2025 की स्थिति	**स्तर 1**	**स्तर 2**	**स्तर 3**	**योग**
परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियाँ, जिनके उचित मूल्य का प्रकटीकरण किया गया है:				
प्रतिभूति जमा	–	–	2,538.00	2,538.00
कर्मचारियों को दिया गया अग्रिम	–	190.09	–	190.09
परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय देयताएँ, जिनके उचित मूल्य का प्रकटीकरण किया गया है:				
अधीनस्थ ऋण	–	–	1,67,459.86	1,67,459.86
प्रतिभूति जमा	–	–	112.72	112.72

नोट 37 : वित्तीय जोखित प्रबंधन

वित्तीय जोखित कारक

कंपनी वित्तीय लिखतों के संबंध में किसी जोखिम के संपर्क में नहीं है। कंपनी की प्रमुख वित्तीय देयताओं में उधार, अन्य देयताएँ, प्रतिभूति जमा एवं ईएमडी शामिल हैं। कंपनी की प्रमुख वित्तीय परिसंपत्तियों में अन्य प्राप्य तथा नकद एवं नकद समतुल्य शामिल हैं, जो इसके परिचालनों से प्रत्यक्ष रूप से उत्पन्न होते हैं। तथापि, जोखिम के प्रमुख प्रकार बाजार जोखिम, विदेशी मुद्रा जोखिम एवं चलनिधि जोखिम हैं। कंपनी के समक्ष विद्यमान प्रमुख वित्तीय जोखिमों का वर्णन नीचे किया गया है:-

(क) बाजार जोखिम

भारत सरकार द्वारा दिनांक 7 मार्च, 2019 को प्रथम आरआरटीएस कॉरिडोर अर्थात् दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर को स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसमें परियोजना लागत के 60% तक (सरकारी भूमि, राज्य करों एवं निजी क्षेत्र की भागीदारी को छोड़कर) बहुपक्षीय/द्विपक्षीय एजेंसियों से वित्तीय सहायता के माध्यम से परियोजना वित्तपोषण की परिकल्पना की गई थी। इसके अनुसरण में, भारत सरकार ने एशियन डेवलपमेंट बैंक (एडीबी) के साथ 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर, न्यू डेवलपमेंट बैंक (एनडीबी) के साथ 418 मिलियन अमेरिकी डॉलर, एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक (अआईआईबी) के साथ 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर तथा एशियन डेवलपमेंट बैंक (किस्त-3) के साथ 37,730 मिलियन जापानी येन के लिए ऋण समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। बाह्य वित्तपोषण वित्त मंत्रालय की मानक व्यवस्था के अनुसार बैक-टू-बैक आधार पर किया जाएगा। उधार की शर्तों में एसओएफआर/टीओएनए से संबद्ध परिवर्तनीय दरों पर अर्धवार्षिक ब्याज भुगतान शामिल हैं और इस प्रकार अंतरराष्ट्रीय बाजार में एसओएफआर/टीओएनए की गति के आधार पर ब्याज दर जोखिम विद्यमान है।

(ख). विदेशी मुद्रा जोखिम

कंपनी भारत सरकार द्वारा बहुपक्षीय विकास बैंकों से लिए गए उधारों पर विदेशी मुद्रा विनिमय दर में उतार-चढ़ाव के रूप में विदेशी मुद्रा जोखिम के संपर्क में है, जिन्हें वित्त मंत्रालय की मानक व्यवस्था के अनुसार बैक-टू-बैक आधार पर कंपनी को हस्तांतरित किया गया है। विदेशी मुद्रा में ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं को किए जाने वाले संविदात्मक भुगतान में भी यूएसडी, ईयूआर, जेपीवाई और एसईके के मुकाबले आईएनआर की विनिमय दर में उतार-चढ़ाव से उत्पन्न बाजार जोखिम शामिल है।

"विदेशी मुद्रा जोखिम प्रबंधन नीति" को सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया है तथा इसे कंपनी के एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट (ईआरएम) फ्रेमवर्क में समाहित किया गया है, जिसे निदेशक मंडल द्वारा 13 सितंबर 2024 को आयोजित अपनी 41वीं बैठक में स्वीकार किया गया है।

दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ नमो भारत कॉरिडोर के वित्तपोषण के लिए भारत सरकार ने बहुपक्षीय विकास बैंकों (एमडीबी) से विदेशी मुद्रा ऋण की व्यवस्था की है, जिन्हें बैक-टू-बैक आधार पर निगम को हस्तांतरित किया गया है। ये विदेशी मुद्रा ऋण निगम को "विदेशी मुद्रा एवं ब्याज दर में उतार-चढ़ाव के जोखिम" के संपर्क में लाते हैं।

कंपनी विदेशी मुद्रा जोखिम प्रबंधन नीति के अनुसार जोखिमों को कम/न्यून करने के लिए आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुरूप डेरिवेटिव उत्पादों (सामान्य और/या संरचित लिखतों) का उपयोग कर सकती है।

इसके अतिरिक्त, विदेशी मुद्रा एवं ब्याज दर में उतार-चढ़ाव के जोखिम की हेजिंग के लिए विदेशी मुद्रा जोखिम प्रबंधन समिति की सिफारिश के आधार पर सक्षम प्राधिकारी को हेजिंग से संबंधित निर्णय लेने के लिए अधिकृत किया गया है।

कंपनी अपनी समग्र रणनीति के अनुसार विदेशी मुद्रा उधारों से संबंधित जोखिमों की हेजिंग के लिए डेरिवेटिव उत्पादों का उपयोग करती है। कंपनी डेरिवेटिव संविदाओं का उपयोग सट्टा उद्देश्यों के लिए नहीं करती है।

रिपोर्टिंग अवधि के अंत में विदेशी मुद्रा जोखिम के प्रति कंपनी का महत्वपूर्ण एक्सपोज़र निम्नानुसार है:

31 मार्च, 2026 की स्थिति

(₹ लाख में)

विवरण	लेन-देन की मुद्रा				योग
	जेपीवाई	यूएसडी	यूरो	एसईके	
	मुद्रा लाख रुपये में				
परिसंपत्तियाँ					
ठेकेदारों को अग्रिम	–	–	9.42	–	9.42
योग	**–**	**–**	**9.42**	**–**	**9.42**
देयताएं					
अन्य वित्तीय देयताएँ	–	293.56	738.21	–	1,031.77
उधार	2,24,112.69	12,85,356.20	–	–	15,09,468.89
ऋणों पर उपचित किंतु देय न हुआ ब्याज	840.44	12,719.33	–	–	13,559.77
योग	**2,24,953.13**	**12,98,369.09**	**738.21**	**–**	**15,24,060.43**
31 मार्च 2025 की स्थिति					
परिसम्पत्तियां					
ठेकेदारों को अग्रिम	–	–	221.85	–	221.85
योग	**–**	**–**	**221.85**	**–**	**221.85**
देयताएं					
अन्य वित्तीय देयताएँ	–	80.19	868.27	–	948.46
उधार	72,620.71	10,40,463.18	–	–	11,13,083.89
ऋणों पर उपचित किंतु देय न हुआ ब्याज	195.55	10,537.13	–	–	10,732.68
योग	**72,816.26**	**10,51,080.50**	**868.27**	**–**	**11,24,765.03**

31 मार्च, 2026 की स्थिति

(₹ लाख में)

विवरण	बिना हेजिंग के				फॉरवर्ड अथवा डेरिवेटिव के माध्यम से हेज किया गया
	1 वर्ष या उससे कम	1–5 वर्ष	5 वर्ष से अधिक	योग	
विदेशी मुद्रा में प्राप्य	–	–	–	–	–
विदेशी मुद्रा में देय					
ईसीबी*	**2,91,324.48**	**11,43,357.30**	**74,787.11**	**15,09,468.89**	**–**
अन्य (प्रतिधारित राशि)		–	–	–	–
अन्य विदेशी मुद्रा ऋण/स्वैप		–	–	–	–
योग	**2,91,324.48**	**11,43,357.30**	**74,787.11**	**15,09,468.89**	**–**

31 मार्च, 2025 की स्थिति (₹ लाख में)

विवरण	बिना हेजिंग के				फॉरवर्ड अथवा डेरिवेटिव के माध्यम से हेज किया गया
	1 वर्ष या उससे कम	1–5 वर्ष	5 वर्ष से अधिक	योग	
विदेशी मुद्रा में प्राप्य		–	–	–	–
विदेशी मुद्रा में देय					
ईसीबी*	1,99,701.02	9,13,382.87	–	11,13,083.89	–
अन्य (प्रतिधारित राशि)		–	–	–	–
अन्य विदेशी मुद्रा ऋण/स्वैप		–	–	–	–
योग	**1,99,701.02**	**9,13,382.87**	**–**	**11,13,083.89**	**–**

* 31.03.2026 को उपलब्ध राशि को 31.03.2026 को आरबीआई की विनिमय दर, अर्थात् रुपये/यूएसडी 94.65 (पिछले वर्ष रुपये/यूएसडी 86.10), के आधार पर भारतीय रुपये में परिवर्तित किया गया है।

(ग). नकदी जोखिम

नकदी संबंधी आवश्यकताओं की निगरानी मासिक अनुमानों के आधार पर की जाती है। कंपनी की नकदी के प्रमुख स्रोत रिपोर्टिंग तिथि को शेयर पूंजी के अभिदान से प्राप्त नकद एवं नकद समतुल्य, परिचालन से राजस्व तथा सरकारी अनुदान/अधीनस्थ ऋण हैं।

कंपनी नकदी अंतर्वाह की निरंतर निगरानी तथा पर्याप्त नकद एवं नकद समतुल्य बनाए रखकर अपनी तरलता संबंधी आवश्यकताओं का प्रबंधन करती है। किसी भी कमी का निर्धारण करने के लिए शुद्ध नकदी आवश्यकताओं की तुलना उपलब्ध नकदी से की जाती है।

अल्पकालिक नकदी संबंधी आवश्यकताओं में मुख्यतः प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को सामान्य व्यावसायिक गतिविधियों के दौरान उत्पन्न विविध लेनदार, देय व्यय, प्रतिधारित राशि तथा जमा शामिल हैं। कंपनी अपनी अल्पकालिक नकदी संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु नकद एवं नकद समतुल्य तथा अन्य बैंक शेष की पर्याप्त राशि बनाए रखती है।

कंपनी दीर्घकालिक तरलता संबंधी आवश्यकताओं का समय-समय पर आकलन करती है तथा उनका प्रबंधन आंतरिक उपार्जनों के माध्यम से करती है। कंपनी की गैर-चालू देनदारियों में ब्याज-मुक्त अधीनस्थ ऋण तथा पट्टा देयता का पुनर्भुगतान शामिल है।

नीचे दी गई सारणी वित्तीय देनदारियों की संविदात्मक परिपक्वताओं से संबंधित विवरण प्रस्तुत करती है। यह सारणी वित्तीय देनदारियों से संबंधित नकदी प्रवाह के आधार पर तैयार की गई है तथा इसमें उस सबसे प्रारंभिक तिथि को ध्यान में रखा गया है, जिस तिथि को कंपनी को भुगतान करना अपेक्षित हो सकता है।

31 मार्च 2026 को स्थिति के अनुसार विवरण निम्नलिखित है:- (₹ लाख में)

विवरण	6 माह से कम	6 माह से 1 वर्ष	1 से 3 वर्ष	3 से 5 वर्ष	5 वर्ष से अधिक	योग
ऋण	–	–	9,548.22	60,809.34	16,33,388.43	17,03,745.98
योग	**–**	**–**	**9,548.22**	**60,809.34**	**16,33,388.43**	**17,03,745.98**

31 मार्च 2025 को स्थिति के अनुसार विवरण निम्नलिखित है:- (₹ लाख में)

विवरण	6 माह से कम	6 माह से 1 वर्ष	1 से 3 वर्ष	3 से 5 वर्ष	5 वर्ष से अधिक	योग
ऋण	–	–	–	28,871.21	12,51,672.54	12,80,543.75
योग	**–**	**–**	**–**	**28,871.21**	**12,51,672.54**	**12,80,543.75**

संवेदनशीलता

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2026 की स्थिति		31 मार्च 2025 की स्थिति	
	कमी	वृद्धि	कमी	वृद्धि
	लाभ-हानि विवरण पर प्रभाव			
विनिमय दर जोखिम				
यूएसडी संवेदनशीलता	(64,267.81)	64,267.81	–	–
जेपीवाई संवेदनशीलता	(11,205.63)	11,205.63	–	–
ब्याज दर जोखिम				
एसओएफआर	(3,927.11)	3,927.11	–	–
टीओएनए	(592.46)	592.46	–	–

नोट 38 : प्रावधान, आकस्मिक देयताएं एवं आकस्मिक परिसंपत्तियां

38.1.प्रावधान

इंड एएस 37 'प्रावधान, आकस्मिक देयताएं एवं आकस्मिक परिसंपत्तियां' के अनुसार वर्ष के दौरान किए गए प्रावधानों की प्रकृति तथा प्रावधानों में हुए परिवर्तनों का विवरण नोट 17 एवं नोट 22 में प्रकट किया गया है।

38.2. आकस्मिक देयता

इंड एएस 37 'प्रावधान, आकस्मिक देयताएं एवं आकस्मिक परिसंपत्तियां' के अनुसार आकस्मिक देयताओं का प्रकटीकरण

(i) कंपनी की 31 मार्च 2026 की स्थिति के अनुसार सामान्य व्यावसायिक गतिविधियों के दौरान आकस्मिक देयता (ब्याज को छोड़कर) 83,790.80 लाख रुपये (60,036.48 लाख रुपये) है, जो ठेकेदारों द्वारा किए गए दावों के संबंध में है, जिन्हें कंपनी द्वारा देयता के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है।

(ii) कंपनी को आयकर विभाग से नीचे उल्लिखित निर्धारण वर्षों (एवाई) के संबंध में मांग नोटिस प्राप्त हुए हैं। कंपनी ने इन मांगों का विरोध किया है तथा आयकर आयुक्त (अपील) [सीआईटी(ए)] के समक्ष अपील दायर की है। इन मांगों की स्थिति निम्नानुसार है:

(₹ लाख में)

वित्तीय वर्ष	मांग राशि	वित्तीय विवरणों के अंतिम रूप दिए जाने तक उपचित ब्याज	योग	स्थगन/भुगतान की स्थिति
2023-24	3734.07 (शून्य)	104.55 (शून्य)	3838.62 (शून्य)	स्थगन याचिका दायर; 10% (₹373.41 लाख रुपये) जमा किए गए।
2022-23	3030.27 (3030.27)	369.69 (54.54)	3399.96 (3084.81)	स्थगन प्रदान किया गया; 20% (₹606.05 लाख रुपये) जमा किए गए।

38.3. आकस्मिक परिसंपत्तियां

इंड एएस 37 'प्रावधान, आकस्मिक देयताएं एवं आकस्मिक परिसंपत्तियां' के अनुसार आकस्मिक परिसंपत्तियों का प्रकटीकरण। कंपनी की 31 मार्च 2026 की स्थिति के अनुसार आकस्मिक परिसंपत्तियां शून्य हैं।

नोट 39 : संबंधित पार्टी प्रकटीकरण

इंड एएस 24 'संबंधित पक्ष प्रकटीकरण' के अनुपालन में प्रकटीकरण निम्नलिखित है:-

39.1 : संबंधित पार्टियों की सूची

39.1.1 : सहायक कंपनी

एनसीआरटीसी एक्सप्रेस ट्रांजिट लिमिटेड (पूर्ण स्वामित्व वाली)

39.1.2 संस्था के प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक एवं नामित निदेशक

नाम	पदनाम
श्री श्रीनिवास कटिकिथला	अध्यक्ष
श्री शलभ गोयल	प्रबंध निदेशक
श्री महेंद्र कुमार	निदेशक/विद्युत एवं रोलिंग स्टॉक
सुश्री नमिता मेहरोत्रा	निदेशक/वित्त एवं मुख्य वित्त अधिकारी
श्री मुन्ना कुमार	निदेशक/कार्य
श्री परमजीत सिंह	निदेशक/परियोजनाएं (23.04.2025 से)
श्री कुलदीप नारायण	नामित निदेशक
श्री एन. सरवणा कुमार	नामित निदेशक (12.02.2026 से)
श्री विवेक कुमार	नामित निदेशक (19.06.2025 से)
श्री पी. गुरुप्रसाद	नामित निदेशक
श्री अनुराग अग्रवाल	नामित निदेशक (20.03.2026 से)
श्री शिखर अग्रवाल	नामित निदेशक (15.01.2026 से)
सुश्री निहारिका राय	नामित निदेशक (22.05.2025 से)
सुश्री अर्चना अग्रवाल	नामित निदेशक (15.10.2025 तक)
श्री अपूर्व कुमार सिंह	नामित निदेशक (19.03.2026 तक)
श्री अजिताभ शर्मा	नामित निदेशक (22.06.2025 तक)
श्री आलोक गुप्ता	नामित निदेशक (17.07.2025 से 15.01.2026 तक)
श्री प्रशांत गोयल	नामित निदेशक (16.05.2025 तक)
श्री दिनेश कुमार	नामित निदेशक (30.04.2025 तक)
श्री नवनीत कौशिक	निदेशक/प्रणाली एवं परिचालन (30.06.2025 तक)
श्री विजय कुमार	कंपनी सचिव

39.1.3 सरकार से संबंधित संस्थाएं:

कंपनी आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के अधीन एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। कंपनी 31 मार्च 2026 की स्थिति के अनुसार भारत सरकार (जीओआई) द्वारा प्रशासनिक रूप से नियंत्रित है, जिसके अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति के नाम पर 50% इक्विटी शेयर धारित हैं तथा हरियाणा सरकार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, राजस्थान सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक के नाम पर 12.5% इक्विटी शेयर धारित हैं। इंड एएस 24 के पैरा 25 एवं 26 के अनुसार, ऐसी संस्थाएं जिन पर समान सरकार का नियंत्रण या संयुक्त नियंत्रण अथवा महत्वपूर्ण प्रभाव है, उन्हें रिपोर्टिंग संस्था तथा अन्य संस्थाओं के साथ संबंधित पक्ष माना जाता है। इन संबंधित पक्षों के साथ लेन-देन बाजार की शर्तों पर तथा स्वतंत्र पक्षों के बीच होने वाले लेन-देन के आधार पर किए जाते हैं। कंपनी ने सरकारी-संबंधित संस्थाओं के लिए उपलब्ध छूट का लाभ उठाया है और वित्तीय विवरणों में सीमित प्रकटीकरण किए हैं।

कंपनी के निम्नलिखित सरकार से संबंधित इकाईयों के साथ महत्वपूर्ण लेन-देन हैं:-

इकाई का नाम	संबंध
आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार	प्रशासनिक मंत्रालय
रेल मंत्रालय, भारत सरकार	शेयरधारक
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड	शेयरधारक
हरियाणा सरकार	शेयरधारक एवं हितधारक
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार	शेयरधारक एवं हितधारक
राजस्थान सरकार	शेयरधारक एवं हितधारक
उत्तर प्रदेश सरकार	शेयरधारक एवं हितधारक
दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन	भारत सरकार एवं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की नियंत्रणाधीन इकाई
बैंगलोर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन	भारत सरकार एवं कर्नाटक सरकार की नियंत्रणाधीन इकाई
हरियाणा मास रैपिड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	हरियाणा सरकार की नियंत्रणाधीन इकाई
यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण	राज्य सरकार की इकाई
मुजफ्फरनगर विकास निगम	राज्य सरकार की इकाई
मेरठ विकास प्राधिकरण	राज्य सरकार की इकाई
हरियाणा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	भारत सरकार एवं हरियाणा सरकार की नियंत्रणाधीन इकाई

39.2 : संबंधित पार्टियों के साथ लेन-देन निम्नलिखित हैं:-

39.2.1 : प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक एवं निदेशक के साथ लेन-देन

नाम	संबंध	भुगतान की प्रकृति	31 मार्च 2026 की स्थिति	31 मार्च 2025 की स्थिति
शून्य				

39.2.2 : प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक :

वर्ष के दौरान निदेशकों एवं अन्य प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक निम्नलिखित था:

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2026 की स्थिति	31 मार्च 2025 की स्थिति
अल्पकालिक हितलाभ	351.43	287.30
सेवोत्तर हितलाभ	70.27	58.36
अन्य दीर्घकालिक हितलाभ	34.09	36.78
योग	**455.79**	**382.44**

39.2.3 : अन्य संबंधित पार्टियों के साथ लेन-देन निम्नलिखित हैं:-

(₹ लाख में)

विवरण	संबंधित पार्टी का नाम	संबंध की प्रकृति	31 मार्च 2026 की स्थिति	31 मार्च 2025 की स्थिति
दिल्ली मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर परियोजना के लिए निधियां, जिसमें पास थ्रू सहायता, जेएफपीआर एवं निर्भया निधि शामिल हैं	भारत सरकार	सरकार से संबंधित इकाई	1,89,135.00	4,75,800.00
दिल्ली करनाल आरआरटीएस कॉरिडोर परियोजना के लिए निधियां	भारत सरकार	सरकार से संबंधित इकाई	6,580.00	–
दिल्ली मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर परियोजना के लिए निधियां	उत्तर प्रदेश सरकार	सरकार से संबंधित इकाई	46,600.00	91,400.00
दिल्ली मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर परियोजना के लिए निधियां	दिल्ली सरकार	सरकार से संबंधित इकाई	–	–
दिल्ली करनाल आरआरटीएस कॉरिडोर परियोजना के लिए निधियां	दिल्ली सरकार	सरकार से संबंधित इकाई	11,200.00	5,000.00
दिल्ली बावल आरआरटीएस कॉरिडोर परियोजना के लिए निधियां	दिल्ली सरकार	सरकार से संबंधित इकाई	18,500.00	–
परामर्श आय	यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण	सरकार से संबंधित इकाई	–	70.80
परामर्श आय	मेरठ विकास प्राधिकरण	सरकार से संबंधित इकाई	107.24	–
परामर्श आय	आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय	सरकार से संबंधित इकाई	89.21	–
परियोजना निगरानी उपकरण स्पीड का कार्यान्वयन	बैंगलोर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड	सरकार से संबंधित इकाई	23.80	15.75
परियोजना निगरानी उपकरण स्पीड का कार्यान्वयन	हरियाणा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड	सरकार से संबंधित इकाई	197.55	245.30
सहायता सेवाएं	एनसीआरटीसी एक्सप्रेस ट्रांजिट लिमिटेड	सहायक कंपनी	135.88	95.69
संपत्ति किराये पर देना	एनसीआरटीसी एक्सप्रेस ट्रांजिट लिमिटेड	सहायक कंपनी	2.71	2.50
व्यय / भुगतान				
प्रशिक्षण व्यय	दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड	सरकार से संबंधित इकाई	2.78	6.62
मशीनरी किराया एवं अन्य व्यय	दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड	सरकार से संबंधित इकाई	1,671.44	649.23
परामर्श सेवाएं	एनसीआरटीसी एक्सप्रेस ट्रांजिट लिमिटेड	सहायक कंपनी	867.35	675.37

39.2.4 :

(i) कंपनी द्वारा एनसीआरटीसी एक्सप्रेस लिमिटेड को एनसीआरटीसी एक्सप्रेस लिमिटेड के पंजीकृत कार्यालय के पते के रूप में एनसीआरटीसी के परिसर का उपयोग करने हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया गया था। तथापि, बाद में कंपनी और एनसीआरटीसी एक्सप्रेस लिमिटेड के बीच 1 जुलाई 2025 से 31 मई 2026 तक की अवधि के लिए पट्टा विलेख निष्पादित किया गया।

(ii) एनसीआरटीसी एक्सप्रेस ट्रांजिट लिमिटेड लेखांकन के लिए एनसीआरटीसी के सॉफ्टवेयर/आईटी प्रणाली अर्थात् एसएपी एस4/एचएएनए का भी उपयोग कर रही है।

39.2.5 : अन्य संबंधित पार्टियों के साथ बकाया शेष निम्नलिखित हैं:-

(₹ लाख में)

लेन-देन की प्रकृति	संबंधित पार्टी का नाम	संबंध की प्रकृति	31 मार्च 2026 की स्थिति	31 मार्च 2025 की स्थिति
परिसंपत्तियां / वसूलीयोग्य				
इक्विटी शेयरों में निवेश	एनसीआरटीसी एक्सप्रेस ट्रांजिट लिमिटेड	सहायक कंपनी	100.00	100.00
अन्य वसूलीयोग्य राशि	एनसीआरटीसी एक्सप्रेस ट्रांजिट लिमिटेड	सहायक कंपनी	45.15	26.05
अचल संपत्ति के किराये के लिए वसूलीयोग्य राशि	एनसीआरटीसी एक्सप्रेस ट्रांजिट लिमिटेड	सहायक कंपनी	0.92	0.21
सहायता सेवाओं के संबंध में वसूलनीय राशि	एनसीआरटीसी एक्सप्रेस ट्रांजिट लिमिटेड	सहायक कंपनी	133.17	95.69
परामर्श सेवाओं के लिए वसूलीयोग्य राशि	हरियाणा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड	सरकार से संबंधित इकाई	66.00	101.77
परामर्श सेवाओं के लिए वसूलीयोग्य राशि	मुजफ्फरनगर विकास निगम	सरकार से संबंधित इकाई	13.68	82.08
परामर्श सेवाओं के लिए वसूलीयोग्य राशि	आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय	सरकार से संबंधित इकाई	13.61	-
परामर्श सेवाओं के लिए वसूलीयोग्य राशि	हरियाणा मास रैपिड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	सरकार से संबंधित इकाई	126.85	126.85
परामर्श सेवाओं के लिए वसूलीयोग्य राशि	बैंगलोर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन	सरकार से संबंधित इकाई	-	5.81
मशीनरी की आपूर्ति के लिए वसूलीयोग्य राशि	दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड	सरकार से संबंधित इकाई	-	56.93
मोबिलाइजेशन अग्रिम के रूप में राशि	एनसीआरटीसी एक्सप्रेस ट्रांजिट लिमिटेड	सहायक कंपनी	7.08	92.04
देयताएं / देय				
प्राप्त ऋणों के संबंध में राशि	भारत सरकार	सरकार से संबंधित इकाई	83,047.62	68,055.81
अग्रिम के रूप में प्राप्त राशि	भारत सरकार	सरकार से संबंधित इकाई	3,12,629.46	5,11,187.65
अग्रिम के रूप में प्राप्त राशि	हरियाणा सरकार	सरकार से संबंधित इकाई	24,750.00	24,750.00
अग्रिम के रूप में प्राप्त राशि	राजस्थान सरकार	सरकार से संबंधित इकाई	500.00	500.00

लेन-देन की प्रकृति	संबंधित पार्टी का नाम	संबंध की प्रकृति	31 मार्च 2026 की स्थिति	31 मार्च 2025 की स्थिति
अग्रिम के रूप में प्राप्त राशि	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार	सरकार से संबंधित इकाई	49,700.00	20,000.00
ऋण के रूप में प्राप्त राशि	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार	सरकार से संबंधित इकाई	19,196.08	17,962.09
ऋण के रूप में प्राप्त राशि	उत्तर प्रदेश सरकार	सरकार से संबंधित इकाई	92,033.39	81,441.96
प्राप्त परामर्श सेवाओं के लिए देय राशि	एनसीआरटीसी एक्सप्रेस ट्रांजिट लिमिटेड	सहायक कंपनी	71.62	58.52

नोट 40 : कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार, निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाली कंपनी के लिए तत्काल पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षों के औसत शुद्ध लाभ का कम से कम 2% कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) गतिविधियों पर व्यय करना आवश्यक है। विवरण निम्नलिखित है:-

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2026 की स्थिति	31 मार्च 2025 की स्थिति
i) पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान अव्ययित शेष राशि	390.34	151.43
ii) वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा व्यय की जाने वाली अपेक्षित राशि	323.41	238.91
iii) वर्ष के लिए अव्ययित राशि	323.41	238.91
iv) वर्ष के दौरान व्यय की गई राशि	-	-
क. किसी परिसंपत्ति के निर्माण/अर्जन पर	-	-
ख. (क) के अतिरिक्त अन्य प्रयोजन पर	-	-
v) वर्ष के अंत में अव्ययित शेष राशि (अव्ययित सीएसआर खाते में पृथक रूप से रखी गई)	713.75	390.34
vi) संबंधित पार्टी लेन-देन का विवरण	-	-
vii) जहां संविदात्मक दायित्व में प्रवेश करने के कारण उत्पन्न देयता के संबंध में कोई प्रावधान किया गया है, वहां प्रावधान में हुए परिवर्तन	-	-
viii) वर्ष के दौरान व्यय न किए जाने का कारण	चल रही परियोजनाओं से संबंधित	
ix) सीएसआर गतिविधि की प्रकृति :- गोविंदपुरी, मोदीनगर स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय में 01 कक्ष का निर्माण तथा पुरुष एवं महिला के लिए 2-2 शौचालयों का निर्माण। बखरवा, मोदीनगर, उत्तर प्रदेश स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय में पुरुष एवं महिला के लिए 3-3 शौचालयों का निर्माण। सारा, मोदीनगर स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय में पुरुष एवं महिला के लिए 2-2 शौचालयों का निर्माण तथा जलरोधन कार्य। ग्राम सिवाया, मोदिपुरम स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में नए शौचालयों का निर्माण एवं मौजूदा शौचालयों का नवीनीकरण। मेरठ जिले, उत्तर प्रदेश में शौचालयों का निर्माण। मेरठ जिले, उत्तर प्रदेश में शौचालयों का निर्माण। गाजियाबाद जिले के राजकीय अस्पताल को विभिन्न चिकित्सा उपकरण एवं उनके सहायक उपकरण उपलब्ध कराना।		

स्पष्टीकरण नोट:

(i) कंपनी ने वर्ष के दौरान चल रही परियोजनाओं की 323.41 लाख रुपये (238.91 लाख रुपये) की अव्ययित राशि को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135(6) के अनुसार निर्धारित समय-सीमा के भीतर पृथक बैंक खाते में जमा कर दिया है।

नोट 41 : भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस)-19 "कर्मचारी हितलाभ" के संबंध में प्रकटीकरण 31.03.2026 की स्थिति के अनुसार मूल्य दर्शाए गए हैं। कर्मचारी लाभों के लिए वर्षांत में बीमांकिक मूल्यांकन प्राप्त किया गया है।

41.1 विभिन्न परिभाषित कर्मचारी लाभ योजनाओं का सामान्य विवरण निम्नानुसार है:

क) भविष्य निधि:

कंपनी की भविष्य निधि का प्रबंधन क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त द्वारा किया जाता है। कंपनी पूर्व-निर्धारित दर पर भविष्य निधि में निश्चित अंशदान करती है। देयता को उपचय आधार पर मान्यता दी जाती है।

ख) उपदान:

कंपनी, भुगतान उपदान अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के अनुसार, अधिवार्षिता, सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र, शारीरिक अक्षमता अथवा मृत्यु के कारण कर्मचारियों की सेवा समाप्त होने पर सामाजिक सुरक्षा उपाय के रूप में कंपनी के कर्मचारियों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

इंड एएस-19 के अंतर्गत अपेक्षित सूचना का प्रकटीकरण बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार किया गया है तथा देयता को बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर मान्यता दी जाती है।

ग) पेंशन:

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के माध्यम से प्रशासित कर्मचारी अधिवार्षिता परिभाषित अंशदान पेंशन योजना के लिए पात्र कर्मचारियों के मूल वेतन एवं महंगाई भत्ते के 8% की दर से प्रावधान किया गया है।

अवधि के लिए अंशदान का प्रावधान उपचय आधार पर कर्मचारी लागत के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कर्मचारियों के संबंध में पेंशन अंशदान की गणना मूल नियोक्ता संगठन/भारत सरकार के नियमों के अनुसार की जाती है तथा इसका लेखांकन उपचय आधार पर किया जाता है।

घ) सेवानिवृत्ति-पश्चात चिकित्सा लाभ:

कंपनी के पास सेवानिवृत्ति-पश्चात चिकित्सा लाभ (पीआरएमबी) योजना है, जिसके अंतर्गत सेवानिवृत्त कर्मचारियों तथा उनके आश्रित परिवार के सदस्यों को कर्मचारी पर लागू समान दर पर उपचार हेतु चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाती है।

इस मद के अंतर्गत देयता को बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर मान्यता दी जाती है।

ङ) अवकाश:

कंपनी अपने कर्मचारियों को अर्जित अवकाश तथा अर्ध-वेतन अवकाश का लाभ प्रदान करती है, जो क्रमशः 30 दिन एवं 20 दिन प्रति वर्ष की दर से अर्जित होते हैं। सेवा में रहते हुए किसी कैलेंडर वर्ष में केवल नकदीकरण योग्य छुट्टी खाते में उपलब्ध छुट्टी का एक बार नकदीकरण किया जा सकता है तथा अधिवार्षिता के समय अधिकतम 300 दिनों तक के छुट्टी का नकदीकरण किया जा सकता है, जिसमें गैर-नकदीकरण योग्य भाग तथा बिना कम्यूटेशन के अर्ध-वेतन छुट्टी भी शामिल हैं।

इस मद के अंतर्गत देयता को बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर मान्यता दी जाती है।

प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कर्मचारियों के संबंध में अवकाश वेतन अंशदान उनके आहरित वेतन के आधार पर उनके मूल विभाग/संगठन को, मूल विभाग/संगठन के नियमों के अनुसार, देय होता है तथा इसका लेखांकन उपचय आधार पर किया जाता है।

च) छुट्टी यात्रा रियायत (एलटीसी):

कंपनी अपनी नीति के अनुसार प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कर्मचारियों को अपने परिवार के साथ मुख्यालय से दूर गृह नगर अथवा अन्य स्थान पर समय-समय पर विश्राम एवं मनोरंजन हेतु यात्रा पर होने वाले व्यय की पूर्ति के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

इस मद के अंतर्गत देयता को बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर मान्यता दी जाती है।

छ) अन्य लाभ

(i) अधिवार्षिता के समय कर्मचारियों के निजी सामान को उनके गृह नगर अथवा भारत में उस स्थान पर, जहां कर्मचारी अथवा उसका परिवार बसना चाहता है, ले जाने की सुविधा।

इस मद के अंतर्गत देयता को बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर मान्यता दी जाती है।

ii) दीर्घकालिक सेवा पुरस्कार में उन कर्मचारियों की प्रतिबद्धता एवं योगदान को मान्यता देना, पुरस्कृत करना तथा सम्मानित करना शामिल है, जिन्होंने कंपनी के लिए कई वर्षों तक कार्य किया है।

इस मद के अंतर्गत देयता को बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर मान्यता दी जाती है।

41.2 लाभ एवं हानि के विवरण, अन्य व्यापक आय (ओसीआई) तथा तुलन-पत्र में मान्यता प्राप्त विभिन्न परिभाषित लाभों की संक्षिप्त स्थिति एवं अन्य प्रकटीकरण निम्नानुसार हैं:

(क) नेट परिभाषित लाभ देयता

(₹ लाख में)

31.03.2026 की स्थिति	उपदान (अवित्तपोषित)	अर्जित अवकाश (अवित्तपोषित)	अवकाश यात्रा रियायत (अवित्तपोषित)	सेवानिवृत्ति-पश्चात चिकित्सा लाभ (वित्तपोषित)	अन्य (अवित्तपोषित)
दायित्व के वर्तमान मूल्य का प्रारंभिक शेष	1,182.67	2,269.27	10.17	771.09	148.38
अधिग्रहण समायोजन	10.26	21.70	–	–	–
ब्याज लागत	82.67	158.62	0.71	53.90	10.37
चालू सेवा लागत	208.01	449.69	3.75	101.28	44.76
पिछली सेवा लागत, जिसमें कटौती से उत्पन्न लाभ/हानियां शामिल हैं	10.55	–	–	–	–
भुगतान किए गए/अपलिखित लाभ	(63.81)	(241.84)	(0.57)	(4.10)	(9.44)
दायित्वों पर बीमांकिक हानि/(लाभ)	(142.92)	(192.96)	(7.10)	(291.13)	(29.15)
दायित्व के वर्तमान मूल्य का अंतिम शेष	**1,287.43**	**2,464.48**	**6.96**	**631.04**	**164.92**
31.03.2025 की स्थिति	**उपदान (अवित्तपोषित)**	**अर्जित अवकाश (अवित्तपोषित)**	**अवकाश यात्रा रियायत (अवित्तपोषित)**	**सेवानिवृत्ति-पश्चात चिकित्सा लाभ (अवित्तपोषित)**	**अन्य (अवित्तपोषित)**
दायित्व के वर्तमान मूल्य का प्रारंभिक शेष	899.96	1,641.18	9.90	575.24	105.23
अधिग्रहण समायोजन	6.41	9.10	–	–	–
ब्याज लागत	64.98	118.49	0.71	41.53	7.36
चालू सेवा लागत	212.78	531.80	4.64	164.82	43.64
भुगतान किए गए/अपलिखित लाभ	(37.62)	(206.86)	(0.80)	(0.59)	(24.00)
दायित्वों पर बीमांकिक हानि/(लाभ)	36.16	175.56	(4.28)	(9.91)	16.15
दायित्व के वर्तमान मूल्य का अंतिम शेष	**1,182.67**	**2,269.27**	**10.17**	**771.09**	**148.38**

(ख) योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य

(₹ लाख में)

विवरण	31.3.2026 की स्थिति				
	उपदान (अवित्तपोषित)	अर्जित अवकाश (अवित्तपोषित)	अवकाश यात्रा रियायत (अवित्तपोषित)	सेवानिवृत्ति-पश्चात चिकित्सा लाभ (वित्तपोषित)	अन्य (अवित्तपोषित)
योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य का प्रारंभिक शेष	–	–	–	–	–
योजना परिसंपत्तियों पर वास्तविक प्रतिफल	–	–	–	–	–
अंशदान	–	–	–	–	–
भुगतान किए गए लाभ	–	–	–	–	–
वर्ष के अंत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	–	–	–	–	–
दायित्व के वर्तमान मूल्य का अंतिम शेष	1,287.43	2,464.48	6.96	631.04	164.92
वित्तपोषित स्थिति	–	–	–	–	–



विवरण	31.3.2025 की स्थिति				
	उपदान	अर्जित अवकाश	अवकाश यात्रा रियायत	सेवानिवृत्ति-पश्चात चिकित्सा लाभ	अन्य
	(अवित्तपोषित)	(अवित्तपोषित)	(अवित्तपोषित)	(अवित्तपोषित)	(अवित्तपोषित)
योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य का प्रारंभिक शेष	–	–	–	–	–
योजना परिसंपत्तियों पर वास्तविक प्रतिफल	–	–	–	–	–
अंशदान	–	–	–	–	–
भुगतान किए गए लाभ	–	–	–	–	–
वर्ष के अंत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	–	–	–	–	–
दायित्व के वर्तमान मूल्य का अंतिम शेष	1,182.67	2,269.27	10.17	771.09	148.38
वित्तपोषित स्थिति	–	–	–	–	–

(ग) तुलन-पत्र में स्वीकृति राशि

(₹ लाख में)

विवरण	31.3.2026 की स्थिति				
	उपदान	अर्जित अवकाश	अवकाश यात्रा रियायत	सेवानिवृत्ति-पश्चात चिकित्सा लाभ	अन्य
	(अवित्तपोषित)	(अवित्तपोषित)	(अवित्तपोषित)	(वित्तपोषित)	(अवित्तपोषित)
वर्ष के अंत में दायित्वों का अनुमानित वर्तमान मूल्य	1,287.43	2,464.48	6.96	631.04	164.92
वर्ष के अंत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	–	–	–	–	–
वित्तपोषित स्थिति	–	–	–	–	–
तुलन-पत्र में मान्यता प्राप्त नेट देयता	1,287.43	2,464.48	6.96	631.04	164.92

विवरण	31.3.2025 की स्थिति				
	उपदान	अर्जित अवकाश	अवकाश यात्रा रियायत	सेवानिवृत्ति-पश्चात चिकित्सा लाभ	अन्य
	(अवित्तपोषित)	(अवित्तपोषित)	(अवित्तपोषित)	(अवित्तपोषित)	(अवित्तपोषित)
वर्ष के अंत में दायित्वों का अनुमानित वर्तमान मूल्य	1,182.67	2,269.27	10.17	771.09	148.38
वर्ष के अंत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	–	–	–	–	–
वित्तपोषित स्थिति	–	–	–	–	–
तुलन-पत्र में मान्यता प्राप्त नेट देयता	1,182.67	2,269.27	10.17	771.09	148.38

(घ) लाभ एवं हानि खाते में स्वीकृत व्यय

(₹ लाख में)

विवरण	31.3.2026 की स्थिति				
	उपदान	अर्जित अवकाश	अवकाश यात्रा रियायत	सेवानिवृत्ति-पश्चात चिकित्सा लाभ	अन्य
	(अवित्तपोषित)	(अवित्तपोषित)	(अवित्तपोषित)	(वित्तपोषित)	(अवित्तपोषित)
चालू सेवा लागत	218.56	449.69	3.75	101.28	44.76
ब्याज लागत	82.67	158.62	0.71	43.54	10.37
बीमांकिक लाभ एवं हानि	–	(192.96)	(7.10)	–	0.04
लाभ एवं हानि खाते/पूंजीगत कार्य प्रगति में मान्यता प्राप्त कुल व्यय	301.23	415.35	(2.64)	144.82	55.17
विवरण	**31.3.2025 की स्थिति**				
	उपदान	अर्जित अवकाश	अवकाश यात्रा रियायत	सेवानिवृत्ति-पश्चात चिकित्सा लाभ	अन्य
	(अवित्तपोषित)	(अवित्तपोषित)	(अवित्तपोषित)	(अवित्तपोषित)	(अवित्तपोषित)
चालू सेवा लागत	212.78	531.80	4.64	164.82	43.64
ब्याज लागत	64.98	118.49	0.65	41.53	7.36
बीमांकिक लाभ एवं हानि	–	175.56	(4.28)	–	4.06
लाभ एवं हानि खाते/पूंजीगत कार्य प्रगति में मान्यता प्राप्त कुल व्यय	277.76	825.85	1.01	206.35	55.05

(ङ) अन्य व्यापक आय में स्वीकृत पुनर्मापन (लाभ)/हानि

(₹ लाख में)

विवरण	31.3.2026 की स्थिति				
	उपदान	अर्जित अवकाश	अवकाश यात्रा रियायत	सेवानिवृत्ति-पश्चात चिकित्सा लाभ	अन्य
	(अवित्तपोषित)	(अवित्तपोषित)	(अवित्तपोषित)	(वित्तपोषित)	(अवित्तपोषित)
योजना परिसंपत्तियों का पुनर्मापन	–	–	–		
दायित्व का पुनर्मापन	(142.92)	–	–	(291.13)	(29.19)
अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त कुल (लाभ)/हानि	(142.92)	–	–	(291.13)	(29.19)
विवरण	**31.3.2025 की स्थिति**				
	उपदान	अर्जित अवकाश	अवकाश यात्रा रियायत	सेवानिवृत्ति-पश्चात चिकित्सा लाभ	अन्य
	(अवित्तपोषित)	(अवित्तपोषित)	(अवित्तपोषित)	(अवित्तपोषित)	(अवित्तपोषित)
योजना परिसंपत्तियों का पुनर्मापन	–	–	–		
दायित्व का पुनर्मापन	36.16	–	–	(9.91)	12.09
अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त कुल (लाभ)/हानि	36.16	–	–	(9.91)	12.09

(च) गैर-चालू एवं चालू देयता में वर्गीकरण

(₹ लाख में)

विवरण	31.3.2026 की स्थिति				
	उपदान	अर्जित अवकाश	अवकाश यात्रा रियायत	सेवानिवृत्ति-पश्चात चिकित्सा लाभ	अन्य
	(अवित्तपोषित)	(अवित्तपोषित)	(अवित्तपोषित)	(वित्तपोषित)	(अवित्तपोषित)
गैर-चालू प्रावधान	1,215.62	2,243.60	3.48	629.24	149.69
चालू प्रावधान	71.81	220.89	3.48	1.81	15.23
योग प्रावधान	**1,287.43**	**2,464.49**	**6.96**	**631.05**	**164.92**
विवरण	**31.3.2025 की स्थिति**				
	उपदान	अर्जित अवकाश	अवकाश यात्रा रियायत	सेवानिवृत्ति-पश्चात चिकित्सा लाभ	अन्य
	(अवित्तपोषित)	(अवित्तपोषित)	(अवित्तपोषित)	(अवित्तपोषित)	(अवित्तपोषित)
गैर-चालू प्रावधान	1,101.78	2,034.88	5.09	766.61	129.86
चालू प्रावधान	80.90	234.40	5.09	4.48	18.52
योग प्रावधान	**1,182.68**	**2,269.28**	**10.18**	**771.09**	**148.38**

ज) भारित औसत के रूप में अभिव्यक्त प्रमुख बीमांकिक अनुमान

विवरण	31.3.2026 की स्थिति				
	उपदान	अर्जित अवकाश	अवकाश यात्रा रियायत	सेवानिवृत्ति-पश्चात चिकित्सा लाभ	अन्य
	(अवित्तपोषित)	(अवित्तपोषित)	(अवित्तपोषित)	(वित्तपोषित)	(अवित्तपोषित)
छूट दर	7.78%	7.78%	7.78%	7.78%	7.78%
आरोपित ब्याज दर	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
वेतन वृद्धि की अपेक्षित दर	6.50%	6.50%	6.50%	6.50%	6.50%
प्रयुक्त विधि	प्रक्षेपित यूनिट क्रेडिट (पीयूसी)	प्रक्षेपित यूनिट क्रेडिट (पीयूसी)	प्रक्षेपित यूनिट क्रेडिट (पीयूसी)	प्रक्षेपित यूनिट क्रेडिट (पीयूसी)	प्रक्षेपित यूनिट क्रेडिट (पीयूसी)
विवरण	**31.3.2025 की स्थिति**				
	उपदान	अर्जित अवकाश	अवकाश यात्रा रियायत	सेवानिवृत्ति-पश्चात चिकित्सा लाभ	अन्य
	(अवित्तपोषित)	(अवित्तपोषित)	(अवित्तपोषित)	(अवित्तपोषित)	(अवित्तपोषित)
छूट दर	6.99%	6.99%	6.99%	6.99%	6.99%
आरोपित ब्याज दर	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
वेतन वृद्धि की अपेक्षित दर	6.50%	6.50%	6.50%	6.50%	6.50%
प्रयुक्त विधि	प्रक्षेपित यूनिट क्रेडिट (पीयूसी)	प्रक्षेपित यूनिट क्रेडिट (पीयूसी)	प्रक्षेपित यूनिट क्रेडिट (पीयूसी)	प्रक्षेपित यूनिट क्रेडिट (पीयूसी)	प्रक्षेपित यूनिट क्रेडिट (पीयूसी)

संवेदी विश्लेषण:

उपरोक्त संवेदनशीलता विश्लेषण अन्य सभी पूर्वानुमानों को स्थिर रखते हुए किसी एक पूर्वानुमान में परिवर्तन पर आधारित है। व्यावहारिक रूप से, ऐसा होना संभव नहीं है तथा कुछ पूर्वानुमानों में परिवर्तन परस्पर सह-संबद्ध हो सकते हैं। परिभाषित हित लाभ दायित्व की महत्वपूर्ण बीमांकिक पूर्वानुमानों के प्रति संवेदनशीलता की गणना करते समय उसी विधि (प्रक्षेपित यूनिट क्रेडिट विधि) का उपयोग किया गया है, जिसका उपयोग वित्तीय स्थिति के विवरण में मान्यता प्राप्त परिभाषित हित लाभ दायित्व की गणना के लिए किया गया है।

(₹ लाख में)

निम्नलिखित में परिवर्तन	31.3.2026 की स्थिति					
	पूर्वअनुमानों में परिवर्तन	उपदान दायित्व पर प्रभाव	अवकाश नकदीकरण पर प्रभाव	अवकाश यात्रा रियायत पर प्रभाव	सेवानिवृत्ति-पश्चात कर्मचारी लाभ पर प्रभाव	अन्यों पर प्रभाव
छूट दर	+0.5%	(73.58)	(147.97)	लागू नहीं	(45.25)	(10.04)
	-0.5%	80.47	161.43	लागू नहीं	48.58	11.15
वेतन वृद्धि दर	+0.5%	61.77	162.81	लागू नहीं	लागू नहीं	9.29
	-0.5%	(60.26)	(150.05)	लागू नहीं	लागू नहीं	(8.47)
निम्नलिखित में परिवर्तन	**31.3.2025 की स्थिति**					
	पूर्वअनुमानों में परिवर्तन	उपदान दायित्व पर प्रभाव	अवकाश नकदीकरण पर प्रभाव	अवकाश यात्रा रियायत पर प्रभाव	सेवानिवृत्ति-पश्चात कर्मचारी लाभ पर प्रभाव	अन्यों पर प्रभाव
छूट दर	+0.5%	(71.19)	(142.42)	लागू नहीं	(55.30)	(8.70)
	-0.5%	78.20	155.84	लागू नहीं	59.37	9.67
वेतन वृद्धि दर	+0.5%	61.55	155.82	लागू नहीं	लागू नहीं	(8.05)
	-0.5%	(58.64)	(143.04)	लागू नहीं	लागू नहीं	(7.34)

(₹ लाख में)

परिभाषित हित लाभ दायित्वों की परिपक्वता प्रोफ़ाइल	31.3.2026 की स्थिति				
	उपदान	अर्जित अवकाश	अवकाश यात्रा रियायत	सेवानिवृत्ति-पश्चात चिकित्सा लाभ	अन्य
	(अवित्तपोषित)	(अवित्तपोषित)	(अवित्तपोषित)	(वित्तपोषित)	(अवित्तपोषित)
0-1 वर्ष	71.81	220.89	–	1.81	15.23
1-2 वर्ष	68.52	108.19	–	78.09	13.79
2-3 वर्ष	61.36	103.92	–	38.43	8.21
3-4 वर्ष	53.62	87.06	–	22.83	11.00
4-5 वर्ष	37.27	67.48	–	7.55	6.87
5-6 वर्ष	38.00	74.79	–	5.63	3.74
6 वर्ष से आगे	956.85	1,802.15	–	476.70	106.08

परिभाषित हित लाभ दायित्वों की परिपक्वता प्रोफ़ाइल	31.3.2025 की स्थिति				
	उपदान	अर्जित अवकाश	अवकाश यात्रा रियायत	सेवानिवृत्ति-पश्चात चिकित्सा लाभ	अन्य
	(अवित्तपोषित)	(अवित्तपोषित)	(अवित्तपोषित)	(वित्तपोषित)	(अवित्तपोषित)
0-1 वर्ष	80.90	234.40	–	4.48	18.52
1-2 वर्ष	50.60	84.97	–	168.06	9.19
2-3 वर्ष	50.27	87.89	–	39.26	9.91
3-4 वर्ष	52.29	82.91	–	36.92	5.83
4-5 वर्ष	43.43	73.46	–	20.16	9.74
5-6 वर्ष	30.80	58.56	–	6.43	3.24
6 वर्ष से आगे	874.39	1,647.09	–	495.79	91.94

नोट 42 : 'सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006' (एमएसएमई अधिनियम) में परिभाषित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को देय राशियों का विवरण निम्नानुसार है:-

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2026 की स्थिति	31 मार्च, 2025 की स्थिति
1	(i) प्रत्येक लेखा वर्ष के अंत में किसी भी आपूर्तिकर्ता को देय मूलधन तथा उस पर देय ब्याज की बकाया राशि:	–	–
	(ii) सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को देय मूलधन की राशि*	1,543.62	1,648.12
	(iii) उपर्युक्त राशि पर देय ब्याज	–	–
2	एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 की धारा 16 के अंतर्गत क्रेता द्वारा भुगतान किए गए ब्याज की राशि, साथ ही प्रत्येक लेखा वर्ष के दौरान निर्धारित तिथि के पश्चात आपूर्तिकर्ता को किए गए भुगतानों की राशि।	-	-
3	भुगतान करने में हुई देरी की अवधि के लिए देय एवं भुगतान योग्य ब्याज की राशि (जो वर्ष के दौरान निर्धारित तिथि के बाद भुगतान की गई है), परंतु एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 के अंतर्गत निर्दिष्ट ब्याज को शामिल किए बिना।	-	-
4	प्रत्येक लेखा वर्ष के अंत में अर्जित एवं बकाया रह गई ब्याज की राशि	-	-
5	आगामी वर्षों में भी देय एवं भुगतान योग्य शेष ब्याज की राशि, उस तिथि तक जब तक उपर्युक्त ब्याज की देय राशि का वास्तविक रूप से लघु उद्यम को भुगतान नहीं कर दिया जाता, एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 की धारा 23 के अंतर्गत कटौती योग्य व्यय के रूप में अस्वीकृति के प्रयोजन हेतु	-	-

*सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 में विनिर्दिष्ट नियत तिथि के भीतर भुगतान किया गया है।

नोट 43 : परिसंपत्तियों की क्षमता हानि

समीक्षा के आधार पर, प्रबंधन की राय है कि कंपनी की गैर-वित्तीय परिसंपत्तियों का आर्थिक निष्पादन अपेक्षित स्तर से कम नहीं है तथा तुलन-पत्र की तिथि को हानि का कोई संकेतक विद्यमान नहीं है। अतः तुलन-पत्र की तिथि को किसी भी परिसंपत्ति में कोई हानि नहीं है।

नोट 44 : शेष की पुष्टि

कंपनी के पास बैंकों एवं अन्य पक्षकारों से शेष राशियों की आवधिक पुष्टि प्राप्त करने की प्रणाली है। शेष राशि की पुष्टि हेतु पत्र पक्षकारों को भेजे गए थे। कुछ प्राप्य राशियों, अन्य परिसंपत्तियों एवं अन्य देय राशियों के शेष पुष्टि/मिलान तथा उसके परिणामस्वरूप आवश्यक समायोजन, यदि कोई हो, के अधीन हैं। मिलान का कार्य निरंतर आधार पर किया जाता है। तथापि, प्रबंधन को ऐसी लंबित पुष्टियों/मिलानों से किसी महत्वपूर्ण वित्तीय प्रभाव की अपेक्षा नहीं है।

नोट 45 : अनुदान

कंपनी को आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) के माध्यम से एशियन विकास बैंक (एडीबी) से 2,500 लाख रुपये की राशि का जेएफपीआर अनुदान तथा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (डब्ल्यूसीडी) के माध्यम से आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) से 2,000 लाख रुपये की राशि का निर्भया निधि अनुदान प्राप्त हुआ है। इन अनुदानों के विरुद्ध कंपनी ने 31.03.2026 तक जेएफपीआर के विरुद्ध 11,752.12 लाख रुपये (625.84 लाख रुपये) तथा निर्भया निधि के विरुद्ध 197.10 लाख रुपये (शून्य) का व्यय किया है।

नोट 46 : संविदागत प्रतिबद्धताएं

परियोजना के संबंध में संविदागत प्रतिबद्धताओं का विवरण 2,79,386.92 लाख रुपये (पूर्ववर्ष 3,46,375.56 लाख रुपये) है।

नोट 47 : इंड एएस 116-पट्टे के अंतर्गत प्रकटीकरण

कंपनी ने विभिन्न कार्यालयों के लिए पट्टा समझौते किए हैं, जिन्हें परिचालन पट्टे के रूप में मान्यता दी गई है।

(i) प्रारंभिक अनुप्रयोग पर चुनी गई व्यावहारिक सरलताओं का सारांश:

(क) प्रारंभिक अनुप्रयोग की तिथि को 12 माह से कम की पट्टा अवधि वाले पट्टों के लिए उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों और देयताओं को मान्यता न देने की छूट का लाभ लिया गया है।

(ख) प्रारंभिक अनुप्रयोग की तिथि को उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्ति के मापन से प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागतों को बाहर रखा गया है।

(ग) इंड एएस-116 केवल उन अनुबंधों पर लागू किया गया है, जिन्हें पूर्व में इंड एएस-17 के अंतर्गत पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया गया था।

(घ) पट्टों के पोर्टफोलियो के लिए एकल छूट दर लागू की गई है।

(ङ) यदि अनुबंध में पट्टे को बढ़ाने या समाप्त करने के विकल्प शामिल हैं, तो पट्टे की अवधि निर्धारित करने में पश्चदृष्टि का उपयोग किया गया है।

(ii) इंड एएस-17 के अंतर्गत पट्टा दायित्व और संक्रमण की तिथि को पट्टा देयता के मूल्य के बीच अंतर मुख्यतः इंड एएस-116 के अंतर्गत पट्टा देयताओं को वर्तमान मूल्य पर छूट देने के कारण है।

(iii) कंपनी ने अल्पावधि पट्टों तथा कम मूल्य वाली परिसंपत्तियों के पट्टों के लिए पट्टा देयता को मान्यता न देने का विकल्प चुना है। इन पट्टों से संबंधित व्यय को पट्टा देयता के मापन में शामिल नहीं किया गया है। इसका विवरण निम्नानुसार है:-

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2026 की स्थिति	31 मार्च 2025 की स्थिति
अल्पावधि पट्टे	6.72	13.73
योग	**6.72**	**13.73**

नोट 48 : घटक रिपोर्टिंग इंड एएस 108

कंपनी का मुख्य व्यवसाय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में क्षेत्रीय तीव्र परिवहन प्रणाली (आरआरटीएस) का डिजाइन, विकास, कार्यान्वयन, वित्तपोषण, संचालन एवं अनुरक्षण करना है। कंपनी भारत में ही परिचालन करती है और ऐसे विभिन्न आर्थिक परिवेशों में परिचालन नहीं करती जहाँ जोखिम एवं प्रतिफल भिन्न हों। अतः कंपनी को एकल भौगोलिक खंड में परिचालनरत माना गया है।

घटक रिपोर्ट

कंपनी का रिपोर्ट योग्य केवल एक परिचालन खंड है, जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में रिजनल रेपिड ट्रांसिट सिस्टम (आरआरटीएस) के डिजाइन, विकास, कार्यान्वयन, वित्तपोषण, संचालन एवं अनुरक्षण से संबंधित है तथा सेवाओं की प्रकृति, जोखिम एवं प्रतिफल, संगठनात्मक संरचना एवं आंतरिक वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणालियों के आधार पर एकल परिचालन खंड के रूप में कार्य करता है। तदनुसार, स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों में प्रस्तुत राशियाँ कंपनी के एकल परिचालन खंड से संबंधित हैं।

नोट 49 : विदेशी मुद्रा में उपार्जन और व्यय

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए
आय		
विनिमय उतार-चढ़ाव लाभ	510.62	–
योग	**510.62**	**–**
व्यय		
परामर्श	808.24	3,060.73
कार्य	15,448.11	32,638.52
विनिमय उतार-चढ़ाव हानि	1,20,399.58	33,059.10
योग	**1,36,655.93**	**68,758.35**

नोट 50 : इंड एएस 27 "पृथक वित्तीय विवरण" के अनुसार अनुपालन का प्रकटीकरण निम्नानुसार है:

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम द्वारा "एनसीआरटीसी एक्सप्रेस ट्रांजिट लिमिटेड" नामक एक सहायक कंपनी की स्थापना की गई है।

संयुक्त उद्यमों में इक्विटी निवेशों का मापन इंड एएस 27 "पृथक वित्तीय विवरण" के प्रावधानों के अनुसार किया गया है।

पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी में निवेश कंपनी का नाम	व्यवसाय का प्रधान स्थल एवं निगमन देश	प्रमुख गतिविधियाँ	कंपनी द्वारा धारित स्वामित्व हित एवं वोटिंग अधिकारों का अनुपात
एनसीआरटीसी एक्सप्रेस ट्रांजिट लिमिटेड	भारत	ट्रांजिट प्रणालियों की योजना, डिजाइन, वित्तपोषण, कार्यान्वयन, प्रबंधन, संचालन एवं अनुरक्षण	100%

नोट 51 : इंड एएस-1 के अनुसार प्रकटीकरण: वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति से संबंधित प्रकटीकरण

चालू वर्ष के वित्तीय विवरणों के साथ तुलनीयता बढ़ाने के लिए तुलनात्मक अवधि के वित्तीय विवरणों में कुछ पुनर्वर्गीकरण किए गए हैं। परिणामस्वरूप, तुलन-पत्र में कुछ मदों का पुनर्वर्गीकरण किया गया है, जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

(₹ लाख में)

विवरण	पुनर्वर्गीकरण से पूर्व	पुनर्वर्गीकरण	पुनर्वर्गीकरण से उपरांत
प्रतिधारित आय (संदर्भ नोट 14.2)	7,86,632.05	(7,45,233.23)	41,398.82
अधीनस्थ ऋण का आस्थगित उचित मूल्यांकन (संदर्भ नोट 14.3)	–	7,45,233.23	7,45,233.23
सावधि जमा पर उपार्जित ब्याज (3 माह या उससे कम की परिपक्वता अवधि वाली) (संदर्भ नोट 10.2)	–	275.52	275.52
सावधि जमा पर उपार्जित ब्याज (संदर्भ नोट 10.5)	5,211.40	(275.52)	4,935.88

नोट 52 : कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III में कुछ प्रकटीकरणों के संबंध में एमसीए द्वारा 24 मार्च 2021 की अधिसूचना के माध्यम से संशोधन किया गया है, जो 1 अप्रैल 2021 से लागू हैं। कंपनी ने वित्तीय विवरणों में उक्त संशोधन के अनुसार आवश्यक परिवर्तन सम्मिलित किए हैं तथा उक्त संशोधन के अनुपालन में निम्नलिखित प्रकटीकरण किए गए हैं:

(i) कंपनी ने वर्ष के दौरान क्रिप्टोकरेंसी या वर्चुअल करेंसी में कोई कारोबार या निवेश नहीं किया है।

(ii) कंपनी के पास कोई पूर्व अवधि की त्रुटियाँ नहीं हैं, जिन्हें इक्विटी में परिवर्तनों के विवरण में पृथक रूप से प्रकट किया जाना आवश्यक हो।

(iii) कंपनी के पास ऐसा कोई प्रभार या प्रभार की संतुष्टि नहीं है, जिसका पंजीकरण वैधानिक अवधि से अधिक समय से आरओसी के साथ लंबित हो,

(iv) कंपनी ने किसी अन्य व्यक्ति या संस्था, जिसमें विदेशी संस्थाएँ भी शामिल हैं (मध्यस्थ), को इस समझ के साथ कोई निधि अग्रिम, ऋण या निवेश नहीं किया है कि मध्यस्थ: (क) कंपनी की ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऐसे अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को ऋण देगा या निवेश करेगा, जिन्हें किसी भी प्रकार से कंपनी द्वारा या उसकी ओर से पहचाना गया हो (अंतिम लाभार्थी); या (ख) अंतिम लाभार्थियों को या उनकी ओर से कोई गारंटी, प्रतिभूति या इसी प्रकार की अन्य व्यवस्था प्रदान करेगा।

(v) कंपनी ने किसी व्यक्ति या संस्था, जिसमें विदेशी संस्थाएँ भी शामिल हैं (निधि प्रदाता), से इस समझ के साथ कोई निधि प्राप्त नहीं की है कि कंपनी: (क) निधि प्रदाता की ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऐसे अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को ऋण देगा या निवेश करेगा, जिन्हें किसी भी प्रकार से कंपनी द्वारा या उसकी ओर से पहचाना गया हो (अंतिम लाभार्थी); या (ख) अंतिम लाभार्थियों को या उनकी ओर से कोई गारंटी, प्रतिभूति या इसी प्रकार की अन्य व्यवस्था प्रदान करेगा।

(vi) कंपनी के पास प्रवर्तकों, निदेशकों, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों (केएमपी) एवं अन्य संबंधित पक्षों को ऋण के स्वरूप में कोई ऋण एवं अग्रिम नहीं है।

(vii) प्रबंधन की राय में, संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण तथा गैर-चालू निवेशों को छोड़कर अन्य परिसंपत्तियों का मूल्य, व्यवसाय के सामान्य क्रम में वसूली पर, तुलन-पत्र में दर्शाए गए मूल्य से कम नहीं होगा।

(viii) वर्ष के दौरान संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण, जिसमें उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियाँ (आरओयू एसेट) शामिल हैं, का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया गया है। अतः अनुसूची III के अंतर्गत अपेक्षित परिणामी प्रकटीकरण लागू नहीं हैं।

(ix) वर्ष के दौरान अमूर्त परिसंपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया गया है। अतः अनुसूची III के अंतर्गत अपेक्षित परिणामी प्रकटीकरण लागू नहीं हैं।

(x) कंपनी के पास कोई बेनामी संपत्ति नहीं है, जिसके संबंध में कंपनी के विरुद्ध बेनामी संपत्ति रखने के लिए कोई कार्यवाही प्रारंभ की गई हो या लंबित हो।

(xi) कंपनी के पास कोई निवेश संपत्ति नहीं है। अतः अनुसूची III के अंतर्गत अपेक्षित अतिरिक्त प्रकटीकरण लागू नहीं हैं।



(xii) कंपनी को बैंकों या वित्तीय संस्थानों को त्रैमासिक स्टॉक विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं है। अतः अनुसूची III के अंतर्गत अपेक्षित अतिरिक्त प्रकटीकरण लागू नहीं हैं।

(xiii) कंपनी को बैंकों या वित्तीय संस्थानों द्वारा जानबूझकर चूककर्ता के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है। अतः अनुसूची III के अंतर्गत अपेक्षित अतिरिक्त प्रकटीकरण लागू नहीं हैं ।

(xiv) कंपनी अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (87) तथा कंपनी (परतों की संख्या पर प्रतिबंध) नियम, 2017 के प्रावधानों का अनुपालन कर रही है। अतः कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत अपेक्षित अतिरिक्त प्रकटीकरण लागू नहीं हैं।

(xv) वर्ष के दौरान कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 अथवा कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 के अंतर्गत पंजीकरण से हटाई गई कंपनियों के साथ कंपनी का कोई लेन-देन नहीं हुआ है, जिसे कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के अनुसार प्रकट किया जाना आवश्यक हो।

(xvi) कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धाराओं 230 से 237 के अंतर्गत कोई व्यवस्था योजना नहीं की है।

(xvii) कंपनी का ऐसा कोई लेन-देन नहीं है, जो लेखा पुस्तकों में दर्ज नहीं किया गया हो तथा जिसे आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत कर निर्धारण के दौरान अभ्यर्पित या आय के रूप में प्रकट किया गया हो।

नोट 53: जहाँ कहीं आवश्यक हुआ है, वहाँ चालू वर्ष की प्रस्तुति के साथ तुलनीय बनाने के लिए पूर्ववर्ष के आंकड़ों का पुनर्समूहीकरण / पुनर्व्यवस्थीकरण / पुनर्वर्गीकरण किया गया है।

हमारी समतिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते **श्याम सुन्दर सिंघल एंड कम्पनी**
चार्टर्ड एकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण संख्या : 000544N

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

हस्ता./-
ज्योति अग्रवाल
साझेदार
सदस्यता सं.: 098918
यूडीआईएन: 26098918LMPHDI4128

हस्ता./-
विजय कुमार
कम्पनी सचिव
सदयस्ता संख्या. F7801
कोच्चि

हस्ता./-
नमिता मेहरोत्रा
निदेशक (वित्त) एवं मुख्य वित्त अधिकारी
डीआईएन:07916304
नई दिल्ली

हस्ता./-
शलभ गोयल
प्रबंध निदेशक
डीआईएन:08064525
कोच्चि

दिनांक: 10.07.2026
स्थान: नई दिल्ली



व्यस्त सड़कों एवं राजमार्गों जैसे जटिल क्षेत्रों में निर्माण की चुनौतियों को पार कर बना नमो भारत कॉरिडोर

No. DGA/Infra-I/HQ-I/27-169/Annual Accounts/NCRTC/2025-26/332

कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा
(अवसंरचना), नई दिल्ली
तृतीय तल, ए-स्कन्ध, इन्द्रप्रस्थ भवन,
इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली-110002

SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF
AUDIT (INFRASTRUCTURE), NEW DELHI
3rd Floor, A-Wing, Indraprastha Bhawan,
I.P. Estate, New Delhi-110002

दिनांक / DATE 23/09/2026

सेवा में,

प्रबंध निदेशक,
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड (NCRTC),
गति शक्ति भवन,
आईएनए, नई दिल्ली-110023.

विषय: कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (6)(b) एवं 129 (4) के अन्तर्गत 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड (NCRTC) के वार्षिक लेखों (Standalone Financial Statements & Consolidated Financial Statements) पर भारत के नियत्रंक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ ।

महोदय,

मैं इस पत्र के साथ 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड (NCRTC) के वार्षिक लेखों (Standalone Financial Statements & Consolidated Financial Statements) पर कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (6)(b) एवं 129(4) के अन्तर्गत भारत के नियत्रंक एवं महालेखापरीक्षक की **'टिप्पणियाँ'** अग्रेषित करता हूँ। इन टिप्पणियों को कम्पनी की वार्षिक आमसभा में उसी प्रकार रखा जाए जिस प्रकार वैधानिक लेखा परीक्षकों की लेखा परीक्षा रिपोर्ट रखी जाती है।

भवदीय,

(सिद्धार्थ सिंह लोंगजम)
अपर उप नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
(अवसंरचना) नई दिल्ली

संलग्न: टिप्पणियाँ

COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 143(6) (b) OF THE COMPANIES ACT, 2013 ON THE FINANCIAL STATEMENTS OF NATIONAL CAPITAL REGION TRANSPORT CORPORATION LIMITED FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2026

The preparation of financial statements of National Capital Region Transport Corporation Limited for the year ended 31 March 2026 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Companies Act, 2013 (Act) is the responsibility of the management of the company. The statutory auditor appointed by the Comptroller and Auditor General of India under section 139 (5) of the Act is responsible for expressing opinion on the financial statements under section 143 of the Act based on independent audit in accordance with the standards on auditing prescribed under section 143 (10) of the Act. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated 10 July 2026.

I, on behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have conducted a supplementary audit of the financial statements of National Capital Region Transport Corporation Limited for the year ended 31 March 2026 under section 143(6)(a) of the Act. This supplementary audit has been carried out independently without access to the working papers of the statutory auditors and is limited primarily to inquiries of the statutory auditors and company personnel and a selective examination of some of the accounting records.

Based on my supplementary audit, I would like to highlight the following significant matters under section 143(6)(b) of the Act which have come to my attention and which in my view are necessary for enabling a better understanding of the financial statements and the related audit report.

A. Comments on Profitability

1. Revenue from Operations (Fare Revenue) (Note 23) - ₹ 10,325.20 lakh

The above includes an amount of ₹ 178.75 lakh being loyalty point obligations credited in customer account via card/app received in advance.

NCRTC policy for Loyalty Points states that riders using NCMC cards or the Namo Bharat app previously known as RRTS Connect app are eligible for 1 Loyalty Point ***equivalent to ₹0.10*** for every

₹1 spent and its Accounting Policy 2.13(a)(iv)(c) states that Payments received in advance of services rendered must be recognized as a Contract Liability as per the requirement of Ind AS 115 (Revenue from Contracts with Customers).

As on 31 March 2026, unredeemed loyalty points accumulated via NCMC Cards and the Namo Bharat App stood at 17.87 crore points (NCMC Cards Jan 2026 – Mar 2026 - 11.05 crore, Namo Bharat App FY 2025–26 - 6.82 crore), having a monetary value of ₹178.75 lakh. NCRTC recognized 100 per cent of gross fare collections as immediate revenue without considering loyalty point obligations which is the nature of different performance obligation extended to the customer on future journeys based on the current lump sum payment through card/app. Thus, the transaction price should be allocated between the fare service and unredeemed loyalty points, with the latter recognized as a Contract Liability until redemption/expiry.

This has resulted in overstatement of Revenue from Operations, understatement of Current Liabilities, understatement of Net Loss before Tax by ₹178.75 lakh each.

2. Other Income (Note 24) - ₹ 27,525.39 lakh

The above includes interest income of ₹ 6,182 lakh earned on Fixed Deposit Receipts (FDRs) created out of funds received from the Ministry of Housing and Urban Affairs (MoHUA), Government of India in the form of Pass Through Assistance (PTA) against loan from multilateral agencies during Financial Year 2025-26. As per directions (August 2016) of MoHUA, the interest earned on short term investment of borrowings including PTA shall be adjusted against the borrowing cost to be capitalized in the cost of assets/project concerned.

Recognizing the same as Income in the Statement of Profit and Loss rather than adjusting the same against borrowing cost capitalized has resulted in overstatement of Property Plant and Equipment (PPE) by ₹ 11,561 lakh (₹ 5,379 lakh -interest income 2024-25) and other income/interest income on FDR by ₹ 6,182 lakh for the year 2025-26. Consequently, loss for the year 2025-26 is also understated to the extent of ₹ 6,182 lakh and overstatement of retained earnings by ₹ 5,379 lakh.

In the absence of the information relating to Interest earned on the short-term investment of PTA fund for the previous years (2021-22, 2022-23 and 2023-24), impact of the same cannot be quantified.

Also, NCRTC has not maintained the separate bank account for PTA which also resulted in violation of the instructions issued by MoHUA.

This issue was commented upon during the supplementary accounts audit for the year 2024-25, however, no corrective action has been taken by the management.

3. Depreciation and Amortization Expense (Note 28) - ₹ 40,443.34 lakh

The above does not include an amount of ₹ 1,864.09 lakh being short Depreciation/Amortization charged on tangible assets due to considering incorrect useful lives in contravention of their own Asset Policy and accounting policy as well as Para 50 of Ind AS 16 and Schedule II to the Companies Act, 2013.

Audit observed that the company had capitalized major infrastructure assets worth ₹2,77,632.67 lakh on 14.08.2025. However, it had applied incorrect useful lives resulting in short charging of depreciation of ₹ 2,849.96 lakh instead of actual chargeable depreciation of ₹ 4,714.05 lakh.

Thus, it has resulted in understatement of Depreciation by ₹ 1,864.09 lakh and overstatement of Property, Plant and Equipment (Net Block) by ₹ 1,864.09 lakh and consequently loss before tax for the year by same extent.

4. Other Expenses (Note 29) - ₹ 2,971.20 lakh

The above does not include provision for Corporate Social Responsibility obligation required to be incurred under Section 135 of the Companies Act 2013.

The Corporate Social Responsibility obligation for FY 2025–26 was ₹ 323.41 lakh along with unspent CSR balance of ₹ 390.34 lakh from previous years (2023-24 & 2024-25). However, no provision was recognized in the Statement of Profit and Loss for FY 2025–26 or prior periods as required under Section 135(5) of the Companies Act, 2013, to be provided as per Para 14 of Ind AS 37.

Thus, it has resulted in understatement of Other Current Liabilities and loss before tax by ₹ 713.75 lakh and ₹ 323.41 lakh respectively and overstatement of retained earnings by ₹ 390.34 lakh.

Further, the Statutory Auditor had not reported that the company has not created a provision as at the balance sheet date, to the extent considered necessary in accordance with the provisions of Ind AS 37. Thus, the statutory auditor reporting is deficient to that extent.

5. Other Comprehensive Income – (₹ 472.89) lakh

The above includes an amount of ₹ 463.24 lakh being actuarial gains (re-measurement of obligations) pertaining to employee benefits viz. Gratuity, PRMB and Others and were to be recognized in Other Comprehensive Income (OCI) as per Paras 57(d), 120(c), 122 and 127(a) of Ind AS 19.

However, instead of providing ₹ 92.33 lakh as actuarial liability for Gratuity, PRMB and Others (Note 41.2 (f)) in the current provision, a direct manual addition of ₹ 463.24 lakh was incorrectly made to the current provisions and manual deduction of ₹ 463.24 lakh from retained earnings outside of the Statement of Profit and Loss.

Thus, this has resulted in the overstatement of Current Provisions and understatement of Retained Earnings by ₹ 463.24 lakh each.

Further, the actuarial gains have been carried as negative figures in the OCI instead of positive figures resulting in understatement of Total Comprehensive Income by ₹ 945.78 lakh.

B. Comments on Financial Position

Property Plant and Equipment (Note 3) – ₹ 27,14,742.51 lakh

The Company has been mandated to develop 82.15 km long Rapid Rail Transit System (RRTS) between Delhi and Meerut. Till 31.03.2026, the RRTS system got stage wise approval for opening of different sections from Commissioner of Metro Rail Safety (CMRS) for public use as mentioned below:

Sl. No.	Section	Length in kilometre	CMRS Certification Date
1.	Sahibabad to Duhai (including Duhai Depot)	17	26.06.2023
2.	Duhai to Modinagar North	17	05.03.2024
3.	Modinagar to Meerut South North	8	31.05.2024
4.	Sahibabad to New Ashok Nagar	13	23.12.2024
5.	Shatabdi Nagar	6.45	23.05.2025
6.	Sarai Kale Khan to New Ashok Nagar and Partarpur to Modipuram	20.7	14.08.2025

After obtaining CMRS sanction, the concerned section became available for supply of services to the passengers with corresponding flow of economic benefits associated to that section. However, NCRTC

capitalized the complete section except Modipuram Depot Station only from 14.08.2025 i.e. the date of CMRS of complete section instead of capitalizing the operational sections on the date when they were put to use.

Further, operational expenses including borrowing cost incurred/allocated to these completed sections and revenue earned thereon from the date of CMRS certification should have been routed through Statement of Profit and Loss instead of capitalizing the same under Capital Work in progress.

In absence of quantification of completed cost of operationalized section, despite repeated requests to Management, Audit has indicatively computed the capitalisation cost based on route kilometres and derived the corresponding PPE and depreciation using the aforesaid methodology. Accordingly, PPE was overstated by ₹57,894.09 lakh and depreciation was understated by ₹57,894.09 lakh, including ₹15,833.60 lakh pertaining to FY 2025-26. Consequently, the loss for FY 2025-26 was understated by ₹15,833.60 lakh and Retained Earnings were overstated by ₹42,060.49 lakh.

The Company needs to determine the date of availability for use of each operational section, i.e. the respective CMRS certification date, and recalculate the section/stage-wise capitalisation of PPE, depreciation and borrowing costs accordingly. The resulting material prior-period errors may thereafter be accounted for through retrospective restatement in accordance with Ind AS 8.

This issue was commented upon on the financial statements of the Company for the year 2024-25, however, the same has not been complied by it and capitalization of all the assets was done only from 14 August 2025 i.e. the date of CMRS of complete section except Modipuram Depot Station.

C. Comments on Statement of Cash Flow

1. Cash Flow From Financing Activities
Advance received from GoI (MoHUA) against Pass Through Assistance - (₹ 2,01,285.41) lakh
Loan from GoI arranged from Asian Development Bank - ₹ 42,750 lakh
Loan from GoI arranged from Asian Development Bank (Tranche 3) - ₹ 1,51,491.98 lakh
Loan from GoI arranged from New Development Bank - ₹ 1,12,422.14 lakh
Loan from GoI arranged from Asian Infrastructure Investment Bank - ₹ 89,720.88 lakh

The above depicts (₹ 2,01,285.41) lakh as outflow from Pass Through Assistance (PTA) from MoHUA which is not a cash outflow but a decrease in balance of advance against PTA.

NCRTC has received an advance of ₹ 74,700 lakh during the period from MoHUA as Pass Through Assistance pending disbursal of loan from Asian Development Bank, New Development Bank and Asian Infrastructure Investment Bank.

Thus, incorrect depiction of the Pass Through Assistance and amount of Loans from Government of India arranged from ADB, NDB and AIIB has resulted into understatement of Advance received from GoI (MoHUA) against Pass Through Assistance and overstatement of Loans from Government of India arranged from ADB, NDB and AIIB by ₹ 2,75,985.41 lakh each. This issue was also raised during supplementary accounts audit for the year 2024-25, however, corrective action has not been taken by management.

2. Net Cash generated from Financing Activities - ₹ 3,36,205.91 lakh
Total cash generated from Operating Activities - ₹ (1,18,027.05) lakh

The above includes non-cash item being provision of ₹ 9,127.78 lakh being annuity payable to Concessionaire appointed for Automatic Fare Collection (AFC) System for Delhi-Ghaziabad-Meerut RRTS Corridor.

Since, the annuity payable to the Contractor is a non-cash item, therefore the same should be excluded from Cash Flow from financing activities and should be shown under adjustment in operating capital changes. This has resulted in overstatement of Cash Flow from Financing Activities and understatement of Operating profit before operating capital changes as well as Total Cash generated from Operating Activities by ₹ 9,127.78 lakh.

D. Comments on Disclosure

Notes to Standalone Financial Statements
Note No. 43 – Impairment of Assets

In the above note it is stated that, on the basis of review, the management is of the opinion that the economic performance of non-financial assets of the Company is not lower than expected and no impairment indicator exists as on Balance Sheet date. Therefore, there is no impairment of any assets as on the Balance Sheet date.

However, it is observed that NCRTC incurred an expenditure of ₹ 5,020.41 lakh towards the alignment of the proposed future RRTS corridor from Sarai Kale Khan (Delhi) to Bawal (Haryana). Subsequently, the alignment of the said corridor was changed and revised alignment was approved (September 2025) by MoHUA. The change in the alignment constitutes an indication of impairment requiring assessment of the impairment expenditure incurred on the erstwhile alignment.

The disclosure in Note-43, therefore, does not adequately consider or disclose the impairment indicator arising from the change in alignment. Non-disclosure of the above fact has rendered the Note deficient to that extent.

For and on behalf of the
Comptroller and Auditor General of India

(Siddhartha Singh Longjam)
Addl. Deputy Comptroller and Auditor General
(Infrastructure)
New Delhi

Place: New Delhi
Dated: 23 September 2026

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों (एसएफएस) पर प्रबंधन की टिप्पणियां		
ले. सं.	**भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) की टिप्पणियां**	**प्रबंधन के उत्तर**
क.1	**लाभप्रदता पर टिप्पणियां** **परिचालन से राजस्व (किराया राजस्व) (टिप्पणी 23) - ₹10,325.20 लाख** उपर्युक्त राशि में ₹ 178.75 लाख की वह राशि सम्मिलित है जो कार्ड/ऐप के माध्यम से अग्रिम रूप से प्राप्त ग्राहक खाते में जमा की गई लॉयल्टी पॉइंट देनदारियों से संबंधित है। लॉयल्टी पॉइंट्स के लिए एनसीआरटीसी की नीति के अनुसार, एनसीएमसी कार्ड अथवा नमो भारत ऐप (पूर्व में आरआरटीएस कनेक्ट ऐप) का उपयोग करने वाले यात्री प्रत्येक ₹ 1 के व्यय पर **₹ 0.10 के समतुल्य** 1 लॉयल्टी पॉइंट के पात्र हैं। इसकी लेखा नीति 2.13(क)(iv)(ग) यह प्रावधान करती है कि सेवाओं के निष्पादन से पूर्व प्राप्त अग्रिम भुगतानों को Ind AS (इंड एएस) 115 (ग्राहकों के साथ अनुबंधों से राजस्व) की आवश्यकतानुसार 'अनुबंध दायित्व' के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए। 31 मार्च 2026 की स्थिति के अनुसार, एनसीएमसी कार्ड एवं नमो भारत ऐप के माध्यम से संचित अन-रिडीम्ड (अप्राप्त भुनाए गए) लॉयल्टी पॉइंट्स 17.87 करोड़ थे (एनसीएमसी कार्ड जनवरी 2026 – मार्च 2026: 11.05 करोड़; नमो भारत ऐप वित्तीय वर्ष 2025–26: 6.82 करोड़), जिनका मौद्रिक मूल्य ₹ 178.75 लाख था। एनसीआरटीसी ने लॉयल्टी पॉइंट देनदारियों पर विचार किए बिना सकल किराया वसूली की शत-प्रतिशत राशि को तत्काल राजस्व के रूप में मान्यता दी, जबकि यह कार्ड/ऐप के जरिए वर्तमान एकमुश्त भुगतान के आधार पर भविष्य की यात्राओं के लिए ग्राहक को दिए जाने वाले पृथक निष्पादन दायित्व की प्रकृति का है। अतः लेनदेन मूल्य को किराया सेवा तथा अन-रिडीम्ड लॉयल्टी पॉइंट्स के मध्य आबंटित किया जाना चाहिए, और लॉयल्टी पॉइंट्स को उनके भुनाने/समाप्त होने तक 'अनुबंध दायित्व' के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए। इसके परिणामस्वरूप परिचालन से राजस्व में ₹ 178.75 लाख का अधिक विवरण, चालू देनदारियों में ₹ 178.75 लाख का न्यून विवरण, तथा कर-पूर्व शुद्ध हानि में ₹ 178.75 लाख का न्यून विवरण हुआ है।	*इंड एएस (Ind AS) 115 के पैरा 31 के अनुसार, "कोई इकाई राजस्व को तब (या जैसे-जैसे) मान्यता देगी जब वह ग्राहक को किसी वचनबद्ध वस्तु या सेवा (अर्थात परिसंपत्ति) का अंतरण करके किसी निष्पादन दायित्व को पूरा करती है। किसी परिसंपत्ति का अंतरण तब (या जैसे-जैसे) माना जाता है जब ग्राहक उस परिसंपत्ति पर नियंत्रण प्राप्त कर लेता है"।* चूंकि लॉयल्टी पॉइंट्स केवल अतिरिक्त पारगमन सेवाएं प्रदान करते हैं, अतः यात्री को **नियंत्रण केवल वास्तविक यात्रा (सेवा वितरण) के समय ही** हस्तांतरित होता है। जब तक यात्री यात्रा संपन्न नहीं करता, तब तक भविष्य की परिवहन सेवा के निष्पादन के अतिरिक्त कोई पृथक मौद्रिक दायित्व अथवा पृथक प्रवर्तनीय विकल्प अधिकार अस्तित्व में नहीं होता है। अतः सेवा निष्पादन के समय राजस्व की मान्यता सीधे तौर पर मानक के अनुरूप है। अन्य संस्थाओं के विपरीत, जहां लॉयल्टी पॉइंट्स तत्काल नकद छूट में परिवर्तनीय होते हैं, एनसीआरटीसी की परिचालन व्यवस्था एवं इसकी लेखा नीति के खंड 2.13(क)(ii) के अंतर्गत लॉयल्टी पॉइंट्स कोई पृथक मौद्रिक छूट, नकद वापसी या हस्तांतरणीय वाउचर प्रदान नहीं करते हैं। इसके स्थान पर, वे केवल भविष्य की अतिरिक्त यात्रा के अधिकार का प्रतिनिधित्व करते हैं। लॉयल्टी कार्यक्रम की परिचालन संरचना को दृष्टिगत रखते हुए, एनसीआरटीसी द्वारा अपनाया गया लेखांकन उपचार Ind AS (इंड एएस) 115 (Ind AS (इंड एएस) 115 का पैरा 31) के राजस्व मान्यता सिद्धांतों के पूर्णतः अनुरूप है। अतः, राजस्व का कोई गलत प्रस्तुतिकरण अथवा लेखा मानकों का कोई गैर-अनुपालन नहीं हुआ है। तथापि, आगामी वित्तीय वर्ष में आवश्यकता पड़ने पर उचित परिवर्तनों हेतु सांविधिक लेखापरीक्षक के परामर्श से इस स्थिति की समीक्षा की जाएगी।
2.	**अन्य आय (टिप्पणी 24) - ₹ 27,525.39 लाख** उपर्युक्त राशि में सावधि जमा रसीदों (एफडीआर) पर अर्जित ₹ 6,182 लाख की ब्याज आय सम्मिलित है, जो वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान बहुपक्षीय एजेंसियों से प्राप्त ऋण के विरुद्ध पास थ्रू सहायता (पीटीए) के रूप में आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त निधियों से बनाई गई थीं। आवासन व शहरी कार्य मंत्रालय के निर्देशों (अगस्त 2026) के अनुसार, पीटीए सहित ऋणों के अल्पकालिक निवेश पर अर्जित ब्याज को संबंधित परिसंपत्तियों/परियोजना की लागत में पूंजीकृत की जाने वाली उधारी लागत के विरुद्ध समायोजित किया जाएगा। इसे पूंजीकृत उधारी लागत के विरुद्ध समायोजित करने के स्थान पर लाभ एवं हानि विवरण में 'आय' के रूप में मान्यता देने के फलस्वरूप वर्ष 2025-26 के लिए संयंत्र, संपत्ति एवं उपकरण (पीपीई) में ₹ 11,561 लाख (₹ 5,379 लाख - ब्याज आय 2024-25) का अधिक विवरण तथा अन्य आय/एफडीआर पर ब्याज आय में ₹ 6,182 लाख का अधिक	Ind AS (इंड एएस) 23 के पैरा 6 के अनुसार, "उधारी लागत" में Ind AS (इंड एएस) 109 (वित्तीय लिखत) में वर्णित प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करके परिकलित ब्याज व्यय सम्मिलित है। Ind AS (इंड एएस) 23 के पैरा 8 के अनुसार, कोई इकाई किसी अर्हक परिसंपत्ति के अधिग्रहण, निर्माण अथवा उत्पादन के लिए सीधे तौर पर उत्तरदायी उधारी लागत को उस परिसंपत्ति की लागत के भाग के रूप में पूंजीकृत करेगी। इकाई अन्य उधारी लागतों को उस अवधि में व्यय के रूप में मान्यता देगी जिसमें वे उपगत होती हैं। इसके अतिरिक्त, Ind AS (इंड एएस) 23 का पैरा 12 यह स्पष्ट करता है कि "जिस सीमा तक कोई इकाई विशेष रूप से किसी अर्हक परिसंपत्ति को प्राप्त करने के उद्देश्य से धन उधार लेती है, उस इकाई को पूंजीकरण के लिए पात्र उधारी लागत की राशि का निर्धारण उस अवधि के दौरान उस उधारी पर उपगत वास्तविक उधारी लागत में से उन उधारों के अस्थायी निवेश से प्राप्त किसी भी निवेश आय को घटाकर करना होगा"।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों (एसएफएस) पर प्रबंधन की टिप्पणियां		
ले. सं.	भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) की टिप्पणियां	प्रबंधन के उत्तर
	विवरण हुआ है। परिणामस्वरूप, वर्ष 2025-26 के लिए हानि को भी ₹ 6,182 लाख तक कम दर्शाया गया है तथा प्रतिधारित आय में ₹ 5,379 लाख का अधिक विवरण हुआ है। पूर्ववर्ती वर्षों (2021-22, 2022-23 एवं 2023-24) के लिए पीटीए निधि के अल्पकालिक निवेश पर अर्जित ब्याज से संबंधित सूचना के अभाव में, इसके प्रभाव का परिमाणीकरण नहीं किया जा सका। इसके अतिरिक्त, एनसीआरटीसी ने पीटीए हेतु पृथक बैंक खाता संधारित नहीं किया, जिसके कारण आवासन व शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों का भी उल्लंघन हुआ है। यह विषय वर्ष 2024-25 की पूरक लेखापरीक्षा के दौरान भी उठाया गया था, किंतु प्रबंधन द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है।	Ind AS (इंड एएस) 23 के उपर्युक्त प्रावधानों के अनुसार, उधारी के निवेश पर अर्जित ब्याज को पूंजीकृत उधारी लागत के विरुद्ध समायोजित किया जाना होता है। तथापि, टिप्पणी संख्या 23 "अन्य आय" के अंतर्गत दर्शाया गया **अर्जित ब्याज बहुपक्षीय वित्तपोषण एजेंसियों से प्राप्त उधारी पर अर्जित नहीं है।** यह ब्याज पास थ्रू सहायता (पीटीए), जिसे अग्रिम माना जाता है, तथा सावधि जमा में रखी गई आरक्षित एवं अधिशेष निधियों पर अर्जित ब्याज से संबंधित है। बहुपक्षीय ऋण प्रतिपूर्ति के आधार पर होते हैं, अर्थात ठेकेदारों को भुगतान के उपरांत भारत सरकार ऋणदाता एजेंसियों से ऋण राशि का दावा करती है। अतः, एनसीआरटीसी दिल्ली-मेरठ आरआरटीएस परियोजना के वित्तपोषण हेतु एशियाई विकास बैंक, एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक और न्यू डेवलपमेंट बैंक (एडीबी, एआईआईबी और एनडीबी) से भारत सरकार द्वारा अनुबंधित संप्रभु ऋणों के विरुद्ध बजटीय आबंटन के रूप में भारत सरकार से पीटीए प्राप्त करती है। पीटीए का उपयोग ठेकेदारों को भुगतान करने के लिए किया जाता है और उसके पश्चात भारत सरकार (सीएएए) द्वारा एडीबी और अन्य ऋणदाताओं के समक्ष दावे प्रस्तुत किए जाते हैं। तत्पश्चात एडीबी भारत सरकार को उपगत व्यय की प्रतिपूर्ति करता है। भारत सरकार को निधियों की प्रतिपूर्ति होने पर ही यह राशि एनसीआरटीसी की बहियों में उधारी में परिवर्तित होती है। विस्तारपूर्वक कहा जाए तो, आवासन व शहरी कार्य मंत्रालय से प्राप्त पीटीए को प्राप्ति के समय एनसीआरटीसी के लेखा बहियों में 'भारत सरकार से अग्रिम' के रूप में दर्ज किया जाता है। इस राशि का उपयोग पात्र परियोजना व्यय के लिए किया जाता है। चूंकि बजट के माध्यम से निधियां समय-समय पर प्राप्त होती हैं, अतः अधिशेष राशि को सामान्यतः एफडीआर अथवा फ्लेक्सी खातों में रखा जाता है तथा अल्पकालिक अवधि के लिए (अर्थात अग्रिम के उधारी में परिवर्तित होने से पूर्व) उस पर ब्याज आय प्राप्त होती है। पात्र व्यय का दावा बहुपक्षीय विकास बैंकों (एमडीबी) से किया जाता है तथा भारत सरकार के खाते में ऋण राशि के संवितरण पर, भारत सरकार से प्राप्त अग्रिम (पीटीए) को कम करते हुए एनसीआरटीसी के लेखा बहियों में बैक-टू-बैक आधार पर ऋण राशि को उधारी के रूप में मान्यता दी जाती है। अतः, Ind AS (इंड एएस) 23 पर आधारित लेखांकन उपचार के अनुसार, उक्त ब्याज को उधारी लागत में से घटाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि निधियों को उधारी के रूप में केवल तभी मान्यता दी जाती है जब ऋण भारत सरकार के खाते में संवितरित हो जाता है। **प्रसंगवश, यह मुद्दा सीएजी द्वारा पूर्व में भी (2021-22, 2022-23 और 2023-24) उठाया गया था और एनसीआरटीसी द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण के आधार पर इसे समाप्त कर दिया गया था।** वर्ष 2024-25 की लेखापरीक्षा टिप्पणियों के संबंध में, एनसीआरटीसी द्वारा पीटीए निधियों पर ब्याज के लेखांकन हेतु अपनाए जा रहे उपचार को स्पष्ट करते हुए पत्र दिनांक 15.07.2025 एवं 10.09.2025 के माध्यम से मामला आवासन व शहरी कार्य मंत्रालय के समक्ष उठाया गया था। तथापि, आवासन व शहरी कार्य मंत्रालय से आज तक

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों (एसएफएस) पर प्रबंधन की टिप्पणियां		
ले. सं.	भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) की टिप्पणियां	प्रबंधन के उत्तर
		इस संबंध में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है। वित्तीय वर्ष 2024-25 की वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में भी इस स्थिति से अवगत कराया गया था। उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में, इस मद पर पीपीई, अन्य आय और लाभ का कोई अधिक विवरण नहीं हुआ है।
3.	**मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय (टिप्पणी 28) - ₹ 40,443.34 लाख** उपर्युक्त राशि में ₹ 1,864.09 लाख की राशि सम्मिलित नहीं है, जो कंपनी की स्वयं की परिसंपत्ति नीति एवं लेखा नीति के साथ-साथ Ind AS (इंड एएस) 16 के पैरा 50 तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के उल्लंघन में गलत उपयोगी जीवनकाल पर विचार करने के कारण मूर्त परिसंपत्तियों पर लगाया गया कम मूल्यह्रास/परिशोधन है। लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि कंपनी ने 14.08.2025 को ₹ 2,77,632.67 लाख मूल्य की प्रमुख अवसंरचना परिसंपत्तियों का पूंजीकरण किया था। तथापि, गलत उपयोगी जीवनकाल लागू करने के कारण वास्तविक प्रभार्य मूल्यह्रास ₹ 4,714.05 लाख के स्थान पर ₹ 2,849.96 लाख का मूल्यह्रास लगाया गया, जिससे ₹ 1,864.09 लाख का कम मूल्यह्रास प्रभारित हुआ। अतः, इसके परिणामस्वरूप मूल्यह्रास में ₹ 1,864.09 लाख का न्यून विवरण तथा संयंत्र, संपत्ति एवं उपकरण (शुद्ध ब्लॉक) में ₹ 1,864.09 लाख का अधिक विवरण हुआ है, और तदनुसार वर्ष के लिए कर-पूर्व हानि भी समान सीमा तक कम दर्शाई गई है।	वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, दिल्ली-मेरठ नमो भारत कॉरिडोर पूर्णतः बनकर तैयार हो चुका है, और संपूर्ण कॉरिडोर का ₹ 25,253.62 करोड़ की राशि के लिए पूंजीकरण कर दिया गया है। वित्तीय वर्ष के दौरान पूंजीकृत परिसंपत्तियों पर ₹ 419.92 करोड़ का मूल्यह्रास/परिशोधन प्रभारित किया गया है। तथापि, अनजाने में ₹ 18.64 करोड़ की राशि का मूल्यह्रास कम प्रभारित हुआ था। सीएजी लेखापरीक्षा की सलाह के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2026-27 में आवश्यक संशोधन पहले ही कर दिया गया है।
4.	**अन्य व्यय (टिप्पणी 29) - ₹ 2,971.20 लाख** उपर्युक्त राशि में कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के अंतर्गत किए जाने वाले निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) दायित्व का प्रावधान सम्मिलित नहीं है। वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए सीएसआर दायित्व ₹ 323.41 लाख था तथा विगत वर्षों (2023-24 एवं 2024-25) का अव्ययित सीएसआर शेष ₹ 390.34 लाख था। तथापि, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135(5) की अपेक्षानुसार तथा Ind AS (इंड एएस) 37 के पैरा 14 के तहत प्रावधान किए जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2025–26 अथवा पूर्व अवधियों के लिए लाभ एवं हानि विवरण में कोई प्रावधान मान्यता प्राप्त नहीं किया गया था। अतः, इसके परिणामस्वरूप अन्य चालू देनदारियों और कर-पूर्व हानि में क्रमशः ₹ 713.75 लाख एवं ₹ 323.41 लाख का न्यून विवरण हुआ है तथा प्रतिधारित आय में ₹ 390.34 लाख का अधिक विवरण हुआ है। इसके अलावा, सांविधिक लेखा परीक्षक ने यह रिपोर्ट नहीं दी थी कि कंपनी ने तुलन पत्र की तारीख तक, इंड एएस 37 के प्रावधानों के अनुसार आवश्यक माने जाने वाले सीमा तक प्रावधान नहीं बनाया है। इस प्रकार, वैधानिक लेखा परीक्षक की रिपोर्टिंग उस हद तक अपर्याप्त है।	Ind AS (इंड एएस) 37 के पैरा 14 के अनुसार: "एक प्रावधान तभी मान्यता प्राप्त किया जाएगा जब: (क) किसी विगत घटना के परिणामस्वरूप इकाई का वर्तमान दायित्व (कानूनी या रचनात्मक) हो; (ख) इस बात की संभावना हो कि दायित्व के निपटान के लिए आर्थिक लाभ समाहित करने वाले संसाधनों का बहिर्वाह आवश्यक होगा; तथा (ग) दायित्व की राशि का एक विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सके। यदि ये शर्तें पूरी नहीं होती हैं, तो कोई प्रावधान मान्यता प्राप्त नहीं किया जाएगा"। उपर्युक्त प्रावधान के अनुसार, किसी भी प्रावधान को मान्यता देने के लिए तीनों शर्तों का पूरा होना आवश्यक है। वर्तमान मामले में, निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) गतिविधियां कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के तहत अधिदेशित एक विनियामक अनुपालन/सामाजिक योगदान का प्रतिनिधित्व करती हैं, न कि किसी ऐसे संविदात्मक ऋण या दायित्व का जो एनसीआरटीसी को आर्थिक लाभ प्रदान करता हो या उसमें आर्थिक लाभ समाहित हो। धारा 135(5) और 135(6) के अंतर्गत वैधानिक आवश्यकता विशेष रूप से अव्ययित सीएसआर निधियों के लिए व्यवस्था निर्धारित करती है (अर्थात, 6 महीने के भीतर निर्दिष्ट अनुसूची VII निधियों में अंतरण अथवा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 30 दिनों के भीतर चल रही परियोजनाओं के लिए एक अव्ययित सीएसआर खाते में अंतरण)। इस वैधानिक अंतरण व्यवस्था का अनुपालन लेखा मानकों के तहत कोई मानक देयता या प्रावधान उत्पन्न किए बिना विनियामक दायित्व का निपटान करता है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों (एसएफएस) पर प्रबंधन की टिप्पणियां		
ले. सं.	भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) की टिप्पणियां	प्रबंधन के उत्तर
		धारा 135 कंपनी को सीएसआर परियोजनाओं के लिए एक अनिवार्य प्रतिशत व्यय/आबंटित करने हेतु बाध्य करती है। तथापि, किसी दिए गए वित्तीय वर्ष में व्यय न होने की स्थिति में वास्तविक व्यय से पूर्व लाभ एवं हानि विवरण में लेखांकन व्यय या दायित्व सृजित करने के स्थान पर विशिष्ट वैधानिक उपचार (जैसे निदेशक मंडल की रिपोर्ट में प्रकटीकरण और अपेक्षित वैधानिक अंतरण) लागू होते हैं। **वास्तविक संविदात्मक प्रतिबद्धताओं या व्यय उपगत किए बिना दायित्व को मान्यता देने से लाभ एवं हानि विवरण पर समयपूर्व प्रभार पड़ेगा, जिससे उस अवधि का वित्तीय प्रस्तुतीकरण विकृत होगा।** चूंकि सीएसआर अनुपालन की वैधानिक प्रकृति Ind AS (इंड एएस) 37 के अंतर्गत प्रावधान को मान्यता देने के मानदंडों को पूरा नहीं करती है, इसलिए कंपनी ने वैधानिक अधिदेशों के अनुसार वित्तीय विवरणों और निदेशक मंडल की रिपोर्ट में उचित प्रकटीकरण के साथ वास्तविक व्यय के आधार पर सीएसआर व्यय का सही लेखांकन किया है। परिणामस्वरूप, कर-पूर्व हानि / अन्य चालू देनदारियों का कोई न्यून विवरण अथवा प्रतिधारित आय का कोई अधिक विवरण नहीं हुआ है। **उपर्युक्त लेखांकन उपचार का निगम द्वारा स्थापना के समय से ही निरंतर पालन किया जा रहा है।** **इसके अतिरिक्त, चूंकि प्रबंधन ने उक्त पैरा के अनुपालन में कोई कमी नहीं की है, इसलिए लेखापरीक्षक ने भी रिपोर्ट में किसी कमी का उल्लेख नहीं किया है।**
5.	**अन्य व्यापक आय – (₹ 472.89) लाख** उपर्युक्त राशि में ₹ 463.24 लाख की राशि सम्मिलित है जो कर्मचारी लाभों यथा उपदान (ग्रेच्युटी), सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ (पीआरएमबी) और अन्य से संबंधित बीमांकिक लाभ (दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन) है, तथा जिसे Ind AS (इंड एएस) 19 के पैरा 57(घ), 120(ग), 122 और 127(क) के अनुसार अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में मान्यता दी जानी थी। तथापि, चालू प्रावधान में ग्रेच्युटी, पीआरएमबी और अन्य (टिप्पणी 41.2(च)) के लिए बीमांकिक दायित्व के रूप में ₹ 92.33 लाख का प्रावधान करने के स्थान पर, चालू प्रावधानों में ₹ 463.24 लाख का सीधा मैनुअल जोड़ और लाभ एवं हानि विवरण से बाहर प्रतिधारित आय से ₹463.24 लाख की मैनुअल कटौती गलत तरीके से की गई। इस प्रकार, इसके परिणामस्वरूप चालू प्रावधानों में ₹ 463.24 लाख का अधिक विवरण तथा प्रतिधारित आय में ₹ 463.24 लाख का न्यून विवरण हुआ है। इसके अतिरिक्त, बीमांकिक लाभ को ओसीआई में धनात्मक आंकड़ों के स्थान पर ऋणात्मक आंकड़ों के रूप में दर्शाया गया है, जिससे कुल व्यापक आय ₹ 945.78 लाख कम दर्शाई गई है।	यह निवेदन है कि ₹ 463.24 लाख की राशि वर्ष के लिए ग्रेच्युटी, पीआरएमबी और अन्य के परिभाषित लाभ दायित्वों पर बीमांकिक लाभ (पुनर्मूल्यांकन) का प्रतिनिधित्व करती है, जैसा कि कंपनी के बीमांकक द्वारा मूल्यांकित किया गया है और टिप्पणी 41.2(ङ) पर प्रकट किया गया है। Ind AS (इंड एएस) 19 के पैरा 57(घ), 120(ग) और 122 के अनुसार, इस पुनर्मूल्यांकन को अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में मान्यता दी गई है और लाभ एवं हानि विवरण के माध्यम से नहीं भेजा गया है, जो कि Ind AS (इंड एएस) 19 के तहत सही उपचार है। **यह उल्लेख करना भी प्रासंगिक है कि टिप्पणी संख्या 41 में प्रावधान (चालू और गैर-चालू) तथा बीमांकिक लाभ/हानि को सही ढंग से सूचित किया गया है।** तथापि, बीमांकिक लाभ/हानि प्रावधान ₹ 463.24 लाख अनजाने में टिप्पणी संख्या 22 के तहत चालू प्रावधान में जोड़ दिया गया था, जिसे आगामी वित्तीय वर्ष में ठीक कर लिया जाएगा।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों (एसएफएस) पर प्रबंधन की टिप्पणियां

ले. सं.	भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) की टिप्पणियां	प्रबंधन के उत्तर
ख.	**वित्तीय स्थिति पर टिप्पणियां** **संयंत्र, संपत्ति एवं उपकरण (टिप्पणी 3) - ₹ 27,14,742.51 लाख** कंपनी को दिल्ली और मेरठ के मध्य 82.15 किमी लंबी क्षेत्रीय त्वरित पारगमन प्रणाली (आरआरटीएस) विकसित करने का अधिदेश दिया गया है। 31.03.2026 तक, आरआरटीएस प्रणाली को सार्वजनिक उपयोग हेतु विभिन्न खंडों को खोलने के लिए मेट्रो रेल संरक्षा आयुक्त (सीएमआरएस) से चरणबद्ध अनुमोदन प्राप्त हुआ, जिसका विवरण निम्नानुसार है:	*इंड एएस 16 (Ind AS 16) के पैरा 7 के अनुसार, "संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण (पीपीई) की किसी मद की लागत को केवल तभी 'परिसंपत्ति' (एसेट) के रूप में मान्यता दी जाएगी, यदि और केवल यदि:* यह संभाव्य हो कि उस मद से जुड़े भावी आर्थिक लाभ इकाई को प्राप्त होंगे; तथा उस मद की लागत को विश्वसनीयता से मापा जा सके।" इसके अतिरिक्त, इंड एएस 16 का पैरा 20 विशेष रूप से यह प्रावधान करता है कि निम्नलिखित लागतें संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण की किसी मद के बही-मूल्य (कैरिंग अमाउंट) में शामिल नहीं की जाती हैं: किसी ऐसी मद के संबंध में उपगत लागतें, जो प्रबंधन द्वारा आशयित रीति से प्रचालन में आने में सक्षम तो है, किन्तु उसे अभी उपयोग में लाया जाना शेष है अथवा जो पूर्ण क्षमता से कम पर प्रचालित की जा रही है; आरंभिक प्रचालन हानियां, जैसे कि वे हानियां जो मद के उत्पादन की मांग में क्रमिक वृद्धि के दौरान उपगत होती हैं; तथा इकाई के प्रचालनों के किसी भाग अथवा संपूर्ण प्रचालन के स्थानांतरण या पुनर्गठन की लागतें। यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि भारत के राष्ट्रपति ने दिनांक 7 मार्च 2019 के आदेश द्वारा कुल 82.15 कि.मी. लंबाई वाले दिल्ली–गाजियाबाद–मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस) कॉरिडोर के कार्यान्वयन हेतु ₹30,274 करोड़ की अनुमानित लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है। सरकारी स्वीकृति संपूर्ण दिल्ली–गाजियाबाद–मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस) कॉरिडोर के कार्यान्वयन के लिए दी गई है। अतः, एनसीआरटीसी (NCRTC) के लिए परिसंपत्ति में संपूर्ण स्वीकृत कॉरिडोर सम्मिलित है, जिसे जब तक पूर्ण न कर लिया जाए, तब तक इंड एएस 16 के पैरा 20 के अनुसार दी गई स्वीकृति के संदर्भ में 'परिसंपत्ति' नहीं माना जा सकता। दिल्ली–मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस) भारत की पहली क्षेत्रीय रेल परियोजना है, जिसे 180 किमी प्रति घंटे तक की गति और 160 किमी प्रति घंटे की प्रचालन गति के लिए डिज़ाइन किया गया है—ये ऐसे तकनीकी मानक हैं जिनका देश में रेल-आधारित शहरी-क्षेत्रीय प्रणाली हेतु पहले कभी प्रयास नहीं किया गया था। रोलिंग स्टॉक, सिग्नलिंग, विद्युत आपूर्ति और संरक्षा प्रणालियों में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों को अपनाना (जिनमें से कई को भारत में पहली बार लागू किया जा रहा है), इस परियोजना को पारंपरिक मेट्रो या रेल निर्माण की तुलना में काफी अधिक जटिल बनाता है। ऐसे कॉरिडोर के निर्माण के लिए मौलिक रूप से भिन्न निष्पादन दृष्टिकोण की आवश्यकता थी, जिसमें सिविल इंजीनियरिंग में उच्च परिशुद्धता, अंतरराष्ट्रीय संरक्षा मानकों का कड़ाई से अनुपालन, और कई नई प्रौद्योगिकियों का एकीकरण शामिल था। परियोजना के पैमाने, गति और तकनीकी गहनता को देखते हुए, इसने डिज़ाइन, निर्माण, प्रणाली एकीकरण और परियोजना प्रबंधन में अभूतपूर्व चुनौतियाँ प्रस्तुत कीं। यह संज्ञान में लिया जाना चाहिए कि कोर उप-प्रणालियों, जिनमें रोलिंग स्टॉक, सिग्नलिंग एवं ट्रेन नियंत्रण (ईटीसीएस लेवल-2), ओवरहेड

क्र. सं.	खंड	लंबाई (किलोमीटर में)	सीएमआरएस प्रमाणीकरण तिथि
1.	साहिबाबाद से दुहाई (दुहाई डिपो सहित)	17	26.06.2023
2.	दुहाई से मोदीनगर उत्तर	17	05.03.2024
3.	मोदीनगर से मेरठ दक्षिण उत्तर	8	31.05.2024
4.	साहिबाबाद से न्यू अशोक नगर	13	23.12.2024
5.	शताब्दी नगर	6.45	23.05.2025
6.	सराय काले खां से न्यू अशोक नगर और परतापुर से मोदीपुरम	20.7	14.08.2025

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों (एसएफएस) पर प्रबंधन की टिप्पणियां		
ले. सं.	भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) की टिप्पणियां	प्रबंधन के उत्तर
	सीएमआरएस (मेट्रो रेल संरक्षा आयुक्त) की स्वीकृति प्राप्त होने के उपरांत, संबंधित खंड यात्रियों को सेवाएं प्रदान करने हेतु उपलब्ध हो गया और तदनुसार उस खंड से संबद्ध आर्थिक लाभों का प्रवाह भी प्रारंभ हो गया। तथापि, एनसीआरटीसी ने परिचालनगत खंडों को उनके उपयोग में लाए जाने की तिथि से पूंजीकृत करने के स्थान पर मोदीपुरम डिपो स्टेशन को छोड़कर संपूर्ण खंड का पूंजीकरण केवल 14.08.2025 से किया, जो कि संपूर्ण खंड के सीएमआरएस प्रमाणीकरण की तिथि है। इसके अतिरिक्त, सीएमआरएस प्रमाणीकरण की तिथि से इन पूर्ण खंडों पर उपगत/आबंटित उधारी लागत सहित परिचालन व्यय और उनसे अर्जित राजस्व को निर्माणाधीन पूंजीगत कार्य के अंतर्गत पूंजीकृत करने के स्थान पर लाभ एवं हानि विवरण के माध्यम से दर्शाया जाना चाहिए था। प्रबंधन से बारंबार अनुरोध के बावजूद परिचालित खंड की पूर्ण लागत के परिमाणीकरण के अभाव में, लेखापरीक्षा ने मार्ग किलोमीटर (रूट किलोमीटर) के आधार पर सांकेतिक रूप से पूंजीकरण लागत की गणना की और उपर्युक्त कार्यपद्धति का उपयोग करते हुए संबंधित संयंत्र, संपत्ति एवं उपकरण (पीपीई) तथा मूल्यह्रास का निर्धारण किया। तदनुसार, संयंत्र, संपत्ति एवं उपकरण (पीपीई) में ₹ 57,894.09 लाख का अधिक विवरण तथा मूल्यह्रास में ₹ 57,894.09 लाख का न्यून विवरण हुआ, जिसमें वित्तीय वर्ष 2025-26 से संबंधित ₹ 15,833.60 लाख सम्मिलित हैं। परिणामस्वरूप, वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए हानि को ₹ 15,833.60 लाख तक कम दर्शाया गया तथा प्रतिधारित आय में ₹ 42,060.49 लाख का अधिक विवरण हुआ। कंपनी को प्रत्येक परिचालन खंड के उपयोग हेतु उपलब्धता की तिथि, अर्थात् संबंधित सीएमआरएस प्रमाणीकरण तिथि निर्धारित करने तथा उसके अनुसार संयंत्र, संपत्ति एवं उपकरण (पीपीई), मूल्यह्रास और उधारी लागत के खंड/चरण-वार पूंजीकरण की पुनः गणना करने की आवश्यकता है। इसके फलस्वरूप उत्पन्न महत्वपूर्ण पूर्व-अवधि त्रुटियों को तत्पश्चात इंड एएस 8 के अनुसार भूतलक्षी पुनर्प्रस्तुतीकरण के माध्यम से समायोजित किया जा सकता है। यह विषय वर्ष 2024-25 के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों पर भी उठाया गया था, तथापि कंपनी द्वारा इसका अनुपालन नहीं किया गया और मोदीपुरम डिपो स्टेशन को छोड़कर समस्त परिसंपत्तियों का पूंजीकरण केवल 14 अगस्त 2025 से किया गया, जो कि संपूर्ण खंड के सीएमआरएस प्रमाणीकरण की तिथि है।	उपकरण (ओएचई), स्वचालित किराया संग्रह (एएफसी), और अनुरक्षण डिपो शामिल हैं, को अविभाज्य संपूर्ण-परियोजना अनुबंधों के रूप में स्वीकृत, डिज़ाइन और निष्पादित किया गया था। कुछ मामलों में, जैसे कि पीईबी (PEB) कार्य अनुबंध उन खंडों तक विस्तृत हैं जो भिन्न-भिन्न तिथियों पर खोले गए हैं/खोले जाएंगे। पूर्ण किए गए चरणों के अधिकांश कार्य (रोलिंग स्टॉक, डिपो, सिग्नलिंग, ट्रैक) संपूर्ण कॉरिडोर के अभिन्न अंग हैं। अतः आंशिक रूप से प्रचालित खंड/खंडों पर साझा रेखीय प्रणालियों, डिपो उपयोगिताओं और केंद्रीकृत सिग्नलिंग नियंत्रण केंद्रों की लागत का विश्वसनीय रूप से निर्धारण नहीं किया जा सकता, जो कि इंड एएस 16 के पैरा 7(ख) की प्रयोज्यता के लिए एक अनिवार्य शर्त है। यदि कोई उपकरण/पीपीई/इकाई, जो किसी बृहद एकीकृत पीपीई परियोजना का एक घटक या हिस्सा है, निर्माण/अधिग्रहण के पश्चात प्रबंधन के आशय के अनुरूप प्रचालन करने में इसलिए सक्षम नहीं है क्योंकि शेष इकाइयाँ या सुविधाएं निर्माणाधीन या विकास के अधीन हैं, तो उक्त उपकरण/पीपीई को इंड एएस 16 के पैरा 7 के अनुसार परिसंपत्ति में अंतरित (पूंजीकृत) नहीं किया जा सकता। पीपीई के खंड/चरण-वार पूंजीकरण, मूल्यह्रास और उधार लागतों के संबंध में, लेखापरीक्षा (ऑडिट) द्वारा केवल रूट किलोमीटर के आधार पर पीपीई, मूल्यह्रास और संचित आय (रिटेन्ड अर्निंग्स) पर प्रभाव की कार्यप्रणाली और गणना सही लेखांकन दृष्टिकोण नहीं है, **क्योंकि पूरे कॉरिडोर में परियोजना की लागत एकसमान नहीं है (अर्थात भूमिगत खंडों में लागत एलिवेटेड, एट-ग्रेड तथा संयुक्त आरआरटीएस और एमआरटीएस मेट्रो स्टेशनों आदि की तुलना में अधिक है)। यह कार्यप्रणाली इंड एएस 16 में अनिवार्य रूप से अपेक्षित विश्वसनीय लागत प्रदान नहीं करेगी।** इसके अलावा, आरआरटीएस परियोजना में, सिस्टम पैकेजों को अन्य मेट्रो रेलों की तरह खंड-वार करने के बजाय पूरे कॉरिडोर के लिए एकीकृत रूप में डिज़ाइन किया गया है। दिल्ली–गाजियाबाद–मेरठ आरआरटीएस एक एकल, एकीकृत, उच्च-गति रेल नेटवर्क है जिसे एक अविभाज्य प्रणाली के रूप में तैयार और अधिप्राप्त किया गया है। परियोजना के पूर्ण होने से पूर्व प्रारंभिक परीक्षण/प्रचालन खंडों का संचालन करना प्रणाली एकीकरण और संरक्षा का परीक्षण करने के लिए आवश्यक है, न कि इंड एएस 16 के अंतर्गत किसी स्वतंत्र, स्व-संधारणीय परिसंपत्ति का सूचक। परियोजना में प्रयुक्त प्रौद्योगिकी की जटिल प्रकृति के कारण कॉरिडोर के निर्माण को चरणों में कार्यान्वित करने का निर्णय लिया गया था, ताकि अप्रत्याशित जोखिमों के प्रभाव को कम किया जा सके और शेष खंडों की कमीशनिंग को सुगम बनाया जा सके, डिज़ाइन समीक्षा और प्रूफ चेकिंग के अत्यधिक भार को कम किया जा सके, एकीकरण के प्रत्येक चरण में प्रौद्योगिकी का परीक्षण किया जा सके, आरआरटीएस को शेष खंडों में तैनात किए जाने वाले ओएंडएम (प्रचालन एवं अनुरक्षण) कर्मचारियों को कार्य के दौरान प्रशिक्षण प्रदान करने में सक्षम बनाया जा सके, आंशिक रूप से खुले खंडों के संचालन के दौरान आने वाली तकनीकी समस्याओं, बाधाओं और गड़बड़ियों का पता लगाकर उन्हें दूर किया जा सके तथा

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों (एसएफएस) पर प्रबंधन की टिप्पणियां		
ले. सं.	भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) की टिप्पणियां	प्रबंधन के उत्तर
		निर्माणाधीन शेष कॉरिडोर में उनका समाधान किया जा सके, प्रचालन पर विफलता के प्रभाव को न्यूनतम किया जा सके तथा बड़े पैमाने पर जनता को होने वाली असुविधा से बचा जा सके, आदि। आरंभिक खंडीय यात्री सेवाएं सीएमआरएस (मेट्रो रेल संरक्षा आयुक्त) की देखरेख में वास्तविक परिचालन परिस्थितियों में प्रणाली की संरक्षा को प्रमाणित करने के लिए आंशिक वाणिज्यिक परीक्षण/प्रदर्शन परिचालन के रूप में कार्य करती हैं। जब तक संपूर्ण कॉरिडोर (टर्मिनल अनुरक्षण डिपो सहित) चालू नहीं हो जाता, तब तक संपूर्ण परिसंपत्ति अपनी आशयित अंतिम क्षमता पर कार्य नहीं कर सकती। इसलिए, संपूर्ण प्रणाली के पूर्ण होने तक परियोजना निष्पादन लागत को पूंजीगत कार्य-प्रगति (सीडब्ल्यूआईपी) के अंतर्गत बनाए रखना मानक अवसंरचना परियोजना लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप है। चूंकि नेटवर्क संपूर्ण परियोजना पूर्ण होने से पूर्व एक आंशिक, परीक्षण-प्रदर्शन व्यवस्था के तहत संचालित हो रहा है, अतः इस प्रारंभिक अवधि के दौरान उपगत शुद्ध प्रचालन व्यय सीधे तौर पर संपूर्ण नेटवर्क को उसकी आशयित प्रचालन स्थिति में लाने से संबंधित हैं। संपूर्ण परियोजना पूंजीकरण से पूर्व शुद्ध अतिरिक्त प्रचालन लागतों को सीडब्ल्यूआईपी में समायोजित करना पूंजीगत परियोजना लेखांकन पद्धतियों के अनुरूप है, जहाँ संपूर्ण परिसंपत्ति में औपचारिक रूप से पूर्ण वाणिज्यिक प्रचालन अभी आरंभ नहीं हुआ है। दिल्ली–मेरठ कॉरिडोर परियोजना के तकनीकी पहलुओं तथा उपर्युक्त पैराग्राफों में उल्लिखित इंड एएस के प्रावधानों और निम्नलिखित कारकों को ध्यान में रखते हुए, एनसीआरटीसी ने पूंजीगत कार्य-प्रगति (सीडब्ल्यूआईपी) को अचल संपत्तियों में अंतरित न करने का निर्णय लिया— क. स्वीकृति पत्र में संपूर्ण परियोजना की लागत दी गई है और लागत को 'खंड-वार' नहीं दर्शाया गया है। ख. विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) भी समग्र रूप से परियोजना में सृजित की जाने वाली परिसंपत्ति मदों के संबंधित शीर्षों के अंतर्गत व्यय का विवरण प्रदान करती है और चरण-वार व्यय का कोई विभाजन प्रदान नहीं करती है। ग. ऋण समझौता भी संपूर्ण कॉरिडोर पर सृजित की जाने वाली परिसंपत्तियों के वित्तपोषण का प्रावधान करता है। घ. इस परियोजना की परिकल्पना दिल्ली और मेरठ के बीच निर्बाध सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी और कमीशन किए गए खंड, यदि अलग से देखे जाएं, तो दिल्ली और मेरठ के बीच निर्बाध सेवा प्रदान करने के उद्देश्य को पूरा नहीं करते हैं, तथा आंशिक रूप से खोले गए खंड सरकार/प्रबंधन द्वारा आशयित पूर्ण परिसंपत्ति का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। ङ. चरण-वार निर्माण की कमीशनिंग वास्तव में सरकार द्वारा स्वीकृत संपूर्ण कॉरिडोर को चालू करने के लिए एक पूर्व-कमीशनिंग गतिविधि है। च. ट्रैक, सिग्नलिंग, रोलिंग स्टॉक, फास्टनिंग, ट्रैक्शन, एएफसी आदि पूरे कॉरिडोर के लिए साझा सुविधाएं हैं और उनसे संबंधित लागत को खंड-वार/चरण-वार अलग नहीं किया जा सकता है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों (एसएफएस) पर प्रबंधन की टिप्पणियां		
ले. सं.	भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) की टिप्पणियां	प्रबंधन के उत्तर
		छ. भारत में पहली बार परखी जा रही इन नई प्रौद्योगिकियों के साथ इन उप-खंडों के संचालन का लाभ 160 किमी प्रति घंटे की परिचालन गति के साथ 100 किमी प्रति घंटे की औसत गति पर प्रचालन सहित प्रणाली की क्षमताओं को निर्धारित करेगा। ज. कमीशन किए गए खंड आबादी के एक नगण्य हिस्से को सेवा प्रदान करते हैं, जो कि यात्रियों की संख्या (राइडरशिप) से स्पष्ट है। अतः, इन खंडों के प्रचालन से कंपनी को कोई खास आर्थिक लाभ प्राप्त नहीं होता है। दिल्ली–मेरठ कॉरिडोर की क्षमता/क्षमता का वास्तविक लाभ तभी प्राप्त किया जा सकता है जब संपूर्ण दिल्ली–मेरठ कॉरिडोर परस्पर जुड़ जाए और प्रचालित हो जाए। इसके अलावा, पूरे कॉरिडोर के लिए डिज़ाइन किए गए सिस्टम-व्यापी अनुबंधों और पैकेजों के कारण इन खंडों की लागत केवल अनुमानित ही होगी। झ. इस कॉरिडोर में दो प्रमुख टर्मिनल हैं, अर्थात् मोदीपुरम (मेरठ) और सराय काले खां (दिल्ली), जिन्हें अगस्त 2025 में सीएमआरएस द्वारा प्रचालन दृष्टि से सुरक्षित प्रमाणित और संबद्ध किया गया है। इसके अलावा, मेरठ मेट्रो का इस प्रणाली के साथ एकीकरण भी एक महत्वपूर्ण कारक है। अपनी तरह का पहला एकीकरण होने के कारण, उक्त दो प्रमुख टर्मिनलों की कनेक्टिविटी और मेरठ मेट्रो के साथ एकीकरण पूरे कॉरिडोर के संचालन को प्रभावित करता है और स्वीकृति के अनुसार परियोजना को पूरा करने के लिए आवश्यक था। यह उल्लेख करना भी प्रासंगिक है कि जब किसी परिसंपत्ति को उसके आशयित उपयोग के लिए तैयार करने हेतु आवश्यक लगभग सभी गतिविधियाँ पूरी हो जाती हैं, तब लागत को उपयुक्त अचल परिसंपत्ति श्रेणी में अंतरित करने की एक अंतरराष्ट्रीय प्रथा भी है। पारदर्शिता के दृष्टिकोण से, कंपनी वार्षिक खातों के नोट संख्या 5.1 - "पूंजीगत कार्य-प्रगति का विवरण" में उपर्युक्त तथ्यों का पर्याप्त प्रकटीकरण करती रही है। **संयोगवश, यह बिंदु सीएंडएजी (नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक) द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 की पूरक लेखापरीक्षा के दौरान भी उठाया गया था। इसके उत्तर में, कंपनी ने उपर्युक्त लेखांकन व्यवहार का विस्तृत विवरण देते हुए एक उत्तर प्रस्तुत किया था, जिसे सीएंडएजी द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। बाद के वर्षों में भी इसी नीति का पालन किया गया है और वार्षिक खातों के नोट्स में इसका प्रकटीकरण किया गया है।** **वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान की गई लेखापरीक्षा टिप्पणियों (पैरा में संदर्भित) पर प्रबंधन के रुख से निदेशक मंडल (बीओडी) और वार्षिक आम बैठक (एजीएम) को तदनुसार अवगत करा दिया गया था।** उपर्युक्त तथ्यों, तकनीकी जटिलताओं और इंड एएस 16 के प्रावधानों के दृष्टिगत, प्रबंधन का यह सुविचारित मत है कि पूरे कॉरिडोर के पूर्ण होने से पूर्व आंशिक चरणों का प्रचालन विशुद्ध रूप से एक पूर्व-कमीशनिंग/परीक्षण चरण था और यह इंड एएस 16 के तहत व्यक्तिगत परिसंपत्ति मान्यता के योग्य नहीं था। *तदनुसार, कॉरिडोर के अंतिम हिस्से (सराय काले खां से न्यू अशोक*

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों (एसएफएस) पर प्रबंधन की टिप्पणियां		
ले. सं.	भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) की टिप्पणियां	प्रबंधन के उत्तर
		नगर तक और मेरठ दक्षिण से मोदीपुरम स्टेशन तक) के लिए सीएमआरएस प्रमाणन प्राप्त होने के उपरांत, जब गहन परीक्षण के बाद पूरे कॉरिडोर ने व्यापक प्रचालन तत्परता प्राप्त कर ली, तब लागू लेखांकन मानकों के अनुपालन में उसी तिथि को कुल परियोजना व्यय को पूंजीकृत कर दिया गया है। इस लेखांकन व्यवहार की सत्यता और वैधता, साथ ही पूर्ण पूंजीकरण के समय की पुष्टि सांविधिक लेखापरीक्षक द्वारा अपनी रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों के नोट 5.1(i) का संदर्भ देते हुए 'मामलों पर विशेष बल' (एम्फेसिस ऑफ मैटर) के रूप में निम्नानुसार की गई है: *"हम वित्तीय विवरणों के नोट 5.1(i) की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, जो दिल्ली और मेरठ को जोड़ने वाले 82.15 किमी लंबे नमो भारत रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस) कॉरिडोर के सफल समापन, चरणबद्ध कमीशनिंग और उसके बाद के पूंजीकरण को रेखांकित करता है। इसके पूर्ण एकीकरण से पूर्व, देश में 180 किमी प्रति घंटे की डिज़ाइन गति शुरू करने हेतु पारगमन प्रणाली में तैनात अत्याधुनिक, अपनी तरह की पहली रेल-आधारित प्रौद्योगिकियों का कड़ाई से मूल्यांकन और सत्यापन करने के लिए कॉरिडोर के विभिन्न हिस्सों को 21.10.2023, 08.03.2024, 18.08.2024 और 05.01.2025 को अलग-अलग चरणों में प्रचालित किया गया था।* संपूर्ण कॉरिडोर के लिए 14 अगस्त 2025 को मेट्रो रेल संरक्षा आयुक्त (सीएमआरएस) प्रमाणन औपचारिक रूप से प्राप्त होने के बाद, परियोजना ने व्यापक प्रचालन तत्परता हासिल की। परिणामस्वरूप, कंपनी ने लागू वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे और लेखांकन मानकों के पूर्ण संरेखण में 14 अगस्त 2025 को कुल परियोजना व्यय का पूंजीकरण किया। अंततः, पूरा कॉरिडोर 22.02.2026 को पूरी तरह प्रचालित हो गया है।" **कंपनी ने पूर्ण पारदर्शिता बनाए रखी है, सुदृढ़ वित्तीय प्रकटीकरण प्रदान किए हैं, और पूर्व सीएजी लेखापरीक्षा यानी वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान पूर्व में मूल्यांकित और स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप कार्य किया है।** चूंकि एनसीआरटीसी का लेखांकन व्यवहार इंड एएस 16 (अविभाज्य प्रणालीगत परिसंपत्तियां) और इंड एएस 23 के सिद्धांतों का पालन करता है और एक एकीकृत उच्च-गति रेल कॉरिडोर की वास्तविक तकनीकी स्थिति को दर्शाता है, इसलिए परिसंपत्ति के पूंजीकरण के संबंध में कोई पूर्व-अवधि त्रुटि (प्रायर-पीरियड एरर) नहीं है।
ग.1	**नकदी प्रवाह सम्बन्धी विवरण पर टिप्पणियां** **वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह** **पास थ्रू सहायता के विरुद्ध भारत सरकार (आवासन व शहरी कार्य मंत्रालय) से प्राप्त अग्रिम - (₹ 2,01,285.41) लाख** **एशियाई विकास बैंक से व्यवस्थित भारत सरकार से ऋण - ₹ 42,750 लाख** **एशियाई विकास बैंक (किश्त 3) से व्यवस्थित भारत सरकार से ऋण - ₹ 1,51,491.98 लाख**	Ind AS (इंड एएस) 7 के पैरा 17 के अनुसार, वित्तीय गतिविधियों से उत्पन्न होने वाले नकदी प्रवाह का पृथक प्रकटीकरण महत्वपूर्ण है क्योंकि यह इकाई को पूंजी प्रदाताओं द्वारा भविष्य के नकदी प्रवाह पर दावों का अनुमान लगाने में उपयोगी होता है। वित्तीय गतिविधियों से उत्पन्न होने वाले नकदी प्रवाह के उदाहरण निम्नलिखित हैं: (क) शेयर या अन्य इक्विटी लिखत जारी करने से प्राप्त नकद राशि; (ख) इकाई के शेयरों के अधिग्रहण या मोचन हेतु स्वामियों को नकद भुगतान;

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों (एसएफएस) पर प्रबंधन की टिप्पणियां		
ले. सं.	भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) की टिप्पणियां	प्रबंधन के उत्तर
	न्यू डेवलपमेंट बैंक से व्यवस्थित भारत सरकार से ऋण - ₹ 1,12,422.14 लाख **एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक से व्यवस्थित भारत सरकार से ऋण - ₹ 89,720.88 लाख** उपर्युक्त विवरण में आवासन व शहरी कार्य मंत्रालय से पास थ्रू सहायता (पीटीए) से (₹ 2,01,285.41) लाख को बहिर्वाह के रूप में दर्शाया गया है, जो कि नकद बहिर्वाह नहीं है बल्कि पीटीए के विरुद्ध अग्रिम के शेष में कमी है। एनसीआरटीसी को एशियाई विकास बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक और एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक से ऋण संवितरण लंबित रहने के दौरान पास थ्रू सहायता के रूप में आवासन व शहरी कार्य मंत्रालय से अवधि के दौरान ₹ 74,700 लाख का अग्रिम प्राप्त हुआ है। अतः, पास थ्रू सहायता और एडीबी, एनडीबी तथा एआईआईबी से व्यवस्थित भारत सरकार के ऋणों की राशि के गलत प्रस्तुतीकरण के कारण पास थ्रू सहायता के विरुद्ध भारत सरकार (आवासन व शहरी कार्य मंत्रालय) से प्राप्त अग्रिम में ₹ 2,75,985.41 लाख का न्यून विवरण हुआ है तथा एडीबी, एनडीबी और एआईआईबी से व्यवस्थित भारत सरकार के ऋणों में ₹ 2,75,985.41 लाख का अधिक विवरण हुआ है। यह मुद्दा वर्ष 2024-25 की पूरक लेखापरीक्षा के दौरान भी उठाया गया था, तथापि प्रबंधन द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है।	(ग) डिबेंचर, ऋण, नोट्स, बॉन्ड, बंधक और अन्य अल्पकालिक या दीर्घकालिक उधारियों को जारी करने से प्राप्त नकद राशि; (घ) उधार ली गई राशियों की नकद अदायगी; तथा (ङ) वित्त पट्टे से संबंधित बकाया देनदारी में कमी के लिए पट्टेदार द्वारा नकद भुगतान। एनसीआरटीसी दिल्ली-मेरठ आरआरटीएस परियोजना के वित्तपोषण हेतु बहुपक्षीय विकास बैंकों अर्थात एशियाई विकास बैंक (एडीबी), एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक (एआईआईबी) और न्यू डेवलपमेंट बैंक (एनडीबी) से भारत सरकार द्वारा अनुबंधित संप्रभु ऋणों के विरुद्ध बजटीय आबंटन के रूप में भारत सरकार से पीटीए प्राप्त करती है। ये बहुपक्षीय ऋण प्रतिपूर्ति के आधार पर हैं, जिसमें एमडीबी द्वारा अनुमोदित कार्यों पर व्यय करने के लिए आवश्यक धनराशि भारत सरकार द्वारा एनसीआरटीसी को पीटीए के रूप में प्रदान की जाती है। इस प्रकार प्राप्त पीटीए का उपयोग ठेकेदारों को भुगतान करने के लिए किया जाता है और उसके पश्चात एनसीआरटीसी द्वारा प्रतिपूर्ति के लिए सीएएए के माध्यम से एमडीबी के समक्ष दावे प्रस्तुत किए जाते हैं। ऋणदाता एजेंसियों द्वारा भारत सरकार को निधियों की प्रतिपूर्ति किए जाने पर ही भारत सरकार से प्राप्त अग्रिम (पीटीए) भारत सरकार (सीएएए) और एनसीआरटीसी के लेखा बहियों में उधारी में परिवर्तित होता है। यह ऋण अंश भारत सरकार द्वारा एनसीआरटीसी को बैक-टू-बैक आधार पर दिया जाता है। इन लेन-देन के लेखांकन को विस्तार से समझें तो, भारत सरकार (आवासन व शहरी कार्य मंत्रालय) से प्राप्त पीटीए को एनसीआरटीसी की बहियों में 'भारत सरकार से अग्रिम' के रूप में दर्ज किया जाता है। अग्रिम का उपयोग पात्र परियोजना व्यय के लिए किया जाता है। तत्पश्चात, पात्र व्यय का दावा एमडीबी से किया जाता है और भारत सरकार (सीएएए) के खाते में ऋण राशि के संवितरण पर, भारत सरकार से प्राप्त अग्रिम (पीटीए) को कम करते हुए एनसीआरटीसी के लेखा बहियों में बैक-टू-बैक आधार पर ऋण राशि को उधारी के रूप में मान्यता दी जाती है। यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि इन लेन-देन के परिणामस्वरूप इकाई की उधारी के आकार में परिवर्तन होता है और इस प्रकार Ind AS (इंड एएस) 7 के पैरा 6 के अनुसार ये वित्तीय गतिविधियों की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा Ind AS (इंड एएस) 7 के पैरा 17(ग) के अनुसार, वित्तीय गतिविधियों के अंतर्गत ऋण के संचलन का नकदी प्रवाह विवरण में पृथक प्रकटीकरण किया जाना अपेक्षित है। एनसीआरटीसी के प्रस्तुतीकरण के अनुसार तथा सीएजी के प्रेक्षण के अनुसार वित्तीय गतिविधि से नकद बहिर्वाह/अंतर्वाह के प्रस्तुतीकरण का प्रभाव निम्नानुसार है:

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों (एसएफएस) पर प्रबंधन की टिप्पणियां		
ले. सं.	भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) की टिप्पणियां	प्रबंधन के उत्तर

विवरण	एनसीआरटीसी द्वारा प्रतिवेदित	सीएजी के प्रेक्षण के अनुसार
पीटीए के विरुद्ध भारत सरकार (आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय) से अग्रिम	(2,01,285.41)	74,700.00
भारत सरकार से ऋण (एडीबी + एडीबी ट्रेंच 3 + एनडीबी + एआईआईबी)	3,96,385.00	1,20,399.59
शुद्ध वित्तपोषण अंतर्वाह (Net financing inflow)	1,95,099.59	1,95,099.59

एनसीआरटीसी के प्रस्तुतीकरण के अंतर्गत इन दोनों मदों के तहत प्रतिवेदित संयुक्त शुद्ध अंतर्वाह (कंबाइंड नेट इनफ्लो) ₹1,95,099.59 लाख है, तथा सीएजी द्वारा सुझाए गए समायोजन को लागू करने पर भी यह राशि यथावत ₹1,95,099.59 लाख ही रहती है। इससे यह स्पष्ट होता है कि इस प्रेक्षण से वित्तपोषण गतिविधियों से शुद्ध नकदी प्रवाह (नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज), नकदी एवं नकदी समतुल्यों में शुद्ध वृद्धि/(कमी), अथवा तुलन-पत्र (बैलेंस शीट) में प्रतिवेदित अंतिम नकदी एवं नकदी समतुल्य शेष में कोई परिवर्तन नहीं होता है। साथ ही, यह तुलन-पत्र के मुख्य भाग (फेस ऑफ द बैलेंस शीट) पर दर्शायी गई कुल उधारियों (टोटल बॉरोइंग्स) को भी प्रभावित नहीं करता है, क्योंकि वे ऋण खातों (लोन लेजर्स) से ली जाती हैं, न कि नकदी प्रवाह विवरण (कैश फ्लो स्टेटमेंट) से।

एनसीआरटीसी के वर्तमान प्रस्तुतीकरण के अनुसार, वित्तीय विवरणों में दर्शाए गए पीटीए (PTA) और उधारियों के संचलन (मूवमेंट) के अनुरूप पीटीए तथा उधारियां दोनों ही वास्तविक एवं सही स्थिति प्रदर्शित कर रहे हैं।

इसके अतिरिक्त, वर्ष के दौरान प्राप्त पीटीए अग्रिम की राशि का प्रस्तुतीकरण नोट 21 के व्याख्यात्मक नोट (एक्स्प्लैनेटरी नोट) में स्पष्ट रूप से प्रदान किया गया है। लेखा-पुस्तकों और नकदी प्रवाह विवरण में उपरोक्त प्रस्तुतीकरण का कंपनी द्वारा अपनी स्थापना के समय से ही निरंतर रूप से पालन किया जाता रहा है। अतः, अपने वित्तीय विवरणों में उपरोक्त संव्यवहार (ट्रांजेक्शन) के प्रकटीकरण (डिस्क्लोज़र) के संबंध में एनसीआरटीसी किसी भी प्रकार से त्रुटिपूर्ण नहीं है।

2.	**वित्तीय गतिविधियों से उत्पन्न शुद्ध नकदी - ₹ 3,36,205.91 लाख** **परिचालन गतिविधियों से उत्पन्न कुल नकदी - ₹ (1,18,101.60) लाख** उपर्युक्त राशि में गैर-नकदी मद के रूप में ₹ 9,127.78 लाख का प्रावधान सम्मिलित है, जो दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर हेतु स्वचालित किराया संग्रहण (एएफसी) प्रणाली के लिए नियुक्त रियायतग्राही को देय वार्षिकी है।	ठेकेदार को देय वार्षिकी एक वित्तीय देनदारी है, अतः इसे नकदी प्रवाह विवरण में वित्तीय गतिविधि के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। इसके अतिरिक्त, यदि लेखापरीक्षक द्वारा सुझाए गए उपर्युक्त प्रस्तुतीकरण पर विचार किया जाए और इसे वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह से बाहर रखकर गैर-नकदी मद के रूप में परिचालन पूंजी परिवर्तनों में समायोजन के अंतर्गत दिखाया जाए, तब भी **समग्र नकदी प्रवाह विवरण पर उपर्युक्त प्रस्तुतीकरण के कारण शुद्ध प्रभाव शून्य रहता है।**

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों (एसएफएस) पर प्रबंधन की टिप्पणियां		
ले. सं.	भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) की टिप्पणियां	प्रबंधन के उत्तर
2.	**वित्तीय गतिविधियों से उत्पन्न शुद्ध नकदी - ₹ 3,36,205.91 लाख** **परिचालन गतिविधियों से उत्पन्न कुल नकदी - ₹ (1,18,101.60) लाख** उपर्युक्त राशि में गैर-नकदी मद के रूप में ₹ 9,127.78 लाख का प्रावधान सम्मिलित है, जो दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर हेतु स्वचालित किराया संग्रहण (एएफसी) प्रणाली के लिए नियुक्त रियायतग्राही को देय वार्षिकी है। चूंकि, ठेकेदार को देय वार्षिकी एक गैर-नकदी मद है, अतः इसे वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह से बाहर रखा जाना चाहिए और परिचालन पूंजी परिवर्तनों में समायोजन के तहत दिखाया जाना चाहिए। इसके परिणामस्वरूप वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह में ₹ 9,127.78 लाख का अधिक विवरण हुआ है तथा परिचालन पूंजी परिवर्तनों से पूर्व परिचालन लाभ के साथ-साथ परिचालन गतिविधियों से उत्पन्न कुल नकदी में ₹ 9,127.78 लाख का न्यून विवरण हुआ है।	तथापि, लेखापरीक्षा की सलाह के अनुसार उपर्युक्त प्रस्तुतीकरण की समीक्षा अगले वित्तीय वर्ष में की जाएगी और यदि आवश्यक हुआ तो समुचित परिवर्तन किए जाएंगे।
घ.	**प्रकटीकरण पर टिप्पणियां** **स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण पर टिप्पणियां** **टिप्पणी संख्या 43 - परिसंपत्तियों का क्षीणन (इम्पेयरमेंट)** उपर्युक्त टिप्पणी में यह उल्लेख किया गया है कि, समीक्षा के आधार पर प्रबंधन का यह मत है कि कंपनी की गैर-वित्तीय परिसंपत्तियों का आर्थिक निष्पादन अपेक्षा से कम नहीं है और तुलन पत्र की तिथि तक कोई क्षीणन सूचक विद्यमान नहीं है। अतः, तुलन पत्र की तिथि तक किसी भी परिसंपत्ति का कोई क्षीणन नहीं हुआ है। तथापि, यह देखा गया है कि एनसीआरटीसी ने सराय काले खां (दिल्ली) से बावल (हरियाणा) तक प्रस्तावित भविष्य के आरआरटीएस कॉरिडोर के संरेखण (अलाइनमेंट) पर ₹ 5,020.41 लाख का व्यय किया था। तत्पश्चात, उक्त कॉरिडोर का संरेखण परिवर्तित कर दिया गया तथा संशोधित संरेखण को आवासन व शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा (सितंबर 2025 में) अनुमोदित किया गया। संरेखण में परिवर्तन क्षीणन का एक संकेत बनता है, जिसके लिए पूर्ववर्ती संरेखण पर उपगत व्यय के क्षीणन मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। अतः, टिप्पणी-43 में दिया गया प्रकटीकरण संरेखण में परिवर्तन से उत्पन्न होने वाले क्षीणन सूचक पर पर्याप्त रूप से विचार या प्रकटीकरण नहीं करता है। उपर्युक्त तथ्य का प्रकटीकरण न किए जाने से यह टिप्पणी उस सीमा तक अपूर्ण रह गई है।	पूर्व में, एरोसिटी से राजीव चौक के मध्य संरेखण गुड़गांव क्षेत्र में उद्योग विहार, अतुल कटारिया चौक और सेक्टर 17 स्टेशन से होकर गुजर रहा था। एनसीआरटीसी ने विभिन्न कार्यों (अतुल कटारिया चौक पर पिलर का निर्माण, सड़क चौड़ीकरण, जनोपयोगी सुविधाओं का स्थानांतरण, पाइल लोड टेस्ट आदि) के निष्पादन पर ₹ 5,020.41 लाख का व्यय किया था। संशोधित डीपीआर (सितंबर 2025) के अनुसार, संरेखण को साइबर सिटी और इफको चौक होते हुए एरोसिटी से राजीव चौक तक संशोधित किया गया है। सराय काले खां (दिल्ली) से बावल (हरियाणा) तक का आरआरटीएस कॉरिडोर अभी भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किया जाना शेष है। इसके उपयोग से अपेक्षित भावी आर्थिक लाभों अथवा पुराने संरेखण पर निर्मित संरचनाओं के निस्तारण के संबंध में निर्णय भारत सरकार द्वारा उक्त कॉरिडोर की स्वीकृति और कॉरिडोर के अंतिम डिजाइन/संरेखण के समय आगे की समीक्षा के उपरांत ही सुनिश्चित किया जा सकता है। अतः, जब तक कॉरिडोर की स्वीकृति प्राप्त नहीं हो जाती, तब तक इस व्यय को क्षीण नहीं माना जा सकता। अतः, प्रबंधन टिप्पणी संख्या 43 पर परिसंपत्ति के क्षीणन के प्रकटीकरण के संबंध में किसी भी प्रकार से त्रुटिपूर्ण नहीं है।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड

हस्ता./-
नमिता मेहरोत्रा
निदेशक (वित्त)
डीआईएन:07916304

हस्ता./-
शलभ गोयल
प्रबंध निदेशक
डीआईएन:08064525

दिनांक: 29.09.2026

स्टेकहोल्डर्स द्वारा कॉरिडोर के दौरों की एक झलक



स्पैनिश व्यावसायिक शिष्टमंडल ने की एनसीआरटीसी के प्रबंध निदेशक से मुलाक़ात



कैबिनेट सचिव एवं अन्य राज्यों के प्रमुख सचिवों ने किया कॉरिडोर का दौरा



एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इंवेस्टमेंट बैंक की अध्यक्ष ने किया कॉरिडोर का दौरा



रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने की नमो भारत में यात्रा



माननीय प्रधानमंत्री के सलाहकार ने किया नमो भारत कॉरिडोर का दौरा



एशियन डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष ने किया नमो भारत की आधुनिक सुविधाओं का अनुभव



कर्नाटक की मुख्य सचिव ने किया कॉरिडोर का दौरा



न्यू डेवलपमेंट बैंक की अध्यक्ष ने की महिला ट्रेन ऑपरेटर्स से मुलाक़ात

स्टेकहोल्डर इंगेजमेंट के लिए आयोजित सामुदायिक सहभागिता कार्यक्रमों की झलक



इनो मेट्रो प्रदर्शनी में नमो भारत की विशेषताओं से परिचित हुए अतिथि



विज़न कर्नाटका एक्सपो में नमो भारत की प्रदर्शनी



स्टेशन पर मनाया कारगिल विजय दिवस, वीर जवानों को अर्पित की श्रद्धांजलि



नमो भारत लाइव म्यूज़िकल फ्राइडेज़ में संगीत का आनंद लेते दर्शक



अर्बन मोबिलिटी इंडिया एग्ज़ीबिशन एवं एक्सपो में अतिथियों ने किया प्रदर्शनी का दौरा



क्रिसमस पर सेंटा क्लॉज़ ने दिया हरित परिवहन का संदेश



आनंद विहार नमो भारत स्टेशन पर आयोजित पुस्तक मेले में जुटे किताब प्रेमी



जेंडर सेंसटाइज़ेशन के प्रति जागरुकता के लिए आरंभ किया 'आकांक्षाओं के पंख' अभियान

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

सेवा में

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड के सदस्य

नई दिल्ली

समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा संबंधी रिपोर्ट

अभिमत

हमने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड ("समूह") के समेकित वित्तीय विवरणों का लेखा परीक्षा किया है, जिसमें 31 मार्च 2026 को उस तारीख को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए समेकित तुलन पत्र, लाभ और हानि का समेकित विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), नकदी प्रवाह का समेकित विवरण और इक्विटी में परिवर्तन से संबंधित समेकित विवरण शामिल है, और समेकित वित्तीय विवरणों के नोट्स जिसमें सामग्री लेखांकन नीति संबंधी जानकारी और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी का सारांश शामिल हैं।

हमारे मत में और हमारी जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के आधार पर, उपर्युक्त समेकित वित्तीय विवरण, कंपनी अधिनियम ("अधिनियम") के तहत आवश्यक जानकारी उसी प्रकार प्रदान करता है जैसा कि अपेक्षित है और यह कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015, यथासंशोधित, (इंड एएस) के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 और भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत अन्य लेखांकन सिद्धांतों के तहत निर्धारित भारतीय लेखांकन मानक के अनुरूप समूह के 31 मार्च 2026 तक की स्थिति के अनुसार और उस तारीख को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए लाभ सहित (अन्य व्यापक आय), नकदी प्रवाह और इसके इक्विटी में परिवर्तन के मामलों की स्थिति का एक सही और निष्पक्ष विवरण प्रदान करता है।

अभिमत का आधार

हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखापरीक्षा मानकों (एसए) के अनुसार लेखापरीक्षा किया। इन मानकों के अंतर्गत हमारे उत्तरदायित्वों का विस्तृत विवरण हमारी रिपोर्ट के समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक का उत्तरदायित्व भाग में दिया गया है। हम भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान ("आईसीएआई") द्वारा जारी आचार संहिता और अधिनियम एवं उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के तहत समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा से संबंधित नैतिक आवश्यकताओं के अनुसार समूह से स्वतंत्र हैं, और हमने इन आवश्यकताओं तथा आईसीएआई की आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक उत्तरदायित्वों का भी निर्वाह किया है। हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखापरीक्षा अभिमत के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

विषय पर जोर

1. हम वित्तीय विवरणों के टिप्पणी 5.1(i) की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, जिसमें दिल्ली और मेरठ को जोड़ने वाले 82.15 किमी लंबे नमो भारत रिजनल रेपिड ट्रांज़िट सिस्टम (आरआरटीएस) कॉरिडोर के सफलतापूर्वक पूर्ण होने, चरणबद्ध रूप से चालू किए जाने तथा तत्पश्चात् पूंजीकृत किए जाने का विवरण दिया गया है।

   इसके पूर्ण एकीकरण से पूर्व, देश में 180 किमी प्रति घंटा की अभिकल्पित गति के परिचालन की शुरुआत के लिए, पारगमन प्रणाली में प्रयुक्त अत्याधुनिक एवं अपनी तरह की पहली रेल-आधारित प्रौद्योगिकियों का कठोरतापूर्वक परीक्षण एवं सत्यापन करने हेतु, कॉरिडोर के विभिन्न भागों को दिनांक 21.10.2023, 08.03.2024, 18.08.2024 तथा 05.01.2025 को अलग-अलग चरणों में परिचालित किया गया। संपूर्ण कॉरिडोर के लिए मेट्रो रेल सुरक्षा आयुक्त (सीएमआरएस) से दिनांक 14 अगस्त 2025 को औपचारिक प्रमाणन प्राप्त होने के पश्चात् परियोजना ने व्यापक परिचालन तत्परता प्राप्त कर ली। परिणामस्वरूप, कंपनी ने लागू वित्तीय रिपोर्टिंग ढाँचे और लेखांकन मानकों के पूर्ण अनुपालन में दिनांक 14 अगस्त 2025 को परियोजना के कुल व्यय को पूंजीकृत किया। अंततः, संपूर्ण कॉरिडोर को दिनांक 22.02.2026 को परिचालित कर दिया गया है।

2. टिप्पणी संख्या 8 में दिए गए व्याख्यात्मक नोट में उल्लेख किया गया है कि दिनांक 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए आस्थगित कर परिसंपत्ति को मान्यता नहीं दी गई है। इसके अतिरिक्त, भविष्य में पर्याप्त करयोग्य लाभ उपलब्ध होने के संबंध में विद्यमान अनिश्चितता को ध्यान में रखते हुए, दिनांक 31 मार्च 2025 तक मान्यता प्राप्त आस्थगित कर परिसंपत्तियों (नेट) की वहन राशि को चालू वर्ष में अमान्य कर दिया गया है, ताकि आस्थगित कर परिसंपत्तियों के लाभ का उपयोग किया जा सके।

   उपर्युक्त मामलों के संबंध में हमारी राय अपरिवर्तित है।

समेकित वित्तीय विवरणों और उन पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के अतिरिक्त अन्य जानकारी

होल्डिंग कंपनी के निदेशक मंडल की अन्य जानकारी तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अन्य जानकारी में बोर्ड की रिपोर्ट में शामिल जानकारी, जिसमें बोर्ड की रिपोर्ट के अनुलग्नक

और कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट शामिल हैं, लेकिन इसमें समेकित वित्तीय विवरण और उस पर हमारी लेखा परीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है, जिसके इस लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की तारीख के बाद हमें उपलब्ध कराए जाने की उम्मीद है।

हमारे अभिमत में समेकित वित्तीय विवरणों पर अन्य जानकारी शामिल नहीं है और हम उस पर किसी भी प्रकार का आश्वासन निष्कर्ष व्यक्त नहीं करेंगें।

समेकित वित्तीय विवरणों के हमारे लेखा परीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी है कि जब ऊपर बताई गई अन्य जानकारी उपलब्ध हो तो उसे पढ़ें और ऐसा करते समय, इस बात पर विचार करें कि क्या अन्य जानकारी समेकित वित्तीय विवरणों या हमारे लेखा परीक्षा के दौरान प्राप्त ज्ञान के साथ किस हद तक असंगत है या अन्यथा किस हद तक गलत बताई गई प्रतीत होती है।

यदि हमारे द्वारा किए गए कार्य के आधार पर हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इस अन्य जानकारी में कोई महत्वपूर्ण गलत बयानी है, तो हमें उस तथ्य की रिपोर्ट करने की आवश्यकता है। इस संबंध में हमारे पास रिपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है।

समेकित वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

होल्डिंग कंपनी के निदेशक मंडल अधिनियम की धारा 134(5) में उल्लिखित मामलों के लिए उत्तरदायी है, जो कि इन समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी से संबंधित हैं, जो समूह की वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन, इक्विटी में परिवर्तन और नकदी प्रवाह का सही और निष्पक्ष विवरण प्रस्तुत करते हैं, जो भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) और भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत अन्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार हैं। इस उत्तरदायित्व में समूह की परिसंपत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं की रोकथाम एवं उसका पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा अभिलेखों का रखरखाव; उपयुक्त लेखा नीतियों का चयन एवं अनुप्रयोग; उचित एवं विवेकपूर्ण निर्णय एवं अनुमान लगाना; तथा पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का निर्माण, कार्यान्वयन एवं रखरखाव शामिल है, जो समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी एवं प्रस्तुति से संबंधित लेखा अभिलेखों की सटीकता एवं पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से कार्य कर रहे हों, ताकि समेकित वित्तीय विवरणों का सही और सटीक रूप प्रस्तुत हो और वे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हुई किसी भी प्रकार की महत्वपूर्ण गलत बयानों से मुक्त हों।

समेकित वित्तीय विवरण तैयार करते समय, समूह में शामिल कंपनियों के संबंधित निदेशक मंडल संबंधी संस्थाओं की निरंतरता की क्षमता का आकलन करने, लागू होने पर संचालन से संबंधित मामलों का खुलासा करने और संचालन के आधार पर लेखांकन करने के लिए उत्तरदायी है, जब तक कि संबंधित निदेशक मंडल अपने संबंधित संस्थाओं को परिसमाप्त करने या संचालन बंद करने का उद्देश्य न रखता हो, या उसके पास ऐसा करने के अलावा कोई व्यावहारिक विकल्प न हो।

समूह में शामिल कंपनियों के संबंधित निदेशक मंडल, समूह की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए भी जिम्मेदार हैं।

समेकित वित्तीय विवरणों के लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक का उत्तरदायित्व

हमारा उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि समेकित वित्तीय विवरण समग्र रूप से धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण किसी भी प्रकार की महत्वपूर्ण गलत बयानों से मुक्त हैं, और एक लेखापरीक्षक के रिपोर्ट को जारी करना है जिसमें हमारा अभिमत शामिल हो। उचित आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि एसए के अनुसार की गई लेखापरीक्षा में हमेशा महत्वपूर्ण गलत बयानों का पता लग जाएगा। गलत बयान धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो सकती हैं और इन्हें महत्वपूर्ण माना जाता है यदि, व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से, उपयोगकर्ताओं द्वारा इन वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए आर्थिक निर्णयों पर उचित रूप से प्रभाव पड़ने की उम्मीद है।

एसए के अनुसार लेखापरीक्षा के भाग के रूप में, हम पूरे लेखापरीक्षा के दौरान पेशेवर विवेक का प्रयोग करते हैं और पेशेवर संशय बनाए रखते हैं। हम निम्नलिखित का भी ध्यान रखते हैं:

- वित्तीय विवरणों में धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण होने वाली महत्वपूर्ण गलत बयानों के जोखिमों की पहचान और मूल्यांकन करना, उन जोखिमों के अनुरूप लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को तैयार करना और उनका निष्पादन करना, तथा हमारे अभिमत का आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करना। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप होने वाली महत्वपूर्ण गलत बयानों का पता न लगा पाने की जोखिम त्रुटि के परिणामस्वरूप होने वाली जोखिम की तुलना में अधिक होती है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, मिथ्या प्रस्तुति या आंतरिक नियंत्रण का उल्लंघन शामिल हो सकता है।
- लेखापरीक्षा से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना ताकि परिस्थितियों के अनुरूप उपयुक्त लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं तैयार की जा सकें। अधिनियम की धारा 143(3)(i) के तहत, समूह के पास पर्याप्त आंतरिक

वित्तीय नियंत्रण प्रणाली मौजूद है या नहीं और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता पर अपना मत व्यक्त करना भी हमारा उत्तरदायित्व है।

- प्रबंधन द्वारा अपनाई गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और लेखांकन अनुमानों तथा संबंधित खुलासों की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करना।
- लेखापरीक्षा प्रणाली के प्रबंधन द्वारा उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकालना और प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्यों के आधार पर यह निर्धारित करना कि क्या ऐसी कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद है जो उन घटनाओं या स्थितियों से संबंधित है जिनसे समूह की निरंतर संचालन क्षमता पर गंभीर संदेह उत्पन्न हो सकता है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में समेकित वित्तीय विवरणों में संबंधित खुलासों की ओर ध्यान आकर्षित करना होगा या, यदि ऐसे खुलासे अपर्याप्त हैं, तो अपने अभिमत में संशोधन करना होगा। हमारे निष्कर्ष हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्यों पर आधारित हैं। हालांकि, भविष्य की घटनाओं या स्थितियों के कारण कंपनी को निरंतर संचालन बंद करना पड़ सकता है।
- वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन करना, जिसमें खुलासे भी शामिल हैं, और यह भी देखना कि क्या समेकित वित्तीय विवरण ने अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं को इस प्रकार से प्रस्तुत किया है जिससे निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त हो सके।

हम लेखापरीक्षा के नियोजित दायरे और समय-सीमा के साथ-साथ महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों, जिनमें आंतरिक नियंत्रण में पाई जाने वाली कोई भी महत्वपूर्ण कमियां शामिल हैं, के संबंध में प्रशासन के प्रभारियों के साथ बातचीत की है।

हम प्रशासन के प्रभारियों को यह बयान भी प्रदान करते हैं कि हमने स्वतंत्रता से संबंधित प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है, और उनके साथ उन सभी संबंधों और अन्य मामलों के बारे में बताया है जिन्हें हमारी स्वतंत्रता पर उचित रूप से प्रभाव डालने वाला माना जा सकता है, और जहां लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपायों के बारे में भी जानकारी दी है।

अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. अधिनियम की धारा 143(3) के अनुसार, हमारे लेखा परीक्षा के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं कि:

   क) हमने अपने लेखा परीक्षा के उद्देश्यों के लिए आवश्यक सभी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं, जो हमारे ज्ञान और विश्वास के अनुसार आवश्यक थे;

   ख) हमारे मत में, समूह द्वारा कानून के अनुसार अपेक्षित उचित लेखा-पुस्तकों का रखरखाव किया गया है, जैसा कि उन पुस्तकों की हमारी जांच से प्रतीत होता है;

   ग) इस रिपोर्ट में वर्णित तुलन पत्र, अन्य व्यापक आय सहित लाभ और हानि विवरण, इक्विटी में परिवर्तन का विवरण और नकदी प्रवाह का विवरण - लेखा पुस्तकों के अनुरूप हैं;

   घ) हमारे मत में, उपर्युक्त समेकित वित्तीय विवरण कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के तहत विनिर्दिष्ट इंड एएस का अनुपालन करते हैं।

   ङ) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164(2) के प्रावधान लागू नहीं होंगे क्योंकि समूह एक सरकारी कंपनी है।

   च) समूह की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता के संबंध में जानकारी के लिए हमारी अलग रिपोर्ट "अनुलग्नक क" में देखें।

   छ) कंपनी (लेखापरीक्षा एवं लेखा परीक्षक) नियम, 2014, यथासंशोधित के नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारे अभिमत में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार:

   - समूह ने अपने वित्तीय विवरणों में लंबित मुकदमों के प्रभाव का खुलासा किया है (नोट 38.2 का अवलोकन करें)।
   - समूह के पास व्युत्पन्न संविदाएं सहित कोई भी दीर्घकालिक संविदा नहीं थी, जिनके लिए कोई भी महत्वपूर्ण संभावित नुकसान हो सकता था।
   - समूह द्वारा निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष में कोई भी राशि अंतरित करने की आवश्यकता नहीं थी।
   - प्रबंधन ने यह दर्शाया है कि, अपनी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, खातों के नोटों में बताई गई बातों के अलावा: -

     I. समूह द्वारा किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को (चाहे उधार ली गई धनराशि या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य प्रकार की धनराशि से) कोई धनराशि अग्रिम या उधार या निवेश नहीं की गई है, जिसमें विदेशी संस्था ("मध्यवर्ती संस्थाएं") भी शामिल है, इस समझ के साथ कि मध्यस्थ संस्थाएं, चाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, समूह द्वारा या उसकी ओर से किसी

भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं ("अंतिम लाभार्थियों") को उधार या निवेश करेगा या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इस प्रकार का कुछ भी प्रदान करेगा।

II. समूह को किसी भी व्यक्ति या संस्था से कोई धनराशि प्राप्त नहीं हुआ है, जिसमें विदेशी संस्था ("वित्तपोषण पक्ष") भी शामिल है, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, कि समूह, चाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, वित्तपोषण पक्ष (अंतिम लाभार्थियों) द्वारा या उनकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को ऋण देगी या उनमें निवेश करेगी या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इस प्रकार का कुछ भी प्रदान करेगी।

III. इन परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त समझी गई लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें यह विश्वास हो कि नियम 11(ङ) के उपखंड (i) और (ii) के अंतर्गत दिए गए निरूपणों में, जैसा कि ऊपर (i) और (ii) में बताया गया है, कोई महत्वपूर्ण गलत बयान शामिल है।

- वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान समूह द्वारा कोई लाभांश घोषित या भुगतान नहीं किया गया है।

ज) कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 3(1) के परंतुक के प्रावधान कंपनी पर केवल 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी हैं; अतः कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11(छ) के अंतर्गत रिपोर्टिंग 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए लागू है।

हमारी जाँच, जिसमें परीक्षण के आधार पर की गई जाँच भी शामिल थी, के आधार पर कंपनी (इसकी सहायक कंपनी सहित) ने अपनी लेखा-पुस्तकें बनाए रखने के लिए ऐसे लेखांकन सॉफ्टवेयर का उपयोग किया है, जिसमें लेखापरीक्षा-अनुसरण (एडिट लॉग) सुविधा उपलब्ध है एवं उक्त सुविधा का उपयोग सॉफ्टवेयर में दर्ज सभी लेन-देन के लिए पूरे वर्ष किया गया है और लेखापरीक्षा-अनुसरण सुविधा के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। साथ ही, अभिलेखों के परिरक्षण से संबंधित वैधानिक अपेक्षाओं के अनुसार कंपनी द्वारा लेखापरीक्षा-अनुसरण को सुरक्षित रखा गया है।

झ) भारत सरकार के कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 05.06.2015 के अधिसूचना संख्या जीएसआर 463 (ई) के अनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 सरकारी कंपनियों पर लागू नहीं होती है।

2. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(11) के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा जारी कंपनी लेखा परीक्षक की रिपोर्ट (Companies (Auditor's Report) Order, 2020), जिसे "CARO" कहा जाता है, के पैराग्राफ 3(xxi) और 4 में निर्दिष्ट मामलों के संबंध में, जिन्हें लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किया जाना आवश्यक है, हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा कंपनी के समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल कंपनी और उसकी सहायक कंपनियों के संबंध में हमारे द्वारा जारी CARO रिपोर्टों के आधार पर, जिन पर CARO के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू होती है, हम यह रिपोर्ट करते हैं कि इन CARO रिपोर्टों में कोई भी योग्यता संबंधी टिप्पणी अथवा प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है, सिवाय होल्डिंग कंपनी के खंड vii (b) के।

3. अधिनियम की धारा 143(5) के अनुसार और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

क्र. सं.	निर्देश	लेखापरीक्षक का उत्तर
(i)	कंपनी द्वारा प्रत्यक्ष रूप से या ट्रस्टों के माध्यम से कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के बाद के लाभों के लिए किए गए सभी निवेशों सूचीबद्ध और गैर-सूचीबद्ध दोनों के उचित मूल्यांकन का आकलन करें। इसमें मूल्यांकन पद्धतियों का सत्यापन, औद्योगिक मानक एवं सेवा मानक (इंड एएस) के साथ निरंतरता सुनिश्चित करना और सहायक दस्तावेजों की समीक्षा करना शामिल है। लेखा परीक्षक मूल्यांकन दृष्टिकोण, इसकी तर्कसंगतता और लागू विनियमों के अनुपालन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी प्रदान करेगा और किसी भी महत्वपूर्ण विचलन या गलत बयान की रिपोर्ट करेगा।	लागू नहीं

क्र. सं.	निर्देश	लेखापरीक्षक का उत्तर
(ii)	क्या कंपनी के पास सभी लेखांकन लेनदेन को आईटी प्रणाली के माध्यम से संसाधित करने की व्यवस्था है? यदि हां, तो क्या इस प्रणाली और कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया के साथ-साथ साइबर सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण नियंत्रणों की समीक्षा की गई है और यदि कोई महत्वपूर्ण विसंगतियां पाई गई हैं, तो क्या उनकी उचित रिपोर्टिंग की गई है? आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने से खातों की सत्यनिष्ठा पर पड़ने वाले प्रभावों के साथ-साथ वित्तीय प्रभावों की भी रिपोर्ट की जा सकती है।	समूह के पास आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेन-देन के प्रसंस्करण की व्यवस्था विद्यमान है। कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए प्रयुक्त एसएपी ईआरपी प्रणाली का साइबर सुरक्षा लेखापरीक्षण प्रत्येक वर्ष सीईआरटी- इन द्वारा सूचीबद्ध एजेंसी से कराया जाता है। सभी लेखांकन लेन-देन का लेखांकन आईटी प्रणाली के माध्यम से किया जाता है तथा लेखाओं की सत्यनिष्ठा पर इसका कोई वित्तीय प्रभाव नहीं है।
(iii)	क्या केंद्र/राज्य सरकार या उसकी एजेंसियों से विशिष्ट स्कीमों के लिए प्राप्त/प्राप्य निधियों (अनुदान/सब्सिडी आदि) का लेखा-जोखा लागू लेखा मानकों या नियमों के अनुसार उचित रूप से किया गया था और क्या प्राप्त निधियों का उपयोग उनकी नियमों एवं शर्तों के अनुसार किया गया था? क्या प्राप्त अनुदानों पर अर्जित ब्याज का लेखा-जोखा अनुदान की नियमों एवं शर्तों के अनुसार किया गया है? विचलन के मामलों की सूची बनाएं।	हाँ, ऐसे सभी लेन-देन का उचित रूप से लेखांकन किया गया है तथा उन्हें संबंधित नियमों और शर्तों के अनुसार उपयोग में लाया गया है।
(iv)	क्या कंपनी ने प्रमुख जोखिम क्षेत्रों की पहचान कर ली है? यदि हां, तो क्या कंपनी ने इन जोखिमों को कम करने के लिए कोई जोखिम प्रबंधन नीति बनाई है? यदि हां, तो (क) क्या जोखिम प्रबंधन नीति वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है? (ख) क्या कंपनी ने अपनी डेटा परिसंपत्तियों की पहचान कर ली है और क्या उनका उचित मूल्यांकन किया गया है?	समूह के पास पहचाने गए प्रमुख जोखिमों को कम करने के लिए जोखिम प्रबंधन नीति है। जोखिम प्रबंधन नीति का निर्माण वैश्विक सर्वोत्तम पद्धतियों को ध्यान में रखते हुए किया गया है तथा सभी जोखिमों का उनके प्रभाव के आधार पर विधिवत मूल्यांकन/वर्गीकरण किया गया है।
(v)	क्या कंपनी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 और सेबी, निवेश और सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, सार्वजनिक उद्यम विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण, सीईआरटी-आईएन, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के अन्य लागू नियमों और विनियमों का अनुपालन कर रही है? यदि नहीं, तो विचलन के मामलों को उजागर किया जा सकता है।	समूह जहाँ कहीं लागू हों, इन नियमों और विनियमों के सभी प्रावधानों का अनुपालन कर रहा है।

कृते **श्याम सुन्दर सिंघल एंड कंपनी**
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण सं.: 000544N

हस्ता./-
ज्योति अग्रवाल
साझेदार
सदस्यता सं. 098918
यूडीआईएन: 26098918RTPBFS2985

दिनांक: 10.07.2026
स्थान: नई दिल्ली

समेकित वित्तीय विवरणों पर कंपनी की समतिथि की स्वतंत्र लेखा परीक्षक रिपोर्ट का अनुलग्नक 'क'

कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (i) के तहत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

हमने 31 मार्च, 2026 को **राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड** के वित्तीय रिपोर्टिंग के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा की है, जो उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए समूह के समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के साथ की गई है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

होल्डिंग कंपनी के निदेशक मंडल भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान ("आईसीएआई") द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए समूह द्वारा निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की स्थापना और रखरखाव के लिए उत्तरदायी है। इन उत्तरदायित्वों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है जो कंपनी की नीतियों के अनुपालन, अपनी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पहचान, लेखांकन अभिलेखों की सटीकता और पूर्णता, और कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत आवश्यक विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी सहित अपने व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे।

लेखापरीक्षकों का उत्तरदायित्व

हमारा उत्तरदायित्व है कि हम अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर समूह के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की प्रभावशीलता पर एक अभिमत प्रस्तुत करें। हमने आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट ("मार्गदर्शन नोट") और आईसीएआई द्वारा जारी लेखापरीक्षण के मानकों के अनुसार अपनी लेखापरीक्षा की है और इसे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के तहत निर्धारित माना जाता है, जो आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा के लिए लागू है, और दोनों को भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी किया गया है। उन मानकों और मार्गदर्शन नोट की आवश्यकता है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन करें और इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने हेतु लेखापरीक्षा के लिए योजना बनाएं और उसे क्रियान्वित करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित किया गया था और उसे बनाए रखा गया था और यदि ऐसे नियंत्रण सभी महत्वपूर्ण मामलों में प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे।

हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग और उनकी परिचालन प्रभावशीलता पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाएं करना शामिल है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, यह आकलन करना कि क्या कोई महत्वपूर्ण कमी मौजूद है, और इस आकलन की गई जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन और परिचालन प्रभावशीलता की जांच और मूल्यांकन करना शामिल है। चयनित प्रक्रियाएं लेखा परीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण गलत बयानी के जोखिमों का आकलन शामिल है, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो।

हमारा मानना है कि हमें जो लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, वे वित्तीय रिपोर्टिंग पर समूह की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी लेखापरीक्षा अभिमत प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जो सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाहरी उद्देश्यों के लिए समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने और वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिज़ाइन की गई है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं जो: (1) रिकॉर्ड के रखरखाव से संबंधित है जो उचित विस्तार में, समूह की संपत्तियों के लेनदेन और निपटान को सटीक और निष्पक्ष रूप से दर्शाता है; (2) यह उचित आश्वासन प्रदान करें कि सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार समेकित वित्तीय विवरण तैयार

करने के लिए आवश्यक रूप से लेन-देन को रिकॉर्ड किए जाते हैं, और समूह की प्राप्य और व्यय केवल समूह के प्रबंधन और निदेशकों की मंज़ूरी के अनुसार किए जा रहे हैं; और (3) समूह की परिसंपत्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या निपटान की रोकथाम या समय पर पता लगाने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करें, जिसका वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाएँ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाएं जिसमें मिलीभगत की संभावना या अनुचित प्रबंधन के कारण नियंत्रण का अधिरोहण शामिल है, जिसके कारणत्रुटि या धोखाधड़ी के कारण महत्वपूर्ण गलत बयानी हो सकती है और उनका पता नहीं चल पाता है। इसके अलावा, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान भविष्य में इस जोखिम के अधीन हैं कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण अपर्याप्त हो सकते हैं, या नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन का स्तर गिर सकता है।

अभिमत

हमारे अभिमत में, समूह के पास, सभी महत्वपूर्ण मामलों में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसे आंतरिक नियंत्रण 31मार्च 2026 तक प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, जो भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए समूह द्वारा निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर आधारित है।

कृते **श्याम सुन्दर सिंघल एंड कंपनी**
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण सं.: 000544N
हस्ता./-
ज्योति अग्रवाल
साझेदार
सदस्यता सं. 098918
यूडीआईएन: 26098918RTPBFS2985

दिनांक: 10.07.2026
स्थान: नई दिल्ली



अनुपालन प्रमाण पत्र

हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी किए गए निर्देशों/उप-निर्देशों के अनुसार 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए **राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड** के समेकित वित्तीय विवरणों का लेखा परीक्षा किया है और यह प्रमाणित करते हैं कि हमने हमारे लिए जारी किए गए सभी निर्देशों/उप-निर्देशों का अनुपालन किया है।

कृते **श्याम सुन्दर सिंघल एंड कंपनी**
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण सं.: 000544N

हस्ता./-
ज्योति अग्रवाल
साझेदार
सदस्यता सं. 098918
यूडीआईएन: 26098918RTPBFS2985

दिनांक: 10.07.2026
स्थान: नई दिल्ली



भारत में अपनी तरह की अनूठी पहल के तहत नमो भारत के ही इंफ्रास्ट्रक्चर पर प्रदान की जा रही स्थानीय मेरठ मेट्रो सेवा जिससे हुई 6300 करोड़ की बजट

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड

31 मार्च, 2026 की स्थिति के अनुसार समेकित तुलन पत्र

(₹ लाख में)

	विवरण	नोट संख्या	31 मार्च 2026 की स्थिति	31 मार्च 2025 की स्थिति
I.	**परिसम्पत्तियां**			
1	**गैर-चालू परिसम्पत्तियां**			
	(क) संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण	3	27,14,768.71	2,32,311.65
	(ख) उपयोग अधिका परिसम्पत्तियां	4	45.92	11.89
	(ग) पूंजी कार्य प्रगति पर	5	42,601.63	22,96,784.90
	(घ) अमूर्त परिसम्पत्तियां	6.1	11,856.26	10,843.42
	(ङ) विकासाधीन अमूर्त परिसम्पत्तियां	6.2	97.39	1,360.61
	(च) वित्तीय परिसम्पत्तियां			
	(ii) ऋण एवं अग्रिम	7.1	121.04	123.67
	(iii) अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियां	7.2	3,246.39	2,533.21
	(छ) आस्थगित कर परिसम्पत्तियां (नेट)	8	0.39	–
	(ज) अन्य गैर-चालू परिसम्पत्तियां	9	30,685.50	41,582.47
			28,03,423.23	**25,85,551.82**
2	**चालू परिसम्पत्तियां**			
	(क) वित्तीय परिम्पत्तियां			
	(i) व्यापार प्राप्य	10.1	396.42	–
	(ii) नकदी एवं नकदी समतुल्य	10.2	58,672.84	87,872.00
	(iii) उपर्युक्त (ii) के अलावा बैंक शेष	10.3	3,77,062.04	3,11,915.57
	(iv) ऋण एवं अग्रिम	10.4	72.68	84.94
	(v) अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियां	10.5	13,801.61	8,114.19
	(ख) आस्थगित कर परिसम्पत्तियां (नेट)	11	2,709.76	2,484.66
	(ग) अन्य गैर-चालू परिसम्पत्तियां	12	242.40	354.11
			4,52,957.75	**4,10,825.47**
	योग परिसम्पत्तियां		**32,56,380.98**	**29,96,377.29**

हमारी समतिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते **श्याम सुन्दर सिंघल एंड कम्पनी**
चार्टर्ड एकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण संख्या : 000544N

हस्ता./-
ज्योति अग्रवाल
साझेदार
सदस्यता सं.: 098918
यूडीआईएन: 26098918RTPBFS2985

कृते एवं निदेशक मंडल के निमित

हस्ता./-
विजय कुमार
कम्पनी सचिव
सदयस्ता संख्या. F7801
कोच्चि

हस्ता./-
नमिता मेहरोत्रा
निदेशक (वित्त) एवं मुख्य वित्त अधिकारी
डीआईएन:07916304
नई दिल्ली

हस्ता./-
शलभ गोयल
प्रबंध निदेशक
डीआईएन:08064525
कोच्चि

दिनांक: 10.07.2026
स्थान: नई दिल्ली

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड

31 मार्च, 2026 की स्थिति के अनुसार समेकित तुलन पत्र

(₹ लाख में)

	विवरण	नोट संख्या	31 मार्च 2026 की स्थिति	31 मार्च 2025 की स्थिति
II.	**इक्विटी एवं देयताएं**			
1.	**इक्विटी**			
	(क) इक्विटी शेयर पूंजी	13	10,000.00	10,000.00
	(ख) अन्य इक्विटी	14	10,74,522.62	10,70,260.28
			10,84,522.62	**10,80,260.28**
2	**देयताएं**			
(i)	**गैर-चालू देयताएं**			
	(क) वित्तीय देयताएं			
	(i) ऋण	15	17,03,745.98	12,80,543.75
	(ii) अन्य वित्तीय देयताएं	16	9,240.50	112.72
	(ख) आस्थगित कर देयता (नेट)	8	–	18,327.29
	(ग) दीर्घकालिक प्रावधान	17	3,612.39	4,039.95
	(घ) अन्य गैर-चालू देयताएं	18	75,341.76	45,810.82
			17,91,940.63	**13,48,834.53**
(ii)	**चालू देयताएं**			
	(क) वित्त देयताएं			
	(i) अन्य वित्तीय देयताएं	19		
	क) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग		1,532.91	1,648.12
	ख) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग के अलावा अन्य		58,963.80	49,862.58
	(ii) व्यापार देय	20	–	–
	क) सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों की कुल बकाया देय राशि		11.06	–
	ख) सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों की कुल बकाया देय राशि		2,632.19	–
	(ख) अन्य गैर-चालू देयताएं	21	3,16,001.75	5,15,325.16
	(ग) अल्पकालिक प्रावधान	22	776.02	446.62
			3,79,917.73	**5,67,282.48**
	योग इक्विटी एवं देयताएं		**32,56,380.98**	**29,96,377.29**

सामान्य सूचना	1
महत्वपूण लेखांकन नीति का सारांश	2
लेखांकन नोट	3 to 53

हमारी समतिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते **श्याम सुन्दर सिंघल एंड कम्पनी**
चार्टर्ड एकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण संख्या : 000544N

हस्ता./-
ज्योति अग्रवाल
साझेदार
सदस्यता सं.: 098918
यूडीआईएन: 26098918RTPBFS2985

कृते एवं निदेशक मंडल के निमित

हस्ता./-
विजय कुमार
कम्पनी सचिव
सदयस्ता संख्या. F7801
कोच्चि

हस्ता./-
नमिता मेहरोत्रा
निदेशक (वित्त) एवं मुख्य वित्त अधिकारी
डीआईएन:07916304
नई दिल्ली

हस्ता./-
शलभ गोयल
प्रबंध निदेशक
डीआईएन:08064525
कोच्चि

दिनांक: 10.07.2026
स्थान: नई दिल्ली



राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड

1 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित लाभ एवं हानि विवरण

(₹ लाख में)

	विवरण	नोट संख्या.	31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए
I.	परिचालनों से राजस्व	23	10,647.54	–
II	अन्य आय	24	27,534.51	23,145.29
III	**कुल आय (I+II)**		**38,182.05**	**23,145.29**
	व्यय			
	परिचालन व्यय	25	16,011.55	–
	कर्मचारी हितलाभ व्यय	26	1,930.69	1,907.92
	वित्तीय लागत	27	1,40,287.15	–
	मूल्यह्रास एवं परिशोधन व्यय	28	40,449.60	788.58
	अन्य व्यय	29	3,089.07	2,149.87
IV	**योग व्यय (IV)**		**2,01,768.06**	**4,846.37**
V	असाधारण मदों एवं कर पूर्व लाभ/(हानि) (III - IV)		**(1,63,586.01)**	18,298.92
VI	असाधारण मदें		–	–
VII	**कर पूर्व लाभ (V - VI)**		**(1,63,586.01)**	**18,298.92**
VIII	कर व्यय:	30		
	(1) चालू कर			
	- अवधि के लिए		4.60	3.88
	- पूर्व वर्षों के लिए (नेट)		(0.05)	(6.58)
	(2) आस्थगित कर (नेट)			
	- अवधि के लिए		(18,337.32)	11,221.82
	- पूर्व वर्षों के लिए (नेट)			–
IX	**जारी परिचालनों से अवधि के लिए लाभ/(हानि) (VII-VIII)**		**(1,45,253.23)**	**7,079.80**
X	बंद परिचालनों से लाभ/(हानि)		–	–
XI	बंद परिचालनों का कर व्यय		–	–
XII	बंद परिचालनों से लाभ/(हानि) (X-XI)		–	–
XIII	**अवधि दौरान लाभ/(हानि) (IX + XII)**		**(1,45,253.23)**	**7,079.80**
XIV	**अन्य व्यापक आय**			
	क) (i) मदें जिनका पुनवर्गीकरण लाभ अथवा हानि में नहीं किया जाएगा		(463.24)	38.34

	विवरण	नोट संख्या.	31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए
	(ii) लाभ अथवा हानि में पुनवर्गीकरण न की जाने वाली मदों से संबंधित आयकर		(9.65)	7.07
	ख) (i) मदें जिनका पुनवर्गीकरण लाभ अथवा हानि में किया जाएगा		–	–
	(ii) लाभ अथवा हानि में पुनवर्गीकरण की जाने वाली मदों से संबंधित आयकर		–	–
XV	**अवधि के दौरान कुल व्यापक आय (XIII+XIV) [वर्ष के लिए लाभ/(हानि) एवं अन्य व्यापक आय को सम्मिलित करते हुए]**		**(1,45,726.12)**	**7,125.22**
XVI	**प्रति इक्विटी शेयर आय:**	**31**		
	(जारी परिचालन से)			
	(1) मूल (रुपये में)		(1,452.53)	70.80
	(2) डायल्युटिड (रुपये में)		(1,452.53)	70.80
XVII	**प्रति इक्विटी शेयर आय:**	**31**		
	(बंद परिचालन से)			
	(1) मूल (रुपये में)		–	–
	(2) डायल्युटिड (रुपये में)		–	–
XVIII	**प्रति इक्विटी शेयर आय:**	**31**		
	(जारी एवं परिचालन से)			
	(1) मूल (रुपये में)		(1,452.53)	70.80
	(2) डायल्युटिड (रुपये में)		(1,452.53)	70.80

ये नोट इन वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग है।

हमारी समतिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते **श्याम सुन्दर सिंघल एंड कम्पनी**
चार्टर्ड एकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण संख्या : 000544N

हस्ता./-
ज्योति अग्रवाल
साझेदार
सदस्यता सं.: 098918
यूडीआईएन: 26098918RTPBFS2985

कृते एवं निदेशक मंडल के निमित

हस्ता./-
विजय कुमार
कम्पनी सचिव
सदयस्ता संख्या. F7801
कोच्चि

हस्ता./-
नमिता मेहरोत्रा
निदेशक (वित्त) एवं मुख्य वित्त अधिकारी
डीआईएन:07916304
नई दिल्ली

हस्ता./-
शलभ गोयल
प्रबंध निदेशक
डीआईएन:08064525
कोच्चि

दिनांक: 10.07.2026
स्थान: नई दिल्ली



राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड

31 मार्च 2026 की स्थिति के अनुसार समेकित इक्विटी परिवर्तन विवरण

क. इक्विटी शेयर पूंजी

1. 31 मार्च, 2026 की स्थिति

(₹ लाख में)

विवरण	1 अप्रैल, 2025 को शेष	पूर्वावधि चूकों के कारण इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	चालू रिपोर्टिंग अवधि के प्रारंभ में पुन:उल्लिखित शेष	वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	31 मार्च, 2026 की स्थिति के अनुसार शेष
शेयरों की संख्या (लाख में)	100	–	–	–	100
राशि	10,000.00	–	–	–	10,000.00

2. 31 मार्च, 2025 की स्थिति

(₹ लाख में)

विवरण	1 अप्रैल, 2024 को शेष	पूर्वावधि चूकों के कारण इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	चालू रिपोर्टिंग अवधि के प्रारंभ में पुन:उल्लिखित शेष	वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार शेष
शेयरों की संख्या (लाख में)	100	–	–	–	100
राशि	10,000.00	–	–	–	10,000.00

ख. अन्य इक्विटी

1. 31 मार्च, 2026 की स्थिति

(₹ लाख में)

विवरण		रिजर्व एवं अधिशेष		योग
	इक्विटी के प्रति अनुदान	अधीनस्थ ऋण का आस्थगित उचित मूल्यांकन	धारित आय	
1 अप्रैल 2025 को प्रारंभिक शेष	**2,84,633.00**	**7,45,233.23**	**40,394.05**	**10,70,260.28**
वर्ष के दौरान लाभ		–	(1,45,253.23)	(1,45,253.23)
वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय (आयकर का नेट)		–	(472.89)	(472.89)
वर्ष के दौरान कुल व्यापक आय	**0**	**0**	**(1,45,726.12)**	**(1,45,726.16)**

विवरण		रिजर्व एवं अधिशेष		योग
	इक्विटी के प्रति अनुदान	अधीनस्थ ऋण का आस्थगित उचित मूल्यांकन	धारित आय	
वर्ष के दौरान प्राप्त राशि (सदंर्भ नोट 14.2.1)	49,015.00	–	–	49,015.00
अधीनस्थ ऋण का आस्थगित उचित मूल्य समायोजन	–	1,00,973.46	–	1,00,973.46
चुकता लाभांश	–	–	–	–
31 मार्च, 2026 की स्थिति के अनुसार शेष	**3,33,648.00**	**8,46,206.69**	**(1,05,332.07)**	**10,74,522.62**

2. 31 मार्च, 2025 की स्थिति

(₹ लाख में)

विवरण		रिजर्व एवं अधिशेष		योग
	इक्विटी के प्रति अनुदान	अधीनस्थ ऋण का आस्थगित उचित मूल्यांकन	धारित आय	
1 अप्रैल, 2024 के अनुसार प्रारंभिक शेष	**2,51,265.00**	**6,50,988.63**	**33,268.84**	**9,35,522.47**
वर्ष के दौरान लाभ		–	7,079.80	7,079.80
वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय (आयकर का नेट)		–	45.41	45.41
वर्ष के दौरान कुल व्यापक आय	**0**	**0**	**7,125.21**	**7,125.21**
वर्ष के दौरान प्राप्त राशि (सदंर्भ नोट 14.2.1)	33,368.00	–	–	33,368.00
अधीनस्थ ऋण का आस्थगित उचित मूल्य समायोजन	–	94,244.60		94,244.60
चुकता लाभांश		–	–	–
31 मार्च, 2025की स्थिति के अनुसार शेष	**2,84,633.00**	**7,45,233.23**	**40,394.05**	**10,70,260.28**

हमारी समतिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते **श्याम सुन्दर सिंघल एंड कम्पनी**
चार्टर्ड एकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण संख्या : 000544N

हस्ता./-
ज्योति अग्रवाल
साझेदार
सदस्यता सं.: 098918
यूडीआईएन: 26098918RTPBFS2985

कृते एवं निदेशक मंडल के निमित

हस्ता./-
विजय कुमार
कम्पनी सचिव
सदयस्ता संख्या. F7801
कोच्चि

हस्ता./-
नमिता मेहरोत्रा
निदेशक (वित्त) एवं मुख्य वित्त अधिकारी
डीआईएन:07916304
नई दिल्ली

हस्ता./-
शलभ गोयल
प्रबंध निदेशक
डीआईएन:08064525
कोच्चि

दिनांक: 10.07.2026
स्थान: नई दिल्ली

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड

31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित नकदी प्रवाह विवरण

(₹ लाख में)

विवरण		31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए
क. परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह			
असाधारण मदों एवं कर से पूर्व लाभ		**(1,63,586.01)**	**18,298.92**
निम्नलिखित के लिए समायोजन :-			
मूल्यह्रास		40,449.60	788.58
वित्तीय परिसंपत्तियों पर ब्याज आय		8.00	3.64
वित्तीय देयताओं पर ब्याज व्यय		(136.24)	(137.36)
बहुपक्षीय वित्त पोषण एजेंसियों से प्राप्त ऋण पर ब्याज व्यय		42,740.56	–
अधीनस्थ ऋण पर ब्याज व्यय		8,292.56	–
ब्याज आय		(25,487.54)	(21,897.24)
अनुदान का परिशोधन		(211.03)	(338.29)
अप्राप्त विदेशी मुद्रा विनिमय हानि		(366.18)	(0.04)
परिचालनात्मक पूंजी परिवर्तन पूर्व परिचालन लाभ	**(1)**	**(98,296.27)**	**(3,281.79)**
निम्नलिखित के लिए समायोजन :-			
अन्य चालू परिसंपत्तियों में कमी / (वृद्धि)		122.48	(78.50)
दीर्घकालिक ऋण एवं अग्रिमों में कमी / (वृद्धि)		2.63	(123.67)
अन्य चालू वित्तीय परिसंपत्तियों में कमी / (वृद्धि)		(3,519.21)	(615.61)
व्यापार प्राप्य में कमी / (वृद्धि)		(396.42)	–
गैर चालू वित्तीय परिसंपत्तियों में कमी / (वृद्धि)		(576.94)	(136.99)
चालू वित्तीय परिसंपत्तियों में कमी / (वृद्धि)			
अन्य वित्तीय देयताओं में (कमी) / वृद्धि		(15,906.30)	(11,248.49)
अन्य चालू देयताओं में (कमी) / वृद्धि		(1,396.03)	1,662.09
अन्य गैर चालू देयताओं में (कमी) / वृद्धि			
अल्पकालिक ऋण एवं अग्रिमों में कमी / (वृद्धि)		12.26	(84.94)
दीर्घकालिक प्रावधानों में (कमी) / वृद्धि		(890.80)	1,081.98
व्यापार देय में (कमी) / वृद्धि		2,643.25	–
अल्पकालिक प्रावधानों में (कमी) / वृद्धि		329.40	121.65
गैर चालू वित्तीय देयताओं में (कमी) / वृद्धि			
	(2)	(19,575.68)	(9,422.48)
परिचालन से नकदी की उत्पत्ति	**(1+2)**	**(1,17,871.95)**	**(12,704.27)**
चुकता आय कर		(229.65)	(362.43)
परिचालन कार्यों से उत्पन्न कुल नकदी उत्पत्ति		**(1,18,101.60)**	**(13,066.70)**
ख. निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह			
संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण का क्रय, सीडब्ल्यूआईपी, अन्य अमूर्त परिसंपत्तियां तथा विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियों का क्रय		(2,15,120.36)	(3,68,700.72)
संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण का क्रय, सीडब्ल्यूआईपी, अन्य अमूर्त परिसंपत्तियां तथा विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियों की बिक्री		(1,242.17)	15.38

विवरण		31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए
प्राप्त ब्याज		23,428.57	22,485.90
पूंजी अग्रिम		10,776.96	14,099.35
अन्य बैंक शेषों में परिवर्तन		(65,146.47)	(1,14,216.99)
निवेशों में परिवर्तन			
निवेश गतिविधियों में प्रयुक्त नेट नकदी		**(2,47,303.47)**	**(4,46,317.08)**
ग.वित्तपोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह			
प्राप्त अनुदान से प्राप्तियां		49,015.00	33,368.00
निम्नलिखित से प्राप्त अग्रिम:-			
- भारत सरकार (आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय) से पास-थ्रू सहायता के प्रति		(2,01,285.41)	1,24,723.00
- भारत सरकार (आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय) से निर्भया के प्रति		900.00	–
- भारत सरकार (आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय) से जेएफपीआर के प्रति		2,500.00	–
- दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार से		29,700.00	5,000.00
उधार से प्राप्तियां :-			
- भारत सरकार, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार से अधीनस्थ ऋण		1,15,200.00	1,26,632.00
- एशियन डेवलपमेंट बैंक से व्यवस्था किया गया भारत सरकार से प्राप्त ऋण		42,750.00	11,500.00
- एशियन डेवलपमेंट बैंक से व्यवस्था किया गया भारत सरकार से प्राप्त ऋण (तीसरी किस्त)		1,51,491.98	72,620.71
-न्यू डेवलपमेंट बैंक से व्यवस्था किया गया भारत सरकार से प्राप्त ऋण		1,12,422.14	78,782.53
- एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक से व्यवस्था किया गया भारत सरकार से प्राप्त ऋण		89,720.88	61,197.09
अधीनस्थ ऋण में उचित मूल्य समायोजन			–
प्रतिभूति जमा		9,127.78	107.70
पट्टा भुगतान			–
पट्टा देयता पर भुगतान किया गया ब्याज			–
उधार पर भुगतान किए गए ब्याज एवं प्रतिबद्धता प्रभार		(65,336.46)	(63,429.56)
वित्तपोषण गतिविधियों से नेट नकदी उत्पत्ति		**3,36,205.91**	**4,50,501.47**
नकदी एवं नकदी समतुल्य में नेट वृद्धि/(कमी) (क+ख+ग)		(29,199.16)	(8,882.31)
प्रारंभिक नकदी एवं नकदी समतुल्य		87,872.00	96,754.31
अंतिम नकदी एवं नकदी समतुल्य		**58,672.84**	**87,872.00**
नकदी एवं नकदी समतुल्य में शामिल			
बैंकों में शेष राशि:			
– चालू खाते एवं फ्लैक्सी जमा खाते में		28,276.61	2,702.64
– इम्प्रेस्ट खाते में		7.03	5.49
3 माह या उससे कम की परिपक्वता वाली सावधि जमा		30,389.20	85,163.87
तुलन पत्र के अनुसर नकदी एवं नकदी समतुल्य		**58,672.84**	**87,872.00**

31.03.2026 को समाप्त अवधि के लिए वित्तीय गतिविधियों से उत्पन्न देयताओं का मिलान

(₹ लाख में)

विवरण	अग्रिम	ऋण	वित्त लागत	योग
संदर्भ नोट	18 और 21	15	19	
प्रारंभ शेष (क)	**5,56,437.65**	**12,80,543.75**	**10,732.68**	**18,47,714.08**
नकदी प्रवाह से उत्पन्न परिवर्तन				
वर्ष के दौरान चुकता			(65,336.46)	**(65,336.46)**
वर्ष के दौरान प्राप्त	(1,68,185.41)	5,11,585.00	–	**3,43,399.59**
योग (ख)	**(1,68,185.41)**	**5,11,585.00**	**(65,336.46)**	**2,78,063.13**
गैर नकदी परिवर्तन				
अधीनस्थ ऋणों पर उचित मूल्यांकन	–	(1,00,973.45)	–	**(1,00,973.45)**
अधीन ऋण पर उपचित ब्याज	–	12590.68	–	**12590.68**
विदेशी मुद्रा भिन्नता	–		–	**–**
वसूलनीय				**–**
वर्ष के दौरान अर्जित वित्तीय लागत	–	–	68,163.55	**68,163.55**
अनुदान परिशोधान	(672.78)	–	–	**(672.78)**
योग (ग)	(672.78)	(88,382.77)	68,163.55	**(20,892.00)**
अंत शेष (क+ख+ग)	**3,87,579.46**	**17,03,745.99**	**13,559.77**	**21,04,885.21**

स्पष्टीकरण नोट: -

(i) समेकित नकदी प्रवाह विवरण का निर्माण इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेट ऑफ इंडिया द्वारा नकदी प्रवाह विवरण के संबंध में जारी इंड एएस-7 में निर्धारित अप्रत्यक्ष विधि के अनुसार किया गया है।

(ii) पुष्टि एवं चालू वर्ष के साथ तुलना के लिए पिछले वर्ष के आंकड़ों का पुन:वर्गीकरण/पुन:समूहन किया गया है।

हमारी समतिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते **श्याम सुन्दर सिंघल एंड कम्पनी**
चार्टर्ड एकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण संख्या : 000544N

हस्ता./-
ज्योति अग्रवाल
साझेदार
सदस्यता सं.: 098918
यूडीआईएन: 26098918RTPBFS2985

कृते एवं निदेशक मंडल के निमित

हस्ता./-
विजय कुमार
कम्पनी सचिव
सदयस्ता संख्या. F7801
कोच्चि

हस्ता./-
नमिता मेहरोत्रा
निदेशक (वित्त) एवं मुख्य वित्त अधिकारी
डीआईएन:07916304
नई दिल्ली

हस्ता./-
शलभ गोयल
प्रबंध निदेशक
डीआईएन:08064525
कोच्चि

दिनांक: 10.07.2026
स्थान: नई दिल्ली





नमो भारत : हर उम्र के यात्रियों की मुस्कुराहटों का सबब



राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड

समेकित वित्तीय विवरणों पर नोट

1. समूह की जानकारी

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड भारत में निगमित एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है [U60200DL2013GOI256716], जो 21 अगस्त, 2013 को कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत स्थापित की गई थी। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के आर्थिक विकास को सक्षम बनाते हुए न्यायसंगत, त्वरित, विश्वसनीय, सुरक्षित, आरामदायक, कुशल और टिकाऊ गतिशीलता समाधान प्रदान करके लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है।

समेकित वित्तीय विवरणों में कंपनी (जिसे "होल्डिंग कंपनी" भी कहा गया है) और इसकी सहायक इकाई (एनसीआरटीसी एक्सप्रेस ट्रांजिट लिमिटेड) के वित्तीय विवरण शामिल हैं (सामूहिक रूप से "समूह" के रूप में संदर्भित)।

होल्डिंग कंपनी का पंजीकृत कार्यालय गतिशक्ति भवन, आईएनए, नई दिल्ली-110023 में स्थित है।

इन वित्तीय विवरणों को होल्डिंग कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा 10 जुलाई, 2026 में आयोजित उनकी बैठक में अनुमोदित किया गया है।

2. महत्वपूर्ण लेखांकन नीति संबंधी जानकारी का सारांश

2.01 तैयार करने का आधार - अनुपालन का विवरण

समूह के वित्तीय विवरण भारत में आमतौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार तैयार किए गए हैं, जिसमें कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत अधिसूचित भारतीय लेखा मानक (इंड एएस), कंपनियां (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 (यथा संशोधित) के साथ पढ़े जाने वाले नियम, और वित्तीय विवरणों पर लागू कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III (इंड एएस अनुपालन अनुसूची III) की सीमा तक अन्य प्रस्तुति आवश्यकताएं शामिल हैं। वित्तीय विवरण लेखांकन की उपार्जन प्रणाली का पालन करते हुए एक निरंतर गतिशील संस्था के आधार पर तैयार किए गए हैं। समूह ने प्रस्तुत अवधि के दौरान लेखांकन नीतियों को समान रूप से लागू किया है।

इसके अलावा, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) द्वारा जारी मार्गदर्शन नोट्स/घोषणाओं पर भी विचार किया गया है, जहाँ भी लागू हो, जैसा कि कंपनी द्वारा लगातार अपनाया गया है।

2.02 समेकन का आधार

समान परिस्थितियों में समान लेन-देन और अन्य घटनाओं के लिए समान लेखांकन नीतियों का उपयोग करके समेकित वित्तीय विवरण तैयार किए जाते हैं। यदि समूह का कोई सदस्य समान परिस्थितियों में समान लेन-देन और घटनाओं के लिए समेकित वित्तीय विवरणों में अपनाई गई नीतियों के अलावा अन्य लेखांकन नीतियों का उपयोग करता है, तो समूह की लेखांकन नीतियों के साथ अनुरूपता सुनिश्चित करने के लिए समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने में उस सदस्य के वित्तीय विवरणों में उपयुक्त समायोजन किए जाते हैं।

समेकन के उद्देश्य के लिए उपयोग की जाने वाली सभी इकाइयों के वित्तीय विवरण होल्डिंग कंपनी की समान रिपोर्टिंग तिथि तक तैयार किए जाते हैं, यानी 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष तक।

2.02.1 सहायक कंपनियां

सहायक कंपनियां वे सभी इकाइयां हैं जिन पर होल्डिंग कंपनी का नियंत्रण होता है। होल्डिंग कंपनी किसी इकाई को तब नियंत्रित करती है जब होल्डिंग कंपनी इकाई के साथ अपने जुड़ाव से परिवर्तनशील रिटर्न से जुड़ी होती है या उसके पास अधिकार होते हैं और इकाई की प्रासंगिक गतिविधियों को निर्देशित करने की अपनी शक्ति के माध्यम से उन रिटर्न को प्रभावित करने की क्षमता होती है। जिस तिथि से नियंत्रण होल्डिंग कंपनी को हस्तांतरित होता है, उसी तिथि से सहायक कंपनियों को पूरी तरह से समेकित किया जाता है। नियंत्रण समाप्त होने की तिथि से उन्हें वि-समेकित कर दिया जाता है।

समूह परिसंपत्तियों, देनदारियों, इक्विटी, आय और व्यय

की समान मदों को एक साथ जोड़कर मूल कंपनी और उसकी सहायक कंपनियों के वित्तीय विवरणों को पंक्ति-दर-पंक्ति मिलाता है। अंतर-कंपनी लेन-देन, शेष राशि और समूह कंपनियों के बीच लेन-देन पर अवास्तविक लाभ को समाप्त कर दिया जाता है। अवास्तविक नुकसान भी समाप्त कर दिए जाते हैं जब तक कि लेन-देन स्थानांतरित परिसंपत्ति के अवमूल्यन का प्रमाण प्रदान न करे।

जब होल्डिंग कंपनी किसी सहायक कंपनी पर नियंत्रण खो देती है, तो वह सहायक कंपनी की परिसंपत्तियों और देनदारियों और किसी भी संबंधित गैर-नियंत्रित हित और इक्विटी के अन्य घटकों को बही से हटा देती है। पूर्व सहायक कंपनी में रखी गई किसी भी हिस्सेदारी को उस तिथि पर उचित मूल्य पर मापा जाता है जिस दिन नियंत्रण समाप्त होता है। इसके परिणामस्वरूप होने वाले किसी भी लाभ या हानि को लाभ या हानि खाते में मान्यता दी जाती है।

2.02.2 सहायक कंपनी के लिए समेकित प्रक्रिया

- मूल कंपनी और उसकी सहायक कम्पनियों की परिसंपत्तियों, देनदारियों, इक्विटी, आय, व्यय और नकद प्रवाह की समान मदों को मिलाएं।
- प्रत्येक सहायक कंपनी में मूल कंपनी के निवेश के वहन मूल्य और प्रत्येक सहायक कंपनी के इक्विटी के मूल कंपनी के हिस्से को ऑफसेट (समाप्त) करें।
- समूह की इकाइयों के बीच लेन-देन से संबंधित अंतर-समूह परिसंपत्तियों और देनदारियों, इक्विटी, आय, व्यय और नकद प्रवाह को पूरी तरह से समाप्त करें (अंतर-समूह लेन-देन के परिणामस्वरूप परिसंपत्तियों जैसे इन्वेंट्री और अचल संपत्तियों में मान्यता प्राप्त लाभ या हानि को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाता है)।
- अंतर-समूह नुकसान अवमूल्यन का संकेत दे सकते हैं जिसके लिए समेकित वित्तीय विवरणों में मान्यता की आवश्यकता होती है।
- लाभ या हानि और अन्य व्यापक आय (OCI) के प्रत्येक घटक को समूह की मूल कंपनी के इक्विटी धारकों को जिम्मेदार ठहराया जाता है। आवश्यक होने पर, सहायक कंपनियों की लेखांकन नीतियों को समूह की लेखांकन नीतियों के अनुरूप लाने के लिए उनके वित्तीय विवरणों में समायोजन किए जाते हैं। समूह के सदस्यों के बीच लेन-देन से संबंधित सभी अंतर-समूह परिसंपत्तियाँ और देनदारियाँ, इक्विटी, आय, व्यय और नकद प्रवाह समेकन पर पूरी तरह से समाप्त कर दिए जाते हैं।

2.02.3 मापन का आधार

समेकित वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत परिपाटी के तहत और उपार्जन आधार पर तैयार किए गए हैं, कुछ वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों और परिभाषित लाभ योजना तथा अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभों को छोड़कर, जिन्हें प्रासंगिक इंड एएस द्वारा यथा आवश्यक उचित मूल्य पर मापा गया है।

2.03 चालू और गैर-चालू वर्गीकरण

समूह बैलेंस शीट में परिसंपत्तियों और देनदारियों को चालू / गैर-चालू वर्गीकरण के आधार पर प्रस्तुत करता है।

किसी परिसंपत्ति को चालू के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जब यह:

- सामान्य परिचालन चक्र में वसूल होने की उम्मीद है या बेचे जाने या उपभोग किए जाने का इरादा है;
- मुख्य रूप से व्यापार के उद्देश्य से रखी गई है;
- रिपोर्टिंग अवधि के बारह महीनों के भीतर वसूल होने की उम्मीद है; या
- नकद या नकद समकक्ष है, जब तक कि रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम बारह महीनों के लिए किसी देनदारी को निपटाने के लिए बदले जाने या उपयोग किए जाने से प्रतिबंधित न हो।

अन्य सभी परिसंपत्तियों को गैर-चालू के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

किसी देनदारी को चालू के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जब:

- सामान्य परिचालन चक्र में इसके निपटान की उम्मीद है;
- यह मुख्य रूप से व्यापार के उद्देश्य से रखी गई है;
- यह रिपोर्टिंग अवधि के बाद बारह महीनों के भीतर निपटाए जाने के लिए देय है; या
- रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम बारह महीनों के लिए देनदारी के निपटान को स्थगित करने का कोई बिना शर्त अधिकार नहीं है।

अन्य सभी देनदारियों को गैर-चालू के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

स्थगित कर परिसंपत्तियों/देनदारियों को गैर-चालू के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

12 महीने की अवधि को सामान्य परिचालन चक्र मानते हुए परिसंपत्तियों और देनदारियों को चालू और गैर-चालू के बीच वर्गीकृत किया गया है।

2.04 अनुमानों और प्रबंधन निर्णय का उपयोग

इंड एएस के अनुपालन में समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए प्रबंधन को ऐसे निर्णय, अनुमान और धारणाएं बनाने की आवश्यकता होती है जो लेखांकन नीतियों के अनुप्रयोग और समेकित वित्तीय विवरणों की तिथि पर परिसंपत्तियों, देनदारियों, आकस्मिक परिसंपत्तियों और देनदारियों के प्रकटीकरण और आय और व्यय की रिपोर्ट की गई राशि को प्रभावित करते हैं। वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं।

अनुमानों और अंतर्निहित धारणाओं की समय-समय पर समीक्षा की जाती है। इन अनुमानों में परिवर्तन के कारण भविष्य के परिणाम भिन्न हो सकते हैं और वास्तविक परिणाम और अनुमानों के बीच अंतर को उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें परिणाम ज्ञात/साकार होते हैं।

2.05 नकद प्रवाह विवरण

नकद प्रवाह की रिपोर्ट अप्रत्यक्ष विधि का उपयोग करके की जाती है, जिसके तहत कर पूर्व लाभ / (हानि) को गैर-नकद प्रकृति के लेन-देन और अतीत या भविष्य की नकद प्राप्तियों या भुगतानों के किसी भी स्थगन या उपार्जन के प्रभावों के लिए समायोजित किया जाता है। समूह की परिचालन, निवेश और वित्तीय गतिविधियों से नकद प्रवाह को उपलब्ध जानकारी के आधार पर अलग किया जाता है।

नकद प्रवाह विवरण के उद्देश्यों के लिए, नकद और नकद समकक्षों में हाथ में नकद, बैंकों में नकद, तीन महीने तक की मूल परिपक्वता वाली जमा राशि, और बैंकों के साथ मांग जमा शामिल हैं, जो बकाया बैंक ओवरड्राफ्ट से घटाकर हैं जो मांग पर देय हैं और जिन्हें समूह की नकद प्रबंधन प्रणाली का हिस्सा माना जाता है।

2.06 कार्यशील और प्रस्तुति मुद्रा

समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों में शामिल मदों को प्राथमिक आर्थिक वातावरण की मुद्रा का उपयोग करके मापा जाता है जिसमें समूह संचालित होता है (कार्यशील मुद्रा)। समेकित इंड एएस वित्तीय विवरण भारतीय रुपये में प्रस्तुत किए गए हैं, जो समूह की कार्यशील और प्रस्तुति मुद्रा है। भारतीय रुपये में प्रस्तुत सभी वित्तीय जानकारी को निकटतम लाख में पूर्णांकित (Round off) किया गया है, जहाँ अन्यथा न कहा गया हो।

विदेशी मुद्रा

विदेशी मुद्राओं में मूल्यवर्गित लेन-देन लेन-देन के समय प्रचलित विनिमय दर पर दर्ज किए जाते हैं। विदेशी मुद्राओं में मूल्यवर्गित मौद्रिक मदों का अनुवाद रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार विनिमय दरों पर किया जाता है। मौद्रिक मदों के अनुवाद पर उत्पन्न होने वाले विनिमय अंतर को लाभ और हानि में मान्यता दी जाती है। हालांकि, विदेशी मुद्रा ऋण से उत्पन्न होने वाले विनिमय अंतर को जहां तक उधार लागत के रूप में माना जाता है, निर्माण अवधि के दौरान पूंजीकृत किया जाता है।

2.07 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

(क) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की एक मद को परिसंपत्ति के रूप में केवल और केवल तभी मान्यता दी जाती है जब यह संभावना हो कि मद से जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ कंपनी को प्राप्त होंगे, मद की लागत को मज़बूती से मापा जा सकता है और जब परिसंपत्ति को उसके इच्छित उपयोग के लिए तैयार करने के लिए आवश्यक सभी गतिविधियां पूरी हो जाती हैं।

(ख) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण को लागत में से संचित मूल्यह्रास और अवमूल्यन हानि, यदि कोई हो, घटाकर मापा जाता है। परिसंपत्ति की लागत में निम्नलिखित शामिल हैं:

i. परिसंपत्ति के अधिग्रहण के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार लागत, जिसमें परिसंपत्ति को स्थान पर लाने और उसे इच्छित तरीके से संचालित करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक शर्तों को पूरा करने की लागत शामिल है।

ii. यदि मान्यता मानदंड पूरे होते हैं तो मदों को हटाने और उस स्थान को पुनर्स्थापित करने की अनुमानित लागत का वर्तमान मूल्य।

(ग) महत्वपूर्ण भागों के प्रतिस्थापन, प्रमुख निरीक्षण, मरम्मत की लागत को पूंजीकृत किया जाता है यदि मान्यता

मानदंड पूरे होते हैं।

(d) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की किसी मद को निपटान पर या जब परिसंपत्तियों के निरंतर उपयोग से कोई भविष्य का आर्थिक लाभ मिलने की उम्मीद नहीं होती है, तो बही से हटा दिया जाता है। संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की किसी मद के निपटान या सेवानिवृत्ति पर होने वाले किसी भी लाभ या हानि को बिक्री आय और परिसंपत्ति के वहन मूल्य के बीच के अंतर के रूप में निर्धारित किया जाता है और लाभ या हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

(e) निक्षेप कार्य / अनुबंधों को निष्पादित एजेंसियों से प्राप्त खाते के विवरण के आधार पर और इसकी अनुपस्थिति में निष्पादित कार्य के तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर पूरा होने पर पूंजीकृत किया जाता है।

(f) उपयोग में लाई गई परिसंपत्तियों के मामले में, जहां ठेकेदारों के साथ बिलों का अंतिम निपटान होना बाकी है, पूंजीकरण अंतिम निपटान के वर्ष में आवश्यक समायोजन के अधीन अनंतिम आधार पर किया जाता है।

(g) प्रोजेक्ट के एक से अधिक अनुभागों के लिए सामान्य परिसंपत्तियों और प्रणालियों को तकनीकी अनुमानों / मूल्यांकनों के आधार पर पूंजीकृत किया जाता है।

(h) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण जो बैलेंस शीट की तिथि के अनुसार इच्छित उपयोग के लिए तैयार नहीं हैं, उन्हें 'कैपिटल वर्क-इन-प्रोग्रेस' के रूप में प्रकट किया जाता है।

(i) यात्रियों के सार्वजनिक परिवहन के लिए खोले जाने वाले कॉरिडोर की परिसंपत्तियों का पूंजीकरण प्रबंधन द्वारा परिसंपत्तियों के इच्छित उपयोग के अनुसार सभी मामलों में इसकी पूर्णता सुनिश्चित करने, प्रशासनिक औपचारिकताओं और मेट्रो रेलवे सुरक्षा आयुक्त द्वारा निर्धारित आवश्यकताओं के अनुपालन के बाद किया जाता है जो पूरे कॉरिडोर को खोलने के लिए अनिवार्य हैं।

मूल्यह्रास / ऋणमुक्ति

(क) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर मूल्यह्रास / ऋणमुक्ति कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II में निर्दिष्ट परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवन पर सीधी रेखा विधि (SLM) के आधार पर प्रदान की जाती है, निम्नलिखित मामलों को छोड़कर जहां उपयोगी जीवन तकनीकी और/या प्रबंधन मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित किया जाता है: -

परिसंपत्ति का नाम	जीवन काल
ईडीपी संपत्तियां	3 वर्ष
निर्दिष्ट कार्यालय उपकरण	4 वर्ष
निर्दिष्ट फर्नीचर और फिक्स्चर	5 वर्ष
पटरी पर चलने वाली छोटी गाड़ी	35 वर्ष
आरएस पावर सप्लाई, ऑक्सिलरीज, ब्रेक्स, एसी सिस्टम, इंटीरियर्स आदि पुर्जे	18 वर्ष
एस्केलेटर	30 वर्ष
एस्केलेटर आदि के पुर्जे	7-30 वर्ष
लिफ्ट	30 वर्ष
लिफ्ट के पुर्जे	8-30 वर्ष
ऑटोमैटिक ट्रेन वॉशिंग प्लांट, मोबाइल लिफ्टिंग जैक, सिम्युलेटर, व्हील लेथ	35 वर्ष
इलेक्ट्रिक बोगी ट्रैक्टर, रेल सह सड़क वाहन, एचएबीडी सिस्टम	20 वर्ष
वर्टिकल टरेंट लेथ, ब्लो डाउन प्लांट, व्हील प्रेस मशीन, सिंक्रोनाइज्ड पिट जैक, बोगी टेस्ट स्टैंड, BTT, ओवरहेड क्रेन वगैरह	30 वर्ष
एएफसी के पुर्जे	
नियंत्रण केंद्र	8 वर्ष
अन्य शेष घटक	7 वर्ष
पुल, पुलिया, सुरंग, कल्वर, बंदर	60 वर्ष
ट्रैक कार्य (परमानेंट वे)	30 वर्ष
सिग्नलिंग सिस्टम	20 वर्ष

(ख) ₹5,000/- या उससे कम के लिए अधिग्रहित व्यक्तिगत परिसंपत्तियों पर वाणिज्यिक जीवन को ध्यान में रखते हुए और पहचान के उद्देश्य से ₹1 टोकन मूल्य रखते हुए खरीद के वर्ष में 100% मूल्यह्रास किया जाता है।

ग) मोबाइल फोन खरीद के वर्ष में खर्च के रूप में लिखे (Charged off) जाते हैं।

घ) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के किसी मद के प्रत्येक भाग का अलग से मूल्यह्रास किया जाता है यदि मद की कुल लागत के संबंध में भाग की लागत महत्वपूर्ण है और उस भाग का उपयोगी जीवन शेष परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन से भिन्न है।

ड.) लीजहोल्ड सुधारों को उस महीने से लीज की अवधि के दौरान परिशोधित किया जाता है जिसमें ऐसे सुधारों को पूंजीकृत किया जाता है।

च) प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर मूल्यह्रास विधियों, उपयोगी जीवन और अवशिष्ट मूल्यों की समीक्षा की जाती है।

छ) परिसंपत्तियों के घटकों की पहचान के लिए विचार किए गए पैरामीटर:

I. मुख्य परिसंपत्ति के संबंध में ₹10 लाख और उससे अधिक मूल्य की परिसंपत्तियों और 10% से अधिक मूल्य वाले घटकों को ही घटकीकरण के लिए माना गया है, और इन घटकों को इसके उपयोगी जीवन या मुख्य परिसंपत्ति के शेष उपयोगी जीवन, जो भी कम हो, पर मूल्यह्रास किया जाता है।

II. समान उपयोगी जीवन वाली परिसंपत्तियों के घटकों को मुख्य परिसंपत्ति के संबंध में प्रतिशत की परवाह किए बिना मुख्य घटक के साथ जोड़ा गया है।

III. जहाँ समान उपयोगी जीवन वाली एक ही परिसंपत्ति के एक से अधिक महत्वपूर्ण घटक हैं, ऐसे घटकों को मूल्यह्रास के उद्देश्यों के लिए एक साथ समूहित किया जाएगा।

IV. शेष घटकों या महत्वहीन भागों को मुख्य परिसंपत्ति के साथ जोड़ा गया है।

V. जहाँ व्यक्तिगत घटक का जीवन मुख्य परिसंपत्तियों के जीवन से अधिक है, घटक का जीवन मुख्य परिसंपत्तियों के जीवन तक सीमित रहेगा।

VI. भूमि, ट्रैक कार्य (स्थायी मार्ग) और अमूर्त परिसंपत्तियों को घटकीकृत नहीं किया गया है क्योंकि अलग घटकों की पहचान संभव नहीं है।

VII. उपयोग के अधिकार वाली इमारतों को घटकीकृत नहीं किया गया है क्योंकि इन्हें लीज की अवधि के दौरान कुल भुगतान के आनुपातिक आवंटन के आधार पर परिशोधित किया जाता है।

VIII. वाहन, अस्थायी संरचनाएं, सर्वेक्षण उपकरण, सुरक्षा उपकरण, आई.टी. प्रणाली, कार्यालय उपकरण, और फर्नीचर एवं फिक्स्चर को घटकीकृत नहीं किया गया है क्योंकि कंपनी के कुल परिसंपत्ति मूल्य की तुलना में इन परिसंपत्तियों का मूल्य नगण्य है।

2.08 अमूर्त परिसंपत्तियां

एक अमूर्त परिसंपत्ति को तब मान्यता दी जाती है जब यह संभावना हो कि परिसंपत्तियों से जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ समूह को प्राप्त होंगे और परिसंपत्ति की लागत को मज़बूती से मापा जा सकता है। अमूर्त परिसंपत्तियों को ऐतिहासिक लागत में से संचित ऋणमुक्ति और अवमूल्यन हानि, यदि कोई हो, घटाकर दर्शाया जाता है।

अनुसंधान पर व्यय को तब खर्च के रूप में मान्यता दी जाती है जब यह किया जाता है। विकास गतिविधियों पर व्यय को अमूर्त परिसंपत्ति के रूप में मान्यता दी जाती है यदि यह इंड एएस 38 'अमूर्त परिसंपत्तियां' के अनुसार पात्रता मानदंडों को पूरा करता है, अन्यथा इसे खर्च के रूप में मान्यता दी जाती है।

ऋणमुक्ति

अमूर्त परिसंपत्तियों को उनके उपयोग के लिए उपलब्ध होने की तिथि से सीधी-रेखा आधार पर उनके संबंधित अनुमानित उपयोगी जीवन पर परिशोधित किया जाता है। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर ऋणमुक्ति विधियों, उपयोगी जीवन और अवशिष्ट मूल्यों की समीक्षा की जाती है।

अमूर्त परिसंपत्तियों का अनुमानित उपयोगी जीवन निम्नानुसार है:

क. सॉफ्टवेयर (अधिग्रहित / स्व-निर्मित), जो हार्डवेयर का अभिन्न अंग नहीं है, उपयोग के कानूनी अधिकार की अवधि या 3 वर्ष, जो भी पहले हो, की अवधि के दौरान सीधी रेखा विधि पर परिशोधित किया जाता है।

ख. अन्य अमूर्त परिसंपत्तियां (अधिग्रहित / स्व-निर्मित) उपयोग के कानूनी अधिकार की अवधि या 5 वर्ष, जो भी पहले हो, की अवधि के दौरान सीधी रेखा विधि पर परिशोधित की जाती हैं।

ग. ₹5,000/- या उससे कम लागत वाली अमूर्त परिसंपत्तियों को खरीद के वर्ष में पूरी तरह से मूल्यह्रासित / परिशोधित किया जाता है और पहचान के उद्देश्य से ₹ 1 टोकन मूल्य के रूप में रखा जाता है।

2.09 प्रगतिशील पूंजीगत कार्य

क) होल्डिंग कंपनी द्वारा शुरू की गई परियोजना के साथ सीधे तौर पर पहचाने जाने वाले व्यय को "प्रत्यक्ष परियोजना व्यय" के तहत "कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस" में डेबिट किया जाता है। कर्मचारियों के लाभों की प्रकृति में अप्रत्यक्ष व्यय, और परियोजना से सीधे संबंधित अप्रत्यक्ष व्यय को परियोजना में प्रभारित किया गया है। अन्य अप्रत्यक्ष व्यय जो परियोजना के साथ-साथ परियोजना के अलावा अन्य

पर भी हुए हैं, उन्हें व्यक्तिगत परियोजना कॉरिडोर में शामिल प्रयासों और अन्य प्रासंगिक कारकों पर विचार करते हुए प्रबंधन के निर्णय के आधार पर परियोजना के लिए आनुपातिक रूप से आवंटित किया गया है।

ख) निर्माण अवधि से संबंधित आय जैसे निविदा दस्तावेजों की बिक्री आदि को निर्माण के दौरान व्यय के विरुद्ध समायोजित किया जाता है और इच्छित उपयोग के लिए परिसंपत्तियों के तैयार होने से पहले अर्जित राजस्व, यदि कोई हो, को परिसंपत्तियों की लागत के विरुद्ध समायोजित किया जाता है।

ग) मूल्य भिन्नता सहित दावों का हिसाब समूह द्वारा स्वीकृति पर दिया जाता है।

घ) परिनिर्धारित क्षतियों को वास्तविक वसूली के समय मान्यता दी जाती है। परिनिर्धारित क्षतियों को परियोजना लागत के विरुद्ध समायोजित किया जाना चाहिए या नहीं, यह इस तथ्य पर निर्भर करेगा कि क्या परिनिर्धारित क्षतियां परियोजना के साथ सीधे पहचानी जा सकती हैं और क्या, वास्तव में, वे कंपनी द्वारा उठाए जाने वाले अतिरिक्त परियोजना लागत को कम करने के लिए प्राप्त हुई हैं, जिसे परियोजना लागत के हिस्से के रूप में पूंजीकृत किया जाएगा। जहां और जिस सीमा तक परिनिर्धारित क्षतियां सकारात्मक रूप से उपरोक्त शर्तों को पूरा करती हैं, उन्हें परियोजना की लागत के साथ समायोजित किया जाएगा। अन्यथा, इसका हिसाब आय के रूप में दिया जाएगा।

2.10 पूंजीगत अग्रिम

प्रत्येक बैलेंस शीट की तिथि पर बकाया संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के अधिग्रहण की दिशा में भुगतान किए गए अग्रिमों को अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियों के तहत पूंजीगत अग्रिम के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

2.11 भूमि

क) भारतीय लेखा मानकों के अनुसार समेकित इंड एएस वित्तीय विवरण तैयार करने और प्रस्तुत करने के ढांचे द्वारा आवश्यक नियंत्रण के आधार पर भूमि को एक परिसंपत्ति के रूप में मान्यता दी जाती है।

ख) विभिन्न सरकारी निकायों और विभागों सहित भूमि मालिकों द्वारा सौंपी गई और होल्डिंग कंपनी द्वारा कब्जे में ली गई भूमि पारसलों को होल्डिंग कंपनी द्वारा भूमि का कब्जा लेने के समय या भुगतान करने पर, जो भी पहले हो, पूंजीकृत किया गया है, सिवाय जहां कब्जा ले लिया गया है लेकिन मूल्य ज्ञात नहीं है।

ग) सरकार से टोकन मूल्य पर प्राप्त भूमि, जिसका स्वामित्व होल्डिंग कंपनी के पास है, को टोकन मूल्य पर मान्यता दी जाती है, यह ध्यान रखते हुए कि भूमि विशिष्ट उद्देश्यों के लिए आवंटित की गई है।

घ) बढ़ा हुआ मुआवजा, यदि कोई हो, भुगतान देय होने पर बुक किया जाएगा क्योंकि राशि का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।

ड.) स्टाम्प ड्यूटी, पंजीकरण शुल्क, अन्य संबंधित शुल्क, पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्था की लागत और भूमि से संबंधित अन्य खर्चों को भूमि की लागत में जोड़ा जाता है।

च) अस्थायी रूप से किए गए भुगतान / कब्जे में ली गई लीज-होल्ड भूमि सहित भूमि से संबंधित लागत या मुआवजे के प्रति प्रदान किए गए दायित्व के समान प्रभाव, ऐसी ध्वस्त संरचनाओं की बिक्री आय को घटाकर संरचनाओं के अधिग्रहण की लागत को भूमि या लीज-होल्ड भूमि की लागत के रूप में माना जाता है।

छ) होल्डिंग कंपनी के लिए भूमि खरीदने के लिए 'भूमि अधिग्रहण के लिए सक्षम प्राधिकारी' (CALA) के साथ संयुक्त रूप से अलग बैंक खाते में जमा की गई राशि को शुरू में भूमि के लिए अग्रिम के रूप में माना जाता है। उक्त उद्देश्य के लिए CALA खातों के माध्यम से सीधे भूमि मालिकों को वहां से वितरण को भूमि लागत के रूप में समायोजित किया जाता है और शेष राशि को CALA के पास अग्रिम के रूप में दर्शाया जाता है।

ज) अस्थायी आधार पर अधिग्रहित भूमि / सड़क चौड़ीकरण, विद्युत उपयोगिता बिछाने के लिए उपयोग की जाने वाली भूमि के प्रति अनंतिम रूप से किए गए भुगतान / प्रदान किए गए दायित्व के समान प्रभाव को भूमि पर निर्मित परिसंपत्तियों की लागत में जोड़ा जाता है।

2.12 गैर-वित्तीय परिसंपत्तियों का अवमूल्यन

परिसंपत्तियों के अवमूल्यन पर इंड एएस-36 के अनुसार, समूह की परिसंपत्तियों के वहन मूल्य की समीक्षा प्रत्येक बैलेंस शीट तिथि पर यह निर्धारित करने के लिए की जाती है कि क्या अवमूल्यन का कोई संकेत है। यदि ऐसा कोई

संकेत मौजूद है, तो परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान बिक्री लागत घटाकर उचित मूल्य और उपयोग में मूल्य के उच्चतर के रूप में लगाया जाता है। अवमूल्यन हानि को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है जब भी किसी परिसंपत्ति या उसकी नकद उत्पन्न करने वाली इकाई का वहन मूल्य उसकी वसूली योग्य राशि से अधिक हो जाता है। पूर्व लेखांकन अवधियों में मान्यता प्राप्त अवमूल्यन हानि को उलट दिया जाता है यदि वसूली योग्य राशि के अनुमान में कोई बदलाव आया है और ऐसी हानि या तो अब मौजूद नहीं है या कम हो गई है। अवमूल्यन हानि की वापसी को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

2.13 (क) राजस्व मान्यता

i. राजस्व को उस सीमा तक मान्यता दी जाती है जहाँ तक यह संभावना है कि आर्थिक लाभ समूह को प्राप्त होंगे और राजस्व को मज़बूती से मापा जा सकता है। हालांकि, जब राजस्व में पहले से शामिल राशि की वसूली के बारे में अनिश्चितता उत्पन्न होती है, तो वसूल न हो सकने वाली राशि, या जिसके संबंध में वसूली संभावित नहीं रह गई है, को पहले से मान्यता प्राप्त राजस्व की राशि के समायोजन के बजाय एक खर्च के रूप में मान्यता दी जाती है।

ii. ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व को तब मान्यता दी जाती है जब माल या सेवाओं का नियंत्रण ग्राहक को उस राशि पर स्थानांतरित किया जाता है जो उस प्रतिफल (Consideration) को दर्शाती है जिसका समूह उन माल या सेवाओं के बदले हकदार होने की उम्मीद करता है।

iii. राजस्व को प्राप्त या प्राप्य प्रतिफल के उचित मूल्य पर मापा जाता है।

iv. सेवाएं प्रदान करने से राजस्व को उस लेखांकन अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें सेवाएं प्रदान की जाती हैं। समय के साथ (Over time) या किसी एक बिंदु पर (At a point in time) संतुष्ट प्रदर्शन दायित्व के आधार पर राजस्व को मान्यता दी जाती है।

क) समय के साथ संतुष्ट प्रदर्शन दायित्व के मामले में, राजस्व को प्रदान की जाने वाली कुल सेवाओं के अनुपात के रूप में रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक प्रदान की गई वास्तविक सेवा के आधार पर मान्यता दी जाती है। यह भौतिक प्रगति, प्रयासों, आज तक हुई लागत और लेन-देन की कुल अनुमानित लागत के अनुपात, बिताए गए समय, निष्पादित सेवा या किसी अन्य विधि के आधार पर निर्धारित किया जाता है जिसे प्रबंधन उपयुक्त समझता है।

ख) अन्य मामलों में जहां प्रदर्शन दायित्व समय के साथ संतुष्ट नहीं होता है, राजस्व को एक बिंदु पर मान्यता दी जाती है।

ग) अनुबंधों के मामले में, जहां ग्राहक भुगतान अनुसूची के आधार पर निश्चित राशि का भुगतान करता है, यदि समूह द्वारा प्रदान की गई सेवाएं भुगतान से अधिक हैं, तो एक अनुबंध परिसंपत्ति को मान्यता दी जाती है। यदि भुगतान प्रदान की गई सेवाओं से अधिक है, तो अनुबंध देनदारी को मान्यता दी जाती है।

घ) मोबिलाइजेशन शुल्क को ग्राहक अग्रिम माना जाता है जब तक कि अनुबंध/कार्य आदेश की शर्तों के अनुसार गतिविधियों/लेन-देन के पूरा होने के चरण के आधार पर राजस्व के रूप में मान्यता न दी जाए।

ङ) पुनर्भुगतान योग्य और आपूर्तियों का हिसाब उपार्जन आधार पर दिया जाता है।

च) निर्माण प्रबंधन/पर्यवेक्षण अनुबंधों में, राजस्व को ग्राहक के अनुमोदन, यदि कोई हो, के लंबित रहने तक प्रबंधन द्वारा निर्धारित प्रत्येक अनुबंध की किए गए कार्य के मूल्य/निर्मित लागत के प्रतिशत के रूप में मान्यता दी जाती है।

छ) किराया संग्रह से आय को क्यूआर टिकट के उपयोग के आधार पर, स्मार्ट/एनसीएमसी कार्ड के मामले में वास्तविक उपयोग के मौद्रिक मूल्य और अन्य प्रत्यक्ष किराया संग्रह के आधार पर मान्यता दी जाती है। राजस्व के रूप में प्रकट की गई राशि रिफंड, छूट, लॉयल्टी/बोनस पॉइंट, छूट आदि घटाकर है।

ज) संपत्ति विकास से गैर-किराया बॉक्स राजस्व/भूमि के संबंध में किराये की आय, स्टेशनों पर स्थान, आदि, विज्ञापन आय, किराया और लाइसेंस आय, स्टेशन नामकरण अधिकार, आयोजनों के लिए स्थान प्रदान करने से आय, प्रायोजन आय आदि को अनुबंध के नियमों और शर्तों के अनुसार जहां भी लागू हो, अन्यथा समय अनुपात आधार पर मान्यता दी जाती है।

झ) स्क्रैप की बिक्री से आय / ग्राहकों से देर से भुगतान पर ब्याज का हिसाब प्राप्ति के आधार पर दिया जाता है।

ञ) देर से भुगतान/अतिदेय व्यापार प्राप्य पर ब्याज को तब

मान्यता दी जाती है जब मापनीयता या वसूली क्षमता के संबंध में कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद न हो।

(ख) अन्य राजस्व मान्यता

i. ब्याज आय को प्रभावी ब्याज दर विधि का उपयोग करके बकाया राशि और लागू ब्याज दर को ध्यान में रखते हुए समय अनुपात आधार पर मान्यता दी जाती है।

ii. लाभांश को तब मान्यता दी जाएगी जब संस्था का भुगतान प्राप्त करने का अधिकार स्थापित हो जाए, आर्थिक लाभ संस्था को प्राप्त होगा और राशि को मज़बूती से मापा जा सकता है।

iii. किराये और परिचालन पट्टों से राजस्व को संबंधित समझौते के सार के अनुसार उपार्जन आधार पर मान्यता दी जाती है।

2.14 कर्मचारी लाभ

क. **परिभाषित अंशदान योजनाएं:** समूह भविष्य निधि योजना और कर्मचारी पेंशन योजना के संबंध में क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को परिभाषित अंशदान करता है। समूह योजना का विकल्प चुनने वाले अपने कर्मचारियों को राष्ट्रीय पेंशन योजना लाभ भी प्रदान करता है। योजनाओं के तहत भुगतान किया गया / देय अंशदान उस अवधि के दौरान मान्यता प्राप्त होता है जिसमें कर्मचारी संबंधित सेवा प्रदान करता है।

ख. **परिभाषित लाभ योजनाएं:** ग्रेच्युटी, छुट्टी का नकदीकरण (Leaves Encashment), लीव ट्रैवल कंसेशन, सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ, सेवानिवृत्ति के समय सामान भत्ता सेवानिवृत्ति के बाद के परिभाषित लाभ योजनाएं हैं। बैलेंस शीट में मान्यता प्राप्त देनदारी बैलेंस शीट तिथि पर परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य है। परिभाषित लाभ दायित्व की गणना अनुमानित इकाई क्रेडिट विधि का उपयोग करके एक स्वतंत्र एक्च्युअरी द्वारा की जाती है।

- समूह अपनी बैलेंस शीट में परिभाषित लाभ योजना के शुद्ध दायित्व को देनदारी के रूप में मान्यता देता है।
- शुद्ध परिभाषित लाभ देनदारी के पुनर्मूल्यांकन के माध्यम से लाभ या हानि को अन्य व्यापक आय (Other Comprehensive Income) में मान्यता दी जाती है।
- शुद्ध परिभाषित लाभ देनदारी/(परिसंपत्ति) पर सेवा लागत और शुद्ध ब्याज लागत/(आय) को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

ग. एक्च्यूएरियल लाभ और हानि, परिसंपत्ति सीमा का प्रभाव, शुद्ध परिभाषित लाभ दायित्व के शुद्ध ब्याज में शामिल राशियों को छोड़कर और योजना परिसंपत्तियों पर रिटर्न (शुद्ध परिभाषित लाभ दायित्व पर शुद्ध ब्याज में शामिल राशियों को छोड़कर) से बने पुनर्मूल्यांकन को उस अवधि में अन्य व्यापक आय में तुरंत मान्यता दी जाती है जिसमें वे घटित होते हैं। बाद की अवधि में पुनर्मूल्यांकन को लाभ और हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाता है।

घ. विदेशी सेवा अंशदान के प्रति प्रावधान / देनदारियाँ प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारियों के लिए मूल संगठन के प्रतिनियुक्ति नियमों और शर्तों के आधार पर की जाती हैं और उपार्जन आधार पर खातों की पुस्तकों में भुगतान की जाती हैं या उनका हिसाब रखा जाता है।

ङ **अल्पकालिक लाभ:** अल्पकालिक कर्मचारी लाभ दायित्वों को गैर-बट्टाकृत आधार पर मापा जाता है और संबंधित सेवा प्रदान किए जाने पर खर्च किया जाता है।

2.15 उधार लागत

योग्य परिसंपत्तियों के अधिग्रहण, निर्माण या उत्पादन के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार सामान्य और विशिष्ट उधार लागतों को ऐसी परिसंपत्तियों की लागत के हिस्से के रूप में तब तक पूंजीकृत किया जाता है जब तक कि परिसंपत्तियां अपने इच्छित उपयोग के लिए काफी हद तक तैयार न हो जाएं।

एक योग्य परिसंपत्ति वह परिसंपत्ति है जिसे अपने इच्छित उपयोग के लिए तैयार होने में अनिवार्य रूप से एक बड़ी समयावधि लगती है। अन्य सभी उधार लागतों को उस अवधि में लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है जिसमें वे उत्पन्न होती हैं।

विदेशी मुद्रा ऋण से उत्पन्न होने वाले विनिमय अंतर को जहां तक ब्याज लागत के समायोजन के रूप में माना जाता है, उधार लागत माना जाता है, जो सीधे योग्य परिसंपत्तियों के अधिग्रहण, निर्माण या उत्पादन के लिए जिम्मेदार है।

समायोजन के लिए पात्र विनिमय में उतार-चढ़ाव हानि की सीमा संचयी अवधि दृष्टिकोण पर विदेशी मुद्रा में उधार

लेने की लागत और कार्यशील मुद्रा में उधार लेने की लागत की तुलना करके निर्धारित की जाती है।

2.16 आय कर

(क) चालू आय कर

आय पर कर का निर्धारण आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अनुसार गणना की गई कर योग्य आय और कर क्रेडिट के आधार पर किया जाता है।

चालू कर परिसंपत्तियों और चालू कर देनदारियों को तब ऑफसेट किया जाता है जब मान्यता प्राप्त राशियों को सेट ऑफ करने का कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार हो और शुद्ध आधार पर परिसंपत्ति और देनदारी को निपटाने का इरादा हो।

OCI मदों से संबंधित चालू कर को अन्य व्यापक आय (OCI) में मान्यता दी जाती है।

(ख) स्थगित कर

इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी भारतीय लेखा मानक (IND-AS 12) "आय कर" के अनुसार।

i) स्थगित आय कर परिसंपत्तियों और देनदारियों को अस्थायी अंतरों के लिए मान्यता दी जाती है, जिसकी गणना कर दरों और कर कानूनों का उपयोग करके की जाती है जो रिपोर्टिंग तिथि पर लागू या मुख्य रूप से लागू हुए हैं।

ii) स्थगित आय कर परिसंपत्ति को उस सीमा तक मान्यता दी जाती है जहाँ तक यह संभावना है कि कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा जिसके विरुद्ध कटौती योग्य अस्थायी अंतरों, और अप्रयुक्त कर क्रेडिट और अप्रयुक्त कर हानियों को आगे ले जाने का उपयोग किया जा सकता है।

iii) स्थगित कर परिसंपत्तियों और स्थगित कर देनदारियों को तब ऑफसेट किया जाता है जब चालू कर का प्रतिनिधित्व करने वाली देनदारियों के विरुद्ध परिसंपत्तियों को सेट ऑफ करने का कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार हो और जहां स्थगित कर परिसंपत्तियां और स्थगित कर देनदारियां समान शासी कराधान कानूनों द्वारा लगाए गए आय पर करों से संबंधित हों।

iv) स्थगित कर परिसंपत्तियों और देनदारियों को कर दरों और कर कानूनों का उपयोग करके मापा जाता है जो बैलेंस शीट तिथि तक लागू या मुख्य रूप से लागू हुए हैं। प्रत्येक बैलेंस शीट तिथि पर, कंपनी अमान्य स्थगित कर परिसंपत्तियों, यदि कोई हो, का पुनर्मूल्यांकन करती है।

v) स्थगित आय कर परिसंपत्तियों के वहन मूल्य की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर की जाती है और इसे उस सीमा तक कम किया जाता है जहाँ तक यह अब संभावित नहीं है कि सभी या आंशिक स्थगित आय कर परिसंपत्ति का उपयोग करने की अनुमति देने के लिए पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा।

vi. OCI मद से संबंधित स्थगित कर को अन्य व्यापक आय (OCI) में मान्यता दी जाती है।

2.17 निवेश संपत्तियां

क) निवेश संपत्ति में पूरी हो चुकी संपत्ति, निर्माणाधीन संपत्ति और फाइनेंस लीज के तहत रखी गई संपत्ति शामिल है जो किराये अर्जित करने या पूंजीगत मूल्यवृद्धि या दोनों के लिए रखी जाती है, न कि व्यवसाय के सामान्य पाठ्यक्रम में बिक्री के लिए या उत्पादन या प्रशासनिक कार्यों में उपयोग के लिए।

ख) निवेश संपत्तियों को लागत में से संचित मूल्यह्रास और संचित अवमूल्यन हानि, यदि कोई हो, घटाकर दर्शाया जाता है।

ग) समूह मूल खरीद की तिथि से कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची II में वर्णित जीवन पर निवेश संपत्ति के प्रत्येक घटक का मूल्यह्रास करता है।

घ) निवेश संपत्तियों को बही से तब हटा दिया जाता है जब या तो उनका निपटान कर दिया गया हो या जब उन्हें उपयोग से स्थायी रूप से हटा दिया गया हो और उनके निपटान से भविष्य में कोई आर्थिक लाभ मिलने की उम्मीद न हो। शुद्ध निपटान आय और परिसंपत्ति के वहन मूल्य के बीच के अंतर को वि-मान्यता की अवधि में लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है।

2.18 प्रावधान, आकस्मिक देनदारियां और आकस्मिक परिसंपत्तियां

क) उन देनदारियों के संबंध में प्रावधानों को मान्यता दी जाती

है जिन्हें केवल अनुमानों की एक बड़ी मात्रा का उपयोग करके मापा जा सकता है जब:

i. अतीत की किसी घटना के परिणाम स्वरूप कंपनी का एक वर्तमान दायित्व है।

ii. दायित्व को निपटाने के लिए आर्थिक लाभों को शामिल करने वाले संसाधनों के संभावित बहिर्वाह की आवश्यकता होगी; और

iii दायित्व की राशि का मज़बूती से अनुमान लगाया जा सकता है। प्रत्येक बैलेंस शीट तिथि पर प्रावधानों की समीक्षा की जाती है।

प्रावधानों का बट्टाकरण

जहां पैसे के समय मूल्य का प्रभाव महत्वपूर्ण है, वहां प्रावधान की राशि दायित्व को निपटाने के लिए आवश्यक होने की उम्मीद वाले व्यय का वर्तमान मूल्य होगी।

ख) निम्नलिखित में से किसी भी मामले में आकस्मिक देनदारियों का खुलासा किया जाता है:

i. अतीत की किसी घटना से उत्पन्न होने वाला एक वर्तमान दायित्व, जब यह संभावना न हो कि दायित्व को निपटाने के लिए संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी; या

ii. वर्तमान दायित्व का विश्वसनीय अनुमान नहीं लगाया जा सकता है; या

iii. एक संभव दायित्व, जब तक कि संसाधन के बहिर्वाह की संभावना दूरस्थ (Remote) न हो।

प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर आकस्मिक देनदारी और आकस्मिक देनदारी और आकस्मिक परिसंपत्तियों के विरुद्ध आवश्यक प्रावधानों की समीक्षा की जाती है।

ग) आकस्मिक परिसंपत्तियों का खुलासा वहां किया जाता है जहां आर्थिक लाभ का अंतर्वाह संभावित होता है।

2.19 लीज

(क) एक पट्टेधारक के रूप में

(i) समूह लीज प्रारंभ तिथि पर एक उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्ति और एक लीज देनदारी को मान्यता देता है। उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्ति को शुरू में लागत पर मापा जाता है, जिसमें प्रारंभ तिथि पर या उससे पहले किए गए किसी भी लीज भुगतान के लिए समायोजित लीज देनदारी की प्रारंभिक राशि, प्लस लीज पर ली गई परिसंपत्ति को हटाने और उस स्थान को पुनर्स्थापित करने की अनुमानित लागत, घटाकर प्राप्त लीज प्रोत्साहन शामिल हैं।

(ii) उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्ति को बाद में प्रारंभ तिथि से उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन के अंत या लीज अवधि के अंत, जो भी पहले हो, तक सीधी-रेखा विधि का उपयोग करके मूल्यह्रासित किया जाता है। उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्ति का अनुमानित उपयोगी जीवन संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के समान आधार पर निर्धारित किया जाता है। इसके अलावा, उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्ति को समय-समय पर अवमूल्यन हानि, यदि कोई हो, द्वारा कम किया जाता है और लीज देनदारी के कुछ पुनर्मूल्यांकन के लिए समायोजित किया जाता है।

(iii) लीज देनदारी को शुरू में उन लीज भुगतानों के वर्तमान मूल्य पर मापा जाता है जो प्रारंभ तिथि पर भुगतान नहीं किए गए हैं, जिन्हें लीज में निहित ब्याज दर का उपयोग करके बट्टाकृत किया जाता है या, यदि वह दर आसानी से निर्धारित नहीं की जा सकती है, तो समूह की वृद्धिशील उधार दर का उपयोग किया जाता है।

(iv) लीज देनदारी को प्रभावी ब्याज विधि का उपयोग करके परिशोधित लागत पर मापा जाता है, और जब किसी सूचकांक या दर में परिवर्तन से भविष्य के लीज भुगतानों में बदलाव होता है तो इसे पुनर्मापित किया जाता है। जब लीज देनदारी को इस तरह से पुनर्मापित किया जाता है, तो उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्ति के वहन मूल्य में एक संबंधित समायोजन किया जाता है या यदि उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्ति का वहन मूल्य शून्य हो गया है तो इसे लाभ और हानि में दर्ज किया जाता है।

(v) समूह उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्ति, जो निवेश संपत्ति की परिभाषा को पूरा नहीं करती है, को बैलेंस शीट के मुख्य भाग पर "उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्ति" में और लीज देनदारियों को बैलेंस शीट में "अन्य वित्तीय देनदारियों" में प्रस्तुत करता है।

(vi) अल्पकालिक लीज और कम मूल्य वाली परिसंपत्तियों की लीज: -

समूह ने अल्पकालिक पट्टों के लिए उपयोग के अधिकार

वाली परिसंपत्ति और लीज देनदारियों को मान्यता न देने का विकल्प चुना है, जिनकी लीज अवधि 12 महीने या उससे कम है और कम मूल्य वाली परिसंपत्तियों की लीज है। समूह इन पट्टों से जुड़े लीज भुगतानों को लीज अवधि के दौरान सीधी-रेखा आधार पर खर्च के रूप में मान्यता देता है।

(vii) ₹ 1.00 करोड़ से अधिक की लीज अवधि के दौरान प्रत्येक लीज समझौते के तहत देय लीज शुल्क को महत्वपूर्ण माना जाता है और तदनुसार इंड एएस 116 लागू किया जाता है।

(ख एक पट्टेदार के रूप में

जब समूह एक लीजदाता के रूप में कार्य करता है, तो यह लीज के प्रारंभ में निर्धारित करता है कि प्रत्येक लीज एक फाइनेंस लीज है या एक ऑपरेटिंग लीज है। प्रत्येक लीज को वर्गीकृत करने के लिए, समूह एक समग्र मूल्यांकन करता है कि क्या लीज परिसंपत्ति के स्वामित्व से जुड़े पर्याप्त रूप से सभी जोखिमों और पुरस्कारों को स्थानांतरित करती है। यदि ऐसा है, तो लीज एक फाइनेंस लीज है, यदि नहीं तो यह एक ऑपरेटिंग लीज है। मूल्यांकन के हिस्से के रूप में, समूह कुछ संकेतकों पर विचार करता है जैसे कि क्या लीज परिसंपत्ति के आर्थिक जीवन के प्रमुख हिस्से के लिए है।

समूह ऑपरेटिंग लीज के तहत प्राप्त लीज भुगतानों को लीज अवधि के दौरान सीधी-रेखा आधार पर "अन्य आय" के हिस्से के रूप में आय के रूप में मान्यता देता है।

2.20 अनुदान

(i) परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए पूंजीगत व्यय की दिशा में सरकार से इक्विटी के बदले अनुदान को अन्य इक्विटी के रूप में दर्शाया जाता है।

(ii) परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए पूंजीगत व्यय की दिशा में दूसरों से तकनीकी अनुदान को शुरू में 'स्थगित आय' के रूप में दर्शाया जाता है। इन्हें बाद में उन परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास के अनुपात में प्रासंगिक परिसंपत्तियों के जीवन के दौरान प्रत्येक वर्ष आय के रूप में मान्यता दी जाती है।

(iii) राजस्व व्यय की दिशा में दूसरों से अनुदान को हुए वास्तविक व्यय की सीमा तक आय माना जाता है।

2.21 अधीनस्थ ऋण

भारत सरकार, दिल्ली सरकार और यूपी सरकार (होल्डिंग कंपनी के प्रवर्तक) ने होल्डिंग कंपनी को ब्याज मुक्त अधीनस्थ ऋण दिया है जो एशियाई विकास बैंक (ADB), न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB) और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक (AIIB) से ब्याज वाले वरिष्ठ ऋणों के पुनर्भुगतान के बाद पुनर्भुगतान योग्य है। चूंकि सरकार से अधीनस्थ ऋण ब्याज मुक्त है, इसलिए इसे इंड एएस 109 और इंड एएस 113 द्वारा यथा आवश्यक उचित मूल्य पर रिपोर्ट किया जाता है, जिसके तहत वित्तीय परिसंपत्तियों या वित्तीय देनदारियों को उचित मूल्य पर मापा जाना आवश्यक है। तदनुसार, ब्याज मुक्त अधीनस्थ ऋण को उचित मूल्य पर मापा जाता है और अधीनस्थ ऋण राशि और उसके उचित मूल्य राशि पर उत्पन्न होने वाले अंतर को गैर-पारस्परिक पूंजी अंशदान के रूप में इक्विटी में मान्यता दी जाती है।

2.22 प्रति शेयर आय

मूल प्रति शेयर आय की गणना अवधि के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या द्वारा इक्विटी शेयरधारकों को देय अवधि के लिए शुद्ध लाभ या हानि को विभाजित करके की जाती है। डाइल्युटिव आय प्रति शेयर की गणना के उद्देश्य से, इक्विटी शेयरधारकों को देय अवधि के लिए शुद्ध लाभ या हानि और अवधि के दौरान बकाया शेयरों की भारित औसत संख्या को सभी सम्भावित डाइल्युटिव इक्विटी शेयरों के प्रभावों के लिए समायोजित किया जाता है।

2.23 इक्विटी धारकों को लाभांश

भुगतान किए गए/देय लाभांश को उस वर्ष में मान्यता दी जाती है जिसमें संबंधित लाभांश शेयरधारकों या निदेशक मंडल द्वारा जैसा भी उपयुक्त हो, अनुमोदित किए जाते हैं।

2.24 उचित मूल्य मापन

i) समूह प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर कुछ वित्तीय साधनों को उचित मूल्य पर मापता है।

ii) उचित मूल्य वह मूल्य है जो मापन तिथि पर बाजार सहभागियों के बीच एक व्यवस्थित लेन-देन में किसी परिसंपत्ति को बेचने के लिए प्राप्त होगा या देनदारी को

स्थानांतरित करने के लिए भुगतान किया जाएगा। उचित मूल्य मापन इस धारणा पर आधारित है कि परिसंपत्ति को बेचने या देनदारी को स्थानांतरित करने का लेन-देन या तो होता है:

- परिसंपत्ति या देनदारी के लिए मुख्य बाजार में, या
- मुख्य बाजार की अनुपस्थिति में, परिसंपत्ति या देनदारी के लिए सबसे लाभदायक बाजार में।

मुख्य या सबसे लाभदायक बाजार समूह के लिए सुलभ होना चाहिए। किसी परिसंपत्ति या देनदारी का उचित मूल्य उन धारणाओं का उपयोग करके मापा जाता है जिनका उपयोग बाजार सहभागी परिसंपत्ति या देनदारी की कीमत तय करते समय करेंगे, यह मानते हुए कि बाजार सहभागी अपने सर्वोत्तम आर्थिक हित में कार्य करते हैं।

समूह उन मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करता है जो परिस्थितियों में उपयुक्त हैं और जिनके लिए उचित मूल्य मापने के लिए पर्याप्त डेटा उपलब्ध है, प्रासंगिक अवलोकन योग्य इनपुट के उपयोग को अधिकतम और गैर-अवलोकन योग्य इनपुट के उपयोग को न्यूनतम करता है।

2.25 वित्तीय साधन

(i) प्रारंभिक मान्यता और मापन

वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों को तब मान्यता दी जाती है जब समूह उपकरण के अनुबंधात्मक प्रावधानों का एक पक्ष बन जाता है।

वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों को शुरू में उचित मूल्य पर मापा जाता है। लेन-देन की लागत जो वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों (लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों को छोड़कर) के अधिग्रहण या निर्गम के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं, को वित्तीय परिसंपत्ति या वित्तीय देनदारी की प्रारंभिक मान्यता पर मापे गए उचित मूल्य में जोड़ा या घटाया जाता है।

(ii) बाद का मापन

वित्तीय परिसंपत्तियां

वित्तीय परिसंपत्तियों को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:

क) परिशोधित लागत पर

वित्तीय परिसंपत्तियों को बाद में परिशोधित लागत पर मापा जाता है यदि ये वित्तीय परिसंपत्तियां एक ऐसे व्यवसाय के भीतर रखी जाती हैं जिसका उद्देश्य अनुबंधात्मक नकद प्रवाह को एकत्र करने के लिए इन परिसंपत्तियों को रखना है और वित्तीय परिसंपत्ति की अनुबंधात्मक शर्तें निर्दिष्ट तिथियों पर नकद प्रवाह को जन्म देती हैं जो केवल मूलधन और बकाया मूलधन पर ब्याज का भुगतान हैं।

ख) अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर एफवीटीओसीआई

वित्तीय परिसंपत्तियों को अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर मापा जाता है यदि ये वित्तीय परिसंपत्तियां एक ऐसे व्यवसाय के भीतर रखी जाती हैं जिसका उद्देश्य अनुबंधात्मक नकद प्रवाह को एकत्र करने और वित्तीय परिसंपत्तियों को बेचने दोनों द्वारा हासिल किया जाता है और वित्तीय परिसंपत्ति की अनुबंधात्मक शर्तें निर्दिष्ट तिथियों पर नकद प्रवाह को जन्म देती हैं जो केवल मूलधन और बकाया मूलधन पर ब्याज का भुगतान हैं।

ग) लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर एफवीटीपीएल

वित्तीय परिसंपत्तियों को लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर मापा जाता है जब तक कि इसे परिशोधित लागत पर या प्रारंभिक मान्यता पर अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर न मापा गया हो। लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों के अधिग्रहण के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार लेन-देन लागत को लाभ या हानि में तुरंत मान्यता दी जाती है।

वित्तीय देनदारियां

वित्तीय देनदारियों को निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है:

क) परिशोधित लागत पर वित्तीय देनदारियां

व्यापार और अन्य देय राशि, सुरक्षा जमा और प्रतिधारण धन आदि द्वारा दर्शाई गई परिशोधित लागत पर वित्तीय देनदारियों को शुरू में उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है, और बाद में प्रभावी ब्याज

दर विधि का उपयोग करके परिशोधित लागत पर ले जाया जाता है।

ख) एफवीटीपीएल पर वित्तीय देनदारियां

समूह ने FVTPL पर किसी भी वित्तीय देनदारियों को नामित नहीं किया है।

(iii) गैर मान्यता

वित्तीय परिसंपत्ति

एक वित्तीय परिसंपत्ति (या, जहां लागू हो, किसी वित्तीय परिसंपत्ति का एक हिस्सा या समान वित्तीय परिसंपत्तियों के समूह का हिस्सा) को बही से केवल तभी हटाया जाता है जब परिसंपत्ति से नकद प्रवाह के अनुबंधत्मक अधिकार समाप्त हो जाते हैं या यह वित्तीय परिसंपत्तियों और परिसंपत्ति के स्वामित्व के पर्याप्त रूप से सभी जोखिमों और पुरस्कारों को स्थानांतरित कर देती है।

वित्तीय देनदारी

एक वित्तीय देनदारी को बही से तब हटाया जाता है जब देनदारी के तहत दायित्व डिस्चार्ज या रद्द कर दिया जाता है या समाप्त हो जाता है। जब एक मौजूदा वित्तीय देनदारी को उसी ऋणदाता द्वारा काफी हद तक अलग-अलग शर्तों पर दूसरे द्वारा बदल दिया जाता है, या किसी मौजूदा देनदारी की शर्तों को काफी हद तक संशोधित किया जाता है, तो ऐसे विनिमय या संशोधन को मूल देनदारी को हटाने और एक नई देनदारी की मान्यता के रूप में माना जाता है, और संबंधित वहन मूल्यों में अंतर को लाभ या हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

iv) वित्तीय परिसंपत्तियों का अवमूल्यन:

समूह अवमूल्यन हानि के मापन और मान्यता के लिए अपेक्षित क्रेडिट हानि (ECL) मॉडल लागू करता है। समूह व्यापार प्राप्य पर अवमूल्यन हानि भत्ते की मान्यता के लिए 'सरलीकृत दृष्टिकोण' का पालन करता है। सरलीकृत दृष्टिकोण के अनुप्रयोग के लिए समूह को क्रेडिट जोखिम में परिवर्तनों को ट्रैक करने की आवश्यकता नहीं होती है। बल्कि, यह इसकी प्रारंभिक मान्यता से ही प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर आजीवन ECLs के आधार पर अवमूल्यन हानि भत्ते को मान्यता देता है।

समूह परिशोधित लागत और FVTOCI ऋण साधनों पर ले जाई जाने वाली अपनी परिसंपत्तियों से जुड़ी अपेक्षित क्रेडिट हानियों का भविष्य के दृष्टिकोण के आधार पर आकलन करता है। अवमूल्यन पद्धति इस बात पर लागू होती है कि क्या क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है।

अवधि के दौरान मान्यता प्राप्त ECL अवमूल्यन हानि भत्ता (या वापसी) को लाभ और हानि के विवरण में आय/व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है।

2.26 बिक्री के लिए रखी गई गैर-चालू परिसंपत्तियां

गैर-चालू परिसंपत्तियों को बिक्री के लिए रखी गई परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जब उनका वहन मूल्य मुख्य रूप से एक बिक्री लेन-देन के माध्यम से वसूल किया जाना होता है और बिक्री अत्यधिक संभावित मानी जाती है। बिक्री को केवल तभी अत्यधिक संभावित माना जाता है जब परिसंपत्ति या निपटान समूह अपनी वर्तमान स्थिति में तत्काल बिक्री के लिए उपलब्ध हो, बिक्री वापस लिए जाने की संभावना न हो, और वर्गीकरण की तिथि से एक वर्ष के भीतर बिक्री की उम्मीद हो। बिक्री के लिए रखे गए के रूप में वर्गीकृत निपटान समूहों को वहन मूल्य और बिक्री की लागत घटाकर उचित मूल्य के निचले स्तर पर दर्शाया जाता है। बिक्री के लिए रखे गए के रूप में वर्गीकृत होने के बाद संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और अमूर्त परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास या ऋणमुक्ति नहीं की जाती है। बिक्री के लिए रखी गई के रूप में वर्गीकृत परिसंपत्तियों और देनदारियों को वित्तीय विवरणों में अलग से प्रस्तुत किया जाता है।

यदि इंड एएस 105 "बिक्री के लिए रखी गई गैर-चालू परिसंपत्तियां और बंद परिचालन" द्वारा बताई गई शर्तें अब पूरी नहीं होती हैं, तो निपटान समूह बिक्री के लिए रखे गए के रूप में वर्गीकृत होना बंद हो जाता है। गैर-चालू परिसंपत्ति जो बिक्री के लिए रखी गई के रूप में वर्गीकृत होना बंद हो जाती है, उसे (i) परिसंपत्ति को बिक्री के लिए रखे जाने के रूप में वर्गीकृत करने से पहले उसके वहन मूल्य, उस मूल्यह्रास के लिए समायोजित जो परिसंपत्ति को बिक्री के लिए रखे जाने के रूप में वर्गीकृत न किए जाने पर मान्यता प्राप्त होता, और (ii) उस तिथि पर इसकी वसूली योग्य राशि जब निपटान समूह बिक्री के लिए रखे जाने के रूप में वर्गीकृत होना बंद हो जाता है, के निचले स्तर पर मापा जाता है।

2.27 बैलेंस शीट की तिथि के बाद होने वाली घटनाएं

बैलेंस शीट की तिथि के बाद होने वाली घटनाओं को इंड एएस 10 (आकस्मिकताएं और बैलेंस शीट तिथि के बाद होने वाली घटनाएं) के अनुसार समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने में ध्यान में रखा जाता है।

2.28 संयुक्त उद्यम और सहयोगी में निवेश

संयुक्त उद्यम और सहयोगी में निवेश लागत पर ले जाए जाते हैं, घटाकर संचित अवमूल्यन हानि, यदि कोई हो। जहां अवमूल्यन का कोई संकेत मौजूद है, वहां निवेश के वहन मूल्य का आकलन किया जाता है और उसकी वसूली योग्य राशि तक लिखा जाता है। निवेश के निपटान पर, शुद्ध निपटान आय और वहन मूल्य के बीच के अंतर को लाभ या हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

2.29 पूर्व अवधि समायोजन

महत्वपूर्ण पूर्व अवधि की त्रुटियों को पूर्व अवधियों के लिए तुलनात्मक राशियों को पुनर्कथित करके पूर्वव्यापी रूप से सही किया जाता है प्रस्तुत की गई पूर्व अवधियों के लिए जिनमें त्रुटि हुई थी। यदि त्रुटि प्रस्तुत की गई जल्द से जल्द अवधि से पहले हुई थी, तो प्रस्तुत की गई जल्द से जल्द अवधि के लिए परिसंपत्तियों, देनदारियों और इक्विटी के शुरुआती शेष को पुनर्कथित किया जाता है जब तक कि यह अव्यवहारिक न हो, जिस स्थिति में, तुलनात्मक जानकारी को नई लेखांकन नीति को व्यावहारिक रूप से जल्द से जल्द तिथि से भावी रूप से लागू करने के लिए समायोजित किया जाता है। पूर्व अवधि समायोजन के लिए महत्वपूर्ण त्रुटि निम्नानुसार है:

i. व्यक्तिगत त्रुटि - कुल परिसंपत्तियों का 0.03% और उससे अधिक।

ii. संचयी त्रुटि (नेटिंग के बिना) - कुल परिसंपत्तियों का 0.3% जहाँ व्यक्तिगत त्रुटि कुल परिसंपत्तियों के 0.03% से कम है।

2.30 नकद और नकद समकक्ष

बैलेंस शीट में नकद और नकद समकक्षों में बैंकों में नकद, हाथ में नकद और तीन महीने या उससे कम की मूल परिपक्वता वाली अल्पकालिक जमा राशि शामिल है, जो आसानी से नकद की ज्ञात राशि में परिवर्तनीय हैं और जो मूल्य में परिवर्तनों के नगण्य जोखिम के अधीन हैं।

2.31 बीमा दावे

बीमा दावों का हिसाब दावों की स्वीकृति के आधार पर रखा जाता है।

2.32 पूर्वदत्त व्यय

प्रत्येक ₹ 500,000/- से अधिक की पूर्वदत्त व्यय की व्यक्तिगत मदों को पूर्वदत्त व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है।

2.33 व्युत्पन्न वित्तीय साधन

समूह विदेशी मुद्रा ऋणों के ब्याज भुगतान पर अपने विदेशी मुद्रा जोखिमों को हेज करने के लिए फॉरवर्ड अनुबंध जैसे व्युत्पन्न वित्तीय साधनों का उपयोग करता है। ऐसे व्युत्पन्न वित्तीय साधनों को शुरू में उस तिथि पर उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है जिस दिन एक व्युत्पन्न अनुबंध दर्ज किया जाता है और बाद में उचित मूल्य पर पुनर्मापित किया जाता है। व्युत्पन्न को वित्तीय परिसंपत्तियों के रूप में ले जाया जाता है जब उचित मूल्य सकारात्मक होता है और वित्तीय देनदारियों के रूप में जब उचित मूल्य नकारात्मक होता है। व्युत्पन्न के उचित मूल्य में परिवर्तनों से उत्पन्न होने वाले किसी भी लाभ या हानि को वित्त लागत में ले जाया जाता है। जहां व्युत्पन्न को एक हेजिंग साधन के रूप में नामित किया जाता है, बाद में उचित मूल्य में परिवर्तनों के लिए लेखांकन हेज की जा रही मद की प्रकृति और नामित हेज संबंध के प्रकार पर निर्भर करता है।

2.34 इन्वेंट्री

स्टोर और स्पेयर की प्रकृति में इन्वेंट्री का मूल्यांकन लागत और शुद्ध वसूली योग्य मूल्य के निचले स्तर पर किया जाता है। लागत भारित औसत आधार पर निर्धारित की जाती है और इसमें इन्वेंट्री को उनके वर्तमान स्थान और स्थिति में लाने में अन्य सीधे जुड़े खर्च शामिल हैं।

2.35 वे लेखांकन नीतियां जो वर्तमान में समूह के लिए प्रासंगिक नहीं हैं, उनका खुलासा नहीं किया गया है। जब ऐसी लेखांकन नीतियां प्रासंगिक हो जाएंगी, तो उनका प्रकटीकरण किया जाएगा।

नोट 3 : सम्पत्ति, संयत्र एवं उपकरण

31 मार्च, 2026 की स्थिति के अनुसार सम्पत्ति, संयत्र एवं उपकरण

(₹ लाख में)

विवरण	सकल वहन राशि				संचित मूल्यह्रास				नेट वहन मूल्य
	1 अप्रैल, 2025 की स्थिति	वृद्धि	निपटान / समायोजन	31 मार्च 2026 की स्थिति	1 अप्रैल, 2025 की स्थिति	वृद्धि	निपटान / समायोजन	31 मार्च 2026 की स्थिति	
फ्रीहोल्ड भूमि	1,47,300.52	8,629.64	(5,265.86)	1,50,664.30	-	-	-	-	1,50,664.30
पट्टाधारित भूमि	43,524.18	2,285.39	6,544.70	52,354.27	-	-	-	-	52,354.27
फ्रीहोल्ड भवन	651.93	5,35,410.05	-	5,36,061.98	67.95	5,346.26	-	5,414.21	5,30,647.77
पट्टाधारित भवन	30,836.80	7,875.35	-	38,712.15	361.17	588.06	-	949.23	37,762.92
वायाडक्ट, पुल, सुरंग, पुलिया एवं बंडर	-	11,47,449.81	-	11,47,449.81	-	11,705.71	-	11,705.71	11,35,744.10
रोलिंग स्टॉक	-	2,60,022.70	-	2,60,022.70	-	2,594.29	-	2,594.29	2,57,428.41
ट्रैक कार्य	-	2,29,728.54	-	2,29,728.54	-	4,584.08	-	4,584.08	2,25,144.46
सिग्नलिंग एवं दूरसंचार उपकरण	-	1,31,417.50	-	1,31,417.50	-	4,796.67	-	4,796.67	1,26,620.83
कर्षण उपरकण	-	64,732.00	-	64,732.00	-	2,583.37	-	2,583.37	62,148.63
स्वचालित किराया संग्रह	-	17,196.23	-	17,196.23	-	1,017.81	-	1,017.81	16,178.42
विद्युत-यांत्रिक कार्य	-	1,355.51	-	1,355.51	-	43.07	-	43.07	1,312.44
सड़कें	3,960.65	184.64	-	4,145.29	556.66	780.93	-	1,337.59	2,807.70
एस्केलेटर एवं लिफ्ट	806.62	17,768.76	-	18,575.38	18.89	724.14	-	743.03	17,832.35
आरएसएस, एएमएस एवं टीएसएस	2,656.80	46,972.63	-	49,629.43	124.47	2,043.31	-	2,167.78	47,461.65
पट्टाधारित सुधार	2,868.85	47.98	-	2,916.83	2,674.65	239.28	-	2,913.93	2.90
अस्थायी भवन	1,348.91	24.22	-	1,373.13	1,278.74	2.25	-	1,280.99	92.14
ईडीपी परिसंपत्तियाँ	2,145.62	195.39	(138.23)	2,202.78	1,329.77	439.65	(118.37)	1,651.05	551.73
कार्यालय उपकरण	1,196.60	3,400.54	(0.30)	4,596.84	812.19	316.57	(0.29)	1,128.47	3,468.37
फर्नीचर एवं जुड़नार	1,541.50	282.82	(24.58)	1,799.74	545.52	203.65	(7.78)	741.39	1,058.35
संयंत्र एवं मशीनरी	143.88	44,541.50	-	44,685.38	13.10	1,772.64	-	1,785.74	42,899.64
कार्यालय सुरक्षा उपकरण	1,228.97	1,634.82	-	2,863.79	117.07	159.39	-	276.46	2,587.33
योग	**2,40,211.83**	**25,21,156.02**	**1,115.73**	**27,62,483.58**	**7,900.18**	**39,941.11**	**(126.44)**	**47,714.87**	**27,14,768.71**

31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार सम्पत्ति, संयत्र एवं उपकरण

(₹ लाख में)

विवरण	सकल वहन राशि				संचित मूल्यह्रास				नेट वहन मूल्य
	1 अप्रैल, 2024 की स्थिति	वृद्धि	निपटान / समायोजन	31 मार्च, 2025 की स्थिति	1 अप्रैल, 2024 की स्थिति	वृद्धि	निपटान / समायोजन	31 मार्च, 2025 की स्थिति	
फ्रीहोल्ड भूमि	1,39,196.12	8,104.40	–	1,47,300.52	–	–	–	–	1,47,300.52
पट्टाधारित भूमि	40,052.64	3,471.54	–	43,524.18	–	–	–	–	43,524.18
फ्रीहोल्ड भवन	651.93	–	–	651.93	44.51	23.44	–	67.95	583.98
पट्टाधारित भवन	–	30,836.80	–	30,836.80	–	361.17	–	361.17	30,475.63
वायाडक्ट, पुल, सुरंग, पुलिया एवं बांध	–	–	–	–	–	–	–	–	–
रेल रोलिंग स्टॉक	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ट्रैक कार्य	–	–	–	–	–	–	–	–	–
सिग्नलिंग एवं दूरसंचार उपकरण	–	–	–	–	–	–	–	–	–
कर्षण उपरकण	–	–	–	–	–	–	–	–	–
स्वचालित किराया संग्रह	–	–	–	–	–	–	–	–	–
विद्युत-यांत्रिक कार्य	–	–	–	–	–	–	–	–	–
सड़कें	–	3,960.65	–	3,960.65	–	556.66	–	556.66	3,403.99
एस्केलेटर एवं लिफ्ट	–	806.62	–	806.62	–	18.89	–	18.89	787.73
आरएसएस, एएमएस एवं टीएसएस	–	2,656.80	–	2,656.80	–	124.47	–	124.47	2,532.33
पट्टाधारित सुधार	2,867.03	1.82	–	2,868.85	2,153.89	520.76	–	2,674.65	194.20
अस्थायी भवन	1,348.91	–	–	1,348.91	1,276.02	2.72	–	1,278.74	70.17
ईडीपी परिसंपत्तियाँ	1,437.03	770.73	(62.14)	2,145.62	803.67	577.78	(51.68)	1,329.77	815.85
कार्यालय उपकरण	1,133.73	63.17	(0.30)	1,196.60	632.79	179.69	(0.29)	812.19	384.41
फर्नीचर एवं जुड़नार	1,115.58	432.37	(6.45)	1,541.50	393.97	153.09	(1.54)	545.52	995.98
संयंत्र एवं मशीनरी	143.88	–	–	143.88	3.99	9.11	–	13.10	130.78
सुरक्षा उपकरण	200.60	1,028.37	–	1,228.97	40.85	76.22	–	117.07	1,111.90
योग	**1,88,147.45**	**52,133.27**	**(68.89)**	**2,40,211.83**	**5,349.69**	**2,604.00**	**(53.51)**	**7,900.18**	**2,32,311.65**

स्पष्टीकरण नोट

(i) फ्रीहोल्ड भूमि, इसमें निम्नलिखित शामिल है: -

(क) जिला गाजियाबाद के दुहाई, भीकनपुर एवं बसंतपुर सैनथली गाँवों में दुहाई डिपो हेतु निजी भूमि के नामांतरण के संबंध में, शून्य हेक्टेयर (2.8711 हेक्टेयर) भूमि का नामांतरण कंपनी के नाम कर दिया गया है तथा शेष 0.8759 हेक्टेयर (0.8759 हेक्टेयर) भूमि का नामांतरण प्रक्रियाधीन है।

(ख) जिला गाजियाबाद के बिशोकर एवं सिकरी खुर्द गाँवों में 2,590.00 वर्ग मीटर (2,090.46 वर्ग मीटर) भूमि की लागत, जो स्टाम्प शुल्क सहित 1,873.84 लाख रुपये (1,736.81 लाख रुपये) है, को वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के अंतर्गत, अधिनियम के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित दर एवं मूल्य पर पूँजीकृत किया गया है।

(ग) जिला मेरठ के सिवाया में मोदीपुरम डिपो हेतु 0.25 हेक्टेयर (3.53 हेक्टेयर) भूमि की लागत, जो स्टाम्प शुल्क सहित 1,532.19 लाख रुपये (4,315.08 लाख रुपये) है, को वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के अंतर्गत, अधिनियम के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित दर एवं मूल्य पर पूँजीकृत किया गया है।

घ) जिला मेरठ के परतापुर, मोहकमपुर, अमीनगर, मेरठ खास, हाफिजाबाद मवला, रोशनपुर दौरली, दुलेहरा चौहान एवं मुक़र्रबपुर पाल्हेड़ा में 0.28 हेक्टेयर (0.39 हेक्टेयर) भूमि की लागत, जो स्टाम्प शुल्क सहित 5,223.61 लाख रुपये (1,843.77 लाख रुपये) है, को वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के अंतर्गत, अधिनियम के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित दर एवं मूल्य पर पूँजीकृत किया गया है।

(ii) पट्टाधारित भूमि, इसमें निम्नलिखित शामिल है:-

(क) दिल्ली के खिचड़ीपुर में 1,588.54 वर्ग मीटर भूमि, जो पूर्वी दिल्ली नगर निगम द्वारा रैंप हेतु आवंटित की गई थी और जिसकी राशि 217.77 लाख रुपये है, को वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान फ्रीहोल्ड भूमि से पट्टाधारित भूमि में पुनर्वर्गीकृत किया गया है।

(ख) दिल्ली के सराय काले खाँ में 2.98 एकड़ भूमि, जो दक्षिणी दिल्ली नगर निगम द्वारा सराय काले खाँ स्टेशन एवं वायाडक्ट हेतु आवंटित की गई थी और जिसकी राशि 1,945.04 लाख रुपये है, को वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान फ्रीहोल्ड भूमि से पट्टाधारित भूमि में पुनर्वर्गीकृत किया गया है।

(ग) दिल्ली के खिचड़ीपुर में 7,241.54 वर्ग मीटर भूमि, जो सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग द्वारा डाउन रैंप हेतु आवंटित की गई थी और जिसकी राशि 1,410.08 लाख रुपये है, को वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान फ्रीहोल्ड भूमि से पट्टाधारित भूमि में पुनर्वर्गीकृत किया गया है।

(घ) दिल्ली के सिद्धार्थ एक्सटेंशन में 12.56 वर्ग मीटर भूमि, जो दक्षिणी दिल्ली नगर निगम द्वारा सराय काले खाँ स्टेशन एवं वायाडक्ट हेतु आवंटित की गई थी और जिसकी राशि 2.03 लाख रुपये है, को वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान फ्रीहोल्ड भूमि से पट्टाधारित भूमि में पुनर्वर्गीकृत किया गया है।

(ङ) दिल्ली के जंगपुरा में 259.50 वर्ग मीटर भूमि, जो दक्षिणी दिल्ली नगर निगम द्वारा रिंग रोड से स्टेबलिंग यार्ड तक एलिवेटेड कनेक्टिविटी हेतु आवंटित की गई थी और जिसकी राशि 41.85 लाख रुपये है, को वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान फ्रीहोल्ड भूमि से पट्टाधारित भूमि में पुनर्वर्गीकृत किया गया है।

(च) दिल्ली के आनंद विहार एवं पटपड़गंज संस्थागत क्षेत्र में 8,469 वर्ग मीटर भूमि, जो सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग द्वारा डाउन रैंप हेतु आवंटित की गई थी और जिसकी राशि 1,649.09 लाख रुपये है, को वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान फ्रीहोल्ड भूमि से पट्टाधारित भूमि में पुनर्वर्गीकृत किया गया है।

(छ) मेरठ कैंट, उत्तर प्रदेश में 4,354.42 वर्ग मीटर भूमि, जो भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय द्वारा रैंप हेतु आवंटित की गई थी और जिसकी राशि 1,817.28 लाख रुपये है, को वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान पट्टाधारित भूमि के रूप में पूँजीकृत किया गया है।

(ज) दिल्ली के जंगपुरा में 50.88 वर्ग मीटर भूमि, जो दक्षिणी दिल्ली नगर निगम द्वारा सराय काले खाँ से खिचड़ीपुर एवं जंगपुरा स्टेबलिंग यार्ड तक आरआरटीएस संरेखण हेतु आवंटित की गई थी और जिसकी राशि 5.07 लाख रुपये है, को वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान पट्टाधारित भूमि के रूप में पूँजीकृत किया गया है।

(झ) दिल्ली के जंगपुरा में सराय काले खाँ स्थित कास्टिंग यार्ड हेतु नई दिल्ली नगर निगम द्वारा आवंटित 3.14

वर्ग मीटर भूमि, जिसकी राशि 0.52 लाख रुपये है, को वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान पट्टाधारित भूमि के रूप में पूँजीकृत किया गया है।

(ञ) मुरादनगर स्टेशन (प्रवेश/निकास एवं पार्किंग) हेतु आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उखलारसी, मोदीनगर में आवंटित 9,569 वर्ग मीटर भूमि, जिसकी राशि 408.12 लाख रुपये है, को वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान पट्टाधारित भूमि के रूप में पूँजीकृत किया गया है।

(ट) वायाडक्ट एवं स्टेशन हेतु आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अर्थला एवं कैला, गाजियाबाद में आवंटित 3,616.17 वर्ग मीटर भूमि, जिसकी राशि 54.40 लाख रुपये है, को वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान पट्टाधारित भूमि के रूप में पूँजीकृत किया गया है।

(ठ) आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा जंगपुरा में 17.27 हेक्टेयर भूमि एनसीआरटीसी को आवंटित की गई है। इसमें से 1.18 हेक्टेयर भूमि अभी भी मेसर्स हिंदुस्तान प्रीफैब लिमिटेड (एचपीएल) के कब्जे में है।

(ड) निम्नलिखित भूमि खंडों के संबंध में पट्टा विलेख का निष्पादन लंबित है:

(₹ लाख में)

क्र सं.	हक विलेख धारक का नाम/वर्तमान प्राधिकरण	स्थल	किस वित्तीय वर्ष से सम्पत्ति धारित	क्षेत्र	सकल वहन राशि* (रुपये लाख में)	क्या हक विलेख धारक प्रोमोटर, निदेशक अथवा प्रोमोटर/निदेशक से संबंधित या प्रोमोटर/ निदेशक का कर्मचारी है	कम्पनी के नाम धारित न होने के कारण
1	पूर्वी दिल्ली नगर निगम	खिचड़ीपुर, दिल्ली	2019-20	1,588.54 वर्गमीटर	217.77	नहीं	हक विलेख अंतरण दस्तावेज संबंधित सक्षम प्राधिकारी के सम्मुख विचाराधीन है।
2	दक्षिणी दिल्ली नगर निगम	सराय काले खां, दिल्ली	2020-21	2.98 एकड़	1,945.04	नहीं	हक विलेख अंतरण दस्तावेज संबंधित सक्षम प्राधिकारी के सम्मुख विचाराधीन है।
3	सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग	खिचड़ीपुर, दिल्ली	2021-22	7,241.54 वर्गमीटर	1,410.08	नहीं	हक विलेख अंतरण दस्तावेज संबंधित सक्षम प्राधिकारी के सम्मुख विचाराधीन है।
4	दक्षिणी दिल्ली नगर निगम	सिद्धार्थ एक्सटेंशन, दिल्ली	2021-22	12.56 वर्गमीटर	2.03	नहीं	हक विलेख अंतरण दस्तावेज संबंधित सक्षम प्राधिकारी के सम्मुख विचाराधीन है।
5	दक्षिणी दिल्ली नगर निगम	जंगपुरा, दिल्ली	2021-22	259.50 वर्गमीटर	41.85	नहीं	हक विलेख अंतरण दस्तावेज संबंधित सक्षम प्राधिकारी के सम्मुख विचाराधीन है।
6	सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग	आनंद विहार एवं पटपड़गंज संस्थागत क्षेत्र, दिल्ली	2023-24	8,469 वर्गमीटर	1,649.09	नहीं	हक विलेख अंतरण दस्तावेज संबंधित सक्षम प्राधिकारी के सम्मुख विचाराधीन है।
7	भूमि एवं विकास कार्यालय, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय	जंगपुरा, दिल्ली	2019-20	12 हेक्टेयर	19,353.82	नहीं	हक विलेख अंतरण दस्तावेज संबंधित सक्षम प्राधिकारी के सम्मुख विचाराधीन है।
8	दिल्ली विकास प्राधिकरण	पटपड़गंज संस्थागत क्षेत्र, दिल्ली	2020-21	335 वर्गमीटर	74.19	नहीं	हक विलेख अंतरण दस्तावेज संबंधित सक्षम प्राधिकारी के सम्मुख विचाराधीन है।

क्र सं.	हक विलेख धारक का नाम/वर्तमान प्राधिकरण	स्थल	किस वित्तीय वर्ष से सम्पत्ति धारित	क्षेत्र	सकल वहन राशि* (रुपये लाख में)	क्या हक विलेख धारक प्रोमोटर, निदेशक अथवा प्रोमोटर/निदेशक से संबंधित या प्रोमोटर/ निदेशक का कर्मचारी है	कम्पनी के नाम धारित न होने के कारण
9	दिल्ली विकास प्राधिकरण	न्यू अशोक नगर, दिल्ली	2020-21	2,153 वर्गमीटर	354.86	नहीं	हक विलेख अंतरण दस्तावेज संबंधित सक्षम प्राधिकारी के सम्मुख विचाराधीन है।
10	दिल्ली विकास प्राधिकरण	यमुना खादर, दिल्ली	2020-21	4,500 वर्गमीटर	876.24	नहीं	हक विलेख अंतरण दस्तावेज संबंधित सक्षम प्राधिकारी के सम्मुख विचाराधीन है।
11	दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड	जंगपुरा, दिल्ली	2021-22	297 वर्गमीटर	645.86	नहीं	हक विलेख अंतरण दस्तावेज संबंधित सक्षम प्राधिकारी के सम्मुख विचाराधीन है।
12	दिल्ली जल बोर्ड	जंगपुरा, दिल्ली	2021-22	3,123 वर्गमीटर	621.76	नहीं	हक विलेख अंतरण दस्तावेज संबंधित सक्षम प्राधिकारी के सम्मुख विचाराधीन है।
13	दिल्ली विकास प्राधिकरण	न्यू अशोक नगर, दिल्ली	2021-22	313 वर्गमीटर	62.32	नहीं	हक विलेख अंतरण दस्तावेज संबंधित सक्षम प्राधिकारी के सम्मुख विचाराधीन है।
14	दिल्ली जल बोर्ड	कल्याणपुरी, खोड़ली पुल के पास, दिल्ली	2022-23	362.70 वर्गमीटर	72.21	नहीं	हक विलेख अंतरण दस्तावेज संबंधित सक्षम प्राधिकारी के सम्मुख विचाराधीन है।
15	भूमि एवं विकास कार्यालय, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय	जंगपुरा, दिल्ली	2022-23	5.27 हेक्टेयर	8,499.21	नहीं	हक विलेख अंतरण दस्तावेज संबंधित सक्षम प्राधिकारी के सम्मुख विचाराधीन है।
16	दिल्ली विकास प्राधिकरण	सराय काले खां, दिल्ली	2022-23	17,528 वर्गमीटर	4,759.74	नहीं	हक विलेख अंतरण दस्तावेज संबंधित सक्षम प्राधिकारी के सम्मुख विचाराधीन है।
17	दिल्ली विकास प्राधिकरण	आनंद विहार, दिल्ली	2022-23	10,198 वर्गमीटर	2,769.36	नहीं	हक विलेख अंतरण दस्तावेज संबंधित सक्षम प्राधिकारी के सम्मुख विचाराधीन है।
18	रक्षा भूमि ए-1, मेरठ कैंट	मेरठ कैंट	2025-26	4,354.42 वर्गमीटर	1,817.28	नहीं	हक विलेख अंतरण दस्तावेज संबंधित सक्षम प्राधिकारी के सम्मुख विचाराधीन है।
19	दक्षिणी दिल्ली नगर निगम (एसडीएमसी)	सराय काले खां	2025-26	50.88 वर्गमीटर	5.07	नहीं	हक विलेख अंतरण दस्तावेज संबंधित सक्षम प्राधिकारी के सम्मुख विचाराधीन है।
20	नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (एनडीएमसी)	सराय काले खां	2025-26	3.14 वर्गमीटर	0.52	नहीं	हक विलेख अंतरण दस्तावेज संबंधित सक्षम प्राधिकारी के सम्मुख विचाराधीन है।
	योग				**45,178.31**		

* सकल वहन मूल्य में हक विलेख अंतरण के समय चुकता की जाने वाली 4,858.94 लाख रुपये की स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीकरण प्रभार की राशि शामिल है।

(ढ) कंपनी को विभिन्न सरकारी एजेंसियों/प्राधिकरणों से टोकन मूल्य पर स्थाई आधार पर अंतरित भूमि पर कार्य की अनुमति प्राप्त हुई है जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

(₹ लाख में)

क्र सं.	हक विलेख धारक का नाम/वर्तमान प्राधिकरण	उद्देश्य एवं स्थल	किस वित्तीय वर्ष से सम्पत्ति धारित	क्षेत्र (वर्ग मीटर)	सकल वहन राशि * रुपये लाख में	क्या हक विलेख धारक प्रोमोटर, निदेशक अथवा प्रोमोटर/ निदेशक से संबंधित या प्रोमोटर/निदेशक का कर्मचारी है	कम्पनी के नाम धारित न होने के कारण
1	सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश	वायाडक्ट, जनुबी चौराहा, दिल्ली	2020-21	613.21	9.81	नहीं	हक विलेख अंतरण दस्तावेज संबंधित सक्षम प्राधिकारी के सम्मुख विचाराधीन है।
2	सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश – गंगा	स्टेशन प्रवेश/ निकास, न्यू अशोक नगर, दिल्ली	2020-21	8,000.00	157.08	नहीं	हक विलेख अंतरण दस्तावेज संबंधित सक्षम प्राधिकारी के सम्मुख विचाराधीन है।
3	वन विभाग, उत्तर प्रदेश (आरक्षित वन)	शताब्दी नगर, आरक्षित वन, मेरठ	2020-21	6,393.00	34.94	नहीं	हक विलेख अंतरण दस्तावेज संबंधित सक्षम प्राधिकारी के सम्मुख विचाराधीन है।
4	वन विभाग, उत्तर प्रदेश (आरक्षित वन)	रिथानी, आरक्षित वन, मेरठ	2020-21	596.00	3.26	नहीं	हक विलेख अंतरण दस्तावेज संबंधित सक्षम प्राधिकारी के सम्मुख विचाराधीन है।
5	उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम	साहिबाबाद स्टेशन, साहिबाबाद, गाजियाबाद	2020-21	7,860.00	138.34	नहीं	हक विलेख अंतरण दस्तावेज संबंधित सक्षम प्राधिकारी के सम्मुख विचाराधीन है।
6	ग्राम पंचायत, जिलाधिकारी, गाजियाबाद	दुहाई डिपो, दुहाई, गाजियाबाद	2020-21	3,285.00	20.97	नहीं	हक विलेख अंतरण दस्तावेज संबंधित सक्षम प्राधिकारी के सम्मुख विचाराधीन है।
7	ग्राम पंचायत, जिलाधिकारी, गाजियाबाद	दुहाई डिपो, भीकनपुर, गाजियाबाद	2020-21	9,302.00	13.40	नहीं	हक विलेख अंतरण दस्तावेज संबंधित सक्षम प्राधिकारी के सम्मुख विचाराधीन है।
8	ग्राम पंचायत, जिलाधिकारी, मेरठ	मोदीनगर डिपो, सिवाया, मेरठ	2020-21	21,040.00	25.25	नहीं	हक विलेख अंतरण दस्तावेज संबंधित सक्षम प्राधिकारी के सम्मुख विचाराधीन है।
9	ग्राम पंचायत, जिलाधिकारी, मेरठ	मेरठ साउथ स्टेशन, भूलबराल अमीनपुर, मेरठ	2020-21	470.00	1.16	नहीं	हक विलेख अंतरण दस्तावेज संबंधित सक्षम प्राधिकारी के सम्मुख विचाराधीन है।

क्र सं.	हक विलेख धारक का नाम/वर्तमान प्राधिकरण	उद्देश्य एवं स्थल	किस वित्तीय वर्ष से सम्पत्ति धारित	क्षेत्र (वर्ग मीटर)	सकल वहन राशि * रुपये लाख में	क्या हक विलेख धारक प्रोमोटर, निदेशक अथवा प्रोमोटर/ निदेशक से संबंधित या प्रोमोटर/निदेशक का कर्मचारी है	कम्पनी के नाम धारित न होने के कारण
10	सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश	वायाडक्ट, चिल्ला सरोदा खादर, दिल्ली	2020-21	94.34	1.85	नहीं	हक विलेख अंतरण दस्तावेज संबंधित सक्षम प्राधिकारी के सम्मुख विचाराधीन है।
11	सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश	वायाडक्ट, चिल्ला सरोदा बांगर, न्यू अशोक नगर, दिल्ली	2020-21	3,560.72	69.91	नहीं	हक विलेख अंतरण दस्तावेज संबंधित सक्षम प्राधिकारी के सम्मुख विचाराधीन है।
12	सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश	वायाडक्ट, दल्लूपुरा, दिल्ली	2020-21	1,628.65	31.98	नहीं	हक विलेख अंतरण दस्तावेज संबंधित सक्षम प्राधिकारी के सम्मुख विचाराधीन है।
13	सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश	वायाडक्ट, कोंडली, दिल्ली	2020-21	1,423.14	27.94	नहीं	हक विलेख अंतरण दस्तावेज संबंधित सक्षम प्राधिकारी के सम्मुख विचाराधीन है।
14	ग्राम पंचायत, जिलाधिकारी, गाजियाबाद	दुहाई डिपो, सैनथली, गाजियाबाद	2020-21	120.00	0.23	नहीं	हक विलेख अंतरण दस्तावेज संबंधित सक्षम प्राधिकारी के सम्मुख विचाराधीन है।
15	रक्षा विभाग	प्रवेश/निकास, भैंसाली स्टेशन, भैंसाली	2024-25	2,025.48	84.26	नहीं	हक विलेख अंतरण दस्तावेज संबंधित सक्षम प्राधिकारी के सम्मुख विचाराधीन है।
16	रक्षा विभाग	प्रवेश/निकास स्टेशन, बेगमपुल	2024-25	7,964.70	331.33	नहीं	हक विलेख अंतरण दस्तावेज संबंधित सक्षम प्राधिकारी के सम्मुख विचाराधीन है।
17	रक्षा विभाग	रैंप, एमईएस रैंप	2024-25	4,925.68	37.44	नहीं	हक विलेख अंतरण दस्तावेज संबंधित सक्षम प्राधिकारी के सम्मुख विचाराधीन है।
18	रक्षा विभाग	प्रवेश/निकास, एमईएस कॉलोनी, एमईएस कॉलोनी	2024-25	2,699.19	20.51	नहीं	हक विलेख अंतरण दस्तावेज संबंधित सक्षम प्राधिकारी के सम्मुख विचाराधीन है।
19	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (कृषि मंत्रालय)	प्रवेश/निकास, मोदीनगर स्टेशन, मोदीनगर	2024-25	10,800.00	142.56	नहीं	हक विलेख अंतरण दस्तावेज संबंधित सक्षम प्राधिकारी के सम्मुख विचाराधीन है।

क्र सं.	हक विलेख धारक का नाम/वर्तमान प्राधिकरण	उद्देश्य एवं स्थल	किस वित्तीय वर्ष से सम्पत्ति धारित	क्षेत्र (वर्ग मीटर)	सकल वहन राशि * रुपये लाख में	क्या हक विलेख धारक प्रोमोटर, निदेशक अथवा प्रोमोटर/ निदेशक से संबंधित या प्रोमोटर/निदेशक का कर्मचारी है	कम्पनी के नाम धारित न होने के कारण
20	सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (एसवीपीयूएटी)	पहुंच मार्ग, मोदीनगर आरआरटीएस स्टेशन से मोदीनगर डिपो के बीच	2024-25	4,809.00	6.93	नहीं	हक विलेख अंतरण दस्तावेज संबंधित सक्षम प्राधिकारी के सम्मुख विचाराधीन है।
	योग				**1,159.15**		

* सकल वहन मूल्य में 1,159.15 लाख रुपये की स्टाम्प ड्यूटी की अनुमानित राशि शामिल है जिसका भुगतान हक विलेख अंतरण के समय किया जाना है तथा जिसका पूंजीयन वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान किया गया है।

नोट 4 : उपयोग अधिकारी परिसम्पत्तियां

(₹ लाख में)

विवरण	भूमि	योग
सकल वहन राशि		
1 अप्रैल 2024 की स्थिति	**370.50**	**370.50**
आवर्धन	33.43	33.43
निपटान/समायोजन		
31 मार्च 2025 की स्थिति	**403.93**	**403.93**
आवर्धन	142.24	142.24
निपटान/समायोजन	–	–
31 मार्च 2026 की स्थिति	**546.17**	**546.17**
मूल्यह्रास/परिशोधन		
1 अप्रैल 2024 की स्थिति	**341.42**	**341.42**
वर्ष के लिए मूल्यह्रास	50.62	50.62
निपटान/समायोजन		
31 मार्च 2025 की स्थिति	**392.04**	**392.04**
वर्ष के लिए मूल्यह्रास	108.21	108.21
निपटान/समायोजन		
31 मार्च 2026 की स्थिति	**500.25**	**500.25**
नेट वहन मूल्य		
31 मार्च 2026 की स्थिति	**45.92**	**45.92**
31 मार्च 2025 की स्थिति	**11.89**	**11.89**



नोट 5 : पूंजी कार्य प्रगति पर

(₹ लाख में)

विवरण	योग
1 अप्रैल 2024 को प्रारंभिक शेष राशि	**19,04,310.52**
आवर्धन (अनुवर्ती व्यय)	4,31,418.12
समायोजन (पूंजीयन)	(38,943.74)
31 मार्च, 2025 को अंत शेष	**22,96,784.90**
आवर्धन (अनुवर्ती व्यय)	2,56,268.61
समायोजन (पूंजीयन)	(25,10,451.88)
31 मार्च, 2026 को अंत शेष	**42,601.63**

नोट 5.1 : पूंजी कार्य प्रगति पर का विवरण

(₹ लाख में)

विवरण	1 अप्रैल 2024 की स्थिति	आवर्धन	समायोजन (पूंजीयन)	31.03.2025 की स्थिति	आवर्धन	समायोजन (पूंजीयन)	31 मार्च 2026 की स्थिति
परियोजना व्यय							
स्थायी रास्ता	1,08,316.10	31,909.33	-	1,40,225.43	11,492.30	(1,51,717.73)	-
रोलिंग स्टॉक	1,05,992.30	72,236.95	-	1,78,229.25	33,896.08	(2,12,125.33)	-
वायाडक्ट, पुल, सुरंग, पुलिया बंडर	7,53,918.08	41,103.72	-	7,95,021.80	21,663.27	(8,11,513.11)	5,171.96
सिग्नलिंग एवं दूरसंचार उपकरण	59,103.80	11,502.44	-	70,606.24	8,476.93	(79,083.17)	-
सुरक्षा उपकरण	1,130.13	-	(496.41)	633.72	149.25	(631.54)	151.43
संयंत्र एवं मशीनरी	293.47	502.43	-	795.90	-	(795.88)	0.02
स्टेशन भवन	1,83,581.91	43,911.94	-	2,27,493.85	33,080.95	(2,57,032.85)	3,541.95
कर्षण एवं विद्युत आपूर्ति	47,796.04	24,508.22	-	72,304.26	14,754.96	(87,059.22)	-
कर्मचारी आवास	15,577.46	2,649.77	(16,196.00)	2,031.23	3,227.74	(3,275.23)	1,983.74
डिपो सह कार्यशाला	35,314.90	9,130.42	-	44,445.32	5,012.07	(39,726.50)	9,730.89
जीएसटी/सीमा शुल्क पूंजीकृत	1,63,272.03		(186.46)	1,63,085.57		(1,61,047.54)	2,038.03
स्वचालित किराया संग्रहण	2,777.53	2,898.95	-	5,676.48	11,122.13	(16,334.24)	464.37
प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर	139.61	1,615.47	-	1,755.08	1,538.87	(3,293.95)	-
निर्माण के दौरान व्यय (नेट) (संदर्भ नोट 5.1.(i))	2,16,851.35	59,832.98	(17,678.27)	2,59,006.06	30,173.87	(2,72,581.69)	16,598.23
निर्माण के दौरान आनुषंगिक व्यय(संदर्भ नोट 5.2)	2,10,245.81	1,29,615.50	(4,386.60)	3,35,474.71	81,680.19	(4,14,233.89)	2,921.01
योग	**19,04,310.52**	**4,31,418.12**	**(38,943.74)**	**22,96,784.89**	**2,56,268.61**	**(25,10,451.88)**	**42,601.63**



स्पष्टीकरण नोट

(i) कंपनी को दिल्ली और मेरठ के बीच 82.15 किमी लंबे क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस) कॉरिडोर के विकास का दायित्व सौंपा गया है, जिसका उद्देश्य दिल्ली और मेरठ के बीच यात्रियों को निर्बाध संपर्क प्रदान करना है। परियोजना कार्यान्वयनाधीन थी और 14 अगस्त 2025 को (अर्थात् पूरे कॉरिडोर के लिए सीएमआरएस प्रमाणपत्र प्राप्त होने की तारीख को) पूर्ण हो गई। तदनुसार, पूंजीकरण की तारीख तक का परिचालन व्यय (राजस्व को घटाने के बाद) 1,720.39 लाख रुपये (10,900.43 लाख रुपये), संचयी 18,158.72 लाख रुपये (16,438.33 लाख रुपये), को पूंजीगत कार्य प्रगति पर (CWIP) में डेबिट किया गया है।

(ii) कंपनी ने वर्ष के दौरान 27,823.47 लाख रुपये (51,046.44 लाख रुपये) का जीएसटी/सीमा शुल्क पूंजीगत कार्य प्रगति पर (सीडब्ल्यूआईपी) के हिस्से के रूप में पूंजीकृत किया है। यह राशि परियोजना संबंधी व्यय पर आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों को आपूर्ति/कार्य आदि के लिए किए गए भुगतान से संबंधित है, जो सीजीएसटी अधिनियम की धारा 17(5) के अनुसार अपात्र जीएसटी क्रेडिट का प्रतिनिधित्व करती है। कॉरिडोर के वित्तीय मॉडल एवं दिनांक 7 मार्च 2019 के स्वीकृति पत्र के आधार पर जीएसटी को सीडब्ल्यूआईपी के रूप में माना गया है, क्योंकि अप्रत्यक्ष कर (सीमा शुल्क एवं जीएसटी) का वित्तपोषण केंद्र एवं राज्य सरकारों से अधीनस्थ ऋण के रूप में किया जाना है। इसके अतिरिक्त, कंपनी को करों के लिए 3,00,900 लाख रुपये (2,80,000.00 लाख रुपये) का अधीनस्थ ऋण प्राप्त हुआ है, जिसके विरुद्ध 31 मार्च 2026 तक जीएसटी से संबंधित 3,12,840.23 लाख रुपये (2,80,911.33 लाख रुपये) का व्यय किया जा चुका है।

(iii) कम्पनी को विभिन्न सरकारी एजेंसियों से भूमि पर कार्य के लिए अस्थाई आधार पर अनुमति प्राप्त हुई है। इससे संबंधित विवरण निम्निलिखित है: -

क्र सं.	हक विलेख किस नाम से धारित है/ वर्तमान प्राधिकरण	उद्देश्य एवं स्थल	किस वित्तीय वर्ष से सम्पत्ति का धारण है	क्षेत्र (वर्ग मीटर)
1	दक्षिणी दिल्ली नगर निगम	सराय काले खां में आरआरटीएस स्टेशन एवं वायाडक्ट का निर्माण	2020-21	6300
2	दिल्ली विकास प्राधिकरण	गाजीपुर फल मंडी में एलिवेटेड सेक्शन के लिए कास्टिंग यार्ड की स्थापना	2020-21	94372
3	दिल्ली परिवहन अवसंरचना विकास निगम	सराय काले खां आरआरटीएस स्टेशन के निर्माण हेतु	2020-21	8760
4	दिल्ली विकास प्राधिकरण	सराय काले खां में आरआरटीएस के निर्माण हेतु राइट ऑफ वे (ROW)	2021-22	1500
5	दिल्ली विकास प्राधिकरण	सीबीसीजी, शाहदरा में भूमिगत सेक्शन के लिए कास्टिंग यार्ड की स्थापना	2020-21	82250
6	उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास प्राधिकरण/भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड	वैशाली रैंप भूमिगत का निर्माण	2020-21	38930.76
7	मेरठ विकास प्राधिकरण	सेक्टर 4सी, शताब्दी नगर कास्टिंग यार्ड	2020-21	206000
8	रक्षा संपदा कार्यालय, मेरठ कैंट.	अस्थायी भूमि (रक्षा), बेगमपुल, एनसीसी एवं एमईएस कॉलोनी स्टेशन	2023-24	7543.34

नोट 5.2 : निर्माण के दौरान आनुषंगिक व्ययों का विवरण

विवरण	संदर्भ नोट	31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए
कर्मचारी हितलाभ व्यय	**26**	10,043.02	9,883.17
वित्त लागतें	**27**	60,866.67	1,06,544.67
मूल्यह्रास एवं परिशोधन लागत	**28**	1,548.41	2,993.41

विवरण	संदर्भ नोट	31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए
अन्य व्यय	**29**	9,222.09	5,807.65
योग		**81,680.19**	**1,25,228.90**
घटाएँ: समायोजन/(पूंजीकृत)			
कर्मचारी हितलाभ व्यय		(9,222.30)	–
वित्त लागतें		(60,866.67)	–
मूल्यह्रास एवं परिशोधन लागत		(1,548.42)	–
अन्य व्यय		(8,212.44)	–
योग		**1,830.34**	**1,25,228.90**

नोट 5.3 : सीडब्ल्यूआईपी की निर्माण अनुसूची का उपयोज्यता कालक्रम

31 मार्च 2026 की स्थिति

(₹ लाख में)

सीडब्ल्यूआईपी	निम्नलिखित अवधि के लिए सीडब्ल्यूआईपी की राशि				योग
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
परियोजना प्रगति पर	7,366.56	11,846.31	17,307.14	6,081.62	42,601.63
अस्थाई रूप से निलंबित परियोजनाएं	–	–	–	–	–
योग	**7,366.56**	**11,846.31**	**17,307.14**	**6,081.62**	**42,601.63**

31 मार्च 2025 की स्थिति

(₹ लाख में)

सीडब्ल्यूआईपी	निम्नलिखित अवधि के लिए सीडब्ल्यूआईपी की राशि				योग
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
परियोजना प्रगति पर	3,92,474.38	5,70,929.68	7,07,234.22	6,26,146.62	22,96,784.90
अस्थाई रूप से निलंबित परियोजनाएं	–	–	–	–	–
योग	**3,92,474.38**	**5,70,929.68**	**7,07,234.22**	**6,26,146.62**	**22,96,784.90**

नोट 5.4 : सीडब्ल्यूआईपी कार्य निष्पादन विलंब कार्यक्रम

31 मार्च 2026 की स्थिति

(₹ लाख में)

सीडब्ल्यूआईपी	निम्नलिखित अवधि में कार्य समाप्ति				योग
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
	शून्य				

31 मार्च 2025 की स्थिति

सीडब्ल्यूआईपी	निम्नलिखित अवधि में कार्य समाप्ति				योग
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
	शून्य				

ऐसी कोई परियोजना नहीं है जो विलंबित हो अथवा जिसमें तुलन पत्र तिथि के अनुसार मूल अनुमान से अधिक लागत हुई हो।

नोट 6.1 : अमूर्त परिसम्पत्तियां

(₹ लाख में)

विवरण	स्पैक्ट्रम लाइसेंस	प्लेटफाम्र स्क्रीन डोर अधिकारी	भूमि अधिकार	साफ्टवेयर	योग
सकल वहन मूल्य					
01 अप्रैल 2024 को प्रारंभिक शेष	**7,724.59**	**415.86**	**2,495.05**	**850.86**	**11,486.36**
वर्ष के दौरान आवर्धन	–	–	–	2,403.59	2,403.59
समायोजन	–	–	–	–	–
31 मार्च 2025 को अंत शेष	**7,724.59**	**415.86**	**2,495.05**	**3,254.45**	**13,889.95**
वर्ष के दौरान आवर्धन	431.64	–	1,796.09	733.79	2,961.52
समायोजन	–	–	–	–	–
31 मार्च 2026 को अंत शेष	**8,156.23**	**415.86**	**4,291.14**	**3,988.24**	**16,851.47**
परिशोधन					**–**
01 अप्रैल 2024 को प्रारंभिक शेष	**857.11**	**80.60**	**284.96**	**696.48**	**1,919.15**
वर्ष के दौरान आवर्धन	772.46	79.00	71.10	204.81	1,127.37
वर्ष के दौरान ह्रास	–	–	–	–	–
31 मार्च 2025 को अंत शेष	**1,629.57**	**159.60**	**356.06**	**901.29**	**3,046.52**
वर्ष के दौरान आवर्धन	813.60	79.00	89.02	967.07	1,948.69
वर्ष के दौरान ह्रास	–	–	–	–	–
31 मार्च 2026 को अंत शेष	**2,443.17**	**238.60**	**445.08**	**1,868.36**	**4,995.21**
नेट वहन मूल्य					
31 मार्च 2026 की स्थिति	**5,713.06**	**177.26**	**3,846.06**	**2,119.88**	**11,856.26**
31 मार्च 2025 की स्थिति	**6,095.02**	**256.26**	**2,138.99**	**2,353.16**	**10,843.42**

नोट 6.2 : विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियाँ

(₹ लाख में)

विवरण	एसएपी एस4/ एचएएनए	पीएसडी प्रणाली	साफ्टवेयर / मोबाइल एप्प	योग
01 अप्रैल 2024 को प्रारंभिक शेष	**2,702.76**	**–**	**486.99**	**3,189.75**
वर्ष के दौरान आवर्धन	281.36	–	284.53	565.89
समायोजन / (पूंजीकृत)	(2,395.03)	–	–	(2,395.03)
31 मार्च 2025 को अंत शेष	**589.09**	**–**	**771.52**	**1,360.61**
वर्ष के दौरान आवर्धन	471.17		142.41	613.58
समायोजन / (पूंजीकृत)	(1,060.26)		(816.54)	(1,876.80)
31 मार्च 2026 को अंत शेष	**0.00**	**0.00**	**97.39**	**97.39**

नोट 6.2.1 : विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियों की उपयोज्यता कालक्रम अनुसूची

31 मार्च, 2026 की स्थिति

(₹ लाख में)

विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियाँ	सीडब्लयूआईपी में एक अवधि के लिए राशि				योग
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
साफ्टवेयर / मोबाइल एप्प	97.39	–	–	–	97.39
एसएपी एस4/एचएएनए	–	–	–	–	–
योग	**97.39**	**–**	**–**	**–**	**97.39**

31 मार्च, 2025 की स्थिति

(₹ लाख में)

विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियाँ	सीडब्लयूआईपी में एक अवधि के लिए राशि				योग
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
साफ्टवेयर / मोबाइल एप्प	284.53	385.13	101.86	–	771.52
एसएपी एस4/एचएएनए	281.36	307.73	–	–	589.09
योग	**565.89**	**692.86**	**101.86**	**–**	**1360.61**

नोट 6.2.2 : विकासाधीन ऐसी कोई अमूर्त परिसंपत्ति नहीं है, जिसका पूरा होना निर्धारित अवधि से अधिक हो गया हो या जिसकी लागत अनुमानित लागत से अधिक हो गई हो।

नोट 7 : वित्तीय परिसंपत्तियाँ – गैर-चालू

नोट 7.1 : ऋण तथा अग्रिम

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2026 की स्थिति	31 मार्च 2025 की स्थिति
अच्छा माना गया		
कर्मचारियों को दिया गया अग्रिम*	121.04	123.67
योग	**121.04**	**123.67**

*चूंकि यह एक गैर-महत्वपूर्ण लेन-देन है, बहुउद्देशीय अग्रिम को अवधि के दौरान ऐतिहासिक लागत के आधार पर दर्शाया गया है।

नोट 7.2 : अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2026 की स्थिति	31 मार्च 2025 की स्थिति
अप्रतिभूत, अच्छा समझा गया		
प्रतिभूति जमा	3,238.51	2,517.97
ग्रहणाधिकार के रूप में रखी गई सावधि जमा (संदर्भ नोट 7.2.1)	7.88	15.19
पूर्व चुकता व्यय*	–	0.05
योग	**3,246.39**	**2,533.21**

* महत्वपूर्ण लेखांकन नीति के खंड 2.32 का संदर्भ लें।

नोट 7.2.1 ग्रहणाधिकार के रूप में रखी गई सावधि जमाओं का विवरण (रिपोर्टिंग तिथि से 12 माह से अधिक की परिपक्वता अवधि वाली)

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2026 की स्थिति	31 मार्च 2025 की स्थिति
प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग	–	8.40
कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, गाजियाबाद	0.20	0.20
प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, गाजियाबाद	5.72	6.59
प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मेरठ	1.96	–
योग	**7.88**	**15.19**

नोट 8 : आस्थगित कर परिसम्पत्तियां / (देयताएं)

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2026 की स्थिति	31 मार्च 2025 की स्थिति
क. आस्थगित कर देयताएँ		
संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण पर मूल्यह्रास	0.39	(22,102.77)
कर्मचारी हितलाभों के लिए प्रावधान		
आस्थगित कर देयताओं का योग	**0.39**	**(22,102.77)**
ख. आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ		
व्यावसायिक हानि	–	–
कर्मचारी हितलाभों के लिए प्रावधान	–	–
प्रारंभिक व्यय	–	–
मूल्यह्रास	–	–
अप्रयुक्त कर हानियाँ	–	–
आस्थगित कर परिसम्पत्तियों का योग	**–**	**–**
ग. आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ		
व्यावसायिक हानि	(0.00)	3,765.84
कर्मचारी हितलाभों के लिए प्रावधान	–	9.65
प्रारंभिक व्यय	–	–
मूल्यह्रास	–	–
अप्रयुक्त कर हानियाँ	–	–
आस्थगित कर परिसंपत्तियों का कुल योग	**(0.00)**	**3,775.49**
आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ/(देयताएँ) नेट	**0.39**	**(18,327.29)**

नोट 8.1 : आस्थगित कर परिसंपत्तियों/(देयताओं) में मूवमेंट

(₹ लाख में)

विवरण	प्रारंभिक व्यय	अप्रयुक्त कर हानियाँ	अग्रेषित हानियां	प्रावधान	संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण	योग
01 अप्रैल 2024 को प्रारंभिक शेष	**0.18**	**0.00**	**5,863.32**	**2.58**	**(12,978.62)**	**(7,112.53)**
2024-25 के दौरान (प्रभारित) / जमा किया गया						
लाभ एवं हानि में	(0.18)	–	(2,097.49)	–	(9,124.15)	(11,221.82)
अन्य व्यापक आय में				7.07		7.07
31 मार्च 2025 को अंत शेष	**(0.00)**	**0.00**	**3,765.84**	**9.65**	**(22,102.77)**	**(18,327.29)**
2025-26 के दौरान (प्रभारित) / जमा किया गया						
लाभ एवं हानि में	–	–	(3,765.84)		22,103.16	18,337.32
अन्य व्यापक आय में	–	–		(9.65)		(9.65)
31 मार्च 2026 को अंत शेष	**(0.00)**	**0.00**	**(0.00)**	**–**	**0.39**	**0.39**

कंपनी की निम्नलिखित आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ एवं देयताएँ हैं:

(₹ लाख में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2025-26	वित्तीय वर्ष 2024-25
आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ	1,14,995.36	3,775.49
आस्थगित कर देयता	(88,432.13)	(22,102.77)
आस्थगित कर परिसंपत्ति (नेट)	**26,563.23**	**(18,327.29)**

स्पष्टीकरण नोट: 26,563.23 लाख रुपये की आस्थगित कर परिसंपत्ति की वहन राशि की वर्षांत में इंड एएस 12 के प्रावधानों के अनुसार समीक्षा की गई है। भविष्य में आस्थगित कर परिसंपत्तियों के लाभ के उपयोग हेतु पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होने के संबंध में अनिश्चितता को ध्यान में रखते हुए, 31 मार्च 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान आस्थगित कर परिसंपत्तियों को मान्यता नहीं दी गई है। तदनुसार, 31 मार्च 2025 को 18,327.67 लाख रुपये की आस्थगित कर देयता (नेट) की वहन राशि को वापस ले लिया गया है।

नोट 9 : अन्य गैर चालू परसम्पत्तियां

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2026 की स्थिति	31 मार्च 2025 की स्थिति
क) पूंजी अग्रिम		
- निर्माण कार्यों के लिए अग्रिम (अप्रतिभूत एवं अच्छा माना गया) (संदर्भ नोट i)	11,888.56	21,059.48
- भूमि अधिग्रहण के लिए अग्रिम (संदर्भ नोट ii)	18,641.10	20,247.14
(ख) उचित मूल्य समायोजन – प्रतिभूति जमा (संदर्भ नोट iii)	155.84	265.08
(ग) उचित मूल्य समायोजन – बहुउद्देशीय अग्रिम, गैर-चालू परिसंपत्तियाँ (संदर्भ नोट iv)	–	10.77
योग	**30,685.50**	**41,582.47**

स्पष्टीकरण नोट:-

i. निर्माण कार्यों के लिए अग्रिम में ठेकेदारों को 1,004.91 लाख रुपये (7,627.52 लाख रुपये) के पूंजीगत अग्रिम शामिल हैं, जो बैंक गारंटी, दृष्टिबंधक आदि द्वारा सुरक्षित हैं।

ii. भूमि अधिग्रहण के लिए अग्रिम, 'उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन अधिनियम, 2013' के अंतर्गत गाजियाबाद एवं मेरठ में भूमि अधिग्रहण हेतु 'भूमि अधिग्रहण के लिए सक्षम प्राधिकारी बैंक खाते' में जमा की गई राशि को दर्शाता है। इसमें ब्याज के रूप में 1,009.45 लाख रुपये (1,186.67 लाख रुपये) भी शामिल हैं।

iii. यह प्रतिभूति जमा के उचित मूल्य एवं लेन-देन मूल्य के बीच के अंतर के अप्रमाणित भाग को दर्शाता है।

iv. चूंकि यह एक गैर-महत्वपूर्ण लेन-देन है, बहुउद्देशीय अग्रिम को अवधि के दौरान ऐतिहासिक लागत के आधार पर दर्शाया गया है।

नोट 10 : वित्तीय परिसम्पत्तियां - चालू

नोट 10.1 : व्यापार प्राप्य

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2026 की स्थिति	31 मार्च 2025 की स्थिति
i. अविवादित व्यापार प्राप्य – अच्छा माना गया	396.42	–
ii. अविवादित व्यापार प्राप्य – जिनमें ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	–	–
iii. अविवादित व्यापार प्राप्य – ऋण हानि से प्रभावित	–	–
iv. विवादित व्यापार प्राप्य – अच्छा माना गया	–	–
v. विवादित व्यापार प्राप्य – जिनमें ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	–	–
vi. विवादित व्यापार प्राप्य – ऋण हानि से प्रभावित	–	–
योग	**396.42**	**–**

10.1.1 व्यापार प्राप्य का उपयोज्यता कालक्रम

(₹ लाख में)

विवरण	6 महीने से कम	6 महीने से 1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	योग
i. अविवादित व्यापार प्राप्य – अच्छा माना गया	372.77	23.65	–	–	–	396.42
ii. अविवादित व्यापार प्राप्य – जिनमें ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	–	–	–	–	–	–
iii. अविवादित व्यापार प्राप्य – ऋण हानि से प्रभावित	–	–	–	–	–	–
iv. विवादित व्यापार प्राप्य – अच्छा माना गया	–	–	–	–	–	–
v. विवादित व्यापार प्राप्य – जिनमें ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	–	–	–	–	–	–
vi. विवादित व्यापार प्राप्य – ऋण हानि से प्रभावित	–	–	–	–	–	–
	372.77	**23.65**	**–**	**–**	**–**	**396.42**

(₹ लाख में)

विवरण	6 महीने से कम	6 महीने से 1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	योग
i. अविवादित व्यापार प्राप्य – अच्छा माना गया	–	–	–	–	–	–
ii. अविवादित व्यापार प्राप्य – जिनमें ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	–	–	–	–	–	–
iii. अविवादित व्यापार प्राप्य – ऋण हानि से प्रभावित	–	–	–	–	–	–

विवरण	6 महीने से कम	6 महीने से 1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	योग
iv विवादित व्यापार प्राप्य – अच्छा माना गया	–	–	–	–	–	–
v. विवादित व्यापार प्राप्य – जिनमें ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	–	–	–	–	–	–
vi. विवादित व्यापार प्राप्य – ऋण हानि से प्रभावित	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–

नोट 10.2: नकदी एवं नकदी समतुल्य

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2026 की स्थिति	31 मार्च 2025 की स्थिति
बैंकों के पास शेषराशि:		
– चालू खाते में	4,058.65	64.85
– फ्लेक्सी जमा में	24,217.96	2,637.79
– इम्प्रेस्ट में	7.03	5.49
सावधि जमा*	30,360.78	84,888.35
जमा पर उपार्जित ब्याज (3 माह या उससे कम की परिपक्वता अवधि वाले)	28.42	275.52
योग	**58,672.84**	**87,872.00**

* बैलेंस शीट की तिथि पर अधिग्रहण की तिथि से 3 माह या उससे कम की मूल परिपक्वता अवधि वाली।

नोट 10.3 : नकदी एवं नकदी समतुल्य के अलावा बैंक शेष

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2026 की स्थिति	31 मार्च 2025 की स्थिति
सावधि जमा (3 माह से अधिक लेकिन 12 माह से कम की परिपक्वता अवधि वाली)	3,75,726.25	3,10,412.90
ग्रहणाधिकार के रूप में रखी गई सावधि जमा (संदर्भ नोट 10.3.1)	622.04	1,112.32
बैंकों के पास निर्दिष्ट शेषराशि (संदर्भ नोट 10.3.2)	713.75	390.35
योग	**3,77,062.04**	**3,11,915.57**

10.3.1 : ग्रहणाधिकार के रूप में रखी गई सावधि जमाओं का विवरण

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2026 की स्थिति	31 मार्च 2025 की स्थिति
राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण	–	0.21
कार्यकारी अभियंता, सिविल प्रभाग संख्या III, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग	–	680.16
भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड	459.17	430.41
आयुक्त, नगर निगम, दिल्ली, दिल्ली	–	1.54
प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग	3.64	–
प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मेरठ	5.64	–
रक्षा संपदा कार्यालय, मेरठ	153.59	–
योग	**622.04**	**1,112.32**

नोट 10.3.2 : बैंकों के पास निर्दिष्ट शेषराशि, सीएसआर अप्रयुक्त बैंक खाते में शेषराशि को दर्शाती है (संदर्भ नोट 40)

नोट 10.4: ऋण एवं अग्रिम

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2026 की स्थिति	31 मार्च 2025 की स्थिति
कर्मचारियों को भुगतान किया गया अग्रिम – चालू परिसंपत्तियाँ (सीए)	72.68	84.94
योग	**72.68**	**84.94**

*चूंकि यह एक गैर-महत्वपूर्ण लेन-देन है, बहुउद्देशीय अग्रिम को अवधि के दौरान ऐतिहासिक लागत के आधार पर दर्शाया गया है।

नोट 10.5 : अन्य चालू वित्त परिस्मपत्तियां

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2026 की स्थिति	31 मार्च 2025 की स्थिति
सावधि जमाओं पर उपार्जित ब्याज	7,244.54	4,938.47
अन्य वसूली योग्य राशि	3,325.32	2,529.85
वसूली योग्य जेएफपीआर अनुदान	550.28	625.84
प्रतिभूति जमा किराया	22.61	14.03
आयकर के पास जमा	606.05	–
प्राधिकारियों के पास जमा	1,898.87	–
अन्य प्रतिभूमि जमा	0.30	6.00
उपार्जित राजस्व	153.64	–
योग	**13,801.61**	**8,114.19**

स्पष्टीकरण नोट:

i. सावधि जमाओं पर उपार्जित ब्याज में ग्रहणाधिकार के अंतर्गत रखी गई एफडीआर पर 22.75 लाख रुपये (51.12 लाख रुपये) का ब्याज शामिल है।

ii. उपार्जित ब्याज में भूमि अधिग्रहण अग्रिम खाते में 54.31 लाख रुपये (100.31 लाख रुपये) की राशि सम्मिलित है।

iii. उपार्जित राजस्व में नोएडा-गुरुग्राम-फरीदाबाद नमो भारत कॉरिडोर के डीपीआर कार्यों के लिए भूमि एवं विकास कार्यालय, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA) से संबंधित 151.20 लाख रुपये का बिल न किया गया राजस्व शामिल है।

नोट 11 : चालू कर परिसम्पत्तियां/ देयताएं (नेट)

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2026 की स्थिति	31 मार्च 2025 की स्थिति
अग्रिम कर एवं स्त्रोत पर कटौती (टीडीएस)	2,714.31	2,481.96
पिछले वर्ष के आयकर के लिए प्रावधान	0.05	6.58
आयकर के लिए प्रावधान	(4.60)	(3.88)
योग	**2,709.76**	**2,484.66**

नोट 12 : अन्य चालू परिसम्पत्तियां

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2026 की स्थिति	31 मार्च 2025 की स्थिति
अग्रिम		
कर्मचरियों को चुकता अग्रिम	2.61	1.37
अन्य अग्रिम	124.92	195.18
उचित मूल्य समायोजन- प्रतिभूति जमा*	109.54	109.54

विवरण	31 मार्च 2026 की स्थिति	31 मार्च 2025 की स्थिति
उचित मूल्य समायोजन – बहुउद्देशीय अग्रिम**	–	15.82
जीएसटी इनपुट क्रेडिट	5.33	2.60
पूर्वदत्त व्यय	–	29.60
योग	**242.40**	**354.11**

* यह प्रतिभूति जमा के उचित मूल्य और लेन-देन मूल्य के बीच के अंतर के अनमोर्टाइज्ड हिस्से को दर्शाता है।

** चूंकि यह एक गैर-महत्वपूर्ण लेन-देन है, बहुउद्देशीय अग्रिम को अवधि के दौरान ऐतिहासिक लागत के आधार पर दर्शाया गया है।

नोट 13 : इक्विटी शेयर पूंजी

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2026 की स्थिति	31 मार्च 2025 की स्थिति
अधिकृत शेयर पूंजी		
100 रुपये मूल्य प्रत्येक के 1,00,00,000 इक्विटी शेयर	10,000.00	10,000.00
जारी/अभिदत्त एवं प्रदत्त पूंजी		
100 रुपये मूल्य प्रत्येक के 1,00,00,000 इक्विटी शेयर	10,000.00	10,000.00
योग	**10,000.00**	**10,000.00**

नोट 13.1: इक्विटी शेयर की संख्या एवं शेयर पूंजी का समाधान

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2026 की स्थिति		31 मार्च 2025 की स्थिति	
	शेयरों की संख्या लाख में	राशि	शेयरों की संख्या लाख में	राशि
वर्ष के प्रारंभ में बकाया जारी/अभिदत्त एवं प्रदत्त इक्विटी पूंजी	100	10,000.00	100	10,000.00
जोड़ें: वर्ष के दौरान जारी किए गए शेयर	-	-	-	-
वर्ष के अंत में बकाया जारी/अभिदत्त एवं प्रदत्त इक्विटी पूंजी	100	10,000.00	100	10,000.00

नोट 13.2: शेयरों से जुड़े अधिमान्य अधिकार एवं प्रतिबंध

इक्विटी शेयर: कंपनी के पास ₹100 प्रति शेयर अंकित मूल्य वाले इक्विटी शेयरों की केवल एक ही श्रेणी है। प्रत्येक शेयरधारक धारित प्रत्येक शेयर के लिए एक मत देने का हकदार है। परिसमापन की स्थिति में, इक्विटी शेयरधारक सभी अधिमान्य राशियों के वितरण के पश्चात अपनी शेयरधारिता के अनुपात में कंपनी की शेष परिसंपत्तियाँ प्राप्त करने के हकदार होंगे।

नोट13.3: कंपनी में कुल शेयरों के 5% से अधिक शेयर रखने वाले शेयरधारकों द्वारा धारित शेयरों का विवरण

विवरण	31 मार्च 2026 की स्थिति		31 मार्च 2025 की स्थिति	
	शेयरों की संख्या	शेयरधारिता का %	शेयरों की संख्या	शेयरधारिता का %
भारत के राष्ट्रपति के माध्यम से				
- आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय	2250000	22.50%	2250000	22.50%
- रेल मंत्रालय	2250000	22.50%	2250000	22.50%
- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड	500000	5.00%	500000	5.00%

विवरण	31 मार्च 2026 की स्थिति		31 मार्च 2025 की स्थिति	
	शेयरों की संख्या	शेयरधारिता का %	शेयरों की संख्या	शेयरधारिता का %
राज्य सरकार				
- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार	1250000	12.50%	1250000	12.50%
- हरियाणा सरकार	1250000	12.50%	1250000	12.50%
- राजस्थान सरकार	1250000	12.50%	1250000	12.50%
- उत्तर प्रदेश सरकार	1250000	12.50%	1250000	12.50%
योग	**10000000**	**100.00%**	**10000000**	**100.00%**

नोट 13.4: प्रोमोटरों की शेयरधारिता

विवरण	31 मार्च 2026 की स्थिति		31 मार्च 2025 की स्थिति		वर्ष के दौरान % परिवर्तन
	शेयरों की संख्या	कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कुल शेयरों का %	
भारत के राष्ट्रपति के माध्यम से					
- आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय	2250000	22.50%	2250000	22.50%	0.00%
- रेल मंत्रालय	2250000	22.50%	2250000	22.50%	0.00%
- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड	500000	5.00%	500000	5.00%	0.00%
राज्य सरकार					
- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार	1250000	12.50%	1250000	12.50%	0.00%
- हरियाणा सरकार	1250000	12.50%	1250000	12.50%	0.00%
- राजस्थान सरकार	1250000	12.50%	1250000	12.50%	0.00%
- उत्तर प्रदेश सरकार	1250000	12.50%	1250000	12.50%	0.00%

नोट 13.5: रिपोर्टिंग तिथि से ठीक पहले के पाँच वर्षों की अवधि के दौरान बोनस के रूप में पूर्णतः चुकता जारी किए गए इक्विटी शेयरों की कुल संख्या – शून्य

नोट 14 : अन्य इक्विटी

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2026 की स्थिति	31 मार्च 2025 की स्थिति
(क) प्रतिधारित उपार्जन	(1,05,332.07)	40,394.05
(ख) इक्विटी के प्रति अनुदान	3,33,648.00	2,84,633.00
(ग) अधीनस्थ ऋण का आस्थगित उचित मूल्यांकन*	8,46,206.69	7,45,233.23
योग	**10,74,522.62**	**10,70,260.28**

* इसमें 1,00,973.46 लाख रुपये (94,244.60 लाख रुपये) के अधीनस्थ ऋण के आस्थगित उचित मूल्य समायोजन को शामिल किया गया है।



नोट 14.1 : प्रतिधारित उपार्जन

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2026 की स्थिति	31 मार्च 2025 की स्थिति
अथ शेष	40,394.05	33,268.84
जोड़े:		
-लाभ एवं हानि के विवरण से अवधि के दौरान हस्तांतरित लाभ	(1,45,253.23)	7,079.80
-वर्ष के दौरान हस्तांतरित अन्य व्यापक आय	(472.89)	45.41
अंत शेष	**(1,05,332.07)**	**40,394.05**

नोट 14.2 : इक्विटि के प्रति अनुदान

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2026 की स्थिति	31 मार्च 2025 की स्थिति
मौद्रिक अनुदान		
दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर के निर्माण के लिए इक्विटी के प्रति अनुदान	3,33,648.00	2,84,633.00
अंत शेष	**3,33,648.00**	**2,84,633.00**

इक्विटी के प्रति प्राप्त अनुदानों का विवरण निम्नानुसार है:-

(₹ लाख में)

विवरण	01.04.2024 की स्थिति के अनुसार शेष	वित्तीय वर्ष 24-25 के दौरान आवर्धन	31.03.2025 की स्थिति के अनुसार शेष	वित्तीय वर्ष 25-26 के दौरान आवर्धन	31.03.2026 की स्थिति के अनुसार शेष
दिल्ली गाजियाबाद मेरठ आरआरटीएस कॉरीडोर के निर्माण के लिए					
भारत सरकार	1,10,665.00	19,800.00	1,30,465.00	33,835.00	1,64,300.00
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार	26,500.00	–	26,500.00	–	26,500.00
उत्तर प्रदेश सरकार	1,14,100.00	13,568.00	1,27,668.00	8,600.00	1,36,268.00
योग (क)	**2,51,265.00**	**33,368.00**	**2,84,633.00**	**42,435.00**	**3,27,068.00**
दिल्ली करनाल आरआरटीएस कॉरीडोर के निर्माण के लिए					
भारत सरकार	–	–	–	6,580.00	6,580.00
योग (ख)	**–**	**–**	**–**	**6,580.00**	**6,580.00**
योग (क+ख)	**2,51,265.00**	**33,368.00**	**2,84,633.00**	**49,015.00**	**3,33,648.00**

नोट 14.3 : अधीनस्थ ऋण का आस्थगित उचित मूल्यांकन

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2026 की स्थिति	31 मार्च 2025 की स्थिति
अथ शेष	7,45,233.23	6,50,988.62
वर्ष के दौरान आवर्धन	1,00,973.46	94,244.60
अंत शेष	**8,46,206.69**	**7,45,233.23**

नोट 15 :ऋण

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2026 की स्थिति		31 मार्च 2025 की स्थिति	
अप्रतिभूत				
क. निम्नलिखित से ब्याज मुक्त ऋण -				
क. आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) भारत सरकार				
अधीनस्थ ऋण	3,27,700.00		2,50,500.00	
अधीनस्थ ऋण (केन्द्रीय कर)	70,500.00		70,500.00	
अधीनस्थ ऋण (सरकारी भूमि)	23,800.00		23,800.00	
अधीनस्थ ऋण पर उपार्जित ब्याज {सदंर्भ नोट 15(ii))	16,948.37		11,541.15	
अधीनस्थ ऋण का आस्थगित उचित मूल्य समायोजन	(3,55,900.75)	83,047.62	(2,88,285.34)	68,055.81
ख. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (जीएनसीटीडी)				
अधीनस्थ ऋण	53,000.00		53,000.00	
अधीनस्थ ऋण (केन्द्रीय कर)	14,000.00		14,000.00	
अधीनस्थ ऋण (राज्य कर)	23,000.00		23,000.00	
अधीनस्थ ऋण (सरकारी भूमि)	9,500.00		9,500.00	
अधीनस्थ ऋण पर उपार्जित ब्याज {सदंर्भ नोट 15(ii))	3,692.11		2,458.12	
अधीनस्थ ऋण का आस्थगित उचित मूल्य समायोजन	(83,996.03)	19,196.08	(83,996.03)	17,962.09
ग. उत्तर प्रदेश सरकार (जीओयूपी)				
अधीनस्थ ऋण	2,72,532.00		2,55,432.00	
अधीनस्थ ऋण (केन्द्रीय कर)	80,150.00		70,200.00	
अधीनस्थ ऋण (राज्य कर)	1,13,250.00		1,02,300.00	
अधीनस्थ ऋण (सरकारी भूमि)	15,000.00		15,000.00	
अधीनस्थ ऋण पर उपार्जित ब्याज {सदंर्भ नोट 15(ii))	17,411.29		11,461.82	
अधीनस्थ ऋण का आस्थगित उचित मूल्य समायोजन	(4,06,309.90)	92,033.39	(3,72,951.86)	81,441.96
ख. भारत सरकार द्वारा एशियन डेवलेपमेंट बैंक से व्यवस्थित ब्याज-युक्त ऋण				
ऋण संख्या. पुनर्भुगतान प्रारम्भ तिथि				
एलएन3964-आईएनडी 15.02.2029		4,73,250.00		4,30,500.00
ब्याज दर : (एसओएफआर + 0.50% + परिपक्वता प्रीमियम 0.20%+परिवर्तनशील अधिभार) प्रतिवर्ष				
प्रतिबद्धता प्रभार 0.15% प्रति वर्ष				

विवरण		31 मार्च 2026 की स्थिति		31 मार्च 2025 की स्थिति	
ग. भारत सरकार द्वारा न्यू डेवलेपमेंट बैंक से व्यवस्थित ब्याज-युक्त ऋण					
ऋण संख्या	पुनर्भुगतान प्रारंभ तिथि				
20आईएन04	15-03-2029		3,38,856.20		2,26,434.06
ब्याज दर	(एसओएफआर+ 1.77826) प्रतिवर्ष				
प्रतिबद्धता प्रभार	0.25% प्रतिवर्ष				
घ. भारत सरकार द्वारा एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इनवेस्टमैंट बैंक से व्यवस्थित ब्याज-युक्त ऋण					
ऋण संख्या	पुनर्भुगतान प्रारंभ तिथि				
एल0352ए	15-11-2029		4,73,250.00		3,83,529.12
ब्याज दर	(एसओएफआर + विस्तार) प्रति वर्ष				
प्रतिबद्धता प्रभार	0.25% प्रतिवर्ष				
ङ. भारत सरकार द्वारा एशियन डेवलेपमेंट बैंक से व्यवस्थित ब्याज-युक्त ऋण (किस्त- 3)					
ऋण संख्या	पुनर्भुगतान प्रारंभ तिथि		2,24,112.69		72,620.71
4404-आईएनडी	15-12-2031				
ब्याज दर : (टीओएनए + 0.60% + परिपक्वता प्रीमियम 0.20%+ परिवर्तनशील अधिभार) प्रतिवर्ष					
प्रतिबद्धता प्रभार	0.15 % प्रतिवर्ष				
योग			**17,03,745.98**		**12,80,543.75**

स्पष्टीकरण नोट:

(i) कंपनी को भारत सरकार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार तथा उत्तर प्रदेश सरकार से ब्याज-मुक्त अधीनस्थ ऋण प्राप्त हुए हैं, जो एशियायन डेवलेपमेंट बैंक (एडीबी), न्यू डेवलपमेंट बैंक (एनडीबी) तथा एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इनवेस्टमेंट बैंक (एआईआईबी) से प्राप्त ब्याज-युक्त वरिष्ठ ऋण के पुनर्भुगतान के पश्चात चुकाए जाने हैं।

(ii) भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान की विशेषज्ञ सलाहकार समिति की राय के अनुसार, ब्याज-मुक्त अधीनस्थ ऋण का मापन उचित मूल्य पर किया जाता है तथा ऋण की राशि और उसके उचित मूल्य के बीच उत्पन्न अंतर को भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा इक्विटी धारकों के रूप में किए गए गैर-पारस्परिक पूंजी योगदान के रूप में लेखांकित किया गया है।

(iii) भारत सरकार ने दिल्ली-मेरठ आरआरटीएस परियोजना के वित्तपोषण के लिए एडीबी के साथ 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर और 37,730 मिलियन जापानी येन, एनडीबी के साथ 418 मिलियन अमेरिकी डॉलर तथा एआईआईबी के साथ 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते किए हैं। सभी ऋणों की अवधि 25 वर्ष है, जिसमें 8 वर्ष की अधिस्थगन अवधि शामिल है। ऋणदाता संस्थाओं के साथ सहमत निधि प्रवाह व्यवस्था के अनुसार, ऋण की राशि भारत सरकार द्वारा बैक-टू-बैक आधार पर कंपनी को पास-थ्रू सहायता के रूप में प्रदान की जानी है। दिल्ली-मेरठ आरआरटीएस परियोजना के स्वीकृति आदेश के अनुसार विदेशी मुद्रा विनिमय दर में उतार-चढ़ाव का जोखिम तथा ब्याज दर में उतार-चढ़ाव का जोखिम निगम द्वारा वहन किया जाना है। ऋणों का पुनर्भुगतान निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 34 अर्धवार्षिक किस्तों में वर्ष 2029 से प्रारंभ होगा।

नोट 16 अन्य वित्तीय देयताएं

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2026 की स्थिति	31 मार्च 2025 की स्थिति
प्रतिभूति जमा	102.25	112.72
अन्य वित्तीय देयताएं	9,138.25	–
योग	**9,240.50**	**112.72**

नोट 17 : दीर्घकालिक प्रावधान

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2026 की स्थिति	31 मार्च 2025 की स्थिति
कर्मचारी हितलाभ के लिए प्रावधान		
उपदान के लिए प्रावधान	1215.62	1101.78
छुट्टी नकदीकरण के लिए प्रावधान	2243.6	2034.88
अन्य कर्मचारियों हितलाभों के लिए प्रावधान	153.17	903.29
योग	**3,612.39**	**4,039.95**

नोट 18 : अन्य गैर-चालू देयताएं

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2026 की स्थिति	31 मार्च 2025 की स्थिति
अग्रिम		
हरियाणा सरकार से अग्रिम	24,750.00	24,750.00
राजस्थान सरकार से अग्रिम	500.00	500.00
रा.रा.क्षे दिल्ली सरकार से अग्रिम	49,700.00	20,000.00
एशियन डेवलपमेंट बैंक- तकनीकि सहायता	373.12	543.72
उचित मूल्य समायोजन – प्रतिभूति जमा – गैर-चालू	18.64	17.10
योग	**75,341.76**	**45,810.82**

स्पष्टीकरण नोट:

(i) राज्य सरकारों से प्राप्त अग्रिम में दिल्ली-एसएनबी आरआरटीएस कॉरिडोर और दिल्ली-पानीपत आरआरटीएस कॉरिडोर के लिए उनके योगदान की राशि शामिल है। परियोजना की स्वीकृति लंबित होने के कारण, प्राप्त निधि को उसकी प्रकृति (इक्विटी के प्रति अनुदान/अधीनस्थ ऋण) के आधार पर वर्गीकृत नहीं किया गया है।

(ii) परियोजना-वार विवरण निम्नानुसार है:

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2026 की स्थिति		31 मार्च 2025 की स्थिति	
	दिल्ली-बावल	दिल्ली-करनाल	दिल्ली-बावल	दिल्ली-करनाल
हरियाणा सरकार से अग्रिम	24,250.00	500.00	24,250.00	500.00
राजस्थान सरकार से अग्रिम	500.00	–	500.00	–
रा.रा.क्षे दिल्ली सरकार से अग्रिम	33,500.00	16,200.00	15,000.00	5,000.00
योग	**58,250.00**	**16,700.00**	**39,750.00**	**5,500.00**



नोट 19 : अन्य वित्तीय देयताएं

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2026 की स्थिति	31 मार्च 2025 की स्थिति
उधार पर उपार्जित किंतु देय न हुआ ब्याज	13,559.77	10,732.68
व्ययों के लिए लेनदार – अन्य	27,236.38	26,190.93
व्ययों के लिए लेनदार – सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम	1,532.91	1,648.12
प्रतिभूति जमा	17,576.07	12,938.97
अन्य वित्तीय देयता	591.58	–
योग	**60,496.71**	**51,510.70**

नोट 20 : व्यापार प्राप्य

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2026 की स्थिति	31 मार्च 2025 की स्थिति
(क) सूक्ष्म उद्यमों एवं लघु उद्यमों की कुल बकाया देय राशि	11.06	–
(ख) सूक्ष्म उद्यमों एवं लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों की कुल बकाया देय राशि	2,632.19	–
योग	**2,643.25**	**–**

नोट 20.1: व्यापार देयकों की आयु-विश्लेषण

(₹ लाख में)

विवरण	31-03-2026 की स्थिति					
	बिल न किया गया	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	योग
i. एमएसएमई	–	11.06	–	–	–	11.06
ii.अन्य	–	2,632.19	–	–	–	2,632.19
iii. विवादित देय – एमएसएमई	–	–	–	–	–	–
iv. विवादित देय- अन्य	–	–	–	–	–	–
योग	**–**	**2,643.25**	**–**	**–**	**–**	**2,643.25**

विवरण	31-03-2025 की स्थिति					
	बिल न किया गया	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	योग
i. एमएसएमई	–	–	–	–	–	–
ii.अन्य	–	–	–	–	–	–
iii. विवादित देय – एमएसएमई	–	–	–	–	–	–
iv. विवादित देय- अन्य	–	–	–	–	–	–
योग	–	–	–	–	–	–

नोट 21 : अन्य चालू देयताएं

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2026 की स्थिति	31 मार्च 2025 की स्थिति
टीडीएस देय	1250.04	1,937.47
जीएसटी देय (जीएसटी पर टीडीएस सहित)	365.27	284.52
भवन एवं श्रम उपकर देय	133.83	322.35
भविष्य निधि	118.41	114.58
उचित मूल्य समायोजन – प्रतिभूति जमा	6.03	7.48
अन्य (श्रमिक कल्याण निधि)	1314.39	1,317.25
एमओएचयूए से प्राप्त अग्रिम (संदर्भ नोट i)	3,08,802.24	5,10,087.65
एमओएचयूए से प्राप्त अग्रिम (निर्भया निधि)	1952.15	1,100.00
एमओएचयूए से प्राप्त अग्रिम (जीएफपीआर निधि)	1,875.07	-
एशियन डेवलपमेंट बैंक- तकनीकि सहायता	113.42	153.86
उपभोक्ता से अग्रिम	70.90	-
योग	**3,16,001.75**	**5,15,325.16**

सप्टीकरण नोट

(i) एशियाई विकास बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक और एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक से ऋण मिलने तक, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय से इस अवधि के दौरान 'पास थ्रू असिस्टेंस' के रूप में ₹74,700 लाख (₹3,15,800.00 लाख) की अग्रिम राशि प्राप्त हुई। किए गए खर्चों के समायोजन के बाद, शेष अग्रिम राशि ₹3,08,802.24 लाख (₹5,10,087.65 लाख) है, जिसकी भरपाई बहुपक्षीय बैंकों से मिलने वाले ऋण के माध्यम से की जाएगी।

नोट 22 : अल्पकालिक प्रावधान

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2026 की स्थिति	31 मार्च 2025 की स्थिति
कर्मचारी हितलाभ के लिए प्रावधान		
उपदान के लिए प्रावधान	214.73	80.90
छुट्टी नकदीकरण के लिए प्रावधान	220.89	234.40
अन्य कर्मचारियों हितलाभों के लिए प्रावधान	340.40	131.32
योग	**776.02**	**446.62**

नोट 23 : परिचालन से राजस्व

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए
किराया राजस्व	10,325.20	-
गैर-किराया राजस्व	322.34	-
योग	**10,647.54**	**-**

कंपनी को दिल्ली और मेरठ के बीच 82.15 किलोमीटर लंबे क्षेत्रीय द्रुतगति परिवहन प्रणाली (आरआरटीएस) कॉरिडोर के विकास का दायित्व सौंपा गया है, जिसका उद्देश्य दिल्ली और मेरठ के बीच यात्रियों को निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करना है। परियोजना कार्यान्वयनाधीन थी और इसे 14 अगस्त 2025 को पूरा किया गया (अर्थात, संपूर्ण कॉरिडोर के लिए सीएमआरएस प्रमाणपत्र प्राप्त होने की तिथि)। अतः तुलनात्मक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

नोट 24 : अन्य आय

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए
ब्याज आय		
- एफडीआर पर	25,487.54	21,897.24
- कर्मचारी ऋण पर	16.30	–
- वित्तीय परिसंपत्तियों पर (संदर्भ नोट i)	136.24	137.36
एशियन विकास बैंक – तकनीकी सहायता (परिशोधन) (संदर्भ नोट ii)	211.03	338.29
मौद्रिक अनुदान (संदर्भ नोट 45)	597.22	301.74
अन्य विविध आय	190.89	189.43
परामर्श आय	384.67	281.23
विनिमय दर में उतार-चढ़ाव से लाभ	510.62	–
योग	**27,534.51**	**23,145.29**

स्पष्टीकरण नोट :

(i) गैर-महत्वपूर्ण लेन-देन होने के कारण, बहुउद्देशीय अग्रिम को अवधि के दौरान ऐतिहासिक लागत के आधार पर दर्शाया गया है।

(ii) एशियन विकास बैंक – तकनीकी सहायता – अनुदान परिशोधन के संबंध में 211.03 लाख रुपये (338.29 लाख रुपये) की राशि।

नोट 25 : परिचालन व्यय

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए
परिचालन एवं अनुरक्षण व्यय	12,341.02	–
विद्युत व्यय	3,246.96	–
मरम्मत एवं अनुरक्षण व्यय	29.89	–
अन्य परिचालन व्यय	393.68	–
योग	**16,011.55**	**–**

कंपनी को दिल्ली और मेरठ के बीच 82.15 किलोमीटर लंबे क्षेत्रीय द्रुतगति परिवहन प्रणाली (आरआरटीएस) कॉरिडोर के विकास का दायित्व सौंपा गया है, जिसका उद्देश्य दिल्ली और मेरठ के बीच यात्रियों को निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करना है। परियोजना कार्यान्वयनाधीन थी और इसे 14 अगस्त 2025 को पूरा किया गया (अर्थात् संपूर्ण कॉरिडोर के लिए CMRS प्रमाणपत्र प्राप्त होने की तिथि)। अतः तुलनात्मक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

नोट 26: कर्मचारी हितलाभ व्यय

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए			31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए		
	निर्माण पर व्यय	लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित व्यय	सकल व्यय	निर्माण पर व्यय	लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित व्यय	सकल व्यय
वेतन, मजदूरी एवं बोनस	9,145.03	1,536.27	10,681.30	9,002.88	1,662.83	10,665.71
कर्मचारी कल्याण व्यय	242.29	166.37	408.66	252.46	52.47	304.93
भविष्य निधि एवं अन्य निधियों में अंशदान*	655.70	228.05	883.75	627.83	192.62	820.45
योग	**10,043.02**	**1,930.69**	**11,973.71**	**9,883.17**	**1,907.92**	**11,791.09**

स्पष्टीकरण नोट :

* प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कर्मचारियों के लिए भविष्य निधि, पेंशन, ग्रेच्युटी, अवकाश लाभ एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के संबंध में 93.62 लाख रुपये (101.86 लाख रुपये) की राशि संबंधित मूल संगठन को भुगतान की गई/भुगतान योग्य है तथा इसे कर्मचारी लाभ व्यय में शामिल किया गया है।

नोट 27 : वित्त लागतें

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए			31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए		
	निर्माण पर व्यय	लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित व्यय	सकल व्यय	निर्माण पर व्यय	लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित व्यय	सकल व्यय
पट्टा देयताओं पर ब्याज व्यय	(0.00)	–	(0.00)	–	–	–
ऋण लागत						
क.बहुपक्षीय वित्तपोषण एजेंसियों से प्राप्त ऋण के संबंध में	25,422.99	42,740.56	68,163.55	64,528.03	–	64,528.03
ख.ब्याज लागत के रूप में समायोजित विनिमय अंतर के संबंध में	31,145.55	89,254.03	1,20,399.58	33,023.34	–	33,023.34
ग अधीनस्थ ऋण पर ब्याज लागत	4,298.13	8,292.56	12,590.69	8,993.30	–	8,993.30
योग	**60,866.67**	**1,40,287.15**	**2,01,153.82**	**1,06,544.67**	**–**	**1,06,544.67**

स्पष्टीकरण नोट :

(i). विदेशी मुद्रा में लिए गए उधार से उत्पन्न विनिमय अंतरों के संबंध में इंड एएस 23, 'उधार लेने की लागत' के पैराग्राफ 6(ई) को लागू करते समय, कंपनी 'संचयी अवधि दृष्टिकोण' का अनुसरण कर रही है, क्योंकि कंपनी का मत है कि निर्माणाधीन परिसंपत्तियों की लंबी निर्माण अवधि को ध्यान में रखते हुए 'संचयी अवधि दृष्टिकोण' अधिक उपयुक्त है।

(ii). पूंजीकरण की तिथि अर्थात् 14 अगस्त 2025 तक पूंजीकृत संचयी विनिमय हानि 1,16,677.46 लाख रुपये है, जबकि 14 अगस्त 2025 तक ब्याज लागत में किए गए संचयी समायोजन 1,44,976.53 लाख रुपये (1,58,805.55 लाख रुपये) हैं। तदनुसार, अवधि के लिए 31,145.55 लाख रुपये (33,023.34 लाख रुपये) की संपूर्ण विनिमय हानि को उधार लेने की लागत के हिस्से के रूप में माना गया है।

नोट 28 : मूल्यह्रास एवं परिशोधन लागत

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए			31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए		
	निर्माण पर व्यय	लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित व्यय	सकल व्यय	निर्माण पर व्यय	लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित व्यय	सकल व्यय
मूर्त परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास (संदर्भ नोट 3)	981.14	38,959.97	39,941.11	2,160.75	443.25	2,604.00
उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास (संदर्भ नोट 4)	58.87	49.34	108.21	41.23	9.39	50.62
अमूर्त परिसंपत्तियों पर परिशोधन (संदर्भ नोट 6.1)	508.40	1,440.29	1,948.69	791.43	335.94	1,127.37
योग	**1,548.41**	**40,449.60**	**41,998.01**	**2,993.41**	**788.58**	**3,781.99**

नोट 29 : अन्य व्यय

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए			31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए		
	निर्माण पर व्यय	लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित व्यय	सकल व्यय	निर्माण पर व्यय	लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित व्यय	सकल व्यय
कार्यालय किराया	6.72	–	6.72	13.73	–	13.73
शुल्क, दरें एवं कर	85.98	7.59	93.57	–	3.48	3.48
मशीनरी एवं अन्य की मरम्मत एवं अनुरक्षण	95.30	67.05	162.35	70.41	18.60	89.01
विद्युत एवं ईंधन	200.05	76.60	276.65	146.37	98.12	244.49
वाहन परिचालन एवं अनुरक्षण	1,625.60	299.77	1,925.37	1,703.59	223.63	1,927.22
यात्रा व्यय	451.82	88.05	539.87	512.41	110.30	622.71
इंटरनेट शुल्क	74.00	22.08	96.08	73.67	17.23	90.90
लेखापरीक्षकों को भुगतान (संदर्भ नोट 27.1)	–	4.54	4.54	–	3.90	3.90
विधिक एवं व्यावसायिक शुल्क	119.08	83.12	202.20	49.26	53.18	102.44
तकनीकी जाँच एवं सर्वेक्षण व्यय	353.68	17.31	370.99	12.71	–	12.71
प्रशिक्षण एवं भर्ती व्यय	–	100.14	100.14	–	28.99	28.99
परामर्श शुल्क	2,324.94	342.47	2,667.41	686.29	307.62	993.91

विवरण	31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए			31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए		
	निर्माण पर व्यय	लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित व्यय	सकल व्यय	निर्माण पर व्यय	लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित व्यय	सकल व्यय
सुरक्षा व्यय	763.71	242.58	1,006.29	493.32	134.89	628.21
मुद्रण एवं लेखन सामग्री	13.36	94.26	107.62	29.63	121.17	150.80
संचार व्यय	154.46	19.33	173.79	116.75	17.43	134.18
पुस्तकें एवं पत्रिकाएँ	0.72	1.79	2.51	0.43	1.09	1.52
विज्ञापन एवं प्रचार- अन्य	169.32	150.15	319.47	53.46	35.38	88.84
विज्ञापन एवं प्रचार- निविदा	106.48	2.59	109.07	38.67	10.70	49.37
बैठक एवं सम्मेलन व्यय	247.81	277.53	525.34	56.94	207.30	264.24
शुल्क एवं सदस्यता प्रभार	–	56.94	56.94	–	46.72	46.72
गृह व्यवस्था व्यय	178.30	134.58	312.88	271.77	160.58	432.35
सॉफ्टवेयर व्यय	256.26	10.22	266.48	308.65	74.08	382.73
आउटसोर्सिंग व्यय	1,881.58	243.37	2,124.95	796.20	248.46	1,044.66
कार्यालय व्यय	83.32	83.12	166.44	108.89	77.38	186.27
विविध व्यय	29.60	658.60	688.20	228.71	139.94	368.65
बैंक प्रभार	–	5.29	5.29	0.03	9.70	9.73
विनिमय दर में उतार-चढ़ाव से हानि	–	–	–	35.76		35.76
कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR)	–	–	–	–	–	–
उप-योग	**9,222.09**	**3,089.07**	**12,311.16**	**5,807.65**	**2,149.87**	**7,957.52**

जीएफपीआर एवं निर्भया निधि से संबंधित व्यय के लिए नोट 45 का संदर्भ लें।

नोट 29.1 : लेखापरीक्षकों को किए गए भुगतान का विवरण

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए
लेखापरीक्षकों को भुगतान निम्नानुसार:		
लेखापरीक्षा शुल्क	2.75	2.30
कर लेखापरीक्षा शुल्क	0.60	0.50
अन्य क्षमता में (परियोजना वित्तीय विवरणों के लिए)	0.55	0.55
शुल्क पर जीएसटी	0.64	0.55
योग	**4.54**	**3.90**



नोट 30 : आय कर व्यय

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए
चालू आयकर:		
अवधि के लिए	4.60	3.88
पूर्ववर्ष के लिए (नेट)	(0.05)	(6.58)
योग	**4.55**	**(2.70)**
आस्थगित कर:		
अवधि के लिए	(18,337.32)	11,221.82
पूर्ववर्ष के लिए	–	–
योग	**(18,337.32)**	**11,221.82**

नोट 30.1 :कर व्यय एवं लेखांकन लाभ के बीच सामंजस्य:

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए
जारी परिचालनों से कर-पूर्व लेखांकन लाभ	(1,63,586.01)	18,298.92
आयकर से पूर्व लेखांकन लाभ	**(1,63,586.01)**	**18,298.92**
जोड़ें: कटौती योग्य एवं कटौती योग्य नहीं मदें	(124.23)	(128.14)
स्थायी रूप से अस्वीकृत मदों के समायोजन के पश्चात लेखांकन लाभ	**(1,63,710.24)**	**18,170.78**
चालू वर्ष के लिए कर व्यय	(18,332.72)	11,225.70
लाभ एवं हानि में प्रभारित कुल कर व्यय	**(18,332.77)**	**11,219.13**

नोट 31 : प्रति शेयर आय (ईपीएस)

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए
मूल ईपीएस		
जारी परिचालनों से	(1,452.53)	70.80
बंद परिचालनों से	–	–
	–	–
डायल्यूटिड ईपीएस		
जारी परिचालनों से	(1,452.53)	70.80
बंद परिचालनों से	–	–

नोट 31.1 : प्रति शेयर मूल उपार्जन

मूल प्रति शेयर आय की गणना में प्रयुक्त आय और भारित औसत इक्विटी शेयरों की संख्या तथा पूर्ववर्ष की प्रति शेयर आय को वर्ष के दौरान बोनस शेयरों के निर्गमन के समायोजन के पश्चात पुनः निर्धारित किया गया है।

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए
कंपनी के इक्विटी धारकों को अभिधार्य लाभ:		
जारी परिचालनों से	(1,45,253.23)	7,079.80
बंद परिचालनों से		-
मूल प्रति शेयर आय की गणना में प्रयुक्त आय	**(1,45,253.23)**	**7,079.80**
मूल प्रति शेयर आय के प्रयोजनार्थ शेयरों की भारित औसत संख्या (लाख में) [शेयर का अंकित मूल्य ₹100 प्रति शेयर]	100.00	100.00

नोट 31.2 : प्रति शेयर डायल्यूटिड आय

डायल्यूटिड प्रति शेयर आय के प्रयोजनार्थ इक्विटी शेयरों की भारित संख्या का मूल प्रति शेयर आय की गणना में प्रयुक्त इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से निम्नानुसार मिलान किया गया है:-

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए
कंपनी के इक्विटी धारकों को अभिधार्य लाभ:		
जारी परिचालनों से	(1,45,253.23)	7,079.80
बंद परिचालनों से		
चालू परिचालन से संबंधित प्रति शेयर डायलूटिड आय की गणना में प्रयुक्त आय	**(1,45,253.23)**	**7,079.80**
मूल प्रति शेयर आय के प्रयोजनार्थ शेयरों की भारित औसत संख्या (लाख में) [शेयर का अंकित मूल्य ₹100 प्रति शेयर]	100.00	100.00

नोट 32 : अनुमान एवं पूर्वधारणाएँ

रिपोर्टिंग अवधि के अंत में भविष्य के संबंध में प्रमुख पूर्वधारणाएँ तथा अनुमान संबंधी अनिश्चितता के प्रमुख स्रोत निम्नलिखित हैं, जिनसे अगले वित्तीय वर्ष में परिसंपत्तियों और देनदारियों की वहन राशि में महत्वपूर्ण समायोजन किए जाने का महत्वपूर्ण जोखिम हो सकता है।

- **पूंजीगत कार्य प्रगति पर :** कर्मचारी हितलाभों तथा अन्य व्यय की प्रकृति वाले अप्रत्यक्ष व्यय, जो परियोजना पर तथा परियोजना से इतर दोनों के संबंध में किए गए हैं, को व्यक्तिगत परियोजना कॉरिडोर में किए गए प्रयासों तथा अन्य प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखते हुए प्रबंधन के निर्णय के आधार पर परियोजनाओं को आनुपातिक रूप से आवंटित किया गया है।
- **पट्टाधारित भूमि :** कंपनी ने उन मामलों में पट्टाधारित भूमि के पंजीकरण की संभावित लागत का अनुमान निर्धारित करने में अपने निर्णय का उपयोग किया है, जहाँ भूमि का पंजीकरण लंबित है। कंपनी ने तुलन-पत्र की तिथि को प्रचलित सर्किल रेट के आधार पर पंजीकरण लागत का अनुमान निर्धारित किया है तथा भूमि के वास्तविक पंजीकरण तक प्रत्येक तुलन-पत्र तिथि पर इसका पुनः अनुमान निर्धारित किया जाएगा।
- **ऋण लागत :** कंपनी ने इंड एएस 23 के पैरा 6(ङ) के अनुसार विनिमय दर में उतार-चढ़ाव से उत्पन्न हानि के पूंजीकरण के संबंध में अपने निर्णय का उपयोग किया

है। कंपनी ने कार्यात्मक मुद्रा में उधार की लागत के साथ विनिमय दर में उतार-चढ़ाव से उत्पन्न हानि की तुलना के लिए संचयी दृष्टिकोण अपनाया है, जिसका निर्धारण कंपनी के पास उपलब्ध बाजार रुझानों के आधार पर किया गया है।

- **प्रावधान :** तुलन-पत्र की तिथि को दायित्व के निपटान हेतु अनुमान के आधार पर प्रावधान निर्धारित किए जाते हैं।
- **आकस्मिक देनदारियाँ/परिसंपत्तियाँ :** आकस्मिक देनदारियों/परिसंपत्तियों का प्रकटीकरण प्रबंधन के निर्णय के आधार पर किया जाता है तथा प्रत्येक तुलन-पत्र तिथि पर उनकी समीक्षा की जाती है और वर्तमान प्रबंधन अनुमान को प्रतिबिंबित करने के लिए उनमें आवश्यक समायोजन किया जाता है।
- **गैर-वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि परीक्षण:** संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण (PPE) की वसूली योग्य राशि तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा किए गए अनुमानों के संबंध में निर्णय के आधार पर निर्धारित की जाती है।
- **कर्मचारी सेवानिवृत्ति लाभ योजनाओं के अंतर्गत भविष्य के दायित्व:** कर्मचारी लाभ संबंधी दायित्वों का मापन बीमांकिक पूर्वधारणाओं के आधार पर किया जाता है, जिनमें मृत्यु दर एवं सेवा-त्याग दर के साथ-साथ छूट दरों, वेतन वृद्धि दर तथा मुद्रास्फीति दर में भविष्य में होने वाले परिवर्तनों से संबंधित पूर्वधारणाएँ शामिल हैं। कंपनी का मानना है कि अपने दायित्वों के मापन हेतु प्रयुक्त पूर्वधारणाएँ उपयुक्त एवं प्रलेखित हैं। तथापि, इन पूर्वधारणाओं में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का परिणामी गणनाओं पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है।
- **पट्टे :** कंपनी यह निर्धारित करने में अपने निर्णय का उपयोग करती है कि कोई अनुबंध पट्टा रखता है अथवा नहीं, तथा पट्टा करार के विस्तार विकल्प और पट्टा करार की समाप्ति के विकल्प का प्रयोग किया जाएगा अथवा नहीं। इसके अतिरिक्त, कंपनी पट्टों के लिए प्रयुक्त की जाने वाली उपयुक्त छूट दर तथा पट्टा अवधि की गणना में अनुमान का उपयोग करती है।
- **उचित मूल्य मापन एवं मूल्यांकन प्रक्रिया:** वित्तीय परिसंपत्तियों एवं वित्तीय देनदारियों के उचित मूल्यों का मापन डीसीएफ मॉडल सहित मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करके किया जाता है। जहाँ संभव हो, वहाँ इन विधियों में प्रयुक्त इनपुट प्रेक्षणीय बाजारों से प्राप्त किए जाते हैं; तथापि, जहाँ ऐसा करना संभव नहीं होता, वहाँ उचित मूल्य निर्धारित करने के लिए कुछ हद तक निर्णय का उपयोग करना आवश्यक होता है। निर्णय में तरलता जोखिम, क्रेडिट जोखिम तथा अस्थिरता जैसे इनपुट पर विचार शामिल होता है। इन कारकों से संबंधित पूर्वधारणाओं में परिवर्तन वित्तीय लिखतों के रिपोर्ट किए गए उचित मूल्य को प्रभावित कर सकते हैं।
- **कर:** आस्थगित कर परिसंपत्तियों को उस सीमा तक मान्यता दी जाती है, जहाँ यह संभावित हो कि कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा, जिसके विरुद्ध हानियों का उपयोग किया जा सकेगा। भविष्य में कर योग्य लाभ के संभावित समय एवं स्तर तथा भविष्य की कर-योजना संबंधी रणनीतियों के आधार पर मान्यता दी जाने वाली आस्थगित कर परिसंपत्ति की राशि निर्धारित करने के लिए प्रबंधन के महत्वपूर्ण निर्णय की आवश्यकता होती है।
- **संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण की उपयोगी आयु :** संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण की अनुमानित उपयोगी आयु नोट 2.07 में दी गई है। संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण की अनुमानित उपयोगी आयु अनेक कारकों पर आधारित होती है, जिनमें अप्रचलन, मांग, प्रतिस्पर्धा तथा अन्य आर्थिक कारकों के प्रभाव शामिल हैं। कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि के अंत में संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण की उपयोगी आयु की समीक्षा करती है।

नोट 33 : पूंजी प्रबंधन

ग्रुप कंपनी का उद्देश्य अपनी पूंजी का प्रबंधन इस तरह से करना है जिससे कंपनी के निरंतर चलते रहने की क्षमता सुनिश्चित और सुरक्षित रहे, ताकि ग्रुप कंपनी अपने शेयरधारकों को अधिकतम रिटर्न और अन्य हितधारकों को लाभ देना जारी रख सके।

इसके अतिरिक्त, समूह कंपनी आर्थिक परिस्थितियों में होने वाले परिवर्तनों तथा वित्तीय प्रसंविदाओं आवश्यकताओं के अनुरूप आवश्यक समायोजन करने के लिए अपनी पूंजी संरचना का प्रबंधन करती हैं। पिछली अवधि की तुलना में वर्तमान अवधि में पूंजी के प्रबंधन के उद्देश्यों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

नोट 34 : ऋण निधियों का उपयोग

(i) कंपनी को एशियन डेवलपमेंट बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक तथा एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक से पास थ्रू सहायता (अथवा बैक टू बैक आधार पर ऋण) के रूप में सॉवरेन ऋण के प्रति भारत सरकार से निधियां प्राप्त हुई हैं। इन निधियों का उपयोग केवल दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ आरआरटीएस परियोजना से संबंधित ऐसी व्यय मदों के

वित्तपोषण के लिए किया जाता है, जिन पर एशियन डेवलपमेंट बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक तथा एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के साथ सहमति हुई है तथा जो संबंधित ऋण/परियोजना करारों के प्रावधानों के अनुरूप हैं।.

(ii). कंपनी को भारत सरकार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार तथा उत्तर प्रदेश सरकार से इक्विटी के प्रति अधीनस्थ ऋण, अधीनस्थ ऋण (केंद्रीय कर), अधीनस्थ ऋण (राज्य कर) तथा अधीनस्थ ऋण (सरकारी भूमि) के मद में निधियां प्राप्त हुई हैं। स्वीकृति आदेश के अनुसार, इन निधियों का उपयोग केवल दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ आरआरटीएस परियोजना से संबंधित व्यय मदों के वित्तपोषण के लिए किया जाता है।

नोट 35 : अनुपात विश्लेषण

क्र. सं.	विवरण	गणक	विभाजक	चालू अवधि	पर्व अविध	% भिन्नता	भिन्नता के कारण
1	चालू अनुपात (समय में)	चालू परिसंपत्तियाँ	चालू देयताएं	1.19	0.72	65.28%	चालू देयताओं में मुख्य रूप से आवसन और शहरी कार्य मंत्रालय से प्राप्त पास-थ्रू सहायता (पीटीए) के रूप में अग्रिम शामिल है, जिसमें रिपोर्टिंग अवधि के दौरान दिल्ली-मेरठ कॉरिडोर के काफी हद तक पूर्ण हो जाने के कारण उल्लेखनीय कमी आई है।
2	ऋण-इक्विटी अनुपात (समय में)	कुल ऋण	कुल इक्विटी	1.57	1.19	31.93%	अमेरिकी डॉलर की तुलना में भारतीय रुपये के मूल्य में उल्लेखनीय ह्रास तथा पीटीए अग्रिम को उधार में परिवर्तित किए जाने के कारण रिपोर्टिंग अवधि के दौरान ऋण में वृद्धि हुई है।
3	इक्विटी पर प्रतिलाभ अनुपात (प्रतिशत में)	कर पश्चात लाभ	औसत कुल इक्विटी	-13.42%	0.72%	-1963.89%	आरओई में यह गिरावट मुख्य रूप से वित्त लागत के कारण हुई है, जिसे रिपोर्टिंग अवधि के दौरान दिल्ली-मेरठ कॉरिडोर के परिचालन में आने के कारण लाभ एवं हानि खाते में प्रभारित किया गया है।
4	इक्विटी पर प्रतिफल अनुपात (प्रतिशत में)	ब्याज एवं कर से पूर्व आय	नियोजित पूंजी	-0.84%	0.78%	-207.69%	आरओसीई में यह गिरावट मुख्य रूप से वित्त लागत के कारण हुई है, जिसे रिपोर्टिंग अवधि के दौरान दिल्ली-मेरठ कॉरिडोर के परिचालन में आने के कारण लाभ एवं हानि खाते में प्रभारित किया गया है।
5	व्यापार प्राप्य टर्नओवर अनुपात (समय में)	परिचालन से राजस्व	औसत व्यापार प्राप्य	53.72	0	लागू नहीं	ये अनुपात वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि से प्रभावी हैं, क्योंकि दिल्ली-मेरठ कॉरिडोर का परिचालन वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान प्रारंभ हुआ है।

क्र. सं.	विवरण	गणक	विभाजक	चालू अवधि	पर्व अविध	% भिन्नता	भिन्नता के कारण
6	व्यापार प्राप्य टर्नओवर अनुपात (समय में)	परिचालन व्यय	औसत व्यापार प्राप्य	2895.40	0.00	लागू नहीं	
7	नेट कार्यशील पूंजी आवर्त अनुपात (प्रतिशत में)	परिचालन से राजस्व	कार्यशील पूंजी	14.58%	0.00%	लागू नहीं	
8	नेट लाभ अनुपात (प्रतिशत में)	कर पश्चात लाभ/(हानि)	परिचालन से राजस्व	-1364.20%	0.00%	लागू नहीं	
9	ऋण सेवा कवरेज अनुपात (समय में)	कर पश्चात लाभ/(हानि) + मूल्यह्रास + ब्याज + पीपीई की बिक्री पर लाभ/(हानि)	ऋण पर ब्याज	-1.45	0.00%	लागू नहीं	
10	भंडार आवर्त अनुपात	परिचालन से राजस्व	औसत भंडार	लागू नहीं	-175036.94	लागू नहीं	
11	निवेश पर प्रतिलाभ	निवेश आय	औसत निवेश	लागू नहीं	-1242.17	लागू नहीं	

नोट 36 : उचित मूल्य मापन

(i) श्रेणीवार वित्तीय लिखत

(₹ लाख में)

विवरण	संदर्भ नोट	31 मार्च 2026 की स्थिति	31 मार्च 2025 की स्थिति
		परिशोधित लागत	
वित्तीय परिसंपत्तियाँ			
(i) ऋण एवं अग्रिम	7.1 & 10.4	193.72	208.61
(ii) प्रतिभूति जमा	7.2 & 10.5	3,261.42	2,538.00
(iii) व्यापार प्राप्य	10.1	396.42	–
(iv) नकदी एवं नकदी समतुल्य	10.2	58,672.84	87,872.00
(v) प्रयुक्त् (iv) के अतिरिक्त बैंक शेष	10.3	3,77,062.04	3,11,915.57
(vi) न्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	7.2 & 10.5	13,786.58	8,109.35
कुल वित्तीय परिसंपत्तियाँ		**4,53,373.02**	**4,10,643.53**
वित्तीय देयताएं			
(i) ऋण (संदर्भ नोट 15)	15	17,03,745.98	12,80,543.75
(ii) अन्य गैर-चालू वित्तीय देयताएं	16	9,240.50	112.72
(iii) व्यापार देय	20	2,643.25	–
कुल वित्तीय देयताएं		**17,15,629.73**	**12,80,656.47**

(ii) उचित मूल्य पदानुक्रम

स्तर 1 - समान परिसंपत्तियों या देयताओं के लिए सक्रिय बाजारों में उद्धृत मूल्य (असमायोजित)।

स्तर 2 - स्तर 1 में शामिल उद्धृत मूल्यों के अतिरिक्त ऐसे इनपुट, जो परिसंपत्ति या देयता के लिए प्रत्यक्ष रूप से (अर्थात् मूल्यों के रूप में) अथवा अप्रत्यक्ष रूप से (अर्थात् मूल्यों से व्युत्पन्न) प्रेक्षणीय हैं।

स्तर 3 - परिसंपत्तियों या देनदारियों से संबंधित ऐसे इनपुट, जो प्रेक्षणीय बाजार आंकड़ों पर आधारित नहीं हैं (अप्रेक्षणीय इनपुट)।

(iii) परिशोधित लागत पर मापी गई ऐसी परिसंपत्तियाँ एवं देयताएँ, जिनके उचित मूल्यों का प्रकटीकरण किया गया है।

विवरण	स्तर	31 मार्च 2026 की स्थिति		31 मार्च 2025 की स्थिति	
		वहन मूल्य	उचित मूल्य	वहन मूल्य	उचित मूल्य
वित्तीय परिसम्पत्तियां					
(i) प्रतिभूति जमा (संदर्भ नोट 7.2 एवं 10.5 देखें)	स्तर 3	3,261.42	3,261.42	2,538.00	2,538.00
(ii) कर्मचारियों को दिया गया अग्रिम (संदर्भ नोट 7.1 एवं 10.4)	स्तर 2	–	–	208.61	208.61
कुल परिसंपत्तियाँ	–	**3,261.42**	**3,261.42**	**2,746.61**	**2,746.61**
वित्तीय देयताएं					
(II) अधीनस्थ ऋण (संदर्भ नोट 15)	स्तर 3	1,94,277.09	1,94,277.09	1,67,459.86	1,67,459.86
(ii) प्रतिभूति जमा (संदर्भ नोट 16)	स्तर 3	102.25	102.25	112.72	112.72
योग देयताएं	–	**1,94,379.34**	**1,94,379.34**	**1,67,572.58**	**1,67,572.58**

क. नकदी एवं नकदी समतुल्य तथा अन्य अल्पकालिक प्राप्य एवं अन्य देय को उनकी अल्पकालिक प्रकृति के कारण उनके उचित मूल्यों के समान माना गया है।

ख. अधीनस्थ ऋणों का उचित मूल्य क्रमशः 24-वर्षीय सरकारी बॉण्ड की प्रतिफल दर का उपयोग करके निर्धारित किया गया है।

ग. कर्मचारियों को अग्रिम - प्रत्येक प्रकार के दीर्घकालिक अग्रिम के लिए आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत कर्मचारियों के परिलब्धि मूल्य की गणना हेतु प्रयुक्त ब्याज दर (अर्थात् वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में भारतीय स्टेट बैंक की दर)।

घ. परिशोधित लागत पर धारित अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों एवं देयताओं के उचित मूल्य एसबीआई-एमसीएलआर दर का उपयोग करके नकदी प्रवाहों को बट्टा देकर निर्धारित किए गए हैं।

अप्रेक्षणीय इनपुट के समावेश के कारण इन्हें उचित मूल्य पदानुक्रम के स्तर 2 एवं 3 के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

(iv) डेरिवेटिव पर उचित मूल्य में परिवर्तन से नेट लाभ/(हानि)

31.03.2026 को खुले हेजिंग लेनदेन का 31.03.2026 को लागू एसबीआई द्वारा उपलब्ध कराए गए मार्क-टू-मार्केट (एमटीएम) आधार पर मूल्यांकन किया गया है।

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2026 की स्थिति				
	मुद्रा	यूएसडी में राशि	लेखा दर	एमटीएम दर	राशि
ऋण पर ब्याज	अमेरिकी डॉलर (यूएसडी)	1,25,30,000.00	92.2780	95.2004	366.18
	–	**1,25,30,000.00**			**366.18**

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2025 की स्थिति				
	मुद्रा	यूएसडी में राशि	लेखा दर	एमटीएम दर	राशि
ऋण पर ब्याज	अमेरिकी डॉलर (यूएसडी)	–	–	–	–
	–	–			–

(v) उचित मूल्यों को निर्धारित करने के लिए प्रयुक्त मूल्यांकन तकनीकें एवं प्रक्रिया

12 माह से कम की परिपक्वता अवधि वाली वित्तीय परिसंपत्तियों एवं देयताओं की वहन राशियों को उनके उचित मूल्यों का प्रतिनिधि माना गया है।

निम्नलिखित सारणी में नियमित आधार पर उचित मूल्य पर तथा परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियों एवं देयताओं के उचित मूल्य मापन का पदानुक्रम प्रस्तुत किया गया है।

वित्तीय परिसंपत्तियों एवं वित्तीय देयताओं के उचित मूल्य मापन पदानुक्रम का मात्रात्मक प्रकटीकरण: -

(₹ लाख में)

विवरण	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	योग
31 मार्च, 2026 की स्थिति				
परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियाँ, जिनके उचित मूल्य का प्रकटीकरण किया गया है:				
प्रतिभूति जमा	–	–	3,261.42	3,261.42
कर्मचारियों को दिया गया अग्रिम	–	–	–	–
परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय देयताएँ, जिनके उचित मूल्य का प्रकटीकरण किया गया है:				
अधीनस्थ ऋण	–	–	1,94,277.09	1,94,277.09
प्रतिभूति जमा	–	–	102.25	102.25
31 मार्च, 2025 की स्थिति	**लेवल 1**	**लेवल 2**	**लेवल 3**	**योग**
परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियाँ, जिनके उचित मूल्य का प्रकटीकरण किया गया है:				
प्रतिभूति जमा	–	–	2,538.00	2,538.00
कर्मचारियों को दिया गया अग्रिम	–	208.61	–	208.61
परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय देयताएँ, जिनके उचित मूल्य का प्रकटीकरण किया गया है:				
अधीनस्थ ऋण	–	–	1,67,459.86	1,67,459.86
प्रतिभूति जमा	–	–	5.02	5.02

नोट 37 : वित्तीय जोखिम प्रबंधन

वित्तीय जोखिम कारक

कंपनी वित्तीय लिखतों के संबंध में किसी जोखिम के संपर्क में नहीं है। कंपनी की प्रमुख वित्तीय देयताओं में उधार, अन्य देयताएँ, प्रतिभूति जमा एवं ईएमडी शामिल हैं। कंपनी की प्रमुख वित्तीय परिसंपत्तियों में अन्य प्राप्य तथा नकद एवं नकद समतुल्य शामिल हैं, जो इसके परिचालनों से प्रत्यक्ष रूप से उत्पन्न होते हैं। तथापि, जोखिम के प्रमुख प्रकार बाजार जोखिम, विदेशी मुद्रा जोखिम एवं चलनिधि जोखिम हैं। कंपनी के समक्ष विद्यमान प्रमुख वित्तीय जोखिमों का वर्णन नीचे किया गया है:-

(क) बाजार जोखिम

भारत सरकार ने 7 मार्च 2019 को पहले RRTS कॉरिडोर, यानी दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ RRTS कॉरिडोर को मंजूरी दी थी। इस परियोजना के लिए, सरकारी जमीन, राज्य करों और निजी क्षेत्र की भागीदारी को छोड़कर, कुल लागत का 60% तक हिस्सा बहुपक्षीय/द्विपक्षीय एजेंसियों से मिलने वाली वित्तीय सहायता के जरिए जुटाने की योजना बनाई गई थी। इसी क्रम में, भारत सरकार ने एशियाई विकास बैंक (ADB) के साथ 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर, न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB) के साथ 418 मिलियन अमेरिकी

डॉलर, एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक (AIIB) के साथ 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर और एशियाई विकास बैंक (ट्रेंच-3) के साथ 37,730 मिलियन जापानी येन (JPY) के ऋण समझौते किए हैं। यह बाहरी फंडिंग वित्त मंत्रालय की मानक व्यवस्था के अनुसार 'बैक-टू-बैक' आधार पर होगी। ऋण की शर्तों में SOFR/TONA से जुड़ी परिवर्तनशील दरों पर हर छह महीने में ब्याज का भुगतान करना शामिल है। इस तरह, अंतरराष्ट्रीय बाजार में SOFR/TONA के उतार-चढ़ाव के आधार पर इसमें ब्याज दर का जोखिम भी जुड़ा हुआ है।

(ख) विदेशी मुद्रा जोखिम

कंपनी भारत सरकार द्वारा बहुपक्षीय विकास बैंकों से लिए गए उधारों पर विदेशी मुद्रा विनिमय दर में उतार-चढ़ाव के रूप में विदेशी मुद्रा जोखिम के संपर्क में है, जिन्हें वित्त मंत्रालय की मानक व्यवस्था के अनुसार बैक-टू-बैक आधार पर कंपनी को हस्तांतरित किया गया है। विदेशी मुद्रा में ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं को किए जाने वाले संविदात्मक भुगतान में भी यूएसडी, ईयूआर, जेपीवाई और एसईके के मुकाबले आईएनआर की विनिमय दर में उतार-चढ़ाव से उत्पन्न बाजार जोखिम शामिल है।

"विदेशी मुद्रा जोखिम प्रबंधन नीति" को सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया है तथा इसे कंपनी के एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट (ईआरएम) फ्रेमवर्क में समाहित किया गया है, जिसे निदेशक मंडल द्वारा 13 सितंबर 2024 को आयोजित अपनी 41वीं बैठक में स्वीकार किया गया है।

दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ नमो भारत कॉरिडोर के वित्तपोषण के लिए भारत सरकार ने बहुपक्षीय विकास बैंकों (एमडीबी) से विदेशी मुद्रा ऋण की व्यवस्था की है, जिन्हें बैक-टू-बैक आधार पर निगम को हस्तांतरित किया गया है। ये विदेशी मुद्रा ऋण निगम को "विदेशी मुद्रा एवं ब्याज दर में उतार-चढ़ाव के जोखिम" के संपर्क में लाते हैं।

कंपनी विदेशी मुद्रा जोखिम प्रबंधन नीति के अनुसार जोखिमों को कम/न्यून करने के लिए आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुरूप डेरिवेटिव उत्पादों (सामान्य और/या संरचित लिखतों) का उपयोग कर सकती है।

इसके अतिरिक्त, विदेशी मुद्रा एवं ब्याज दर में उतार-चढ़ाव के जोखिम की हेजिंग के लिए विदेशी मुद्रा जोखिम प्रबंधन समिति की सिफारिश के आधार पर सक्षम प्राधिकारी को हेजिंग से संबंधित निर्णय लेने के लिए अधिकृत किया गया है।

कंपनी अपनी समग्र रणनीति के अनुसार विदेशी मुद्रा उधारों से संबंधित जोखिमों की हेजिंग के लिए डेरिवेटिव उत्पादों का उपयोग करती है। कंपनी डेरिवेटिव संविदाओं का उपयोग सट्टा उद्देश्यों के लिए नहीं करती है।

रिपोर्टिंग अवधि के अंत में विदेशी मुद्रा जोखिम के प्रति कंपनी का महत्वपूर्ण एक्सपोज़र निम्नानुसार है:

31 मार्च 2026 की स्थिति

(₹ लाख में)

विवरण	लेन-देन की मुद्रा				योग
	जेपीवाई	यूएसडी	यूरो	एसईके	
परिसंपत्तियाँ					
ठेकेदारों को अग्रिम		–	9.42	–	9.42
योग	**–**	**–**	**9.42**	**–**	**9.42**
देयताएं					
अन्य वित्तीय देयताएँ	–	293.56	738.21	–	1,031.77
उधार	2,24,112.69	12,85,356.20	–	–	15,09,468.89
ऋणों पर उपचित किंतु देय न हुआ ब्याज	840.44	12,719.33	–	–	13,559.77
योग	**2,24,953.13**	**12,98,369.09**	**738.21**	**0.00**	**15,24,060.43**
31 मार्च 2025 की स्थिति					
परिसम्पत्तियां					
ठेकेदारों को अग्रिम	–	–	221.85	–	221.85
योग	**–**	**–**	**221.85**	**–**	**221.85**

विवरण	लेन-देन की मुद्रा				योग
	जेपीवाई	यूएसडी	यूरो	एसईके	
देयताएं					
अन्य वित्तीय देयताएँ	–	80.19	868.27	–	948.46
उधार	72,620.71	10,40,463.18	–	–	11,13,083.89
ऋणों पर उपचित किंतु देय न हुआ ब्याज	195.55	10,537.13	–	–	10,732.68
योग	**72,816.26**	**10,51,080.50**	**868.27**	**–**	**11,24,765.03**

31 मार्च 2026 की स्थिति

(₹ लाख में)

विवरण	बिना हेजिंग के				फॉरवर्ड अथवा डेरिवेटिव के माध्यम से हेज किया गया
	1 वर्ष या उससे कम	1–5 वर्ष	5 वर्ष से अधिक	योग	
विदेशी मुद्रा में प्राप्य	–	–	–	–	–
विदेशी मुद्रा में देय					
ईसीबी*	2,91,324.48	11,43,357.30	74,787.11	15,09,468.89	–
अन्य (प्रतिधारित राशि)	–	–	–	–	–
अन्य विदेशी मुद्रा ऋण/स्वैप	–	–	–	–	–
योग	**2,91,324.48**	**11,43,357.30**	**74,787.11**	**15,09,468.89**	**–**

31 मार्च 2025 की स्थिति

(₹ लाख में)

विवरण	बिना हेजिंग के				फॉरवर्ड अथवा डेरिवेटिव के माध्यम से हेज किया गया
	1 वर्ष या उससे कम	1–5 वर्ष	5 वर्ष से अधिक	योग	
विदेशी मुद्रा में प्राप्य		–	–	–	–
विदेशी मुद्रा में देय					
ईसीबी*	1,99,701.02	9,13,382.87	–	11,13,083.89	–
अन्य (प्रतिधारित राशि)	–	–	–	–	–
अन्य विदेशी मुद्रा ऋण/स्वैप	–	–	–	–	–
योग	**1,99,701.02**	**9,13,382.87**	**–**	**11,13,083.89**	**–**

* 31.03.2026 को उपलब्ध राशि को 31.03.2026 को आरबीआई की विनिमय दर, अर्थात् रुपये/यूएसडी 94.65 (पिछले वर्ष रुपये/यूएसडी 86.10), के आधार पर भारतीय रुपये में परिवर्तित किया गया है।

(ग) तरलता जोखिम

तरलता संबंधी आवश्यकताओं की निगरानी मासिक अनुमानों के आधार पर की जाती है। कंपनी के तरलता के प्रमुख स्रोत रिपोर्टिंग तिथि को शेयर पूंजी के अभिदान के विरुद्ध प्राप्त नकद एवं नकद समतुल्य, परिचालन से राजस्व तथा सरकारी अनुदान/अधीनस्थ ऋण हैं।

समूह नकदी अंतर्वाह की निरंतर निगरानी तथा पर्याप्त नकद एवं नकद समतुल्य बनाए रखकर अपनी तरलता संबंधी आवश्यकताओं का प्रबंधन करती है। किसी भी कमी का निर्धारण करने के लिए शुद्ध नकदी आवश्यकताओं की तुलना उपलब्ध नकदी से की जाती है।

अल्पकालिक तरलता संबंधी आवश्यकताओं में मुख्यतः प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को सामान्य व्यावसायिक गतिविधियों के दौरान

उत्पन्न विविध लेनदार, देय व्यय, प्रतिधारित राशि तथा जमा शामिल हैं। कंपनी अपनी अल्पकालिक तरलता संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु नकद एवं नकद समतुल्य तथा अन्य बैंक शेष की पर्याप्त राशि बनाए रखती है।

कंपनी दीर्घकालिक तरलता संबंधी आवश्यकताओं का समय-समय पर आकलन करती है तथा उनका प्रबंधन आंतरिक उपार्जनों के माध्यम से करती है। कंपनी की गैर-चालू देनदारियों में ब्याज-मुक्त अधीनस्थ ऋण तथा पट्टा देयता का पुनर्भुगतान शामिल है।

नीचे दी गई सारणी वित्तीय देनदारियों की संविदात्मक परिपक्वताओं से संबंधित विवरण प्रस्तुत करती है। यह सारणी वित्तीय देनदारियों से संबंधित नकदी प्रवाह के आधार पर तैयार की गई है तथा इसमें उस सबसे प्रारंभिक तिथि को ध्यान में रखा गया है, जिस तिथि को कंपनी को भुगतान करना अपेक्षित हो सकता है।

31 मार्च 2026 की स्थिति के अनुसार विवरण निम्नलिखित है:- (₹ लाख में)

विवरण	6 माह से कम	6 माह से 1 वर्ष	1 से 3 वर्ष	3 से 5 वर्ष	5 वर्ष से अधिक	योग
ऋण	–	–	9,548.22	60,809.34	16,33,388.42	17,03,745.98
योग	**–**	**–**	**9,548.22**	**60,809.34**	**16,33,388.42**	**17,03,745.98**

31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार विवरण निम्नलिखित है:- (₹ लाख में)

विवरण	6 माह से कम	6 माह से 1 वर्ष	1 से 3 वर्ष	3 से 5 वर्ष	5 वर्ष से अधिक	योग
ऋण	–	–	–	28,871.21	12,51,672.54	12,80,543.75
योग	**–**	**–**	**–**	**28,871.21**	**12,51,672.54**	**12,80,543.75**

संवेदनशीलता (₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2026 की स्थिति		31 मार्च 2025 की स्थिति	
	कमी	वृद्धि	कमी	वृद्धि
विनिमय दर जोखिम				
यूएसडी संवेदनशीलता	(64,267.81)	64,267.81	–	–
जेपीवाई संवेदनशीलता	(11,205.63)	11,205.63	–	–
ब्याज दर जोखिम				
एसओएफआर	(3,927.11)	3,927.11	–	–
टीओएनए	(592.46)	592.46	–	–

नोट 38 : प्रावधान, आकस्मिक देयताएं एवं आकस्मिक परिसंपत्तियां

38.1. प्रावधान

इंड एएस 37 'प्रावधान, आकस्मिक देयताएं एवं आकस्मिक परिसंपत्तियां' के अनुसार वर्ष के दौरान किए गए प्रावधानों की प्रकृति तथा प्रावधानों में हुए परिवर्तनों का विवरण नोट 17 एवं नोट 22 में प्रकट किया गया है।

38.2. आकस्मिक देयता

इंड एएस 37 'प्रावधान, आकस्मिक देयताएं एवं आकस्मिक परिसंपत्तियां' के अनुसार आकस्मिक देयताओं का प्रकटीकरण

(i) कंपनी की 31 मार्च 2026 की स्थिति के अनुसार सामान्य व्यावसायिक गतिविधियों के दौरान आकस्मिक देयता (ब्याज को छोड़कर) 83,790.80 लाख रुपये (60,036.48 लाख रुपये) है, जो ठेकेदारों द्वारा किए गए दावों के संबंध में है, जिन्हें कंपनी द्वारा देयता के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है।

(ii) कंपनी को आयकर विभाग से नीचे उल्लिखित निर्धारण वर्षों (एवाई) के संबंध में मांग नोटिस प्राप्त हुए हैं। कंपनी ने इन मांगों का विरोध किया है तथा आयकर आयुक्त (अपील) [सीआईटी(ए)] के समक्ष अपील दायर की है। इन मांगों की स्थिति निम्नानुसार है:

(₹ लाख में)

वित्तीय वर्ष	मांग राशि	वित्तीय विवरणों के अंतिम रूप दिए जाने तक उपचित ब्याज	योग	स्थगन/भुगतान की स्थिति
2023-24	3734.07 (शून्य)	104.55 (शून्य)	3838.62 (शून्य)	स्थगन याचिका दायर; 10% (373.41 लाख रुपये) जमा किए गए।
2022-23	3030.27 (3030.27)	369.69 (54.54)	3399.96 (3084.81)	स्थगन प्रदान किया गया; 20% (606.05 लाख रुपये) जमा किए गए।

38.3. आकस्मिक परिसंपत्तियां

इंड एएस 37 'प्रावधान, आकस्मिक देयताएं एवं आकस्मिक परिसंपत्तियां' के अनुसार आकस्मिक परिसंपत्तियों का प्रकटीकरण। कंपनी की 31 मार्च 2026 की स्थिति के अनुसार आकस्मिक परिसंपत्तियां शून्य (शून्य) हैं।

नोट 39 : संबंधित पार्टी प्रकटीकरण

इंड एएस 24 'संबंधित पक्ष प्रकटीकरण' के अनुपालन में प्रकटीकरण निम्नलिखित है:-

39.1 : संबंधित पार्टियों की सूची

39.1.1 संस्था के प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक एवं नामित निदेशक

नाम	पदनाम
श्री श्रीनिवास काटिकिथला	अध्यक्ष
श्री शलभ गोयल	प्रबंध निदेशक
श्री महेंद्र कुमार	निदेशक/ई एंडआरएस
सुश्री नमिता मेहरोत्रा	निदेशक/वित्त एवं मुख्य वित्त अधिकारी
श्री मुन्ना कुमार	निदेशक/कार्य
श्री परमजीत सिंह	निदेशक/परियोजनाएं (23.04.2025 से)
श्री कुलदीप नारायण	नामित निदेशक
श्री एन. सरवणा कुमार	नामित निदेशक (12.02.2026 से)
श्री विवेक कुमार	नामित निदेशक (19.06.2025 से)
श्री पी. गुरुप्रसाद	नामित निदेशक
श्री अनुराग अग्रवाल	नामित निदेशक (20.03.2026 से)
श्री शिखर अग्रवाल	नामित निदेशक (15.01.2026 से
सुश्री निहारिका राय	नामित निदेशक (22.05.2025 से)
सुश्री अर्चना अग्रवाल	नामित निदेशक (15.10.2025 तक)
श्री अपूर्व कुमार सिंह	नामित निदेशक (19.03.2026 तक)
श्री अजिताभ शर्मा	नामित निदेशक (22.06.2025 तक)
श्री आलोक गुप्ता	नामित निदेशक (17.07.2025 से 15.01.2026 तक)
श्री प्रशांत गोयल	नामित निदेशक (16.05.2025 तक)
श्री दिनेश कुमार	नामित निदेशक (30.04.2025 तक)
श्री नवनीत कौशिक	निदेशक/प्रणाली एवं परिचालन (30.06.2025 तक)
श्री विजय कुमार	कंपनी सचिव

39.1.2 सरकार से संबंधित संस्थाएं:

कंपनी आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के अधीन एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। कंपनी 31 मार्च 2026 की स्थिति के अनुसार भारत सरकार (जीओआई) द्वारा प्रशासनिक रूप से नियंत्रित है, जिसके अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति के नाम पर 50% इक्विटी शेयर धारित हैं तथा हरियाणा सरकार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, राजस्थान सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक के नाम पर 12.5% इक्विटी शेयर धारित हैं। इंड एएस 24 के पैरा 25 एवं 26 के अनुसार, ऐसी संस्थाएं जिन पर समान सरकार का नियंत्रण या संयुक्त नियंत्रण अथवा महत्वपूर्ण प्रभाव है, उन्हें रिपोर्टिंग संस्था तथा अन्य संस्थाओं के साथ संबंधित पक्ष माना जाता है। इन संबंधित पक्षों के साथ लेन-देन बाजार की शर्तों पर तथा स्वतंत्र पक्षों के बीच होने वाले लेन-देन के आधार पर किए जाते हैं। कंपनी ने सरकारी-संबंधित संस्थाओं के लिए उपलब्ध छूट का लाभ उठाया है और वित्तीय विवरणों में सीमित प्रकटीकरण किए हैं।

कंपनी के निम्नलिखित सरकार से संबंधित संस्थाओं के साथ महत्वपूर्ण लेन-देन हैं:-

इकाई का नाम	संबंध
आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार	प्रशासनिक मंत्रालय
रेल मंत्रालय, भारत सरकार	शेयरधारक
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड	शेयरधारक
हरियाणा सरकार	शेयरधारक एवं हितधारक
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार	शेयरधारक एवं हितधारक
राजस्थान सरकार	शेयरधारक एवं हितधारक
उत्तर प्रदेश सरकार	शेयरधारक एवं हितधारक
"दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन	भारत सरकार एवं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की नियंत्रणाधीन इकाई
बैंगलोर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन	भारत सरकार एवं कर्नाटक सरकार की नियंत्रणाधीन इकाई
हरियाणा मास रैपिड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	हरियाणा सरकार की नियंत्रणाधीन इकाई
यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण	राज्य सरकार की इकाई
मुजफ्फरनगर विकास निगम	राज्य सरकार की इकाई
मेरठ विकास प्राधिकरण	राज्य सरकार की इकाई
हरियाणा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	भारत सरकार एवं हरियाणा सरकार की नियंत्रणाधीन इकाई

39.2 : संबंधित पार्टियों के साथ लेन-देन निम्नलिखित हैं:

39.2.1 : प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक एवं निदेशक के साथ लेन-देन

नाम	संबंध	भुगतान की प्रकृति	31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए
शून्य				

39.2.2 : प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक:

वर्ष के दौरान निदेशकों एवं अन्य प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक निम्नलिखित था:

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए
अल्पकालिक लाभ	351.43	287.30
सेवोत्तर लाभ	70.27	58.36
अन्य दीर्घकालिक लाभ	34.09	36.78
योग	**455.79**	**382.44**

39.2.3 : अन्य संबंधित पार्टियों के साथ लेन-देन निम्नलिखित हैं:-

(₹ लाख में)

विवरण	संबंधित पार्टी का नाम	संबंध की प्रकृति	31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए
प्राप्तियां / आय				
दिल्ली-मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर परियोजना हेतु निधियां, जिसमें पास-थ्रू सहायता भी शामिल है	भारत सरकार	सरकार से संबंधित इकाई	1,89,135.00	4,75,800.00
दिल्ली करनाल आरआरटीएस कॉरिडोर परियोजना के लिए निधियां	भारत सरकार	सरकार से संबंधित इकाई	6,580.00	–
दिल्ली मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर परियोजना के लिए निधियां	उत्तर प्रदेश सरकार	सरकार से संबंधित इकाई	46,600.00	91,400.00
दिल्ली मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर परियोजना के लिए निधियां	दिल्ली सरकार	सरकार से संबंधित इकाई	–	–
दिल्ली करनाल आरआरटीएस कॉरिडोर परियोजना के लिए निधियां	दिल्ली सरकार	सरकार से संबंधित इकाई	11,200.00	5,000.00
दिल्ली एसएनबी आरआरटीएस कॉरिडोर परियोजना के लिए निधियां	दिल्ली सरकार	सरकार से संबंधित इकाई	18,500.00	–
परामर्श आय	यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण	सरकार से संबंधित इकाई	–	70.80
परामर्श आय	मेरठ विकास प्राधिकरण	सरकार से संबंधित इकाई	107.24	–
परामर्श आय	आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय	सरकार से संबंधित इकाई	89.21	–
परामर्श आय	मुजफ्फरनगर विकास निगम	सरकार से संबंधित इकाई	–	–
परियोजना निगरानी उपकरण स्पीड का कार्यान्वयन	बैंगलोर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन	सरकार से संबंधित इकाई	23.80	15.75

विवरण	संबंधित पार्टी का नाम	संबंध की प्रकृति	31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए
परियोजना निगरानी उपकरण स्पीड का कार्यान्वयन	हरियाणा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड	सरकार से संबंधित इकाई	197.55	245.30
परामर्श आय	हरियाणा मास रैपिड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	सरकार से संबंधित इकाई	-	-
व्यय / भुगतान				
प्रशिक्षण व्यय	दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड	सरकार से संबंधित इकाई	2.78	6.62
मशीनरी किराया	दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड	सरकार से संबंधित इकाई	1,671.44	649.23
किराया प्रभार	दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड	सरकार से संबंधित इकाई	-	-

39.2.4 : अन्य संबंधित पार्टियों के साथ बकाया शेष निम्नलिखित हैं:-

(₹ लाख में)

लेन-देन की प्रकृति	संबंधित पार्टी का नाम	संबंध की प्रकृति	31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए
परिसंपत्तियां / वसूलीयोग्य				
परामर्श सेवाओं के लिए वसूलीयोग्य राशि	हरियाणा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड	सरकार से संबंधित इकाई	66.00	101.77
परामर्श सेवाओं के लिए वसूलीयोग्य राशि	मुजफ्फरनगर विकास निगम	सरकार से संबंधित इकाई	13.68	82.08
परामर्श सेवाओं के लिए वसूलीयोग्य राशि	आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय	सरकार से संबंधित इकाई	13.61	-
परामर्श सेवाओं के लिए वसूलीयोग्य राशि	यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण	सरकार से संबंधित इकाई	-	-
परामर्श सेवाओं के लिए वसूलीयोग्य राशि	हरियाणा मास रैपिड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	सरकार से संबंधित इकाई	126.85	126.85
परामर्श सेवाओं के लिए वसूलीयोग्य राशि	बैंगलोर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन	सरकार से संबंधित इकाई	-	5.81
मशीनरी की आपूर्ति के संबंध में वसूलनीय राशि	दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड	सरकार से संबंधित इकाई	-	56.93
देयताएं / देय				
प्राप्त ऋणों के संबंध में राशि	भारत सरकार	सरकार से संबंधित इकाई	83,047.62	68,055.81
अग्रिम के रूप में प्राप्त राशि	भारत सरकार	सरकार से संबंधित इकाई	3,12,629.46	5,10,087.65



लेन-देन की प्रकृति	संबंधित पार्टी का नाम	संबंध की प्रकृति	31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए
अग्रिम के रूप में प्राप्त राशि	हरियाणा सरकार	सरकार से संबंधित इकाई	24,750.00	24,750.00
अग्रिम के रूप में प्राप्त राशि	राजस्थान सरकार	सरकार से संबंधित इकाई	500.00	500.00
अग्रिम के रूप में प्राप्त राशि	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार	सरकार से संबंधित इकाई	49,700.00	20,000.00
प्राप्त ऋणों के संबंध में राशि	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार	सरकार से संबंधित इकाई	19,196.08	17,962.09
प्राप्त ऋणों के संबंध में राशि	उत्तर प्रदेश सरकार	सरकार से संबंधित इकाई	92,033.39	81,441.96

नोट 40 : कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार, निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाली कंपनी के लिए तत्काल पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षों के औसत शुद्ध लाभ का कम से कम 2% कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) गतिविधियों पर व्यय करना आवश्यक है। विवरण निम्नलिखित है:-

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2026 की स्थिति	31 मार्च 2025 की स्थिति
i) पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान अव्ययित शेष राशि	390.34	151.43
ii) वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा व्यय की जाने वाली अपेक्षित राशि	323.41	238.91
iii) वर्ष के लिए अव्ययित राशि	323.41	238.91
iv) वर्ष के दौरान व्यय की गई राशि	–	–
क. किसी परिसंपत्ति के निर्माण/अर्जन पर	–	–
ख. (क) के अतिरिक्त अन्य प्रयोजन पर	–	–
v) वर्ष के अंत में अव्ययित शेष राशि (अव्ययित सीएसआर खाते में पृथक रूप से रखी गई)	713.75	390.34
vi) संबंधित पार्टी लेन-देन का विवरण	–	-
vii) जहां संविदात्मक दायित्व में प्रवेश करने के कारण उत्पन्न देयता के संबंध में कोई प्रावधान किया गया है, वहां प्रावधान में हुए परिवर्तन	–	-
viii) वर्ष के दौरान व्यय न किए जाने का कारण	चल रही परियोजना से संबंधित	
ix) सीएसआर गतिविधि की प्रकृति :- गोविंदपुरी, मोदीनगर स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय में 01 कक्ष का निर्माण तथा पुरुष एवं महिला के लिए 2-2 शौचालयों का निर्माण। बखरवा, मोदीनगर, उत्तर प्रदेश स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय में पुरुष एवं महिला के लिए 3-3 शौचालयों का निर्माण। सारा, मोदीनगर स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय में पुरुष एवं महिला के लिए 2-2 शौचालयों का निर्माण तथा जलरोधन कार्य। ग्राम सिवाया, मोदिपुरम स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में नए शौचालयों का निर्माण एवं मौजूदा शौचालयों का नवीनीकरण। मेरठ जिले, उत्तर प्रदेश में शौचालयों का निर्माण। मेरठ जिले, उत्तर प्रदेश में शौचालयों का निर्माण। गाजियाबाद जिले के राजकीय अस्पताल को विभिन्न चिकित्सा उपकरण एवं उनके सहायक उपकरण उपलब्ध कराना।		

स्पष्टीकरण नोट:

(i) कंपनी ने वर्ष के दौरान चल रही परियोजनाओं की 323.41 लाख रुपये (238.91 लाख रुपये) की अव्ययित राशि को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135(6) के अनुसार निर्धारित समय-सीमा के भीतर पृथक बैंक खाते में जमा कर दिया है।

नोट 41 : भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस)-19 "कर्मचारी लाभ" के संबंध में प्रकटीकरण 31.03.2026 की स्थिति के अनुसार मूल्य दर्शाए गए हैं। कर्मचारी लाभों के लिए वर्षांत में बीमांकिक मूल्यांकन प्राप्त किया गया है।

41.1 विभिन्न परिभाषित कर्मचारी लाभ योजनाओं का सामान्य विवरण निम्नानुसार है:

क) भविष्य निधि:

कंपनी की भविष्य निधि का प्रबंधन क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त द्वारा किया जाता है। कंपनी पूर्व-निर्धारित दर पर भविष्य निधि में निश्चित अंशदान करती है। देयता को उपचय आधार पर मान्यता दी जाती है।

ख) उपदान:

कंपनी, भुगतान उपदान अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के अनुसार, अधिवार्षिता, सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र, शारीरिक अक्षमता अथवा मृत्यु के कारण कर्मचारियों की सेवा समाप्त होने पर सामाजिक सुरक्षा उपाय के रूप में कंपनी के कर्मचारियों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

इंड एएस-19 के अंतर्गत अपेक्षित सूचना का प्रकटीकरण बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार किया गया है तथा देयता को बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर मान्यता दी जाती है।

ग) पेंशन:

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के माध्यम से प्रशासित कर्मचारी अधिवार्षिता परिभाषित अंशदान पेंशन योजना के लिए पात्र कर्मचारियों के मूल वेतन के 8% की दर से प्रावधान किया गया है।

अवधि के लिए अंशदान का प्रावधान उपचय आधार पर कर्मचारी लागत के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कर्मचारियों के संबंध में पेंशन अंशदान की गणना मूल नियोक्ता संगठन/भारत सरकार के नियमों के अनुसार की जाती है तथा इसका लेखांकन उपचय आधार पर किया जाता है।

घ) सेवानिवृत्ति-पश्चात चिकित्सा लाभ:

कंपनी के पास सेवानिवृत्ति-पश्चात चिकित्सा लाभ (पीआरएमबी) योजना है, जिसके अंतर्गत सेवानिवृत्त कर्मचारियों तथा उनके आश्रित परिवार के सदस्यों को कर्मचारी पर लागू समान दर पर उपचार हेतु चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाती है।

इस मद के अंतर्गत देयता को बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर मान्यता दी जाती है।

ङ) अवकाश:

कंपनी अपने कर्मचारियों को अर्जित अवकाश तथा अर्ध-वेतन अवकाश का लाभ प्रदान करती है, जो क्रमशः 30 दिन एवं 20 दिन प्रति वर्ष की दर से अर्जित होते हैं। सेवा में रहते हुए किसी कैलेंडर वर्ष में केवल नकदीकरण योग्य अवकाश खाते में उपलब्ध अवकाश का एक बार नकदीकरण किया जा सकता है तथा अधिवार्षिता के समय अधिकतम 300 दिनों तक के अवकाश का नकदीकरण किया जा सकता है, जिसमें गैर-नकदीकरण योग्य भाग तथा बिना कम्यूटेशन के अर्ध-वेतन अवकाश भी शामिल हैं।

इस मद के अंतर्गत देयता को बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर मान्यता दी जाती है।

प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कर्मचारियों के संबंध में अवकाश वेतन अंशदान उनके आहरित वेतन के आधार पर उनके मूल विभाग/संगठन को, मूल विभाग/संगठन के नियमों के अनुसार, देय होता है तथा इसका लेखांकन उपचय आधार पर किया जाता है।

च) अवकाश यात्रा रियायत (एलटीसी):

कंपनी अपनी नीति के अनुसार प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कर्मचारियों को अपने परिवार के साथ मुख्यालय से दूर गृह नगर अथवा अन्य स्थान पर समय-समय पर विश्राम एवं मनोरंजन हेतु यात्रा पर होने वाले व्यय की पूर्ति के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

इस मद के अंतर्गत देयता को बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर मान्यता दी जाती है।

छ) अन्य लाभ

(i) अधिवार्षिता के समय कर्मचारियों के निजी सामान को उनके गृह नगर अथवा भारत में उस स्थान पर, जहां कर्मचारी अथवा उसका परिवार बसना चाहता है, ले जाने की सुविधा।

इस मद के अंतर्गत देयता को बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर मान्यता दी जाती है।

ii) दीर्घकालिक सेवा पुरस्कार में उन कर्मचारियों की प्रतिबद्धता एवं योगदान को मान्यता देना, पुरस्कृत करना तथा सम्मानित करना शामिल है, जिन्होंने कंपनी के लिए कई वर्षों तक कार्य किया है।

इस मद के अंतर्गत देयता को बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर मान्यता दी जाती है।

41.2 लाभ एवं हानि के विवरण, अन्य व्यापक आय (ओसीआई) तथा तुलन-पत्र में मान्यता प्राप्त विभिन्न परिभाषित लाभों की संक्षिप्त स्थिति एवं अन्य प्रकटीकरण निम्नानुसार हैं:

(क) नेट परिभाषित लाभ देयता

(₹ लाख में)

31.03.2026 की स्थिति	उपदान	अर्जित अवकाश	अवकाश यात्रा रियायत	सेवानिवृत्ति-पश्चात चिकित्सा लाभ	अन्य
	(अवित्तपोषित)	(अवित्तपोषित)	(अवित्तपोषित)	(वित्तपोषित)	(अवित्तपोषित)
दायित्व के वर्तमान मूल्य का प्रारंभिक शेष	1,182.67	2,269.27	10.17	771.10	148.38
अधिग्रहण समायोजन	10.26	21.70	–	–	–
ब्याज लागत	82.67	158.62	0.71	53.90	10.37
चालू सेवा लागत	208.01	449.69	3.75	101.28	44.76
पिछली सेवा लागत, जिसमें कटौती से उत्पन्न लाभ/हानियां शामिल हैं	10.55	–	–	–	–
भुगतान किए गए/अपलिखित लाभ	(63.81)	(241.84)	(0.57)	(4.10)	(9.44)
दायित्वों पर बीमांकिक हानि/(लाभ)	(142.92)	(192.96)	(7.10)	(291.13)	(29.15)
दायित्व के वर्तमान मूल्य का अंतिम शेष	**1,287.43**	**2,464.48**	**6.96**	**631.04**	**164.92**
31.03.2025 की स्थिति	**उपदान**	**अर्जित अवकाश**	**अवकाश यात्रा रियायत**	**सेवानिवृत्ति-पश्चात चिकित्सा लाभ**	**अन्य**
	(अवित्तपोषित)	(अवित्तपोषित)	(अवित्तपोषित)	(अवित्तपोषित)	(अवित्तपोषित)
दायित्व के वर्तमान मूल्य का प्रारंभिक शेष	899.96	1,641.18	9.90	575.24	105.23
अधिग्रहण समायोजन	6.41	9.10	–	–	–
ब्याज लागत	64.98	118.49	0.71	41.53	7.36
चालू सेवा लागत	212.78	531.80	4.64	164.82	43.64
भुगतान किए गए/अपलिखित लाभ	(37.62)	(206.86)	(0.80)	(0.59)	(24.00)
दायित्वों पर बीमांकिक हानि/(लाभ)	36.16	175.56	(4.28)	(9.91)	16.15
दायित्व के वर्तमान मूल्य का अंतिम शेष	**1,182.67**	**2,269.27**	**10.17**	**771.09**	**148.38**

(ख) योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य

(₹ लाख में)

विवरण	31.03.2026 की स्थिति				
	उपदान	अर्जित अवकाश	अवकाश यात्रा रियायत	सेवानिवृत्ति-पश्चात चिकित्सा लाभ	अन्य
	(अवित्तपोषित)	(अवित्तपोषित)	(अवित्तपोषित)	(वित्तपोषित)	(अवित्तपोषित)
योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य का प्रारंभिक शेष	–	–	–	–	–
योजना परिसंपत्तियों पर वास्तविक प्रतिफल	–	–	–	–	–
अंशदान	–	–	–	–	–
भुगतान किए गए लाभ	–	–	–	–	–
वर्ष के अंत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	–	–	–	–	–
दायित्व के वर्तमान मूल्य का अंतिम शेष	1,287.43	2,464.48	6.96	631.04	164.92
वित्तपोषित स्थिति	–	–	–	–	–

विवरण	31.03.2025 की स्थिति				
	उपदान	अर्जित अवकाश	अवकाश यात्रा रियायत	सेवानिवृत्ति-पश्चात चिकित्सा लाभ	अन्य
	(अवित्तपोषित)	(अवित्तपोषित)	(अवित्तपोषित)	(अवित्तपोषित)	(अवित्तपोषित)
योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य का प्रारंभिक शेष	–	–	–	–	–
योजना परिसंपत्तियों पर वास्तविक प्रतिफल	–	–	–	–	–
अंशदान	–	–	–	–	–
भुगतान किए गए लाभ	–	–	–	–	–
वर्ष के अंत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	–	–	–	–	–
दायित्व के वर्तमान मूल्य का अंतिम शेष	1,182.67	2,269.27	10.17	771.09	148.38
वित्तपोषित स्थिति	–	–	–	–	–

(ग) तुलन-पत्र में स्वीकृति राशि

(₹ लाख में)

विवरण	31.03.2026 की स्थिति				
	उपदान	अर्जित अवकाश	अवकाश यात्रा रियायत	सेवानिवृत्ति-पश्चात चिकित्सा लाभ	अन्य
	(अवित्तपोषित)	(अवित्तपोषित)	(अवित्तपोषित)	(वित्तपोषित)	(अवित्तपोषित)
वर्ष के अंत में दायित्वों का अनुमानित वर्तमान मूल्य	1,287.43	2,464.48	6.96	631.04	164.92
वर्ष के अंत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	–	–	–	–	–
वित्तपोषित स्थिति	–	–	–	–	–
तुलन-पत्र में मान्यता प्राप्त नेट देयता	1,287.43	2,464.48	6.96	631.04	164.92

विवरण	31.03.2025 की स्थिति				
	उपदान	अर्जित अवकाश	अवकाश यात्रा रियायत	सेवानिवृत्ति-पश्चात चिकित्सा लाभ	अन्य
	(अवित्तपोषित)	(अवित्तपोषित)	(अवित्तपोषित)	(अवित्तपोषित)	(अवित्तपोषित)
वर्ष के अंत में दायित्वों का अनुमानित वर्तमान मूल्य	1,182.67	2,269.27	10.17	771.09	148.38
वर्ष के अंत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	–	–	–	–	–
वित्तपोषित स्थिति	–	–	–	–	–
तुलन-पत्र में मान्यता प्राप्त नेट देयता	1,182.67	2,269.27	10.17	771.09	148.38

(घ) लाभ एवं हानि खाते में स्वीकृत व्यय

(₹ लाख में)

विवरण	31.03.2026 की स्थिति				
	उपदान	अर्जित अवकाश	अवकाश यात्रा रियायत	सेवानिवृत्ति-पश्चात चिकित्सा लाभ	अन्य
	(अवित्तपोषित)	(अवित्तपोषित)	(अवित्तपोषित)	(वित्तपोषित)	(अवित्तपोषित)
चालू सेवा लागत	218.56	449.69	3.75	101.28	44.76
ब्याज लागत	82.67	158.62	0.71	43.54	10.37
बीमांकिक लाभ एवं हानि	–	(192.96)	(7.10)	–	0.04
लाभ एवं हानि खाते/पूंजीगत कार्य प्रगति में मान्यता प्राप्त कुल व्यय	301.23	415.35	(2.64)	144.82	55.17

विवरण	31.03.2025 की स्थिति				
	उपदान	अर्जित अवकाश	अवकाश यात्रा रियायत	सेवानिवृत्ति-पश्चात चिकित्सा लाभ	अन्य
	(अवित्तपोषित)	(अवित्तपोषित)	(अवित्तपोषित)	(अवित्तपोषित)	(अवित्तपोषित)
चालू सेवा लागत	212.78	531.80	4.64	164.82	43.64
ब्याज लागत	64.98	118.49	0.65	41.53	7.36
बीमांकिक लाभ एवं हानि	–	175.56	(4.28)	–	4.06
लाभ एवं हानि खाते/पूंजीगत कार्य प्रगति में मान्यता प्राप्त कुल व्यय	277.76	825.85	1.01	206.35	55.06

(ङ) अन्य व्यापक आय में स्वीकृत पुनर्मापन (लाभ)/हानि

(₹ लाख में)

विवरण	31.03.2026 की स्थिति				
	उपदान	अर्जित अवकाश	अवकाश यात्रा रियायत	सेवानिवृत्ति-पश्चात चिकित्सा लाभ	अन्य
	(अवित्तपोषित)	(अवित्तपोषित)	(अवित्तपोषित)	(वित्तपोषित)	(अवित्तपोषित)
योजना परिसंपत्तियों का पुनर्मापन	–	–	–		
दायित्व का पुनर्मापन	(142.92)	–	–	(291.13)	(29.19)
अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त कुल (लाभ)/हानि	(142.92)	–	–	(291.13)	(29.19)

विवरण	31.03.2025 की स्थिति				
	उपदान	अर्जित अवकाश	अवकाश यात्रा रियायत	सेवानिवृत्ति-पश्चात चिकित्सा लाभ	अन्य
	(अवित्तपोषित)	(अवित्तपोषित)	(अवित्तपोषित)	(अवित्तपोषित)	(अवित्तपोषित)
योजना परिसंपत्तियों का पुनर्मापन	–	–	–	–	–
दायित्व का पुनर्मापन	36.16	–	–	(9.91)	12.09
अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त कुल (लाभ)/हानि	36.16	–	–	(9.91)	12.09

(च) गैर-चालू एवं चालू देयता में वर्गीकरण

(₹ लाख में)

विवरण	31.03.2026 की स्थिति				
	उपदान	अर्जित अवकाश	अवकाश यात्रा रियायत	सेवानिवृत्ति-पश्चात चिकित्सा लाभ	अन्य
	(अवित्तपोषित)	(अवित्तपोषित)	(अवित्तपोषित)	(वित्तपोषित)	(अवित्तपोषित)
गैर-चालू प्रावधान	1,215.62	2,243.60	3.48	629.24	149.69
चालू प्रावधान	71.81	220.89	3.48	1.81	15.23
योग प्रावधान	**1,287.43**	**2,464.49**	**6.96**	**631.05**	**164.92**

विवरण	31.03.2025 की स्थिति				
	उपदान	अर्जित अवकाश	अवकाश यात्रा रियायत	सेवानिवृत्ति-पश्चात चिकित्सा लाभ	अन्य
	(अवित्तपोषित)	(अवित्तपोषित)	(अवित्तपोषित)	(अवित्तपोषित)	(अवित्तपोषित)
गैर-चालू प्रावधान	1,101.78	2,034.88	5.09	766.61	129.86
चालू प्रावधान	80.90	234.40	5.09	4.48	18.52
योग प्रावधान	**1,182.68**	**2,269.28**	**10.18**	**771.09**	**148.38**

ज) भारित औसत के रूप में अभिव्यक्त प्रमुख बीमांकिक अनुमान

विवरण	31.03.2026 की स्थिति				
	उपदान	अर्जित अवकाश	अवकाश यात्रा रियायत	सेवानिवृत्ति-पश्चात चिकित्सा लाभ	अन्य
	(अवित्तपोषित)	(अवित्तपोषित)	(अवित्तपोषित)	(वित्तपोषित)	(अवित्तपोषित)
डिस्काउंट दर	7.78%	7.78%	7.78%	7.78%	7.78%
आरोपित ब्याज दर	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
वेतन वृद्धि की अपेक्षित दर	6.50%	6.50%	6.50%	6.50%	6.50%
प्रयुक्त विधि	प्रक्षेपित यूनिट क्रेडिट (पीयूसी)	प्रक्षेपित यूनिट क्रेडिट (पीयूसी)	प्रक्षेपित यूनिट क्रेडिट (पीयूसी)	प्रक्षेपित यूनिट क्रेडिट (पीयूसी)	प्रक्षेपित यूनिट क्रेडिट (पीयूसी)

विवरण	31.03.2025 की स्थिति				
	उपदान	अर्जित अवकाश	अवकाश यात्रा रियायत	सेवानिवृत्ति-पश्चात चिकित्सा लाभ	अन्य
	(अवित्तपोषित)	(अवित्तपोषित)	(अवित्तपोषित)	(अवित्तपोषित)	(अवित्तपोषित)
डिस्काउंट दर	6.99%	6.99%	6.99%	6.99%	6.99%
आरोपित ब्याज दर	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
वेतन वृद्धि की अपेक्षित दर	6.50%	6.50%	6.50%	6.50%	6.50%
प्रयुक्त विधि	प्रक्षेपित यूनिट क्रेडिट (पीयूसी)	प्रक्षेपित यूनिट क्रेडिट (पीयूसी)	प्रक्षेपित यूनिट क्रेडिट (पीयूसी)	प्रक्षेपित यूनिट क्रेडिट (पीयूसी)	प्रक्षेपित यूनिट क्रेडिट (पीयूसी)

संवेदी विश्लेषण:

उपरोक्त संवेदनशीलता विश्लेषण अन्य सभी पूर्वानुमानों को स्थिर रखते हुए किसी एक पूर्वानुमान में परिवर्तन पर आधारित है। व्यावहारिक रूप से, ऐसा होना संभव नहीं है तथा कुछ पूर्वानुमानों में परिवर्तन परस्पर सह-संबद्ध हो सकते हैं। परिभाषित हित लाभ दायित्व की महत्वपूर्ण बीमांकिक पूर्वानुमानों के प्रति संवेदनशीलता की गणना करते समय उसी विधि (प्रक्षेपित यूनिट क्रेडिट विधि) का उपयोग किया गया है, जिसका उपयोग वित्तीय स्थिति के विवरण में मान्यता प्राप्त परिभाषित हित लाभ दायित्व की गणना के लिए किया गया है।

(₹ लाख में)

निम्नलिखित में परिवर्तन	31.03.2026 की स्थिति					
	पूर्वअनुमानों में परिवर्तन	उपदान दायित्व पर प्रभाव	अवकाश नकदीकरण पर प्रभाव	अवकाश यात्रा रियायत पर प्रभाव	सेवानिवृत्ति-पश्चात कर्मचारी लाभ पर प्रभाव	अन्यों पर प्रभाव
डिस्काउंट दर	+0.5%	(73.58)	(147.97)	लागू नहीं	(45.25)	(10.04)
	-0.5%	80.47	161.43	लागू नहीं	48.58	11.15
वेतन वृद्धि दर	+0.5%	61.77	162.81	लागू नहीं	लागू नहीं	9.29
	-0.5%	(60.26)	(150.05)	लागू नहीं	लागू नहीं	(8.47)
निम्नलिखित में परिवर्तन	**31.03.2025 की स्थिति**					
	पूर्वअनुमानों में परिवर्तन	उपदान दायित्व पर प्रभाव	अवकाश नकदीकरण पर प्रभाव	अवकाश यात्रा रियायत पर प्रभाव	सेवानिवृत्ति-पश्चात कर्मचारी लाभ पर प्रभाव	अन्यों पर प्रभाव
डिस्काउंट दर	+0.5%	(71.19)	(142.42)	लागू नहीं	(55.30)	(8.70)
	-0.5%	78.20	155.84	लागू नहीं	59.37	9.67
वेतन वृद्धि दर	+0.5%	61.55	155.82	लागू नहीं	लागू नहीं	(8.05)
	-0.5%	(58.64)	(143.04)	लागू नहीं	लागू नहीं	(7.34)

(₹ लाख में)

परिभाषित हित लाभ दायित्वों की परिपक्वता प्रोफ़ाइल	31.03.2026 की स्थिति				
	उपदान	अर्जित अवकाश	अवकाश यात्रा रियायत	सेवानिवृत्ति-पश्चात चिकित्सा लाभ	अन्य
	(अवित्तपोषित)	(अवित्तपोषित)	(अवित्तपोषित)	(वित्तपोषित)	(अवित्तपोषित)
0-1 वर्ष	71.81	220.89	–	1.81	15.23
1-2 वर्ष	68.52	108.19	–	78.09	13.79
2-3 वर्ष	61.36	103.92	–	38.43	8.21

परिभाषित हित लाभ दायित्वों की परिपक्वता प्रोफ़ाइल	31.03.2026 की स्थिति				
	उपदान	अर्जित अवकाश	अवकाश यात्रा रियायत	सेवानिवृत्ति-पश्चात चिकित्सा लाभ	अन्य
	(अवित्तपोषित)	(अवित्तपोषित)	(अवित्तपोषित)	(वित्तपोषित)	(अवित्तपोषित)
3-4 वर्ष	53.62	87.06	–	22.83	11.00
4-5 वर्ष	37.27	67.48	–	7.55	6.87
5-6 वर्ष	38.00	74.79	–	5.63	3.74
6 वर्ष से आगे	956.85	1,802.16	–	476.71	106.08
परिभाषित हित लाभ दायित्वों की परिपक्वता प्रोफ़ाइल	**31.03.2025 की स्थिति**				
	उपदान	अर्जित अवकाश	अवकाश यात्रा रियायत	सेवानिवृत्ति-पश्चात चिकित्सा लाभ	अन्य
	(अवित्तपोषित)	(अवित्तपोषित)	(अवित्तपोषित)	(अवित्तपोषित)	(अवित्तपोषित)
0-1 वर्ष	80.90	234.40	–	4.48	18.52
1-2 वर्ष	50.60	84.97	–	168.06	9.19
2-3 वर्ष	50.27	87.89	–	39.26	9.91
3-4 वर्ष	52.29	82.91	–	36.92	5.83
4-5 वर्ष	43.43	73.46	–	20.16	9.74
5-6 वर्ष	30.80	58.56	–	6.43	3.24
6 वर्ष से आगे	874.39	1,647.09	–	495.79	91.94

नोट 42 :

'सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006' (एमएसएमई अधिनियम) में परिभाषित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को देय राशियों का विवरण निम्नानुसार है:-

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2026 की स्थिति	31 मार्च, 2025 की स्थिति
1	(i). प्रत्येक लेखा वर्ष के अंत में किसी भी आपूर्तिकर्ता को देय मूलधन तथा उस पर देय ब्याज की बकाया राशि:	–	–
	(ii). सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को देय मूलधन की राशि*	1,543.97	1,648.12
	(iii) उपर्युक्त राशि पर देय ब्याज	–	–
2	एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 की धारा 16 के अंतर्गत क्रेता द्वारा भुगतान किए गए ब्याज की राशि, साथ ही प्रत्येक लेखा वर्ष के दौरान निर्धारित तिथि के पश्चात आपूर्तिकर्ता को किए गए भुगतानों की राशि।	–	–
3	भुगतान करने में हुई देरी की अवधि के लिए देय एवं भुगतान योग्य ब्याज की राशि (जो वर्ष के दौरान निर्धारित तिथि के बाद भुगतान की गई है), परंतु एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 के अंतर्गत निर्दिष्ट ब्याज को शामिल किए बिना।	–	–
4	प्रत्येक लेखा वर्ष के अंत में अर्जित एवं बकाया रह गई ब्याज की राशि	–	–
5	आगामी वर्षों में भी देय एवं भुगतान योग्य शेष ब्याज की राशि, उस तिथि तक जब तक उपर्युक्त ब्याज की देय राशि का वास्तविक रूप से लघु उद्यम को भुगतान नहीं कर दिया जाता, एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 की धारा 23 के अंतर्गत कटौती योग्य व्यय के रूप में अस्वीकृति के प्रयोजन हेतु	–	–

*सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 में विनिर्दिष्ट नियत तिथि के भीतर भुगतान किया गया है।

नोट 43 : परिसंपत्तियों की क्षमता हानि

समीक्षा के आधार पर, प्रबंधन की राय है कि कंपनी की गैर-वित्तीय परिसंपत्तियों का आर्थिक निष्पादन अपेक्षित स्तर से कम नहीं है तथा तुलन-पत्र की तिथि को हानि का कोई संकेतक विद्यमान नहीं है। अतः तुलन-पत्र की तिथि को किसी भी परिसंपत्ति में कोई हानि नहीं है।

नोट 44 : शेष की पुष्टि

कंपनी के पास बैंकों एवं अन्य पक्षकारों से शेष राशियों की आवधिक पुष्टि प्राप्त करने की प्रणाली है। शेष राशि की पुष्टि हेतु पत्र पक्षकारों को भेजे गए थे। कुछ प्राप्य राशियों, अन्य परिसंपत्तियों एवं अन्य देय राशियों के शेष पुष्टि/मिलान तथा उसके परिणामस्वरूप आवश्यक समायोजन, यदि कोई हो, के अधीन हैं। मिलान का कार्य निरंतर आधार पर किया जाता है। तथापि, प्रबंधन को ऐसी लंबित पुष्टियों/मिलानों से किसी महत्वपूर्ण वित्तीय प्रभाव की अपेक्षा नहीं है।

नोट 45 : अनुदान

कंपनी को आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) के माध्यम से एशियन विकास बैंक (एडीबी) से 2,500 लाख रुपये की राशि का जेएफपीआर अनुदान तथा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (डब्लयूसीडी) के माध्यम से आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) से 2,000 लाख रुपये की राशि का निर्भया निधि अनुदान प्राप्त हुआ है। इन अनुदानों के विरुद्ध कंपनी ने 31.03.2026 तक जेएफपीआर के विरुद्ध 11,752.12 लाख रुपये (625.84 लाख रुपये) तथा निर्भया निधि के विरुद्ध 197.10 लाख रुपये (शून्य) का व्यय किया है।

नोट 46 : संविदागत प्रतिबद्धताएं

परियोजना के संबंध में संविदागत प्रतिबद्धताओं का विवरण 2,79,386.92 लाख रुपये (पूर्ववर्ष 3,46,375.56 लाख रुपये) है।

नोट 47 : इंड एएस 116: पट्टे के अंतर्गत प्रकटीकरण

कंपनी ने विभिन्न कार्यालयों के लिए पट्टा समझौते किए हैं, जिन्हें परिचालन पट्टे के रूप में मान्यता दी गई है।

(i) प्रारंभिक अनुप्रयोग पर चुनी गई व्यावहारिक सरलताओं का सारांश:

(क) प्रारंभिक अनुप्रयोग की तिथि को 12 माह से कम की पट्टा अवधि वाले पट्टों के लिए उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों और देयताओं को मान्यता न देने की छूट का लाभ लिया गया है।

(ख) प्रारंभिक अनुप्रयोग की तिथि को उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्ति के मापन से प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागतों को बाहर रखा गया है।

(ग) इंड एएस-116 केवल उन अनुबंधों पर लागू किया गया है, जिन्हें पूर्व में इंड एएस-17 के अंतर्गत पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया गया था।

(घ) पट्टों के पोर्टफोलियो के लिए एकल छूट दर लागू की गई है।

(ङ) यदि अनुबंध में पट्टे को बढ़ाने या समाप्त करने के विकल्प शामिल हैं, तो पट्टे की अवधि निर्धारित करने में पश्चदृष्टि का उपयोग किया गया है।

(ii) इंड एएस-17 के अंतर्गत पट्टा दायित्व और संक्रमण की तिथि को पट्टा देयता के मूल्य के बीच अंतर मुख्यतः इंड एएस-116 के अंतर्गत पट्टा देयताओं को वर्तमान मूल्य पर छूट देने के कारण है।

(iii) कंपनी ने अल्पावधि पट्टों तथा कम मूल्य वाली परिसंपत्तियों के पट्टों के लिए पट्टा देयता को मान्यता न देने का विकल्प चुना है। इन पट्टों से संबंधित व्यय को पट्टा देयता के मापन में शामिल नहीं किया गया है। इसका विवरण निम्नानुसार है:-

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2026 की स्थिति	31 मार्च 2025 की स्थिति
अल्पावधि पट्टे	6.72	13.73
योग	**6.72**	**13.73**

नोट 48 : घटक रिपोर्टिंग इंड एएस 108

कंपनी का मुख्य व्यवसाय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में क्षेत्रीय तीव्र परिवहन प्रणाली (आरआरटीएस) का डिजाइन, विकास, कार्यान्वयन, वित्तपोषण, संचालन एवं अनुरक्षण करना है। कंपनी भारत में ही परिचालन करती है और ऐसे विभिन्न आर्थिक परिवेशों में परिचालन नहीं करती जहाँ जोखिम एवं प्रतिफल भिन्न हों। अतः कंपनी को एकल भौगोलिक खंड में परिचालनरत माना गया है।

घटक रिपोर्ट

कंपनी का रिपोर्ट योग्य केवल एक परिचालन खंड है, जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में क्षेत्रीय द्रुतगामी परिवहन प्रणाली (आरआरटीएस) के डिजाइन, विकास, कार्यान्वयन, वित्तपोषण, संचालन एवं अनुरक्षण से संबंधित है तथा सेवाओं की प्रकृति, जोखिम एवं प्रतिफल, संगठनात्मक संरचना एवं आंतरिक वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणालियों के आधार पर एकल परिचालन खंड के रूप में कार्य करता है। तदनुसार, स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों में प्रस्तुत राशियाँ कंपनी के एकल परिचालन खंड से संबंधित हैं।

नोट 49 : विदेशी मुद्रा में उपार्जन और व्यय

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए
आय		
विनिमय उतार-चढ़ाव लाभ	510.62	–
योग	**510.62**	**–**
व्यय		
परामर्श	808.24	3,060.73
कार्य	15,448.11	32,638.52
विनिमय उतार-चढ़ाव हानि	1,20,399.58	33,059.10
योग	**1,36,655.93**	**68,758.35**

नोट 50 : सहायक कंपनी के वित्तीय विवरणों की प्रमुख विशेषताओं को दर्शाने वाला विवरण

50.1 व्यवसाय की सामान्य प्रकृति

एनसीआरटीसी एक्सप्रेस ट्रांसिट लिमिटेड भारत में पंजीकृत एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी है, जिसे 6 अगस्त 2020 को ट्रांजिट प्रणालियों तथा उनके किसी एक या सभी अथवा किसी भी संयोजन वाले उप-प्रणालियों की योजना बनाने, डिजाइन करने, वित्तपोषण करने, क्रियान्वित करने, प्रबंधन, संचालन एवं रख-रखाव के उद्देश्य से निगमित किया गया था।

(क) एनसीआरटीसी एक्सप्रेस ट्रांसिट लिमिटेड

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	एनसीआरटीसी एक्सप्रेस ट्रांसिट लिमिटेड *	
क.	निगमन की तारीख	06 अगस्त 2020	
ख.	वित्तीय वर्ष की समाप्ति	31-03-2026	
ग.	व्यवसाय का प्रमुख स्थान	भारत	
		वित्तीय वर्ष 25-26	वित्तीय वर्ष 24-25
घ.	शेयर पूंजी	100.00	100.00
ङ.	अन्य इक्विटी/आरक्षित निधियाँ एवं अधिशेष (यथाप्रयोज्य)	30.06	17.40
च.	देयताएँ	247.79	228.41
छ.	कुल इक्विटी एवं देयताएँ	377.85	345.81
ज.	कुल परिसंपत्तियाँ	377.85	345.81
झ.	निवेश	–	–
ञ.	टर्न ओवर	735.04	590.42
ट.	कराधान से पूर्व लाभ (हानि)	16.95	15.95
ठ.	कराधान हेतु प्रावधान	4.29	(2.63)
ड.	कराधान के बाद लाभ (हानि)	12.66	18.58
ढ	अंतरिम लाभांश – इक्विटी	लागू नहीं	लागू नहीं

क्र. सं.	विवरण	एनसीआरटीसी एक्सप्रेस ट्रांसिट लिमिटेड *	
ण.	अंतरिम लाभांश – अधिमान्य	लागू नहीं	लागू नहीं
त.	प्रस्तावित लाभांश – इक्विटी	लागू नहीं	लागू नहीं
थ.	प्रस्तावित लाभांश – अधिमान्य	लागू नहीं	लागू नहीं
द.	शेयरधारिता का प्रतिशत	100%	100%
ध.	जारी किए गए शेयरों की संख्या (लाख में)	1.00	1.00
न.	सहायक कंपनी में कुल शेयर (लाख में)	1.00	1.00
प.	अधिग्रहण की तारीख को अर्जित नेट परिसंपत्तियाँ	100%	100%
फ.	प्रतिफल	100%	100%
ब.	वित्तीय विवरणों में मान्यता प्राप्त सद्भावना	–	–

* वित्तीय विवरणों के आंकड़े लेखापरीक्षित अंतिम खातों पर आधारित हैं।

नोट 51 : इंड एएस-1 के अनुसार प्रकटीकरण: वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति से संबंधित प्रकटीकरण

चालू वर्ष के वित्तीय विवरणों के साथ तुलनीयता बढ़ाने के लिए तुलनात्मक अवधि के वित्तीय विवरणों में कुछ पुनर्वर्गीकरण किए गए हैं। परिणामस्वरूप, तुलन-पत्र में कुछ मदों का पुनर्वर्गीकरण किया गया है, जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

(₹ लाख में)

विवरण	पुनर्वर्गीकरण से पूर्व	पुनर्वर्गीकरण	पुनर्वर्गीकरण के पश्चात
प्रतिधारित आय (संदर्भ नोट 14.2)	7,85,627.28	(7,45,233.23)	**40,394.05**
अधीनस्थ ऋण का आस्थगित उचित मूल्यांकन (संदर्भ नोट 14.3)	–	7,45,233.23	**7,45,233.23**
सावधि जमा पर उपार्जित ब्याज (3 माह या उससे कम की परिपक्वता अवधि वाली) (संदर्भ नोट 10.2)	–	275.52	**275.52**
सावधि जमा पर उपार्जित ब्याज (संदर्भ नोट 10.5)	5,213.89	(275.52)	**4,938.47**

नोट 52 : कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III में कुछ प्रकटीकरणों के संबंध में एमसीए द्वारा 24 मार्च 2021 की अधिसूचना के माध्यम से संशोधन किया गया है, जो 1 अप्रैल 2021 से लागू हैं। कंपनी ने वित्तीय विवरणों में उक्त संशोधन के अनुसार आवश्यक परिवर्तन सम्मिलित किए हैं तथा उक्त संशोधन के अनुपालन में निम्नलिखित प्रकटीकरण किए गए हैं:

(i) समूह कंपनी ने वर्ष के दौरान क्रिप्टोकरेंसी या वर्चुअल करेंसी में कोई कारोबार या निवेश नहीं किया है।

(ii) समूह कंपनी के पास कोई पूर्व अवधि की त्रुटियाँ नहीं हैं, जिन्हें इक्विटी में परिवर्तनों के विवरण में पृथक रूप से प्रकट किया जाना आवश्यक हो।

(iii) समूह कंपनी के पास ऐसा कोई प्रभार या प्रभार की संतुष्टि नहीं है, जिसका पंजीकरण वैधानिक अवधि से अधिक समय से आरओसी के साथ लंबित हो,

(iv) "समूह कंपनी ने किसी अन्य व्यक्ति या संस्था, जिसमें विदेशी संस्थाएँ भी शामिल हैं (मध्यस्थ), को इस समझ के साथ कोई निधि अग्रिम, ऋण या निवेश नहीं किया है कि मध्यस्थ: (क) कंपनी की ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऐसे अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को ऋण देगा या निवेश करेगा, जिन्हें किसी भी प्रकार से कंपनी द्वारा या उसकी ओर से पहचाना गया हो (अंतिम लाभार्थी); या (ख) अंतिम लाभार्थियों को या उनकी ओर से कोई गारंटी, प्रतिभूति या इसी प्रकार की अन्य व्यवस्था प्रदान करेगा।"

(v) "समूह कंपनी ने किसी भी व्यक्ति/व्यक्तियों या संस्था/संस्थाओं, जिसमें विदेशी संस्थाएँ भी शामिल हैं (निधि प्रदाता), से ऐसी कोई निधि प्राप्त नहीं की है, इस समझ के साथ (चाहे वह लिखित रूप में दर्ज हो अथवा अन्यथा) कि समूह कंपनी: (क) निधि प्रदाता द्वारा या उसकी ओर से किसी

भी प्रकार से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं (अंतिम लाभार्थियों) को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऋण देगी या उनमें निवेश करेगी; या (ख) अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, प्रतिभूति या इसी प्रकार की कोई अन्य व्यवस्था प्रदान करेगी।"

(vi) समूह कंपनी के पास प्रवर्तकों, निदेशकों, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों (केएमपी) एवं अन्य संबंधित पक्षों को ऋण के स्वरूप में कोई ऋण एवं अग्रिम नहीं है।

(vii) "प्रबंधन की राय में, संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण तथा गैर-चालू निवेशों को छोड़कर अन्य संपत्तियों का मूल्य, व्यवसाय के सामान्य संचालन में वसूली होने पर, बैलेंस शीट में दर्शाए गए मूल्य से कम नहीं होगा"

(viii) वर्ष के दौरान संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण, जिसमें उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियाँ (आरओयू एसेट) शामिल हैं, का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया गया है। अतः अनुसूची III के अंतर्गत अपेक्षित परिणामी प्रकटीकरण लागू नहीं हैं।

(ix) वर्ष के दौरान अमूर्त परिसंपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया गया है। अतः अनुसूची III के अंतर्गत अपेक्षित परिणामी प्रकटीकरण लागू नहीं हैं।

(x) कंपनी के पास कोई बेनामी संपत्ति नहीं है, जिसके संबंध में कंपनी के विरुद्ध बेनामी संपत्ति रखने के लिए कोई कार्यवाही प्रारंभ की गई हो या लंबित हो।

(xi) कंपनी के पास कोई निवेश संपत्ति नहीं है। अतः अनुसूची III के अंतर्गत अपेक्षित अतिरिक्त प्रकटीकरण लागू नहीं हैं।.

(xii) कंपनी को बैंकों या वित्तीय संस्थानों को त्रैमासिक स्टॉक विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं है। अतः अनुसूची III के अंतर्गत अपेक्षित अतिरिक्त प्रकटीकरण लागू नहीं हैं।

(xiii) कंपनी को बैंकों या वित्तीय संस्थानों द्वारा जानबूझकर चूककर्ता के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है। अतः अनुसूची III के अंतर्गत अपेक्षित अतिरिक्त प्रकटीकरण लागू नहीं हैं

(xiv) कंपनी अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (87) तथा कंपनी (परतों की संख्या पर प्रतिबंध) नियम, 2017 के प्रावधानों का अनुपालन कर रही है। अतः कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत अपेक्षित अतिरिक्त प्रकटीकरण लागू नहीं हैं।

(xv) वर्ष के दौरान कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 अथवा कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 के अंतर्गत पंजीकरण से हटाई गई कंपनियों के साथ कंपनी का कोई लेन-देन नहीं हुआ है, जिसे कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के अनुसार प्रकट किया जाना आवश्यक हो।

(xvi) कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धाराओं 230 से 237 के अंतर्गत कोई व्यवस्था योजना नहीं की है।

(xvii) कंपनी का ऐसा कोई लेन-देन नहीं है, जो लेखा पुस्तकों में दर्ज नहीं किया गया हो तथा जिसे आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत कर निर्धारण के दौरान अभ्यर्पित या आय के रूप में प्रकट किया गया हो।

नोट 53 : जहाँ कहीं आवश्यक हुआ है, वहाँ चालू वर्ष की प्रस्तुति के साथ तुलनीय बनाने के लिए पूर्ववर्ष के आंकड़ों का पुनर्समूहीकरण / पुनर्व्यवस्थीकरण / पुनर्वर्गीकरण किया गया है।

हमारी समतिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते **श्याम सुन्दर सिंघल एंड कम्पनी**
चार्टर्ड एकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण संख्या : 000544N

हस्ता./-
ज्योति अग्रवाल
साझेदार
सदस्यता सं.: 098918
यूडीआईएन: 26098918RTPBFS2985

कृते एवं निदेशक मंडल के निमित

हस्ता./-
विजय कुमार
कम्पनी सचिव
सदयस्ता संख्या. F7801
कोच्चि

हस्ता./-
नमिता मेहरोत्रा
निदेशक (वित्त) एवं मुख्य वित्त अधिकारी
डीआईएन:07916304
नई दिल्ली

हस्ता./-
शलभ गोयल
प्रबंध निदेशक
डीआईएन:08064525
कोच्चि

दिनांक: 10.07.2026
स्थान: नई दिल्ली

नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड
(सीआईएन: U60200DL2013GOI256716)
फार्म संख्या एओसी 1

सहायक कंपनियों/सहयोगी कंपनियों/संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरण की प्रमुख विशेषताओं को दर्शाने वाला विवरण [कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 की उपधारा (3) के प्रथम परंतुक को कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 5 के साथ पठित करने के अनुसरण में]

भाग – क – सहायक कंपनियाँ (₹ लाख में)

1	सहायक कंपनी का नाम	**एनसीआरटीसी एक्सप्रेस ट्रांसिट लिमिटेड**
2	सहायक कंपनी के अधिग्रहण की तारीख	06 अगस्त 2020
3	सहायक कंपनी की रिपोर्टिंग अवधि	01.04.2025 स् 31.03.2026
4	विदेशी सहायक कंपनियों के मामले में संबंधित वित्तीय वर्ष की अंतिम तिथि को रिपोर्टिंग मुद्रा और विनिमय दर	लागू नहीं
5	अंश पूंजी	100.00
6	आरक्षित निधियाँ एवं अधिशेष	30.05
7	कुल परिसंपत्तियाँ	377.85
8	कुल देयताएँ	377.85
9	निवेश	30.06
10	कारोबार	735.04
11	कराधान से पूर्व लाभ	16.95
12	कराधान हेतु प्रावधान	4.29
13	कराधान के पश्चात लाभ	12.66
14	प्रस्तावित लाभांश	-
15	शेयरधारिता का प्रतिशत	100%

टिप्पणी: विवरण के अंत में निम्नलिखित जानकारी दी जानी है:

1. उन सहायक कंपनियों के नाम, जिन्होंने अभी तक परिचालन प्रारंभ नहीं किया है — शून्य
2. उन सहायक कंपनियों के नाम, जिनका वर्ष के दौरान परिसमापन किया गया है या जिन्हें बेच दिया गया है। — शून्य

हमारी समतिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते **श्याम सुन्दर सिंघल एंड कम्पनी**
चार्टर्ड एकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण संख्या : 000544N

हस्ता./-
ज्योति अग्रवाल
साझेदार
सदस्यता सं.: 098918
यूडीआईएन: 26098918RTPBFS2985

कृते एवं निदेशक मंडल के निमित

हस्ता./-
विजय कुमार
कम्पनी सचिव
सदयस्ता संख्या. F7801
कोच्चि

हस्ता./-
नमिता मेहरोत्रा
निदेशक (वित्त) एवं मुख्य वित्त अधिकारी
डीआईएन:07916304
नई दिल्ली

हस्ता./-
शलभ गोयल
प्रबंध निदेशक
डीआईएन:08064525
कोच्चि

दिनांक: 10.07.2026
स्थान: नई दिल्ली

No. DGA/Infra/IHQ/27-169/Annual Accounts/NCRTC/2025-26/332

कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा
(अवसंरचना), नई दिल्ली
तृतीय तल, ए-स्कन्ध, इन्द्रप्रस्थ भवन,
इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली-110002

SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF
AUDIT (INFRASTRUCTURE), NEW DELHI
3rd Floor, A-Wing, Indraprastha Bhawan,
I.P. Estate, New Delhi-110002

दिनांक / DATE 23/03/2026

सेवा में,

प्रबंध निदेशक,
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड (NCRTC),
गति शक्ति भवन,
आईएनए, नई दिल्ली-110023.

विषय: कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (6)(b) एवं 129 (4) के अन्तर्गत 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड (NCRTC) के वार्षिक लेखों (Standalone Financial Statements & Consolidated Financial Statements) पर भारत के नियत्रंक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ ।

महोदय,

मैं इस पत्र के साथ 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड (NCRTC) के वार्षिक लेखों (Standalone Financial Statements & Consolidated Financial Statements) पर कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (6)(b) एवं 129(4) के अन्तर्गत भारत के नियत्रंक एवं महालेखापरीक्षक की **'टिप्पणियाँ'** अग्रेषित करता हूँ। इन टिप्पणियों को कम्पनी की वार्षिक आमसभा में उसी प्रकार रखा जाए जिस प्रकार वैधानिक लेखा परीक्षकों की लेखा परीक्षा रिपोर्ट रखी जाती है।

भवदीय,

सिद्धार्थ सिंह

(सिद्धार्थ सिंह लोंगजम)
अपर उप नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
(अवसंरचना) नई दिल्ली

संलग्न: टिप्पणियाँ

Phone: 011-23370530 E-mail : pdainfradl@cag.gov.in

COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 143(6)(b) READ WITH SECTION 129(4) OF THE COMPANIES ACT, 2013 ON THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS OF NATIONAL CAPITAL REGION TRANSPORT CORPORATION LIMITED FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2026

The preparation of consolidated financial statements of National Capital Region Transport Corporation Limited for the year ended 31 March 2026 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Companies Act, 2013 (Act) is the responsibility of the management of the company. The statutory auditor appointed by the Comptroller and Auditor General of India under section 139(5) read with section 129(4) of the Act is responsible for expressing opinion on the financial statements under section 143 read with section 129(4) of the Act based on independent audit in accordance with the standards on auditing prescribed under section 143(10) of the Act. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated 10 July 2026.

I, on behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have conducted a supplementary audit of the consolidated financial statements of National Capital Region Transport Corporation Limited for the year ended 31 March 2026 under section 143(6)(a) read with section 129(4) of the Act. We conducted a supplementary audit of the financial statements of National Capital Region Transport Corporation Limited and its subsidiary NCRTC Express Transit Limited for the year ended on that date. This supplementary audit has been carried out independently without access to the working papers of the statutory auditors and is limited primarily to inquiries of the statutory auditors and company personnel and a selective examination of some of the accounting records.

Based on my supplementary audit, I would like to highlight the following significant matters under section 143(6)(b) read with section 129(4) of the Act which have come to my attention and which in my view are necessary for enabling a better understanding of the financial statements and the related audit report:

A. Comments on Consolidated Profitability

1. Revenue from Operations (Fare Revenue) (Note 23) - ₹ 10,325.20 lakh

The above includes an amount of ₹178.75 lakh being loyalty point obligations credited in customer account via card/app received in advance.

NCRTC policy for Loyalty Points states that riders using NCMC cards or the Namo Bharat app previously known as RRTS Connect app are eligible for 1 Loyalty Point ***equivalent to ₹ 0.10*** for every ₹1 spent and its Accounting Policy 2.13(a)(iv)(c) states that Payments received in advance of services rendered must be recognized as a Contract Liability as per the requirement of Ind AS 115 (Revenue from Contracts with Customers).

As on 31 March 2026, unredeemed loyalty points accumulated via NCMC Cards and the Namo Bharat App stood at 17.87 crore points (NCMC Cards Jan 2026 – Mar 2026 - 11.05 crore, Namo Bharat App FY 2025–26 - 6.82 crore), having a monetary value of ₹ 178.75 lakh. NCRTC recognized 100 per cent of gross fare collections as immediate revenue without considering loyalty point obligations which is the nature of different performance obligation extended to the customer on future journeys based on the current lump sum payment through card/app. Thus, the transaction price should be allocated between the fare service and unredeemed loyalty points, with the latter recognized as a Contract Liability until redemption/expiry.

This has resulted in overstatement of Revenue from Operations, understatement of Current Liabilities, understatement of Net Loss before Tax by ₹ 178.75 lakh each.

2. Other Income (Note 24) - ₹ 27,534.51 lakh

The above includes interest income of ₹ 6,182 lakh earned on Fixed Deposit Receipts (FDRs) created out of funds received from the Ministry of Housing and Urban Affairs (MoHUA), Government of India in the form of Pass Through Assistance (PTA) against loan from multilateral agencies during Financial Year 2025-26. As per directions (08.08.2016) of MoHUA, the interest earned on short term investment of borrowings including PTA shall be adjusted against the borrowing cost to be capitalized in the cost of assets/project concerned.

Recognizing the same as Income in the Statement of Profit and Loss rather than adjusting the same against borrowing cost capitalized has resulted in overstatement of Property Plant and Equipment (PPE) by ₹ 11,561 lakh (₹ 5,379 lakh -interest income 2024-25) and other income/interest income on FDR by ₹ 6,182 lakh for the year 2025-26. Consequently, loss for the year 2025-26 is also understated to the extent of ₹ 6,182 lakh and overstatement of retained earnings by ₹ 5,379 lakh.

In the absence of the information relating to Interest earned on the short-term investment of PTA fund for the previous years (2021-22, 2022-23 and 2023-24), impact of the same cannot be quantified.

Also, NCRTC has not maintained the separate bank account for PTA which also resulted in violation of the instructions issued by MoHUA.

This issue was commented upon during the supplementary accounts audit for the year 2024-25, however, no corrective action has been taken by the management.

2. Depreciation and Amortization Expense (Note 28) - ₹ 40,449.60 lakh

The above does not include an amount of ₹ 1,864.09 lakh being short Depreciation/Amortization charged on tangible assets due to considering incorrect useful lives in contravention of their own Asset Policy and accounting policy as well as Para 50 of Ind AS 16 and Schedule II to the Companies Act, 2013.

Audit observed that the company had capitalized major infrastructure assets worth ₹ 2,77,632.67 lakh on 14.08.2025. However, it had applied incorrect useful lives resulting in short charging of depreciation of ₹ 2,849.96 lakh instead of actual chargeable depreciation of ₹ 4,714.05 lakh.

Thus, it has resulted in understatement of Depreciation by ₹ 1,864.09 lakh and overstatement of Property, Plant and Equipment (Net Block) by ₹ 1,864.09 lakh and consequently loss before tax for the year by same extent.

3. Other Expenses (Note 29) - ₹ 3,089.07 lakh

The above does not include provision for Corporate Social Responsibility obligation required to be incurred under Section 135 of the Companies Act 2013.

The Corporate Social Responsibility obligation for FY 2025–26 was ₹ 323.41 lakh along with unspent CSR balance of ₹ 390.34 lakh from previous years (2023-24 & 2024-25). However, no provision was recognized in the Statement of Profit and Loss for FY 2025–26 or prior periods as required under Section 135(5) of the Companies Act, 2013, to be provided as per Para 14 of Ind AS 37.

Thus, it has resulted in understatement of Other Current Liabilities and loss before tax by ₹ 713.75 lakh and ₹ 323.41 lakh-respectively and overstatement of retained earnings by ₹ 390.34 lakh.

4. Other Comprehensive Income – (₹ 472.89) lakh

The above includes an amount of ₹ 463.24 lakh being actuarial gains (re-measurement of obligations) pertaining to employee benefits viz. Gratuity, PRMB and Others and were to be recognized in Other Comprehensive Income (OCI) as per Paras 57(d), 120(c), 122 and 127(a) of Ind AS 19.

However, instead of providing ₹ 88.85 lakh as actuarial liability for Gratuity, PRMB and Others (Note 41.2 (f)) in the current provision, a direct manual addition of ₹ 463.24 lakh was incorrectly made to the current provisions and manual deduction of ₹ 463.24 lakh from retained earnings outside of the Statement of Profit and Loss.

Thus, this has resulted in the overstatement of Current Provisions and understatement of Retained Earnings by ₹ 463.24 lakh each.

Further, the actuarial gains have been carried as negative figures in the OCI instead of positive figures resulting in understatement of Total Comprehensive Income by ₹ 945.78 lakh.

B. Comments on Consolidated Financial Position

Property Plant and Equipment (Note 3) - ₹ 27,14,768.71 lakh

The Company has been mandated to develop 82.15 km long Rapid Rail Transit System (RRTS) between Delhi and Meerut. Till 31.03.2026, the RRTS system got stage wise approval for opening of different sections from Commissioner of Metro Rail Safety (CMRS) for public use as mentioned below:

Sl. No.	Section	Length in kilometre	CMRS Certification Date
1.	Sahibabad to Duhai (including Duhai Depot)	17	26.06.2023
2.	Duhai to Modinagar North	17	05.03.2024
3.	Modinagar to Meerut South North	8	31.05.2024
4.	Sahibabad to New Ashok Nagar	13	23.12.2024
5.	Shatabdi Nagar	6.45	23.05.2025
6.	Sarai Kale Khan to New Ashok Nagar and Partarpur to Modipuram	20.7	14.08.2025

After obtaining CMRS sanction, the concerned section became available for supply of services to the passengers with corresponding flow of economic benefits associated to that section. However, NCRTC

capitalized the complete section except Modipuram Depot Station only from 14.08.2025 i.e. the date of CMRS of complete section instead of capitalizing the operational sections on the date when they were put to use.

Further, operational expenses including borrowing cost incurred/allocated to these completed sections and revenue earned thereon from the date of CMRS certification should have been routed through Statement of Profit and Loss instead of capitalizing the same under Capital Work in progress.

In absence of quantification of completed cost of operationalized section, despite repeated requests to Management, Audit has indicatively computed the capitalization cost based on route kilometres and derived the corresponding PPE and depreciation using the aforesaid methodology. Accordingly, PPE was overstated by ₹ 57,894.09 lakh and depreciation was understated by ₹ 57,894.09 lakh, including ₹ 15,833.60 lakh pertaining to FY 2025-26. Consequently, the loss for FY 2025-26 was understated by ₹ 15,833.60 lakh and Retained Earnings were overstated by ₹ 42,060.49 lakh.

The Company needs to determine the date of availability for use of each operational section, i.e. the respective CMRS certification date, and recalculate the section/stage-wise capitalisation of PPE, depreciation and borrowing costs accordingly. The resulting material prior-period errors may thereafter be accounted for through retrospective restatement in accordance with Ind AS 8.

This issue was commented upon on the financial statements of the Company for the year 2024-25, however, the same has not been complied by it and capitalization of all the assets was done only from 14 August 2025 i.e. the date of CMRS of complete section except Modipuram Depot Station.

C. Comments on Consolidated Cash Flow

1. Cash Flow From Financing Activities

Advance received from GoI (MoHUA) against Pass Through Assistance - (₹ 2,01,285.41) lakh
Loan from GoI arranged from Asian Development Bank - ₹ 42,750 lakh
Loan from GoI arranged from Asian Development Bank (Tranche 3) - ₹ 1,51,491.98 lakh
Loan from GoI arranged from New Development Bank - ₹ 1,12,422.14 lakh
Loan from GoI arranged from Asian Infrastructure Investment Bank - ₹ 89,720.88 lakh

The above depicts (₹ 2,01,285.41) lakh as outflow from Pass Through Assistance (PTA) from MoHUA which is not a cash outflow but a decrease in balance of advance against PTA.

NCRTC has received an advance of ₹ 74,700 lakh during the period from MoHUA as Pass Through Assistance pending disbursal of loan from Asian Development Bank, New Development Bank and Asian Infrastructure Investment Bank.

Thus, incorrect depiction of the Pass-Through Assistance and amount of Loans from Government of India arranged from ADB, NDB and AIIB has resulted into understatement of Advance received from GoI (MoHUA) against Pass Through Assistance and overstatement of Loans from Government of India arranged from ADB, NDB and AIIB by ₹ 2,75,985.41 lakh each. This issue was also raised during supplementary accounts audit for the year 2024-25, however, corrective action has not been taken by management.

2. **Cash Flow from Financing Activities - ₹ 3,36,205.91 lakh**
Total cash generated from Operating Activities - ₹ (1,18,101.60) lakh

The above includes non-cash item being provision of ₹ 9,127.78 lakh being annuity payable to Concessionaire appointed for Automatic Fare Collection (AFC) System for Delhi-Ghaziabad-Meerut RRTS Corridor.

Since, the annuity payable to the Contractor is a non-cash item, therefore the same should be excluded from Cash Flow from financing activities and should be shown under adjustment in operating capital changes. This has resulted in overstatement of Cash Flow from Financing Activities and understatement of Operating profit before operating capital changes as well as Total Cash generated from Operating Activities by ₹ 9,127.78 lakh.

D. General Comments on Disclosure

Notes to Standalone Financial Statement
Note No. 43 - Impairment of Assets

In the above note it is stated that, on the basis of review, the management is of the opinion that the economic performance of non-financial assets of the Company is not lower than expected and no impairment indicator exists as on Balance Sheet date. Therefore, there is no impairment of any assets as on the Balance Sheet date.

However, it is observed that NCRTC incurred an expenditure of ₹ 5,020.41 lakh towards the alignment of the proposed future RRTS corridor from Sarai Kale Khan (Delhi) to Bawal (Haryana). Subsequently, the alignment of the said corridor was changed and revised alignment was approved (September 2025) by MoHUA. The change in the alignment constitutes an indication of impairment requiring assessment of the impairment expenditure incurred on the erstwhile alignment.

The disclosure in Note-43, therefore, does not adequately consider or disclose the impairment indicator arising from the change in alignment. Non-disclosure of the above fact has rendered the Note deficient to that extent.

For and on behalf of the
Comptroller and Auditor General of India

S. Siddhartha Singh

(Siddhartha Singh Longjam)
Addl. Deputy Comptroller and Auditor General
(Infrastructure)
New Delhi

Place: New Delhi
Dated: 23 September 2026

समेकित वित्तीय विवरणों (सीएफएस) पर प्रबंधन की टिप्पणियां		
ले. सं.	**भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) की टिप्पणियां**	**प्रबंधन के उत्तर**
क.1	**समेकित लाभप्रदता पर टिप्पणियां** **परिचालन से राजस्व (किराया राजस्व) (टिप्पणी 23) - ₹ 10,325.20 लाख** उपर्युक्त राशि में ₹ 178.75 लाख की वह राशि सम्मिलित है जो कार्ड/ऐप के माध्यम से अग्रिम रूप से प्राप्त ग्राहक खाते में जमा की गई लॉयल्टी पॉइंट देनदारियों से संबंधित है। लॉयल्टी पॉइंट्स के लिए एनसीआरटीसी की नीति के अनुसार, एनसीएमसी कार्ड अथवा नमो भारत ऐप (पूर्व में आरआरटीएस कनेक्ट ऐप) का उपयोग करने वाले यात्री प्रत्येक ₹ 1 के व्यय पर **₹ 0.10 के समतुल्य** 1 लॉयल्टी पॉइंट के पात्र हैं। इसकी लेखा नीति 2.13(क)(iv)(ग) यह प्रावधान करती है कि सेवाओं के निष्पादन से पूर्व प्राप्त अग्रिम भुगतानों को Ind AS (इंड एएस) 115 (ग्राहकों के साथ अनुबंधों से राजस्व) की आवश्यकतानुसार 'अनुबंध दायित्व' के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए। 31 मार्च 2026 की स्थिति के अनुसार, एनसीएमसी कार्ड एवं नमो भारत ऐप के माध्यम से संचित अन-रिडीम्ड (अप्राप्त भुनाए गए) लॉयल्टी पॉइंट्स 17.87 करोड़ थे (एनसीएमसी कार्ड जनवरी 2026 – मार्च 2026: 11.05 करोड़; नमो भारत ऐप वित्तीय वर्ष 2025–26: 6.82 करोड़), जिनका मौद्रिक मूल्य ₹ 178.75 लाख था। एनसीआरटीसी ने लॉयल्टी पॉइंट देनदारियों पर विचार किए बिना सकल किराया वसूली की शत-प्रतिशत राशि को तत्काल राजस्व के रूप में मान्यता दी, जबकि यह कार्ड/ऐप के जरिए वर्तमान एकमुश्त भुगतान के आधार पर भविष्य की यात्राओं के लिए ग्राहक को दिए जाने वाले पृथक निष्पादन दायित्व की प्रकृति का है। अतः लेनदेन मूल्य को किराया सेवा तथा अन-रिडीम्ड लॉयल्टी पॉइंट्स के मध्य आबंटित किया जाना चाहिए, और लॉयल्टी पॉइंट्स को उनके भुनाने/समाप्त होने तक 'अनुबंध दायित्व' के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए। इसके परिणामस्वरूप परिचालन से राजस्व में ₹ 178.75 लाख का अधिक विवरण, चालू देनदारियों में ₹ 178.75 लाख का न्यून विवरण, तथा कर-पूर्व शुद्ध हानि में ₹ 178.75 लाख का न्यून विवरण हुआ है।	इंड एएस (Ind AS) 115 के पैरा 31 के अनुसार, "कोई इकाई राजस्व को तब (या जैसे-जैसे) मान्यता देगी जब वह ग्राहक को किसी वचनबद्ध वस्तु या सेवा (अर्थात परिसंपत्ति) का अंतरण करके किसी निष्पादन दायित्व को पूरा करती है। किसी परिसंपत्ति का अंतरण तब (या जैसे-जैसे) माना जाता है जब ग्राहक उस परिसंपत्ति पर नियंत्रण प्राप्त कर लेता है"। चूंकि लॉयल्टी पॉइंट्स केवल अतिरिक्त पारगमन सेवाएं प्रदान करते हैं, अतः यात्री को **नियंत्रण केवल वास्तविक यात्रा (सेवा वितरण) के समय ही** हस्तांतरित होता है। जब तक यात्री यात्रा संपन्न नहीं करता, तब तक भविष्य की परिवहन सेवा के निष्पादन के अतिरिक्त कोई पृथक मौद्रिक दायित्व अथवा पृथक प्रवर्तनीय विकल्प अधिकार अस्तित्व में नहीं होता है। अतः सेवा निष्पादन के समय राजस्व की मान्यता सीधे तौर पर मानक के अनुरूप है। अन्य संस्थाओं के विपरीत, जहां लॉयल्टी पॉइंट्स तत्काल नकद छूट में परिवर्तनीय होते हैं, एनसीआरटीसी की परिचालन व्यवस्था एवं इसकी लेखा नीति के खंड 2.13(क)(ii) के अंतर्गत लॉयल्टी पॉइंट्स कोई पृथक मौद्रिक छूट, नकद वापसी या हस्तांतरणीय वाउचर प्रदान नहीं करते हैं। इसके स्थान पर, वे केवल भविष्य की अतिरिक्त यात्रा के अधिकार का प्रतिनिधित्व करते हैं। लॉयल्टी कार्यक्रम की परिचालन संरचना को दृष्टिगत रखते हुए, एनसीआरटीसी द्वारा अपनाया गया लेखांकन उपचार Ind AS (इंड एएस) 115 (Ind AS (इंड एएस) 115 का पैरा 31) के राजस्व मान्यता सिद्धांतों के पूर्णतः अनुरूप है। अतः, राजस्व का कोई गलत प्रस्तुतिकरण अथवा लेखा मानकों का कोई गैर-अनुपालन नहीं हुआ है। तथापि, आगामी वित्तीय वर्ष में आवश्यकता पड़ने पर उचित परिवर्तनों हेतु सांविधिक लेखापरीक्षक के परामर्श से इस स्थिति की समीक्षा की जाएगी।
2.	**अन्य आय (टिप्पणी 24) - ₹ 27,534.51 लाख** उपर्युक्त राशि में सावधि जमा रसीदों (एफडीआर) पर अर्जित ₹ 6,182 लाख की ब्याज आय सम्मिलित है, जो वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान बहुपक्षीय एजेंसियों से प्राप्त ऋण के विरुद्ध पास थ्रू सहायता (पीटीए) के रूप में आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त निधियों से बनाई गई थीं। आवासन व शहरी कार्य मंत्रालय के निर्देशों (दिनांक 08.08.2016) के अनुसार, पीटीए सहित ऋणों के अल्पकालिक निवेश पर अर्जित ब्याज को संबंधित परिसंपत्तियों/परियोजना की लागत में पूंजीकृत की जाने वाली उधारी लागत के विरुद्ध समायोजित किया जाएगा। इसे पूंजीकृत उधारी लागत के विरुद्ध समायोजित करने के स्थान पर लाभ एवं हानि विवरण में 'आय' के रूप में मान्यता देने के फलस्वरूप वर्ष 2025-26 के लिए संयंत्र, संपत्ति एवं उपकरण (पीपीई) में ₹ 11,561 लाख (₹ 5,379 लाख - ब्याज आय 2024-25) का अधिक विवरण तथा अन्य आय/एफडीआर पर ब्याज आय में ₹ 6,182 लाख का अधिक विवरण हुआ है। परिणामस्वरूप, वर्ष 2025-26 के लिए हानि को भी ₹ 6,182 लाख तक कम दर्शाया गया है तथा प्रतिधारित आय में ₹ 5,379 लाख का अधिक विवरण हुआ है।	Ind AS (इंड एएस) 23 के पैरा 6 के अनुसार, "उधारी लागत" में Ind AS (इंड एएस) 109 (वित्तीय लिखत) में वर्णित प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करके परिकलित ब्याज व्यय सम्मिलित है। Ind AS (इंड एएस) 23 के पैरा 8 के अनुसार, कोई इकाई किसी अर्हक परिसंपत्ति के अधिग्रहण, निर्माण अथवा उत्पादन के लिए सीधे तौर पर उत्तरदायी उधारी लागत को उस परिसंपत्ति की लागत के भाग के रूप में पूंजीकृत करेगी। इकाई अन्य उधारी लागतों को उस अवधि में व्यय के रूप में मान्यता देगी जिसमें वे उपगत होती हैं। इसके अतिरिक्त, Ind AS (इंड एएस) 23 का पैरा 12 यह स्पष्ट करता है कि "जिस सीमा तक कोई इकाई विशेष रूप से किसी अर्हक परिसंपत्ति को प्राप्त करने के उद्देश्य से धन उधार लेती है, उस इकाई को पूंजीकरण के लिए पात्र उधारी लागत की राशि का निर्धारण उस अवधि के दौरान उस उधारी पर उपगत वास्तविक उधारी लागत में से उन उधारों के अस्थायी निवेश से प्राप्त किसी भी निवेश आय को घटाकर करना होगा"। Ind AS (इंड एएस) 23 के उपर्युक्त प्रावधानों के अनुसार, उधारी के निवेश पर अर्जित ब्याज को पूंजीकृत उधारी लागत के विरुद्ध समायोजित किया जाना होता है।

समेकित वित्तीय विवरणों (सीएफएस) पर प्रबंधन की टिप्पणियां		
ले. सं.	भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) की टिप्पणियां	प्रबंधन के उत्तर
	पूर्ववर्ती वर्षों (2021-22, 2022-23 एवं 2023-24) के लिए पीटीए निधि के अल्पकालिक निवेश पर अर्जित ब्याज से संबंधित सूचना के अभाव में, इसके प्रभाव का परिमाणीकरण नहीं किया जा सका। इसके अतिरिक्त, एनसीआरटीसी ने पीटीए हेतु पृथक बैंक खाता संधारित नहीं किया, जिसके कारण आवासन व शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों का भी उल्लंघन हुआ है। यह विषय वर्ष 2024-25 की पूरक लेखापरीक्षा के दौरान भी उठाया गया था, किंतु प्रबंधन द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है।	तथापि, टिप्पणी संख्या 23 "अन्य आय" के अंतर्गत दर्शाया गया **अर्जित ब्याज बहुपक्षीय वित्तपोषण एजेंसियों से प्राप्त उधारी पर अर्जित नहीं है।** यह ब्याज पास थ्रू सहायता (पीटीए), जिसे अग्रिम माना जाता है, तथा सावधि जमा में रखी गई आरक्षित एवं अधिशेष निधियों पर अर्जित ब्याज से संबंधित है। बहुपक्षीय ऋण प्रतिपूर्ति के आधार पर होते हैं, अर्थात ठेकेदारों को भुगतान के उपरांत भारत सरकार ऋणदाता एजेंसियों से ऋण राशि का दावा करती है। अतः, एनसीआरटीसी दिल्ली-मेरठ आरआरटीएस परियोजना के वित्तपोषण हेतु एशियाई विकास बैंक, एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक और न्यू डेवलपमेंट बैंक (एडीबी, एआईआईबी और एनडीबी) से भारत सरकार द्वारा अनुबंधित संप्रभु ऋणों के विरुद्ध बजटीय आबंटन के रूप में भारत सरकार से पीटीए प्राप्त करती है। पीटीए का उपयोग ठेकेदारों को भुगतान करने के लिए किया जाता है और उसके पश्चात भारत सरकार (सीएएए) द्वारा एडीबी और अन्य ऋणदाताओं के समक्ष दावे प्रस्तुत किए जाते हैं। तत्पश्चात एडीबी भारत सरकार को उपगत व्यय की प्रतिपूर्ति करता है। भारत सरकार को निधियों की प्रतिपूर्ति होने पर ही यह राशि एनसीआरटीसी की बहियों में उधारी में परिवर्तित होती है। विस्तारपूर्वक कहें तो, आवासन व शहरी कार्य मंत्रालय से प्राप्त पीटीए को प्राप्ति के समय एनसीआरटीसी के लेखा बहियों में 'भारत सरकार से अग्रिम' के रूप में दर्ज किया जाता है। इस राशि का उपयोग पात्र परियोजना व्यय के लिए किया जाता है। चूंकि बजट के माध्यम से निधियां समय-समय पर प्राप्त होती हैं, अतः अधिशेष राशि को सामान्यतः एफडीआर अथवा फ्लेक्सी खातों में रखा जाता है तथा अल्पकालिक अवधि के लिए (अर्थात अग्रिम के उधारी में परिवर्तित होने से पूर्व) उस पर ब्याज आय प्राप्त होती है। पात्र व्यय का दावा बहुपक्षीय विकास बैंकों (एमडीबी) से किया जाता है तथा भारत सरकार के खाते में ऋण राशि के संवितरण पर, भारत सरकार से प्राप्त अग्रिम (पीटीए) को कम करते हुए एनसीआरटीसी के लेखा बहियों में बैक-टू-बैक आधार पर ऋण राशि को उधारी के रूप में मान्यता दी जाती है। अतः, Ind AS (इंड एएस) 23 पर आधारित लेखांकन उपचार के अनुसार, उक्त ब्याज को उधारी लागत में से घटाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि निधियों को उधारी के रूप में केवल तभी मान्यता दी जाती है जब ऋण भारत सरकार के खाते में संवितरित हो जाता है। **प्रसंगवश, यह मुद्दा सीएजी द्वारा पूर्व में भी (2021-22, 2022-23 और 2023-24) उठाया गया था और एनसीआरटीसी द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण के आधार पर इसे समाप्त कर दिया गया था।** वर्ष 2024-25 की लेखापरीक्षा टिप्पणियों के संबंध में, एनसीआरटीसी द्वारा पीटीए निधियों पर ब्याज के लेखांकन हेतु अपनाए जा रहे उपचार को स्पष्ट करते हुए पत्र दिनांक 15.07.2025 एवं 10.09.2025 के माध्यम से मामला आवासन व शहरी कार्य मंत्रालय के समक्ष उठाया गया था। तथापि, आवासन व शहरी कार्य मंत्रालय से आज तक इस संबंध में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है। वित्तीय वर्ष 2024-25 की वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में भी इस स्थिति से अवगत कराया गया था। उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में, इस मद पर पीपीई, अन्य आय और लाभ का कोई अधिक विवरण नहीं हुआ है।

समेकित वित्तीय विवरणों (सीएफएस) पर प्रबंधन की टिप्पणियां		
ले. सं.	भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) की टिप्पणियां	प्रबंधन के उत्तर
3.	**मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय (टिप्पणी 28) - ₹ 40,449.60 लाख** उपर्युक्त राशि में ₹ 1,864.09 लाख की राशि सम्मिलित नहीं है, जो कंपनी की स्वयं की परिसंपत्ति नीति एवं लेखा नीति के साथ-साथ Ind AS (इंड एएस) 16 के पैरा 50 तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के उल्लंघन में गलत उपयोगी जीवनकाल पर विचार करने के कारण मूर्त परिसंपत्तियों पर लगाया गया कम मूल्यह्रास/परिशोधन है। लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि कंपनी ने 14.08.2025 को ₹ 2,77,632.67 लाख मूल्य की प्रमुख अवसंरचना परिसंपत्तियों का पूंजीकरण किया था। तथापि, गलत उपयोगी जीवनकाल लागू करने के कारण वास्तविक प्रभार्य मूल्यह्रास ₹ 4,714.05 लाख के स्थान पर ₹ 2,849.96 लाख का मूल्यह्रास लगाया गया, जिससे ₹ 1,864.09 लाख का कम मूल्यह्रास प्रभारित हुआ। अतः, इसके परिणामस्वरूप मूल्यह्रास में ₹ 1,864.09 लाख का न्यून विवरण तथा संयंत्र, संपत्ति एवं उपकरण (शुद्ध ब्लॉक) में ₹ 1,864.09 लाख का अधिक विवरण हुआ है, और तदनुसार वर्ष के लिए कर-पूर्व हानि भी समान सीमा तक कम दर्शाई गई है।	वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, दिल्ली-मेरठ नमो भारत कॉरिडोर पूर्णतः बनकर तैयार हो चुका है, और संपूर्ण कॉरिडोर का ₹ 25,253.62 करोड़ की राशि के लिए पूंजीकरण कर दिया गया है। वित्तीय वर्ष के दौरान पूंजीकृत परिसंपत्तियों पर ₹ 419.92 करोड़ का मूल्यह्रास/परिशोधन प्रभारित किया गया है। तथापि, अनजाने में ₹ 18.64 करोड़ की राशि का मूल्यह्रास कम प्रभारित हुआ था। सीएजी लेखापरीक्षा की सलाह के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2026-27 में आवश्यक संशोधन पहले ही कर दिया गया है।
4.	**अन्य व्यय (टिप्पणी 29) - ₹ 3,089.07 लाख** उपर्युक्त राशि में कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के अंतर्गत किए जाने वाले निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) दायित्व का प्रावधान सम्मिलित नहीं है। वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए सीएसआर दायित्व ₹ 323.41 लाख था तथा विगत वर्षों (2023-24 एवं 2024-25) का अव्ययित सीएसआर शेष ₹ 390.34 लाख था। तथापि, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135(5) की अपेक्षानुसार तथा Ind AS (इंड एएस) 37 के पैरा 14 के तहत प्रावधान किए जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2025–26 अथवा पूर्व अवधियों के लिए लाभ एवं हानि विवरण में कोई प्रावधान मान्यता प्राप्त नहीं किया गया था। अतः, इसके परिणामस्वरूप अन्य चालू देनदारियों और कर-पूर्व हानि में क्रमशः ₹ 713.75 लाख एवं ₹ 323.41 लाख का न्यून विवरण हुआ है तथा प्रतिधारित आय में ₹ 390.34 लाख का अधिक विवरण हुआ है।	Ind AS (इंड एएस) 37 के पैरा 14 के अनुसार: "एक प्रावधान तभी मान्यता प्राप्त किया जाएगा जब: (क) किसी विगत घटना के परिणामस्वरूप इकाई का वर्तमान दायित्व (कानूनी या रचनात्मक) हो; (ख) इस बात की संभावना हो कि दायित्व के निपटान के लिए आर्थिक लाभ समाहित करने वाले संसाधनों का बहिर्वाह आवश्यक होगा; तथा (ग) दायित्व की राशि का एक विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सके। यदि ये शर्तें पूरी नहीं होती हैं, तो कोई प्रावधान मान्यता प्राप्त नहीं किया जाएगा"। उपर्युक्त प्रावधान के अनुसार, किसी भी प्रावधान को मान्यता देने के लिए तीनों शर्तों का पूरा होना आवश्यक है। वर्तमान मामले में, निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) गतिविधियां कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के तहत अधिदेशित एक विनियामक अनुपालन/सामाजिक योगदान का प्रतिनिधित्व करती हैं, न कि किसी ऐसे संविदात्मक ऋण या दायित्व का जो एनसीआरटीसी को आर्थिक लाभ प्रदान करता हो या उसमें आर्थिक लाभ समाहित हो। धारा 135(5) और 135(6) के अंतर्गत वैधानिक आवश्यकता विशेष रूप से अव्ययित सीएसआर निधियों के लिए व्यवस्था निर्धारित करती है (अर्थात, 6 महीने के भीतर निर्दिष्ट अनुसूची VII निधियों में अंतरण अथवा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 30 दिनों के भीतर चल रही परियोजनाओं के लिए एक अव्ययित सीएसआर खाते में अंतरण)। इस वैधानिक अंतरण व्यवस्था का अनुपालन लेखा मानकों के तहत कोई मानक देयता या प्रावधान उत्पन्न किए बिना विनियामक दायित्व का निपटान करता है। धारा 135 कंपनी को सीएसआर परियोजनाओं के लिए एक अनिवार्य प्रतिशत व्यय/आबंटित करने हेतु बाध्य करती है। तथापि, किसी दिए गए वित्तीय वर्ष में व्यय न होने की स्थिति में वास्तविक व्यय से पूर्व लाभ एवं हानि विवरण में लेखांकन व्यय या दायित्व सृजित करने के स्थान पर विशिष्ट वैधानिक उपचार (जैसे निदेशक मंडल की रिपोर्ट में प्रकटीकरण और अपेक्षित वैधानिक अंतरण) लागू होते हैं।

समेकित वित्तीय विवरणों (सीएफएस) पर प्रबंधन की टिप्पणियां		
ले. सं.	भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) की टिप्पणियां	प्रबंधन के उत्तर
		वास्तविक संविदात्मक प्रतिबद्धताओं या व्यय उपगत किए बिना दायित्व को मान्यता देने से लाभ एवं हानि विवरण पर समयपूर्व प्रभार पड़ेगा, जिससे उस अवधि का वित्तीय प्रस्तुतीकरण विकृत होगा। चूंकि सीएसआर अनुपालन की वैधानिक प्रकृति Ind AS (इंड एएस) 37 के अंतर्गत प्रावधान को मान्यता देने के मानदंडों को पूरा नहीं करती है, इसलिए कंपनी ने वैधानिक अधिदेशों के अनुसार वित्तीय विवरणों और निदेशक मंडल की रिपोर्ट में उचित प्रकटीकरण के साथ वास्तविक व्यय के आधार पर सीएसआर व्यय का सही लेखांकन किया है। परिणामस्वरूप, कर-पूर्व हानि / अन्य चालू देनदारियों का कोई न्यून विवरण अथवा प्रतिधारित आय का कोई अधिक विवरण नहीं हुआ है। **उपर्युक्त लेखांकन उपचार का निगम द्वारा स्थापना के समय से ही निरंतर पालन किया जा रहा है।** **इसके अतिरिक्त, चूंकि प्रबंधन ने उक्त पैरा के अनुपालन में कोई कमी नहीं की है, इसलिए लेखापरीक्षक ने भी रिपोर्ट में किसी कमी का उल्लेख नहीं किया है।**
5.	**अन्य व्यापक आय – (₹ 472.89) लाख** उपर्युक्त राशि में ₹ 463.24 लाख की राशि सम्मिलित है जो कर्मचारी लाभों यथा उपदान (ग्रेच्युटी), सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ (पीआरएमबी) और अन्य से संबंधित बीमांकिक लाभ (दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन) है, तथा जिसे Ind AS (इंड एएस) 19 के पैरा 57(घ), 120(ग), 122 और 127(क) के अनुसार अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में मान्यता दी जानी थी। तथापि, चालू प्रावधान में ग्रेच्युटी, पीआरएमबी और अन्य (टिप्पणी 41.2(च)) के लिए बीमांकिक दायित्व के रूप में ₹ 88.85 लाख का प्रावधान करने के स्थान पर, चालू प्रावधानों में ₹ 463.24 लाख का सीधा मैनुअल जोड़ और लाभ एवं हानि विवरण से बाहर प्रतिधारित आय से ₹ 463.24 लाख की मैनुअल कटौती गलत तरीके से की गई। इस प्रकार, इसके परिणामस्वरूप चालू प्रावधानों में ₹ 463.24 लाख का अधिक विवरण तथा प्रतिधारित आय में ₹ 463.24 लाख का न्यून विवरण हुआ है। इसके अतिरिक्त, बीमांकिक लाभ को ओसीआई में धनात्मक आंकड़ों के स्थान पर ऋणात्मक आंकड़ों के रूप में दर्शाया गया है, जिससे कुल व्यापक आय ₹ 945.78 लाख कम दर्शाई गई है।	यह निवेदन है कि ₹ 463.24 लाख की राशि वर्ष के लिए ग्रेच्युटी, पीआरएमबी और अन्य के परिभाषित लाभ दायित्वों पर बीमांकिक लाभ (पुनर्मूल्यांकन) का प्रतिनिधित्व करती है, जैसा कि कंपनी के बीमांकक द्वारा मूल्यांकित किया गया है और टिप्पणी 41.2(ङ) पर प्रकट किया गया है। Ind AS (इंड एएस) 19 के पैरा 57(घ), 120(ग) और 122 के अनुसार, इस पुनर्मूल्यांकन को अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में मान्यता दी गई है और लाभ एवं हानि विवरण के माध्यम से नहीं भेजा गया है, जो कि Ind AS (इंड एएस) 19 के तहत सही उपचार है। **यह उल्लेख करना भी प्रासंगिक है कि टिप्पणी संख्या 41 में प्रावधान (चालू और गैर-चालू) तथा बीमांकिक लाभ/हानि को सही ढंग से सूचित किया गया है।** तथापि, बीमांकिक लाभ/हानि प्रावधान ₹ 463.24 लाख अनजाने में टिप्पणी संख्या 22 के तहत चालू प्रावधान में जोड़ दिया गया था, जिसे आगामी वित्तीय वर्ष में ठीक कर लिया जाएगा।
ख.	**समेकित वित्तीय स्थिति पर टिप्पणियां** **संयंत्र, संपत्ति एवं उपकरण (टिप्पणी 3) - ₹ 27,14,768.71 लाख** कंपनी को दिल्ली और मेरठ के मध्य 82.15 किमी लंबी क्षेत्रीय त्वरित पारगमन प्रणाली (आरआरटीएस) विकसित करने का अधिदेश दिया गया है। 31.03.2026 तक, आरआरटीएस प्रणाली को सार्वजनिक उपयोग हेतु विभिन्न खंडों को खोलने के लिए मेट्रो रेल संरक्षा आयुक्त (सीएमआरएस) से चरणबद्ध अनुमोदन प्राप्त हुआ, जिसका विवरण निम्नानुसार है:	*इंड एएस 16 (Ind AS 16) के पैरा 7 के अनुसार, "संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण (पीपीई) की किसी मद की लागत को केवल तभी 'परिसंपत्ति' (एसेट) के रूप में मान्यता दी जाएगी, यदि और केवल यदि:* • *यह संभाव्य हो कि उस मद से जुड़े भावी आर्थिक लाभ इकाई को प्राप्त होंगे; तथा* • *उस मद की लागत को विश्वसनीयता से मापा जा सके।"* *इसके अतिरिक्त, इंड एएस 16 का पैरा 20 विशेष रूप से यह प्रावधान करता है कि निम्नलिखित लागतें संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण की किसी मद के बही-मूल्य (कैरिंग अमाउंट) में शामिल नहीं की जाती हैं:* • *किसी ऐसी मद के संबंध में उपगत लागतें, जो प्रबंधन द्वारा आशयित रीति से प्रचालन में आने में सक्षम तो है, किन्तु उसे अभी उपयोग में लाया जाना शेष है अथवा जो पूर्ण क्षमता से कम पर प्रचालित की जा रही है;*

समेकित वित्तीय विवरणों (सीएफएस) पर प्रबंधन की टिप्पणियां		
ले. सं.	भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) की टिप्पणियां	प्रबंधन के उत्तर

क्र. सं.	खंड	लंबाई (किलोमीटर में)	सीएमआरएस प्रमाणीकरण तिथि
1.	साहिबाबाद से दुहाई (दुहाई डिपो सहित)	17	26.06.2023
2.	दुहाई से मोदीनगर उत्तर	17	05.03.2024
3.	मोदीनगर से मेरठ दक्षिण उत्तर	8	31.05.2024
4.	साहिबाबाद से न्यू अशोक नगर	13	23.12.2024
5.	शताब्दी नगर	6.45	23.05.2025
6.	सराय काले खां से न्यू अशोक नगर और परतापुर से मोदीपुरम	20.7	14.08.2025

सीएमआरएस (मेट्रो रेल संरक्षा आयुक्त) की स्वीकृति प्राप्त होने के उपरांत, संबंधित खंड यात्रियों को सेवाएं प्रदान करने हेतु उपलब्ध हो गया और तदनुसार उस खंड से संबद्ध आर्थिक लाभों का प्रवाह भी प्रारंभ हो गया। तथापि, एनसीआरटीसी ने परिचालनगत खंडों को उनके उपयोग में लाए जाने की तिथि से पूंजीकृत करने के स्थान पर मोदीपुरम डिपो स्टेशन को छोड़कर संपूर्ण खंड का पूंजीकरण केवल 14.08.2025 से किया, जो कि संपूर्ण खंड के सीएमआरएस प्रमाणीकरण की तिथि है।

इसके अतिरिक्त, सीएमआरएस प्रमाणीकरण की तिथि से इन पूर्ण खंडों पर उपगत/आबंटित उधारी लागत सहित परिचालन व्यय और उनसे अर्जित राजस्व को निर्माणाधीन पूंजीगत कार्य के अंतर्गत पूंजीकृत करने के स्थान पर लाभ एवं हानि विवरण के माध्यम से दर्शाया जाना चाहिए था।

प्रबंधन से बारंबार अनुरोध के बावजूद परिचालित खंड की पूर्ण लागत के परिमाणीकरण के अभाव में, लेखापरीक्षा ने मार्ग किलोमीटर (रूट किलोमीटर) के आधार पर सांकेतिक रूप से पूंजीकरण लागत की गणना की और उपर्युक्त कार्यपद्धति का उपयोग करते हुए संबंधित संयंत्र, संपत्ति एवं उपकरण (पीपीई) तथा मूल्यह्रास का निर्धारण किया। तदनुसार, संयंत्र, संपत्ति एवं उपकरण (पीपीई) में ₹ 57,894.09 लाख का अधिक विवरण तथा मूल्यह्रास में ₹ 57,894.09 लाख का न्यून विवरण हुआ, जिसमें वित्तीय वर्ष 2025-26 से संबंधित ₹ 15,833.60 लाख सम्मिलित हैं। परिणामस्वरूप, वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए हानि को ₹ 15,833.60 लाख तक कम दर्शाया गया तथा प्रतिधारित आय में ₹ 42,060.49 लाख का अधिक विवरण हुआ।

कंपनी को प्रत्येक परिचालन खंड के उपयोग हेतु उपलब्धता की तिथि, अर्थात् संबंधित सीएमआरएस प्रमाणीकरण तिथि निर्धारित करने तथा उसके अनुसार संयंत्र, संपत्ति एवं उपकरण (पीपीई), मूल्यह्रास और उधारी लागत के खंड/चरण-वार पूंजीकरण की पुनः गणना करने की आवश्यकता है। इसके फलस्वरूप उत्पन्न महत्वपूर्ण पूर्व-अवधि त्रुटियों को तत्पश्चात इंड एएस 8 के अनुसार भूतलक्षी पुनर्प्रस्तुतीकरण के माध्यम से समायोजित किया जा सकता है।

यह विषय वर्ष 2024-25 के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों पर भी उठाया गया था, तथापि कंपनी द्वारा इसका अनुपालन नहीं किया गया और

- *आरंभिक प्रचालन हानियां, जैसे कि वे हानियां जो मद के उत्पादन की मांग में क्रमिक वृद्धि के दौरान उपगत होती हैं; तथा*
- *इकाई के प्रचालनों के किसी भाग अथवा संपूर्ण प्रचालन के स्थानांतरण या पुनर्गठन की लागतें।*

यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि भारत के राष्ट्रपति ने दिनांक 7 मार्च 2019 के आदेश द्वारा कुल 82.15 कि.मी. लंबाई वाले दिल्ली–गाजियाबाद–मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस) कॉरिडोर के कार्यान्वयन हेतु ₹30,274 करोड़ की अनुमानित लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है। सरकारी स्वीकृति संपूर्ण दिल्ली–गाजियाबाद–मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस) कॉरिडोर के कार्यान्वयन के लिए दी गई है। अतः, एनसीआरटीसी (NCRTC) के लिए परिसंपत्ति में संपूर्ण स्वीकृत कॉरिडोर सम्मिलित है, जिसे जब तक पूर्ण न कर लिया जाए, तब तक इंड एएस 16 के पैरा 20 के अनुसार दी गई स्वीकृति के संदर्भ में 'परिसंपत्ति' नहीं माना जा सकता।

दिल्ली–मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस) भारत की पहली क्षेत्रीय रेल परियोजना है, जिसे 180 किमी प्रति घंटे तक की गति और 160 किमी प्रति घंटे की प्रचालन गति के लिए डिज़ाइन किया गया है—ये ऐसे तकनीकी मानक हैं जिनका देश में रेल-आधारित शहरी-क्षेत्रीय प्रणाली हेतु पहले कभी प्रयास नहीं किया गया था। रोलिंग स्टॉक, सिग्नलिंग, विद्युत आपूर्ति और संरक्षा प्रणालियों में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों को अपनाना (जिनमें से कई को भारत में पहली बार लागू किया जा रहा है), इस परियोजना को पारंपरिक मेट्रो या रेल निर्माण की तुलना में काफी अधिक जटिल बनाता है। ऐसे कॉरिडोर के निर्माण के लिए मौलिक रूप से भिन्न निष्पादन दृष्टिकोण की आवश्यकता थी, जिसमें सिविल इंजीनियरिंग में उच्च परिशुद्धता, अंतरराष्ट्रीय संरक्षा मानकों का कड़ाई से अनुपालन, और कई नई प्रौद्योगिकियों का एकीकरण शामिल था। परियोजना के पैमाने, गति और तकनीकी गहनता को देखते हुए, इसने डिज़ाइन, निर्माण, प्रणाली एकीकरण और परियोजना प्रबंधन में अभूतपूर्व चुनौतियाँ प्रस्तुत कीं।

यह संज्ञान में लिया जाना चाहिए कि कोर उप-प्रणालियों, जिनमें रोलिंग स्टॉक, सिग्नलिंग एवं ट्रेन नियंत्रण (ईटीसीएस लेवल-2), ओवरहेड उपकरण (ओएचई), स्वचालित किराया संग्रह (एएफसी), और अनुरक्षण डिपो शामिल हैं, को अविभाज्य संपूर्ण-परियोजना अनुबंधों के रूप में स्वीकृत, डिज़ाइन और निष्पादित किया गया था। कुछ मामलों में, जैसे कि पीईबी (PEB) कार्य अनुबंध उन खंडों तक विस्तृत हैं जो भिन्न-भिन्न तिथियों पर खोले गए हैं/खोले जाएंगे। पूर्ण किए गए चरणों के अधिकांश कार्य (रोलिंग स्टॉक, डिपो, सिग्नलिंग, ट्रैक) संपूर्ण कॉरिडोर के अभिन्न अंग हैं।

अतः आंशिक रूप से प्रचालित खंड/खंडों पर साझा रेखीय प्रणालियों, डिपो उपयोगिताओं और केंद्रीकृत सिग्नलिंग नियंत्रण केंद्रों की लागत का विश्वसनीय रूप से निर्धारण नहीं किया जा सकता, जो कि इंड एएस 16 के पैरा 7(ख) की प्रयोज्यता के लिए एक अनिवार्य शर्त है।

यदि कोई उपकरण/पीपीई/इकाई, जो किसी बृहद एकीकृत पीपीई परियोजना का एक घटक या हिस्सा है, निर्माण/अधिग्रहण के पश्चात प्रबंधन के आशय के अनुरूप प्रचालन करने में इसलिए सक्षम नहीं है

समेकित वित्तीय विवरणों (सीएफएस) पर प्रबंधन की टिप्पणियां		
ले. सं.	भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) की टिप्पणियां	प्रबंधन के उत्तर
	मोदीपुरम डिपो स्टेशन को छोड़कर समस्त परिसंपत्तियों का पूंजीकरण केवल 14 अगस्त 2025 से किया गया, जो कि संपूर्ण खंड के सीएमआरएस प्रमाणीकरण की तिथि है।	क्योंकि शेष इकाइयाँ या सुविधाएं निर्माणाधीन या विकास के अधीन हैं, तो उक्त उपकरण/पीपीई को इंड एएस 16 के पैरा 7 के अनुसार परिसंपत्ति में अंतरित (पूंजीकृत) नहीं किया जा सकता। पीपीई के खंड/चरण-वार पूंजीकरण, मूल्यह्रास और उधार लागतों के संबंध में, लेखापरीक्षा (ऑडिट) द्वारा केवल रूट किलोमीटर के आधार पर पीपीई, मूल्यह्रास और संचित आय (रिटेन्ड अर्निंग्स) पर प्रभाव की कार्यप्रणाली और गणना सही लेखांकन दृष्टिकोण नहीं है, **क्योंकि पूरे कॉरिडोर में परियोजना की लागत एकसमान नहीं है (अर्थात भूमिगत खंडों में लागत एलिवेटेड, एट-ग्रेड तथा संयुक्त आरआरटीएस और एमआरटीएस मेट्रो स्टेशनों आदि की तुलना में अधिक है)। यह कार्यप्रणाली इंड एएस 16 में अनिवार्य रूप से अपेक्षित विश्वसनीय लागत प्रदान नहीं करेगी।** इसके अलावा, आरआरटीएस परियोजना में, सिस्टम पैकेजों को अन्य मेट्रो रेलों की तरह खंड-वार करने के बजाय पूरे कॉरिडोर के लिए एकीकृत रूप में डिज़ाइन किया गया है। दिल्ली–गाजियाबाद–मेरठ आरआरटीएस एक एकल, एकीकृत, उच्च-गति रेल नेटवर्क है जिसे एक अविभाज्य प्रणाली के रूप में तैयार और अधिप्राप्त किया गया है। परियोजना के पूर्ण होने से पूर्व प्रारंभिक परीक्षण/प्रचालन खंडों का संचालन करना प्रणाली एकीकरण और संरक्षा का परीक्षण करने के लिए आवश्यक है, न कि इंड एएस 16 के अंतर्गत किसी स्वतंत्र, स्व-संधारणीय परिसंपत्ति का सूचक। परियोजना में प्रयुक्त प्रौद्योगिकी की जटिल प्रकृति के कारण कॉरिडोर के निर्माण को चरणों में कार्यान्वित करने का निर्णय लिया गया था, ताकि अप्रत्याशित जोखिमों के प्रभाव को कम किया जा सके और शेष खंडों की कमीशनिंग को सुगम बनाया जा सके, डिज़ाइन समीक्षा और प्रूफ चेकिंग के अत्यधिक भार को कम किया जा सके, एकीकरण के प्रत्येक चरण में प्रौद्योगिकी का परीक्षण किया जा सके, आरआरटीएस को शेष खंडों में तैनात किए जाने वाले ओएंडएम (प्रचालन एवं अनुरक्षण) कर्मचारियों को कार्य के दौरान प्रशिक्षण प्रदान करने में सक्षम बनाया जा सके, आंशिक रूप से खुले खंडों के संचालन के दौरान आने वाली तकनीकी समस्याओं, बाधाओं और गड़बड़ियों का पता लगाकर उन्हें दूर किया जा सके तथा निर्माणाधीन शेष कॉरिडोर में उनका समाधान किया जा सके, प्रचालन पर विफलता के प्रभाव को न्यूनतम किया जा सके तथा बड़े पैमाने पर जनता को होने वाली असुविधा से बचा जा सके, आदि। आरंभिक खंडीय यात्री सेवाएं सीएमआरएस (मेट्रो रेल संरक्षा आयुक्त) की देखरेख में वास्तविक परिचालन परिस्थितियों में प्रणाली की संरक्षा को प्रमाणित करने के लिए आंशिक वाणिज्यिक परीक्षण/प्रदर्शन परिचालन के रूप में कार्य करती हैं। जब तक संपूर्ण कॉरिडोर (टर्मिनल अनुरक्षण डिपो सहित) चालू नहीं हो जाता, तब तक संपूर्ण परिसंपत्ति अपनी आशयित अंतिम क्षमता पर कार्य नहीं कर सकती। इसलिए, संपूर्ण प्रणाली के पूर्ण होने तक परियोजना निष्पादन लागत को पूंजीगत कार्य-प्रगति (सीडब्ल्यूआईपी) के अंतर्गत बनाए रखना मानक अवसंरचना परियोजना लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप है। चूंकि नेटवर्क संपूर्ण परियोजना पूर्ण होने से पूर्व एक आंशिक, परीक्षण-प्रदर्शन व्यवस्था के तहत संचालित हो रहा है, अतः इस प्रारंभिक अवधि के दौरान उपगत शुद्ध प्रचालन व्यय सीधे तौर पर संपूर्ण नेटवर्क को उसकी आशयित प्रचालन स्थिति में लाने से संबंधित हैं।

समेकित वित्तीय विवरणों (सीएफएस) पर प्रबंधन की टिप्पणियां		
ले. सं.	भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) की टिप्पणियां	प्रबंधन के उत्तर
		संपूर्ण परियोजना पूंजीकरण से पूर्व शुद्ध अतिरिक्त प्रचालन लागतों को सीडब्ल्यूआईपी में समायोजित करना पूंजीगत परियोजना लेखांकन पद्धतियों के अनुरूप है, जहाँ संपूर्ण परिसंपत्ति में औपचारिक रूप से पूर्ण वाणिज्यिक प्रचालन अभी आरंभ नहीं हुआ है। दिल्ली–मेरठ कॉरिडोर परियोजना के तकनीकी पहलुओं तथा उपर्युक्त पैराग्राफों में उल्लिखित इंड एएस के प्रावधानों और निम्नलिखित कारकों को ध्यान में रखते हुए, एनसीआरटीसी ने पूंजीगत कार्य-प्रगति (सीडब्ल्यूआईपी) को अचल संपत्तियों में अंतरित न करने का निर्णय लिया— क. स्वीकृति पत्र में संपूर्ण परियोजना की लागत दी गई है और लागत को 'खंड-वार' नहीं दर्शाया गया है। ख. विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) भी समग्र रूप से परियोजना में सृजित की जाने वाली परिसंपत्ति मदों के संबंधित शीर्षों के अंतर्गत व्यय का विवरण प्रदान करती है और चरण-वार व्यय का कोई विभाजन प्रदान नहीं करती है। ग. ऋण समझौता भी संपूर्ण कॉरिडोर पर सृजित की जाने वाली परिसंपत्तियों के वित्तपोषण का प्रावधान करता है। घ. इस परियोजना की परिकल्पना दिल्ली और मेरठ के बीच निर्बाध सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी और कमीशन किए गए खंड, यदि अलग से देखे जाएं, तो दिल्ली और मेरठ के बीच निर्बाध सेवा प्रदान करने के उद्देश्य को पूरा नहीं करते हैं, तथा आंशिक रूप से खोले गए खंड सरकार/प्रबंधन द्वारा आशयित पूर्ण परिसंपत्ति का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। ङ. चरण-वार निर्माण की कमीशनिंग वास्तव में सरकार द्वारा स्वीकृत संपूर्ण कॉरिडोर को चालू करने के लिए एक पूर्व-कमीशनिंग गतिविधि है। च. ट्रैक, सिग्नलिंग, रोलिंग स्टॉक, फास्टनिंग, ट्रैक्शन, एएफसी आदि पूरे कॉरिडोर के लिए साझा सुविधाएं हैं और उनसे संबंधित लागत को खंड-वार/चरण-वार अलग नहीं किया जा सकता है। छ. भारत में पहली बार परखी जा रही इन नई प्रौद्योगिकियों के साथ इन उप-खंडों के संचालन का लाभ 160 किमी प्रति घंटे की परिचालन गति के साथ 100 किमी प्रति घंटे की औसत गति पर प्रचालन सहित प्रणाली की क्षमताओं को निर्धारित करेगा। ज. कमीशन किए गए खंड आबादी के एक नगण्य हिस्से को सेवा प्रदान करते हैं, जो कि यात्रियों की संख्या (राइडरशिप) से स्पष्ट है। अतः, इन खंडों के प्रचालन से कंपनी को कोई खास आर्थिक लाभ प्राप्त नहीं होता है। दिल्ली–मेरठ कॉरिडोर की क्षमता/क्षमता का वास्तविक लाभ तभी प्राप्त किया जा सकता है जब संपूर्ण दिल्ली–मेरठ कॉरिडोर परस्पर जुड़ जाए और प्रचालित हो जाए। इसके अलावा, पूरे कॉरिडोर के लिए डिज़ाइन किए गए सिस्टम-व्यापी अनुबंधों और पैकेजों के कारण इन खंडों की लागत केवल अनुमानित ही होगी। झ. इस कॉरिडोर में दो प्रमुख टर्मिनल हैं, अर्थात् मोदीपुरम (मेरठ) और सराय काले खां (दिल्ली), जिन्हें अगस्त 2025 में सीएमआरएस द्वारा प्रचालन दृष्टि से सुरक्षित प्रमाणित और संबद्ध किया गया है। इसके अलावा, मेरठ मेट्रो

समेकित वित्तीय विवरणों (सीएफएस) पर प्रबंधन की टिप्पणियां		
ले. सं.	भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) की टिप्पणियां	प्रबंधन के उत्तर
		का इस प्रणाली के साथ एकीकरण भी एक महत्वपूर्ण कारक है। अपनी तरह का पहला एकीकरण होने के कारण, उक्त दो प्रमुख टर्मिनलों की कनेक्टिविटी और मेरठ मेट्रो के साथ एकीकरण पूरे कॉरिडोर के संचालन को प्रभावित करता है और स्वीकृति के अनुसार परियोजना को पूरा करने के लिए आवश्यक था। यह उल्लेख करना भी प्रासंगिक है कि जब किसी परिसंपत्ति को उसके आशयित उपयोग के लिए तैयार करने हेतु आवश्यक लगभग सभी गतिविधियाँ पूरी हो जाती हैं, तब लागत को उपयुक्त अचल परिसंपत्ति श्रेणी में अंतरित करने की एक अंतरराष्ट्रीय प्रथा भी है। पारदर्शिता के दृष्टिकोण से, कंपनी वार्षिक खातों के नोट संख्या 5.1 - "पूंजीगत कार्य-प्रगति का विवरण" में उपर्युक्त तथ्यों का पर्याप्त प्रकटीकरण करती रही है। **संयोगवश, यह बिंदु सीएंडएजी (नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक) द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 की पूरक लेखापरीक्षा के दौरान भी उठाया गया था। इसके उत्तर में, कंपनी ने उपर्युक्त लेखांकन व्यवहार का विस्तृत विवरण देते हुए एक उत्तर प्रस्तुत किया था, जिसे सीएंडएजी द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। बाद के वर्षों में भी इसी नीति का पालन किया गया है और वार्षिक खातों के नोट्स में इसका प्रकटीकरण किया गया है।** **वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान की गई लेखापरीक्षा टिप्पणियों (पैरा में संदर्भित) पर प्रबंधन के रुख से निदेशक मंडल (बीओडी) और वार्षिक आम बैठक (एजीएम) को तदनुसार अवगत करा दिया गया था।** *उपर्युक्त तथ्यों, तकनीकी जटिलताओं और इंड एएस 16 के प्रावधानों के दृष्टिगत, प्रबंधन का यह सुविचारित मत है कि पूरे कॉरिडोर के पूर्ण होने से पूर्व आंशिक चरणों का प्रचालन विशुद्ध रूप से एक पूर्व-कमीशनिंग/परीक्षण चरण था और यह इंड एएस 16 के तहत व्यक्तिगत परिसंपत्ति मान्यता के योग्य नहीं था। तदनुसार, कॉरिडोर के अंतिम हिस्से (सराय काले खां से न्यू अशोक नगर तक और मेरठ दक्षिण से मोदीपुरम स्टेशन तक) के लिए सीएमआरएस प्रमाणन प्राप्त होने के उपरांत, जब गहन परीक्षण के बाद पूरे कॉरिडोर ने व्यापक प्रचालन तत्परता प्राप्त कर ली, तब लागू लेखांकन मानकों के अनुपालन में उसी तिथि को कुल परियोजना व्यय को पूंजीकृत कर दिया गया है।* इस लेखांकन व्यवहार की सत्यता और वैधता, साथ ही पूर्ण पूंजीकरण के समय की पुष्टि सांविधिक लेखापरीक्षक द्वारा अपनी रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों के नोट 5.1(i) का संदर्भ देते हुए 'मामलों पर विशेष बल' (एम्फेसिस ऑफ मैटर) के रूप में निम्नानुसार की गई है: *"हम वित्तीय विवरणों के नोट 5.1(i) की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, जो दिल्ली और मेरठ को जोड़ने वाले 82.15 किमी लंबे नमो भारत रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस) कॉरिडोर के सफल समापन, चरणबद्ध कमीशनिंग और उसके बाद के पूंजीकरण को रेखांकित करता है। इसके पूर्ण एकीकरण से पूर्व, देश में 180 किमी प्रति घंटे की डिज़ाइन गति शुरू करने हेतु पारगमन प्रणाली में तैनात अत्याधुनिक, अपनी तरह की पहली रेल-आधारित प्रौद्योगिकियों का कड़ाई से मूल्यांकन और सत्यापन करने के लिए कॉरिडोर के विभिन्न हिस्सों को 21.10.2023, 08.03.2024, 18.08.2024 और 05.01.2025 को अलग-अलग चरणों में प्रचालित किया गया था।*

समेकित वित्तीय विवरणों (सीएफएस) पर प्रबंधन की टिप्पणियां		
ले. सं.	**भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) की टिप्पणियां**	**प्रबंधन के उत्तर**
		संपूर्ण कॉरिडोर के लिए 14 अगस्त 2025 को मेट्रो रेल संरक्षा आयुक्त (सीएमआरएस) प्रमाणन औपचारिक रूप से प्राप्त होने के बाद, परियोजना ने व्यापक प्रचालन तत्परता हासिल की। परिणामस्वरूप, कंपनी ने लागू वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे और लेखांकन मानकों के पूर्ण संरेखण में 14 अगस्त 2025 को कुल परियोजना व्यय का पूंजीकरण किया। अंततः, पूरा कॉरिडोर 22.02.2026 को पूरी तरह प्रचालित हो गया है।" **कंपनी ने पूर्ण पारदर्शिता बनाए रखी है, सुदृढ़ वित्तीय प्रकटीकरण प्रदान किए हैं, और पूर्व सीएजी लेखापरीक्षा यानी वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान पूर्व में मूल्यांकित और स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप कार्य किया है।** चूंकि एनसीआरटीसी का लेखांकन व्यवहार इंड एएस 16 (अविभाज्य प्रणालीगत परिसंपत्तियां) और इंड एएस 23 के सिद्धांतों का पालन करता है और एक एकीकृत उच्च-गति रेल कॉरिडोर की वास्तविक तकनीकी स्थिति को दर्शाता है, इसलिए परिसंपत्ति के पूंजीकरण के संबंध में कोई पूर्व-अवधि त्रुटि (प्रायर-पीरियड एरर) नहीं है।
ग.1	**समेकित नकदी प्रवाह पर टिप्पणियां** **वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह** **पास थ्रू सहायता के विरुद्ध भारत सरकार (आवासन व शहरी कार्य मंत्रालय) से प्राप्त अग्रिम - (₹ 2,01,285.41) लाख** **एशियाई विकास बैंक से व्यवस्थित भारत सरकार से ऋण - ₹42,750 लाख** **एशियाई विकास बैंक (किश्त 3) से व्यवस्थित भारत सरकार से ऋण - ₹1,51,491.98 लाख** **न्यू डेवलपमेंट बैंक से व्यवस्थित भारत सरकार से ऋण - ₹1,12,422.14 लाख** **एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक से व्यवस्थित भारत सरकार से ऋण - ₹89,720.88 लाख** उपर्युक्त विवरण में आवासन व शहरी कार्य मंत्रालय से पास थ्रू सहायता (पीटीए) से (₹ 2,01,285.41) लाख को बहिर्वाह के रूप में दर्शाया गया है, जो कि नकद बहिर्वाह नहीं है बल्कि पीटीए के विरुद्ध अग्रिम के शेष में कमी है। एनसीआरटीसी को एशियाई विकास बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक और एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक से ऋण संवितरण लंबित रहने के दौरान पास थ्रू सहायता के रूप में आवासन व शहरी कार्य मंत्रालय से अवधि के दौरान ₹ 74,700 लाख का अग्रिम प्राप्त हुआ है। अतः, पास थ्रू सहायता और एडीबी, एनडीबी तथा एआईआईबी से व्यवस्थित भारत सरकार के ऋणों की राशि के गलत प्रस्तुतीकरण के कारण पास थ्रू सहायता के विरुद्ध भारत सरकार (आवासन व शहरी कार्य मंत्रालय) से प्राप्त अग्रिम में ₹ 2,75,985.41 लाख का न्यून विवरण हुआ है तथा एडीबी, एनडीबी और एआईआईबी से व्यवस्थित भारत सरकार के ऋणों में ₹ 2,75,985.41 लाख का अधिक विवरण हुआ है। यह मुद्दा वर्ष 2024-25 की पूरक लेखापरीक्षा के दौरान भी उठाया गया था, तथापि प्रबंधन द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है।	*Ind AS (इंड एएस) 7 के पैरा 17 के अनुसार, वित्तीय गतिविधियों से उत्पन्न होने वाले नकदी प्रवाह का पृथक प्रकटीकरण महत्वपूर्ण है क्योंकि यह इकाई को पूंजी प्रदाताओं द्वारा भविष्य के नकदी प्रवाह पर दावों का अनुमान लगाने में उपयोगी होता है। वित्तीय गतिविधियों से उत्पन्न होने वाले नकदी प्रवाह के उदाहरण निम्नलिखित हैं:* *(क) शेयर या अन्य इक्विटी लिखत जारी करने से प्राप्त नकद राशि;* *(ख) इकाई के शेयरों के अधिग्रहण या मोचन हेतु स्वामियों को नकद भुगतान;* *(ग) डिबेंचर, ऋण, नोट्स, बॉन्ड, बंधक और अन्य अल्पकालिक या दीर्घकालिक उधारियों को जारी करने से प्राप्त नकद राशि;* *(घ) उधार ली गई राशियों की नकद अदायगी; तथा* *(ङ) वित्त पट्टे से संबंधित बकाया देनदारी में कमी के लिए पट्टेदार द्वारा नकद भुगतान।* एनसीआरटीसी दिल्ली-मेरठ आरआरटीएस परियोजना के वित्तपोषण हेतु बहुपक्षीय विकास बैंकों अर्थात एशियाई विकास बैंक (एडीबी), एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक (एआईआईबी) और न्यू डेवलपमेंट बैंक (एनडीबी) से भारत सरकार द्वारा अनुबंधित संप्रभु ऋणों के विरुद्ध बजटीय आबंटन के रूप में भारत सरकार से पीटीए प्राप्त करती है। ये बहुपक्षीय ऋण प्रतिपूर्ति के आधार पर हैं, जिसमें एमडीबी द्वारा अनुमोदित कार्यों पर व्यय करने के लिए आवश्यक धनराशि भारत सरकार द्वारा एनसीआरटीसी को पीटीए के रूप में प्रदान की जाती है। इस प्रकार प्राप्त पीटीए का उपयोग ठेकेदारों को भुगतान करने के लिए किया जाता है और उसके पश्चात एनसीआरटीसी द्वारा प्रतिपूर्ति के लिए सीएएए के माध्यम से एमडीबी के समक्ष दावे प्रस्तुत किए जाते हैं। ऋणदाता एजेंसियों द्वारा भारत सरकार को निधियों की प्रतिपूर्ति किए जाने पर ही भारत सरकार से प्राप्त अग्रिम (पीटीए) भारत सरकार (सीएएए) और एनसीआरटीसी के लेखा बहियों में उधारी में परिवर्तित होता है। यह ऋण अंश भारत सरकार द्वारा एनसीआरटीसी को बैक-टू-बैक आधार पर दिया जाता है।

समेकित वित्तीय विवरणों (सीएफएस) पर प्रबंधन की टिप्पणियां		
ले. सं.	भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) की टिप्पणियां	प्रबंधन के उत्तर

इन लेन-देन के लेखांकन को विस्तार से समझें तो, भारत सरकार (आवासन व शहरी कार्य मंत्रालय) से प्राप्त पीटीए को एनसीआरटीसी की बहियों में 'भारत सरकार से अग्रिम' के रूप में दर्ज किया जाता है। अग्रिम का उपयोग पात्र परियोजना व्यय के लिए किया जाता है। तत्पश्चात, पात्र व्यय का दावा एमडीबी से किया जाता है और भारत सरकार (सीएएए) के खाते में ऋण राशि के संवितरण पर, भारत सरकार से प्राप्त अग्रिम (पीटीए) को कम करते हुए एनसीआरटीसी के लेखा बहियों में बैक-टू-बैक आधार पर ऋण राशि को उधारी के रूप में मान्यता दी जाती है।

यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि इन लेन-देन के परिणामस्वरूप इकाई की उधारी के आकार में परिवर्तन होता है और इस प्रकार Ind AS (इंड एएस) 7 के पैरा 6 के अनुसार ये वित्तीय गतिविधियों की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा Ind AS (इंड एएस) 7 के पैरा 17(ग) के अनुसार, वित्तीय गतिविधियों के अंतर्गत ऋण के संचलन का नकदी प्रवाह विवरण में पृथक प्रकटीकरण किया जाना अपेक्षित है।

एनसीआरटीसी के प्रस्तुतीकरण के अनुसार तथा सीएजी के प्रेक्षण के अनुसार वित्तीय गतिविधि से नकद बहिर्वाह/अंतर्वाह के प्रस्तुतीकरण का प्रभाव निम्नानुसार है:

विवरण	एनसीआरटीसी द्वारा प्रतिवेदित	सीएजी के प्रेक्षण के अनुसार
पीटीए के विरुद्ध भारत सरकार (आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय) से अग्रिम	(2,01,285.41)	74,700.00
भारत सरकार से ऋण (एडीबी + एडीबी ट्रेंच 3 + एनडीबी + एआईआईबी)	3,96,385.00	1,20,399.59
शुद्ध वित्तपोषण अंतर्वाह (Net financing inflow)	1,95,099.59	1,95,099.59

एनसीआरटीसी के प्रस्तुतीकरण के अंतर्गत इन दोनों मदों के तहत प्रतिवेदित संयुक्त शुद्ध अंतर्वाह (कंबाइंड नेट इनफ्लो) ₹1,95,099.59 लाख है, तथा सीएजी द्वारा सुझाए गए समायोजन को लागू करने पर भी यह राशि यथावत ₹1,95,099.59 लाख ही रहती है। इससे यह स्पष्ट होता है कि इस प्रेक्षण से वित्तपोषण गतिविधियों से शुद्ध नकदी प्रवाह (नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज), नकदी एवं नकदी समतुल्यों में शुद्ध वृद्धि/(कमी), अथवा तुलन-पत्र (बैलेंस शीट) में प्रतिवेदित अंतिम नकदी एवं नकदी समतुल्य शेष में कोई परिवर्तन नहीं होता है। साथ ही, यह तुलन-पत्र के मुख्य भाग (फेस ऑफ द बैलेंस शीट) पर दर्शायी गई कुल उधारियों (टोटल बॉरोइंग्स) को भी प्रभावित नहीं करता है, क्योंकि वे ऋण खातों (लोन लेजर्स) से ली जाती हैं, न कि नकदी प्रवाह विवरण (कैश फ्लो स्टेटमेंट) से।

एनसीआरटीसी के वर्तमान प्रस्तुतीकरण के अनुसार, वित्तीय विवरणों में दर्शाए गए पीटीए (PTA) और उधारियों के संचलन (मूवमेंट) के अनुरूप पीटीए तथा उधारियां दोनों ही वास्तविक एवं सही स्थिति प्रदर्शित कर रहे हैं। **इसके अतिरिक्त, वर्ष के दौरान प्राप्त पीटीए अग्रिम की राशि का प्रस्तुतीकरण नोट 21 के व्याख्यात्मक नोट (एक्स्प्लैनेटरी नोट) में स्पष्ट रूप से प्रदान किया गया है। लेखा-पुस्तकों और नकदी प्रवाह विवरण में उपरोक्त प्रस्तुतीकरण का कंपनी द्वारा अपनी स्थापना के समय से ही निरंतर रूप से पालन किया जाता**

समेकित वित्तीय विवरणों (सीएफएस) पर प्रबंधन की टिप्पणियां		
ले. सं.	भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) की टिप्पणियां	प्रबंधन के उत्तर
2.	**वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह - ₹ 3,36,205.91 लाख** **परिचालन गतिविधियों से उत्पन्न कुल नकदी - ₹ (1,18,101.60) लाख** उपर्युक्त राशि में गैर-नकदी मद के रूप में ₹ 9,127.78 लाख का प्रावधान सम्मिलित है, जो दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर हेतु स्वचालित किराया संग्रहण (एएफसी) प्रणाली के लिए नियुक्त रियायतग्राही को देय वार्षिकी है। चूंकि, ठेकेदार को देय वार्षिकी एक गैर-नकदी मद है, अतः इसे वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह से बाहर रखा जाना चाहिए और परिचालन पूंजी परिवर्तनों में समायोजन के तहत दिखाया जाना चाहिए। इसके परिणामस्वरूप वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह में ₹ 9,127.78 लाख का अधिक विवरण हुआ है तथा परिचालन पूंजी परिवर्तनों से पूर्व परिचालन लाभ के साथ-साथ परिचालन गतिविधियों से उत्पन्न कुल नकदी में ₹ 9,127.78 लाख का न्यून विवरण हुआ है।	**रहा है।** अतः, अपने वित्तीय विवरणों में उपरोक्त संव्यवहार (ट्रांजेक्शन) के प्रकटीकरण (डिस्क्लोज़र) के संबंध में एनसीआरटीसी किसी भी प्रकार से त्रुटिपूर्ण नहीं है। ठेकेदार को देय वार्षिकी एक वित्तीय देनदारी है, अतः इसे नकदी प्रवाह विवरण में वित्तीय गतिविधि के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। इसके अतिरिक्त, यदि लेखापरीक्षक द्वारा सुझाए गए उपर्युक्त प्रस्तुतीकरण पर विचार किया जाए और इसे वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह से बाहर रखकर गैर-नकदी मद के रूप में परिचालन पूंजी परिवर्तनों में समायोजन के अंतर्गत दिखाया जाए, तब भी **समग्र नकदी प्रवाह विवरण पर उपर्युक्त प्रस्तुतीकरण के कारण शुद्ध प्रभाव शून्य रहता है।** तथापि, लेखापरीक्षा की सलाह के अनुसार उपर्युक्त प्रस्तुतीकरण की समीक्षा अगले वित्तीय वर्ष में की जाएगी और यदि आवश्यक हुआ तो समुचित परिवर्तन किए जाएंगे।
घ.	**प्रकटीकरण पर सामान्य टिप्पणियां** **समेकित वित्तीय विवरण पर टिप्पणियां** **टिप्पणी संख्या 43 - परिसंपत्तियों का क्षीणन (इम्पेयरमेंट)** उपर्युक्त टिप्पणी में यह उल्लेख किया गया है कि, समीक्षा के आधार पर प्रबंधन का यह मत है कि कंपनी की गैर-वित्तीय परिसंपत्तियों का आर्थिक निष्पादन अपेक्षा से कम नहीं है और तुलन पत्र की तिथि तक कोई क्षीणन सूचक विद्यमान नहीं है। अतः, तुलन पत्र की तिथि तक किसी भी परिसंपत्ति का कोई क्षीणन नहीं हुआ है। तथापि, यह देखा गया है कि एनसीआरटीसी ने सराय काले खां (दिल्ली) से बावल (हरियाणा) तक प्रस्तावित भविष्य के आरआरटीएस कॉरिडोर के संरेखण (अलाइनमेंट) पर ₹ 5,020.41 लाख का व्यय किया था। तत्पश्चात, उक्त कॉरिडोर का संरेखण परिवर्तित कर दिया गया तथा संशोधित संरेखण को आवासन व शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा (सितंबर 2025 में) अनुमोदित किया गया। संरेखण में परिवर्तन क्षीणन का एक संकेत बनता है, जिसके लिए पूर्ववर्ती संरेखण पर उपगत व्यय के क्षीणन मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। अतः, टिप्पणी-43 में दिया गया प्रकटीकरण संरेखण में परिवर्तन से उत्पन्न होने वाले क्षीणन सूचक पर पर्याप्त रूप से विचार या प्रकटीकरण नहीं करता है। उपर्युक्त तथ्य का प्रकटीकरण न किए जाने से यह टिप्पणी उस सीमा तक अपूर्ण रह गई है।	पूर्व में, एरोसिटी से राजीव चौक के मध्य संरेखण गुड़गांव क्षेत्र में उद्योग विहार, अतुल कटारिया चौक और सेक्टर 17 स्टेशन से होकर गुजर रहा था। एनसीआरटीसी ने विभिन्न कार्यों (अतुल कटारिया चौक पर पिलर का निर्माण, सड़क चौड़ीकरण, जनोपयोगी सुविधाओं का स्थानांतरण, पाइल लोड टेस्ट आदि) के निष्पादन पर ₹ 5,020.41 लाख का व्यय किया था। संशोधित डीपीआर (सितंबर 2025) के अनुसार, संरेखण को साइबर सिटी और इफको चौक होते हुए एरोसिटी से राजीव चौक तक संशोधित किया गया है। सराय काले खां (दिल्ली) से बावल (हरियाणा) तक का आरआरटीएस कॉरिडोर अभी भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किया जाना शेष है। इसके उपयोग से अपेक्षित भावी आर्थिक लाभों अथवा पुराने संरेखण पर निर्मित संरचनाओं के निस्तारण के संबंध में निर्णय भारत सरकार द्वारा उक्त कॉरिडोर की स्वीकृति और कॉरिडोर के अंतिम डिजाइन/संरेखण के समय आगे की समीक्षा के उपरांत ही सुनिश्चित किया जा सकता है। अतः, जब तक कॉरिडोर की स्वीकृति प्राप्त नहीं हो जाती, तब तक इस व्यय को क्षीण नहीं माना जा सकता। अतः, प्रबंधन टिप्पणी संख्या 43 पर परिसंपत्ति के क्षीणन के प्रकटीकरण के संबंध में किसी भी प्रकार से त्रुटिपूर्ण नहीं है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड के निदेशक मंडल के लिए और उनकी तरफ से

हस्ता./-
नमिता मेहरोत्रा
निदेशक (वित्त)
डीआईएन:07916304

हस्ता./-
शलभ गोयल
प्रबंध निदेशक
डीआईएन:08064525

दिनांक: 29.09.2026
स्थान: नई दिल्ली


आई एस बी टी
सराय काले खां नमो भारत स्टेशन



मौजूदा मेट्रो स्टेशनों, भारतीय रेलवे स्टेशनों और बस अड्डों से एकीकृत नमो भारत स्टेशन सुनिश्चित कर रहे यात्रियों का निर्बाध आवागमन

एनसीआरटीसी एक्सप्रेस ट्रांजिट लिमिटेड

कंपनी संबंधी जानकारी

निदेशक मण्डल	**क्र. सं.**	**नाम**	**पदनाम**	**डीआईएन**
	1	श्री शलभ गोयल	अध्यक्ष	08064525
	2	श्री महेंद्र कुमार	निदेशक	07093637
	3	सुश्री नमिता मेहरोत्रा	निदेशक	07916304
	4	श्री मुन्ना कुमार	निदेशक	09394779
	5	श्री परमजीत सिंह	निदेशक	11009365
मुख्य कार्यकारी अधिकारी	श्री मानवेंद्र सिंह			
पंजीकृत अधिकारी	गतिशक्ति भवन, आईएनए, नई दिल्ली-110023 वेबसाइट: www.netraindia.in			
सीआईएन	यू60300डीएल2020जीओआई367547			
होल्डिंग कंपनी	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड सीआईएन: यू60200डीएल2013जीओआई256716			
वैधानिक लेखा परीक्षक	मैसर्स मनोज वेद एंड कंपनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, नई दिल्ली			
बैंकर	स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया बैंक ऑफ बड़ौदा			

वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए वार्षिक रिपोर्ट

क्रम सं.	विषय	पेज नं.
1	निदेशक मंडल की रिपोर्ट	267
2	स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट	276
3	31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण	289
4	स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ	318

निदेशक मंडल की रिपोर्ट

सेवा में,
शेयरधारकगण,
एनसीआरटीसी एक्सप्रेस ट्रांजिट लिमिटेड ('नेत्रा' या 'कंपनी'),
नई दिल्ली

प्रिय महोदय/महोदया,

निदेशक मंडल की ओर से, दिनांक 31 मार्च 2026 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों और उस पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के साथ आपकी कंपनी की छठी (6वीं) वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना हमारे लिए सौभाग्य की बात है।

1. वित्तीय प्रमुख बिंदु:

वित्तीय वर्ष 2025-26 के संक्षिप्त वित्तीय परिणाम निम्न प्रकार थे:

विवरण	(₹ लाख में)	
	2025-26	2024-25
परिचालन से राजस्व	735.04	590.42
अन्य आय	11.41	12.07
कुल राजस्व	746.45	602.49
कुल व्यय	729.50	586.54
कर पूर्व लाभ/(हानि)	**16.95**	**15.95**
चालू कर	4.55	(2.70)
आस्थगित कर	(0.26)	0.06
कर पश्चात लाभ/(हानि)	**12.66**	**18.59**
प्रति इक्विटी शेयर आय (मूल एवं तनुकृत)	12.66	18.59
नेट संपत्ति	130.06	117.40

वित्तीय प्रदर्शन:

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, आपकी कंपनी ने परिचालन से ₹ 735.04 लाख का कुल राजस्व उत्पन्न किया, जबकि पिछले वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान परिचालन से कुल राजस्व ₹ 590.42 लाख था। समीक्षाधीन वर्ष में कंपनी ने ₹ 12.66 लाख का कर भुगतान पश्चात लाभ कमाया, जबकि पिछले वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान कर भुगतान पश्चात लाभ ₹ 18.59 लाख था।

2. होल्डिंग, सहायक कंपनी और पूंजी संरचना:

आपकी कंपनी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड (धारक कंपनी) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है और संपूर्ण शेयर पूंजी धारक कंपनी और उसके नामितों द्वारा धारित है। आपकी कंपनी की कोई सहायक कंपनी नहीं है।

कंपनी की अधिकृत और प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी ₹ 1,00,00,000 (केवल एक करोड़ रुपये) है, जो ₹ 100 (केवल सौ रुपये) प्रत्येक के 1,00,000 (एक लाख) इक्विटी शेयरों में विभाजित है।

3. लाभांश:

आपके निदेशकों ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान किसी भी लाभांश की संस्तुति नहीं की है।

4. सामान्य संचय में विनियोजन:

लाभ को प्रतिधारित आय के रूप में रखा गया है और समीक्षाधीन वर्ष के लिए सामान्य संचय और पूंजीगत संचय में किसी भी राशि को स्थानांतरित करने की संस्तुति नहीं की गई है।

5. कंपनी के कार्यकलाप, भावी दृष्टिकोण और गतिविधियां:

आपकी कंपनी भारत के पहले क्षेत्रीय तीव्र पारगमन प्रणाली 'दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ नमो भारत आरआरटीएस कॉरिडोर' के संचालन और रखरखाव (ओएंडएम) के लिए एनसीईआरटीसी (धारक कंपनी) के परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाना जारी रखे हुए है। इस जुड़ाव के माध्यम से प्राप्त अनुभव के आधार पर, आपकी कंपनी ने ऑपरेटर 'मेसर्स डीबी ऑपरेशन्स आरआरटीएस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड' के साथ निर्बाध तालमेल में काम करने वाले पेशेवरों की एक उच्च-स्तरीय टीम को सुदृढ़ करके अपनी ओएंडएम निगरानी क्षमताओं को और मजबूत किया है। इस जुड़ाव के माध्यम से विकसित विशेषज्ञता का लाभ उठाकर इसी तरह के परामर्श अनुबंधों के लिए बोली लगाने और उन्हें हासिल करने का प्रस्ताव है।

6. जमा राशियां:

आपकी कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत जनता से कोई जमा राशि आमंत्रित नहीं की है, इसलिए तुलन पत्र की तिथि तक जनता से जमा राशि के मूलधन या ब्याज के मद में कोई भी राशि बकाया नहीं थी।

7. कार्मिक एवं मानव संसाधन प्रबंधन:

(क) जनशक्ति:

वर्ष के दौरान, नेत्रा ने प्रतिनियुक्ति के आधार पर 21 पूर्णकालिक अधिकारियों, 22 ओएंडएम संविदात्मक कर्मचारियों और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सहित 7 अधिकारियों को अंशकालिक आधार पर तैनात किया है। 31 मार्च 2026 तक कंपनी के लिंग-वार कर्मचारियों की संख्या (पुरुष, महिला, ट्रांसजेंडर) इस प्रकार है:

1. नियमित संख्या

क्र. सं	अधिकारी का स्तर	जनशक्ति (संख्या में)31 मार्च 2025 तक				जनशक्ति (संख्या में)31 मार्च 2026 तक			
		पुरुष	महिला	ट्रांसजेंडर	कुल	पुरुष	महिला	ट्रांसजेंडर	कुल
1.	विभागाध्यक्ष(ई9 – ई8)	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	उप-विभागाध्यक्ष(ई7 to ई4)	4	-	-	4	4	2	-	6
3.	कार्यकारी(ई3 to ई0)	13	1	-	14	13	1	-	14
4.	गैर-कार्यकारी	1	-	-	1	1		-	1
योग		**18**	**1**	**0**	**19**	**18**	**3**	**0**	**21**

2. अस्थायी संख्या

क्र. सं	अधिकारी का स्तर	जनशक्ति (संख्या में)31 मार्च 2025 तक				जनशक्ति (संख्या में)31 मार्च 2026 तक			
		पुरुष	महिला	ट्रांसजेंडर	कुल	पुरुष	महिला	ट्रांसजेंडर	कुल
1.	ओएंडएम कर्मचारी एकमुश्त अनुबंध पर (गैर-कार्यकारी)	-	-	-	-	21	1	-	22
योग		**-**	**-**	**-**	**-**	**21**	**1**	**0**	**22**

(ख) कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के तहत प्रकटीकरण:

आपकी कंपनी एनसीईआरटीसी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है और निदेशक मंडल की अपनी 5वीं बैठक में, बोर्ड ने धारक कंपनी की सभी नीतियां, नियम, विनियम, पात्रताएं, सेवा शर्तें, प्रक्रियाएं, नियमावलियां, दिशानिर्देश, परिपत्र, आदेश आदि को अंतरिम आधार पर अपनाने की मंजूरी दी, जब तक कि नेत्रा अपनी नीतियां, नियम, विनियम आदि तैयार नहीं कर लेती।

एनसीईआरटीसी ने 'जेंडर फ्रेंडली वर्कप्लेस' पर अपनी नीति बनाई है। कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के तहत प्राप्त, निपटाई गई और नब्बे दिनों से अधिक समय से लंबित यौन उत्पीड़न की शिकायतों का विवरण नीचे दिया गया है:

वर्ष के दौरान प्राप्त यौन उत्पीड़न की शिकायतों की संख्या	शून्य
वर्ष के दौरान निपटाई गई ऐसी शिकायतों की संख्या	शून्य
नब्बे दिनों से अधिक समय से लंबित मामलों की संख्या	शून्य

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी महिला कर्मचारियों को उपयुक्त कार्यस्थल व्यवहार विकसित करने और लैंगिक संवेदनशीलता को बढ़ावा देने के लिए एक अनुकूल और सुरक्षित कामकाजी माहौल प्रदान करने का लक्ष्य रखती है, इसलिए आपकी कंपनी कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम, निषेध और निवारण के लिए उसी नीति का पालन कर रही है जिसे एनसीईआरटीसी (धारक कंपनी) में अपनाया गया है।

आपकी कंपनी कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के प्रावधानों का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है।

(ग) मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 के अनुपालन पर विवरण:

कंपनी मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 के प्रावधानों का पालन करती है और पात्र महिला कर्मचारियों को मातृत्व लाभ प्रदान करती है। वैधानिक आवश्यकताओं के अनुरूप पर्याप्त सुविधाएं और सहायता प्रदान की जाती हैं।

8. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 के प्रावधानों के तहत कर्मचारियों का विवरण:

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी 05.06.2015 की राजपत्र अधिसूचना के आलोक में, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 और कंपनियां (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 5(2) के अनुसार जानकारी कंपनी पर लागू नहीं होती है।

9. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3) (पी) के अंतर्गत बोर्ड के कार्य-निष्पादन तथा प्रत्येक निदेशक के कार्य-निष्पादन के औपचारिक वार्षिक मूल्यांकन के संबंध में विवरण:

कंपनी एक सरकारी कंपनी होने के कारण, कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 05.06.2015 को जारी राजपत्र अधिसूचना के मद्देनजर, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(पी) तथा संबंधित नियमों के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

10. लेखापरीक्षक:

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए मेसर्स मनोज वेद एंड कंपनी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, नई दिल्ली को सांविधिक लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया था। सांविधिक लेखापरीक्षक ने 31 मार्च 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के लेखों पर बिना किसी योग्यता के अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है।

11. वित्तीय विवरणों पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट:

31 मार्च 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट बोर्ड की रिपोर्ट के साथ संलग्न है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(ख) के अंतर्गत 31 मार्च 2026 को समाप्त अवधि के वित्तीय विवरणों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएंडएजी) की टिप्पणियां अभी प्राप्त होना शेष हैं। अतः, यदि सीएंडएजी की कोई टिप्पणियां प्राप्त होती हैं, तो उन्हें इसके साथ परिशिष्ट के रूप में पृथक रूप से संलग्न किया जाएगा।

12. कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर):

कंपनी को वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) गतिविधियों पर व्यय

करना अपेक्षित नहीं है, क्योंकि कंपनी कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों के अंतर्गत सीएसआर में अंशदान के लिए निर्धारित किसी भी मानदंड को पूरा नहीं करती है।

13. ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण तथा अनुसंधान एवं विकास पर व्यय:

(क) ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण तथा अनुसंधान एवं विकास पर व्यय से संबंधित कोई महत्वपूर्ण विवरण नहीं है, क्योंकि आपकी कंपनी के स्वामित्व में कोई विनिर्माण सुविधा नहीं है।

(ख) **अनुसंधान एवं विकास पर व्यय (राशि भारतीय रुपये में)** – वर्ष के दौरान ऐसा कोई व्यय नहीं किया गया।

(ग) **विदेशी मुद्रा से आय एवं व्यय:** वर्ष के दौरान कंपनी की विदेशी मुद्रा में न तो कोई आय हुई और न ही कोई व्यय हुआ।

14. निदेशकों का उत्तरदायित्व विवरण:

आपका बोर्ड कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3) (ग) के प्रावधानों के अनुसार यह पुष्टि करता है कि उसकी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार:

(क) वित्तीय विवरण तैयार करते समय लागू लेखांकन मानकों का पालन किया गया है तथा, यदि कोई महत्वपूर्ण विचलन हुआ है, तो उससे संबंधित उचित स्पष्टीकरण दिया गया है;

(ख) निदेशकों ने ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया और उन्हें निरंतर रूप से लागू किया है तथा ऐसे निर्णय एवं अनुमान किए हैं, जो वित्तीय वर्ष के अंत में निगम के कार्यकलापों की स्थिति तथा उस अवधि के लिए निगम के लाभ और हानि का सही एवं निष्पक्ष चित्र प्रस्तुत करने के लिए युक्तिसंगत और विवेकपूर्ण हैं;

(ग) निदेशकों ने निगम की परिसंपत्तियों की सुरक्षा तथा कपट और अन्य अनियमितताओं की रोकथाम एवं पता लगाने के लिए, यथालागू, कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन अभिलेखों के रख-रखाव हेतु उचित और पर्याप्त सावधानी बरती है;

(घ) निदेशकों ने वार्षिक लेखे चालू प्रतिष्ठान के आधार पर तैयार किए हैं; तथा

(ङ) निदेशकों ने सभी लागू विधियों के प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणालियां तैयार की हैं और ऐसी प्रणालियां पर्याप्त हैं तथा प्रभावी रूप से कार्य कर रही हैं।

15. निदेशक मंडल और उसकी बैठकें:

15.1 इस रिपोर्ट की तारीख तक निदेशक मंडल के सदस्यों (सभी एनसीआरटीसी के नामित निदेशक) का विवरण निम्नानुसार है:

क्र सं.	निदेशकों के नाम	डीआईएन	पदनाम	नियुक्ति की तिथि
1	श्री शलभ गोयल (प्रबंध निदेशक, एनसीआरटीसी , पदेन अध्यक्ष)	08064525	अध्यक्ष	02.07.2024
2	श्री महेंद्र कुमार (निदेशक/ईएंडआरएस, एनसीआरटीसी)	07093637	नामित निदेशक	06.08.2020
3	सुश्री नमिता मेहरोत्रा (निदेशक/वित्त एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी, एनसीआरटीसी)	07916304	नामित निदेशक	06.08.2020
4	श्री मुन्ना कुमार (निदेशक/निर्माण, एनसीआरटीसी)	09394779	नामित निदेशक	13.05.2025
5	श्री परमजीत सिंह (निदेशक/परियोजनाएं, एनसीआरटीसी)\	11009365	नामित निदेशक	13.05.2025

15.2 वित्तीय वर्ष के दौरान निम्नलिखित व्यक्ति को निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है:

क्र सं.	निदेशक का नाम	पदनाम	नियुक्ति की तिथि
1	श्री मुन्ना कुमार	नामित निदेशक	13.05.2025
2	श्री परमजीत सिंह	नामित निदेशक	13.05.2025

15.3 वित्तीय वर्ष के दौरान निम्नलिखित व्यक्ति निदेशक के पद पर नहीं रहे:

क्र सं.	निदेशक का नाम	पदनाम	नियुक्ति की तिथि	पद से कार्यमुक्ति की तारीख
1	श्री नवनीत कौशिक (निदेशक/प्रणाली एवं परिचालन, एनसीआरटीसी)\	नामित निदेशक	06.08.2020	30.06.2025

15.4 श्री मनवेन्द्र सिंह को कंपनी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में नामित किया गया है।

15.5 स्वतंत्र निदेशक:

आपका निदेशक मंडल आगे पुष्टि करता है कि 5 जुलाई 2017 को दिनांकित कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और अर्हताएँ) संशोधन नियम, 2017 के प्रावधानों के अनुसार, आपकी कंपनी के लिए किसी स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति करना आवश्यक नहीं है।

15.6 निदेशक मंडल की बैठकें और उपस्थिति:

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान आपके निदेशक मंडल की चार बैठकें हुईं तथा निदेशक मंडल की बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति का विवरण नीचे दिया गया है।

20वीं	21वीं	22वीं	23वीं
15.05.2025	12.08.2025	27.11.2025	17.03.2026

15.7 निदेशक मंडल की बैठकों में उपस्थिति:

क्र सं.	निदेशकों के नाम	निदेशक मंडल की बैठकें			अंतिम वार्षिक आम बैठक में उपस्थिति*	अन्य कंपनियों में निदेशक पदों की संख्या
		आयोजित	उपस्थित होने के हकदार	उपस्थित हुए		
1	श्री शलभ गोयल, अध्यक्ष	4	4	4	Yes	2
2	श्री महेंद्र कुमार, नामित निदेशक	4	4	4	Yes	2
3	सुश्री नमिता मेहरोत्रा, नामित निदेशक	4	4	4	Yes	3
4	श्री मुन्ना कुमार नामित निदेशक	4	4	3	Yes	2
5	श्री परमजीत सिंह नामित निदेशक	4	4	4	Yes	2
6	श्री नवनीत कौशिक नामित निदेशक	4	1	1	लागू नहीं	लागू नहीं

15.8 सामान्य बैठकों और उपस्थिति:

बैठक संख्या	दिनांक	वित्तीय वर्ष	समय	स्थल	क्या कोई विशेष संकल्प पारित किया गया है
5वीं वार्षिक आम बैठक	12.08.2025	2024-25	अपराह्न 6:00 बजे	पंजीकृत कार्यालय	नहीं
4वीं वार्षिक आम बैठक	06.09.2024	2023-24	अपराह्न 5:00 बजे	पंजीकृत कार्यालय	नहीं

15.9 निदेशक मंडल की समिति:

कंपनी की केवल एक समिति है, अर्थात् निवेश समिति। निवेश समिति के गठन, बैठकों और उपस्थित सदस्यों का विवरण नीचे दिया गया है।

क. संदर्भ की शर्तें: निवेश समिति, कंपनी की निवेश नीति के प्रावधानों के अनुसार निवेश से संबंधित मामलों की जांच करती है तथा अपनी सिफारिशें करती है।

ख. बैठकों की संख्या: वर्ष के दौरान निवेश समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं की गई।

ग. वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए निवेश समिति के सदस्यों की संरचना एवं श्रेणी तथा बैठकों में उनकी उपस्थिति का विवरण निम्नानुसार है: -

क्रम सं	निदेशकों के नाम	पदस्थिति	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	उपस्थित बैठकों की संख्या
1	श्री महेंद्र कुमार	सदस्य	शून्य	लागू नहीं
2	सुश्री नमिता मेहरोत्रा	सदस्य	शून्य	लागू नहीं
3	श्री परमजीत सिंह	सदस्य	शून्य	लागू नहीं

16. जोखिम प्रबंधन:

कंपनी के निरंतर चालू रहने को प्रभावित करने वाला कोई जोखिम तत्व नहीं है।

17. संबंधित पक्षकारों के साथ लेन-देन:

कंपनी द्वारा संबंधित पक्षकार के साथ की गई संविदा(ओं) या व्यवस्था(ओं) का विवरण इस निदेशक मंडल की रिपोर्ट के साथ संलग्न **प्ररूप एओसी-2** में दिया गया है।

18. ऋण, प्रत्याभूति या निवेश का विवरण:

विचाराधीन वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के अंतर्गत कोई ऋण, प्रत्याभूति या निवेश नहीं किया गया है और अतः उक्त प्रावधान लागू नहीं होता है।

19. ऋणग्रस्तता:

विचाराधीन वर्ष के दौरान कंपनी पर कोई ऋणग्रस्तता नहीं है।

20. महत्वपूर्ण परिवर्तन और प्रतिबद्धताएँ:

उस वित्तीय वर्ष, जिससे वित्तीय विवरण संबंधित हैं, की समाप्ति और इस रिपोर्ट की तारीख के बीच कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाला कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन या प्रतिबद्धता नहीं हुई है।

21. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005:

विचाराधीन वर्ष के दौरान आपकी कंपनी को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने के लिए कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, कंपनी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक प्रणालियाँ स्थापित कर दी हैं।

क). आरटीआई अधिनियम, 2005 की आवश्यकताओं के अनुसार, अपीलीय प्राधिकारी और लोक सूचना अधिकारी के नाम सहित आवश्यक अद्यतन जानकारी कंपनी की वेबसाइट पर प्रदर्शित की गई है।

ख). सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के निपटान के लिए कंपनी में एक निर्धारित तंत्र स्थापित है। आरटीआई अधिनियम के कार्यान्वयन की देखरेख के लिए विभागाध्यक्ष स्तर

के एक अधिकारी को प्रथम अपीलीय प्राधिकारी (एफएए) तथा उप-विभागाध्यक्ष स्तर के अधिकारियों को केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) के रूप में नामित किया गया है।

वर्ष के दौरान, आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत शून्य आवेदन प्राप्त हुए।

22. कंपनी निम्नलिखित की पुष्टि करती है:

क. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 के अनुसार कोई भी निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए अयोग्य नहीं है।

ख. निगम द्वारा विभेदक मताधिकार वाले कोई इक्विटी शेयर, स्वेट इक्विटी शेयर तथा कर्मचारी शेयर विकल्प योजना जारी नहीं की गई है।

ग. वर्ष के दौरान किसी भी सांविधिक लेखापरीक्षक ने त्यागपत्र नहीं दिया है।

घ. किसी भी निदेशक के किसी संबंधी को लाभ के पद पर नियुक्त नहीं किया गया है।

ङ. कंपनी अधिनियम, 2013 के अध्याय V के अंतर्गत आने वाली कोई जमाराशि नहीं रही है।

च. कारोबार की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

छ. वित्तीय विवरण भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लागू भारतीय लेखांकन मानकों के अनुसार कंपनी द्वारा तैयार किए गए हैं तथा उनसे संबंधित लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के साथ ये वित्तीय विवरण वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा हैं।

ज. कंपनी के पास ऐसी कोई राशि नहीं थी, जिसे निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में अंतरित किया जाना आवश्यक हो।

झ. निदेशक मंडल की बैठकों और सामान्य बैठकों से संबंधित भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई) द्वारा जारी लागू सचिवीय मानकों, जिनमें एसएस-1 और एसएस-2 क्रमशः शामिल हैं, का कंपनी द्वारा विधिवत अनुपालन किया गया है।

ञ. स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार, लेखापरीक्षकों द्वारा कंपनी अधिनियम की धारा 143(12) के अंतर्गत रिपोर्ट किए गए कपट के संबंध में, केंद्रीय सरकार को रिपोर्ट किए जाने वाले कपट के अतिरिक्त, ऐसी कोई कपट रिपोर्ट नहीं है।

ट. इस अवधि के दौरान किसी भी सांविधिक प्राधिकारी द्वारा कंपनी पर अनुपालन न करने के संबंध में कोई कार्रवाई, दंड या प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की गई है।

ठ. कंपनी (लेखे) नियम, 2014 के नियम 8(5)(xi) के अंतर्गत प्रकटीकरण: वर्ष के दौरान दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के अंतर्गत कोई आवेदन नहीं किया गया है और न ही कोई कार्यवाही लंबित है तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर उसकी स्थिति शून्य है।

ड. कंपनी (अकाउंट्स) नियम, 2014 के नियम 8(5)(xii) के तहत खुलासा: वन-टाइम सेटलमेंट के समय किए गए मूल्यांकन और बैंकों या वित्तीय संस्थानों से लोन लेते समय किए गए मूल्यांकन की राशि के बीच कोई अंतर नहीं है।

ढ. लेखापरीक्षा समिति एवं पारिश्रमिक समिति से संबंधित प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

23. विनियामकों द्वारा पारित महत्वपूर्ण और सारवान आदेश:

प्राधिकारियों द्वारा ऐसा कोई प्रतिकूल आदेश पारित नहीं किया गया है, जो कंपनी की निरंतर चालू रहने की स्थिति तथा भविष्य में कंपनी के परिचालन को प्रभावित करता हो।

24. वार्षिक विवरणी:

कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार, कंपनी की वार्षिक विवरणी https://netraindia.in/ या https://www.ncrtc.in/reports/पर उपलब्ध है।

25. राजभाषा:

विचाराधीन वर्ष के दौरान, कंपनी द्वारा राजभाषा (रा.भा) नीति के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न कदम उठाए गए।

26. सतर्कता:

विचाराधीन वर्ष के दौरान, 31 मार्च 2026 तक कोई सतर्कता मामला लंबित नहीं है।

27. शेयरधारकों के लिए सूचना:

कंपनी के वित्तीय विवरण और उनसे संबंधित विस्तृत जानकारी कंपनी के हितधारकों के लिए उपलब्ध है। ऐसी

किसी भी जानकारी की आवश्यकता रखने वाला कोई भी हितधारक, किसी भी समय, कार्य दिवस में कार्यालय समय के दौरान कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में उसका निरीक्षण कर सकता है।

28. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और उनकी पर्याप्तता:

कंपनी में उपयुक्त निगरानी व्यवस्था तथा सांविधिक विधियों, विनियमों और कंपनी की नीतियों का अनुपालन सुनिश्चित करने सहित पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रणाली विद्यमान है।

29. लागत अभिलेखों का रख-रखाव:

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 की उपधारा (1) के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट लागत अभिलेखों का रख-रखाव कंपनी के लिए आवश्यक नहीं है।

30. आभार:

आपके निदेशक, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड (धारक कंपनी), बैंकरों, सांविधिक लेखापरीक्षकों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएंडएजी) तथा अन्य हितधारकों द्वारा कंपनी को प्रदान किए गए सहयोग और मार्गदर्शन के लिए अपना आभार अभिलिखित करते हैं।

आपके निदेशक, कंपनी की प्रगति में मुख्य कार्यपालक अधिकारी तथा कंपनी के सभी कर्मचारियों, जिनमें अंशकालिक कर्मचारी भी शामिल हैं, द्वारा किए गए प्रयासों, उनके समर्पण, प्रतिबद्धता और योगदान के लिए अपनी सराहना व्यक्त करते हैं।

31. संलग्नक:

विवरण	अनुलग्नक
प्ररूप एओसी-2	I
31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षक की रिपोर्ट और स्वतंत्र वित्तीय विवरण	-

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से
एनसीआरटीसी एक्सप्रेस ट्रांजिट लिमिटेड

हस्ता./-
महेंद्र कुमार
निदेशक
डीआईएन: 07093637

हस्ता./-
नमिता मेहरोत्रा
निदेशक
डीआईएन: 07916304

दिनांक: 01.07.2026
स्थान: नई दिल्ली



दिल्ली-मेरठ नमो भारत कॉरिडोर पर 8000 वाहनों की पार्किंग सुविधा द्वारा एनसीआरटीसी दे रहा सार्वजनिक परिवहन के प्रयोग को बढ़ावा

अनुलग्नक I

फॉर्म संख्या एओसी-2

31 मार्च 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

[अधिनियम की धारा 134 की उपधारा (3) के खंड (एच) तथा कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8(2) के अनुसरण में]

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 की उपधारा (1) में उल्लिखित संबंधित पक्षों के साथ कंपनी द्वारा की गई संविदाओं/व्यवस्थाओं का विवरण प्रकट करने संबंधी प्ररूप, जिसमें 31 मार्च 2026 की स्थिति के अनुसार उक्त धारा के तीसरे परंतुक के अंतर्गत आने वाले कुछ समदूरी (आर्म्स लेंथ) के लेन-देन भी शामिल हैं।

1. समदूरी (आर्म्स लेंथ) के आधार पर न की गई संविदाओं या व्यवस्थाओं अथवा लेन-देन का विवरण

समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी द्वारा किसी भी संबंधित पक्ष के साथ निष्पक्षता (आर्म्स लेंथ) के आधार पर न की गई कोई संविदा, व्यवस्था अथवा लेन-देन नहीं किया गया।

2. समदूरी (आर्म्स लेंथ) के आधार पर की गई महत्वपूर्ण संविदाओं या व्यवस्थाओं अथवा लेन-देन का विवरण

(क) संबंधित पक्ष का/के नाम तथा संबंध की प्रकृति	(ख) अनुबंधों / व्यवस्था/ लेनदेन की प्रकृति	(ग) अनुबंधों/ व्यवस्थाओं/ लेन-देन की अवधि	(घ) संविदाओं या व्यवस्थाओं अथवा लेन-देन की प्रमुख शर्तें, जिसमें, यदि कोई हो, उसका मूल्य भी शामिल है	(ङ) निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदन की तारीख, यदि कोई हो	(च) भुगतान की गई अग्रिम राशि, यदि कोई हो (₹ में)
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड (होल्डिंग कंपनी)	परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता (पीएमसी) करार	3 वर्ष की अवधि के लिए अर्थात [02.03.2023 से 01.03.2026 तक], जिसे आगे [02.03.2026 से 01.03.2029 तक] बढ़ाया गया है	एनईटीआरए (NETRA) द्वारा की गई गतिविधियों के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श शुल्क का भुगतान एनसीआरटीसी द्वारा ओ एंड एम ऑपरेटर को देय राशि के 6% की दर से किया जा रहा है। कंपनी को वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान पीएमसी शुल्क के तौर पर ₹735.04 लाख (जीएसटी को छोड़कर) प्राप्त हुआ है।	लागू नहीं	एनसीआरटीसी से 1.80 करोड़ रुपये की मोबिलाइजेशन अग्रिम राशि प्राप्त हुई, जिसमें से ₹1.74 करोड़ मार्च 2026 तक वापस कर दिए गए हैं।
	कार्यालय स्थल को पट्टे पर लेने के लिए एनसीआरटीसी के साथ पट्टा समझौता	01.08.2024 से 30.06.2025 तथा 01.07.2025 से 31.05.2026 तक	वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान कार्यालय का किराया ₹ 2.30 लाख (करों को छोड़कर)	लागू नहीं	शून्य
	नेत्रा की ओर से एनसीआरटीसी द्वारा किए गए अन्य व्यय	01.04.2025 से 31.03.2026 तक	वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान ₹ 135.88 लाख (जीएसटी को छोड़कर) के व्यय (दौरा, वेतन, मुद्रण एवं स्टेशनरी तथा ईआरपी)	लागू नहीं	शून्य

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

एनसीआरटीसी एक्सप्रेस ट्रांजिट लिमिटेड

हस्ता./-
महेंद्र कुमार
निदेशक
डीआईएन: 07093637

हस्ता./-
नमिता मेहरोत्रा
निदेशक
डीआईएन: 07916304

दिनांक: 01.07.2026
स्थान: नई दिल्ली

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

सेवा में

एनसीआरटीसी एक्सप्रेस ट्रांजिट लिमिटेड के सदस्य
नई दिल्ली

स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा रिपोर्ट

अभिमत

हमने एनसीआरटीसी एक्सप्रेस ट्रांजिट लिमिटेड ("कंपनी") के स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों का लेखापरीक्षा किया है, जिसमें 31 मार्च 2026 को उस तारीख को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए तुलन पत्र, लाभ और हानि का विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), इक्विटी में परिवर्तन का विवरण और नकदी प्रवाह का विवरण शामिल है, और स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों के नोट्स जिसमें सामग्री लेखांकन नीतियों और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी का सारांश शामिल हैं।

हमारे मत में और हमारी जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के आधार पर, उपर्युक्त स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरण, कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") के तहत आवश्यक जानकारी उसी प्रकार प्रदान करता है जैसा कि अपेक्षित है और यह कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015, यथासंशोधित, (इंड एएस) के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 और भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत अन्य लेखांकन सिद्धांतों के तहत निर्धारित भारतीय लेखांकन के अनुरूप कंपनी के 31 मार्च 2026 तक की स्थिति के अनुसार और उस तारीख को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय सहित लाभ, इक्विटी में परिवर्तन और इसके नकदी प्रवाह के मामलों की स्थिति का एक सही और निष्पक्ष विवरण प्रदान करता है।

अभिमत का आधार

हमने अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखापरीक्षा मानकों (एसए) के अनुसार वित्तीय विवरणों का लेखापरीक्षा किया। इन मानकों के अंतर्गत हमारे उत्तरदायित्वों का विस्तृत विवरण हमारी रिपोर्ट के "स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक का उत्तरदायित्व " भाग में दिया गया है। हम भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी आचार संहिता और अधिनियम एवं उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के तहत इंड एएस वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा से संबंधित स्वतंत्रता आवश्यकताओं के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र हैं, और हमने इन आवश्यकताओं तथा आईसीएआई की आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक उत्तरदायित्वों का भी निर्वाह किया है। हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य इंड एएस वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखापरीक्षा अभिमत के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले वे मामले हैं जो हमारे पेशेवर निर्णय के अनुसार, वर्तमान अवधि के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे। इन मामलों पर हमारेस्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की समग्र लेखापरीक्षा के संदर्भ में विचार किया गया था और इन पर अपना मत बनाते समय इनका ध्यान रखा गया था, इसलिए हम इन मामलों पर अलग से कोई मत नहीं देते हैं।

क्र.सं.	प्रमुख लेखापरीक्षा मामला	लेखा परीक्षक की प्रतिक्रिया
	शून्य	शून्य

स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों और उन पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के अतिरिक्त अन्य जानकारी

कंपनी के निदेशक मंडल को अन्य जानकारी तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अन्य जानकारी में बोर्ड की रिपोर्ट में शामिल जानकारी, जिसमें बोर्ड की रिपोर्ट के अनुलग्नक और कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट शामिल हैं, लेकिन इसमें स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरण और उस पर हमारी लेखा परीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है, जिसके इस लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की तारीख के बाद हमें उपलब्ध कराए जाने की उम्मीद है।

स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों पर हमारे अभिमत में अन्य जानकारी शामिल नहीं है और हम उस पर किसी भी प्रकार का आश्वासन निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते हैं।

स्टैंडअलोन इंड एएस के वित्तीय विवरणों के हमारे लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी है कि हम अन्य जानकारी को पढ़ें और ऐसा करते समय, इस बात पर विचार करें कि क्या अन्य जानकारी स्टैंडअलोन इंड एएस के वित्तीय विवरणों या हमारे लेखापरीक्षा के दौरान प्राप्त ज्ञान के साथ किस हद तक असंगत है या अन्यथा किस हद तक गलत बताई गई प्रतीत होती है।

यदि हमारे द्वारा किए गए कार्य के आधार पर हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इस अन्य जानकारी में कोई महत्वपूर्ण गलत बयानी है, तो हमें उस तथ्य की रिपोर्ट करने की आवश्यकता है। इस संबंध में हमारे पास रिपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है।

मामले पर जोर

हम वित्तीय विवरणों के नोट शून्य की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, जिसमें कंपनी की सुविधाओं में शून्य के प्रभावों का वर्णन किया गया है। इस मामले के संबंध में हमारे अभिमत में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

कंपनी के निदेशक मंडल अधिनियम की धारा 134(5) में उल्लिखित मामलों के लिए उत्तरदायी है, जो कि इन स्टैंडअलोन इंड एएस के वित्तीय विवरणों की तैयारी से संबंधित हैं, जो कंपनी की वित्तीय स्थिति, अन्य व्यापक आय सहित वित्तीय प्रदर्शन, इक्विटी में परिवर्तन और नकदी प्रवाह का सही और निष्पक्ष विवरण प्रस्तुत करते हैं, जो भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) और भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत अन्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार हैं, जिनमें कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015, यथासंशोधित के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के तहत विनिर्दिष्ट भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) शामिल हैं।

इस उत्तरदायित्व में कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं की रोकथाम एवं उसका पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा अभिलेखों का रखरखाव; उपयुक्त लेखा नीतियों का चयन एवं अनुप्रयोग; उचित एवं विवेकपूर्ण निर्णय एवं अनुमान लगाना; तथा पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का निर्माण, कार्यान्वयन एवं रखरखाव शामिल है, जो वित्तीय विवरणों की तैयारी एवं प्रस्तुति से संबंधित लेखा अभिलेखों की सटीकता एवं पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से कार्य कर रहे हों, ताकि वित्तीय विवरणों का सही और सटीक रूप प्रस्तुत हो और वे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हुई किसी भी प्रकार की महत्वपूर्ण गलत बयानों से मुक्त हों।

वित्तीय विवरण तैयार करते समय, प्रबंधन कंपनी की निरंतर संचालन क्षमता का आकलन करने, लागू होने पर संचालन से संबंधित मामलों का खुलासा करने और संचालन के आधार पर लेखांकन करने के लिए उत्तरदायी है, जब तक कि प्रबंधन कंपनी को परिसमाप्त करने या संचालन बंद करने का उद्देश्य न रखता हो, या उसके पास ऐसा करने के अलावा कोई व्यावहारिक विकल्प न हो।

निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए उत्तरदायी हैं।

वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक का उत्तरदायित्व

हमारा उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि स्टैंडअलोन इंड एएस के वित्तीय विवरण समग्र रूप से धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण किसी भी प्रकार की महत्वपूर्ण गलत बयानों से मुक्त हैं, और एक लेखापरीक्षा रिपोर्ट जारी करना है जिसमें हमारा अभिमत शामिल हो। उचित आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि एसए के अनुसार की गई लेखापरीक्षा में हमेशा महत्वपूर्ण गलत बयानों का पता लग जाएगा। गलत बयान धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो सकती हैं और इन्हें महत्वपूर्ण माना जाता है यदि, व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से, उपयोगकर्ताओं द्वारा इन वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए आर्थिक निर्णयों पर उचित रूप से प्रभाव पड़ने की उम्मीद है।

एसए के अनुसार लेखापरीक्षा के भाग के रूप में, हम पूरे लेखापरीक्षा के दौरान पेशेवर विवेक का प्रयोग करते हैं और पेशेवर संशय बनाए रखते हैं। हम निम्नलिखित का भी ध्यान रखते हैं:

- वित्तीय विवरणों में धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण होने वाली महत्वपूर्ण गलत बयानों के जोखिमों की पहचान और मूल्यांकन करना, उन जोखिमों के अनुरूप लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को तैयार करना और उनका निष्पादन करना, तथा हमारे अभिमत का आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करना। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप होने वाली महत्वपूर्ण गलत बयानों का पता न लगा पाने की जोखिम त्रुटि के परिणामस्वरूप होने वाली जोखिम की तुलना में अधिक होती है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, मिथ्या प्रस्तुति या आंतरिक नियंत्रण काउल्लंघन शामिल हो सकता है।
- लेखापरीक्षा से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना ताकि परिस्थितियों के अनुरूप उपयुक्त लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं तैयार की जा सकें। अधिनियम की धारा 143(3)(i) के तहत, कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली मौजूद है या नहीं और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता पर अपना मत व्यक्त करना भी

हमारा उत्तरदायित्व है।

- प्रबंधन द्वारा अपनाई गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और लेखांकन अनुमानों तथा संबंधित खुलासों की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करना।
- लेखापरीक्षा प्रणाली के प्रबंधन द्वारा उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकालना और प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्यों के आधार पर यह निर्धारित करना कि क्या ऐसी कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद है जो उन घटनाओं या स्थितियों से संबंधित है जिनसे कंपनी की निरंतर संचालन क्षमता पर गंभीर संदेह उत्पन्न हो सकता है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों में संबंधित खुलासों की ओर ध्यान आकर्षित करना होगा या, यदि ऐसे खुलासे अपर्याप्त हैं, तो अपने अभिमत में संशोधन करना होगा। हमारे निष्कर्ष हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्यों पर आधारित हैं। हालांकि, भविष्य की घटनाओं या स्थितियों के कारण कंपनी को निरंतर संचालन बंद करना पड़ सकता है।
- वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन करना, जिसमें खुलासे भी शामिल हैं, और यह भी देखना कि क्या स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरण ने अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं को इस प्रकार से प्रस्तुत किया है जिससे निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त हो सके।

वित्तीय विवरणों में गलत बयानों का परिमाण उसके प्रामुख्य पर आधारित है जो, व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से, यह संभव बनाता है कि वित्तीय विवरणों के बारे में पर्याप्त जानकारी रखने वाले उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हम मात्रात्मक महत्व और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं।

(i) हमारे लेखापरीक्षा कार्य के दायरे की योजना बनाना और हमारे कार्य के परिणामों का मूल्यांकन करना; और

(ii) स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों में पहचानी गई किसी भी गलत बयानों के प्रभाव का मूल्यांकन करना।

हम लेखापरीक्षा के नियोजित दायरे और समय-सीमा के साथ-साथ महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों, जिनमें आंतरिक नियंत्रण में पाई जाने वाली कोई भी महत्वपूर्ण कमियां शामिल हैं, के संबंध में प्रशासन के प्रभारियों के साथ बातचीत की है।

हम प्रशासन के प्रभारियों को यह बयान भी प्रदान करते हैं कि हमने स्वतंत्रता से संबंधित प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है, और उनके साथ उन सभी संबंधों और अन्य मामलों के बारे में बताया है जिन्हें हमारी स्वतंत्रता पर उचित रूप से प्रभाव डालने वाला माना जा सकता है, और जहां लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपायों के बारे में भी जानकारी दी है।

प्रशासन के प्रभारियों से हुई बातचीत के आधार पर, हम उन मामलों का निर्धारण करते हैं जो वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों के लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे और इसलिए वे मुख्य लेखापरीक्षा मामले हैं। हम इन मामलों का वर्णन अपनी लेखापरीक्षक रिपोर्ट में करते हैं, जब तक कि कानून या नियम किसी मामले के सार्वजनिक प्रकटीकरण को प्रतिबंधित न करें या जब, अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करें कि किसी मामले को हमारी रिपोर्ट में शामिल नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के प्रतिकूल परिणाम, सार्वजनिक हित में ऐसे प्रकटीकरण के लाभों से कहीं अधिक गंभीर होंगे।

अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. भारत सरकार द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उपधारा (11) के तहत जारी कंपनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 ("आदेश") के अनुसार, हम अनुलग्नक क में आदेश के अनुच्छेद 3 और 4 में विनिर्दिष्ट मामलों पर विवरण प्रदान करते हैं।

2. अधिनियम की धारा 143(3) के अनुसार, हमारे लेखापरीक्षा के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं कि:

क) हमने अपने लेखापरीक्षा के उद्देश्यों के लिए आवश्यक सभी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं, जो हमारे ज्ञान और विश्वास के अनुसार आवश्यक थे;

ख) हमारे मत में, कंपनी द्वारा कानून के अनुसार अपेक्षित उचित लेखा-पुस्तकों का रखरखाव किया गया है, जैसा कि उन पुस्तकों की हमारी जांच से प्रतीत होता है;

ग) इस रिपोर्ट में वर्णित तुलन पत्र, अन्य व्यापक आय सहित लाभ और हानि विवरण, इक्विटी में परिवर्तन का विवरण और नकदी प्रवाह का विवरण संबंधित लेखा पुस्तकों के अनुरूप हैं;

घ) हमारे मत में, उपर्युक्त स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरण कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के तहत विनिर्दिष्ट इंड एएस का अनुपालन करते हैं।

ङ) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164(2) के प्रावधान

लागू नहीं होंगे क्योंकि कंपनी एक सरकारी कंपनी है।

च) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता के संबंध में जानकारी के लिए हमारी पृथक रिपोर्ट "अनुलग्नक ख" में देखें।

छ) भारत सरकार के कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जीएसआर 463 (ई) दिनांक 5 जून 2015 के अनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 सरकारी कंपनियों पर लागू नहीं होती है।

ज) कंपनी (लेखापरीक्षा एवं लेखा परीक्षक) नियम, 2014, यथासंशोधित के नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारे अभिमत में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार:

i. कंपनी के विरुद्ध कोई भी ऐसा मुकदमा लंबित नहीं है जो उसकी वित्तीय स्थिति को प्रभावित करे।

ii. कंपनी के पास व्युत्पन्न संविदाएं सहित कोई भी दीर्घकालिक संविदा नहीं थी, जिनके लिए कोई भी महत्वपूर्ण संभावित नुकसान हो सकता था।

iii. कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष में कोई भी राशि अंतरित करने की आवश्यकता नहीं थी।

iv. (क) प्रबंधन ने यह दर्शाया है कि, अपनी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, कंपनी द्वारा किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को (चाहे उधार ली गई धनराशि या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य प्रकार की धनराशि से) कोई धनराशि अग्रिम या उधार या निवेश नहीं की गई है, जिसमें विदेशी संस्था ("मध्यवर्ती संस्थाएं") भी शामिल है, इस समझ के साथ कि मध्यस्थ संस्थाएं, चाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, कंपनी द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं ("अंतिम लाभार्थियों") को उधार या निवेश करेगा या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसप्रकार का कुछ भी प्रदान करेगा।

(ख) प्रबंधन ने यह दर्शाया है कि, अपनी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, कंपनी को किसी भी व्यक्ति या संस्था से कोई धनराशि प्राप्त नहीं हुआ है, जिसमें विदेशी संस्था ("वित्तपोषण पक्ष") भी शामिल है, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, कि कंपनी, चाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, वित्तपोषण पक्ष (अंतिम लाभार्थियों) द्वारा या उनकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को ऋण देगी या उनमें निवेश करेगी या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसप्रकार का कुछ भी प्रदान करेगी।

(ग) इन परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त समझी गई लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें यह विश्वास हो कि नियम 11(ङ) के उपखंड (i) और (ii) के अंतर्गत दिए गए निरूपणों में, जैसा कि ऊपर (क) और (ख) में बताया गया है, कोई महत्वपूर्ण गलत बयान शामिल है।

v. कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान कोई लाभांश घोषित नहीं किया गया है, इसलिए कंपनी को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 123 का अनुपालन करने की आवश्यकता नहीं है।

vi. कंपनी ने अपने लेखा-पुस्तकों के रखरखाव के लिए मूल कंपनी के लेखांकन सॉफ़्टवेयर का उपयोग किया है, जिसमें लेखापरीक्षा ट्रेल (एडिट लॉग) की सुविधा है और इस सॉफ़्टवेयर में दर्ज सभी लेन-देन के लिए पूरे वर्ष इसका उपयोग किया गया है और लेखापरीक्षा ट्रेल सुविधा के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है और कंपनी द्वारा अभिलेखों को सुरक्षित रखने के वैधानिक नियमों के अनुसार लेखापरीक्षा ट्रेल को संरक्षित किया गया है।

3. अधिनियम की धारा 143(5) के अनुसार और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

क्र सं.	निर्देश	निर्देशों पर की गई कार्रवाई पर लेखा परीक्षक का उत्तर	वित्तीय विवरण पर प्रभाव
1	कंपनी द्वारा प्रत्यक्ष रूप से या ट्रस्टों के माध्यम से कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के बाद के लाभों के लिए किए गए सभी निवेशों, सूचीबद्ध और गैर-सूचीबद्ध दोनों के उचित मूल्यांकन का आकलन करें। इसमें मूल्यांकन पद्धतियों का सत्यापन, औद्योगिक मानक एवं सेवा मानक (इंड एएस) के साथ निरंतरता सुनिश्चित करना और सहायक दस्तावेजों की समीक्षा करना शामिल है। लेखा परीक्षक मूल्यांकन दृष्टिकोण, इसकी तर्कसंगतता और लागू विनियमों के अनुपालन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी प्रदान करेगा और किसी भी महत्वपूर्ण विचलन या गलत बयान की रिपोर्ट करेगा।	कंपनी ने कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के बाद के लाभों के लिए कोई निवेश नहीं किया है। इन सभी प्रावधानों का ध्यान मूल कंपनी मेसर्स एनसीआरटीसी लिमिटेड द्वारा रखा जाता है।	शून्य
2	क्या कंपनी के पास सभी लेखांकन लेनदेन को आईटी प्रणाली के माध्यम से संसाधित करने की व्यवस्था है? यदि हां, तो क्या इस प्रणाली और कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया के साथ-साथ साइबर सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण नियंत्रणों की समीक्षा की गई है और यदि कोई महत्वपूर्ण विसंगतियां पाई गई हैं, तो क्या उनकी उचित रिपोर्टिंग की गई है? आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने से खातों की सत्यनिष्ठा पर पड़ने वाले प्रभावों के साथ-साथ वित्तीय प्रभावों की भी रिपोर्ट की जा सकती है।	एनईटीआरए अपनी मूल कंपनी (एनसीआरटीसी लिमिटेड) के लेखांकन सॉफ़्टवेयर, यानी एसएपीएस4 एचएएनए का उपयोग कर रही है। एनईटीआरए ने सुनिश्चित किया है कि एनसीआरटीसीद्वारा इस प्रणाली और कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया के साथ-साथ साइबर सुरक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण नियंत्रणों की समीक्षा की गई है। वर्ष के दौरान कोई महत्वपूर्ण विसंगति नहीं पाई गई है।	शून्य
3	क्या केंद्र/राज्य सरकार या उसकी एजेंसियों सेविशिष्ट स्कीमों के लिए प्राप्त/प्राप्य निधियों (अनुदान/सब्सिडी आदि) का लेखा-जोखा लागू लेखा मानकों या नियमों के अनुसार उचित रूप से किया गया था और क्या प्राप्त निधियों का उपयोग उनकी नियमों एवं शर्तों के अनुसार किया गया था? क्या प्राप्त अनुदानों पर अर्जित ब्याज का लेखा-जोखा अनुदान की नियमों एवं शर्तों के अनुसार किया गया है? विचलन के मामलों की सूची बनाएं।	कंपनी को केंद्र/राज्य सरकार या उसकी एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए कोई धनराशि (अनुदान/सब्सिडी आदि) प्राप्त नहीं हुई है।	शून्य
4	क्या कंपनी ने प्रमुख जोखिम क्षेत्रों की पहचान कर ली है? यदि हां, तो क्या कंपनी ने इन जोखिमों को कम करने के लिए कोई जोखिम प्रबंधन नीति बनाई है? यदि हां, तो (क) क्या जोखिम प्रबंधन नीति वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है? (ख) क्या कंपनी ने अपनी डेटा परिसंपत्तियों की पहचान कर ली है और क्या उनका उचित मूल्यांकन किया गया है?	मूल कंपनी की एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी के तहत कंपनी के सभी जोखिमों का ध्यान रखा जाता है।	शून्य

क्र सं.	निर्देश	निर्देशों पर की गई कार्रवाई पर लेखा परीक्षक का उत्तर	वित्तीय विवरण पर प्रभाव
5	क्या कंपनी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 और सेबी, निवेश और सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, सार्वजनिक उद्यम विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण, सीईआरटी-आईएन, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के अन्य लागू नियमों और विनियमों का अनुपालन कर रही है? यदि नहीं, तो विचलन के मामलों को उजागर किया जा सकता है।	कंपनी ने सभी लागू दिशानिर्देशों का अनुपालन किया है।	शून्य

कृते मनोज वेद एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएन: 0017729एन

हस्ता./-
(सीए मनोज कुमार गुप्ता)
प्रोप्राइटर एम. सं. 095689
यूडीआईएन:26095689एचपीजीएलएनके3503

दिनांक: 01.07.2026
स्थान: दिल्ली



तीव्र, सुरक्षित, आरामदायक और समावेशी क्षेत्रीय यात्रा के प्रतीक के रूप में उभर रही नमो भारत ट्रेन

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक 'क'

जैसा कि 31 मार्च,2026 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों पर **एनसीआरटीसी एक्सप्रेस ट्रांजिट लिमिटेड** के सदस्यों को हमारी स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की इस तारीख तक की रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

1. क) (ए) कंपनी ने संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की मात्रात्मक विवरण और स्थिति सहित पूर्ण विवरण दर्शाने वाले रिकॉर्ड बनाए रखे हैं।

   (बी) वर्तमान में कंपनी के पास कोई अमूर्त संपत्ति नहीं है।

   ख) कंपनी नीति के अनुसार आधिकारिक उपयोग के लिए कर्मचारियों के पास रखी गई अचल परिसंपत्तियों को छोड़कर, संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का प्रबंधन द्वारा वर्ष के दौरान भौतिक रूप से सत्यापन किया गया है। आधिकारिक उपयोग के लिए कर्मचारियों के पास रखी गई परिसंपत्तियों के लिए, प्रबंधन द्वारा सूचित किया गया है कि संबंधित कर्मचारी परिसंपत्ति के रखरखाव, अनुरक्षण और सुरक्षित अभिरक्षा के लिए और यदि यह कार्यशील स्थिति में नहीं है तो रिपोर्ट करने के लिए उत्तरदायी है। रिपोर्टिंग अवधि के दौरान कर्मचारी द्वारा कोई विसंगति नहीं बताई गई है। हमारा अभिमत है कि इसके कार्य की प्रकृति को देखते हुए सत्यापन की आवृत्ति उचित है। ऐसे सत्यापन के दौरान कोई महत्वपूर्ण विसंगति नहीं देखी गई है।

   ग) हमारा अभिमत और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के अभिलेखों की जांच के आधार पर, कंपनी के पास कोई अचल संपत्ति नहीं है।

   घ) हमारा अभिमत और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (उपयोग के अधिकार वाली संपत्ति सहित) या अमूर्त संपत्ति या दोनों का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है।

   ङ) हमारा अभिमत और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी के विरुद्ध बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 और उसके आधार पर बनाए गए नियमों के तहत किसी भी बेनामी संपत्ति रखने के लिए कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है या लंबित नहीं है।

2. क) कंपनी के पास कोई इन्वेंट्री नहीं है, इसलिए प्रबंधन द्वारा इन्वेंट्री का भौतिक सत्यापन लागू नहीं होता है।

   ख) कंपनी को वर्तमान परिसंपत्तियों की सुरक्षा के आधार पर बैंकों से कुल मिलाकर पांच करोड़ रुपये से अधिक की कार्यशील पूंजीगत सीमाएं स्वीकृत नहीं की गई है।

3. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता भागीदारी या किसी अन्य पक्ष को ऋण, जमानती या गैर-जमानती प्रकृति का कोई निवेश नहीं किया है, कोई गारंटी या सुरक्षा प्रदान नहीं की है या कोई ऋण या अग्रिम नहीं दिया है। तदनुसार, अनुच्छेद 3 (iii) कंपनी पर लागू नहीं होता है।

4. हमारा अभिमत और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी के पास कंपनी अधिनियम की धारा 185 और 186 में उल्लिखित कोई ऋण, निवेश, गारंटी और जमानत नहीं है।

5. हमारा अभिमत और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने धारा 73 से 76 के प्रावधानों या अधिनियम के किसी अन्य प्रासंगिक प्रावधानों और उसके आधार पर बनाए गए नियमों के अनुसार जनता से कोई जमा स्वीकार नहीं किया है और कोई धनराशि जमा नहीं मानी गई है। तदनुसार आदेश का अनुच्छेद 3 (v) कंपनी पर लागू नहीं होता है।

6. जैसा कि हमें सूचित किया गया है, केंद्र सरकार ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 की उप-धारा(1) के तहत कंपनी द्वारा की जाने वाली गतिविधियों के संबंध में लागत अभिलेखों के रखरखाव को निर्धारित नहीं किया है।

7. क) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी सामान्य रूप से आयकर, माल और सेवा कर, बिक्री कर, संपत्ति कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर, उपकर और कंपनी पर लागू अन्य वैधानिक देयताओं सहित उचित अधिकारियों

के पास निर्विवाद वैधानिक देय राशि जमा करने में नियमित है और 31 मार्च 2026 को देय होने की तारीख से छह महीने से अधिक की अवधि के लिए कोई निर्विवाद वैधानिक देय राशि बकाया नहीं है।

7. ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, उप-खंड (क) में उल्लिखित कोई भी वैधानिक बकाया राशि विवाद के कारण जमा नहीं की गई है। हालांकि, आयकर, बिक्री कर, सेवा कर, मूल्य वर्धित कर, माल और सेवा कर और अन्य वैधानिक बकाया की निम्नलिखित विवादित मांगों को जमा नहीं किया गया है:

संविधि का नाम	बकाया राशि की प्रकृति	राशि (₹ लाख में)	जिस अवधि से राशि संबंधित है	फोरम जहां विवाद लंबित है
		शून्य		

8. हमारा अभिमत और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने लेखा पुस्तकों में ऐसा कोई लेनदेन दर्ज नहीं किया है जिसे आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कर निर्धारण में वर्ष के दौरान आय के रूप में समर्पित या प्रकट किया गया है।

9. हमारा अभिमत और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने कोई ऋण नहीं लिया है और इसलिए, ऋणों और अन्य उधारों के पुनर्भुगतान में चूक या किसी ऋणदाता को उस पर ब्याज के भुगतान का प्रश्न नहीं उठता है। कंपनी को पूर्व अवधि में अपने ग्राहक (एनसीआरटीसी लिमिटेड) से केवल अग्रिम प्राप्त हुए हैं, जिन्हें प्रदान की गई सेवाओं के विरुद्ध उचित रूप से समायोजित किया गया है। परिणामस्वरूप, कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 के खंड 3(ix) (क), (ख), (ग), (घ), (ङ) और (च) की आवश्यकता लागू नहीं होती है।

10 क) कंपनी ने वर्ष के दौरान आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव या अमुवर्ती सार्वजनिक प्रस्ताव (ऋण लिखतों सहित) के माध्यम से धनराशि नहीं जुटाया है।

ख) हमारा अभिमत और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान शेयरों या परिवर्तनीय ऋणपत्र (पूरी तरह से, आंशिक रूप से या वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय) का कोई अधिमान्य आवंटन या निजी प्लेसमेंट नहीं किया है।

11. क) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और जैसा कि प्रबंधन द्वारा दर्शाया गया है, हमें सूचित किया गया है कि वर्ष के दौरान कंपनी पर या कंपनी द्वारा धोखाधड़ी का कोई मामला नहीं किया गया है।

ख) जैसा कि उपर्युक्त xi (क) में उल्लिखित है, वर्ष के दौरान कोई धोखाधड़ी नहीं देखी गई है, कंपनी अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (12) के तहत कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम 2014 के नियम 13 के तहत निर्धारित फॉर्म एडीटी-4 में रिपोर्ट करना लागू नहीं होती।

ग) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान कोई मुखबिर शिकायतें प्राप्त नहीं हुई हैं।

12. कंपनी अधिनियम की धारा 406 के तहत निर्धारित के अनुसार निधि कंपनी नहीं है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(xii) (क), 3(xii) (ख) और 3(xii) (ग) कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

13. अभिलेखों की जांच के आधार पर हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और जैसा प्रबंधन द्वारा दर्शाया गया है, संबंधित पक्षों के साथ सभी लेनदेन लागू होने पर अधिनियम की धारा 177 और 188 के अनुपालन में हैं और लागू भारतीय लेखांकन मानकों द्वारा अपेक्षित के रूप में इंड एएस वित्तीय विवरणों में विवरण का खुलासा किया गया है।

14. कंपनी को कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 138 के अनुसार आंतरिक लेखा परीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 138 में दिए गए मानदंडों को पूरा नहीं करती है।

15. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारे द्वारा कंपनी के अभिलेखों की जांच के आधार पर, कंपनी ने निदेशकों या उनसे जुड़े व्यक्तियों के साथ गैर-नकद लेनदेन नहीं किया है। तदनुसार, अनुच्छेद 3 (xv) कंपनी पर लागू नहीं होता है।

16. कंपनी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी और मुख्य निवेश कंपनी है, इसलिए भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 45-Iएके तहत पंजीकरण

की आवश्यकता नहीं है। तदनुसार, कंपनी (ऑडिटर रिपोर्ट) आदेश 2020 के अनुच्छेद 3(xvi) (क), (ख), (ग) और (घ) की आवश्यकता लागू नहीं है

17. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारे द्वारा कंपनी के अभिलेखों की जांच के आधार पर, कंपनी ने चालू वित्तीय वर्ष और तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कोई नकदी हानि नहीं की है।

18. वर्ष के दौरान वैधानिक लेखा परीक्षकों द्वारा कोई त्यागपत्र नहीं दिया गया है।

19. वित्तीय अनुपातों, वित्तीय परिसंपत्तियों की वसूली की आयु और प्रत्याशित तिथियों और वित्तीय देनदारियों के भुगतान के आधार पर, वित्तीय विवरणों के साथ अन्य जानकारी, निदेशक मंडल के ज्ञान और प्रबंधन योजनाओं और हमारे द्वारा कंपनी के अभिलेखों की जांचके आधार पर, हमारे मत में, लेखा परीक्षा रिपोर्ट की तारीख को कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद नहीं है और कंपनी तुलन पत्रकी तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर तुलन पत्र की तारीख पर अपनी देनदारियों को पूरा करने में सक्षम है।

20. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार कोरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के प्रावधान इस वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं क्योंकि कंपनी तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान शुद्ध मूल्य या टर्नओवर या शुद्ध लाभ की निर्दिष्ट सीमा को पूरा नहीं करती है।

तदनुसार, आदेश के खंड 3(xx)(क) और 3(xx)(ख) के तहत बिना खर्च की गई राशि के अंतरण के संबंध में अनुपालन आवश्यकताओं पर रिपोर्ट करना कंपनी पर लागू नहीं होती है।

21. कंपनी को समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए यह खंड (यानी अन्य समूह कंपनियों में प्रतिकूल लेखा परीक्षकों की टिप्पणी की योग्यताएं) लागू नहीं है।

कृते मनोज वेद एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएन: 0017729एन

हस्ता./-
(सीए मनोज कुमार गुप्ता)
प्रोप्राइटर एम. सं. 095689
यूडीआईएन:26095689एचपीजीएलएनके3503

दिनांक: 01.07.2026
स्थान: दिल्ली

अनुलग्नक -'ख'

जैसा कि 31मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों पर **एनसीआरटीसी एक्सप्रेस ट्रांजिट लिमिटेड** ("कंपनी") के सदस्यों को हमारे स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में संदर्भित किया गया है।

कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (i) के तहत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

हमने 31 मार्च, 2026 को कंपनी के वित्तीय रिपोर्टिंग के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा की है, जो उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के साथ की गई है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

कंपनी के निदेशक मंडल "भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण" के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की स्थापना और रखरखाव के लिए उत्तरदायी है। इन उत्तरदायित्वों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है जो कंपनी की नीतियों के अनुपालन, अपनी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पहचान, लेखांकन अभिलेखों की सटीकता और पूर्णता, और कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत आवश्यक विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी सहित अपने व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे।

लेखापरीक्षकों का उत्तरदायित्व

हमारा उत्तरदायित्व है कि हम अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनियों के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की प्रभावशीलता पर एक अभिमत प्रस्तुत करें। हमने आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट ("मार्गदर्शन नोट") और आईसीएआई द्वारा जारी लेखापरीक्षण के मानकों के अनुसार अपनी लेखापरीक्षा की है और इसे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के तहत निर्धारित माना जाता है, जो आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा के लिए लागू है, और दोनों को भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी किया गया है। उन मानकों और मार्गदर्शन नोट की आवश्यकता है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन करें और इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने हेतु लेखापरीक्षा के लिए योजना बनाएं और उसे क्रियान्वित करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित किया गया था और उसे बनाए रखा गया था और यदि ऐसे नियंत्रण सभी महत्वपूर्ण मामलों में प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे।

हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग और उनकी परिचालन प्रभावशीलता पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाएं करना शामिल है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, यह आकलन करना कि क्या कोई महत्वपूर्ण कमी मौजूद है, और इस आकलन की गई जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन और परिचालन प्रभावशीलता की जांच और मूल्यांकन करना शामिल है। चयनित प्रक्रियाएं लेखा परीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण गलत बयानी के जोखिमों का आकलन शामिल है, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो।

हमारा मानना है कि हमें जो लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, वे वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी लेखापरीक्षा अभिमत प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जो सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाहरी उद्देश्यों के लिए स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरण तैयार करने और वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिज़ाइन की गई है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं जो:

1) रिकॉर्ड के रखरखाव से संबंधित है जो उचित विस्तार में, कंपनी की संपत्तियों के लेनदेन और निपटान को सटीक और निष्पक्ष रूप से दर्शाता है;

2) यह उचित आश्वासन प्रदान करें कि सामान्य रूप सेस्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय

विवरण तैयार करने के लिए आवश्यक रूप से लेन-देन को रिकॉर्ड किए जाते हैं, और कंपनी की प्राप्य और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों की मंज़ूरी के अनुसार किए जा रहे हैं; और

3) कंपनी की परिसंपत्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या निपटान की रोकथाम या समय पर पता लगाने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करें, जिसका वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाएँ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाएं जिसमें मिलीभगत की संभावना या अनुचित प्रबंधन के कारण नियंत्रण का अधिरोहण शामिल है, जिसके कारण त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण महत्वपूर्ण गलत बयानी हो सकती है और उनका पता नहीं चल पाता है। इसके अलावा, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान भविष्य में इस जोखिम के अधीन हैं कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण अपर्याप्त हो सकते हैं, या नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन का स्तर गिर सकता है।

अभिमत

हमारे अभिमत में, कंपनी के पास, सभी महत्वपूर्ण मामलों में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31मार्च 2026 तक प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, जो भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर आधारित है।

कृते मनोज वेद एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएन: 0017729एन

हस्ता./-
(सीए मनोज कुमार गुप्ता)
प्रोप्राइटर एम. सं. 095689
यूडीआईएन:26095689एचपीजीएलएनके3503

दिनांक: 01.07.2026
स्थान: दिल्ली



अपनी समयबद्ध यात्रा और समय की बचत से नमो भारत ने जीता यात्रियों का विश्वास, बनी यात्रा का पसंदीदा साधन

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की संशोधित रिपोर्ट

एनसीआरटीसी एक्सप्रेस ट्रांजिट लिमिटेड के सदस्यों के लिए

एनसीआरटीसी एक्सप्रेस ट्रांजिट लिमिटेड के 31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर दिनांक 01 जुलाई, 2026 की स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में संशोधन।

एनसीआरटीसी एक्सप्रेस ट्रांजिट लिमिटेड ("कंपनी"), एक सरकारी कंपनी होने से, भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (सी एंड एजी) ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) के प्रावधानों के अनुसार कंपनी का पूरक लेखापरीक्षा किया था।

पूरक लेखापरीक्षा हो जाने पर, दिनांक 01 जुलाई, 2026 की हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुलग्नक "क" के **पैरा 11 (क), (ख), (ग) और पैरा 16** के संबंध में सी एंड एजी ने कंपनी के वैधानिक लेखपरीक्षक के तौर पर की गई हमारी रिपोर्ट पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (ख) के तहत टिप्पणियां जारी की हैं।

सी एंड एजी द्वारा की गई टिप्पणियों के अनुसार, हम एतदद्वारा कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर उपर्युक्त लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुलग्नक "क" के **पैरा 11 (क), (ख), (ग) और पैरा 16** में दिनांक 01 जुलाई, 2026 की हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में परिणामी संशोधन करते हैं और उक्त खंड में आवश्यक परिवर्तन करते हैं।

कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर दिनांक 01 जुलाई, 2026 की हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के **अनुलग्नक "क" के संशोधित पैरा 11 (क), (ख), (ग) और पैरा 16** को अब निम्नानुसार पढ़ा जाएगा:-

11 क) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और जैसा कि प्रबंधन द्वारा दर्शाया गया है, हमें सूचित किया गया है कि वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी या कंपनी पर किसी भी धोखाधड़ी का मामला सामने नहीं आया है या रिपोर्ट नहीं की गई है।

ख) जैसा कि उपर्युक्त xii (क) में उल्लिखित के अनुसार वर्ष के दौरान कोई धोखाधड़ी नहीं देखी गई है या रिपोर्ट नहीं की गई है, कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम 2014 के नियम 13 के तहत निर्धारित फॉर्म एडीटी- 4 में कंपनी अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (12) के तहत रिपोर्ट लागू नहीं है।

ग) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान कोई मुखबिर शिकायतें प्राप्त नहीं हुई हैं।

16. कंपनी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी और मुख्य निवेश कंपनी नहीं है, इसलिए भारतीय रिजर्व बैंक,1934 (1934 का 2) की धारा 45- ।ए के तहत पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है। तदनुसार, कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश 2020 के अनुच्छेद 3(xvi) (क), (ख), (ग) और (घ) की आवश्यकता लागू नहीं है।

सी एंड एजी द्वारा की गई टिप्पणियों के अनुसार, हम एतदद्वारा कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर दिनांक 01 जुलाई, 2026 की हमारी स्वतंत्र लेखापरीक्षक रिपोर्ट में अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट के पैरा 3 के बिंदु 2 पर परिणामी संशोधन करते हैं और उक्त खंड में आवश्यक परिवर्तन करते हैं।

क्र सं.	कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के तहत निदेश	निदेशों पर की गई कार्रवाई पर लेखा परीक्षक का उत्तर	वित्तीय विवरण पर प्रभाव
2	क्या कंपनी के पास सभी लेखांकन लेनदेन को आईटी प्रणाली के माध्यम से संसाधित करने के लिए कोई व्यवस्था है? यदि हां, तो क्या कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया के साथ-साथ साइबर सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण इस प्रणाली और नियंत्रणों की समीक्षा, वर्ष में कम से कम एक बार की आवृत्ति पर सर्ट-इन द्वारा नियोजित सूचना सुरक्षा लेखा परीक्षा संगठनों द्वारा की गई है और यदि कोई महत्वपूर्ण विसंगतियां पाई गई हैं, तो क्या उनकी उचित रिपोर्ट की गई हैं? आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने से खातों की सत्यनिष्ठा पर पड़ने वाले प्रभावों के साथ-साथ वित्तीय प्रभावों की भी रिपोर्ट की जा सकती है।	नेत्रा अपनी मूल कंपनी (एनसीआरटीसी लिमिटेड) के लेखांकन सॉफ़्टवेयर, यानी एसएपी एस4 एचएएनए का उपयोग कर रही है। नेत्रा ने यह सुनिश्चित किया है कि इस प्रणाली की समीक्षा जो कंपनियों की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया के साथ-साथ साइबर सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, सर्ट-इन पैनलबद्ध सूचना सुरक्षा लेखा परीक्षा संगठनों द्वारा वार्षिक आधार पर एनसीआरटीसी द्वारा की गई है। वर्ष के दौरान कोई महत्वपूर्ण विसंगतियां नहीं पाई गई हैं।	शून्य

कृते मनोज वेद एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या: 0017729N

दिनांकः 24.08.2026
स्थान: दिल्ली

हस्ता./-
(सीए मनोज कुमार गुप्ता)
प्रोप्राइटर एम. सं. 095689
यूडीआईएन: 26095689TKQILR1986

अनुपालन प्रमाण पत्र

हमने 31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए **एनसीआरटीसी एक्सप्रेस ट्रांजिट लिमिटेड** के खातों का लेखा परीक्षा किया है और यह प्रमाणित करते हैं कि हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा हमें जारी किए गए सभी निर्देशों/उप-निर्देशों का अनुपालन किया है।

कृते मनोज वेद एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएन: 0017729एन

हस्ता./-
(सीए मनोज कुमार गुप्ता)
प्रोप्राइटर एम. सं. 095689
यूडीआईएन:26095689एचपीजीएलएनके3503

दिनांकः 01.07.2026
स्थान: दिल्ली



नमो भारत कर रही लगातार उत्कृष्टता का प्रदर्शन, अत्यधिक माँग, विषम मौसम परिस्थितियों तथा त्योहारों के समय भी 99.9 प्रतिशत समयबद्धता

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड

31 मार्च, 2026 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र

(₹ लाख में)

	विवरण	नोट संख्या	31 मार्च 2026 की स्थिति	31 मार्च 2025 की स्थिति
I.	**परिसम्पत्तियां**			
1	**गैर-चालू परिसम्पत्तियां**			
	(क) सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण	3	26.19	18.24
	(ख) अन्य मूर्त परिसम्पत्तियां		–	–
	(ग) आस्थगित कर परिसम्पत्तियां (नेट)	4	0.39	0.13
	(घ) वित्तीय परिसंपत्तियाँ			
	(i) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	5	7.55	11.93
			34.13	**30.30**
2	**चालू परिसम्पत्तियां**			
	(क) वित्तीय परिसंपत्तियां	6		
	(i) नकदी एवं नकदी समतुल्य	6.1	92.78	65.67
	(ii) उपर्युक्त (i) के अलावा बैंक शेष	6.2	145.00	115.00
	(iii) व्यापार प्राप्य	6.3	–	51.44
	(iv) अन्य	6.4	85.58	60.10
	(ख) चालू कर परिसम्पत्तियां (नेट)	7	17.58	22.46
	(ग) अन्य चालू परिसम्पत्तियां	8	2.78	0.84
			343.72	**315.51**
	योग परिसम्पत्तियां		**377.85**	**345.81**
II.	**इक्विटी एवं देयताएं**			
	इक्विटी			
	(क) इक्विटी शेयर पूंजी	9	100.00	100.00
	(ख) अन्य इक्विटी	10	30.06	17.40
			130.06	**117.40**
2	**देयताएं**			
(i)	गैर-चालू देयताएं			
	(क) अन्य गैर-चालू देयताएं	11	–	6.00
			–	**6.00**
(ii)	चालू देयताएं			
	(क) वित्तीय देयताएं			
	i. व्यापार प्राप्य	12	–	–
	ii. अन्य वित्तीय देयताएं	13		
	क) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग		0.35	0.27
	ख) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग के अलावा अन्य		–	0.01
	(ख) अन्य चालू देयताएं	14	247.44	222.13
			247.79	**222.41**
	योग इक्विटी एवं देयताएं		**377.85**	**345.81**

योग इक्विटी एवं देयताएं	1
महत्वपूर्ण लेखांकन नीति संबंधी सूचना	2
वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग बनने वाली टिप्पणियाँ	नोट 3 से 33

कृते मनोज वेद एंड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण संख्या 0017729N

हस्ता./-
सीए मनोज कुमार गुप्ता
साझेदार
सदस्यता संख्या. 095689
UDIN : 26095689HPGLNK3503

कृते एवं निदेशक मंडल के निमित

हस्ता./-	हस्ता./-	हस्ता./-
मनवेंद्र सिंह	**नमिता मेहरोत्रा**	**महेंद्र कुमार**
मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ)	निदेशक डीआईएन: 07916304	निदेशक डीआईएन: 07093637
BBSPS5341C		

दिनांकः 01.07.2026 स्थान: दिल्ली

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड

31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित लाभ एवं हानि विवरण

(₹ लाख में)

	विवरण	नोट संख्या.	31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए
I.	परिचालनों से राजस्व	15	735.04	590.42
II	अन्य आय	16	11.41	12.07
III	**कुल आय (I+II)**		**746.45**	**602.49**
	व्यय			
	कर्मचारी हितलाभ व्यय	17	470.00	397.83
	मूल्यह्रास एवं परिशोधन व्यय	18	6.26	2.21
	अन्य व्यय	19	253.24	186.50
IV	**योग व्यय (IV)**		**729.50**	**586.54**
V	असाधारण मदों एवं कर से पूर्व लाभ (III - IV)		**16.95**	15.95
VI	असाधरण मदें		–	–
VII	असाधारण मदों एवं कर से पूर्व लाभ (V - VI)		**16.95**	**15.95**
VIII	कर व्यय:	4		
	(1) चालू कर			
	- अवधि के लिए		4.60	3.88
	- पूर्व वर्षों के लिए (नेट)		(0.05)	(6.58)
	(2) आस्थगित कर		(0.26)	0.06
IX	**जारी परिचालनों से अवधि के लिए लाभ/(हानि)(VII-VIII)**		**12.66**	**18.59**
X	बंद किए गए परिचालनों से लाभ/(हानि)		–	–
XI	बंद किए गए परिचालनों का कर व्यय		–	–
XII	बंद किए गए परिचालनों से लाभ/(हानि) (X-XI)		–	–
XIII	**अवधि के लिए लाभ/(हानि) (IX + XII)**		**12.66**	**18.59**
XIV	**प्रति इक्विटी शेयर आय:**			
	(1) मूल (रुपये में) (अंकित मूल्य ₹100)	20	12.66	18.59
	(2) डायल्यूटिड (रुपये में) (अंकित मूल्य ₹100)		12.66	18.59

इन टिप्पणियों को इन वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग माना जाएगा।

कृते मनोज वेद एंड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण संख्या 0017729N

कृते एवं निदेशक मंडल के निमित

हस्ता./-
सीए मनोज कुमार गुप्ता
साझेदार
सदस्यता संख्या. 095689
UDIN : 26095689HPGLNK3503

हस्ता./-
मनवेंद्र सिंह
मुख्य कार्यकारी
अधिकारी (सीईओ)
BBSPS5341C

हस्ता./-
नमिता मेहरोत्रा
निदेशक
डीआईएन: 07916304

हस्ता./-
महेंद्र कुमार
निदेशक
डीआईएन: 07093637

दिनांकः 01.07.2026
स्थान : नई दिल्ली

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड

31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण

(₹ लाख में)

	विवरण		31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए
क.	**जारी परिचालनों से नकदी प्रवाह**			
	असाधारण मदों एवं कर से पूर्व लाभ		**16.95**	**15.95**
	निम्नलिखित के लिए समायोजन :-			
	मूल्यह्रास		6.26	2.21
	ब्याज आय		(9.25)	(10.77)
	परिचालनात्मक पूंजी परिवर्तन पूर्व परिचालन लाभ	**(1)**	**13.97**	**7.38**
	निम्नलिखित के लिए समायोजन:-			
	अन्य चालू परिसंपत्तियों में कमी/(वृद्धि)		(1.94)	4.51
	अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियों में कमी / (वृद्धि)		4.38	(11.93)
	अन्य वित्तीय देयताओं में (कमी) / वृद्धि		0.08	(0.51)
	अन्य चालू देयताओं में (कमी) / वृद्धि		25.30	96.80
	अन्य चालू वित्तीय परिसंपत्तियों में कमी / (वृद्धि)		(25.59)	(20.46)
	व्यापार प्राप्य में कमी / (वृद्धि)		51.44	(12.10)
	व्यापार देय में (कमी) / वृद्धि		–	–
	वित्तीय देयता में (कमी) / वृद्धि		(6.00)	(72.00)
		(2)	47.67	(15.68)
	परिचालन से उत्पन्न नकदी	(1+2)	**61.63**	**(8.30)**
	चुकाया गया आयकर (रिफंड को घटाकर)		0.34	30.63
	परिचालन कार्यों से उत्पन्न कुल नकदी उत्पत्ति		**61.97**	**22.34**
ख.	**निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह**			
	संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण का क्रय,		(15.68)	(20.04)
	संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण का विक्रय,		1.46	
	ब्याज आय		9.36	11.03
	अन्य बैंक शेष में कमी / (वृद्धि)		(30.00)	35.20
	निवेश गतिविधियों में प्रयुक्त नेट नकदी		**(34.86)**	**26.19**
ग.	वित्तपोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह			
	इक्विटी शेयर जारी करने से प्राप्तियां		–	–
	वित्तपोषण गतिविधियों से नेट नकदी उत्पत्ति		**–**	**–**
	नकदी एवं नकदी समतुल्य में नेट वृद्धि/(कमी) (क+ख+ग)		27.11	48.53
	प्रारंभिक नकदी एवं नकदी समतुल्य		65.67	17.14
	अंतिम नकदी एवं नकदी समतुल्य		**92.78**	**65.67**
	नकदी एवं नकदी समतुल्य में शामिल			
	बैंकों में शेष राशि		1.78	1.58
	3 माह से कम अवधि वाली सावधि जमा		91.00	64.09
	तुलन पत्र के अनुसार नकदी एवं नकदी समतुल्य		**92.78**	**65.67**

नोट:-

समेकित नकदी प्रवाह विवरण का निर्माण इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेट ऑफ इंडिया द्वारा नकदी प्रवाह विवरण के संबंध में जारी इंड एएस-7 में निर्धारित अप्रत्यक्ष विधि के अनुसार किया गया है।

कृते मनोज वेद एंड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण संख्या 0017729N

हस्ता./-
सीए मनोज कुमार गुप्ता
साझेदार
सदस्यता संख्या. 095689
UDIN : 26095689HPGLNK3503

कृते एवं निदेशक मंडल के निमित

हस्ता./-
मनवेंद्र सिंह
मुख्य कार्यकारी
अधिकारी (सीईओ)
BBSPS5341C

हस्ता./-
नमिता मेहरोत्रा
निदेशक
डीआईएन: 07916304

हस्ता./-
महेंद्र कुमार
निदेशक
डीआईएन: 07093637

दिनांकः 01.07.2026 स्थान : नई दिल्ली

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड

31 मार्च 2026 की स्थिति के अनुसार इक्विटी परिवर्तन विवरण

क. इक्विटी शेयर पूंजी

1. 31 मार्च, 2026 की स्थिति

(₹ लाख में)

विवरण	01 अप्रैल, 2025 को शेष	पूर्व अवधि की मदों के कारण इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के प्रारंभ में पुनर्कथित शेष	वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	31 मार्च, 2026 की स्थिति के अनुसार शेष
शेयरों की संख्या (लाख में)	1	–	–	–	1
राशि	100	–	–	–	100

2. 31 मार्च, 2025 की स्थिति

(₹ लाख में)

विवरण	01 अप्रैल, 2024 को शेष	पूर्व अवधि की मदों के कारण इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के प्रारंभ में पुनर्कथित शेष	वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार शेष
शेयरों की संख्या (लाख में)	1	–	–	–	1
राशि	100	–	–	–	100

ख. अन्य इक्विटी

1. 31 मार्च, 2026 की स्थिति

(₹ लाख में)

विवरण	रिजर्व एवं अधिशेष			योग
	सामान्य आरक्षित निधि	आस्थगित आय	प्रतिधारित आय	
1 अप्रैल 2025 को शेष	**–**	**–**	**17.40**	**17.40**
लेखांकन नीति में परिवर्तन या पूर्व अवधि की त्रुटियाँ	–	–	–	–
1 अप्रैल, 2025 को पुनर्कथित शेष	**–**	**–**	**17.40**	**17.40**
वर्ष के लिए लाभ/हानि	–		12.66	12.66
वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय (आयकर के नेट प्रभाव के बाद)	–		–	–
वर्ष के लिए व्यापक आय	**–**	**–**	**12.66**	**12.66**
जोड़ें: वर्ष के दौरान प्राप्त राशि		–	–	–
भुगतान किए गए लाभांश		–	–	–
31 मार्च, 2026 को शेष	**–**	**–**	**30.06**	**30.06**

2. 31 मार्च, 2025 की स्थिति

(₹ लाख में)

विवरण		रिजर्व एवं अधिशेष		योग
	सामान्य आरक्षित निधि	आस्थगित आय	प्रतिधारित आय	
1 अप्रैल 2024 को शेष	**-**	**-**	**(1.19)**	**(1.19)**
लेखांकन नीति में परिवर्तन या पूर्व अवधि की त्रुटियाँ	-	-	-	-
1 अप्रैल, 2024 को पुनर्कथित शेष	**-**	**-**	**(1.19)**	**(1.19)**
वर्ष के लिए लाभ/हानि	-		18.59	18.59
वर्ष के लिए अन्य- व्यापक आय (आयकर के नेट प्रभाव के बाद)	-		-	-
वर्ष के लिए व्यापक आय	**-**	**-**	**18.59**	**18.59**
जोड़ें: वर्ष के दौरान प्राप्त राशि		-	-	-
भुगतान किए गए लाभांश		-	-	-
31 मार्च, 2025 को शेष	**-**	**-**	**17.40**	**17.40**

कृते मनोज वेद एंड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण संख्या 0017729N

कृते एवं निदेशक मंडल के निमित

हस्ता./-
सीए मनोज कुमार गुप्ता
साझेदार
सदस्यता संख्या. 095689
UDIN : 26095689HPGLNK3503

हस्ता./-
मनवेंद्र सिंह
मुख्य कार्यकारी
अधिकारी (सीईओ)
BBSPS5341C

हस्ता./-
नमिता मेहरोत्रा
निदेशक
डीआईएन: 07916304

हस्ता./-
महेंद्र कुमार
निदेशक
डीआईएन: 07093637

दिनांकः 01.07.2026
स्थान : नई दिल्ली

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड

स्वतंत्र वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणियाँ

1. कंपनी संबंधी जानकारी

एनसीआरटीसी एक्सप्रेस ट्रांजिट लिमिटेड भारत में अधिवासित एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी है [U60300DL2020GOI367547], जिसे कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अंतर्गत दिनांक 6 अगस्त 2020 को भारत में निगमित किया गया था। कंपनी का उद्देश्य पारगमन प्रणालियों तथा उनके किसी भी या सभी या किसी भी संयोजन वाले उप-प्रणालियों की योजना बनाना, डिजाइन करना, वित्त पोषण करना, कार्यान्वयन करना, प्रबंधन करना, संचालन करना और रखरखाव करना है।

कंपनी का पंजीकृत कार्यालय गतिशक्ति भवन, आईएनए, नई दिल्ली-110023 में स्थित है।

कंपनी, एनसीआरटीसी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी एक पृथक स्वतंत्र कानूनी इकाई होती है, जिसका 100% स्वामित्व और नियंत्रण मूल कंपनी के पास होता है।

कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा दिनांक 1 जुलाई 2026 को आयोजित बैठक में इन वित्तीय विवरणों को अनुमोदित किया गया है।

2. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों की जानकारी का सारांश

2.01 तैयारी का आधार - अनुपालन का विवरण

कंपनी के वित्तीय विवरण भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार तैयार किए गए हैं, जिनमें कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के अंतर्गत अधिसूचित भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस) तथा कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 (यथासंशोधित) और कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III (भारतीय लेखा मानकों के अनुरूप अनुसूची III) के अंतर्गत लागू अन्य प्रस्तुतीकरण आवश्यकताओं का पालन किया गया है। वित्तीय विवरणों को व्यवसाय की निरंतरता के आधार पर तथा लेखांकन की उपार्जन पद्धति का पालन करते हुए तैयार किया गया है।

इसके अतिरिक्त, भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी मार्गदर्शन टिप्पणियों/ घोषणाओं को भी, जहां लागू हो, ध्यान में रखा गया है तथा कंपनी द्वारा उन्हें निरंतर रूप से अपनाया गया है।

2.02 मापन का आधार

स्वतंत्र वित्तीय विवरणों को ऐतिहासिक लागत पद्धति तथा उपार्जन आधार पर तैयार किया गया है, सिवाय कुछ वित्तीय परिसंपत्तियों एवं वित्तीय देयताओं तथा परिभाषित लाभ योजना और अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभों के, जिनका मापन संबंधित भारतीय लेखांकन मानकों की आवश्यकताओं के अनुसार उचित मूल्य पर किया गया है।

2.03 चालू और गैर-चालू वर्गीकरण

कंपनी तुलन पत्र में परिसंपत्तियों और देयताओं को चालू/ गैर-चालू वर्गीकरण के आधार पर प्रस्तुत करती है।

कि सी परिसंपत्ति को चालू परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, जब वह—

- सामान्य परिचालन चक्र में प्राप्त होने या विक्रय अथवा उपभोग किए जाने की अपेक्षा रखती हो;
- मुख्य रूप से व्यापार के उद्देश्य से रखी गई हो;
- प्रतिवेदन अवधि के पश्चात बारह माह के भीतर प्राप्त होने की अपेक्षा हो; या
- वह नकद या नकद समतुल्य हो, जब तक कि प्रतिवेदन अवधि के पश्चात कम से कम बारह माह तक किसी देयता के निपटान हेतु उसके विनिमय या उपयोग पर प्रतिबंध न हो।

अन्य सभी परिसंपत्तियों को गैर-चालू परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

किसी देयता को चालू देयता के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, जब—

- सामान्य परिचालन चक्र में उसका निपटान किया जाना अपेक्षित हो;
- वह मुख्य रूप से व्यापार के उद्देश्य से रखी गई हो;

- प्रतिवेदन अवधि के पश्चात बारह माह के भीतर उसका निपटान किया जाना हो; या
- प्रतिवेदन अवधि के पश्चात कम से कम बारह माह तक देयता के निपटान को स्थगित करने का कोई बिना शर्त अधिकार उपलब्ध न हो।

अन्य सभी देयताओं को गैर-चालू देयताओं के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

स्थगित कर परिसंपत्तियों/देयताओं को गैर-चालू परिसंपत्तियों/देयताओं के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

परिसंपत्तियों और देयताओं का चालू एवं गैर-चालू के बीच वर्गीकरण करते समय 12 माह की अवधि को सामान्य परिचालन चक्र माना गया है।

2.04 अनुमानों एवं प्रबंधन निर्णय का उपयोग

भारतीय लेखांकन मानक के अनुरूप पृथक वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए प्रबंधन को ऐसे निर्णय, अनुमान एवं धारणाएँ बनानी होती हैं, जो लेखांकन नीतियों के अनुप्रयोग तथा वित्तीय विवरणों की तिथि पर परिसंपत्तियों, देयताओं, आकस्मिक परिसंपत्तियों एवं आकस्मिक देयताओं के प्रकटीकरण तथा आय एवं व्यय की रिपोर्ट की गई राशियों को प्रभावित करती हैं। वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं।

अनुमानों एवं उनसे संबंधित धारणाओं की समय-समय पर समीक्षा की जाती है। भविष्य के परिणाम इन अनुमानों में हुए परिवर्तनों तथा वास्तविक परिणामों एवं अनुमानों के बीच के अंतर के कारण भिन्न हो सकते हैं और वास्तविक परिणाम ज्ञात होने या प्रभावी होने वाली अवधि में ऐसे अंतर को मान्यता दी जाती है।

2.05 नकदी प्रवाह विवरण

नकदी प्रवाह को अप्रत्यक्ष विधि द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें कर से पूर्व लाभ/(हानि) को गैर-नकदी प्रकृति के लेन-देन के प्रभावों तथा पूर्व या भविष्य की नकदी प्राप्तियों या भुगतानों के स्थगन अथवा उपार्जन के प्रभावों के लिए समायोजित किया जाता है। कंपनी की परिचालन, निवेश एवं वित्तपोषण गतिविधियों से संबंधित नकदी प्रवाह को उपलब्ध जानकारी के आधार पर अलग-अलग वर्गीकृत किया जाता है।

नकदी प्रवाह विवरण के प्रयोजन हेतु, नकदी एवं नकदी समकक्षों में हाथ में उपलब्ध नकदी, बैंकों में जमा राशि, तीन माह तक की मूल परिपक्वता अवधि वाली जमाराशियाँ तथा बैंकों में मांग जमा शामिल हैं। इसमें बकाया बैंक अधिविकर्ष को घटाकर दर्शाया जाता है, जिनका भुगतान मांग पर किया जाना होता है और जिन्हें कंपनी की नकदी प्रबंधन प्रणाली का भाग माना जाता है।

2.06 कार्यात्मक और प्रस्तुति मुद्रा

स्वतंत्र भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों में शामिल मदों को उस प्राथमिक आर्थिक वातावरण की मुद्रा का उपयोग करके मापा जाता है जिसमें कंपनी काम करती है (कार्यात्मक मुद्रा)। स्वतंत्र भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण भारतीय रुपये में प्रस्तुत किए जाते हैं, जो कंपनी की कार्यात्मक और प्रस्तुति मुद्रा दोनों है। जब तक अन्यथा न कहा गया हो, भारतीय रुपये में प्रस्तुत सभी वित्तीय जानकारी को निकटतम लाख में पूर्णांकित किया गया है।

विदेशी मुद्रा

विदेशी मुद्राओं में अंकित लेन-देन को लेन-देन के समय प्रचलित विनिमय दर पर दर्ज किया जाता है। विदेशी मुद्राओं में अंकित मौद्रिक मदों का अनुवाद रिपोर्टिंग तिथि की विनिमय दर पर किया जाता है। मौद्रिक मदों के अनुवाद से उत्पन्न होने वाले विनिमय अंतर को लाभ और हानि खाते में दर्ज किया जाता है।

2.07 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

(क) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की किसी वस्तु को परिसंपत्ति के रूप में केवल और केवल तभी स्वीकार किया जाता है जब यह संभावना हो कि उस वस्तु से जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ कंपनी को प्राप्त होंगे, वस्तु की लागत को सटीकता से मापा जा सकता है और संपत्ति को उसके इच्छित उपयोग के लिए तैयार करने के लिए आवश्यक सभी गतिविधियाँ पूरी हो चुकी हैं।

(ख) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण को लागत में से संचित मूल्यह्रास और हानि नुकसान, यदि कोई हो, को घटाकर मापा जाता है। संपत्ति की लागत में निम्नलिखित शामिल हैं:

i. परिसंपत्तियों के अधिग्रहण से सीधे तौर पर जुड़ी लागत, जिसमें परिसंपत्ति को स्थान पर लाने और

उसे इच्छित तरीके से संचालित करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक शर्तों को पूरा करने की लागत शामिल है।

ii. यदि स्वीकार्यता के मापदंड पूरे होते हैं तो वस्तु को हटाने और उस जगह को पुरानी स्थिति में वापस लाने की अनुमानित लागत का वर्तमान मूल्य जहाँ वह स्थित है।

(ग) पुर्जों के बदलाव की लागत, प्रमुख निरीक्षण और महत्वपूर्ण हिस्सों की मरम्मत की लागत को संपत्ति के मूल्य में जोड़ दिया जाता है यदि स्वीकार्यता के मापदंड पूरे होते हैं।

(घ) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की किसी वस्तु को उसके निपटान पर या जब संपत्ति के निरंतर उपयोग से किसी भी भविष्य के आर्थिक लाभ की संभावना नहीं रहती है, तब बही-खाते से हटा दिया जाता है। संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की किसी वस्तु के निपटान या अपलेखन पर होने वाला कोई भी लाभ या हानि, बिक्री की आय और संपत्ति के बही-मूल्य के बीच के अंतर के रूप में निर्धारित की जाती है और इसे लाभ या हानि के विवरण में दर्ज किया जाता है।

मूल्यह्रास / परिशोधन

(क) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर मूल्यह्रास / परिशोधन कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची 2 में निर्दिष्ट परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवन के आधार पर सीधी रेखा प्रणाली(एसएलएम) द्वारा किया जाता है, उन मामलों को छोड़कर जहाँ उपयोगी जीवन का निर्धारण तकनीकी और/या प्रबंधन मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है:

परिसंपत्ति का नाम	मानी गई उपयोगी आयु	टिप्पणियाँ
ईडीपी परिसंपत्तियाँ	3 वर्ष	
विनिर्दिष्ट कार्यालय उपकरण विनिर्दिष्ट फर्नीचर एवं फिक्स्चर	5 वर्ष	कर्मचारियों के आवासीय कार्यालय में उपलब्ध कराए गए फर्नीचर एवं फिक्स्चर, कार्यालय उपकरण तथा अन्य कोई परिसंपत्तियाँ

(ख) 5,000/- रुपये या उससे कम मूल्य में खरीदी गई व्यक्तिगत संपत्तियों पर खरीद के वर्ष में ही 100% मूल्यह्रास लगा दिया जाता है, जिसमें उनके व्यावसायिक जीवन को ध्यान में रखा जाता है और पहचान के उद्देश्य से 1 रुपये की सांकेतिक कीमत रखी जाती है।

(ग) मोबाइल फोनों की लागत को क्रय के वर्ष में ही व्यय के रूप में अपलेखित कर दिया जाता है।

(घ) संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के किसी मद के प्रत्येक भाग पर पृथक रूप से मूल्यह्रास लगाया जाता है, यदि उस भाग की लागत उस मद की कुल लागत की तुलना में महत्त्वपूर्ण हो तथा उस भाग की उपयोगी आयु शेष परिसंपत्ति की उपयोगी आयु से भिन्न हो।

(ङ) प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर मूल्यह्रास विधियों, उपयोगी जीवन और अवशिष्ट मूल्यों की समीक्षा की जाती है।

2.08 अमूर्त संपत्तियाँ

एक अमूर्त संपत्ति को तब मान्यता दी जाती है जब यह संभावित हो कि संपत्ति से जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ कंपनी को प्राप्त होंगे और संपत्ति की लागत को सटीकता से मापा जा सकता है। अमूर्त संपत्तियों को उनकी ऐतिहासिक लागत में से संचित परिसंपत्ति-मूल्य ह्रास और क्षति नुकसान, यदि कोई हो, को घटाकर दर्शाया जाता है।

अनुसंधान पर होने वाले व्यय को उसी समय खर्च के रूप में दर्ज किया जाता है जब वह होता है। विकास गतिविधियों पर होने वाले व्यय को अमूर्त संपत्ति के रूप में तब माना जाता है जब वह भारतीय लेखा मानक 38 'अमूर्त संपत्तियाँ' के मानदंडों को पूरा करता है, अन्यथा इसे खर्च के रूप में दर्ज किया जाता है।

अमूर्तता (मूल्य घटाना)

अमूर्त संपत्तियों का मूल्य उनके उपयोग के लिए उपलब्ध होने की तिथि से उनकी अनुमानित उपयोगी अवधि के दौरान सीधी रेखा प्रणाली के आधार पर घटाया जाता है। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर अमूर्तता विधियों, उपयोगी अवधि और अवशिष्ट मूल्यों की समीक्षा की जाती है।

अमूर्त संपत्तियों की अनुमानित उपयोगी अवधि इस प्रकार है:

(क) सॉफ्टवेयर (खरीदा गया / खुद बनाया गया), जो हार्डवेयर का अभिन्न हिस्सा नहीं है, उसे कानूनी उपयोग अधिकार की अवधि या 3 वर्ष, जो भी कम हो, के आधार पर सीधी रेखा प्रणाली द्वारा मूल्य घटाया जाता है।

(ख) अन्य अमूर्त संपत्तियाँ (खरीदी गई / खुद बनाई गई)

कानूनी उपयोग अधिकार की अवधि या 5 वर्ष, जो भी कम हो, के आधार पर सीधी रेखा प्रणाली द्वारा मूल्य घटाया जाता है।

(ग) 5,000/- रुपये या उससे कम लागत वाली अमूर्त संपत्तियों का खरीद के वर्ष में ही पूरा मूल्यह्रास/अमूर्तता कर दिया जाता है और पहचान के उद्देश्य से 1 रुपये की सांकेतिक कीमत रखी जाती है।

2.09 गैर-वित्तीय परिसंपत्तियों की क्षति

परिसंपत्तियों की क्षति पर भारतीय लेखा मानक-36 के अनुसार, कंपनी की संपत्तियों के बही-मूल्य (कैरीइंग अमाउंट) की समीक्षा प्रत्येक तुलन पत्र की तिथि पर यह निर्धारित करने के लिए की जाती है कि क्या क्षति का कोई संकेत है। यदि ऐसा कोई संकेत मौजूद है, तो संपत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान उचित मूल्य घटाकर बिक्री लागत (फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल) और उपयोग मूल्य (वैल्यू इन यूज़) में से जो भी अधिक हो, उसके आधार पर लगाया जाता है। जब भी किसी संपत्ति या उसकी नकदी पैदा करने वाली इकाई का बही-मूल्य उसकी वसूली योग्य राशि से अधिक हो जाता है, तो लाभ और हानि के विवरण में क्षति हानि दर्ज की जाती है। यदि वसूली योग्य राशि के अनुमान में बदलाव आया है और ऐसी हानि अब मौजूद नहीं है या कम हो गई है, तो पूर्व लेखा अवधि में दर्ज की गई क्षति हानि को वापस लिया जाता है। क्षति हानि की इस वापसी को लाभ और हानि के विवरण में दर्ज किया जाता है।

2.10 राजस्व की मान्यता

(क) ग्राहकों के साथ अनुबंधों से राजस्व

(i) राजस्व को उस सीमा तक मान्यता दी जाती है जहाँ तक यह संभावना हो कि आर्थिक लाभ कंपनी को प्राप्त होंगे और राजस्व को सटीकता से मापा जा सकता है। हालांकि, जब पहले से राजस्व में शामिल किसी राशि की वसूली पर अनिश्चितता उत्पन्न होती है, तो गैर-वसूली योग्य राशि या वह राशि जिसकी वसूली की संभावना समाप्त हो गई है, उसे पहले से मान्यता प्राप्त राजस्व राशि के समायोजन के बजाय खर्च के रूप में दर्ज किया जाता है।

(ii) ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व तब मान्यता प्राप्त करता है जब माल या सेवाओं का नियंत्रण ग्राहक को हस्तांतरित किया जाता है। यह उस राशि पर होता है जो उस प्रतिफल को दर्शाती है जिसे कंपनी उन माल या सेवाओं के बदले प्राप्त करने की उम्मीद करती है।

(iii) राजस्व को प्राप्त या प्राप्य प्रतिफल के उचित मूल्य पर मापा जाता है।

(iv) सेवाएं प्रदान करने से प्राप्त राजस्व को उस लेखा अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें सेवाएं दी जाती हैं। राजस्व को निष्पादन दायित्व के पूरा होने के आधार पर मान्यता दी जाती है, चाहे वह समय के साथ पूरा हो या किसी एक निश्चित समय पर।

(क) जब निष्पादन दायित्व समय के साथ पूरा होता है, तो राजस्व को कुल प्रदान की जाने वाली सेवाओं के अनुपात में रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक प्रदान की गई वास्तविक सेवा के आधार पर मान्यता दी जाती है। इसका निर्धारण भौतिक प्रगति, प्रयासों, आज तक हुई लागत का कुल अनुमानित लागत से अनुपात, बिताए गए समय, निष्पादित सेवा या प्रबंधन द्वारा उचित समझे गए किसी अन्य तरीके के आधार पर किया जाता है।

(ख) अन्य मामलों में जहां निष्पादन दायित्व समय के साथ पूरा नहीं होता है, वहां राजस्व को किसी एक निश्चित समय पर मान्यता दी जाती है।

(ग) ऐसे अनुबंधों के मामले में जहां ग्राहक भुगतान अनुसूची के आधार पर निश्चित राशि का भुगतान करता है, यदि कंपनी द्वारा दी गई सेवाएं भुगतान से अधिक हैं, तो अनुबंध परिसंपत्ति दर्ज की जाती है। यदि भुगतान दी गई सेवाओं से अधिक है, तो अनुबंध देनदारी दर्ज की जाती है।

(घ) मोबिलाइजेशन फीस को तब तक ग्राहक अग्रिम माना जाता है जब तक कि अनुबंध/कार्य आदेश की शर्तों के अनुसार गतिविधियों/लेन-देन के पूरा होने के चरण के आधार पर इसे राजस्व के रूप में मान्यता न दी जाए।

(ङ) पुनर्भरण योग्य खर्चों और आपूर्तियों को उपार्जन आधार पर दर्ज किया जाता है।

(च) निर्माण प्रबंधन/पर्यवेक्षण अनुबंधों में, राजस्व को प्रबंधन द्वारा निर्धारित प्रत्येक अनुबंध के किए

गए कार्य के मूल्य/निर्मित लागत के प्रतिशत के रूप में मान्यता दी जाती है, जो ग्राहक की स्वीकृति (यदि कोई हो) के अधीन होता है।

(ख) अन्य राजस्व मान्यता

i. ब्याज आय को प्रभावी ब्याज दर प्रणाली का उपयोग करके बकाया राशि और लागू ब्याज दर को ध्यान में रखते हुए समय के अनुपात के आधार पर मान्यता दी जाती है।

2.11 कर्मचारी लाभ

(क) प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कर्मचारियों के संबंध में विदेशी सेवा अंशदान के लिए प्रावधान/दायित्व का निर्धारण उनके मूल संगठन की प्रतिनियुक्ति की शर्तों एवं नियमों के आधार पर किया जाता है तथा उसका भुगतान अथवा लेखांकन उपार्जन आधार पर लेखा-पुस्तकों में किया जाता है।

(ख) **अल्पकालिक लाभ:** अल्पकालिक कर्मचारी लाभ संबंधी दायित्वों का मापन बिना छूटित (अबट्टित) आधार पर किया जाता है तथा संबंधित सेवाएँ प्रदान किए जाने पर उन्हें व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है।

2.12 आयकर

(क) वर्तमान आयकर

आय पर कर का निर्धारण आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अनुसार गणना की गई कर योग्य आय और कर क्रेडिट के आधार पर किया जाता है।

वर्तमान कर संपत्तियों और वर्तमान कर देनदारियों को तब आपस में समायोजित (ऑफसेट) किया जाता है जब स्वीकृत राशियों को समायोजित करने का कानूनी अधिकार हो और संपत्ति व देनदारी को शुद्ध आधार पर निपटाने का इरादा हो।

अन्य समग्र आय (ओसीआई) में मान्यता प्राप्त मदों से संबंधित आस्थगित कर को अन्य समग्र आय (ओसीआई) में ही मान्यता दी जाती है।"

(ख) आस्थगित कर

भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस-12) 'आयकर' के अनुसार।

i आस्थगित आय कर संपत्तियों और देनदारियों को अस्थायी अंतरों के लिए मान्यता दी जाती है, जिनकी गणना उन कर दरों और कर कानूनों का उपयोग करके की जाती है जो रिपोर्टिंग तिथि तक लागू या व्यावहारिक रूप से लागू हो चुके हैं।

ii. आस्थगित आय कर संपत्ति को उस सीमा तक मान्यता दी जाती है जहाँ तक यह संभावना हो कि कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा, जिसके विरुद्ध कटौतीयोग्य अस्थायी अंतरों, और अनुपयोग किए गए कर क्रेडिट व अनुपयोग की गई कर हानियों के आगे ले जाने का उपयोग किया जा सकता है।

iii. आस्थगित कर संपत्तियों और आस्थगित कर देनदारियों को तब आपस में समायोजित किया जाता है जब वर्तमान कर का प्रतिनिधित्व करने वाली देनदारियों के विरुद्ध संपत्तियों को समायोजित करने का कानूनी अधिकार हो, और जहाँ आस्थगित कर संपत्तियाँ व आस्थगित कर देनदारियां समान शासी कर कानूनों द्वारा लगाए गए आय पर करों से संबंधित हों।

iv. आस्थगित कर संपत्तियों और देनदारियों को उन कर दरों और कर कानूनों का उपयोग करके मापा जाता है जो तुलन पत्र की तिथि तक लागू या व्यावहारिक रूप से लागू हो चुके हैं। प्रत्येक तुलन पत्र की तिथि पर, कंपनी अमान्यता प्राप्त आस्थगित कर संपत्तियों (यदि कोई हो) का पुनर्मूल्यांकन करती है।

v. आस्थगित आय कर संपत्तियों के बही-मूल्य की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर की जाती है और इसे उस सीमा तक घटाया जाता है जहाँ तक अब यह संभावना नहीं रह जाती है कि आस्थगित आय कर संपत्ति के सभी या कुछ हिस्से का उपयोग करने की अनुमति देने के लिए पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा।

vi. अन्य व्यापक आय (ओसीआई) की मदों से संबंधित आस्थगित कर को अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में ही मान्यता दी जाती है।

2.13 प्रावधान, आकस्मिक देनदारियाँ और आकस्मिक संपत्तियाँ

(क) प्रावधान उन दायित्वों के लिए मान्यता प्राप्त किए जाते हैं, जिनका मापन पर्याप्त स्तर के प्राक्कलन के आधार पर ही संभव हो, जब

i किसी अतीत की घटना के परिणामस्वरूप कंपनी का कोई वर्तमान दायित्व बनता है।

ii दायित्व को निपटाने के लिए आर्थिक लाभ वाली संसाधनों की निकासी की संभावना हो; और

iii दायित्व की राशि का सटीकता से अनुमान लगाया जा सकता हो। प्रत्येक तुलन पत्र की तिथि पर प्रावधानों की समीक्षा की जाती है।

प्रावधानों की छूट

जहाँ धन के समय मूल्य का प्रभाव महत्वपूर्ण होता है, वहाँ प्रावधान की राशि दायित्व को निपटाने के लिए अपेक्षित व्यय का वर्तमान मूल्य होगी।

(ख) आकस्मिक देनदारियों को निम्नलिखित में से किसी भी मामले में प्रकट किया जाता है:

1. अतीत की घटना से उत्पन्न होने वाला वर्तमान दायित्व, जब यह संभावना न हो कि दायित्व को निपटाने के लिए संसाधनों की निकासी की आवश्यकता होगी; या
2. वर्तमान दायित्व का सटीक अनुमान नहीं लगाया जा सकता है; या
3. एक संभावित दायित्व, जब तक कि संसाधनों की निकासी की संभावना नगण्य न हो।

आकस्मिक देनदारी और आकस्मिक देनदारी के खिलाफ आवश्यक प्रावधानों तथा आकस्मिक संपत्तियों की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर की जाती है।

(ग) आकस्मिक संपत्तियों को तब उजागर किया जाता है जब आर्थिक लाभों का आगमन संभावित हो।

2.14 प्रति शेयर आय

मूल प्रति शेयर आय की गणना इक्विटी शेयरधारकों के लिए अवधि के शुद्ध लाभ या हानि को अवधि के दौरान बकाया समता शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित करके की जाती है। पतली/कमजोर प्रति शेयर आय (डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर) की गणना के उद्देश्य से, इक्विटी शेयरधारकों के लिए अवधि के शुद्ध लाभ या हानि और अवधि के दौरान बकाया शेयरों की भारित औसत संख्या को सभी संभावित इक्विटी शेयरों के प्रभावों के लिए समायोजित किया जाता है।

2.15 इक्विटी धारकों को लाभांश

भुगतान किए गए/देय लाभांश को उसी वर्ष में मान्यता दी जाती है, जिसमें संबंधित लाभांश को शेयरधारकों या निदेशक मंडल द्वारा उचित रूप से मंजूरी दी जाती है।

2.16 उचित मूल्य मापन

1. कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर कुछ वित्तीय साधनों को उचित मूल्य पर मापती है।
2. उचित मूल्य वह कीमत है जो मापन तिथि पर बाजार सहभागियों के बीच एक व्यवस्थित लेन-देन में किसी संपत्ति को बेचने के लिए प्राप्त होगी या किसी देनदारी को स्थानांतरित करने के लिए भुगतान की जाएगी। उचित मूल्य मापन इस धारणा पर आधारित है कि संपत्ति को बेचने या देनदारी को स्थानांतरित करने का लेन-देन या तो:

- संपत्ति या देनदारी के मुख्य बाजार में होता है, या
- मुख्य बाजार की अनुपस्थिति में, संपत्ति या देनदारी के लिए सबसे लाभदायक बाजार में होता है।

मुख्य या सबसे लाभदायक बाजार तक कंपनी की पहुँच होनी चाहिए। किसी संपत्ति या देनदारी के उचित मूल्य को उन धारणाओं का उपयोग करके मापा जाता है जिनका उपयोग बाजार के प्रतिभागी संपत्ति या देनदारी की कीमत तय करते समय करेंगे, यह मानते हुए कि बाजार के प्रतिभागी अपने सर्वोत्तम आर्थिक हित में काम करते हैं।

कंपनी उन मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करती है जो परिस्थितियों में उपयुक्त हैं और जिनके लिए उचित मूल्य मापने के लिए पर्याप्त डेटा उपलब्ध है, जिससे प्रासंगिक दृश्यमान इनपुट (ऑब्जर्वेबल इनपुट) का अधिकतम उपयोग और अदृश्य इनपुट (अनऑब्जर्वेबल इनपुट) का न्यूनतम उपयोग सुनिश्चित हो सके।

2.17 वित्तीय साधन:

(i) प्रारंभिक मान्यता और मापन

प्रारंभिक मान्यता और मापन वित्तीय संपत्तियों और देनदारियों को तब मान्यता दी जाती है जब कंपनी साधन के संविदात्मक प्रावधानों का एक पक्ष बनती है।

वित्तीय संपत्तियों और देनदारियों को शुरुआत में उचित मूल्य पर मापा जाता है। वित्तीय संपत्तियों और वित्तीय देनदारियों के अधिग्रहण या जारी करने से सीधे तौर पर जुड़ी लेन-देन

लागतों (लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर दर्ज वित्तीय संपत्तियों और देनदारियों को छोड़कर) को वित्तीय संपत्ति या वित्तीय देनदारी की प्रारंभिक मान्यता पर मापे गए उचित मूल्य में जोड़ा या घटाया जाता है।

(ii) बाद का मापन

वित्तीय परिसंपत्तियाँ

वित्तीय परिसंपत्तियों को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:

क. अमूर्त लागत पर

वित्तीय परिसंपत्तियों को बाद में अमूर्त लागत पर मापा जाता है यदि ये वित्तीय परिसंपत्तियाँ ऐसे व्यवसाय के तहत रखी जाती हैं जिसका उद्देश्य अनुबंधगत नकद प्रवाह प्राप्त करने के लिए इन परिसंपत्तियों को अपने पास रखना है और वित्तीय परिसंपत्ति की अनुबंधगत शर्तें निर्दिष्ट तिथियों पर ऐसा नकद प्रवाह उत्पन्न करती हैं जो केवल मूलधन और बकाया मूलधन राशि पर ब्याज का भुगतान है।

ख. अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर (एफवीटीओसीआई)

वित्तीय परिसंपत्तियों को अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर मापा जाता है यदि ये वित्तीय संपत्तियाँ ऐसे व्यवसाय के तहत रखी जाती हैं जिसका उद्देश्य अनुबंधगत नकद प्रवाह प्राप्त करना और वित्तीय परिसंपत्तियों को बेचना दोनों है, तथा वित्तीय परिसंपत्ति की अनुबंधगत शर्तें निर्दिष्ट तिथियों पर ऐसा नकद प्रवाह उत्पन्न करती हैं जो केवल मूलधन और बकाया मूलधन राशि पर ब्याज का भुगतान है।

ग. लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर (एफवीटीपीएल)

वित्तीय परिसंपत्तियों को लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर मापा जाता है, जब तक कि इसे प्रारंभिक मान्यता पर अमूर्त लागत पर या अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर न मापा गया हो। लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों के अधिग्रहण से सीधे तौर पर जुड़ी लेन-देन लागतों को तुरंत लाभ या हानि में दर्ज किया जाता है।

वित्तीय देनदारियाँ

वित्तीय देनदारियों को निम्नलिखित अनुसार वर्गीकृत किया गया है:

क. अमूर्त लागत पर वित्तीय देनदारियाँ

व्यापार और अन्य देय राशि, प्रतिभूति जमा और रोकी गई राशि आदि द्वारा दर्शाई गई अमूर्त लागत पर वित्तीय देनदारियों को शुरुआत में उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है, और बाद में प्रभावी ब्याज दर प्रणाली का उपयोग करके अमूर्त लागत पर ले जाया जाता है।

ख. एफवीटीपीएल पर वित्तीय देनदारियाँ

कंपनी ने एफवीटीपीएल पर किसी भी वित्तीय देनदारी को निर्दिष्ट नहीं किया है।

(iii) बही-खाते से हटाना (डीरिकग्निशन)

वित्तीय परिसंपत्ति

एक वित्तीय परिसंपत्ति (या, जहाँ लागू हो, किसी वित्तीय परिसंपत्ति का एक हिस्सा या समान वित्तीय परिसंपत्तियों के समूह का एक हिस्सा) को बही-खाते से केवल तभी हटाया जाता है जब परिसंपत्ति से नकद प्रवाह के संविदात्मक अधिकार समाप्त हो जाते हैं या यह वित्तीय परिसंपत्तियों और परिसंपत्ति के स्वामित्व के लगभग सभी जोखिमों व लाभों को स्थानांतरित कर देती है।

वित्तीय देनदारी

एक वित्तीय देनदारी को तब बही-खाते से हटाया जाता है जब देनदारी के तहत दायित्व से मुक्ति मिल जाती है या उसे रद्द कर दिया जाता है या वह समाप्त हो जाता है। जब किसी मौजूदा वित्तीय देनदारी को समान ऋणदाता से काफी अलग शर्तों पर दूसरे द्वारा बदल दिया जाता है, या किसी मौजूदा देनदारी की शर्तों में काफी संशोधन किया जाता है, तो ऐसे विनिमय या संशोधन को मूल देनदारी को हटाने और एक नई देनदारी की मान्यता के रूप में माना जाता है, और संबंधित बही-मूल्यों में अंतर को लाभ या हानि के विवरण में दर्ज किया जाता है।

(iv) वित्तीय संपत्तियों की क्षति

कंपनी क्षति हानि के मापन और मान्यता के लिए प्रत्याशित क्रेडिट हानि (ईसीएल) मॉडल लागू करती है। कंपनी व्यापार प्राप्य पर क्षति हानि भत्ते की मान्यता के लिए 'सरलीकृत दृष्टिकोण' का पालन करती है। सरलीकृत दृष्टिकोण के आवेदन के लिए कंपनी को क्रेडिट जोखिम में बदलाव को ट्रैक करने की आवश्यकता नहीं होती है। बल्कि, यह अपनी प्रारंभिक मान्यता से ही प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर जीवनकाल ईसीएल के आधार पर क्षति हानि भत्ते को दर्ज करती है।

कंपनी भविष्योन्मुखी आधार पर अमूर्त लागत और एफवीटीओटीसी ऋण साधनों पर ले जाई जाने वाली अपनी संपत्तियों से जुड़े प्रत्याशित क्रेडिट नुकसान का आकलन करती है। क्षति पद्धति इस बात पर लागू होती है कि क्या क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है।

अवधि के दौरान दर्ज किया गया ईसीएल क्षति हानि भत्ता (या वापसी) लाभ और हानि के विवरण में आय/खर्च के रूप में मान्यता प्राप्त करता है।

2.18 तुलन पत्र की तिथि के बाद होने वाली घटनाएं

तुलन पत्र की तिथि के पश्चात् घटित होने वाली घटनाओं पर भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) 10 (आकस्मिकताएँ तथा तुलन पत्र की तिथि के पश्चात् घटित होने वाली घटनाएं)' के अनुसार वित्तीय विवरणों की तैयारी में विचार किया जाता है।

2.19 पूर्व अवधि समायोजन

पूर्व अवधि की महत्वपूर्ण त्रुटियों को प्रस्तुत की गई उन पूर्व अवधियों के तुलनात्मक आंकड़ों को पुनर्कथन करके कार्योत्तर प्रभाव से सुधारा जाता है जिनमें त्रुटि हुई थी। यदि त्रुटि प्रस्तुत की गई सबसे शुरुआती अवधि से पहले हुई थी, तो प्रस्तुत की गई सबसे शुरुआती अवधि के लिए संपत्तियों, देनदारियों और इक्विटी के शुरुआती संतुलन को पुनर्कथित किया जाता है, जब तक कि ऐसा करना व्यावहारिक न हो। ऐसी स्थिति में, तुलनात्मक जानकारी को व्यावहारिक रूप से सबसे शुरुआती तिथि से संभावित रूप से नई लेखा नीति लागू करने के लिए समायोजित किया जाता है।

2.20 नकद और नकद समतुल्य

तुलन पत्र में नकद और नकद समतुल्य में बैंकों में जमा राशि, हाथ में नकद और तीन महीने या उससे कम की मूल परिपक्वता वाली अल्पकालिक जमा राशि शामिल हैं, जो आसानी से नकद की ज्ञात राशि में परिवर्तनीय हैं और जिनके मूल्य में परिवर्तन का जोखिम नगण्य होता है।

2.21 पूर्वदत्त मदें

प्रत्येक ₹ 5,00,000/- से अधिक की पूर्वदत्त व्यय की व्यक्तिगत मदों को पूर्वदत्त व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है।

2.22 जो लेखांकन नीतियां वर्तमान में कंपनी के लिए प्रासंगिक नहीं हैं, उन्हें प्रकट नहीं किया गया है। जब ऐसी लेखांकन नीतियां प्रासंगिक हो जाएंगी, तो उन्हें प्रकट किया जाएगा।

नोट 3 : सम्पत्ति, संयत्र एवं उपकरण

31 मार्च, 2026 की स्थिति के अनुसार सम्पत्ति, संयत्र एवं उपकरण

(₹ लाख में)

विवरण	सकल वहन राशि				संचित मूल्यह्रास				नेट वहन मूल्य
	1 अप्रैल, 2025 की स्थिति	वृद्धि	निपटान / समायोजन	31 मार्च, 2026 की स्थिति	1 अप्रैल, 2025 की स्थिति	वृद्धि	निपटान / समायोजन	31 मार्च, 2026 की स्थिति	
ईडीपी परिसम्पत्तियां	1.69	8.88	(0.65)	9.93	0.14	1.82	(0.07)	1.89	8.04
कार्यालय उपकरण	0.48	–	–	0.48	0.20	0.08	–	0.28	0.20
फर्नीचर एवं जुड़नार	18.35	6.80	(1.09)	24.05	1.95	4.36	(0.21)	6.10	17.95
योग	**20.52**	**15.68**	**(1.74)**	**34.46**	**2.29**	**6.26**	**(0.28)**	**8.27**	**26.19**

31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार सम्पत्ति, संयत्र एवं उपकरण

(₹ लाख में)

विवरण	सकल वहन राशि				संचित मूल्यह्रास				नेट वहन मूल्य
	1 अप्रैल, 2024 की स्थिति	वृद्धि	निपटान / समायोजन	31 मार्च, 2025 की स्थिति	1 अप्रैल, 2024 की स्थिति	वृद्धि	निपटान / समायोजन	31 मार्च, 2025 की स्थिति	
ईडीपी परिसम्पत्तियां	–	1.69	–	1.69	–	0.14	–	0.14	1.55
कार्यालय उपकरण	0.48	–	–	0.48	0.08	0.12	–	0.20	0.28
फर्नीचर एवं जुड़नार	–	18.35	–	18.35	–	1.95	–	1.95	16.40
योग	**0.48**	**20.04**	**–**	**20.52**	**0.08**	**2.21**	**–**	**2.29**	**18.24**

नोट 4 : आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ/(देयताएँ)

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2026 की स्थिति	31 मार्च 2025 की स्थिति
क. आस्थगित कर देयताएँ	**–**	**–**
ख. आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ		
प्रारंभिक व्यय	–	–
मूल्यह्रास	0.39	0.13
आस्थगित कर परिसंपत्तियों का कुल योग	**0.39**	**0.13**
आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ/(देयताएँ) — नेट	**0.39**	**0.13**

4.1 : आस्थगित कर परिसंपत्ति/(देयता) में परिवर्तन

(₹ लाख में)

विवरण	प्रारंभिक व्यय	मूल्यह्रास	योग
1 अप्रैल, 2024 को प्रारंभिक शेष	**0.18**	**0.01**	**0.19**
2024-25 के दौरान (प्रभारित)/जमा किया गया			
लाभ-हानि खाते में	(0.18)	0.12	(0.06)
अन्य व्यापक आय में	–	–	–
31 मार्च, 2025 को अंतिम शेष	**0.00**	**0.13**	**0.13**
2025-26 के दौरान (प्रभारित)/जमा किया गया			
लाभ-हानि खाते में	–	0.26	0.26
अन्य व्यापक आय में	–	–	–
31 मार्च, 2026 को अंतिम शेष	**0.00**	**0.39**	**0.39**

4.2 : आयकर व्यय

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2026 की स्थिति	31 मार्च 2025 की स्थिति
चालू आयकर:		–
- अवधि के लिए	4.60	3.88
- पूर्व वर्षों के लिए (नेट)	(0.05)	(6.58)
आस्थगित कर:		
वर्तमान वर्ष के संबंध में	(0.26)	0.06
	–	–
योग	**4.29**	**(2.64)**

4.3 : कर व्यय और लेखांकन लाभ के बीच सामंजस्य:

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2026 की स्थिति	31 मार्च 2025 की स्थिति
जारी परिचालनों से कर-पूर्व लेखांकन लाभ (हानि)	16.95	15.95
आयकर से पूर्व लेखांकन लाभ	**16.95**	**15.95**
भारत में लागू वैधानिक आयकर दर 25.17% पर	4.60	3.88
करयोग्य आय की गणना में गैर-कटौती योग्य (करयोग्य) राशियों का कर प्रभाव		
जोड़ें: पूर्व वर्ष से संबंधित प्रारंभिक व्ययों के लिए समायोजन	–	–
लाभ-हानि विवरण में दर्शाया गया आयकर व्यय (जारी परिचालनों से संबंधित)	**4.60**	**3.88**
प्रभावी आयकर दर पर	**27.12%**	**24.35%**

5 : वित्तीय परिसंपत्तियाँ – अन्य गैर-चालू वित्तीय परिसंपत्तियाँ

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2026 की स्थिति	31 मार्च 2025 की स्थिति
असुरक्षित, अच्छा माना गया		
कर्मचारियों को दिया गया अग्रिम – एनसीए	7.55	11.08
उचित मूल्य समायोजन*	–	0.85
योग	**7.55**	**11.93**

*चूँकि यह लेन-देन गैर-महत्वपूर्ण है, इसलिए अवधि के दौरान बहुउद्देशीय अग्रिम को ऐतिहासिक लागत के आधार पर दर्शाया गया है।

6 : वित्तीय परिसम्तियां-चालू

6.1 : नकदी और नकदी समतुल्य

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2026 की स्थिति	31 मार्च 2025 की स्थिति
बैंक के पास शेष		
- चालू खाते में	1.28	1.08
- फ्लेक्सी जमा में	90.98	64.07
सावधि जमा पर उपार्जित ब्याज (जिसकी परिपक्वता अवधि 3 माह या उससे कम है)	0.02	0.02
स्टॉफ इम्प्रैस्ट	0.50	0.50
योग	**92.78**	**65.67**

6.2 : नकदी एवं नकदी समतुल्य के अलावा अन्य बैंक शेष

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2026 की स्थिति	31 मार्च 2025 की स्थिति
3 माह की परिपक्वता अवधि वाली, किंतु 12 माह से कम अवधि की सावधि जमा	145.00	115.00
योग	**145.00**	**115.00**

6.3 : व्यापार प्राप्य

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2026 की स्थिति	31 मार्च 2025 की स्थिति
व्यापार प्राप्य – अच्छा माना गया – असुरक्षित (संबंधित पक्ष से)	–	51.44
योग	–	51.44

6.3.1: व्यापार प्राप्य का उपयोज्यता कालक्रम

विवरण	31 मार्च 2026 की स्थिति के अनुसार:					
	6 महीने से कम	6 महीने से 1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	योग
i. अविवादित व्यापार प्राप्य – अच्छा माना गया	–	–	–	–	–	–
ii. अविवादित व्यापार प्राप्य – जिनमें ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	–	–	–	–	–	–
iii. अविवादित व्यापार प्राप्य – ऋण हानि से प्रभावित	–	–	–	–	–	–
iv. विवादित व्यापार प्राप्य – अच्छा माना गया	–	–	–	–	–	–
v. विवादित व्यापार प्राप्य – जिनमें ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	–	–	–	–	–	–
vi. विवादित व्यापार प्राप्य – ऋण हानि से प्रभावित	–	–	–	–	–	–
योग	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

विवरण	31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार:					
	6 महीने से कम	6 महीने से 1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	योग
i. अविवादित व्यापार प्राप्य – अच्छा माना गया	51.44	–	–	–	–	51.44
ii. अविवादित व्यापार प्राप्य – जिनमें ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	–	–	–	–	–	–
iii. अविवादित व्यापार प्राप्य – ऋण हानि से प्रभावित	–	–	–	–	–	–
iv. विवादित व्यापार प्राप्य – अच्छा माना गया	–	–	–	–	–	–
v. विवादित व्यापार प्राप्य – जिनमें ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	–	–	–	–	–	–
vi. विवादित व्यापार प्राप्य – ऋण हानि से प्रभावित	–	–	–	–	–	–
योग	**51.44**	**–**	**–**	**–**	**–**	**51.44**

6.4 : अन्य चालू वित्तीय परिसम्पत्तियां

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2026 की स्थिति	31 मार्च 2025 की स्थिति
सावधि जमाराशियों पर उपार्जित ब्याज	2.46	2.57
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड से अप्रबिलित राजस्व (संबंधित पक्ष)	71.62	49.46
किराये के लिए प्रतिभूति जमा	1.34	–
कर्मचारियों को दिया गया अग्रिम	10.16	7.45
उचित मूल्य समायोजन – कर्मचारियों को दिया गया अग्रिम*	–	0.62
योग	**85.58**	**60.10**

*चूँकि यह लेन-देन गैर-महत्वपूर्ण है, इसलिए अवधि के दौरान बहुउद्देशीय अग्रिम को ऐतिहासिक लागत के आधार पर दर्शाया गया है।

7 : वर्तमान कर परिसंपत्तियाँ/(देयताएँ) (नेट)

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2026 की स्थिति	31 मार्च 2025 की स्थिति
प्राप्य टीडीएस	22.18	26.34
चालू कर के लिए प्रावधान	(4.60)	(3.88)
योग	**17.58**	**22.46**

8 : अन्य चालू परिसम्पत्तियां

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2026 की स्थिति	31 मार्च 2025 की स्थिति
जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट	2.78	0.52
पूर्वदत्त व्यय*	–	0.32
योग	**2.78**	**0.84**

चालू वर्ष के आंकड़े के लिए, लेखांकन नीति संख्या 2.21 – पूर्वदत्त मदें देखें।

9 : इक्विटी शेयर पूंजी

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2026 की स्थिति	31 मार्च 2025 की स्थिति
अधिकृत शेयर पूंजी		
100 रुपये मूल्य प्रत्येक के 1,00,000 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष 1,00,000)	100.00	100.00
योग	**100.00**	**100.00**
जारी/अभिदत्त एवं प्रदत्त पूंजी		
100 रुपये मूल्य प्रत्येक के 1,00,000 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष 1,00,000)	100.00	100.00
योग	**100.00**	**100.00**

9.1 : इक्विटी शेयर की संख्या एवं इक्विटी पूंजी का समाधान

विवरण	31 मार्च 2026 की स्थिति		31 मार्च 2025 की स्थिति	
	शेयरों की संख्या लाख में	राशि (रुपया लाख में)	शेयरों की संख्या लाख में	राशि (रुपया लाख में)
वर्ष के प्रारंभ में बकाया जारी/अभिदत्त एवं प्रदत्त इक्विटी पूंजी	1.00	100.00	1.00	100.00
जोड़ें: वर्ष के दौरान जारी किए गए शेयर	–	–	–	–
वर्ष के अंत में बकाया जारी/अभिदत्त एवं प्रदत्त इक्विटी पूंजी	1.00	100.00	1.00	100.00

9.2 : शेयरों से जुड़े अधिमान्य अधिकार एवं प्रतिबंध

इक्विटी शेयर: कंपनी के पास ₹100 प्रति शेयर अंकित मूल्य वाले इक्विटी शेयरों की केवल एक ही श्रेणी है। प्रत्येक शेयरधारक धारित प्रत्येक शेयर के लिए एक मत देने का हकदार है। परिसमापन की स्थिति में, इक्विटी शेयरधारक सभी अधिमान्य राशियों के वितरण के पश्चात अपनी शेयरधारिता के अनुपात में कंपनी की शेष परिसंपत्तियाँ प्राप्त करने के हकदार होंगे।

कंपनी में कुल शेयरों के 5% से अधिक शेयर रखने वाले शेयरधारकों द्वारा धारित शेयरों का विवरण

शेयरधारक का नाम	31 मार्च, 2026 की स्थिति		31 मार्च, 2025 की स्थिति	
	शेयरों की संख्या	शेयरधारिता का %	शेयरों की संख्या	शेयरधारिता का %
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड	1,00,000	100.00%	1,00,000	100.00%
योग	**1,00,000**	**100.00%**	**1,00,000**	**100.00%**

प्रोमोटरों की शेयरधारिता

(₹ लाख में)

प्रोमोटर का नाम	31 मार्च, 2026 की स्थिति		31 मार्च, 2025 की स्थिति	
	शेयरों की संख्या	शेयरधारिता का %	शेयरों की संख्या	शेयरधारिता का %
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड तथा इसके 6 नामित व्यक्ति	1,00,000	100.00%	1,00,000	100.00%

9.3 : स्थापना के बाद से बोनस के रूप में पूर्णतः प्रदत्त जारी किए गए इक्विटी शेयरों की कुल संख्या – शून्य

10 : अन्य इक्विटी

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2026 की स्थिति	31 मार्च 2025 की स्थिति
प्रतिधारित आय	30.06	17.40
योग	**30.06**	**17.40**

प्रतिधारित आय कंपनी के अवितरित लाभों और संचित हानियों को दर्शाती है।

10.1 : प्रतिधारित आय

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2026 की स्थिति	31 मार्च 2025 की स्थिति
प्रारंभिक शेष	17.40	(1.19)
जोड़ें: अवधि के दौरान लाभ-हानि विवरण से हस्तांतरित लाभ/(हानि)	12.66	18.59
अंत शेष	**30.06**	**17.40**

11 : अन्य गैर-चालू वित्तीय देयताएं

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2026 की स्थिति	31 मार्च 2025 की स्थिति
ग्राहकों से अग्रिम	-	6.00
अंत शेष	**-**	**6.00**

12 : व्यापार देय

31 मार्च 2026 तथा 31 मार्च 2025 को कोई व्यापार देय नहीं हैं, अतः आयु-विश्लेषण अनुसूची लागू नहीं है।

12.1: व्यापार देयकों की आयु-विश्लेषण

विवरण	31-03-2026 की स्थिति						
	बिल न किया गया	अभी देय नहीं	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	योग
i. एमएसएमई	-	-	-	-	-	-	-
ii.अन्य	-	-	-	-	-	-	-
iii. विवादित देय – एमएसएमई	-	-	-	-	-	-	-
iv. विवादित देय- अन्य	-	-	-	-	-	-	-
योग	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

विवरण	31-03-2025 की स्थिति						
	बिल न किया गया	अभी देय नहीं	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	योग
i. एमएसएमई	-	-	-	-	-	-	-
ii.अन्य	-	-	-	-	-	-	-
iii. विवादित देय – एमएसएमई	-	-	-	-	-	-	-
iv. विवादित देय- अन्य	-	-	-	-	-	-	-
योग	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

13 : अन्य वित्तीय देयताएँ

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2026 की स्थिति	31 मार्च 2025 की स्थिति
देय व्यय		
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग	0.35	0.27
- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग के अलावा अन्य		0.01
योग	**0.35**	**0.28**

14 : अन्य चालू देयताएं

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2026 की स्थिति	31 मार्च 2025 की स्थिति
देय टीडीएस	5.98	3.99
देय जीएसटी	24.56	15.97
ग्राहकों से अग्रिम	6.00	72.00
कर्मचारियों को देय	23.98	10.13
अन्य देय	186.92	120.04
योग	**247.44**	**222.13**

15 : परिचालन से राजस्व

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए
सेवाओं का निष्पादन – परियोजना प्रबंधन परामर्श	735.04	590.42
योग	**735.04**	**590.42**

16 : अन्य आय

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए
एफडीआर पर ब्याज आय	9.86	10.15
अन्य विविध आय	1.55	1.92
योग	**11.41**	**12.07**

17 : कर्मचारी लाभ व्यय

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए
मजदूरी एवं बोनस	369.20	324.28
कर्मचारी कल्याण व्यय	11.93	2.74
भविष्य निधि एवं अन्य निधियों में अंशदान*	88.87	70.81
योग	**470.00**	**397.83**

* प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कर्मचारियों के लिए पेंशन, ग्रेच्युटी, अवकाश लाभ तथा अन्य सेवा-निवृत्ति लाभों के मद में 42.34 लाख रुपये (पिछले वर्ष 26.21 लाख रुपये) की राशि मूल संगठन अर्थात् एनसीआरटीसी को भुगतान की गई/देय है तथा इसे कर्मचारी लाभ व्यय में शामिल किया गया है।

18 : मूल्यह्रास एवं परिशोधन व्यय

(₹ in lakhs)

विवरण	31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए
मूर्त परिसम्पत्तियों का मूल्यह्रास	6.26	2.21
योग	**6.26**	**2.21**

19 : कार्यालय व्यय

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए
मानदेय व्यय	3.85	4.40
संचार व्यय	1.23	0.72
बैंक प्रभार एवं कमीशन	0.04	0.03
सॉफ्टवेयर व्यय	1.24	1.11
लेखा-परीक्षकों का पारिश्रमिक (सांविधिक लेखा-परीक्षक)	0.35	0.30
विवध व्यय	0.67	0.80
मुद्रण एवं लेखन-सामग्री	12.07	3.60
परिवहन/यात्रा व्यय	82.15	61.17
यात्रा व्यय	15.67	25.68
आउटसोर्सिंग व्यय	127.93	80.52
कार्यालय किराया	2.30	2.12
कार्यालय व्यय	5.74	6.05
योग	**253.24**	**186.50**

20 : प्रति शेयर आय (ईपीएस)

विवरण	31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए
	(रुपये प्रति शेयर)	
मूल ईपीएस		
जारी परिचालनों से	12.66	18.59
बंद परिचालनों से	–	–
डायल्यूटिड ईपीएस		
जारी परिचालनों से	12.66	18.59
बंद परिचालनों से	–	–

20.1 : प्रति शेयर मूल उपार्जन

मूल प्रति शेयर आय की गणना कंपनी के इक्विटी धारकों के लिए वर्ष के दौरान उपलब्ध लाभ को वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित करके की जाती है।

प्रति शेयर मूल आय की गणना में प्रयुक्त आय और इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या:-

विवरण	31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए
	(रुपये प्रति शेयर)	
कंपनी के इक्विटी धारकों के लिए उपलब्ध लाभ:		
जारी परिचालनों से	12.66	18.59
बंद परिचालनों से	–	–
प्रति शेयर मूल आय की गणना में प्रयुक्त आय और इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या:-	12.66	18.59
मूल प्रति शेयर आय के प्रयोजन हेतु इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या (आंकड़े लाख में)	1.00	1.00

20.2 : प्रति शेयर डायल्यूटिड आय

प्रति शेयर डायल्यूटिड आय की गणना में प्रयुक्त आय और इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या:

विवरण	31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए
	(रुपये प्रति शेयर)	
कंपनी के इक्विटी धारकों के लिए उपलब्ध लाभ:		
जारी परिचालनों से	12.66	18.59
बंद परिचालनों से	–	–
चालू परिचालनों से डायल्यूटिड प्रति शेयर आय की गणना में प्रयुक्त आय	**12.66**	**18.59**

डायल्यूटिड प्रति शेयर आय के प्रयोजन हेतु इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या का, मूल प्रति शेयर आय की गणना में प्रयुक्त इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से निम्नानुसार सामंजस्य किया जाता है:

विवरण	31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए
	(रुपये प्रति शेयर)	
मूल प्रति शेयर आय के प्रयोजन हेतु इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या (आंकड़े लाख में)	1.00	1.00
डायल्यूशन का प्रभाव :	–	–
डायल्यूटिड प्रति शेयर आय के प्रयोजन हेतु इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या (आंकड़े लाख में)	1.00	1.00

20.3 : चूँकि कोई बंद किए गए परिचालन नहीं हैं, इसलिए बंद किए गए परिचालनों के लिए प्रति शेयर आय तथा डायल्यूटिड प्रति शेयर आय की गणना नहीं की गई है।

21 : पूंजी प्रबंधन

कंपनी का उद्देश्य अपनी पूंजी का इस प्रकार प्रबंधन करना है कि उसकी निरंतर चालू संस्था के रूप में बने रहने की क्षमता सुनिश्चित एवं सुरक्षित रहे, ताकि कंपनी शेयरधारकों को अधिकतम प्रतिफल तथा अन्य हितधारकों को लाभ प्रदान करना जारी रख सके।

इसके अतिरिक्त, कंपनी आर्थिक परिस्थितियों में होने वाले परिवर्तनों तथा वित्तीय अनुबंधों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अपनी पूंजी संरचना का प्रबंधन करती है।

22 : अनुपात विश्लेषण

क्र. सं.	विवरण	अंश	हर	चालू अवधि	पूर्व अवधि	भिन्नता %	भिन्नता के कारण
1	चालू अनुपात (समय में)	चालू परिसंपत्तियाँ	चालू देयताएं	1.39	1.42	-2.22%	
2	व्यापार प्राप्य टर्नओवर अनुपात (समय में)	नेट उधार बिक्री = सकल उधार बिक्री - बिक्री वापसी	औसत व्यापार प्राप्य	28.58	13.01	119.70%	चालू वर्ष के अंत में व्यापार प्राप्य का शेष शून्य होने के कारण अनुपात में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
3	नेट पूंजी टर्नओवर अनुपात (समय में)	परिचालन से राजस्व	कार्यशील पूंजी	7.66	6.34	20.82%	
4	इक्विटी पर प्रतिफल अनुपात (%)	करों के बाद लाभ	औसत कुल इक्विटी	10.23%	17.19%	-40.47%	रिपोर्टिंग अवधि के दौरान संपूर्ण दिल्ली-मेरठ कॉरिडोर के परिचालन में आने के कारण कर्मचारी लागत में हुई वृद्धि के चलते आरओई में यह गिरावट मुख्यतः हुई है।
5	नेट लाभ अनुपात	ब्याज एवं कर से पूर्व आय (ईबीआईटी)	कुल राजस्व	2.27%	2.65%	-14.19%	
6	नियोजित पूंजी पर प्रतिफल (आरओसीई) (%)	ब्याज एवं कर से पूर्व आय (ईबीआईटी)	नियोजित पूंजी	13.03%	12.92%	0.88%	
7	निवेश पर प्रतिफल (% में)			लागू नहीं			चूँकि कंपनी के पास कोई निवेश, दीर्घकालिक ऋण, भंडार एवं व्यापार देय नहीं हैं, अतः इन्हें लागू नहीं माना गया है।
8	ऋण-इक्विटी अनुपात (% में)			लागू नहीं			
9	ऋण सेवा कवरेज अनुपात (% में)			लागू नहीं			
10	भंडार टर्नओवर अनुपात (% में)			लागू नहीं			
11	व्यापार देय टर्नओवर अनुपात (% में)			लागू नहीं			

23 : उचित मूल्य मापन

(i) श्रेणीवार वित्तीय लिखत

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2026 की स्थिति		31 मार्च 2025 की स्थिति	
	एफवीटीपीएल*/ एफवीटीओसीआई**	परिशोधित लागत	एफवीटीपीएल*/ एफवीटीओसीआई**	परिशोधित लागत
वित्तीय परिसंपत्तियां				
(i) नकदी एवं नकदी समतुल्य			–	65.67
(ii) नकदी एवं नकदी समतुल्य के अलावा अन्य बैंक शेष			–	115.00
(iii) व्यापार प्राप्य			–	51.44
(iv) अन्य			–	60.10
कुल वित्तीय परिसंपत्तियां	**–**	**323.36**	**–**	**292.22**
वित्तीय देयताएं				
(i) व्यापार देय			–	–
(ii) अन्य वित्तीय देयताएं-चालू			–	–
कुल वित्तीय देयताएं	–	–	–	–

***लाभ-हानि के माध्यम से उचित मूल्य**

****अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य**

(ii) उचित मूल्य पदानुक्रम

स्तर 1 – सक्रिय बाजारों में समान परिसंपत्तियों या देयताओं के लिए उद्धृत कीमतें (असमायोजित)।

स्तर 2 – स्तर 1 में शामिल उद्धृत कीमतों के अलावा ऐसे इनपुट, जो परिसंपत्ति या देयता के लिए प्रत्यक्ष रूप से (अर्थात् कीमतों के रूप में) या अप्रत्यक्ष रूप से (अर्थात् कीमतों से व्युत्पन्न) प्रेक्षणीय हैं।

स्तर 3 – परिसंपत्तियों या देयताओं के लिए ऐसे इनपुट, जो प्रेक्षणीय बाजार आंकड़ों पर आधारित नहीं हैं (अप्रेक्षणीय इनपुट)।

(iii) परिशोधित लागत पर मापी गई ऐसी परिसंपत्तियाँ एवं देयताएँ, जिनके उचित मूल्यों का प्रकटीकरण किया गया है।

(₹ लाख में)

विवरण	स्तर	31 मार्च 2026 की स्थिति		31 मार्च 2025 की स्थिति	
		वहन मूल्य	उचित मूल्य	वहन मूल्य	उचित मूल्य
वित्तीय परिसम्पत्तियां	स्तर 2				
(i) कर्मचारियों को अग्रिम (संदर्भ नोट 5 एवं 6.4)				18.53	18.53
योग परिसम्पत्तियां	–	–	–	18.53	18.53
वित्तीय देयताएं		–	–	–	–
योग देयताएं	–	–	–	–	–

क. नकदी एवं नकदी समतुल्य तथा अन्य अल्पकालिक प्राप्य एवं अन्य देय को उनकी अल्पकालिक प्रकृति के कारण उनके उचित मूल्यों के समान माना गया है।

ख. चूँकि यह लेन-देन गैर-महत्वपूर्ण है, इसलिए अवधि के दौरान बहुउद्देशीय अग्रिम को ऐतिहासिक लागत के आधार पर दर्शाया गया है।

(iv) उचित मूल्यों के निर्धारण के लिए प्रयुक्त मूल्यांकन तकनीकें एवं प्रक्रिया

(क) 12 माह से कम अवधि वाली वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं के वहन मूल्य को उनके उचित मूल्यों का प्रतिनिधि माना गया है।

(ख) परिशोधित लागत पर धारित अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं के उचित मूल्यों का निर्धारण छूट दर का उपयोग करके नकदी प्रवाह को बट्टाकृत कर किया गया है।

निम्नलिखित सारणी नियमित आधार पर उचित मूल्य तथा परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं के उचित मूल्य मापन के पदानुक्रम को प्रस्तुत करती है।

वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए उचित मूल्य मापन पदानुक्रम का मात्रात्मक प्रकटीकरण :- (₹ लाख में)

विवरण	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	योग
परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियाँ, जिनके उचित मूल्य का प्रकटीकरण किया गया है				
कर्मचारियों को दिए गए अग्रिम	–		–	–
परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय देयताएँ, जिनके उचित मूल्य का प्रकटीकरण किया गया है	–	–	–	–
31 मार्च, 2026 की स्थिति	–	–	–	–
विवरण	**स्तर 1**	**स्तर 2**	**स्तर 3**	**योग**
परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियाँ, जिनके उचित मूल्य का प्रकटीकरण किया गया है				
कर्मचारियों को दिए गए अग्रिम	–	18.53	–	18.53
परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय देयताएँ, जिनके उचित मूल्य का प्रकटीकरण किया गया है	–	–	–	–
31 मार्च, 2025 की स्थिति	**–**	**18.53**	**–**	**18.53**

24 : अनुमान एवं पूर्वधारणाएँ

रिपोर्टिंग अवधि के अंत में भविष्य के संबंध में प्रमुख पूर्वधारणाएँ तथा अनुमान संबंधी अनिश्चितता के प्रमुख स्रोत निम्नलिखित हैं, जिनसे अगले वित्तीय वर्ष में परिसंपत्तियों और देयताओं की वहन राशि में महत्वपूर्ण समायोजन किए जाने का महत्वपूर्ण जोखिम हो सकता है।

क) उचित मूल्य मापन एवं मूल्यांकन प्रक्रिया:

वित्तीय परिसंपत्तियों एवं वित्तीय देयताओं के उचित मूल्यों का मापन डीसीएफ मॉडल सहित मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करके किया जाता है। जहाँ संभव हो, इन विधियों में प्रयुक्त इनपुट प्रेक्षणीय बाजारों से प्राप्त किए जाते हैं; तथापि, जहाँ ऐसा करना संभव नहीं होता, वहाँ उचित मूल्य निर्धारित करने के लिए कुछ हद तक निर्णय का प्रयोग करना आवश्यक होता है। इन निर्णयों में तरलता जोखिम, ऋण जोखिम तथा अस्थिरता जैसे इनपुट पर विचार शामिल होता है। इन कारकों से संबंधित पूर्वधारणाओं में होने वाले परिवर्तन वित्तीय लिखतों के रिपोर्ट किए गए उचित मूल्य को प्रभावित कर सकते हैं।

ख) कर

आस्थगित कर परिसंपत्तियों को उस सीमा तक मान्यता दी जाती है, जहाँ यह संभावित हो कि कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा, जिसके विरुद्ध हानियों का उपयोग किया जा सकेगा। भविष्य में कर योग्य लाभ के संभावित समय एवं स्तर तथा भविष्य की कर-योजना संबंधी रणनीतियों के आधार पर मान्यता दी जाने वाली आस्थगित कर परिसंपत्ति की राशि निर्धारित करने के लिए प्रबंधन के महत्वपूर्ण निर्णय की आवश्यकता होती है।

25. वित्तीय जोखित प्रबंधन

कंपनी वित्तीय लिखतों के संबंध में जोखिम के संपर्क में नहीं है। इन वित्तीय देयताओं का मुख्य उद्देश्य कंपनी के परिचालनों के वित्तपोषण के लिए निधि उपलब्ध कराना है। कंपनी की प्रमुख वित्तीय परिसंपत्तियों में व्यापार प्राप्य, अन्य प्राप्य तथा नकद एवं नकद समतुल्य शामिल हैं, जो सीधे उसके परिचालनों से उत्पन्न होते हैं। तथापि, जोखिम के मुख्य प्रकार बाजार जोखिम, ऋण जोखिम तथा तरलता जोखिम हैं। कंपनी जिन महत्वपूर्ण वित्तीय जोखिमों के संपर्क में है, उनका विवरण नीचे दिया गया है:-

ऋण जोखिम

ऋण जोखिम वह जोखिम है, जिसमें किसी ग्राहक या वित्तीय लिखत के प्रतिपक्षकार द्वारा अपने संविदात्मक दायित्वों को पूरा करने में विफल रहने पर कंपनी को वित्तीय हानि हो सकती है। ऋण जोखिम बैंकों और वित्तीय संस्थानों में रखी गई नकदी से उत्पन्न होता है। ऋण जोखिम का अधिकतम जोखिम वित्तीय परिसंपत्तियों के वहन मूल्य के बराबर है। प्रतिपक्षकार से संबंधित ऋण जोखिम के प्रबंधन का उद्देश्य वित्तीय परिसंपत्तियों में होने वाली हानियों को रोकना है। कंपनी प्रतिपक्षकारों की वित्तीय स्थिति, पिछले अनुभव तथा अन्य कारकों को ध्यान में रखते हुए उनकी ऋण गुणवत्ता का आकलन करती है।

तरलता जोखिम

तरलता जोखिम वह जोखिम है कि कंपनी अपनी वित्तीय देयताओं के देय होने पर उनका भुगतान करने में सक्षम नहीं होगी। कंपनी अपने तरलता जोखिम का प्रबंधन यह सुनिश्चित करके करती है कि जहाँ तक संभव हो, उसके पास देयताओं के देय होने पर उन्हें पूरा करने के लिए सदैव पर्याप्त तरलता उपलब्ध रहे।

कंपनी तरलता, निधियन तथा निपटान प्रबंधन का ध्यान रखती है। इसके अतिरिक्त, ऐसे जोखिमों से संबंधित प्रक्रियाओं एवं नीतियों की निगरानी वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा की जाती है।

26. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं एवं आकस्मिक परिसंपत्तियां

आकस्मिक देयता

कंपनी के पास वर्तमान में कोई आकस्मिक देयता नहीं है।

आकस्मिक परिसंपत्तियां

कंपनी के पास वर्तमान में कोई आकस्मिक परिसंपत्ति नहीं है।

27. संबंधित पार्टी प्रकटीकरण

27.1 संबंधित संस्थाएँ

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड धारक कंपनी

27.2 संस्था के प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक(₹ लाख में)

Name	Position
श्री शलभ गोयल	अध्यक्ष
श्री महेन्द्र कुमार	निदेशक
श्री नवनीत कौशिक	निदेशक (30.06.2025 तक)
सुश्री नमिता मेहरोत्रा	निदेशक
श्री परमजीत सिंह	निदेशक (13.05.2025 से)
श्री मुन्ना कुमार	निदेशक (13.05.2025 से)
श्री मनवेंद्र सिंह	मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ)

प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों एवं संबंधित पक्ष के साथ लेन-देन (₹ लाख में)

विवरण	संबंधित पार्टी का नाम	संबंध की प्रकृति	31 मार्च 2026 की स्थिति	31 मार्च 2025 की स्थिति
प्राप्तियाँ / आय				
परामर्श आय	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड	धारक कंपनी	735.04	590.42
व्यय / भुगतान				
संपत्ति का किराया	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड	धारक कंपनी	2.30	2.12
अन्य व्यय – सहायता सेवाएं	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड	धारक कंपनी	135.88	95.69
योग			**138.18**	**97.81**

(₹ लाख में)

विवरण	संबंधित पार्टी का नाम	संबंध की प्रकृति	31 मार्च 2026 की स्थिति	31 मार्च 2025 की स्थिति
परिसंपत्तियां / वसूलनीय राशियां				
परामर्श सेवाओं के संबंध में वसूलनीय राशि	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड	धारक कंपनी	71.62	100.90
देनदारियाँ / देय राशि				
मोबिलाइजेशन अग्रिम के संबंध में राशि (जीएसटी को छोड़कर)	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड	धारक कंपनी	6.00	78.00
अन्य देय	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड	धारक कंपनी	179.24	120.04
Total			**185.24**	**198.04**

27.3

(i) कंपनी के कार्यालय के रूप में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड के परिसर के उपयोग हेतु उससे अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एनओसी) लिया गया है तथा इसके लिए समझौते का नवीनीकरण किया गया है।

(ii) एनसीआरटीसी एक्सप्रेस ट्रांसिट लिमिटेड लेखांकन के लिए होल्डिंग कंपनी के स्वामित्व एवं प्रबंधन वाले सॉफ्टवेयर/आईटी सिस्टम अर्थात् एसएपीएस4/एचएएनए का भी उपयोग कर रही है।

(iii) कंपनी के कार्मिक उसकी होल्डिंग कंपनी से प्रतिनियुक्ति/तैनाती के आधार पर हैं तथा उनके वेतन को कंपनी के व्यय के रूप में प्रभारित किया जाता है।

28 : सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006' (एमएसएमई अधिनियम) में परिभाषित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को देय राशियों का विवरण निम्नानुसार है:-

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च 2026 की स्थिति	31 मार्च 2025 की स्थिति
1.	"प्रत्येक लेखा वर्ष के अंत में किसी भी आपूर्तिकर्ता को देय मूलधन तथा उस पर देय ब्याज की बकाया राशि:	-	-
	सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को देय मूलधन की राशि	-	-
	उपर्युक्त राशि पर देय ब्याज	-	-
2.	एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 की धारा 16 के अंतर्गत क्रेता द्वारा भुगतान किए गए ब्याज की राशि, साथ ही प्रत्येक लेखा वर्ष के दौरान निर्धारित तिथि के पश्चात आपूर्तिकर्ता को किए गए भुगतानों की राशि।	-	-
3.	भुगतान करने में हुई देरी की अवधि के लिए देय एवं भुगतान योग्य ब्याज की राशि (जो वर्ष के दौरान निर्धारित तिथि के बाद भुगतान की गई है), परंतु एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 के अंतर्गत निर्दिष्ट ब्याज को शामिल किए बिना।	-	-
4.	प्रत्येक लेखा वर्ष के अंत में अर्जित एवं बकाया रह गई ब्याज की राशि	-	-
5.	आगामी वर्षों में भी देय एवं भुगतान योग्य शेष ब्याज की राशि, उस तिथि तक जब तक उपर्युक्त ब्याज की देय राशि का वास्तविक रूप से लघु उद्यम को भुगतान नहीं कर दिया जाता, एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 की धारा 23 के अंतर्गत कटौती योग्य व्यय के रूप में अस्वीकृति के प्रयोजन हेतु	-	-

29. शेष राशि की पुष्टि

कंपनी ने पार्टियों को शेष राशि की पुष्टि हेतु पत्र भेजे हैं। देनदारों एवं लेनदारों के अंतर्गत दर्शाई गई सभी शेष राशियों की पुष्टि हो गई है।

30. संविदागत प्रतिबद्धताएं

परियोजना के संबंध में संविदात्मक प्रतिबद्धताओं का विवरण शून्य है।

31. घटक रिपोर्टिंग इंड एएस 108

कंपनी का मुख्य व्यवसाय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में क्षेत्रीय तीव्र परिवहन प्रणाली (आरआरटीएस) का डिजाइन, विकास, कार्यान्वयन, वित्तपोषण, संचालन एवं अनुरक्षण करना है। कंपनी भारत में ही परिचालन करती है और ऐसे विभिन्न आर्थिक परिवेशों में परिचालन नहीं करती जहाँ जोखिम एवं प्रतिफल भिन्न हों। अतः कंपनी को एकल भौगोलिक खंड में परिचालनरत माना गया है।

घटक रिपोर्ट

कंपनी का केवल एक रिपोर्ट योग्य परिचालन खंड है, जो पारगमन प्रणालियों तथा उनके किसी एक या सभी अथवा किसी संयोजन के उप-तंत्रों की योजना बनाने, डिजाइन करने, वित्तपोषण करने, कार्यान्वयन करने, प्रबंधन करने, संचालन करने और अनुरक्षण करने से संबंधित है तथा सेवाओं की प्रकृति, जोखिम एवं प्रतिफल, संगठनात्मक संरचना और आंतरिक वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणालियों के आधार पर एकल परिचालन खंड के रूप में कार्य करती है। तदनुसार, स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में दर्शाई गई राशियाँ कंपनी के एकल परिचालन खंड से संबंधित हैं।

32 : भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) 115 के अनुसार, ग्राहकों के साथ अनुबंधों से प्राप्त राजस्व के संबंध में प्रकटीकरण निम्नानुसार हैं:-

1. **राजस्व की मान्यता के संबंध में प्रबंधन के महत्वपूर्ण निर्णय:**

   मान्यता प्राप्त अनुबंध राजस्व और संबंधित प्राप्य राशियाँ प्रत्येक अनुबंध के परिणाम तथा पूर्णता की अवस्था के संबंध में प्रबंधन के सर्वोत्तम अनुमान को दर्शाती हैं। पूर्णता की अवस्था का निर्धारण भौतिक प्रगति, अब तक किए गए व्यय का लेन-देन की कुल अनुमानित लागत से अनुपात, व्यतीत समय, निष्पादित सेवा अथवा प्रबंधन द्वारा उपयुक्त मानी गई किसी अन्य विधि के आधार पर किया जाता है।

2. कंपनी ने वस्तुओं या सेवाओं का नियंत्रण ग्राहकों को हस्तांतरित होने पर निष्पादन दायित्व की पूर्ति के आधार पर राजस्व को या तो समय के साथ या समय के एक निश्चित बिंदु पर मान्यता दी है। यदि निम्नलिखित में से कोई एक शर्त पूरी होती है, तो कंपनी द्वारा राजस्व को समय के साथ मान्यता दी गई है:

   - ग्राहक एक साथ लाभ प्राप्त करता है और उनका उपभोग करता है।
   - कंपनी का निष्पादन ऐसी परिसंपत्ति का सृजन या संवर्धन करता है, जिस पर परिसंपत्ति के सृजित या संवर्धित होने के साथ-साथ ग्राहक का नियंत्रण होता है।
   - कंपनी के निष्पादन से ऐसी परिसंपत्ति का सृजन नहीं होता जिसका कोई वैकल्पिक उपयोग हो, और कंपनी को अब तक पूर्ण किए गए निष्पादन के लिए भुगतान प्राप्त करने का प्रवर्तनीय अधिकार है।

यदि उपर्युक्त में से कोई भी शर्त पूरी नहीं होती है, तो कंपनी द्वारा राजस्व को समय के एक निश्चित बिंदु पर मान्यता दी जाती है।

3. वस्तुओं एवं सेवाओं की प्रकृति:

प्रमुख गतिविधियों का विवरण निम्नलिखित है:

गतिविधि	वस्तुओं एवं सेवाओं की प्रकृति (निष्पादन दायित्व)	राजस्व मान्यता का आधार	राजस्व की गणना की विधि	ऋण अवधि एवं भुगतान की शर्तें
परियोजना प्रबंधन परामर्श	कंपनी रैपिड रेल एवं मेट्रो आदि के संचालन एवं अनुरक्षण की निगरानी के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श अनुबंध करती है।	परामर्श / अनुबंध सेवाओं से आय को निष्पादित कार्य की वास्तविक प्रगति / तकनीकी आकलन के आधार पर लेखांकित किया जाता है, सिवाय उन मामलों के जहाँ अनुबंधों में अन्यथा प्रावधान किया गया हो।	जहाँ निष्पादन दायित्व की पूर्ति निष्पादन की अवधि पर आधारित होती है, वहाँ कंपनी इनपुट विधि के आधार पर समय के साथ राजस्व को मान्यता देती है।	अनुबंधों के नियमों एवं शर्तों के अनुसार राजस्व का बिल बनाया जाता है तथा राशि प्राप्य होती है।

4. प्राप्य राशियों/अनुबंध परिसंपत्तियों/अनुबंध देयताओं की शेष राशियाँ निम्नानुसार हैं:

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2026 की स्थिति	31 मार्च 2025 की स्थिति
अनुबंध परिसंपत्तियां (गैर-बिलित प्राप्य)	71.62	49.46
अनुबंध परिसंपत्तियां (बिलित प्राप्य)	–	51.44
योग	**71.62**	**100.90**

5. कंपनी ने अनुबंध प्राप्त करने के लिए कोई लागत वहन नहीं की है।

33. इण्ड एएस - 1 के अनुसार प्रकटीकरण: वित्तीय विवरणों का प्रस्तुतीकरण पर प्रकटीकरण

33.1. चालू वर्ष के वित्तीय विवरणों के साथ तुलनीयता बढ़ाने के लिए तुलनात्मक अवधि के वित्तीय विवरणों में कुछ पुनर्वर्गीकरण किए गए हैं। परिणामस्वरूप, पिछले वर्ष की कुछ मदों को तुलन-पत्र में पुनर्वर्गीकृत किया गया है, जिसका विवरण निम्नानुसार है

(₹ लाख में)

विवरण	पुनर्वर्गीकरण से पूर्व	पुनर्वर्गीकरण	पुनर्वर्गीकरण के पश्चात
वित्तीय परिसंपत्तियां – चालू			
नकदी एवं नकदी समतुल्य			
सावधि जमा पर उपार्जित ब्याज (जिसकी परिपक्वता अवधि 3 माह या उससे कम है)	0.00	0.02	0.02
अन्य चालू वित्तीय परिसंपत्तियां			
सावधि जमाराशियों पर उपार्जित ब्याज	2.59	(0.02)	2.57

33.2. पिछले वर्ष के आंकड़ों को चालू वर्ष की प्रस्तुति के अनुरूप बनाने के लिए, जहाँ आवश्यक हो, पुनर्समूहीकृत/पुनर्व्यवस्थित/पुनर्वर्गीकृत किया गया है।

कृते मनोज वेद एंड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण संख्या 0017729N

कृते एवं निदेशक मंडल के निमित

हस्ता./-
सीए मनोज कुमार गुप्ता
साझेदार
सदस्यता संख्या. 095689
UDIN : 26095689HPGLNK3503

हस्ता./-
मनवेंद्र सिंह
मुख्य कार्यकारी
अधिकारी (सीईओ)
BBSPS5341C

हस्ता./-
नमिता मेहरोत्रा
निदेशक
डीआईएन: 07916304

हस्ता./-
महेंद्र कुमार
निदेशक
डीआईएन: 07093637

दिनांकः 01.07.2026
स्थान : नई दिल्ली

DGA/INFRA/IHB-I/27-170/Annual A/c/
NETRA/2025-26/310

गोपनीय

कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा
(अवसंरचना), नई दिल्ली
तृतीय तल, ए-स्कन्ध, इन्द्रप्रस्थ भवन,
इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली-110002

SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF
AUDIT (INFRASTRUCTURE), NEW DELHI
3rd Floor, A-Wing, Indraprastha Bhawan,
I.P. Estate, New Delhi-110002

दिनांक / DATE 27/8/2026

सेवा में,

प्रबंध निदेशक,
एन.सी.आर.टी.सी. एक्सप्रेस ट्रांजिट लिमिटेड (NETRA),
गति शक्ति भवन, आई.एन.ए.
नई दिल्ली-110023

विषय: कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (6)(b) के अन्तर्गत 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष हेतु एन.सी.आर.टी.सी. एक्सप्रेस ट्रांजिट लिमिटेड (NETRA), के वार्षिक लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

महोदय

मैं इस पत्र के साथ 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए एन.सी.आर.टी.सी. एक्सप्रेस ट्रांजिट लिमिटेड (NETRA), के वार्षिक लेखों पर कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (6)(b) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की 'शून्य टिप्पणियाँ' अग्रेषित कर रहा हूँ। इन टिप्पणियों को कंपनी की वार्षिक आम सभा में उसी प्रकार रखा जाये जिस प्रकार वैधानिक लेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा रिपोर्ट रखी जाती है।

भवदीय,

संलग्न: शून्य टिप्पणियाँ

(सिद्धार्थ सिंह लोंगजम)
अपर उप नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

Phone: 011-23370530
E-mail : pdainfradl@cag.gov.in

31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए एनसीआरटीसी एक्सप्रेस ट्रांजिट लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (ख) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए एनसीआरटीसी एक्सप्रेस ट्रांजिट लिमिटेड के वित्तीय विवरणों को तैयार करने का उत्तरदायित्व कंपनी के प्रबंधन का है। अधिनियम की धारा 139 (5) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त वैधानिक लेखापरीक्षक अधिनियम की धारा 143 (10) के तहत निर्धारित लेखा परीक्षा के मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 143 के तहत वित्तीय विवरणों पर अभिमत व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी है। यह उनके द्वारा 24 अगस्त 2026 की उनकी संशोधित लेखापरीक्षा रिपोर्ट के माध्यम से किया गया था जो 01 जुलाई 2026 की उनकी पिछली लेखापरीक्षा रिपोर्ट का अधिक्रमण करती है।

मैंने, भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की ओर से, अधिनियम की धारा 143 (6) (क) के तहत 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए एनसीआरटीसी एक्सप्रेस ट्रांजिट लिमिटेड के वित्तीय विवरणों का एक पूरक लेखापरीक्षा किया है। यह पूरक लेखापरीक्षा वैधानिक लेखापरीक्षक के कार्य पत्र को देखे बिना स्वतंत्र रूप से की गई है और मुख्य रूप से वैधानिक लेखापरीक्षक और कंपनी के कर्मियों से पूछताछ और कुछ लेखांकन अभिलेखों की चयनात्मक जांच तक सीमित है।

मेरे पूरक लेखापरीक्षा के आधार पर मेरी जानकारी में ऐसी कोई भी महत्वपूर्ण बात नहीं आई है जिस पर अधिनियम की धारा 143 (6) (ख) के तहत वैधानिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी करने या उसमें कुछ जोड़ने की आवश्यकता पड़े।

भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक
की ओर से और उनके निमित्त



(सिद्धार्थ सिंह लोंगजम)
अपर उप नियंत्रक और महालेखापरीक्षक
(अवसंरचना)
नई दिल्ली

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 27 अगस्त 2026







राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड

गतिशक्ति भवन, आईएनए, नई दिल्ली-110023

फोन.: +91 11 24666700, फैक्स: +91 11 24666723

सीआईएन: U60200DL2013G0I256716

ईमेल: contactus@ncrtc.in | www.ncrtc.in

Follow us: www.ncrtc.in/

Designed & Printed by : Lalit Advertising